Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

दिसम्बर भाग-2
2024

DRISHTI, 641, FIRST FLOOR, DR. MUKHARJEE NAGAR, DELHI-110009
INQUIRY: +91-87501-87501
EMAIL:care@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था **5**

- संसदीय उत्पादकता में वृद्धि 5
- राजनीतिक दलों में POSH अधिनियम 7
- झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरी में आरक्षण से संबंधित कानून पर रोक 10
- "एक राष्ट्र, एक चुनाव" 129वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2024 12
- तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 15
- PSC द्वारा MGNREGA योजना में सुधार का सुझाव 17
- भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, 2024 20
- वैश्विक आयुध निर्माताओं पर SIPRI की रिपोर्ट 26
- SAFE आवास - विनिर्माण विकास के लिये श्रमिक आवास सुविधा 30
- NHRC और संबद्ध चुनौतियाँ 33
- सुशासन दिवस 2024 37
- केंद्र द्वारा "नो डिटेंशन पॉलिसी" का समापन 41
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 43

भारतीय अर्थव्यवस्था **46**

- भारत और वैश्वीकरण का बदलता परिदृश्य 46
- मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा 56
- राज्य वित्त 2024-25 पर RBI की रिपोर्ट 67
- विमानन और उत्सर्जन पर इसका प्रभाव 74
- भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2023-24 77

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **80**

- पेरिस समझौते के नौ वर्ष 80
- पूर्वी समुद्री गलियारा 85
- भारत के प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा 90
- श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा 93
- डीप स्टेट और इसके प्रभाव 101

आंतरिक सुरक्षा **107**

- माओवादी उग्रवाद का उन्मूलन 107

जैवविविधता और पर्यावरण **111**

- UNCCD का COP16 111
- आर्द्रभूमि संरक्षण को सुदृढ़ बनाना 114
- कृषि विस्तार से जैवविविधता को खतरा 118

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 121
- भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन 125

सामाजिक न्याय 132

- युवाओं में मादक पदार्थों का बढ़ता दुरुपयोग 135

भूगोल 140

- महासागरीय एनोक्सिक घटना 1a 140
- केन-बेतवा लिंक परियोजना 143

कृषि 149

- किसानों के कल्याण में सुधार 149
- भारत के FPO का वैश्वीकरण 152

भारतीय समाज 156

- घरेलू प्रवास पर EAC-PM रिपोर्ट 156
- कोविड-19 महामारी का प्रभाव 158

भारतीय इतिहास 162

- विजय दिवस की 53वीं वर्षगाँठ 162

प्रिलिम्स फैक्ट्स 166

- मानव का विकास और प्रवास 166
- मानव प्रवास का मार्ग क्या है? 167
- आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, 2024 168
- तबला वादक ज़ाकिर हुसैन 169
- NTA का पुनर्गठन 171
- संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था पुन:स्थापित 174
- राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति 175
- पवित्र उपवनों की सुरक्षा 177
- गोलान हाइट्स 181
- सेफलोपॉड्स का संरक्षण 186
- हिंद महासागर में हाइड्रोथर्मल वेंट 188
- सर आइजैक न्यूटन का योगदान 192
- पर्यावरण संरक्षण हेतु बायोडायवर्सिटी क्रेडिट 194
- बेलगाम कॉन्ग्रेस अधिवेशन के 100 वर्ष 196
- भारत में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि 199
- नासा का पार्कर सोलर प्रोब 201
- कृषि सहकारी समितियों के लिये पहल 203
- लोकसभा चुनाव 2024 के आँकड़े 203
- ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का कम उपयोग 205
- इसरो का स्पैडेक्स 207
- सशस्त्र सीमा बल का 61वाँ स्थापना दिवस 209

रैपिड फायर 213

- डिज़ीज़ एक्स 213
- मैंगनीज़ संदूषण से कैंसर की संभावना 213
- गुकेश ने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप, 2024 का खिताब जीता 214
- भारत-मोरक्को रक्षा उद्योग 214
- मालिबू वनाग्नि 215
- इंडियन लाइट टैंक (ILT) ज़ोरावर 215
- मिर्ज़ा गालिब की जयंती 217
- मायोट में चक्रवात चिडो 218

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि 220
- श्री पोट्टी श्रीरामुलु 221
- भारत में मोल्दोवा का दूतावास 222
- जलवाहक योजना 223
- बीमाकर्त्ता के लिये कंपोजिट लाइसेंस 223
- 29वाँ दिल्ली CII शिखर सम्मेलन 223
- 'किसान कवच' 225
- रॉटन फ्री-टेल्ड बैट नामक प्रजाति 225
- हिंडन नदी में प्रदूषण 226
- कैलाश मानसरोवर यात्रा 226
- INS निर्देशक 228
- सेबी का विशेष निवेश कोष (SIF) 229
- पैंगोलिन 231
- विरासत 233
- त्रिशूर पूरम में हाथी परेड 234
- बड़े मांसाहारी जीवों द्वारा फूलों का परागण 234
- उत्तर पूर्वी परिषद का 72वाँ पूर्ण अधिवेशन 235
- ग्रीन डिपॉज़िट 235
- अमेरिका ने नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट का उन्मूलन किया 236
- GST परिषद की 55वीं बैठक 236
- अंत:समुद्री (अंडरसी) केबल नेटवर्क 237
- मारबर्ग वायरस रोग 238
- मांसाहारी गिलहरियाँ 240
- शेख हसीना के प्रत्यर्पण का आग्रह 240
- कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के उम्मीदवारों का मूल्यांकन 241
- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 243
- प्रकाश की चाल 245
- मानव संपर्क से लायन-टेल्ड मेकाक को खतरा 245
- जल्लीकट्टू 247
- सरदार उधम सिंह की 125वीं जयंती 247
- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन 248
- डेनाली फॉल्ट 248
- 50,000 वर्ष पुराने ओल्ड बेबी मैमथ की खोज 249
- कैनेरी द्वीप समूह 249
- SLINEX 2024 250
- टाउ प्रोटीन 251
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 251
- निधि कंपनियों पर नियामक कार्यवाही में वृद्धि 252
- कारागार में दांपत्य परिदर्शन 253
- वर्ष 2022-23 में पीएम केयर्स फंडिंग में कमी 255
- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट क्लासरूम 255
- सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना 257
- नीडल-फ्री शॉक सिरिंज 257
- पेरियार टाइगर रिज़र्व से बस्तियों को बाहर करना 258

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

शासन व्यवस्था

संसदीय उत्पादकता में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के पूर्व **उपराष्ट्रपति ने संसद** में बढ़ते व्यवधानों पर प्रकाश डाला तथा टकरावपूर्ण राजनीति से रचनात्मक चर्चा की ओर जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- उन्होंने राजनीतिक दलों से संसदीय शिष्टाचार को बनाए रखने, आम सहमति को बढ़ावा देने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और जनता का विश्वास पुन: स्थापित करने के लिये सार्थक संवाद को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

भारत में संसद की कार्य प्रणाली में क्या चुनौतियाँ हैं ?

- **सदन में बार-बार व्यवधान:**
  - अक्सर विपक्षी विरोधों के कारण होने वाले व्यवधानों से बहुमूल्य समय और संसाधनों की बर्बादी होती है तथा संसद के विधायी और प्रतिनिधि कार्यों को नुकसान पहुँचता है।
    - इसके परिणामस्वरूप **प्रमुख विधेयक पर्याप्त चर्चा के बिना पारित कर दिये जाते हैं, जिससे** विधायी बहस की गुणवत्ता और संसदीय कार्यवाही की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
    - उदाहरण के लिये **संसद के 2023 के शीतकालीन सत्र में** महत्त्वपूर्ण व्यवधानों का सामना करना पड़ा, जिसमें संसदीय सुरक्षा में उल्लंघन जैसे मुद्दों से संबंधित विरोध प्रदर्शनों पर **141 विपक्षी सांसदों को निलंबित** करना भी शामिल था।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण और प्रतिकूल राजनीति:**
  - सरकार और विपक्ष के बीच **तीव्र ध्रुवीकरण ने विरोधी राजनीति को बढ़ावा दिया है, जिससे विधायी** प्रगति अवरुद्ध हो गई है।
    - यह विभाजनकारी दृष्टिकोण प्रभावी शासन के लिये आवश्यक सर्वसम्मति को कमज़ोर करता है।
- **सत्रों में भागीदारी का अभाव:**
  - **17वीं लोकसभा (2019-2024)** के दौरान सभी सत्रों में औसत उपस्थिति 79% थी, लेकिन चर्चा में भागीदारी सीमित थी, जिसमें प्रत्येक संसद सदस्य ने औसतन 45 चर्चाओं में भाग लिया।
  - कुछ सत्रों में उपस्थिति कम देखी गई, जैसे कि वर्ष 2021 का बजट सत्र, जिसमें मुख्य रूप से महामारी के प्रभाव के कारण 69% तक की गिरावट दर्ज की गई।
- **विधि की खराब गुणवत्ता:**
  - विधि की गुणवत्ता अक्सर अपर्याप्त बहस और जाँच के कारण प्रभावित होती है तथा कभी-कभी विधेयक जल्दबाज़ी में पारित कर दिये जाते हैं, जिससे स्पष्टता और प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावित होता है।
    - सूचना का अधिकार **(संशोधन) विधेयक, 2019 को** सूचना आयोग की स्वायत्तता को कमज़ोर करने तथा हितधारकों के साथ अपर्याप्त परामर्श को दर्शाने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा।
- **लैंगिक समानता का अभाव:**
  - **18 वीं लोकसभा** में 74 महिलाएँ निर्वाचित हुईं, जो कुल सदस्यों का **13.6%** थीं।
    - यह 17 वीं लोकसभा की तुलना में थोड़ी कम हैं, जहाँ महिलाएँ **14.4%** सदस्य थीं।
  - **इसके अतिरिक्त राज्यसभा में** महिलाओं की हिस्सेदारी 14.05% है।
    - अप्रैल 2024 तक विश्व भर में संसद सदस्यों में महिलाओं की संख्या **26.9% है**।

संसद का समुचित संचालन सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

- **आचार संहिता:** संसद सदस्यों (MPs) के आचरण का मार्गदर्शन करने, शिष्टाचार को बढ़ावा देने, व्यवधान को कम करने तथा सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये एक आचार संहिता स्थापित की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रौद्योगिकी अपनाना:** संसद ने अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी को अपनाया है।
  - **भारत में संसदीय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से सांसदों के बीच** अधिक **जवाबदेही और शिष्टाचार को बढ़ावा मिला है** , क्योंकि वास्तविक समय के प्रसारण से सार्वजनिक जाँच बढ़ जाती है।
    - इससे **उनका व्यवहार अधिक अनुशासित हुआ है** तथा संसद सदस्यों को इस बात का अनुभव हो गया है कि उन पर नज़र रखी जा रही है।
  - **इसके अतिरिक्त सांसदों के बीच बेहतर संचार** के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा ऐप विकसित किये गए हैं।
  - **समिति प्रथा:** संसद विधेयकों, नीतियों और सरकारी पहलों को मुख्य सदन में पहुँचने से पहले जाँचने के लिये एक मज़बूत समिति प्रथा का उपयोग करती है, जिससे **विधायी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार** होता है।
    - इससे यह सुनिश्चित होता है कि विशेषज्ञों की राय एकीकृत हो, जिससे विधायी कार्यों की प्रभावशीलता और गुणवत्ता में सुधार हो।
- **अनुशासनात्मक कार्रवाई:**
  - सांसदों के व्यवधानकारी व्यवहार को अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से संबोधित किया जाता है। जो सांसद अनियंत्रित आचरण में संलिप्त होते हैं, उन्हें सदन से निलंबन या निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है।
    - यह उपाय **जवाबदेही सुनिश्चित करता है** और संसदीय प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाले व्यवहार को हतोत्साहित करता है।

भारत में संसदीय कार्यप्रणाली की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है ?

- **रचनात्मक परिचर्चा के प्रति प्रतिबद्धता:**
  - राजनीतिक दलों को **रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये** और **बाधा उत्पन्न करने वाली रणनीतियों से दूर रहना चाहिये।**
    - **आम सहमति निर्माण को** बढ़ावा देना चाहिये, जिसमें सरकार **विपक्ष की चिंताओं का समाधान करे** और विपक्ष संबंधी **व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करे।**
    - यह दृष्टिकोण **अधिक उत्पादक परिचर्चा सुनिश्चित करता है**, तथा संसदीय कार्यवाही की समग्र प्रभावशीलता में योगदान देता है।
- **पीठासीन अधिकारी की भूमिका को सुदृढ़ करना:**
  - संसदीय कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिये **सदन के अध्यक्ष/सभापति को** व्यवधानों का त्वरित समाधान करने तथा संसदीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये **अधिक शक्तियाँ** प्रदान की जानी चाहिये।
  - इससे **शिष्टाचार बनाए रखने में सहायता मिलेगी, जिससे** विधायी प्रक्रिया अनावश्यक रुकावटों के बगैर सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी।
- **जवाबदेही संस्कृति को बढ़ावा देना:**
  - संसद में जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये राजनीतिक दलों को सांसदों की **उपस्थिति,** परिचर्चा में भागीदारी और **मतदान रिकॉर्ड की** निगरानी करके यह सुनिश्चित करना चाहिये **कि वे विधायी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें।**
  - **साथियों का दबाव, पार्टी अनुशासन** और **अनुकरणीय सांसदों के उदाहरणों का अनुसरण करने से** सत्यनिष्ठा और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा मिलेगा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को दृढ़ता मिलेगी।
  - इसके अतिरिक्त **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम का** लाभ उठाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि **सांसदों के कार्य और रिकॉर्ड** जनता के लिये सुलभ हों, जिससे अधिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
- **जन सहभागिता और पारदर्शिता:** संसद की कार्य-पद्धति के बारे में **लोगों को अधिक जागरूक** करने से संस्था में लोक न्यास का निर्माण हो सकता है।
  - **बेहतर मीडिया कवरेज** और निर्णय लेने में पारदर्शिता से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- **राजनीति में युवाओं की सहभागिता: नैतिक आचरण** और **प्रभावी शासन** को बढ़ावा देते हुए **युवा नेताओं** को सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित करने से संसदीय कार्यवाही में नए दृष्टिकोण शामिल किये जा सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष

भारतीय संसद को निरंतर व्यवधान, अल्प सहभागिता और अप्रभावी विधान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि आचार संहिता को लागू करना, प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाना, समिति प्रणालियों को सुदृढ़ करना और अनुशासनात्मक उपायों के कार्यान्वन जैसे सुधार इन मुद्दों का समाधान करने हेतु महत्त्वपूर्ण हैं। अपने लोकतांत्रिक कार्य में सुधार लाने हेतु, संसद को पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। इससे संसद द्वारा लोगों का प्रभावी प्रतिनिधित्व और प्रभावशाली, सार्थक विधि निर्माण सुनिश्चित होगा।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: संसद में अक्सर व्यवधान उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? निर्बाध बहस सुनिश्चित करने के लिये प्रक्रियाओं में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है?

राजनीतिक दलों में POSH अधिनियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों में ***कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013*** (**POSH अधिनियम**) की प्रयोज्यता के संबंध में एक **जनहित याचिका (PIL)** पर सुनवाई की गई।

- यह मुद्दा विशेषकर भारत में राजनीतिक संगठनों की विशिष्ट संरचना को देखते हुए, अस्पष्टता का क्षेत्र बना हुआ है।

राजनीतिक दलों को POSH अधिनियम के अंतर्गत लाने की आवश्यकता क्यों है?

- **महिला सांसदों का उत्पीड़न:** वर्ष 2016 के **अंतर-संसदीय संघ (IPU)** सर्वेक्षण में पाया गया कि विश्व स्तर पर **82% महिला सांसदों** को मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसमें लैंगिक भेदभावपूर्ण टिप्पणियाँ और धमकियाँ शामिल हैं।
  - अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में **40% सांसद यौन उत्पीड़न** का सामना कर रहे हैं।
- **सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना:** बढ़ती भागीदारी के बावजूद, महिलाओं की **लोकसभा सीटों में केवल 14.4% और राज्य विधानसभाओं में 10% से भी कम हिस्सेदारी है,** जो प्रणालीगत बाधाओं को दर्शाता है।
  - राजनीतिक दलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने से महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की भूमिका को बढ़ावा मिल सकता है।
- **कानूनी और संवैधानिक अधिदेश:** POSH अधिनियम की "कार्यस्थल" और "कर्मचारी" की विस्तृत परिभाषाओं में स्वयंसेवक, पार्टी कार्यकर्त्ता तथा क्षेत्र के कार्यकर्त्ता शामिल हो सकते हैं, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा की गारंटी मिलती है। इसके अतिरिक्त, संविधान के **अनुच्छेद 14 और 15** समानता एवं गैर-भेदभाव की गारंटी प्रदान करते हैं।
- **आंतरिक तंत्र का अभाव:** राजनीतिक दलों में अक्सर उचित शिकायत निवारण प्रणालियों का अभाव होता है।
  - आंतरिक समितियों में बाह्य सदस्यों को शामिल करना या POSH अधिनियम के तहत अपेक्षित निष्पक्षता मानकों को पूरा करना अनिवार्य नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्टिंग में कमी आती है।
- **चुनावी और संस्थागत सुधार:** POSH अधिनियम के अंतर्गत राजनीतिक दलों को शामिल करना, चुनाव आयोग द्वारा पार्टी संचालन में **पारदर्शिता और जवाबदेही पर ज़ोर देने,** प्रभावशाली संस्थाओं में **आंतरिक लोकतंत्र तथा लैंगिक न्याय** सुनिश्चित करने के अनुरूप है।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:** भारत को स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों से सीख लेनी चाहिये, जिन्होंने लिंग-संवेदनशील राजनीतिक संगठन प्रथाओं को औपचारिकता बना दिया है।
  - वर्ष 2017 में स्थापित यूके संसद की स्वतंत्र शिकायत और शिकायत नीति (Independent Complaints and Grievance Policy- (ICGP)) का उद्देश्य यूके **संसद में यौन उत्पीड़न** से निपटना है।

POSH अधिनियम क्या है?

परिचय:

इसे भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे को हल करने और महिलाओं के लिये सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिये अधिनियमित किया गया था।

पृष्ठभूमि:

- पीओएसएच अधिनियम की उत्पत्ति ***विशाखा एवं अन्य बनाम***

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राजस्थान राज्य मामले में **वर्ष 1997 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक** फैसले में निहित है, जिसने महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिये **विशाखा दिशा-निर्देश तैयार किये।**

- ये दिशा-निर्देश संवैधानिक सिद्धांतों (जैसे **अनुच्छेद 15,** जो लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है) तथा **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (जैसे महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW)**, जिसे भारत ने वर्ष 1993 में अनुमोदित किया था, पर आधारित हैं, जो अधिनियम के लिये आधार के रूप में कार्य करते हैं।

यौन उत्पीड़न:

अधिनियम में **यौन उत्पीड़न** को व्यापक रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव, यौन अनुग्रह के लिये अनुरोध, यौन रूप से रंजित टिप्पणियाँ, पोर्नोग्राफी दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई भी अन्य अवांछित आचरण, चाहे वह शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक हो, शामिल है।

कार्यस्थल की परिभाषा:

- POSH अधिनियम की **धारा 3(1)** में कहा गया है कि **"किसी भी महिला को किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा।"** "कार्यस्थल" की परिभाषा व्यापक है और इसमें शामिल हैं:
  - सरकार द्वारा स्थापित या वित्तपोषित सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन।
  - निजी क्षेत्र के संगठन।
  - रोज़गार के दौरान कर्मचारियों द्वारा दौरा किये गए स्थान।

प्रमुख प्रावधान:

- **रोकथाम और निषेध:** यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और निषिद्ध करने के लिये **नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व** डालता है।
- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिये **10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक ICC का गठन** करना आवश्यक है।
  - **शिकायत समितियों** को साक्ष्य एकत्र करने के लिये **सिविल न्यायालयों** के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।
  - ICC के विरुद्ध अपील **औद्योगिक न्यायाधिकरण** या **श्रम न्यायालय** में दायर की जा सकती है।
  - जिन संगठनों में 10 से कम कर्मचारी हों या विशिष्ट परिस्थितियों में आंतरिक समिति (IC) न हो, वहाँ शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिये ज़िलाधिकारी द्वारा **स्थानीय समिति (LC)** गठित की जाती है।
- **नियोक्ताओं के कर्त्तव्य:** नियोक्ताओं को **जागरूकता कार्यक्रम** चलाने चाहिये, सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना चाहिये और कार्यस्थल पर POSH अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिये।
- **शिकायत तंत्र:** अधिनियम में शिकायत दर्ज करने, जाँच करने तथा संबंधित पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- **दंड:** अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर **जुर्माना और व्यवसाय लाइसेंस रद्द करने सहित दंड** आरोपित किया जा सकता है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशें:

न्यायमूर्ति वर्मा समिति का गठन **वर्ष 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के** बाद महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिये किया गया था। इसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में कई प्रमुख सिफारिशें कीं, जैसे:

- **घरेलू कामगारों को शामिल करना:** समिति ने सिफारिश की कि **घरेलू कामगारों** को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये POSH अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिये।
- **नियोक्ता द्वारा मुआवज़ा:** समिति ने सुझाव दिया कि **नियोक्ता को** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार **महिलाओं को** अन्य कानूनी उपायों के साथ-साथ **मुआवज़ा देने के लिये उत्तरदायी** होना चाहिये।
- **रोज़गार न्यायाधिकरण:** केवल आंतरिक शिकायत समिति (ICC) पर निर्भर रहने के बजाय, समिति ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिये एक **रोज़गार न्यायाधिकरण** की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिससे अधिक निष्पक्ष और व्यापक निर्णय सुनिश्चित हो सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राजनीतिक दलों में POSH अधिनियम के अनुप्रयोग में क्या चुनौतियाँ हैं ?

- **पारंपरिक संरचना का अभाव:**
  - **राजनीतिक दल प्राय: अस्थायी कार्यकर्त्ताओं** को नियुक्त करते हैं, जिनका **कोई पारिभाषिक कार्यस्थल** या उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ सीधा संबंध **नहीं** होता।
    - इससे ICC की स्थापना के लिये ज़िम्मेदार **कार्यस्थल की पहचान करना चुनौतीपूर्ण** हो जाता है।
- **स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव:**
  - राजनीतिक दल आमतौर पर अपनी स्वयं की समितियों के माध्यम से आंतरिक अनुशासन **(यौन उत्पीड़न के मामलों सहित)** का प्रबंधन करते हैं, क्योंकि दलों से संबंधित POSH के आवेदन के लिये **स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव** है।
- **भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका:**
  - संविधान के **अनुच्छेद 324 के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मामले में निर्वाचन आयोग** को स्पष्ट अधिकार प्राप्त है, लेकिन POSH जैसे अन्य कानूनों के मामले में इसका अभाव है।
  - ECI ने उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य विवरण और राजनीतिक वित्तपोषण जवाबदेही जैसे उपायों के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई है।
    - हालाँकि कार्यस्थल सुरक्षा कानूनों, जैसे कि POSH अधिनियम, को लागू करने में इसकी भूमिका अभी भी अस्पष्ट है।
- **विधिक उदाहरण:**
  - ***केरल उच्च न्यायालय ने संवैधानिक अधिकार अनुसंधान एवं वकालत केंद्र बनाम केरल राज्य (2022)*** मामले में फैसला सुनाया कि **राजनीतिक दलों का अपने सदस्यों के साथ नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है** और इसलिये वे **ICC** के लिये बाध्य नहीं हैं।
    - यह निर्णय कार्यस्थल संबंधी कानूनों को राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने की जटिलता को रेखांकित करता है।

राजनीतिक दलों से संबंधित समान मुद्दे

- **राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम के अंतर्गत लाना: वर्ष 2013 में CIC द्वारा इन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किये जाने** के बावजूद, अधिकांश राजनीतिक दलों ने **RTI अधिनियम** के **दायरे में आने का विरोध** किया।
  - **इनकी कार्यप्रणाली और वित्तीय लेन-देन** में पारदर्शिता की कमी से लोगों के बीच इसमें विश्वास के साथ लोकतांत्रिक जवाबदेही कमज़ोर होती है।
- **कोई अनिवार्य आयकर अनुपालन नहीं: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13A** के तहत राजनीतिक दलों को **करों से छूट प्राप्त है** यदि वे उचित खाते बनाए रखते हैं और ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
  - हालाँकि कई दलों द्वारा अपने वित्तीय विवरणों को पूरी तरह से पारदर्शी न करने के कारण, **दुरुपयोग के आरोप** लगे हैं। **अधिक जवाबदेहिता तथा कराधान अनुपालन को अनिवार्य बनाने के क्रम में किये जाने वाले सुधार** वित्तीय अस्पष्टता को रोकने में मदद कर सकते हैं।

आगे की राह

- **विधायी संशोधन:** राजनीतिक दलों को इसमें स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिये POSH अधिनियम में संशोधन करने के साथ पार्टी संरचनाओं के संदर्भ में "कार्यस्थल" तथा "नियोक्ता" संबंधी अस्पष्टताओं को दूर करना चाहिये।
  - राजनीतिक दलों द्वारा कार्यस्थल सुरक्षा कानूनों जैसे POSH अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये **भारत निर्वाचन आयोग या सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट दिशा-निर्देश** आवश्यक हैं।
  - यदि 10 या अधिक सदस्यों वाली छोटी संस्थाओं को आंतरिक समितियाँ गठित करने का आदेश दिया जाता है तो **राजनीतिक दलों को छूट देने का कोई औचित्य नहीं** है।
- **ICC की स्थापना: राजनीतिक दलों के तहत आंतरिक शिकायत समितियों (ICC)** की स्थापना को अनिवार्य बनाना चाहिये ताकि POSH अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके एवं एक मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **क्षमता निर्माण एवं जागरूकता:** यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों एवं ICC की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सदस्यों को शिक्षित करने के लिये राजनीतिक दलों के तहत नियमित रूप से संवेदनशीलता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये।
- **महिलाओं के लिये समर्पित न्यायाधिकरण: वर्मा समिति** की सिफारिश के अनुसार, **राजनीतिक दलों से संबंधित उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान** के लिये एक समर्पित न्यायाधिकरण की स्थापना एक **स्वतंत्र और विशिष्ट तंत्र** के रूप में की जा सकती है।
  - इससे जवाबदेही बढ़ने, समय पर निवारण सुनिश्चित होने तथा महिला राजनेताओं के लिये अधिक सुरक्षित एवं **समावेशी राजनीतिक वातावरण** का सृजन होगा।
- **ECI की निगरानी को मज़बूत करना:** भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को कार्यस्थल सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन की निगरानी एवं इन्हें लागू करने के लिये सशक्त बनाने के साथ राजनीतिक दलों के तहत जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिये।

निष्कर्ष

राजनीतिक दलों पर POSH अधिनियम की प्रयोज्यता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के विचार-विमर्श से कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में मज़बूत विधिक ढाँचे की तत्काल आवश्यकता को बल मिला है। शासन एवं सामाजिक मानदंडों को आकार देने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, राजनीतिक दलों को महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने को प्राथमिकता देनी चाहिये। इसको लागू करने से न केवल राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल सुरक्षा मानक भी प्रभावित होंगे।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में POSH अधिनियम की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। क्या राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लाया जाना चाहिये? तर्कों एवं उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।

झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरी में आरक्षण से संबंधित कानून पर रोक

चर्चा में क्यों?

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 में स्थानीय उम्मीदवारों के रोज़गार के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें 40,000 रुपए तक के वेतन वाले निजी क्षेत्र की नौकरियों में **स्थानीय उम्मीदवारों के लिये 75% आरक्षण** अनिवार्य था।

- यह कानून **स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार** को बढ़ावा देने के लिये लाया गया था, लेकिन संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने के कारण इसकी आलोचना की गई।

निजी क्षेत्र में नियोजन अधिनियम पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला क्या है?

- **लघु उद्योगों द्वारा याचिका: झारखंड लघु उद्योग संघ (JSSIA)** ने स्थानीय लोगों को **75 प्रतिशत आरक्षण** की गारंटी देने वाले कानून को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि यह **समानता के सिद्धांत और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता** का उल्लंघन करता है।
- JSSIA का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यह **अधिनियम स्थानीय और गैर-स्थानीय उम्मीदवारों के बीच अनुचित रूप से विभाजन उत्पन्न करता है,** तथा नियोक्ताओं की स्वतंत्र रूप से नियुक्ति करने की क्षमता को सीमित करता है।
- याचिका में **पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोज़गार अधिनियम, 2020** को रद्द करने का हवाला दिया गया, जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने **संवैधानिक अधिकारों** का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था।
- **झारखंड हाईकोर्ट का फैसला:** झारखंड हाईकोर्ट ने **निजी क्षेत्र की कंपनी में स्थानीय उम्मीदवारों के झारखंड राज्य नियोजन अधिनियम, 2021** के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।
- न्यायालय ने JSSIA की इस दलील को सही पाया कि यह कानून गैर-स्थानीय उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करके **अनुच्छेद**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही निजी कंपनियों के नियुक्ति विकल्पों को प्रतिबंधित करके अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के अधिवास आधारित आरक्षण कानून:

- **आंध्र प्रदेश:** उद्योगों/कारखानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिये आंध्र प्रदेश रोजगार अधिनियम, 2019 पारित किया गया (स्थानीय निवासियों के लिए निजी उद्योगों में 75% नौकरियाँ आरक्षित हैं)।
- आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यह कानून **"असंवैधानिक हो सकता है"** लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है।
- कर्नाटक: उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिये कर्नाटक राज्य रोज़गार विधेयक, 2024 को मंजूरी दी गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन भूमिकाओं में स्थानीय लोगों के लिये 50% और गैर-प्रबंधन पदों पर 75% आरक्षण का प्रावधान है।
- इस विधेयक पर काफी विवाद बना हुआ है तथा श्रमिकों की गतिशीलता और व्यवसाय संचालन पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।

राज्य निजी क्षेत्र के रोज़गार में निवास पर आधारित आरक्षण क्यों लागू करते हैं?

- **स्थानीय लोगों में उच्च बेरोजगारी:** कई राज्यों में स्थानीय लोगों, को विशेष रूप से **निम्न और अर्द्ध-कुशल पदों पर,** बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है।
- स्थानीय नियोजन कानूनों को निवासियों को रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है।
- **प्रवासी श्रमिक के कारण रोज़गार में कमी:** यह धारणा बढ़ती जा रही है कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक स्थानीय लोगों के लिये निर्धारित रोज़गार छीन रहे हैं।
- इससे विशेष रूप से अधिक औद्योगिक और आर्थिक रूप से उन्नत क्षेत्रों में असंतोष बढ़ता है।
- **राज्य रोज़गार प्राथमिकता:** निजी क्षेत्र, एक **प्रमुख रोज़गार सृजनकर्त्ता के रूप में, स्थानीय लोगों को रोज़गार के लिये प्राथमिकता देकर सामाजिक न्याय** का समर्थन कर सकता है, खासकर तब जब इसे कर **रियायतों और सस्ते ऋणों** जैसे सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ मिलता है, जो सकारात्मक नीतियों को उचित ठहराता है।
- **राजनीतिक दबाव और वोट बैंक:** राज्य सरकारों को स्थानीय आबादी से अपने हितों को प्राथमिकता देने के लिये दबाव का सामना करना पड़ता है। आरक्षण कानून लागू करना **मतदाताओं की भावनाओं को खुश करने** और **राजनीतिक समर्थन हासिल करने का एक तरीका** हो सकता है।
- **कौशल बेमेल और शिक्षा स्तर:** स्थानीय लोगों में **उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिये कौशल की कमी हो सकती है,** जिससे उनके अवसर सीमित हो सकते हैं।
- इस कौशल असंतुलन को दूर करने तथा कम शिक्षित आबादी को अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये कम वेतन वाली नौकरियों के लिये कोटा शुरू किया गया है।
- **प्रतिभा को बनाए रखना:** यह सुनिश्चित करके कि स्थानीय निवासियों को नौकरियों तक पहुँच प्राप्त हो, राज्य **क्षेत्र के भीतर प्रतिभा को** बनाए रख सकते हैं। यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है जहाँ प्रतिभा **पलायन** हो रहा है, जहाँ कुशल कर्मचारी बेहतर अवसरों के लिये कहीं और चले जाते हैं।

निवास पर आधारित आरक्षण क्या है?

- **निवास पर आधारित आरक्षण:** यह प्रणाली व्यक्ति के निवास स्थान के आधार पर लाभ आरक्षित करती है। राज्य शिक्षा और सार्वजनिक नौकरियों जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हुए निवासियों के लिये कुछ सीटें आवंटित कर सकता है।
  - **"जन्म स्थान" और "निवास" अलग-अलग अवधारणाएँ** हैं, जिसमें निवास का तात्पर्य किसी व्यक्ति के जन्मस्थान के बजाय उसके निवास स्थान से है।
- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 16(3), संसद द्वारा निर्धारित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के भीतर सरकारी नियुक्तियों के लिये निवास-आधारित मानदंड की अनुमति देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अनुच्छेद 371(d) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थानीय कैडर** की स्थापना करता है, जिससे सरकारी नौकरियों में स्थानीय प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित होते हैं।
- **अनुच्छेद 15** केवल जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, निवास के आधार पर नहीं।
- **ऐतिहासिक निर्णय:**
  - ***डीपी जोशी बनाम मध्य भारत, 1955:*** भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** (SC) ने अधिवास-आधारित आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि अपने निवासियों को लाभ पहुँचाना राज्य का वैध हित है।
  - ***डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, 1984:*** सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: अधिवास-आधारित आरक्षण को बरकरार रखा तथा इस बात पर बल दिया कि यह अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण के दायरे में आता है, जब तक कि यह **समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन** नहीं करता है या दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नही करता है।
- **निवास पर आधारित आरक्षण से जुड़ी समस्याएँ:** अधिवास-आधारित आरक्षण से योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप **महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों** के कार्य प्रदर्शन में कमी आ सकती है।
  - क्षेत्रीय पहचान पर ज़ोर देने से **विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है तथा स्थानीय स्तर पर तनाव** बढ़ सकता है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण कमज़ोर हो सकता है।
  - जिन प्रवासियों ने अर्थव्यवस्था और समाज में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें **अनुचित रूप से** अवसरों से वंचित किया जा सकता है।
  - निवास के मानदंडों में हेरफेर किया जा सकता है, जिससे आरक्षित सीटों या पदों के आवंटन में **शोषण और पक्षपात** को बढ़ावा मिल सकता है ।
  - आरक्षण पर निरंतर निर्भरता **शिक्षा और कौशल विकास की गुणवत्ता** में सुधार के प्रयासों को कमज़ोर कर सकती है, जो सशक्तीकरण के लिये अधिक सतत् समाधान हैं।
  - निवास पर आधारित आरक्षण **अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में विफल** हो सकता है, जहाँ **धनी या अधिक शिक्षित स्थानीय निवासी** उसी क्षेत्र के गरीब, हाशिये पर पड़े समूहों की तुलना में अधिक लाभान्वित होते हैं।

आगे की राह:

- **रोज़गार संतुलन:** एक **निष्पक्ष तंत्र स्थापित करना जहाँ स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों उम्मीदवार रोज़गार के लिये प्रतिस्पर्द्धा** कर सकें, क्षेत्रीय बेरोज़गारी के मुद्दों का समाधान करते हुए योग्यता आधारित नियुक्ति को बढ़ावा देना।
  - नीतियों को कार्यबल एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, तथा राज्य की सीमाओं की परवाह किये बिना सभी नागरिकों के लिये आर्थिक अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिये।
- **कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना:** स्थानीय लोगों के लिये शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना **ताकि उन्हें रोज़गार के प्रति अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सके** तथा प्रतिबंधात्मक आरक्षण की आवश्यकता कम हो।
- **स्थानीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करना:** सख्त आरक्षण सीमा लागू करने के बजाय, निजी क्षेत्र के उद्यमों को कर छूट या सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन देकर स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित करना, ताकि नियोक्ता स्थानीय प्रतिभा और गुणवत्ता के आधार पर निर्णय ले सकें।
- **श्रम अधिकारों को सुनिश्चित करना:** राज्यों को प्रवासियों सहित सभी श्रमिकों के लिये बुनियादी श्रम अधिकारों को लागू करना चाहिये, ताकि उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और स्थानीय एवं प्रवासी दोनों श्रमिकों के लिये समान अवसर उपलब्ध हो सकें।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में निवास पर आधारित आरक्षण के कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण कीजिये। क्या ये कानून क्षेत्रीय बेरोज़गारी को संबोधित करते हैं, या नई चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं? चर्चा कीजिये।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" 129वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, सरकार ने **लोकसभा** में दो **संविधान संशोधन विधेयकों** **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"-'129वाँ संविधान संशोधन**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विधेयक, 2024' और **'केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2024'** को पेश करके **"एक राष्ट्र, एक चुनाव"** को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया हैं।

- भारत में वर्ष 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किये गए थे।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **'एक राष्ट्र, एक चुनाव'129वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2024':** विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को संरेखित करने के लिये **पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति** की सिफारिश पर **संविधान में अनुच्छेद 82A (1-6)** को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है।
  - **अनुच्छेद 82 (1-6):**
    - **82A (1)** में राष्ट्रपति द्वारा आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि में प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू करने के लिये समय-सीमा का प्रावधान किया गया है, जिसे **"नियत तिथि (Appointed Date)"** के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
- **धारा 82(2)** में कहा गया है कि **नियत तिथि के बाद और लोक सभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त** होने से पहले निर्वाचित सभी **राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल** लोक सभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।
  - **अनुच्छेद 82A (3)** में कहा गया है कि **भारत का निर्वाचन आयोग (ECI)** लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिये **एक साथ आम चुनाव** कराएगा।
  - **अनुच्छेद 82A (4)** एक साथ चुनावों को **"लोकसभा और सभी विधानसभाओं के एक साथ गठन के लिये आयोजित आम चुनाव"** के रूप में परिभाषित करता है।
  - **अनुच्छेद 82A (5) भारत का निर्वाचन आयोग** को लोकसभा चुनाव के साथ किसी विशेष विधानसभा चुनाव न कराने का विकल्प प्रदान करना है।
    - भारत का निर्वाचन आयोग **राष्ट्रपति को किसी विधान सभा के लिये बाद में चुनाव कराने** की अनुमति देने हेतु आदेश जारी करने की सलाह दे सकता है।
  - **अनुच्छेद 82A (6)** में कहा गया है कि यदि किसी **विधानसभा का चुनाव स्थगित** कर दिया जाता है तो उस विधानसभा का **पूर्ण कार्यकाल भी** आम चुनाव में निर्वाचित लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा।
- **अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन:**
  - विधेयक के अनुसार, यदि लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है, तो अगली **लोकसभा केवल शेष अवधि तक ही कार्य करेगी, जिसे "विघटन की तिथि और पहली बैठक की तिथि से पाँच वर्ष के बीच की अवधि"** के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - इसका अर्थ यह है कि सदन के **पूर्ण कार्यकाल तक चलने के बाद भी, जो विधेयक अभी भी लंबित हैं, उनकी समय-सीमा समाप्त** हो जाएगी।
  - राज्य विधानसभाओं के लिये अनुच्छेद 172 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जो राज्य विधानसभाओं की अवधि को नियंत्रित करता है।
    - यदि किसी राज्य विधानसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले **भंग कर दिया** जाता है, **तो पिछली विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिये चुनाव कराए जाएंगे**।
- **अनुच्छेद 372 में संशोधन:**
  - **विधेयक में अनुच्छेद 372 में संशोधन** का प्रस्तावित है, जिसमें" **निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन**" के बाद एक साथ चुनाव कराने को शामिल किया जाएगा, जिससे राज्य विधान सभा चुनावों पर संसद की शक्ति का विस्तार होगा।
    - इस विधेयक में स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं के चुनाव को शामिल नहीं किया गया।
- **केंद्रशासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024:**
  - विधेयक का उद्देश्य **संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1962** की **धारा 5**, **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991** की **धारा 5** तथा **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** की **धारा 17 में संशोधन** करना है, ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं ?

- **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनाव और उनसे संबंधित मामलों के लिये आयोग की स्थापना के प्रावधान से संबंधित है।
- **अनुच्छेद 324:** यह निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 325:** इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनावों के लिये एकल निर्वाचक नामावली की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 326:** यह निर्दिष्ट करता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे।
- **अनुच्छेद 82 और 170:** ये निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अनिवार्य किये जाने से संबंधित हैं।
- **अनुच्छेद 172:** इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट

- **समिति का गठन और उद्देश्य:**
  - पूर्व **राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति** का गठन केंद्र सरकार द्वारा **सितंबर 2023 में किया गया था।**
  - समिति को **लोकसभा**, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिये एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवहार्यता की जाँच करने का कार्य सौंपा गया था।
- **एक साथ चुनाव कराए जाने का औचित्य:**
  - समिति ने स्पष्ट किया कि **बार-बार चुनाव कराए जाने से अनिश्चितता की स्थिति** उत्पन्न होती है, जबकि एक साथ चुनाव कराए जाने से स्थिर शासन सुनिश्चित होगा और व्यवधान कम होंगे।
    - इसके अतिरिक्त, एक साथ चुनाव कराए जाने से **लागत में कमी आने** और **मतदाता की सहभागिता बढ़ने की उम्मीद है।**
- **निर्वाचक नामावली प्रबंधन:**
  - निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये समिति ने **राज्य निर्वाचन आयोगों (SEC) के परामर्श से भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा तैयार एकल निर्वाचक नामावली के अंगीकरण का सुझाव दिया।**
    - इससे दोहराव कम होगा और निर्वाचन के प्रबंधन में शामिल विभिन्न एजेंसियों की कार्यकुशलता में सुधार होगा।
- **रसद व्यवस्था:**
  - समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ECI और SEC दोनों को एक साथ होने वाले चुनावों के दौरान सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रसद व्यवस्था करने हेतु विस्तृत आयोजना और उसका आकलन करना चाहिये।

एक साथ चुनाव कराए जाने से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** एक साथ चुनाव कराए जाने की जटिलताओं से निपटने के लिये **तकनीकी बुनियादी ढाँचे की पर्याप्त उपलब्धता** सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - इसमें **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** और **वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स (VVPAT)** का प्रभावी परिनियोजन और प्रबंधन शामिल है।
  - 2024 के आम चुनावों में, समग्र देश के 1.05 मिलियन मतदान केंद्रों पर लगभग **1.7 मिलियन नियंत्रण एकक** और **1.8 मिलियन VVPAT प्रणालियों का परिनियोजन किया गया था।**
- **विधिक चुनौतियाँ:** किसी भी संशोधन और एक साथ चुनाव **क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है** और संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये न्यायिक जाँच की आवश्यकता हो सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** कुछ राजनीतिक दलों का **मत है कि एक साथ चुनाव कराए जाने** से राष्ट्रीय अभियान के दौरान क्षेत्रीय हितों और मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है।
  - विविध प्रतिनिधित्व बनाए रखने हेतु यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय हितों से प्रभावित न हों।
- **प्रशासनिक चुनौतियाँ:** विभिन्न राज्यों में एक साथ चुनाव आयोजित करने से अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनमें **मतदाता सूचियों का प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।**
  - नागरिकों को नई निर्वाचन प्रक्रिया और उसके निहितार्थों के बारे में जानकारी देने के लिये एक व्यापक **मतदाता शिक्षा अभियान** की आवश्यकता होगी।

एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये कौन-सी रणनीति अपनाई जा सकती है?

- **विधिक स्पष्टता:** एक साथ चुनाव कराने के लिये **स्पष्ट निर्देश** स्थापित करना, **मतदाता पंजीकरण** के लिये **कार्यक्रम और प्रक्रियाओं का विवरण देना।**
  - **सरकार के सभी स्तरों** पर **चुनावों के समन्वयन को सुगम बनाने** के लिये आवश्यक संवैधानिक संशोधन को सुनिश्चित किये जाने चाहिये।
- **चुनावी बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना: कोविंद समिति** की सिफारिश के अनुसार, एक ऐसी एकीकृत मतदाता सूची प्रणाली विकसित की जानी चाहिये, जो सरकार के तीनों स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिये उपयोगी हो, ताकि दोहराव और त्रुटियों को कम किया जा सके।
  - मतदाता सत्यापन और परिणामों के सारणीकरण समेत चुनावी प्रक्रियाओं के कुशल प्रबंधन के लिये **प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।**
  - **चुनाव आयोग की सिफारिशों (2016) में** मतदाता पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित चुनावी प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिये परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था।
- **जन जागरूकता अभियान: मतदाताओं को एक साथ चुनाव कराने के लाभों** और उनके मतदान अनुभव पर इसके प्रभाव के बारे में सूचित करने के लिये देशव्यापी अभियान शुरू करना।
  - प्रस्तावित परिवर्तनों पर सूचना प्रसारित करने और जनता से फीडबैक एकत्र करने के लिये **गैर सरकारी संगठनों तथा सामुदायिक संगठनों को शामिल करना।**
- **क्षमता निर्माण:** सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये एक साथ चुनावों से जुड़ी नवीन प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं पर चुनाव अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिये।

तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को राज्यसभा** द्वारा पारित किया गया, जिसका उद्देश्य निज़ी निवेश को आकर्षित करते हुए पेट्रोलियम एवं खनिज तेलों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।

- इस विधेयक का उद्देश्य तेल उत्पादन के प्रशासन को खनन गतिविधियों से स्पष्ट रूप से अलग करके **मौजूदा तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 में संशोधन करना है।**

तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **खनिज तेल की परिभाषा:** विधेयक **खनिज तेलों की परिभाषा को व्यापक बनाता है,** जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले **हाइड्रोकार्बन** (जैसे **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस**) के साथ-साथ **कोल बेड मीथेन और शेल गैस/तेल को भी शामिल किया गया है।**
  - इस परिभाषा में **कोयला, लिग्नाइट और हीलियम को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है,** संभवत: इसका कारण **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत उनका विनियमन है।**
- **पेट्रोलियम लीज़:** विधेयक **"माइनिंग लीज़" शब्द** के स्थान पर **"पेट्रोलियम लीज़" शब्द का प्रयोग करता है,** जो खनिज़ तेलों की खोज, उत्पादन और निपटान जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948 के तहत दिये गए **मौज़ूदा माइनिंग लीज़/खनन पट्टे वैध रहेंगे** और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

- **उल्लंघन के लिये दंड: तेल क्षेत्र अधिनियम, 1948 के** तहत उल्लंघन के परिणामस्वरूप छह माह तक का कारावास, **1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।**
- नवीन विधेयक तेल क्षेत्र अधिनियम के उल्लंघन हेतु आपराधिक दंड के स्थान पर वित्तीय दंड का प्रावधान करता है, जिससे अधिकतम जुर्माना राशि 25 लाख रुपए हो जाती है, तथा निरंतर उल्लंघन के लिये 10 लाख रुपए तक का अतिरिक्त दैनिक जुर्माना भी लगाया जाता है।
- निज़ी निवेश को प्रोत्साहन: विधेयक में पेट्रोलियम उत्पादन में निज़ी निवेश को आकर्षित करने के उपाय शामिल हैं, तथा यह स्पष्ट किया गया है कि मौज़ूदा खनन पट्टे, पट्टेधारकों को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए बगैर वैध बने रहेंगे।
- केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ: विधेयक में केंद्र सरकार को विभिन्न पहलुओं पर नियम बनाने की शक्ति बरकरार रखी गई है, जिसमें पट्टे प्रदान करना और उनका विनियमन करना, नियम और शर्तें निर्धारित करना (जैसे पट्टे का क्षेत्र और अवधि), खनिज तेलों का संरक्षण और विकास, तथा रॉयल्टी के संग्रह के साथ-साथ तेल उत्पादन के तरीके शामिल हैं।
- इसके अलावा, विधेयक केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर पेट्रोलियम पट्टों का समेकन, सुविधा साझाकरण, प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिये पट्टाधारकों की ज़िम्मेदारियाँ, तथा पेट्रोलियम पट्टा पुरस्कारों के लिये वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाएँ शामिल करता है।
- दंड का निर्णय: केंद्र सरकार दंड का निर्णय करने के लिये संयुक्त सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करेगी।
  - न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णयों के **विरुद्ध अपील पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड विनियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम, 2006** में निर्दिष्ट **अपीलीय न्यायाधिकरण** में की जाएगी।
  - PNGRB अधिनियम, 2006 के अनुसार, PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील **विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण** के समक्ष की जानी है, जिसका गठन **विद्युत अधिनियम, 2003** के अंतर्गत किया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड नियामक बोर्ड

- PNGRB की स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी।
- **नोडल मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**
- इसका उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, पेट्रोलियम से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करना और प्रतिस्पर्द्धी बाज़ारों को बढ़ावा देना है।
- PNGRB **सिटी गैस वितरण (CJD) नेटवर्क**, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों को अधिकृत, टैरिफ का निर्धारण तथा तकनीकी एवं सुरक्षा मानक स्थापित करता है।

तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक, 2024 के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **राज्य के अधिकारों पर प्रभाव:** विधेयक में **खनन पट्टों से पेट्रोलियम पट्टों की ओर बदलाव से राज्य सूची की प्रविष्टि 50** के अंतर्गत आने वाले राज्य के कराधान अधिकारों का हनन हो सकता है।
  - ***मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं अन्य बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य 2024*** में **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** के फैसले ने पुष्टि की कि राज्यों को भारतीय संविधान में **राज्य सूची की प्रविष्टि 50** के तहत खनन गतिविधियों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है।
  - आलोचकों का तर्क है कि **संघ सूची की प्रविष्टि 53,** जो केंद्र सरकार को **तेल क्षेत्रों और खनिज तेलों पर अधिकार प्रदान करती है,** केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ा सकती है, जिससे **संघवाद से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा अधिकार क्षेत्र एवं राजस्व** पर संभावित विवाद देखने को मिल सकते हैं।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** निजी खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी से पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपाय कमज़ोर हो सकते हैं।
  - ऐसी आशंका है कि निजी कंपनियाँ **पर्यावरण संरक्षण की अपेक्षा मुनाफे को प्राथमिकता देंगी**, जिससे उत्सर्जन और पारिस्थितिकी क्षति बढ़ सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **गैर-अनुपालन के लिये दंड:** आपराधिक दंड के स्थान पर जुर्माने लगाने से जवाबदेही संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होंगी, जिससे संभावित रूप से निवारण और सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों के अनुपालन में कमी आएगी।
- **निजी निवेश बनाम सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता: विपक्षी दलों का तर्क है कि संसाधन अन्वेषण के लिये तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)** जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी संस्थाओं की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - आलोचकों को डर है कि निजी निवेश से सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व कमजोर हो सकता है और **सामुदायिक कल्याण तथा स्थिरता की तुलना में लाभ को प्राथमिकता** दी जा सकती है।

आगे की राह

- **क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएँ:** क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को रोकने के लिये केंद्रीय एवं राज्य प्राधिकरण के बीच स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करने के साथ संसाधन प्रशासन में सहकारी संघीय संरचना सुनिश्चित करना आवश्यक है।
  - **पारदर्शी राजस्व साझाकरण:** संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने और वित्तीय नियंत्रण पर तनाव कम करने के लिये **केंद्र एवं राज्यों के बीच** पारदर्शी तथा न्यायसंगत राजस्व-साझाकरण तंत्र विकसित करना चाहिये।
  - **धारणीय प्रथाएँ:** उन कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिये जो धारणीय प्रथाओं को प्राथमिकता (जैसे कि **कार्बन उत्सर्जन को** कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिये **कर छूट या कम रॉयल्टी लेना**) देती हैं।
- **पर्यावरण नियमों को मज़बूत करना:** विधेयक के अंतर्गत **मजबूत पर्यावरण सुरक्षा उपायों** को लागू करने से तेल उत्पादन में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से संबंधित जोखिमों को कम किया जा सकता है। इसमें नई परियोजनाओं के लिये **अनिवार्य पर्यावरण प्रभाव आकलन** शामिल है।
- **जन जागरूकता अभियान:** घरेलू तेल उत्पादन के लाभों एवं ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने से विधेयक के प्रति जन समर्थन को बढ़ावा मिलेगा तथा इससे संबंधित नकारात्मक धारणाओं को भी दूर किया जा सकेगा।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं राज्य के अधिकारों पर तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 के निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

PSC द्वारा MGNREGA योजना में सुधार का सुझाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति (PSC) ने उन चुनौतियों पर प्रकाश डाला है जिससे MGNREGS के तहत मजदूरी, मुद्रास्फीति** के अनुरूप नहीं हो पाई है और इसने **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS)** में कुछ सुधारों की सिफारिश की है।

नोट: मुद्रास्फीति से तात्पर्य **धन की क्रय शक्ति में कमी से है** जो किसी अर्थव्यवस्था में **वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि** के माध्यम से स्पष्ट होती है।

मनरेगा के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **मजदूरी दर का मुद्रास्फीति के अनुरूप न होना:** मनरेगा मजदूरी दर **मुद्रास्फीति** के अनुरूप न होने से ग्रामीण श्रमिकों की क्रय शक्ति में कमी आती है और ये **100 कार्यदिवस पूरा करने से हतोत्साहित** होते हैं।
  - इसके अतिरिक्त **100 दिन की रोज़गार गारंटी प्राय: अपर्याप्त** (विशेष रूप से **प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के बाद की स्थिति में**) सिद्ध होने से ग्रामीण परिवारों को **दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा** प्रदान करने की **इसकी क्षमता सीमित** हो जाती है।
- **अनुमेय कार्यों में संशोधन:** मनरेगा कार्य सूची प्राय: बाढ़ सुरक्षा और भूमि अपरदन प्रबंधन जैसी **ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती है।**
  - स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अनुमेय कार्यों को संशोधित करने में विलंब, क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में योजना की प्रभावशीलता को सीमित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मजदूरी का विलंबित भुगतान:** भुगतान में देरी अक्सर **आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS), निष्क्रिय आधार विवरण, या फ्रीज हुए बैंक खातों** के कारण होती है, जिससे योजना का अपेक्षित प्रभाव प्रभावित होता है।
  - संभावित **तकनीकी खामियों** और बुनियादी ढाँचा संबंधी समस्याओं के कारण कमज़ोर श्रमिकों को **भुगतान नहीं मिल पाता।**
- **मुआवज़े में विलंब:** मज़दूरी के भुगतान में विलंब के मामले में, लाभार्थी विलंब अवधि के लिये **प्रतिदिन अवैतनिक श्रम के 0.05%** की दर से **मुआवज़े के हकदार हैं।**
  - हालाँकि देश में अधिकांश स्थानों पर विलंब मुआवज़े के भुगतान का **पालन नहीं किया जाता है।**
- **बेरोज़गारी भत्ता:** मनरेगा के अंतर्गत जो व्यक्ति काम के लिये आवेदन करते हैं, लेकिन उन्हें 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, वे **दैनिक बेरोज़गारी भत्ते** के हकदार होते हैं।
  - बेरोज़गारी भत्ता **शायद ही कभी दिया जाता है** और दी जाने वाली राशि भी **न्यूनतम होती है।**
- **कमजोर सामाजिक अंकेक्षण:** मनरेगा के अंतर्गत, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के अंतर्गत शुरू की गई सभी परियोजनाओं का **नियमित सामाजिक अंकेक्षण करना चाहिये।**
  - हालाँकि वर्ष 2020-21 में केवल **29,611 ग्राम पंचायतों का कम-से-कम एक बार ऑडिट किया गया,** जो कमज़ोर सामाजिक ऑडिट तंत्र को दर्शाता है।
- **लोकपालों की कमी:** 715 **संभावित नियुक्तियों** में से अभी तक **केवल 263 लोकपालों की** नियुक्ति की गई है।

समिति द्वारा मनरेगा में सुधार हेतु सुझाव की विभिन्न सिफारिशें क्या हैं?

- **मजदूरी दरों में संशोधन:** पारिश्रमिक दरों में ग्रामीण क्षेत्रों में **जीवन निर्वाह की बढ़ती लागत** के दृष्टिगत मौजूदा मुद्रास्फीति के अनुरूप **उपयुक्त मुद्रास्फीति सूचकांक** के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिये।
  - **आधार वर्ष 2009-2010** और दरों को **वर्तमान मुद्रास्फीति उपनति** और **ग्रामीण आर्थिक स्थितियों** के अनुरूप अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- **कार्य दिवसों में वृद्धि:** समिति ने मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या को **100 से बढ़ाकर 150 करने की भी सिफारिश की।**

नोट:

- वित्तीय वर्ष **2024-25** में संपूर्ण भारत में औसत मनरेगा पारिश्रमिक में **प्रतिदिन केवल 28 रुपए की वृद्धि हुई।**
  - **वित्तीय वर्ष 2023-24** में मनरेगा पारिश्रमिक वृद्धि **2% से 10%** तक रही।
- भारत सरकार **कृषि श्रम के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL)** का उपयोग करके **मनरेगा के तहत पारिश्रमिक दर** अधिसूचित करती है।
- **राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (NMW)** के निर्धारण की कार्यप्रणाली की समीक्षा और सिफारिश करने के लिये गठित **डॉ. अनूप सत्पथी समिति (2019)** ने सिफारिश की थी कि मनरेगा के तहत मजदूरी **375 रुपए प्रतिदिन होनी चाहिये।**
- **डॉ. नागेश सिंह समिति (2017)** ने मनरेगा मजदूरी को CPI-कृषि श्रम के बजाय **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) ग्रामीण** के अनुसार अनुक्रमित करने की सिफारिश की।

- **भुगतान तंत्र:** इसने निर्बाध वेतन संवितरण सुनिश्चित करने के लिये APBS के साथ-साथ **वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों** को बनाए रखने की सिफारिश की।
  - पैनल ने समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिये एक **सुव्यवस्थित भुगतान प्रक्रिया** की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं को कम करना है।
- **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (NMMS):** समिति ने लाभार्थियों को **NMMS** का प्रभावी उपयोग करने में सहायता के लिये **जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।**
  - इसने तकनीकी समस्याओं के कारण श्रमिकों द्वारा योजना से बाहर होने से बचाने के लिये **वैकल्पिक उपस्थिति पद्धति** को बनाए रखने की भी सिफारिश की।
  - NMMS की सहायता से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये मनरेगा के अंतर्गत **उपस्थिति और कार्य प्रगति** की निगरानी की जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मनरेगा के लिये पर्याप्त निधि आवंटन:** समिति ने सरकार द्वारा मनरेगा के लिये **पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया** ताकि ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति क्या है ?

- **परिचय:** इसे पहली बार **5 अगस्त, 2004** को **लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमों** के **331C** के अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये गठित किया गया था।
- **अधिकारिता:** निम्नलिखित **मंत्रालय/विभाग** पर समिति की अधिकारिता है:
  - **ग्रामीण विकास मंत्रालय**
  - **पंचायती राज मंत्रालय**
- **संरचना:** समिति में अध्यक्ष द्वारा **लोकसभा से** नामित **21 सदस्य** और सभापति द्वारा **राज्यसभा से** नामित **10 सदस्य, कुल 31 सदस्य** शामिल हैं।
  - किसी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में **नामित नहीं किया जाता है।**
  - समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति **लोकसभा अध्यक्ष** द्वारा **समिति के सदस्यों** में से की जाती है।
- **सदस्यों का कार्यकाल:** समिति के सदस्यों का कार्यकाल **एक वर्ष से अनधिक होता है।**
- **कार्य:**
  - **अनुदानों की मांगों पर** विचार करना और सदनों को सूचना देना।
  - अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रेषित **विधेयकों की जाँच करना तथा उनकी सूचना देना।**
  - मंत्रालयों/विभागों की **वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा करना और उनकी सूचना देना।**
  - अध्यक्ष या सभापति द्वारा संदर्भित **राष्ट्रीय नीति दस्तावेज़ों पर विचार करना और सूचना देना।**

MGNREGS

- **परिचय: ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया, MGNREGS सबसे बड़े **कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है,** जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के **प्रत्येक परिवार** को न्यूनतम वेतन पर **100 दिनों का शारीरिक कार्य प्रदान किया जाता है।**
- **कार्यान्वयन: ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **विधिक गारंटी:** मनरेगा की मुख्य विशेषता इसके अंतर्गत कार्य की विधिक गारंटी है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के वयस्कों द्वारा कार्य का अनुरोध किये जाने पर **15 दिनों के भीतर कार्य प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाता है।**
  - **बेरोज़गारी भत्ता:** यदि 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोज़गारी भत्ता **प्रदान किया जाना होता है।**
  - **महिला वर्ग का समावेशन:** इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है तथा लाभुकों में न्यूनतम **एक तिहाई महिलाओं** का होना सुनिश्चित किया जाता है, जिन्होंने पंजीकरण कराया हो तथा काम के लिये अनुरोध किया हो।
  - **सामाजिक अंकेक्षण:** महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की धारा 17 में ग्रामसभा द्वारा **योजना कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का अधिदेश वर्णित है।**
- **लागत सहभागिता: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमश:** 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **संविदाकार पर प्रतिबंध: संविदाकारों** की नियुक्ति और **श्रमिकों का विस्थापन करने वाली मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध** है।

निष्कर्ष

मनरेगा के लिये **संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का उद्देश्य अपर्याप्त कार्यदिवस, पारिश्रमिक असमानता, विलंबित भुगतान और अनुपयुक्त निगरानी प्रणाली** जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। ग्रामीण आजीविका में सुधार और दीर्घावधि में योजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये इन सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के कार्यान्वयन की चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये और इसकी प्रभावकारिता बढ़ाने हेतु सुधारों का सुझाव दीजिये।

भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, 2024

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय** द्वारा प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन (IMHC 2024) का आयोजन किया गया, जिसमें **भारत की समुद्री विरासत** और वैश्विक व्यापार में इसके योगदान पर प्रकाश डालने के साथ भविष्य के नवाचारों पर चर्चा की गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

IMHC 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **विषय:** ***"वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना।"***
  - यह वैश्विक समुद्री व्यापार, संस्कृति और नवाचार में भारत के ऐतिहासिक तथा समकालीन योगदान पर केंद्रित है।
- **मुख्य आकर्षण:** इस सम्मेलन में भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया गया, जिसमें प्राचीन पोत निर्माण तकनीकों तथा नौवहन उपकरणों का प्रदर्शन किया गया, जो वैश्विक व्यापार नेटवर्क के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध को दर्शाता है।
  - ग्रीस, इटली और यूनाइटेड किंगडम जैसे अग्रणी समुद्री राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया तथा भारत की समुद्री विरासत के वैश्विक महत्त्व पर बल दिया।
  - मुख्य आकर्षण केंद्र **लोथल में बनने वाला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)** रहा, जिसमें पोत निर्माण तथा मनका निर्माण जैसी भारत की प्राचीन समुद्री तकनीकों का प्रदर्शन किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC)

- NMHC **का निर्माण पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत** ऐतिहासिक **सिंधु घाटी सभ्यता (IVC)** स्थल **लोथल, गुजरात** में किया जा रहा है।
  - इस परियोजना का लक्ष्य NMHC को **विश्व के सबसे बड़े समुद्री परिसरों में से एक बनाना है** जो अतीत, वर्तमान तथा भविष्य की समुद्री गतिविधियों को एक विश्व स्तरीय सुविधा में एकीकृत करेगा।
- NMHC परियोजना में 14 गैलरी वाला एक संग्रहालय, लोथल टाउन, एक ओपन एक्वेटिक गैलरी, लाइटहाउस संग्रहालय, कोस्टल स्टेट पवेलियन, इको रिसॉर्ट, थीम पार्क तथा एक समुद्री अनुसंधान संस्थान आदि शामिल होंगे।

भारत का समुद्री इतिहास क्या है ?

- **प्राचीन भारत:**
  - **सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) (3300-1300 ई.पू.):** भारत की समुद्री गतिविधियों को IVC से देखा जा सकता है।
    - **लोथल का ड्राई-डॉक (2400 ई.पू.) विश्व का पहला ज्ञात ड्राई-डॉक** है, जो समुद्री क्षेत्र से संबंधित उन्नत ज्ञान का प्रतीक है।
    - **यहाँ से मिले साक्ष्य सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया** के बीच मज़बूत व्यापार का संकेत देते हैं।
  - **मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मुहरों तथा आभूषणों** की खोज, इन दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच व्यापक आदान-प्रदान पर प्रकाश डालती है।
  - **वैदिक काल (1500- 600 ई.पू.):** ऋग्वेद सहित **वैदिक साहित्य** में नौकाओं तथा समुद्री यात्राओं का उल्लेख है, जिसमें समुद्र के देवता वरुण को समुद्री मार्गों का मार्गदर्शन करने के रूप में संदर्भित किया गया है।
    - रामायण और **महाभारत में पोत निर्माण** तथा समुद्री यात्रा का वर्णन मिलता है।
  - **नंद और मौर्य (500 - 200 ईसा पूर्व):** मगध **साम्राज्य की नौसेना** विश्व स्तर पर नौसेना का पहला दर्ज उदाहरण है।
    - प्रथम मौर्य सम्राट, **चंद्रगुप्त मौर्य** के सलाहकार चाणक्य ने अपने **अर्थशास्त्र में** एक ***नवाध्यक्ष (जहाजों के अधीक्षक) के नेतृत्व वाले जलमार्ग विभाग*** *का उल्लेख किया है।*
    - **सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को** दक्षिण-पूर्व एशिया और श्रीलंका तक फैलाने के लिये समुद्री मार्गों का उपयोग किया, जिससे भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रभाव और समृद्ध हुआ।
- **सातवाहन राजवंश (200 ई.पू.-220 ई.):** सातवाहनों **ने** रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करके भारत के पूर्वी तट पर नियंत्रण किया।
  - वे जहाज़ों के चित्र वाले सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय शासक थे।
- **गुप्त साम्राज्य (320-550 ई.):** गुप्त **राजवंश ने** भारत के स्वर्ण युग को चिह्नित किया, जिसमें समृद्धि, सांस्कृतिक विकास और खगोल विज्ञान तथा नेविगेशन में उन्नति हुई, जैसा कि चीनी यात्री **फा-हियान** एवं **ह्वेन त्सांग ने उल्लेख किया है।**
  - **आर्यभट्ट और वराहमिहिर** द्वारा की गई खगोलीय प्रगति ने समुद्री नौवहन को बेहतर बनाया, जिससे सटीक यात्राएँ संभव हुईं। विभिन्न बंदरगाहों के खुलने से यूरोप तथा अफ्रीका के साथ समुद्री व्यापार पुनः आरंभ हो गया।
- **दक्षिणी राजवंश:**
  - **चोल (तीसरी शताब्दी - 13वीं शताब्दी):** सुमात्रा, जावा, थाईलैंड, चीन के साथ व्यापक समुद्री व्यापार। बंदरगाह, शिपयार्ड, लाइटहाउस बनवाए।
  - **पांड्य:** ये मोती की खेती पर नियंत्रण रखते थे तथा रोम एवं मिस्र के साथ व्यापार करते थे।
  - **चेर (12 वीं शताब्दी):** ये यूनानियों और रोमनों के साथ व्यापार करते थे तथा मानसूनी पवनों का उपयोग करके टिंडिस (कोच्चि के पास) और मुजिरिस (कोच्चि के पास) से अरब बंदरगाहों तक यात्रा करते थे।
- **मध्यकालीन भारत:**
  - ***अरब: 8वीं शताब्दी तक अरब प्रमुख समुद्री व्यापारियों के रूप में उभरे, जो भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे।***

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **इनके प्रभाव से हिंद महासागर के** व्यापार मार्गों पर नियंत्रण में बदलाव आया।

- **पुर्तगाली: 16 वीं शताब्दी** में **वास्को-डी-गामा (1460-1524) ने** पुर्तगाल से भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की; इन्होंने अफ्रीका में **केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए मई 1498 में केरल के कालीकट** तक का सफर तय किया।
  - **इनके आगमन ने भारत के समुद्री इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया, जिससे पूर्वी अफ्रीका से लेकर मलेशिया और इंडोनेशियाई द्वीपों** तक के तटीय और समुद्री समुदायों के बीच शांतिपूर्ण व्यापार बाधित हो गया।
  - **कालीकट, जो** एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था, के.ज़ेमोरिन का भूमि और समुद्री मार्ग व्यापार बहुत फल-फूल रहा था।
  - पुर्तगालियों ने **गोवा** और **कोचीन में गढ़ स्थापित करके व्यापार पर एकाधिकार करने की कोशिश की।**
- **भारतीय जल में यूरोपीय प्रतिस्पर्द्धा:** 17वीं शताब्दी में भारतीय समुद्री व्यापार पर प्रभुत्व के लिये पुर्तगाली, डच, फ्राँसीसी और ब्रिटिश समेत यूरोपीय शक्तियों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्द्धा देखी गई।
  - ब्रिटिश **ईस्ट इंडिया कंपनी ने** व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करके तथा भारतीय जल पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिये नौसैनिक शक्ति का लाभ उठाकर धीरे-धीरे प्रभुत्व प्राप्त कर लिया।

- **स्वतंत्रता पूर्व:**
  - **मराठा नौसेना प्रतिरोध: शिवाजी महाराज ने** पश्चिमी तट पर यूरोपीय और मुगलों का सामना करने के लिये एक मज़बूत नौसेना का निर्माण किया। **सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग** जैसे तटीय किलों ने समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ किया।
  - ब्रिटिश राज के अधीन समुद्री भारत: रॉयल इंडियन मरीन (RIM) का गठन वर्ष 1892 में किया गया था, बाद में वर्ष 1934 में इसका नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी (RIN) कर दिया गया।
  - प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, RIN ने मध्य पूर्व, बर्मा और भूमध्य सागर में अनुरक्षण मिशन, गश्त और संयुक्त अभियानों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    - ब्रिटिश राज ने वर्ष 1934 में औपचारिक रूप से नौसेना बल का नाम बदलकर **रॉयल इंडियन नेवी कर दिया, जिससे** स्वतंत्रता के बाद इसके परिवर्तन की नींव रखी गई।
  - **स्वातंत्र्योत्तर काल (वर्ष 1947 - वर्तमान):** स्वतंत्रता के साथ रॉयल इंडियन नेवी भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गई। वर्ष 1950 में उपसर्ग "रॉयल" हटा दिया गया, और **भारतीय नौसेना की स्थापना अशोक के चिह्न** के साथ की गई।
    - नौसेना का आदर्श वाक्य ***शं नो वरुण:* (अर्थात् जल के देवता वरुण हमारे लिये मंगलकारी रहें)** इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उजागर करता है।
    - **वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी** वर्ष 1958 में पहले **भारतीय नौसेना प्रमुख** बने।
  - नौसेना ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। **1972 से 4 दिसंबर** को **ऑपरेशन ट्राइडेंट (1971 भारत-पाक युद्ध)** की सफलता की स्मृति में **नौसेना दिवस** मनाया जाता है।
  - भारतीय नौसेना में **तीन कमान हैं, जिनमें से प्रत्येक एक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ** के नियंत्रण में है, अर्थात् **पश्चिमी (मुख्यालय- मुंबई), पूर्वी (विशाखापत्तनम) और दक्षिणी नौसेना कमान (कोच्चि)।**
  - आधुनिकीकरण के प्रयासों से **भारतीय नौसेना एक ऐसे समुद्री बल में परिणत हुआ है,** जिसकी क्षमताएँ **हिंद महासागर क्षेत्र** से आगे विस्तृत हैं।

भारत के समुद्री क्षेत्र का महत्त्व क्या है ?

- **भारत के समुद्री क्षेत्र की स्थिति:**
  - भारत विश्व में **16वाँ सबसे बड़ा समुद्री** देश है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत टन भार की दृष्टि से **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जहाज़** पुनर्चक्रणकर्ता है तथा शिपब्रेकिंग के क्षेत्र में **वैश्विक बाज़ार में इसका योगदान 30% है** एवं विश्व की सबसे बड़ी शिपब्रेकिंग की सुविधा गुजरात के अलंग में स्थित है।

- **आर्थिक महत्त्व:** भारत का समुद्री क्षेत्र इसके व्यापार और वाणिज्य का आधार है, जहाँ से **मात्रा की दृष्टि से देश का लगभग 95% व्यापार और मूल्य की दृष्टि से 70% व्यापार संपन्न होता है।**
  - भारतीय बंदरगाहों से **प्रतिवर्ष लगभग 1200 मिलियन टन माल का संचालन किया जाता है,** जो इस क्षेत्र के आर्थिक महत्त्व को रेखांकित करता है।
  - विश्व बैंक की वर्ष 2023 की लॉजिस्टिक परफॉरमेंस इंडेक्स (LPI) रिपोर्ट के अनुसार, भारत "अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट" श्रेणी में वैश्विक स्तर पर 22 वें स्थान पर है, जो वर्ष 2014 के 44वें स्थान में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
    - यह सुधार **भारतीय बंदरगाहों के निष्पादन को रेखांकित करता है, जिनका** कंटेनर टर्नअराउंड समय और ड्वेल समय जैसे परिचालन मापदंडों पर विश्व के अन्य प्रतिस्पर्द्धियों से बेहतर प्रदर्शन रहा।
  - बंदरगाह से निर्यात-आयात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तटीय शिपिंग और क्रूज़ शिपिंग संपन्न होता है।
  - **वर्ष 2030** तक **ग्लोबल ब्लू इकोनॉमी** के **6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** होने की संभावना के साथ, भारत का समुद्री क्षेत्र **विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** के रूप में देश के उदय में महत्त्वपूर्ण योगदान देने की ओर अग्रसर है।

भारत के समुद्री क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **पत्तन की क्षमता:** भारत के बंदरगाहों की माल की बढ़ती मात्रा का वहन करने की क्षमता सीमित है।
  - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार **13 प्रमुख पत्तन** और **200 से अधिक अप्रमुख पत्तन** होने के बावजूद, इनमें से कई पोत की परिचालन क्षमता पूरी या उसके निकट है, जिसके कारण संकुलन और देरी की समस्या हो रही है।
- **जटिल विनियमन: समुद्री क्षेत्र** को **नौवहन महानिदेशालय, समुद्री राज्य विकास परिषद** और **संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि अभिसमय (UNCLOS)** जैसे निकायों द्वारा क्रियान्वित किये गए विनियमनों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे परिचालन दक्षता में बाधा उत्पन्न होती है।
  - इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों में **अवैध मत्स्यन, संसाधनों का असंतुलित दोहन,** तथा समुद्री आवासों और जैवविविधता की रक्षा के लिये **बेहतर विनियामक कार्यान्वयन की आवश्यकता शामिल है।**
- **नौसेना विस्तार और स्वदेशीकरण:** हालाँकि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक नौसेना में 175 जहाज़ शामिल करने का है किंतु इसके **निर्माण की गति,** विशेष रूप से चीन के तेजी से जहाज निर्माण की तुलना में, **और सीमित बजट** रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।
  - **प्रोजेक्ट 75-I जैसी परियोजनाओं में देरी** तथा स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों की आवश्यकता के साथ भारत में पनडुब्बियों की कमी है।
- **तटीय सुरक्षा:** भारत की विशाल तटरेखा आतंकवादी संगठन विस्फोटक हथियारों के आवागमन और मादक पदार्थों की तस्करी प्रति संवेदनशील है।
  - **उल्लेखनीय मामलों में वर्ष 1993 के मुंबई विस्फोट** और **26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले** शामिल हैं, जो महत्त्वपूर्ण सुरक्षा खामियों को उजागर करते हैं।

समुद्री क्षेत्र से संबंधित भारत की पहल:

- **जहाज़ मरम्मत और पुनर्चक्रण मिशन**
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र
- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (सागर)
- सागर माला कार्यक्रम
- मैरीटाइम इंडिया विज़न, 2030
- समुद्री अमृतकाल विज़न 2047

आगे की राह:

- **समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना: पर्यटन मंत्रालय** की **स्वदेश दर्शन योजना** के अंतर्गत **तटीय सर्किटों के विकास** जैसी **तटीय पर्यटन पहलों को** विकसित करने से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाया जा सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये सतत् समुद्री संसाधनों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करके अपनी नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है।

- **कौशल विकास को बढ़ावा देना: समुद्री कौशल में प्रशिक्षण कार्यक्रम** स्थापित करने से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है तथा रोज़गार के अवसर उत्पन्न किये जा सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संस्थाओं** के साथ सहयोग करने से ज्ञान हस्तांतरण और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है।

- **हरित नौवहन प्रथाएँ:** भारत सतत् समुद्री परिचालन के लिये समर्पित है, जिसका उदाहरण **ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम** और प्रमुख बंदरगाहों पर **ग्रीन हाइड्रोजन हब** हैं।
- **स्मार्ट बंदरगाहों और पर्यावरण अनुकूल टगबोटों** का विकास भारत के समुद्री दृष्टिकोण के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिससे दक्षता बढ़ेगी और उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आएगी।
- बुनियादी ढाँचे का विकास: क्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिये बंदरगाहों और शिपिंग बुनियादी ढाँचे को उन्नत बनाने हेतु निवेश करना, साथ ही व्यापार को बढ़ाने के लिये तटीय क्षेत्रों और अंतर्देशीय बाज़ारों के बीच संपर्क में सुधार करना चाहिये।
  - दूरदर्शी **सागरमाला कार्यक्रम बंदरगाहों को औद्योगिक समूहों** के साथ एकीकृत कर रसद नेटवर्क को अनुकूलित करता है, तथा व्यापक तटीय विकास को बढ़ावा देता है।
- **नीतिगत रूपरेखा: एकीकृत नीतियाँ** तैयार करना जो समुद्री विरासत के संरक्षण को **आर्थिक विकास उद्देश्यों** के साथ जोड़ती हैं, साथ ही वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और समझौतों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।
  - **तटीय नौवहन विधेयक 2024** नियामक ढाँचे तथा बहु-मॉडल व्यापार संपर्क को सुव्यवस्थित करता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, 2024 में उजागर की गई भारत की समुद्री विरासत के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये।

वैश्विक आयुध निर्माताओं पर SIPRI की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)** ने **विश्व के 100 शीर्ष आयुध निर्माताओं** पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें शीर्ष वैश्विक आयुध निर्माताओं में **तीन भारतीय कंपनियाँ** शामिल हैं।

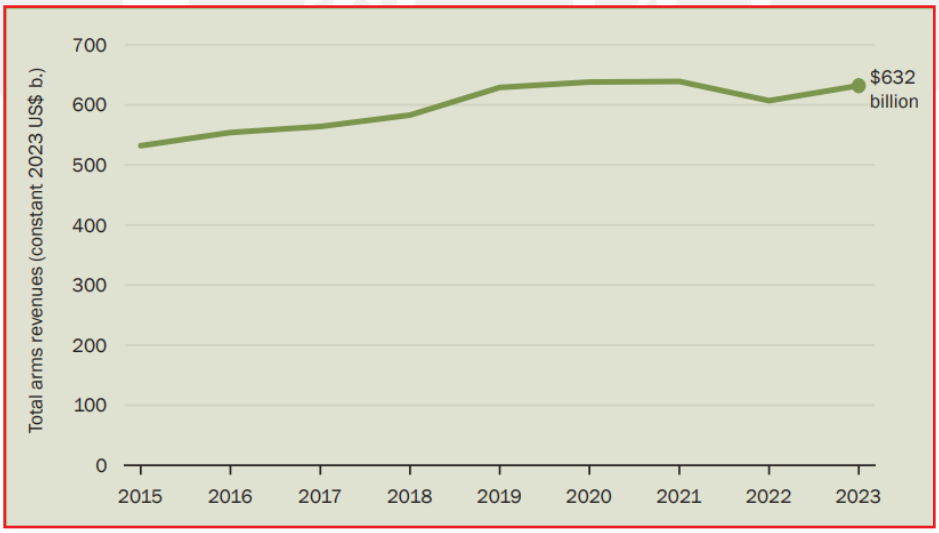

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

SIPRI की रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ?

- **वैश्विक आयुध राजस्व:** विश्व का आयुध राजस्व **2023 में 632 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो** युद्धों, क्षेत्रीय तनावों और पुन: शस्त्रीकरण के कारण 4.2% की हुई वृद्धि को दर्शाता है।

TOP LINE CHECK Sipri top 100 arms companies 2023

Rank 2022	Rank 2023	Company	Country	Arms revenue 2023 ($ bn)	Change (%)
1	1	Lockheed Martin	US	60.81	-1.6
2	2	RTX	US	40.66	-1.3
3	3	Northrop Grumman	US	35.57	5.8
4	4	Boeing	US	31.1	2.0
5	5	General Dynamics	US	30.2	3.2
43	43	Hindustan Aeronautics	India	3.71	6.9
65	67	Bharat Electronics	India	1.94	0.5
96	94	Mazagon Dock Shipbuilders	India	1.09	12.4

Note: Revenue figures are in billion of constant (2023) US dollars
Source: Sipri

- **भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन:** तीन भारतीय कंपनियाँ अर्थात् **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (रैंक 43), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** (रैंक 67), और **मझगाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (रैंक 94)** का शीर्ष 100 वैश्विक आयुध निर्माताओं में स्थान रहा।
  - **इन कंपनियों का संयुक्त राजस्व 5.8% से** बढ़कर वर्ष **2022 में 6.37 बिलियन** अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2023 **में 6.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर (56,769 करोड़ रुपए) हो गया।**
- **प्रमुख वैश्विक उत्पादक:**
  - **अमेरिका: शीर्ष 100 में शामिल 41 अमेरिकी कंपनियों ने वर्ष** 2023 में 317 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए, **जो वैश्विक शस्त्र राजस्व का आधा है,** तथा **शीर्ष पाँच** उत्पादक **अमेरिकी हैं।**
  - **चीन:** शीर्ष 100 में शामिल नौ चीनी कंपनियों ने वर्ष 2023 में कुल 103 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व **दर्ज** किया।
  - **रूस: जिन दो रूसी कंपनियों** के बारे में आँकड़े उपलब्ध थे, उनका शस्त्र राजस्व ऑर्डर और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण 40% बढ़कर अनुमानत: **25.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।**
- **क्षेत्रीय विशेषताएँ:** विश्व के **सभी क्षेत्रों** में शस्त्रों से होने वाले राजस्व में वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से **रूस और मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) स्थित कंपनियों में तीव्र वृद्धि देखी गई।**
- **शस्त्र राजस्व वृद्धि के कारण: गाज़ा और यूक्रेन में युद्ध, पूर्वी एशिया** में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर **पुन:शस्त्रीकरण कार्यक्रमों** के कारण मांग में वृद्धि हुई।
  - संघर्ष क्षेत्रों से बढ़ती मांग को पूरा करने में छोटे हथियार उत्पादक **अधिक कुशल थे।**
- **वर्ष 2024 के लिये आउटलुक: वर्ष** 2023 में शस्त्रों से होने वाले राजस्व में वृद्धि हुई और वर्ष 2024 में इसके बढ़ने की उम्मीद है। कंपनियाँ **अधिक भर्ती कर रही हैं,** जिससे भविष्य की बिक्री को लेकर उम्मीद की किरण दिखाई दे रहा है।

नोट: शस्त्र राजस्व से तात्पर्य **घरेलू और विदेशी** सैन्य ग्राहकों को सैन्य वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से **प्राप्त राजस्व से है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

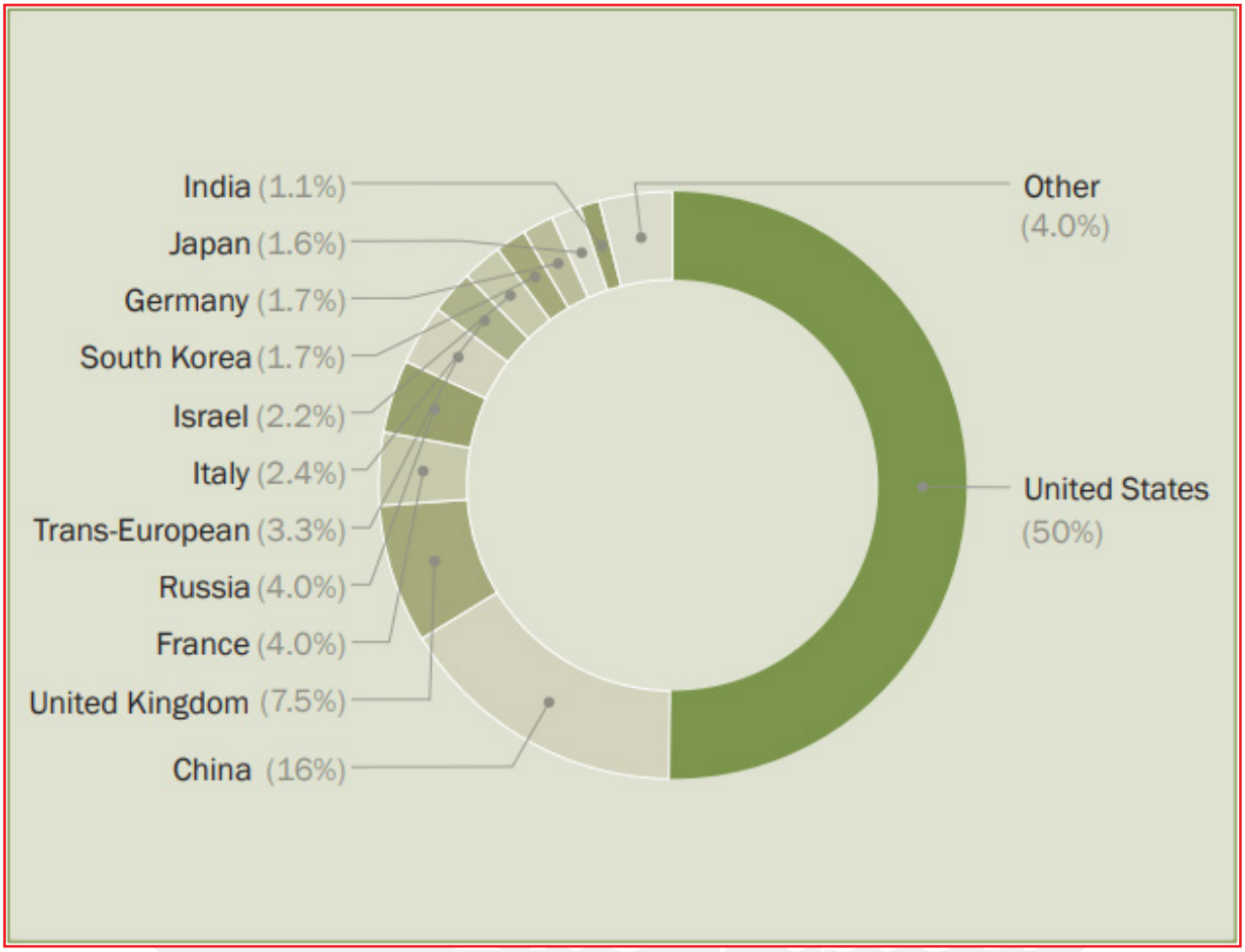

स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI)

- **SIPRI** एक **स्वतंत्र** अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो **संघर्ष, शस्त्रास्त्र, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिये समर्पित है।**
- **वर्ष 1966** में स्थापित SIPRI नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को **खुले स्रोतों** पर आधारित **डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है।**

भारत के रक्षा निर्यात में प्रमुख उपकरण क्या हैं ?

- **ब्रह्मोस मिसाइलें: भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस** सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी, जिसके लिये उसने तीन तट-आधारित, एंटी-शिप मिसाइल बैटरियों के लिये **375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया था।**
  - **आसियान** देश तथा कुछ **खाड़ी देश ब्रह्मोस मिसाइलें** हासिल करने में रुचि दिखा रहे हैं।
- **डोर्नियर-228 विमान:** भारत विभिन्न देशों को **डोर्नियर-228 विमान** का निर्यात करता है, जो रक्षा एवं नागरिक अनुप्रयोगों हेतु एक बहुमुखी एवं विश्वसनीय विमान है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सहायक विमान भाग:** भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एवं ऑफसेट प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में **बोइंग** तथा **लॉकहीड मार्टिन** जैसे रक्षा क्षेत्र के दिग्गजों को **विमान के सहायक उपकरण** निर्यात करता है।
- **सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण:** भारत रक्षा अनुप्रयोगों के लिये **फ्राँस को सॉफ्टवेयर** एवं **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्यात** करता है।
- **155mm तोपें:** भारत **आर्मेनिया** जैसे देशों को **155mm तोपें निर्यात कर रहा है,** जिससे उन्नत तोपखाना प्रणालियों के उत्पादन में इसकी क्षमताओं पर प्रकाश पड़ता है।
- **आकाश मिसाइल प्रणाली:** आकाश **वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली** (जिसमें इसका संस्करण **आकाश-1S भी शामिल है**) की निर्यात में प्रमुख भूमिका रही है, जिसका **आर्मेनिया** पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक है।
- **पिनाका: पिनाका बहु-प्रक्षेपण रॉकेट प्रणालियों के** निर्यात में **आर्मेनिया** प्रमुख खरीदार है।

भारत की उपलब्धियाँ

- **आयुध उत्पादन: भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 24 में लगभग 1.27 ट्रिलियन रुपए** के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के **लगभग 1.09 ट्रिलियन रुपए के आँकड़े से 16.7%** अधिक है।
  - यह दर्शाता है कि भारत के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा **वित्त वर्ष 29 तक 3 ट्रिलियन रुपए** के महत्त्वाकांक्षी वार्षिक रक्षा उत्पादन लक्ष्य का **40% से अधिक कवर** कर लिया गया है।
- **आयुध उत्पादन का विस्तार: 16 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों** के अतिरिक्त, भारत का रक्षा-औद्योगिक आधार भी **430 से अधिक लाइसेंस प्राप्त कंपनियों तथा 16,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तक विस्तारित** हो गया है।
  - आयुध उत्पादन क्षमता के **इस विस्तार** में निजी क्षेत्र का योगदान 21% है।
- **निर्यात गंतव्य:** वर्तमान में भारत **100 से अधिक देशों को आयुध उपकरण निर्यात** करता है। वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात के **शीर्ष तीन गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस और आर्मेनिया** हैं।

रक्षा स्वदेशीकरण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारत की क्या पहल हैं?

- **उदारीकृत FDI नीति:** रक्षा क्षेत्र में **FDI सीमा को वर्ष 2020 में नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस** प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिये **स्वचालित मार्ग** के माध्यम से **74% तक बढ़ा दिया गया** तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच की संभावना वाली कंपनियों के लिये **सरकारी मार्ग** के माध्यम से **100%** तक बढ़ा दिया गया।
- **घरेलू खरीद को प्राथमिकता: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP)-2020** के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर ज़ोर दिया गया है।
- **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ: 509 वस्तुओं** वाली पाँच **सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ** और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) की **5,012 वस्तुओं वाली पाँच सूचियाँ** जारी की गईं, जिनमें निर्दिष्ट समय-सीमा के बाद **आयात पर प्रतिबंध लगा** दिया गया।
  - इसके अतिरिक्त, MSMEs सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिये **संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से आत्मनिर्भर पहल (सृजन) पोर्टल** का शुभारंभ किया गया।
- **iDEX योजना:** रक्षा नवाचार में स्टार्टअप्स और **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को शामिल करने के लिये रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX) योजना** शुरू की गई है।
- **सार्वजनिक खरीदी वरीयता:** घरेलू निर्माताओं को समर्थन देने के लिये **सार्वजनिक खरीदी (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017** का कार्यान्वयन।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **रक्षा औद्योगिक गलियारे:** रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये **उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों** की स्थापना।
  - रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को **उद्योग और स्टार्टअप** के लिये खोल दिया गया है ताकि नवाचार और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

निष्कर्ष:

भारत के रक्षा क्षेत्र ने स्वदेशीकरण में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें प्रमुख पहलों ने **उत्पादन और निर्यात में** वृद्धि को बढ़ावा दिया है। **वैश्विक स्तर पर हथियारों के राजस्व** में वृद्धि, वैश्विक रक्षा बाज़ार में भारत की **बढ़ती हिस्सेदारी** के साथ, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से रणनीतिक नीतियों की सफलता को दर्शाती है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न सरकारी पहलों को सूचीबद्ध कीजिये।

SAFE आवास - विनिर्माण विकास के लिये श्रमिक आवास सुविधा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **नीति आयोग ने SAFE आवास - विनिर्माण विकास के लिये श्रमिक आवास सुविधा** पर एक रिपोर्ट जारी की, यह व्यापक रिपोर्ट भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में औद्योगिक श्रमिकों के लिये **सुरक्षित, सस्ती, लचीली और कुशल (SAFE)** आवास की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है।

- यह रिपोर्ट प्रमुख चुनौतियों की पहचान करती है, कार्यान्वयन योग्य समाधान प्रस्तुत करती है तथा देश भर में ऐसी आवास सुविधाओं को बढ़ाने के लिये **आवश्यक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर प्रकाश डालती है।**

नोट: SAFE आवास का मूल अर्थ है **सुरक्षित, सस्ते, लचीले और कुशल आवास।**

SAFE आवास क्या है ?

- **SAFE आवास: SAFE आवास** एक अवधारणा है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को **उनके कार्यस्थल के निकट**, आमतौर पर औद्योगिक या कारखाना स्थलों के निकट **आवास सुविधाएँ प्रदान करना है।**

- **सुविधाएँ:** इसमें दीर्घकालिक **छात्रावास-शैली (Dormitory-Style) आवास शामिल है,** जो सीधे **श्रमिकों या उनके नियोक्ताओं को किराए पर दिया जाता है।**
  - इसमें **जल, विद्युत, स्वच्छता सुविधाएँ और भोजन, वस्त्र धोने तथा औषधालय** जैसी अन्य बुनियादी सेवाएँ शामिल हैं।
  - इसमें **पारिवारिक** आवास शामिल नहीं है।
- **उद्देश्य:**
  - विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिये SAFE आवास के माध्यम से **श्रम गतिशीलता और उत्पादकता को** सुविधाजनक बनाना।
  - निर्माण और संचालन के लिये अनुकूलित विनियमों के साथ श्रमिकों के आवास को **महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के रूप में नामित करना।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- निजी डेवलपर्स के लिये आकर्षक रिटर्न के साथ किफायती आवास उपलब्ध कराने हेतु **बाज़ार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र** विकसित करना।

नोट: छात्रावास-शैली (Dormitory-Style) आवास **कई कमरों** वाला एक **बड़ा स्थान होता है जहाँ लोग सोते हैं**। इसका अर्थ लोगों के रहने के लिये **कई बिस्तरों वाले कमरे से भी हो सकता है।**

विनिर्माण वृद्धि में कौन-से SAFE आवास सहायक हैं?

- **विनिर्माण विकास: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24** के अनुसार, आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिये भारत को वर्ष **2030** तक प्रत्येक वर्ष **7.85 मिलियन रोज़गार** जोड़ने की आवश्यकता है।
  - कार्य स्थलों के निकट **औपचारिक आवास** इस विस्तार को समर्थन देने के लिये आवश्यक कार्यबल को **आकर्षित और बनाए रख सकते हैं।**
- **महिला सशक्तीकरण: चीन** में महिलाएँ **61% श्रम भागीदारी दर के साथ सकल घरेलू उत्पाद में 41% का योगदान देती हैं, जो भारत के 18% सकल घरेलू उत्पाद योगदान** और न्यूनतम भागीदारी से लगभग दोगुना है।
  - SAFE आवास कार्यक्रम **महिलाओं के लिये सुरक्षित आवास सुनिश्चित कर सकता है** तथा उनके लिये रोज़गार और अवसर उत्पन्न कर सकता है।

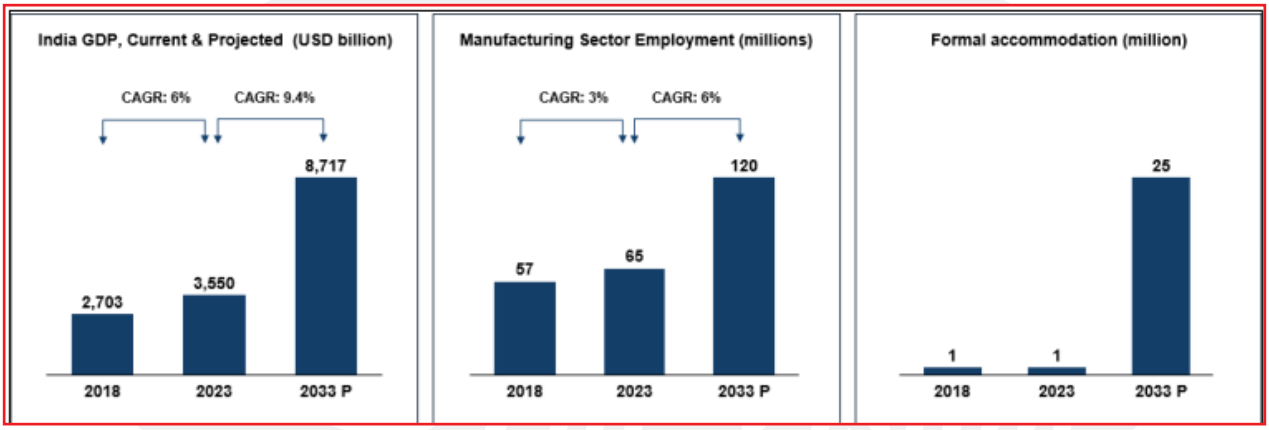

- **क्षेत्रीय परिवर्तन: विनिर्माण क्षेत्र में 11% कार्यबल** कार्यरत है और **मौद्रिक GVA में इसका योगदान 14% है**, जबकि **कृषि क्षेत्र में 46%** कार्यबल कार्यरत है लेकिन **GVA में इसका योगदान केवल 18% है।**
  - SAFE आवास की सुविधा से कृषि से उद्योग में **अधिशेष श्रमबल** को स्थानांतरित करने में मदद मिल सकती है।
  - भारत का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के योगदान को **25% तक करना है**। हालाँकि **वित्त वर्ष 2012 से यह 14 से 16% के बीच रहा है।**
- **मेक इन इंडिया को समर्थन:** विशिष्ट औद्योगिक केंद्र उभर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में असेंबली और पैकेजिंग उद्योग, **तमिलनाडु के होसुर** में **इलेक्ट्रिक वाहन (EV) केंद्र** तथा **गुजरात के धोलेरा** में **सेमीकंडक्टर केंद्र**।
  - SAFE आवास व्यवस्था **एक ही स्थान पर पर्याप्त कार्यबल को सुरक्षित करने में** मदद कर सकती है, जिसमें प्राय: **प्रवासी श्रमिक** शामिल होंगे।
- **आवास की बढ़ती मांग: भारत को विकसित भारत** के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु और अधिक रोज़गार सर्जन के लिये प्रतिवर्ष 9.4% की चक्रवृद्धि **वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से आर्थिक विकास** की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **यह मानते हुए कि वर्ष 2033** तक, लगभग 20% कार्यबल **वहनीय औपचारिक आवासन को प्राथमिकता देगा** तो इस दृष्टि से विनिर्माण श्रमिकों के लिये **25 मिलियन आवास इकाइयों की आवश्यकता होगी।**

- **उत्पादकता और प्रतिधारण में वृद्धि:** निकटस्थ और सुव्यवस्थित रूप से डिज़ाइन किये गए आवासों से **श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, कार्य में लगने वाला यात्रा समय कम हो सकता है** तथा समग्र उत्पादकता में बढ़ोतरी हो सकती है।
  - इससे कर्मचारियों की छंटनी की दर और भर्ती लागत कम हो जाती है, जिससे कारखानों के लिये एक **स्थिर तथा कुशल कार्यबल सुनिश्चित होता है।**
- **वैश्विक निवेश आकर्षित करना:** बहुराष्ट्रीय निगम **श्रमिक कल्याण और दक्षता को प्राथमिकता देते हैं**, तथा इस दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण आवास की सुविधा प्रदान कर भारत एक पसंदीदा विनिर्माण केंद्र बन सकता है।
  - **यह वैश्विक श्रम मानकों के अनुरूप है** जिनमें पर्याप्त और सुरक्षित श्रमिक आवास को प्राथमिकता दी गई है।

SAFE आवास के वैश्विक उदाहरण

- **चीन:** अधिकांश **प्रवासी कारखाना श्रमिकों को नियोक्ताओं द्वारा निर्मित** श्रमिक **शयनगृह में आवास की सुविधा प्रदान की गई**, जो प्राय: स्थानीय सरकारों द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई गई भूमि पर निर्मित थे।
  - चीन के **विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत तीस मिलियन असेंबली लाइन श्रमिकों** में से लगभग **80% महिलाएँ** हैं, जिन्हें आंतरिक प्रांतों के ग्रामीण क्षेत्रों से नियोजित किया गया है।
  - यहाँ आवास प्राय: **रोज़गार करार** का हिस्सा होता है।
- **जापान:** प्रारंभिक जापानी औद्योगीकरण में दूरवर्ती ग्रामों से आई **महिला श्रमिकों** को शयनगृह में **आवास की सुविधा प्रदान की जाती थी।**
- **सिंगापुर:** सिंगापुर में प्रवासी आवास के लिये एक अलग अधिनियम है जिसे **विदेशी कर्मचारी शयनगृह अधिनियम, 2015** कहते हैं तथा श्रमिकों के शयनगृहों के लिये अलग भवन विनियम हैं।
- **वियतनाम: वियतनाम ने शहरी क्षेत्रों में निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों** तथा औद्योगिक पार्कों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये **10 लाख सामाजिक आवास इकाइयों के** निर्माण की योजना को स्वीकृति दी थी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से महिला श्रमिकों के नियोजन में सुविधा हो सके।

श्रमिक आवासन की सुविधा बढ़ाने में क्या चुनौतियाँ शामिल हैं?

- **प्रतिबंधात्मक क्षेत्रीकरण विधि: औद्योगिक क्षेत्रों** में आवासीय विकास पर प्राय: प्रतिबंध होता है, जब तक कि स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए, जिससे श्रमिकों को अपने कार्यस्थलों से दूर रहने के लिये विवश होना पड़ता है।
  - इससे **यात्रा का समय और लागत बढ़ जाती है**, जिससे उत्पादकता तथा प्रतिधारण प्रभावित होता है।
- **रूढ़िवादी भवन उपविधि: निम्न तल क्षेत्र अनुपात (FAR)** और अन्य अकुशल भूमि उपयोग नियम उपलब्ध भूमि पर उच्च क्षमता वाले आवास की **संभावना को सीमित करते हैं।**
- **उच्च परिचालन लागत:** औद्योगिक क्षेत्रों में आवसन को अक्सर **वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है**, जिसके कारण **संपत्ति कर और उपयोगिता दरें अधिक हो जाती हैं।**
  - लागतों में ये वृद्धि निजी क्षेत्र की भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं।
- **वित्तीय व्यवहार्यता:** उच्च पूंजी लागत और कम रिटर्न के कारण व्यापक स्तर पर श्रमिक आवास परियोजनाएँ निजी डेवलपर्स के लिये अनाकर्षक हो जाती हैं।
  - बुनियादी ढाँचा निवेशकों को **80 वर्ग फीट के लिये प्रति श्रमिक 4,000 रुपए का लीज रेंट** चाहिये, जो **न्यूनतम मज़दूरी** वाले श्रमिक के वेतन का **लगभग 30%** है, जिससे यह कई लोगों के लिये **वहनीय नहीं** है।
- **समन्वय:** समन्वय संबंधी चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि औद्योगिक केंद्रों को सफल होने के लिये आवास, बुनियादी ढाँचे और उद्योगों में **समन्वित निवेश** की आवश्यकता होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आगे की राह

- **नियामक अनुशंसाएँ:**
  - **श्रमिक आवासों का पुनर्वर्गीकरण करना: SAFE आवासों** को एक **अलग आवासीय श्रेणी के रूप में नामित करना**, यह सुनिश्चित करना कि आवासीय संपत्ति कर, विद्युत और जल के शुल्क लागू हों, साथ ही आवासों के लिये **GST** छूट भी हो।
    - उदाहरण के लिये, लगातार **90 दिनों तक रहने पर प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए**।
  - **पर्यावरणीय मंज़ूरी:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना में औद्योगिक **शेड, स्कूल, कॉलेज तथा छात्रावासों** के लिये प्रदान की गई छूट के अंतर्गत सुरक्षित आवास को शामिल करना।
  - **लैंगिक-समावेशी नीतियाँ:** श्रमिकों के लिये उपयुक्त आवास के विकास को प्रोत्साहित करना, उनकी विशिष्ट सुरक्षा और कल्याण आवश्यकताओं को संबोधित करना।
  - **सुनम्य क्षेत्रीय कानून:** औद्योगिक केंद्रों के निकट **मिश्रित उपयोग** वाले विकास की अनुमति देने के लिये **क्षेत्रीय** विनियमों में संशोधन करना, कार्यस्थलों के निकट श्रमिकों के आवास की सुविधा प्रदान करना।
- **वित्तीय अनुशंसाएँ:**
  - **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF): VGF समर्थन** के माध्यम से परियोजना लागत (भूमि को छोड़कर) का **30% -40%** तक प्रदान किया जाता है।
    - इसमें **आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की ओर से 20%** और **प्रायोजक नोडल मंत्रालय की ओर से 10%** तथा राज्य सरकारों की ओर से अतिरिक्त योगदान शामिल है।
  - **प्रतिस्पर्द्धी बोली:** VGF समर्थन निर्धारित करने के लिये **पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं** को लागू करना, दक्षता और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।
  - **मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण: ब्राउनफील्ड श्रमिकों के आवासों को उन्नत करने** के लिये VGF का लाभ उठाना, जिससे उनकी सुरक्षा, क्षमता और उपयोगिता में वृद्धि होगी।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को बेहतर बनाने में SAFE आवास किस प्रकार योगदान दे सकता है? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिये।

NHRC और संबद्ध चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** के पूर्व **न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) वी. रामसुब्रमण्यम** को भारत के **राष्ट्रपति** द्वारा **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** का **अध्यक्ष** नियुक्त किया गया है।

- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा का 1 जून 2024 को कार्यकाल पूरा होने के बाद से यह पद रिक्त था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है?

- **परिचय:**
  - भारत का **NHRC मानव अधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देने** के लिये स्थापित एक **स्वायत्त वैधानिक निकाय** है।
- **स्थापना:**
  - इसका गठन **12 अक्तूबर 1993** को **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993** के तहत किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 2006 और वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था।
  - आयोग की स्थापना **पेरिस सिद्धांतों** के अनुरूप की गई थी, जो मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिये अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं।
    - **पेरिस सिद्धांत मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण** के लिये **पेरिस (अक्तूबर, 1991)** में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का समूह है और 20 दिसंबर, 1993 को **संयुक्त राष्ट्र (UN)** की **महासभा** द्वारा अनुमोदित किया गया था।
    - ये सिद्धांत विश्व भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (NHRI) के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

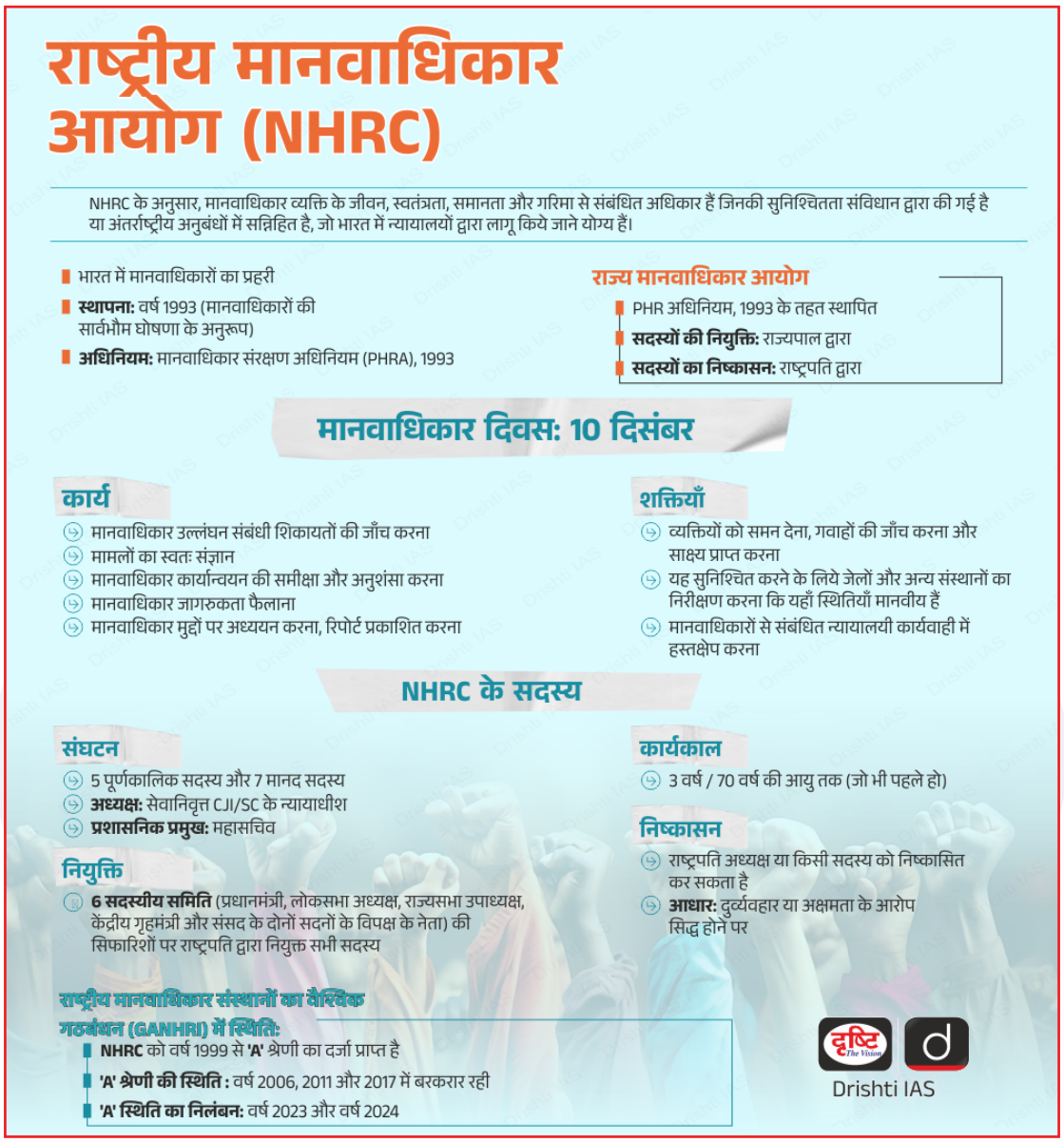

- **भूमिका और कार्य:**
  - **न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप:** यह संबंधित न्यायालय की पूर्वानुमति से मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़े **न्यायालयी मामलों में हस्तक्षेप** करता है।
  - **सुरक्षा उपायों की समीक्षा:** यह **मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों** और मौजूदा कानूनों का विश्लेषण करता है तथा उनके प्रभावी प्रवर्तन के लिये **उपाय प्रस्तावित** करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मानवाधिकारों के अवरोधकों का मूल्यांकन:** यह **आतंकवाद** सहित उन कारकों की जाँच करता है जो मानव अधिकारों के प्रवर्तन में बाधा डालते हैं तथा उचित उपाय सुझाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय विषयों का अध्ययन:** यह **मानव अधिकारों पर संधियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी विश्लेषण** करता है, तथा भारतीय संदर्भ में उनके कार्यान्वयन के लिये सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
- **अनुसंधान एवं संवर्द्धन:** यह मानवाधिकारों पर अनुसंधान करता है तथा विभिन्न विषयों में इसके अध्ययन को प्रोत्साहित करता है।
  - यह प्रकाशनों, संगोष्ठियों, मीडिया और अन्य माध्यमों से **मानवाधिकार साक्षरता और जागरूकता** को भी बढ़ावा देता है।

- **NHRC की शक्तियाँ: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** के अनुसार NHRC को **सिविल न्यायालय** के समकक्ष शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन शक्तियों में शामिल हैं:
  - **दस्तावेज़ों** की खोज और प्रस्तुतीकरण का आदेश देना।
  - शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत **साक्ष्य प्राप्त करना।**
  - किसी न्यायालय या कार्यालय से **सार्वजनिक अभिलेख या प्रमाणित प्रतियाँ** प्राप्त करना।
  - **गवाहों या दस्तावेज़ों** की जाँच के लिये कमीशन जारी करना।
  - प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किसी भी **अतिरिक्त शक्तियों** का प्रयोग करना।
- **NHRC जाँच दल:** NHRC का अपना जाँच दल है जिसका नेतृत्व **पुलिस महानिदेशक** करते हैं।
  - यह केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग भी कर सकता है तथा जाँच के लिये **गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग** भी कर सकता है।

NHRC से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **गैर-बाध्यकारी अनुशंसाएँ:** NHRC सरकार को **केवल अनुशंसाएँ** कर सकता है, जो **कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं** हैं। इससे उसके निर्णयों को लागू करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
  - **पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू,** जो वर्ष 2016 में इसके अध्यक्ष थे, ने मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले में आयोग की कथित निष्क्रियता के कारण इसे **"दंतविहीन बाघ"** कहा था।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएँ:** NHRC का क्षेत्राधिकार **सार्वजनिक और निजी प्राधिकारियों** द्वारा किये गए मानवाधिकार उल्लंघनों तक सीमित है।
  - यह **निजी व्यक्तियों या संस्थाओं** द्वारा किये गए उल्लंघनों को संबोधित नहीं कर सकता है। **सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों पर भी इसका अधिकार क्षेत्र सीमित** है।
- **प्रवर्तन शक्ति का अभाव:** NHRC के पास **उन प्राधिकारियों को दंडित करने का अधिकार नहीं है** जो इसकी सिफारिशों को लागू करने में विफल रहते हैं।
- **संसाधन की कमी:** NHRC को प्राय: **अपर्याप्त धन और स्टाफिंग** सहित **संसाधन की कमी** का सामना करना पड़ता है, जो मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करने और प्रभावी ढंग से उनका समाधान करने की इसकी क्षमता बाधित होती है।
- **अत्यधिक कार्यभार:** NHRC को बड़ी संख्या में शिकायतें और याचिकाएँ प्राप्त होती हैं, जिससे मामलों को शीघ्रता एवं पूरी तरह से निपटाने की उसकी क्षमता पर असर पड़ सकता है।
- **जागरूकता और पहुँच:** बहुत से लोग NHRC के अस्तित्व और इसके अधिदेश से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण इसमें प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या सीमित है।
  - इसके अतिरिक्त, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बोझिल हो सकती है तथा हाशिये पर पड़े समुदायों के लिये यह पहुँच से बाहर हो सकती है।
- **वैश्विक स्तर पर मान्यता का अभाव:** जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध निकाय, **ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI)** ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के संबंध में चिंताओं को उजागर करते हुए **भारत के NHRC की मान्यता को स्थगित** कर दिया है।
- **अपवाद:** NHRC **एक वर्ष से पुराने, गुमनाम, छद्मनाम या अस्पष्ट मामलों पर विचार नहीं** करता है।
  - इसमें **महत्त्वहीन मामलों** और **सेवा संबंधी मामलों** को भी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वे इसके अधिकार क्षेत्र या अधिदेश से बाहर हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह भी देखा गया है कि कभी-कभी **NHRC राजनीतिक रूप से प्रभावित मामलों को लेता है** और दूसरे को छोड़ देता है।

NHRC की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये ?

- **प्रवर्तन शक्तियाँ प्रदान करना:** NHRC को **अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिये सशक्त बनाने** से अनुपालन में वृद्धि होगी और मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने में **अधिक जवाबदेही** सुनिश्चित होगी।
- **जाँच प्राधिकार का विस्तार:** NHRC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके इसमें **निजी व्यक्तियों या संस्थाओं, विशेष रूप से कॉर्पोरेट और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों** में किये गए **उल्लंघनों को भी शामिल** किया जाना चाहिये।
- **समयबद्ध जाँच:** जाँच पूरी करने के लिये **समय-सीमा** लागू करने से पीड़ितों को न्याय मिलने में तेज़ी आएगी तथा शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित होगा।
- **वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि:** NHRC के लिये सरकारी नियंत्रण से मुक्त एक **समर्पित, स्वतंत्र बजट** आवंटित करने से इसकी परिचालन दक्षता बढ़ेगी और बाहरी प्रभाव कम होगा।
- **उभरते मुद्दों पर ध्यान देना:** NHRC को **डिजिटल गोपनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पर्यावरण अधिकार** जैसी उभरती मानवाधिकार चुनौतियों के अनुकूल होना चाहिये।
  - इन मुद्दों के समाधान के लिये NHRC के भीतर **विशेष समितियों या अनुसंधान प्रभागों** की स्थापना से समकालीन चुनौतियों का सक्रिय जवाब देने में मदद मिलेगी।
- **नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** NHRC के सदस्यों और कर्मचारियों के लिये निरंतर **प्रशिक्षण और कौशल विकास** यह सुनिश्चित करेगा कि वे जटिल और उभरते मानवाधिकार मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिये अच्छी तरह से सुसज्जित हों।
- **संस्थागत जवाबदेही:** भारत को UNHRC जैसे **वैश्विक निकायों से अंतर्राष्ट्रीय मानकों और मान्यताओं** को अपनाने की आवश्यकता है।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि NHRC के प्रदर्शन का निरंतर मूल्याँकन किया जाएगा, जिससे इसके अधिदेश को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता में सुधार होगा।

कमज़ोर वर्गों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय आयोग

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC):**
  - NCSC की स्थापना अनुच्छेद 338 द्वारा की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और **राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं।
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST):** NCST की स्थापना अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी।
  - इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और **राष्ट्रपति** द्वारा नियुक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं।
- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC): वर्ष 2018 के 102 वें संशोधन अधिनियम** ने **अनुच्छेद 338B** को सम्मिलित करके आयोग को एक वैधानिक निकाय से **संवैधानिक निकाय** बना दिया।
  - आयोग में एक **अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष** और 3 अन्य सदस्य होते हैं।

नोट: उपर्युक्त तीनों आयोगों (NCSC, NCST, NCBC) के पास सिविल न्यायालय के समकक्ष प्राधिकार हैं।

- **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW):** NCW की स्थापना **वर्ष 1992** में **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990** के तहत महिलाओं के लिये संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिये एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
  - आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कम से कम 1 सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR):** NCPCR का गठन **बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005** के तहत किया गया है।
  - आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, जिनमें से कम से कम 2 महिलाएँ हैं।
- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM):** अल्पसंख्यक आयोग का नाम बदलकर **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992** के तहत एक वैधानिक निकाय बना दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- NCM अधिनियम, 1992 की धारा 2(c) में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 'अल्पसंख्यक' का तात्पर्य केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय से है।
  - सरकार ने **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन** को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी।
- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं।
- प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिये पद पर रहता है।

- **दिव्यांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त का कार्यालय: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** की धारा 74 में दिव्यांगजनों के लिये एक मुख्य आयुक्त तथा केंद्र में मुख्य आयुक्त की सहायता के लिये दो आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की कार्यप्रणाली में अपनी सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रमुख सीमाएँ क्या हैं? इन सीमाओं को कैसे दूर किया जा सकता है?

सुशासन दिवस 2024

चर्चा में क्यों?

सरकार की जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन के संबंध में नागरिकों में अधिक जागरूक करने के लिये **25 दिसंबर** को **सुशासन दिवस** मनाया जाता है।

- वर्ष 2024 का विषय है **"विकसित भारत के लिये भारत का मार्ग: सुशासन और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण।"**
- इसकी शुरुआत वर्ष **2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी** की जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी।
- **पं. मदन मोहन मालवीय** की जयंती भी **25 दिसंबर** को मनाई जाती है।

अटल बिहारी वाजपेयी

- **जन्म: वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश** में हुआ। वह एक कवि और राजनीतिज्ञ थे।
- **राजनीतिक कॅरियर: वे तीन बार- 1996 में सीमित समय के लिये, 1998 और 1999** में 13 माह तक तथा **1999 से 2004 तक** पूर्णकालिक रूप से, **भारत के प्रधानमंत्री** रहे।
- **सम्मान: 2015** में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान **भारत रत्न** से **सम्मानित किया गया। 1994** में उन्हें **पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया था।
- **प्रमुख कार्य:**
  - **स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना:** यह चार राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क है जो **दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता** को जोड़ता है।
  - **आर्थिक सुधार: औद्योगिक विकास और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के साथ** भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया।
  - **1998 के परमाणु परीक्षण:** भारत को एक **परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया,** जिससे शांति और अहिंसा को बढ़ावा मिला।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

पं मदन मोहन मालवीय

मदन मोहन मालवीय

(25 दिसंबर, 1861 - 2 नवंबर, 1946)

"शिक्षाविद, पत्रकार, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्त्ता"
महात्मा गांधी द्वारा 'महामना' और डॉ. एस. राधाकृष्णन द्वारा 'कर्मयोगी' की उपाधि

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- वह नरमपंथी एवं गरमपंथी दोनों के बीच की विचारधारा के नेता थे
- नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) में भाग लिया
- चार सत्रों (1909, 1913, 1919 और 1932) के लिये भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष चुने गए

प्रमुख योगदान:

- 'गिरमिटिया मज़दूरी' प्रथा को समाप्त करने में
- वर्ष 1905 में गंगा महासभा की स्थापना
- 11 वर्ष (1909-1920) तक 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' के सदस्य
- पद 'सत्यमेव जयते' शब्द को लोकप्रिय बनाया
- ब्रिटिश-भारतीय न्यायालयों में देवनागरी का प्रवेश
- वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका
- वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थापना

पत्रकारिता:

- अभ्युदय (हिंदी साप्ताहिक) और मर्यादा (हिंदी मासिक)
- हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक मंडल के अध्यक्ष

सम्मान:

- भारत रत्न (2014)
- वाराणसी-नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस (2016)

दृष्टि The Vision | d
Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सुशासन दिवस 2024 के उपलक्ष्य पर किन पहलों का शुभारंभ किया गया ?

- **नया iGOT कर्मयोगी डैशबोर्ड:** यह मंत्रालय/विभाग/संगठन (MDO) के नेताओं और राज्य प्रशासकों को अपनी संस्थाओं की **प्रगति एवं प्रभावशीलता की अधिक कुशलतापूर्वक निगरानी करने की सुविधा प्रदान करेगा।**
- **1600वाँ iGOT कर्मयोगी पाठ्यक्रम: इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों** के लिये एक **शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र** तैयार करना, निरंतर विकास और आजीवन अधिगम को बढ़ावा देना है।
- **विकसित पंचायत पहल:** इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्रदान करने, प्रभावी शासन सुनिश्चित करने और पंचायत नेताओं को आवश्यक कौशल से सशक्त बनाने के लिये **पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्षमता में वर्द्धन करना है।**
- **CPGRAMS वार्षिक रिपोर्ट, 2024:** यह एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से **लोक सेवा वितरण** की प्रभावशीलता को बढ़ाने में हुई प्रगति को रेखांकित करती है।

सुशासन क्या है ?

- **परिचय: सुशासन निर्णय लेने की प्रक्रिया** है तथा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा **विकास के लक्ष्यों** को प्राप्त करने के लिये आवश्यक निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है।
  - **विश्व बैंक** की रिपोर्ट **"शासन और विकास, 1992"** के अनुसार, सुशासन वह तरीका है जिसमें विकास के लिये किसी **देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन** में **शक्ति का प्रयोग** किया जाता है।
  - **'सुशासन'** की असली परीक्षा यह है कि वह किस हद तक मानव अधिकारों के वादे को पूरा करता है **: नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार**।
- **प्रमुख विशेषताएँ: विश्व बैंक** के अनुसार , सुशासन की **8 प्रमुख विशेषताएँ** हैं।
  - **सहभागिता:** सुशासन के लिये **लैंगिक-समावेशी** भागीदारी महत्त्वपूर्ण है, चाहे वह **प्रत्यक्ष** हो या **प्रतिनिधियों या संस्थाओं** के माध्यम से हो।
  - **सर्वसम्मति उन्मुख:** सुशासन में समुदाय के सर्वोत्तम हितों और सतत् विकास लक्ष्यों पर आम सहमति बनाने के लिये **सामाजिक हितों की मध्यस्थता** करना शामिल है।
  - **जवाबदेह:** किसी संगठन या संस्था को उन लोगों के प्रति **जवाबदेह** होना चाहिये जो उसके निर्णयों या कार्यों से प्रभावित होंगे।
  - **पारदर्शी:** पारदर्शिता का अर्थ है कि निर्णय **नियमानुसार** लिये जाते हैं तथा उनसे प्रभावित होने वाले लोगों को **जानकारी उपलब्ध** होती है।
  - **उत्तरदायी:** संस्थाओं को **सभी हितधारकों** को उचित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करनी चाहिये।
  - **प्रभावी और कुशल:** सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियाएँ और संस्थाएँ उपलब्ध संसाधनों का **कुशलतापूर्वक उपयोग** करते हुए **सामाजिक आवश्यकताओं** को पूरा करें।
  - **समतामूलक और समावेशी:** किसी समाज का कल्याण **सभी सदस्यों,** विशेष रूप से **कमज़ोर समूहों** का कल्याण करने या उसे बनाए रखने के अवसरों में शामिल करने पर निर्भर करता है।
  - **विधि का शासन:** इसके लिये **निष्पक्ष कानूनी ढाँचे** की आवश्यकता है, जिसे **स्वतंत्र न्यायपालिका** और **भ्रष्टाचार-मुक्त पुलिस बल** का समर्थन प्राप्त हो।
  - यह सहभागी, सर्वसम्मति उन्मुख, **जवाबदेह,** पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी और कुशल, न्यायसंगत और समावेशी है और **विधि के शासन** का पालन करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अटल बिहारी वाजपेयी और सुशासन:** उनके कार्यकाल में **किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान** और **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम** जैसी परिवर्तनकारी पहलें हुईं, जिनसे देश में शासन व्यवस्था में बदलाव आया।

सुशासन का महत्व क्या है ?

- **आर्थिक विकास:** सुशासन के तहत की गई पहल कार्यबल में पुरुषों और महिलाओं दोनों को **समान अधिकार और सुरक्षा** प्रदान करती है, जिससे **वर्ष 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि** हो सकती है।
- **सामाजिक विकास: स्वयं (SWAYAM)** और **कौशल भारत** शिक्षा और रोज़गार कौशल के साथ हाशिये पर पड़े समूहों को सशक्त बनाते हैं।
  - **आधार एकीकरण** से लीकेज में कमी आती है, जबकि **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)** कल्याणकारी योजनाओं में मध्यस्थों को खत्म करती है।
- **लोकतंत्र को मज़बूत बनाना: MyGov** जैसे प्लेटफॉर्म से नागरिकों को **अपने विचार व्यक्त** करने का अवसर मिलता है तथा **ई-गवर्नेंस** भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक है।
- **जवाबदेहिता: RTI अधिनियम, 2005** से **सरकारी सूचना तक पहुँच का अधिकार सुनिश्चित हुआ है** जबकि **PFMS** से सार्वजनिक व्यय में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के क्रम में **धन प्रवाह** पर निगरानी रखी जाती है।
- **असमानता में कमी आना: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** के माध्यम से बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों के लिये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।
  - **मनरेगा** से ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत रोज़गार मिला है।
- **विश्वास निर्माण: ई कोर्ट परियोजना** से दक्षता एवं पहुँच के क्रम में न्यायालयी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया गया है जबकि **CPGRAMS के तहत नागरिक शिकायतों के** समाधान हेतु एक मंच मिला है।

भारत में सुशासन के लिये क्या पहल हैं ?

- **सुशासन सूचकांक**
- **PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन)**
- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**
- **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना**
- **ई-कोर्ट प्रणाली**
- **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली**
- **मिशन कर्मयोगी**

भारत में सुशासन के समक्ष क्या बाधाएँ हैं ?

- **भ्रष्टाचार: विश्व बैंक** के अनुसार, भ्रष्टाचार के कारण भारत को **प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% का नुकसान** होता है तथा निवेशकों एवं संगठनों के लिये **कारोबारी माहौल में बाधा** उत्पन्न होती है।
  - **वर्ष 2023 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक** में **180 देशों में से** भारत **93वें स्थान** पर है।
- **जवाबदेहिता का अभाव:** जवाबदेहिता के अभाव से सरकार में **नागरिकों का विश्वास** समाप्त होता है जिसके परिणामस्वरूप **राजनीतिक उदासीनता, कम मतदान प्रतिशत के साथ शासन में नागरिक सहभागिता में कमी** आती है।
- **राजनीति का अपराधीकरण:** आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं के कारण सभी नागरिकों के लिये **न्याय एवं समान व्यवहार सुनिश्चित करने के प्रयासों** में बाधा आती है।
  - **एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की** रिपोर्ट के अनुसार **18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित 543 सदस्यों** में से **251 (46%) पर** आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से **27 को दोषी** ठहराया गया है।
- **कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन:** भारत के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों (जैसे **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988**) **की** अप्रभावी प्रवर्तन के कारण आलोचना की जाती है, जिससे लोगों में निराशा पैदा होती है।

आगे की राह

- **विकेंद्रीकरण:** सत्ता, केंद्र और राज्य सरकारों के पास केंद्रित है; जमीनी स्तर पर सुशासन सुनिश्चित करने हेतु **नगरपालिकाओं तथा पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों को** अधिक कार्यात्मक एवं **वित्तीय प्राधिकार देने की आवश्यकता** है।
- **नैतिक मानक: नोलन समिति (1994)** द्वारा अनुशंसित **ईमानदारी, जवाबदेहिता और निस्वार्थता** जैसे नैतिक मूल्यों को लोक सेवकों में स्थापित किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **लैंगिक समानता: सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये लैंगिक समानता को** बढ़ावा देने के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समाज की सभी आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण:** सरकारी मंत्रालयों/विभागों में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले **व्हिसलब्लोअर** को अधिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में सुशासन के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। सुशासन की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

केंद्र द्वारा "नो डिटेंशन पॉलिसी" का समापन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने **केंद्रीय विद्यालयों** तथा **जवाहर नवोदय विद्यालयों** सहित स्वयं द्वारा शासित स्कूलों में **कक्षा 5 और 8** के लिये **"नो-डिटेंशन" नीति को समाप्त** कर दिया है।

- **यह "नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024"** शीर्षक से एक **राजपत्र अधिसूचना** के माध्यम से किया गया।
- इस संशोधन से स्कूल उन विद्यार्थियों को **अगली कक्षा में जाने से रोक** सकेंगे जो पदोन्नति के **मानदंडों** को पूरा करने में असफल हैं।

नो-डिटेंशन पॉलिसी

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) की धारा 16 के** तहत नो-डिटेंशन नीति शुरू की गई थी। इस अधिनियम की **धारा 16 में दो प्रमुख प्रावधान हैं:**
- पहला, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले **किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला** नहीं जाएगा, और दूसरा, **किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल नहीं** किया जाएगा।
  - इससे **स्कूलों पर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल करने पर रोक** लगाई गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को फेल होने के डर के बिना न्यूनतम स्तर की शिक्षा मिले, जिससे स्कूल छोड़ने की दर में कमी आए।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 क्या है?

- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था ताकि **नो-डिटेंशन नीति को समाप्त** किया जा सके। **संशोधित अधिनियम को लागू करने के** नियमों **को स्थगित कर दिया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** की शुरुआत के बाद उन्हें **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)** के अनुरूप बनाने के लिये वर्ष 2024 में पारित किया गया।
  - **RTE संशोधन अधिनियम, 2019** के बाद असम, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु सहित 18 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने इस नीति को समाप्त कर दिया।
    - हरियाणा और पुदुचेरी ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है जबकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे लागू करना जारी रखा है।
- **संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:**
  - **उत्तीर्ण करने से संबंधित संशोधित मानदंड:** परीक्षा और पुन: परीक्षा से समग्र विकास का आकलन किया जाएगा, जिसमें रटने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
    - वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को दो महीने के अतिरिक्त प्रशिक्षण के साथ **पुन: परीक्षा का अवसर** मिलेगा।
  - **उत्तीर्ण न होने पर उसी कक्षा में रहना:** पुन: परीक्षा के बाद अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।
  - **प्रमोट नहीं किये गए छात्रों के लिये विशेष उपाय:** कक्षा शिक्षकों को प्रमोट नहीं किये गए छात्रों और उनके अभिभावकों का मार्गदर्शन करना चाहिये तथा **लक्षित उपाय प्रदान करना चाहिये।**
    - स्कूल प्रमुख विद्यार्थी की प्रगति की निगरानी करने और सुधारात्मक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा।
    - NEP के तहत पढ़ाई में कमज़ोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
  - **अधिगम का समावेशी दृष्टिकोण और सुरक्षा:** नियमों में समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई तथा यह सुनिश्चित

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

किया गया है कि RTE अधिनियम के अनुरूप, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले किसी भी छात्र को निष्कासित न किया जाए।

स्कूली शिक्षा में नो-डिटेंशन पॉलिसी के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

- **पक्ष में तर्क:**
  - **स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना:** इस नीति का उद्देश्य **फेल होने और फेल होने के डर** से स्कूल **छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाना है।**
  - **सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE):** इसमें CCE पर ज़ोर दिया गया, जो एक एकल परीक्षा के स्थान पर **विभिन्न पहलुओं में विद्यार्थी की प्रगति के सतत् मूल्यांकन पर केंद्रित है।**
    - इस समग्र दृष्टिकोण का उद्देश्य **परीक्षा से संबंधित तनाव और चिंता को कम करना था।**
  - **समावेशी शिक्षा:** नीति ने **समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया,** जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी बच्चे, चाहे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन कैसा भी हो, स्कूल में बने रहें और शिक्षा प्राप्त करें।
- **राज्य की मांगें:** कई राज्यों ने **नीति के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किये,** जिनमें प्राथमिक शिक्षा में जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया गया।
  - वर्ष 2019 में, RTE अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें राज्यों को कक्षा 5 और 8 के लिये डिटेंशन नीतियों को लागू करने पर निर्णय लेने की अनुमति प्रदान की गई।
- **NEP 2020 के साथ संरेखण:** उक्त नीति को समाप्त करने का निर्णय NEP 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है जिसमें स्कूली शिक्षा में योग्यता-आधारित शिक्षा और उत्तरदायित्व पर ज़ोर दिया गया है।
- **वैश्विक प्रथाएँ:** फिनलैंड जैसे देश विद्यार्थी के फेल होने पर उसे अगली कक्षा में प्रमोट करने के स्थान पर सुधारात्मक उपायों और निरंतर मूल्यांकन किये जाने पर ज़ोर देते हैं।
  - **अमेरिका में ग्रेड रिटेंशन** एक सामान्य प्रथा है, जहाँ **ग्रेड-स्तर के मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले छात्रों को उसी कक्षा में पुनः उत्तीर्ण होना** पड़ता है। यह नीति विभिन्न ग्रेड स्तरों और राज्यों में अलग-अलग होती है।
- **विपक्ष में तर्क:**
  - **अपर्याप्त अधिगम के परिणाम:** नो-डिटेंशन नीति के **कारण छात्रों और शिक्षकों में आत्मसंतोष की भावना प्रखर हुई,** जिसके परिणामस्वरूप **शिक्षा के स्तर में गिरावट आई, क्योंकि स्कूल** अधिगम के परिणामों में सुधार लाने के स्थान पर अन्य प्रशासनिक कार्यों जैसे- **मध्याह्न भोजन** पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
    - **ASER 2022** की रिपोर्ट के अनुसार **ग्रामीण भारत में कक्षा 3 के केवल 20% छात्र कक्षा 2 के स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ सकते हैं और 2023 की रिपोर्ट** के अनुसार लगभग **25% युवा कक्षा 2 के स्तर की पाठ्य सामग्री** अपनी क्षेत्रीय भाषा में धाराप्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं।
    - आधे से अधिक बच्चे गणित के भाग संबंधी प्रश्नों का हल करने में विफल रहे तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के केवल 43.3% बच्चे ही ऐसे प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाते हैं।
  - **उच्च कक्षाओं में असफलता की उच्च दर:** शिक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 में **कक्षा 10वीं और 12वीं में 65 लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए,** जो **आधारभूत शिक्षण अंतराल** को दर्शाता है।
    - निम्न स्तर पर आवश्यक कौशल और ज्ञान के बिना स्वैच्छिक पदोन्नति से **माध्यमिक विद्यालय में असफलता की दर बढ़** जाती है।
  - **जवाबदेही का अभाव:** इस नीति से छात्रों और शिक्षकों के बीच जवाबदेही कम होती है, क्योंकि छात्रों को उनके प्रदर्शन की परवाह किये बिना **स्वैच्छिक रूप से अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाता है।**
  - **मूल कारणों का समाधान नहीं:** इस नीति की आलोचना इस बात के लिये की जाती है कि इसमें खराब शिक्षण परिणामों के मूल कारणों, जैसे **अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी ढाँचे की कमी** और **सामाजिक-आर्थिक कारकों** का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

शिक्षा का अधिकार

- **भारत सरकार अधिनियम 1935** के तहत **शिक्षा** मूल रूप से भारत में एक राज्य का विषय था। हालाँकि, **42वें संविधान संशोधन 1976** के दौरान, शिक्षा को **समवर्ती सूची** में स्थानांतरित कर दिया गया।
  - इस प्रकार अब **केंद्र और राज्य दोनों सरकारें** शिक्षा से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती हैं।
- **86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002** ने **6-14 वर्ष** की आयु के बच्चों के लिये **शिक्षा के अधिकार** को **अनुच्छेद 21A** के अंतर्गत एक **मौलिक अधिकार** बना दिया।
  - इसने **मौलिक अधिकारों** के अंतर्गत **अनुच्छेद 21A** को जोड़ा, जिससे 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, तथा नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई।
  - **राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP)** में, **अनुच्छेद 45** को प्रतिस्थापित किया गया ताकि 6 वर्ष की आयु तक **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की राज्य की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया जा सके।**
  - इसके अतिरिक्त, **अनुच्छेद 51A** में संशोधन करके **माता-पिता या अभिभावकों के लिये यह कर्त्तव्य शामिल किया गया** कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के **अपने बच्चों या आश्रितों के लिये शिक्षा के अवसर** सुनिश्चित करें।
- बाद में, **संसद** ने **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** पारित किया, जिसमें **अनुच्छेद 21-A** के तहत RTE को **मौलिक अधिकार** के रूप में लागू किया गया।

शैक्षिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020**
- **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्द्धित शिक्षा कार्यक्रम**
- **सर्व शिक्षा अभियान**
- **प्रज्ञाता**
- **मध्याह्न भोजन योजना**
- **PM श्री स्कूल**
- **समग्र शिक्षा योजना 2.0**

निष्कर्ष

नो-डिटेंशन पॉलिसी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाने की दिशा में एक अच्छा कदम था। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन को चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। यद्यपि इस नीति का उद्देश्य अधिक बाल-अनुकूल शिक्षा प्रणाली बनाना था, लेकिन इससे अनजाने में ही शैक्षणिक कठोरता और जवाबदेही में गिरावट आई।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: RTE (संशोधन) नियम, 2024 के तहत 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' को समाप्त करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ इसके संरेखण के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

चर्चा में क्यों ?

संसद की स्थायी समिति (PSC) की रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये पेंशन योजना, **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SMY)** के खराब प्रदर्शन पर चिंता जताई गई है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है ?

- **परिचय:** यह वर्ष 2019 में शुरू की गई एक **केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना है, जिसे श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है,** तथा **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)** पेंशन फंड प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
- **लक्षित लाभार्थी:** यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के **असंगठित श्रमिकों**, जैसे स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, निर्माण मज़दूर और कृषि श्रमिकों को लक्षित करती है, जिनकी मासिक **आय 15,000 रुपए तक है।**
- **अंशदान: श्रमिकों को उनकी प्रवेश आयु के आधार पर 55 रुपए से 200 रुपए तक** का मासिक अंशदान (प्रीमियम) करना होता है, सरकार उनके अंशदान के बराबर राशि जमा करती है।
- **पेंशन लाभ: इस योजना के तहत श्रमिक के 60 वर्ष की आयु वाले श्रमिकों को 3,000 रुपए प्रति माह** पेंशन देने का वादा किया गया है। हालाँकि, यदि श्रमिक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो **उसके परिवार को कोई एकमुश्त भुगतान नहीं** किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में, उनके जीवनसाथी को पेंशन राशि का **50% पारिवारिक पेंशन** के रूप में प्राप्त होगा।

PM-SMY पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **PM-SMY का निराशाजनक प्रदर्शन:** नामांकन और सरकारी वित्तपोषण में कमी के कारण PM-SMY योजना का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।
  - दो वर्षों में सरकारी अंशदान लगभग आधा हो गया है तथा वास्तविक व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर **162.51 करोड़ रुपए** रह गया, जो **वित्त वर्ष 2021-22 में 324.23 करोड़** रुपए था।
  - व्यय में कमी **श्रमिकों और सरकार दोनों के योगदान में गिरावट को दर्शाती है,** जिससे योजना की व्यवहार्यता और भी कमज़ोर हो जाती है।
- **PM-SMY का लक्ष्य वर्ष 2023 तक 100 मिलियन श्रमिकों को नामांकित** करना था, लेकिन **वित्त वर्ष 24 तक यह केवल 5 मिलियन तक ही पहुँच सका, जो 565 मिलियन असंगठित कार्यबल** के 1% से भी कम को कवर करता है।
  - हालाँकि, सरकार ने इस योजना को एक और वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2025-26 तक, बढ़ा दिया है, तथा इसके आकर्षण को बढ़ाने के लिये संशोधन की प्रतीक्षा कर रही है।
- **निराशाजनक प्रदर्शन के कारण:**
  - **आय संबंधी चुनौतियाँ:** अनियमित आय और अस्थिर रोज़गार के कारण **असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों,** विशेषकर **दैनिक वेतन भोगियों के लिये 55-200 रुपए** का मासिक प्रीमियम वहन करना कठिन हो जाता है, जिससे उनकी भागीदारी की क्षमता और कम हो जाती है।
    - **कोविड-19 का प्रभाव:** महामारी ने कई असंगठित श्रमिकों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है, जिससे योजना में योगदान करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।
- **संरचनात्मक बाधाएँ: असंगठित क्षेत्र** में **औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध का अभाव,** अपर्याप्त **दस्तावेज़ीकरण और जागरूकता** के कारण श्रमिकों के लिये योजना तक पहुँचने में चुनौतियों का कारण बनता है।
  - **मौजूदा पेंशन विकल्प: अटल पेंशन योजना (APY)** जैसी अन्य पेंशन योजनाओं की मौजूदगी से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे श्रमिकों को यह अनिश्चितता हो सकती है कि उन्हें किस योजना का चयन करना चाहिये।
- **योजना के पुनरुद्धार हेतु सिफारिशें:**
  - **प्रवेश आयु का विस्तार:** पुराने असंगठित श्रमिकों को शामिल करने के लिये पात्रता आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करना।
  - योजना का विलय: बेहतर संरेखण और कवरेज के लिये PM-SMY को APY और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के साथ जोड़ना।
  - ई-श्रम पोर्टल: 305 मिलियन से अधिक श्रमिकों के डेटाबेस वाला ई -श्रम पोर्टल, PM-SMY के लिये लाभार्थियों को शामिल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
    - **PM-SMY को ई-श्रम डेटाबेस** के साथ एकीकृत करने से नामांकन सुव्यवस्थित हो सकता है और व्यापक पहुँच सुनिश्चित हो सकती है।
  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** उन श्रमिकों के लिये अंशदान को कवर करने हेतु **सब्सिडी** शुरू करना जो अपनी जेब से भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
  - **जागरूकता अभियान:** योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और गलत सूचना को कम करने के लिये लक्षित आउटरीच कार्यक्रम शुरू करना।

संसदीय समितियाँ

- **परिचय:** संसदीय समितियाँ (PC) **संसद सदस्यों (MP)** की समितियाँ होती हैं जिन्हें सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किया जाता है।
  - ये समितियाँ अपना अधिकार **अनुच्छेद 105 (सांसदों के विशेषाधिकार)** और **अनुच्छेद 118 (कार्य-प्रक्रिया और संचालन के नियम)** से प्राप्त करती हैं।
- **आवश्यकता: संसद** में सीमित समय के कारण, विस्तृत चर्चा, **विशेषज्ञ इनपुट और अंतर-दलीय सहमति** के लिये PC आवश्यक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वे विधेयकों और नीतियों की गहन जाँच करते हैं, प्रभावी विधायी कार्य सुनिश्चित करते हैं और राजनीतिक ध्रुवीकरण से बचते हैं।

- **संसदीय समितियों के प्रकार:**
  - **स्थायी समितियाँ संसद के अंतर्गत स्थायी और सतत् निकाय** हैं जो विधायी कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
    - इनमें वित्तीय समितियाँ (व्यय की जाँच), विभागीय समितियाँ (मंत्रालयों की देखरेख), जाँच समितियाँ (मुद्दों की जाँच), संवीक्षा समितियाँ (नीतिगत जवाबदेही सुनिश्चित करना), दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक समितियाँ (प्रक्रियाओं का प्रबंधन) और सेवा समितियाँ (लॉजिस्टिक्स को संभालना) शामिल हैं।
  - **तदर्थ समितियाँ** विशिष्ट कार्यों के लिये गठित अस्थायी पैनल हैं, जिनमें जाँच समितियाँ और विशेषज्ञ सिफारिशों के लिये सलाहकार समितियाँ शामिल हैं।
    - अपना कार्य पूरा हो जाने पर वे समाप्त हो जाती हैं।

असंगठित श्रमिक कौन हैं ?

- **परिचय:** **असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008** के तहत परिभाषित असंगठित श्रमिक शब्द का तात्पर्य असंगठित क्षेत्र में घर-आधारित श्रमिकों, स्व-नियोजित श्रमिकों या मजदूरी करने वाले श्रमिकों से है।
  - इसके अतिरिक्त, **संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी असंगठित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है** यदि वे **प्रमुख श्रम कानूनों** के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं, जिनमें **कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923,** औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, भविष्य निधि अधिनियम, 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, या ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 शामिल हैं।

- **असंगठित श्रमिकों के लिये पहल:**
  - **ई-श्रम पोर्टल**
  - **अटल पेंशन योजना**
  - **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)**
  - **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)**
  - **महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना**
  - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना**
  - **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)**

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा इसकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय सुझाइये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत और वैश्वीकरण का बदलता परिदृश्य

चर्चा में क्यों ?

हाल के भू-राजनीतिक बदलावों, जैसे कि **रूस-यूक्रेन युद्ध , मध्य-पूर्व में संघर्ष और चीन तथा पश्चिम के** बीच बिगड़ते राजनीतिक संबंधों ने **वैश्वीकरण** के भविष्य और भारत जैसे देशों के लिये इसके निहितार्थ पर सवाल उठाए हैं।

- साथ ही भारत का **आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण वैश्विक एकीकरण के साथ आत्मनिर्भरता के** संतुलन संबंधी परिचर्चा को जन्म देता है।
- **नोट: वैश्वीकरण वस्तुओं**, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से देशों की बढ़ती अंतर्संबंधता है, जो संचार, परिवहन और **व्यापार उदारीकरण** में प्रगति से प्रेरित है।

समय के साथ वैश्वीकरण किस प्रकार विकसित हुआ है ?

वैश्वीकरण की नींव:

- **प्रारंभिक व्यापार नेटवर्क: सिल्क रोड, हिंद महासागर व्यापार** और **ट्रांस-सहारा व्यापार मार्ग** जैसे व्यापार मार्ग विविध क्षेत्रों को जोड़ते थे, जिससे रेशम, मसाले, सोना, नमक और हाथीदाँत जैसी वस्तुओं का आदान-प्रदान संभव हो पाता था।
- **सांस्कृतिक और धार्मिक आदान-प्रदान: व्यापार और प्रवास ने बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म तथा इस्लाम** जैसे धर्मों के प्रसार को सुगम बनाया, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कला, वास्तुकला और वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान को भी संभव बनाया।
- **उपनिवेशवाद और औद्योगीकरण: यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार** और **औद्योगिक क्रांति ने** मशीनीकृत उत्पादन तथा लंबी दूरी के व्यापार के माध्यम से दूरस्थ अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा।

युद्धोत्तर काल में वैश्वीकरण को संस्थागत बनाना:

- **वैश्विक संस्थाएँ और शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक** और **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** जैसी संस्थाओं ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया, जबकि शीत युद्ध से **उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO)** और **वारसा संधि** जैसे प्रतिस्पर्द्धी गुटों का निर्माण किया।
- **उपनिवेशवाद का उन्मूलन और नए गठबंधन:** नव स्वतंत्र देश **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)** जैसे प्रयासों के माध्यम से औपनिवेशिक संबंधों से आगे बढ़ते हुए वैश्विक व्यापार और कूटनीति में शामिल हुए।

आधुनिक वैश्वीकरण:

- **उत्प्रेरक के रूप में प्रौद्योगिकी:** 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इंटरनेट और डिजिटल संचार के उदय से त्वरित **वैश्विक कनेक्टिविटी** सक्षम हुई तथा **ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया** और **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** के माध्यम से अंत: संबद्ध विश्व को बढ़ावा दिया।
- **बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय:** एप्पल, गूगल और टोयोटा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं** का उदाहरण हैं, जो समग्र विश्व में नवाचार, निवेश एवं रोज़गार सृजन को बढ़ावा देते हुए विभिन्न महाद्वीपों में उत्पादन तथा सेवाओं का प्रसार कर रही हैं।
- **वैश्विक वित्तीय प्रवाह:** आर्थिक उदारीकरण ने **सीमा पार निवेश** और वैश्विक वित्तीय बाज़ार एकीकरण को बढ़ावा दिया, जिसमें **यूरोज़ोन, BRICS** और **ASEAN** जैसी पहलों ने वैश्विक ढाँचे के भीतर क्षेत्रीय अंतरनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत किया।
- **वैश्वीकरण की आघात सहनीयता: 2008 के वित्तीय संकट** और **कोविड-19 महामारी** जैसी असफलताओं के बावजूद , वैश्विक व्यापार और संचार में तेज़ी आई, जो सुदृढ़ वैश्विक अंतर्संबंध का द्योतक है।

21वीं सदी में वैश्वीकरण से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **वैश्वीकरण की चुनौतियाँ:**
  - **आर्थिक राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद:** राष्ट्रवादी सरकारें सामान्यत: उच्च आयात शुल्क, व्यापार बाधाएँ और घरेलू

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

उद्योगों के लिये सब्सिडी जैसे संरक्षणवादी उपाय अपनाती हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।

- उदाहरण के लिये, भारत के '**आत्मनिर्भर भारत**' संकल्पना को अंतर्मुखी या संरक्षणवादी होने के कारण इसकी आलोचना की गई।

- **भू-राजनीतिक संघर्ष: अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, रूस-यूक्रेन संघर्ष** और **आर्थिक प्रतिबंध** जैसे तनाव वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करते हैं और बहुपक्षीय सहयोग को कमज़ोर करते हैं।
- **आर्थिक असमानताएँ:** बाज़ार पहुँच, तकनीकी प्रगति और संसाधन वितरण के संदर्भ में **विकसित** और विकासशील देशों के बीच असमानताएँ वैश्वीकरण की समावेशिता के समक्ष चुनौती हैं।

- **वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ:**
  - **आर्थिक असमानताएँ:** वैश्वीकरण से प्राय: **धनी देशों** और बहुराष्ट्रीय निगमों को अधिक लाभ होता है, जिससे आय अंतराल बढ़ता है और छोटी अर्थव्यवस्थाएँ कमज़ोर हो जाती हैं।
    - इसके अतिरिक्त कंपनियाँ अपने उत्पादन को उन देशों में स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति रखती हैं जहाँ पारिश्रमिक कम होता है तथा श्रम विधि कम कठोर होती है, जिससे **रोज़गार सृजन एवं श्रमिक शोषण के बीच संतुलन के संबंध में चिंताएँ उजागर होती हैं।**
  - **सांस्कृतिक क्षरण:** वैश्विक संस्कृति के प्रसार से अक्सर **स्थानीय परंपराओं पर ग्रहण लगने का संकट रहता है** - वैश्विक मीडिया और **उपभोक्तावाद** के **माध्यम से पश्चिमी संस्कृति** का प्रभुत्व स्थानीय रीति-रिवाजों, भाषाओं और सांस्कृतिक पहचानों के लिये संकट उत्पन्न करता है।
  - **पर्यावरणीय प्रभाव:** वैश्वीकरण द्वारा प्रेरित बढ़ता औद्योगीकरण, वैश्विक परिवहन और संसाधनों का दोहन पर्यावरणीय क्षरण और **जलवायु परिवर्तन** में योगदान देता है ।

वैश्वीकरण के युग में भारत की उपलब्धियाँ क्या हैं ?

- **पृष्ठभूमि: भारत ने भुगतान संतुलन का संकट** से उत्पन्न आर्थिक सुधारों के माध्यम से वर्ष 1991 में वैश्वीकरण को अपनाया।
  - सुधारों में **उदारीकरण, निजीकरण** और विदेशी निवेश के लिये रास्ता खोलना शामिल था, जिससे अर्थव्यवस्था संरक्षणवाद से बाजार संचालित प्रणाली में परिवर्तित हो गयी।
- **आर्थिक योगदान:**
  - **आईटी एवं डिजिटल क्रांति:** वैश्विक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी भारत, बेंगलुरु जैसे शहरों और इंफोसिस एवं टीसीएस जैसी कंपनियों के साथ, विश्वभर के ग्राहकों को **डिजिटल सेवाओं की सुविधा प्रदान करने वाला केंद्र बन गया है।**
  - **वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भागीदारी: भारत** विनिर्माण को बढ़ावा देने और **विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये मेक इन इंडिया जैसी पहलों के समर्थन से फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र** एवं ऑटोमोटिव घटकों जैसे क्षेत्रों में वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत हो रहा है।
  - **व्यापार और निवेश:** भारत ने आसियान, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे समूहों के साथ व्यापार साझेदारी का विस्तार किया है, जबकि **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)** के प्रवाह में उतार-चढ़ाव वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में इसके आकर्षण को दर्शाता है।
  - **जनसांख्यिकीय लाभांश:** युवा कार्यबल और विशाल प्रवासी समुदाय के साथ, भारत **वैश्विक श्रम बाजार में**, विशेष रूप से **स्वास्थ्य सेवा** और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, महत्वपूर्ण योगदान देता है, जबकि **डायस्पोरा धन प्रेषण** से उसके वैश्विक आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं।
- **राजनीतिक और रणनीतिक भूमिका:**
  - **बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना: संयुक्त राष्ट्र (यूएन)**, जी-20, ब्रिक्स एवं **शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)** जैसे वैश्विक मंचों में भारत की सक्रिय भागीदारी, साथ ही जी-20 की अध्यक्षता, विकासशील देशों के लिये इसकी वकालत और समावेशी, सतत् विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **क्वाड** में भारत की भागीदारी स्वतंत्र और **खुले हिंद-प्रशांत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।**

- **शक्तियों में संतुलन:** भारत की रणनीतिक स्थिति अमेरिका, रूस एवं चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाने में सक्षम बनाती है।
- **सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमेसी:** भारत योग, बॉलीवुड और पारंपरिक व्यंजनों समेत अपनी सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाता है, तथा **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** जैसी पहलों के माध्यम से अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाता है तथा एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में अपनी छवि को बढ़ावा देता है।
- **सुरक्षा एवं संरक्षण:** **संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों** में भारत का योगदान तथा इसके रक्षा निर्यात एवं **इज़रायल** तथा अमेरिका जैसे देशों के साथ सहयोग **वैश्विक सुरक्षा** और सामरिक मामलों में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

भारत की विकास रणनीति में राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण एक साथ कैसे रह सकते हैं?

- **वैश्विक स्तर पर स्वदेशी उत्पादों और संस्कृति को बढ़ावा देना:** भारतीय हस्तशिल्प, **पारंपरिक दवाओं** और स्थानीय वस्तुओं के निर्यात के लिये **वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट** और **वोकल फॉर लोकल** जैसी पहलों का विस्तार करना, साथ ही भारत की **सॉफ्ट पॉवर को मज़बूत करने और पारंपरिक शिल्प को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं** में एकीकृत करने के लिये **सांस्कृतिक कूटनीति का लाभ उठाना।**
- **नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी:** वैश्विक जलवायु कार्रवाई के साथ राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को संतुलित करने के लिये **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** और नवीकरणीय ऊर्जा नवाचारों में भारत की भूमिका को मज़बूत करना।
- **व्यापार के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** व्यापार को आधुनिक बनाने, **पारदर्शिता, दक्षता** और सतत् विकास के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिये **ब्लॉकचेन, फिनटेक और डिजिटल उपकरणों को** एकीकृत करना।
- **वैश्विक साझेदारियों में विविधता लाना: महत्त्वपूर्ण खनिजों, अर्द्धचालकों** और नवकरणीय ऊर्जा घटकों जैसे संसाधनों के लिये एकल राष्ट्र पर निर्भरता कम करने के लिये **उभरते बाज़ारों** के साथ लचीले संबंधों को बढ़ावा देना, तथा पारस्परिक विकास को बढ़ावा देना।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग: भारत** कौशल में वृद्धि, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के लिये वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकरण करके अपने **जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग कर सकता है।**

निष्कर्ष

वैश्वीकरण में वृद्धि हो रही है, यह भू-राजनीतिक तनाव और **जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिये अनुकूल रणनीतियों की मांग कर रहा है, साथ ही नवाचार और स्थिरता** के अवसरों का लाभ उठा रहा है। भारत अपनी जनसांख्यिकीय क्षमता, आर्थिक प्रभाव और **वैश्विक पहलों में नेतृत्व के साथ** इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिये **अच्छी स्थिति में** है। **आत्मनिर्भरता को वैश्विक एकीकरण के साथ जोड़कर**, भारत एक **लचीली, समावेशी और दूरदर्शी वैश्विक व्यवस्था को आकार दे सकता है।**

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: 21वीं सदी में वैश्वीकरण के समक्ष आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये। भारत अपनी आत्मनिर्भरता की महत्त्वाकांक्षाओं को वैश्वीकृत दुनिया की मांगों के साथ किस प्रकार संतुलित कर सकता है?

स्विटज़रलैंड द्वारा भारत का MFN दर्जा रद्द किया जाना

चर्चा में क्यों?

स्विट्ज़रलैंड ने **दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA)** के अंतर्गत शामिल **मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज़** के तहत भारत का दर्जा रद्द करने का निर्णय लिया है।

- **स्विट्ज़रलैंड द्वारा 1 जनवरी 2025** से भारतीय संस्थाओं पर 10% की पूर्व **कर दर** लागू की जाएगी।

DTAA के MFN क्लॉज़ के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच DTAA:** भारत और

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

स्विट्ज़रलैंड के बीच आय पर दोहरे कराधान से बचाव हेतु 2 नवंबर 1994 को DTC IN-CH (भारत-स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष कर संधि) पर हस्ताक्षर किये गए थे। इसे **वर्ष 2000** और **वर्ष 2010** में संशोधित किया गया था।

- **वर्ष 2010 के प्रोटोकॉल** के **अनुच्छेद 11 में MFN क्लॉज़** शामिल है, जो **DTAA के तहत स्विट्ज़रलैंड द्वारा MFN का दर्जा वापस लेने** का आधार है।

FACT SHEET

Nov 2, 1994: Switzerland and India sign the original Double Taxation Convention (DTC IN-CH)

Feb 16, 2000: First amending protocol to the DTC IN-CH

Aug 30,2010: Second amending protocol to the DTC IN-CH

May 13, 2011: India-Colombia Double Taxation Agreement signed; Lower dividend rates included

July 26, 2011: India-Lithuania Double Taxation Agreement signed; 5% withholding tax included

July 5, 2018: Lithuania joined OECD

April 28, 2020: Colombia joined OECD

2021: Delhi High Court upholds application of residual tax rates considering MFN clause

October 19, 2023: Supreme Court of India reverses Delhi High Court's ruling

- **प्रोटोकॉल में MFN क्लॉज़:** MFN क्लॉज़ से यह सुनिश्चित होता है कि भारत द्वारा **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के** किसी **तीसरे सदस्य देश को दी जाने वाली कम कर दरों की सुविधा वर्ष 2010** के प्रोटोकॉल के बाद हुई सहमति के अनुसार, स्विट्ज़रलैंड पर भी स्वचालित रूप से लागू होगी।
  - MFN क्लॉज़ का उद्देश्य कराधान दरों में **समानता** बनाए रखना था।
- **स्विट्ज़रलैंड द्वारा MFN का दर्जा वापस लेने का कारण:** वर्ष 2010 के प्रोटोकॉल के बाद भारत ने दो OECD सदस्यों अर्थात **लिथुआनिया** (लाभांश पर 5% कर दर) और **कोलंबिया** (लाभांश पर 5% सामान्य कर दर) के साथ DTAA पर हस्ताक्षर किये।
  - हालाँकि भारत ने यही **रियायती कर दर स्विट्ज़रलैंड** को प्रदान नहीं की।
  - वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के बाद स्विट्ज़रलैंड ने अपने MFN क्लॉज़ की व्याख्या में **पारस्परिकता की कमी का हवाला देते हुए** 1 जनवरी 2025 से पूर्व लागू **10% कर कटौती दर** को वापस लेने का फैसला किया।
- **भारत की प्रतिक्रिया:** भारत ने दावा किया कि MFN क्लॉज़ तब तक **स्वत: लागू नहीं होता जब तक कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के** तहत आधिकारिक रूप से **अधिसूचित न कर दिया जाए।**
  - इसने आगे तर्क दिया कि यह क्लॉज़ केवल उन देशों पर लागू होता है जो 2010 प्रोटोकॉल पर **हस्ताक्षर करते समय OECD** के सदस्य थे।
  - अक्तूबर 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **लिथुआनिया और कोलंबिया के वर्ष 2010 के बाद OECD में** शामिल होने से MFN क्लॉज़ लागू नहीं होगा, इसलिये भारत को अपने लाभांश कर की दर को घटाकर 5% करने की आवश्यकता नहीं है।
    - **लिथुआनिया और कोलंबिया** क्रमश: **वर्ष 2018 और 2020** में OECD में शामिल हुए।
- **DTAA के तहत भविष्य का कराधान:** 1 जनवरी 2025 से कर की दर 10% होगी क्योंकि MFN क्लॉज़ अब लागू नहीं होगा। **वर्ष 2018-2024** की अवधि की **कर दर 5%** है।
- **निवेश और व्यापार पर प्रभाव:** स्विट्ज़रलैंड ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय से भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच **मुक्त व्यापार समझौते** या भारत में स्विस निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  - **भारत और EFTA** ने वर्ष 2024 में **व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA)** पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके तहत भारत को **15 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रूप में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर** प्राप्त होंगे।
    - **EFTA (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ)** में आइसलैंड, **स्विट्ज़रलैंड,** नॉर्वे और लिकटेंस्टीन शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत-स्विट्ज़रलैंड निवेश परिदृश्य

- **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अनुसार, **वर्ष 2000 से वर्ष 2023 के बीच** भारत में स्विट्ज़रलैंड का निवेश प्रवाह **9.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया, जिससे वह **भारत में 12 वाँ सबसे बड़ा निवेशक** बन गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** के अनुसार, **वर्ष 2021 में** भारत में स्विस निवेश **35 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था।
  - IMF के अनुसार, **स्विट्ज़रलैंड भारतीय FDI शेयरों का 8 वाँ सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता** है, जिसकी राशि **3.7 बिलियन अमरीकी डॉलर** है।
- नेस्ले, ABB, नोवार्टिस, रोश, UBS और क्रेडिट सुइस सहित **330 से अधिक स्विस कंपनियों ने मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, वित्त, निर्माण, सतत् प्रौद्योगिकियों और ICT सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारत में निवेश** किया है।
- **TCS, इंफोसिस, HCL टेक और विप्रो** सहित लगभग **140 भारतीय कंपनियों ने** स्विट्ज़रलैंड में लगभग 180 संस्थाओं में निवेश किया है, जो मुख्य रूप से **प्रौद्योगिकी (32%) और लाइफ साइंस (21%)** के क्षेत्र में हैं।

स्विट्ज़रलैंड

- **स्विट्ज़रलैंड,** आधिकारिक तौर पर **स्विस परिसंघ, मध्य यूरोप** में एक छोटा **पर्वतीय देश** है, जो **आल्प्स पर्वतों,** झीलों और घाटियों के लिये जाना जाता है।
- यह एक स्थलरुद्ध देश है जिसकी सीमा **फ्राँस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और लिकटेंस्टीन** से लगती है।
- यह सदियों से अपनी **तटस्थता** के लिये प्रसिद्ध है।
  - परिणामस्वरूप, स्विट्ज़रलैंड, विशेष रूप से जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और **संयुक्त राष्ट्र के लिये एक लोकप्रिय मुख्यालय स्थान** है।
  - यह **यूरोपीय संघ** और **नाटो** का सदस्य **नहीं** है।
- यह अपने **गोपनीय बैंकिंग क्षेत्र (Secretive Banking Sector)** के लिये भी जाना जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत के साथ MFN दर्जे के निलंबन का क्या प्रभाव हो सकता है?

- **बढ़ी हुई कर देयताएँ:** स्विट्ज़रलैंड में परिचालन करने वाले भारतीय व्यवसायों को **उच्च कर देयताओं** का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड से प्राप्त लाभांश पर रोक कर **5% से बढ़कर 10%** हो जाएगा।
  - **कर कटौती (प्रतिधारण कर)** किसी व्यक्ति (निवासी या अनिवासी) पर **लाभांश, ब्याज और रॉयल्टी** के रूप में भुगतान करते समय **कर रोकने या कटौती करने** का दायित्व है।
- **सीमा पार कर विवाद:** इस निलंबन से **संधि के प्रावधानों की व्याख्या** के संबंध में भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच **विवाद** उत्पन्न हो सकता है।
- **कराधान में संरक्षणवाद:** स्विट्ज़रलैंड का कदम भारत सहित देशों की **व्यापक प्रवृत्ति** को दर्शाता है, जो घरेलू राजस्व की रक्षा के लिये **सख्त कर संधि व्याख्याओं** को अपना रहे हैं।
  - इस निर्णय को वैश्विक बदलाव के एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ देश अपने **कर आधार** की सुरक्षा के लिये अधिक **संरक्षणवादी नीतियाँ** अपना रहे हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय कर मानदंडों का विकास:** यह निर्णय अन्य देशों को कर संधि वार्ता में एकरूपता अपनाने के लिये प्रेरित कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि **सभी पक्ष MFN जैसे आवश्यक खंडों** पर एकमत हों।

दोहरा कर बचाव समझौता (DTAA) क्या है?

- **परिचय: DTAA** दो या दो से अधिक देशों के बीच एक **द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता** है जिसका उद्देश्य समान आय पर **दोहरे कराधान से बचना** है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि आय घरेलू और विदेशी दोनों करों के अधीन नहीं होगी।
- **DTAA के उद्देश्य:**
  - **दोहरे कराधान से बचाव:** एक ही आय पर दो बार कर का भुगतान करने से रोकता है।
  - **वित्तीय अपवंचन की रोकथाम:** कर अपवंचन से निपटने के लिये सूचना साझा करने में सक्षम बनाता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन:** स्पष्ट कर नियमों और कम देयताओं के साथ **सीमा पार व्यापार** को बढ़ावा देता है।
- **DTAA की कार्यप्रणाली:**
  - **निवास और स्रोत-आधारित कराधान:** DTAA निवास और स्रोत दोनों देशों के लिये कर अधिकारों को परिभाषित करता है।
  - **क्रेडिट विधि:** निवास देश को स्रोत देश में भुगतान किये गये करों पर क्रेडिट प्राप्त होता है।
  - **छूट पद्धति:** एक देश में आय पर कर लगाया जा सकता तथा दूसरे देश में छूट प्रदान की जा सकती है।
  - **भारत का DATT:** 94 से अधिक व्यापक DTAA और आठ प्रतिबंधित DTAA के साथ, भारत सबसे बड़े DTAA नेटवर्कों में से एक है।

MFN की स्थिति क्या है?

- **परिचय:** वह **व्यापारिक दर्जा** जो दो देशों के बीच **गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार की गारंटी** देता है, MFN के रूप में जाना जाता है।
  - **इसका अर्थ अधिमान्य व्यवहार** नहीं है, बल्कि यह गारंटी है कि प्राप्तकर्त्ता देश को अनुदान देने वाले देश के अन्य व्यापार साझेदारों की तुलना में नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- **MFN और WTO:** MFN **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के नियमों का एक प्रमुख सिद्धांत है।
  - विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत, यदि कोई देश किसी एक व्यापार साझेदार को विशेष दर्जा देता है, तो यह दर्जा **सभी विश्व व्यापार संगठन** सदस्यों को दिया जाना चाहिये।
- **गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार:** समान व्यापार शर्तें प्रदान करके, MFN यह **गारंटी देता** है कि राष्ट्र एक दूसरे के साथ **निष्पक्ष व्यवहार** करें। इन शर्तों में शामिल हैं:
  - **न्यूनतम** सम्भव **व्यापार शुल्क** और व्यापार बाधाएँ।
  - **उच्च आयात कोटा**
  - बाजार तक पहुँच में वृद्धि
  - वस्तु के प्रवाह के लिये बेहतर स्थितियाँ

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **MFN के अपवाद:**
  - **मुक्त व्यापार समझौते (FTA): FTA** में शामिल देश **गैर-सदस्यों को छोड़कर** एक-दूसरे को **विशेष रियायतें** प्रदान करते हैं।
  - **क्षेत्रीय व्यापार समझौते (RTA):** सदस्य देश आपस में **बेहतर शर्तों पर संवाद करते हैं, जिसमे अक्सर** गैर-सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष:

भारत के साथ अपने DTAA में MFN खंड को निलंबित करने का स्विट्ज़रलैंड का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कराधान में एक **महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो कर संधियों में विकसित हो रहे वैश्विक मानदंडों** को उजागर करता है। यह परिवर्तन स्विट्ज़रलैंड में परिचालन करने वाली भारतीय संस्थाओं के लिये कर देनदारियों को बढ़ा सकता है और सीमा पार निवेश प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, जबकि स्पष्ट संधि व्याख्याओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन को रोकने में दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA) की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

भारत का FDI 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2000 से अब तक भारत में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है,** जो वैश्विक निवेश के केंद्र के रूप में इसके बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है।

- इस उपलब्धि को **चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में FDI में 26% की वृद्धि होकर 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने से भी बल मिला है, जो** रणनीतिक पहलों, नीतिगत सुधारों और बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के प्रभाव को दर्शाता है।

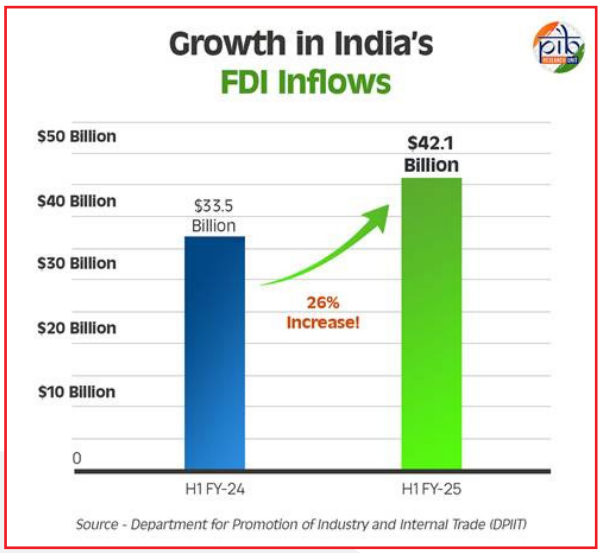

भारत की FDI वृद्धि को कौन-से कारक प्रेरित कर रहे हैं ?

- **प्रतिस्पर्द्धात्मकता और नवाचार:** **विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मक सूचकांक वर्ष 2024 में** भारत की रैंकिंग वर्ष 2021 के 43 वें स्थान से सुधरकर 40 वें स्थान पर आ गई।
- **वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ष 2023** में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से **40वाँ स्थान प्राप्त किया,** जो वर्ष 2015 के 81वें स्थान से उल्लेखनीय वृद्धि है ।
  - **नवाचार और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में प्रगति ने** भारत को नवाचार-संचालित निवेश के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है।
- **वैश्विक निवेश स्थिति: 1,008 घोषणाओं के साथ ग्रीनफील्ड परियोजनाओं** के लिये भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त है (विश्व निवेश रिपोर्ट 2023)।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में भी 64% की वृद्धि हुई, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त सौदों की **दूसरी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने वाला देश बन गया है।**
- ये आँकड़े भारत की बढ़ती वैश्विक निवेश प्रमुखता को उज़ागर करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- बेहतर व्यापारिक वातावरण: भारत ने अपने व्यापारिक वातावरण में उल्लेखनीय सुधार की है, जो वर्ष 2014 में 142 वें स्थान से बढ़कर विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट,2020 में 63वें स्थान पर पहुँच गया है।
- यह विनियमों को सरल बनाने के प्रयासों को दर्शाता है, जिससे नौकरशाही संबंधी बाधाओं में कमी से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।
- नीतिगत सुधार: आयकर अधिनियम, 1961 में वर्ष 2024 के संशोधन से एंजल टैक्स समाप्त हो गया तथा स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिये अनुपालन को सरल बनाने हेतु विदेशी कंपनियों के लिये आयकर की दर कम कर दी गई।

FDI को बढ़ावा देने की पहल:

- **संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT):** संयुक्त **अरब अमीरात के साथ BIT पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण** के अनुरूप निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- **उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (PLI) योजना:** **PLI योजना** विनिर्माण क्षेत्रों को समर्थन देती है, जिससे श्वेत वस्तु क्षेत्र में FDI को बढ़ावा मिलता है।
- **मेक इन इंडिया पहल:** वर्ष 2014-2022 के बीच **मेक इन इंडिया पहल ने** विनिर्माण क्षेत्र में FDI को 57% तक बढ़ा दिया।
- **विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP):** **FIFP निवेशकों के लिये एकल इंटरफेस** की पेशकश करके FDI अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, अनुमोदन में तेजी लाता है और विदेशी निवेश के प्रवाह को सुगम बनाता है।
- **PM गति शक्ति:** **PM गति शक्ति** जैसे उपायों का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी में सुधार करके FDI को और बढ़ावा देना है।
- **FDI उदारीकरण वाले प्रमुख क्षेत्र:** भारत ने वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में FDI को उदार बनाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
    - अंतरिक्ष **क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति**, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से **FDI की सीमा को बढ़ाकर 74% तथा सरकारी अनुमोदन के माध्यम से 100% कर दिया गया है।**
    - **फार्मास्यूटिकल क्षेत्र ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में 74% FDI की अनुमति देता है,** और **नागरिक विमानन ब्राउनफील्ड हवाई पत्तन परियोजनाओं में 100% FDI की अनुमति देता है।**
    - खुदरा, बीमा और दूरसंचार क्षेत्रों में भी FDI सीमा में वृद्धि देखी गई है, साथ ही बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण सुधार किये गए हैं।
    - **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र योजना और PLI पहल** से परिधान क्षेत्र को लाभ मिलता है, जिससे FDI को और बढ़ावा मिलता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है?

- **परिचय:** जब एक देश की कोई फर्म या व्यक्ति किसी अन्य देश के व्यवसाय में निवेश करता है या किसी व्यवसाय में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी प्राप्त करता है, तो इसे **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** कहा जाता है।
    - इसमें केवल पूंजी ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें **विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और कौशल** भी शामिल हैं, जो मेजबान देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं।
- FDI के प्रकार:
    - **ग्रीनफील्ड निवेश:** बहुत अधिक नियंत्रण और निजीकरण के साथ नई कंपनी की शुरूआत करना।
    - **ब्राउनफील्ड निवेश:** मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करके विलय, अधिग्रहण या संयुक्त उद्यम के माध्यम से विस्तार करना।
    - संगठन द्वारा पहले से मौजूद संरचनाओं के उपयोग के कारण, **ग्रीनफील्ड परियोजनाओं** की तरह नियंत्रण उतना अधिक नहीं हो सकता है, यद्यपि पर्याप्त परिचालन प्रभाव की अभी भी अनुमति है।

भारत में FDI:

- **शासन:** भारत में FDI **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999** द्वारा शासित होता है, और **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के तहत **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** द्वारा प्रशासित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नोट: कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के **अवसरवादी अधिग्रहण/अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के** लिये, सरकार ने **प्रेस नोट 3 (2020) के माध्यम से FDI नीति, 2017** में संशोधन किया।

- भारत के साथ **स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों या जिनके लाभकारी स्वामी** उन देशों में से किसी एक से हैं, को केवल सरकारी मार्ग/चैनल के माध्यम से ही भारत में निवेश करने की अनुमति है।
- प्रेस नोट 3 के प्रयोजन के लिये, **भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन (हांगकांग सहित), बांग्लादेश और म्याँमार को भारत के साथ** भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (सीमावर्ती देशों) के रूप में मान्यता देता है।

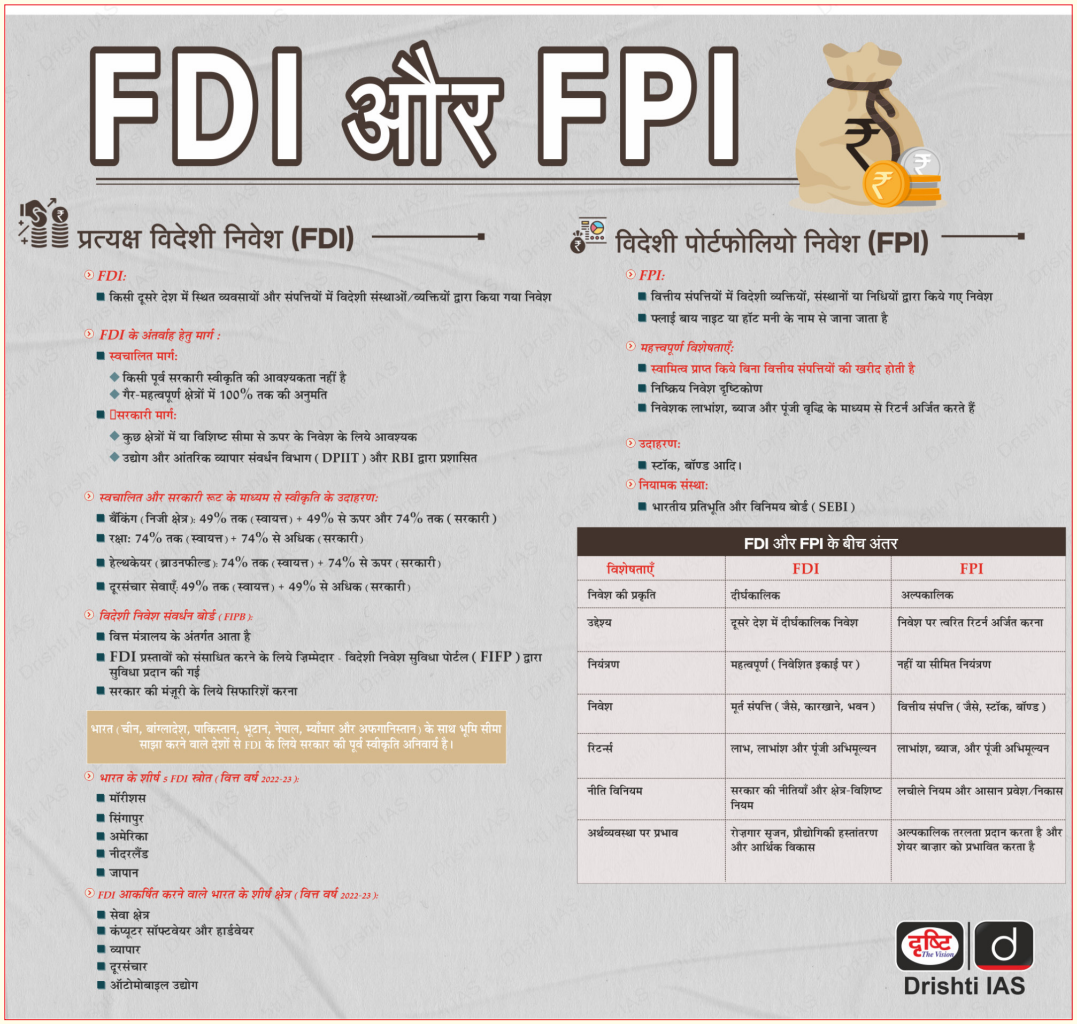

- **FDI की अनुमति:** विभिन्न क्षेत्रों में FDI की अनुमति या तो स्वचालित मार्ग से या सरकारी मार्ग से प्रदान की जाती है।
  - स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, अनिवासी या भारतीय कंपनी को **भारत सरकार** से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
  - जबकि, सरकारी मार्ग के तहत **निवेश से पहले भारत सरकार से अनुमोदन आवश्यक है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

- सरकारी मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विचार किया जाता है।

- **स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:** पशुपालन और कृषि, वायु परिवहन, ऑटो पार्ट्स, कार, ग्रीनफील्ड जैव प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उद्योग
- **सरकारी मार्ग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:** बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र, प्रसारण सामग्री सेवाएँ, खाद्य उत्पाद खुदरा व्यापार, उपग्रह की स्थापना और संचालन।
- भारत में FDI निषेध: परमाणु ऊर्जा उत्पादन, जुआ और सट्टेबाजी, लॉटरी, चिट फंड, रियल एस्टेट और तंबाकू व्यवसाय जैसे उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूर्णतया वर्जित है।
- भारत के शीर्ष FDI स्रोत: भारत को वर्ष 2023-24 में सिंगापुर से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ, उसके बाद मॉरीशस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और जापान का स्थान है।

FDI का महत्त्व क्या है ?

- **रोज़गार और आर्थिक विकास:** FDI **रोज़गार सृजन** को बढ़ावा देकर बेरोज़गारी को कम करता है, तथा आय के स्तर को बढ़ाता है, जिससे समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलता है।
  - FDI से पूंजी आती है, कर राजस्व में वृद्धि होती है और बुनियादी ढाँचे में सुधार होता है।
  - **उदाहरण के लिये अमेज़न और वॉलमार्ट (फ्लिपकार्ट के माध्यम से)** जैसी वैश्विक कंपनियों के प्रवेश से खुदरा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में अनेक रोजगार उत्पन्न हुए हैं।
- **मानव संसाधन विकास: वैश्विक कौशल और प्रौद्योगिकियों** से परिचित होने से कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत में IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने **स्थानीय कार्यबल के कौशल को बढ़ाया है।**
- **पिछड़े क्षेत्रों का विकास:** FDI अविकसित क्षेत्रों को औद्योगिक केंद्रों में बदलने में मदद करता है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है।
  - हुंडई और फोर्ड जैसी कंपनियों के निवेश से तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल हब ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा दिया है।
- **निर्यात में वृद्धि: FDI से निर्यातोन्मुख इकाईयों** की स्थापना हो सकती है, जिससे **देश की निर्यात क्षमता में** वृद्धि होगी।
  - उदाहरण के लिये, भारत का आईटी क्षेत्र, जिसे एक्सेंचर जैसी कंपनियों से महत्त्वपूर्ण FDI प्राप्त होता है, एक प्रमुख उद्योग बन गया है, जो विश्व भर के ग्राहकों को सॉफ्टवेयर सेवाएँ निर्यात करता है।
- **विनिमय दर स्थिरता:** निरंतर FDI का प्रवाह **विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराता है, जिससे मुद्रा स्थिरता को समर्थन मिलता है।**
  - **दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल्स** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में FDI का निरंतर प्रवाह स्थिर विनिमय दर बनाए रखने में सहायक है।
- **प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार का निर्माण:** FDI प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है, और उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर उत्पादों की व्यापक रेंज प्रदान करता है।
  - **IKEA जैसे वैश्विक ब्रांड** के प्रवेश से खुदरा क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।

FDI के समक्ष चिंताएँ क्या हैं ?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** रक्षा या दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में FDI से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये **विभिन्न देशों में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में चीनी निवेश को लेकर चिंताएँ** व्यक्त की गई हैं।
- **आर्थिक निर्भरता:** जो देश FDI पर बहुत अधिक निर्भर है, वह निवेशक देश की अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है।
  - यदि विदेशी निवेशक अपने निवेश में कटौती या वापसी का विकल्प चुनते हैं, तो इससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
  - बैंकिंग जैसे उद्योगों में यह चिंता का विषय है, जहाँ विदेशी संगठन अपने हितों को देश के हितों से ऊपर रखते हैं।
- **लाभ प्रत्यावर्तन:** विदेशी व्यवसायों से होने वाले लाभ को अक्सर उनके गृह राष्ट्रों में वापस भेज दिया जाता है, जिससे मेजबान देश के आर्थिक लाभ कम हो सकते हैं। परिणामस्वरूप पूंजी का शुद्ध बहिर्वाह हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्थानीय व्यवसायों पर प्रभाव:** बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ क्षेत्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्द्धा में आगे निकल सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका व्यवसाय बंद हो सकता है और रोज़गार में कमी आ सकती है।
  - यह विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये चिंता का विषय है, जहाँ स्थानीय व्यवसायों के पास प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये संसाधन की कमी होती हैं।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** विदेशी निवेश, विशेषकर निष्कर्षण उद्योगों में, **पर्यावरण क्षरण** का कारण बन सकता है।
  - ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पेप्सिको जैसी विदेशी कंपनियों पर **स्थानीय पर्यावरण नियमों** का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
- **श्रम शोषण:** विदेशी कंपनियाँ कम **मज़दूरी देकर या श्रम कानूनों का पालन न करके स्थानीय श्रमिकों का शोषण** कर सकती हैं। इससे कार्य करने की खराब परिस्थितियाँ और सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह:

- **व्यापार करने में आसानी:** अधिक विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये FDI विनियमों को सरल बनाना, नौकरशाही बाधाओं को कम करना और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- **स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना:** वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप **हरित एवं सतत् प्रौद्योगिकियों** में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना।
  - स्थिर और पारदर्शी नीतियों को सुनिश्चित करने से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे निरंतर FDI प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा।
- **कौशल एवं रोज़गार: FDI स्थानीय रोज़गार और कौशल विकास** को विशेष रूप से विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सुनिश्चित करना।
- **अनुसंधान एवं विकास तथा नवप्रवर्तन में निवेश:** नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने तथा भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिये **अनुसंधान एवं विकास में FDI** को बढ़ावा देना।
- **अवसंरचना विकास:** डिजिटल और भौतिक परिसंपत्तियों सहित अवसंरचना में निवेश करने से निवेश गंतव्य के रूप में भारत का आकर्षण बढ़ सकता है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट सुधार:** नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये रक्षा, अंतरिक्ष और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों में लक्षित सुधारों को लागू करना।

निष्कर्ष:

भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह, जो वर्ष 2000 से वर्तमान में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है, इसकी बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और सफल सुधारों को दर्शाता है। "मेक इन इंडिया" और क्षेत्रीय उदारीकरण जैसी पहल भारत को वैश्विक मंच पर सतत् विकास एवं वृद्धि के लिये तैयार करती हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार FDI को कैसे प्रभावित करता है?

मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने **MSME** या **किसानों** के हितों की रक्षा के लिये **मुक्त व्यापार समझौतों** प्रति **सतर्क रुख** अपनाया है।

- **यह निर्णय पिछले समझौतों के प्रतिकूल परिणामों को** ध्यान में रखते हुए लिया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि FTA से **MSME या किसानों पर** प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

FTA भारत के लिये किस प्रकार प्रतिकूल साबित हुए?

- **व्यापार घाटा असंतुलन: वर्ष 2017 से 2022** के बीच FTA के तहत शामिल देशों को भारत का **निर्यात 31%** बढ़ा लेकिन इसके **आयात में 82%** की वृद्धि हुई, जो एक **अस्थिर व्यापार घाटे** का प्रतीक है।
  - भारत बदले में **आनुपातिक पहुँच प्राप्त किये बिना** अपने बाज़ार खोल रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

Figure 2. India's trade balances over the years with its FTA partner

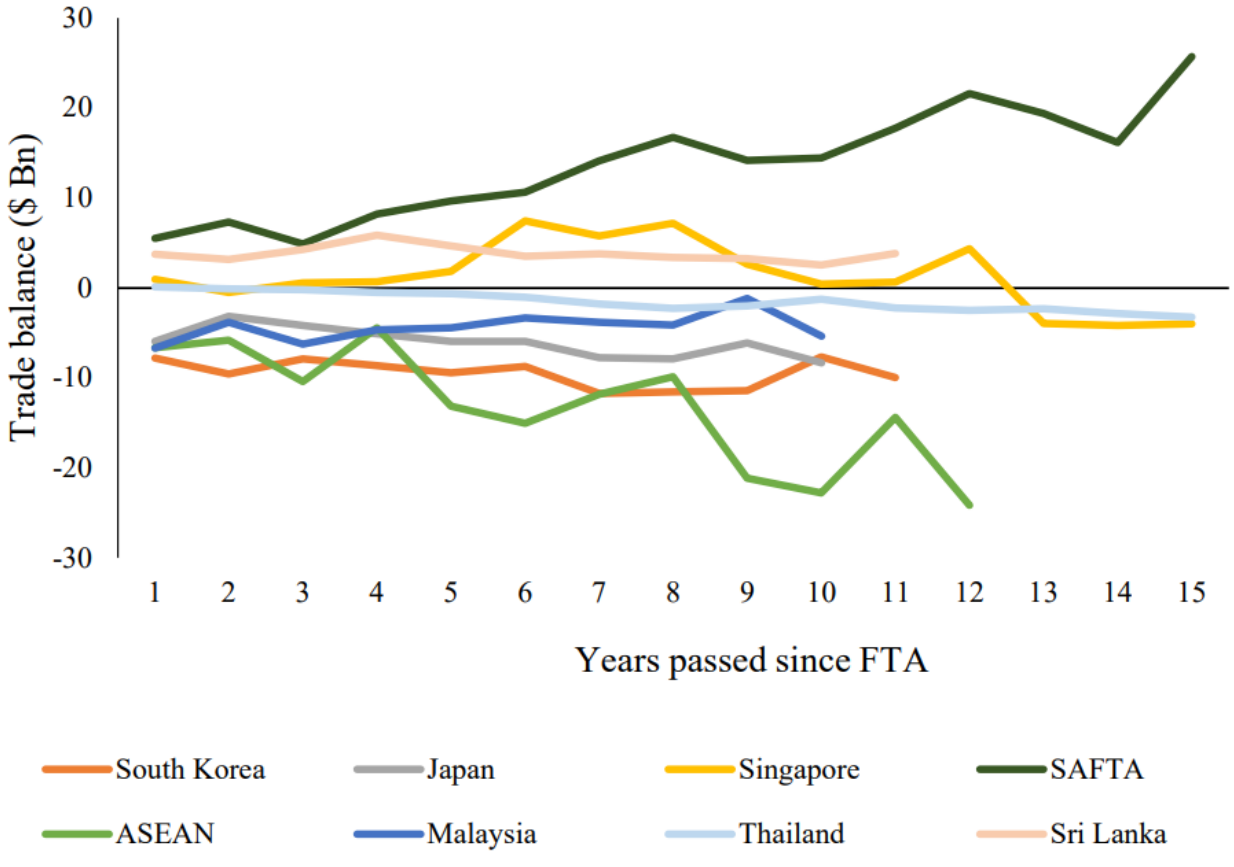

- **FTA का कम उपयोग:** भारत में FTA उपयोग **लगभग 25% के साथ काफी कम बना हुआ है,** जो विकसित देशों में देखी जाने वाली सामान्य **70-80% उपयोग दर से काफी कम** है।
  - इससे भारत की अपने द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के लाभों का **पूर्ण उपयोग करने में विफलता** पर प्रकाश पड़ता है।
- **विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता में कमी:** अनुसंधान, **नवाचार,** सरकारी सहायता एवं **मूल्य शृंखला उन्नयन पर आसियान के फोकस से** उत्पादन लागत में कमी आने के साथ इनकी **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता** को बढ़ावा मिला है।
  - दक्षिण कोरिया और आसियान ने **इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एवं वस्त्र जैसे क्षेत्रों में भारत से बेहतर प्रदर्शन** किया।
  - **इससे** रिवर्स शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) की स्थिति पैदा हो जाती है, जहाँ **कच्चे माल से बने सामानों पर आयात शुल्क** तैयार माल की तुलना में अधिक होता है।
    - उदाहरण के लिये, आयातित वस्तुओं पर कम आयात शुल्क की तुलना में घरेलू कच्चे माल की खरीद पर अधिक जीएसटी दर का भुगतान किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **हितधारकों के परामर्श का अभाव:** वार्ताकार प्रासंगिक **उद्योगों, व्यवसायों एवं संघों के प्रतिनिधियों** को शामिल करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप FTA के प्रभाव की सीमित समझ रहने के साथ घरेलू चिंताओं पर विचार किये बिना बाजार पहुँच प्रदान की गई।
- **गैर-टैरिफ बाधाएँ:** FTA के कारण **टैरिफ दरों में कमी** आई है, जिससे साझेदारों को भारतीय बाज़ार सुलभ पहुँच मिली है।
  - लेकिन साझेदार देशों द्वारा **लगाए गए गैर-टैरिफ अवरोध** जैसे कि कड़े मानक, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी संबंधी उपाय तथा व्यापार में तकनीकी बाधाएँ बनी रहीं, जिससे भारतीय निर्यातकों की बाज़ार पहुँच और निर्यात के अवसर सीमित हो गए।
- **जटिल प्रमाणन:** FTA के अंतर्गत **प्रमाणन आवश्यकताओं और उत्पत्ति के नियमों की** जटिलता के कारण निर्यातकों के लिये निर्धारित मानकों को पूरा करना कठिन हो गया है और अनुपालन लागत बढ़ गई है।
- **जागरूकता का अभाव: विभिन्न निर्यातकों को** FTA के अंतर्गत उपलब्ध **प्रोत्साहनों और संभावित लाभों** के बारे में जानकारी नहीं है, जिससे FTA के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।
- **सीमित सेवा व्यापार:** सेवाओं में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त होने के बावजूद, सेवा व्यापार में **अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है।**
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश संबंधी चुनौतियाँ:** FDI के प्रवाह से **प्रौद्योगिकी या मूल्य-वर्द्धित संबंधों** में कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, जिससे भारत की औद्योगिक क्षमता **में** वृद्धि हो सके।

मुक्त व्यापार समझौते

- **FTA: यह दो देशों (या ब्लॉकों) के** बीच व्यापार समझौता है, जिसका उद्देश्य निर्यात और आयात पर सीमा करों और अन्य बाधाओं (जैसे मानकों, प्रक्रियाओं) जैसे **सीमा सुरक्षा उपायों को कम करने या हटाने के द्वारा एक-दूसरे को बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करना है।**
- **कवरेज़:** FTA **में वस्तुओं के व्यापार** (जैसे कृषि या औद्योगिक उत्पाद) या **सेवाओं के व्यापार** (जैसे बैंकिंग, विनिर्माण, व्यापार आदि) को शामिल किया जा सकता है।
  - **एफटीए में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), निवेश, सरकारी खरीद** और प्रतिस्पर्द्धा नीति जैसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं।

व्यापार समझौतों के प्रकार:

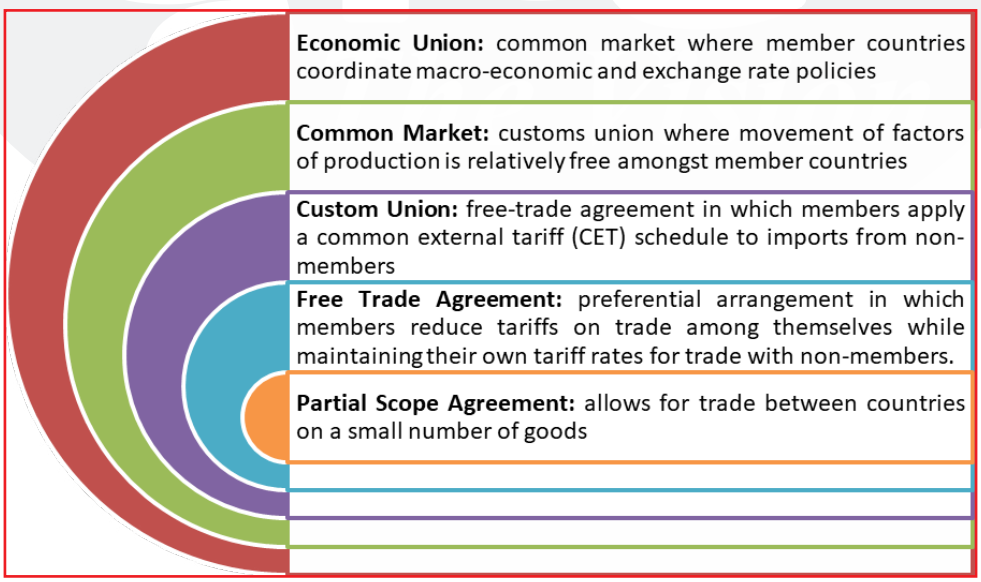

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत के प्रमुख व्यापार समझौते:

भारत के प्रमुख व्यापार समझौते

पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- भारत-श्रीलंका FTA
- भारत-नेपाल व्यापार संधि
- व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता

मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच एक व्यापक समझौता है, जो विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं को छोड़कर एक नकारात्मक सूची (negative list) के साथ अधिमान्य व्यापार शर्तों और टैरिफ रियायतों की पेशकश करता है।

भारत के क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA)

- **भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता (11):** 10 आसियान देश + भारत
- **दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (7):** भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव
- **व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली** (41 देश + भारत)

भारत का CECA और CEPA

CECA/CEPA मुक्त व्यापार समझौते से अधिक व्यापक है, जो नियामक, व्यापार एवं आर्थिक पहलुओं को व्यापक रूप से संबोधित करता है, CEPA में सेवाओं, निवेश आदि समेत व्यापक क्षेत्र है, जबकि CECA मुख्य रूप से टैरिफ और TQR दरों के समझौते पर केंद्रित है।

- **संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, जापान** के साथ CEPA
- **सिंगापुर, मलेशिया** के साथ CECA

Drishti IAS

अन्य:

- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA)
- भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS)
- भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA)

एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS) FTA/CECA/CEPA से पहले होता है, जहाँ समझौता करने वाले देश टैरिफ उदारीकरण के लिये उत्पादों का चयन करते हैं, व्यापक व्यापार समझौतों का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं।

अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA)

PTA में भागीदार सहमत टैरिफ सीमाओं पर शुल्क कम करके, कम या शून्य टैरिफ के लिये पात्र उत्पादों की एक सकारात्मक सूची बनाए रखते हुए विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुँच प्रदान करते हैं।

- **एशिया प्रशांत व्यापार समझौता (APTA):** बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओ PDR, श्रीलंका और मंगोलिया
- **SAARC अधिमान्य व्यापार समझौता (SAPTA):** SAFTA के समान
- **भारत-MERCOSUR PTA:** ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे और भारत
- **चिली, अफगानिस्तान** के साथ भारत का PTA

प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखने के लिये निर्यात करों के उपयोग के उदाहरण

- **केन्या: केन्या ने** कच्चे चमड़े पर **40% निर्यात शुल्क लगाकर** अपने **चमड़ा उद्योग को** पुन: पटरी पर ला दिया।
- इस नीति से देश में **चमड़े के कारखानों** की संख्या में वृद्धि हुई, **सात हज़ार नए रोज़गार सृजित हुए,** 40,000 लोगों की आय में वृद्धि हुई तथा इस क्षेत्र से आय में **लगभग 8 मिलियन यूरो की वृद्धि हुई,** तथा इसमें और भी वृद्धि की संभावना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मलेशिया:** मलेशिया का **फर्नीचर क्षेत्र निर्यात प्रतिबंधों और** कच्ची लकड़ी पर करों पर निर्भर है, जिससे प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिये इनकी आगत **अपेक्षाकृत सस्ती रहती है।**
- इन निर्यात प्रतिबंधों और करों के बगैर, फर्नीचर SME प्रतिस्पर्द्धा करने में असमर्थ हो जाएँगे।
- फर्नीचर SME विनिर्माण क्षेत्र में **मलेशियाई SME का 6% हिस्सा हैं।**

FTA MSME पर नकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकते हैं ?

- **सीमित वैश्विक पहुँच:** केवल 16% भारतीय SME **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न हैं,** जिनमें से 13% **निर्यात में शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय औसत** 19% से काफी कम है।

Figure 3: Proportion of SMEs trading internationally

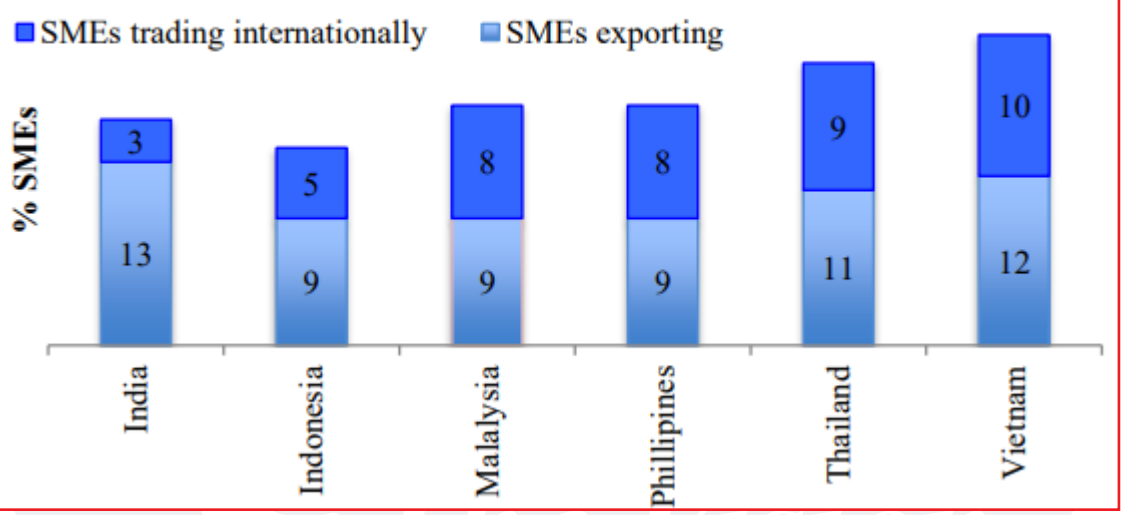

- **बाह्य आघातों के प्रति संवेदनशीलता:** भारतीय SME **वैश्विक व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हैं, जैसा कि कोविड-19 लॉकडाउन** के दौरान देखा गया, जिसने आपूर्ति श्रृंखलाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

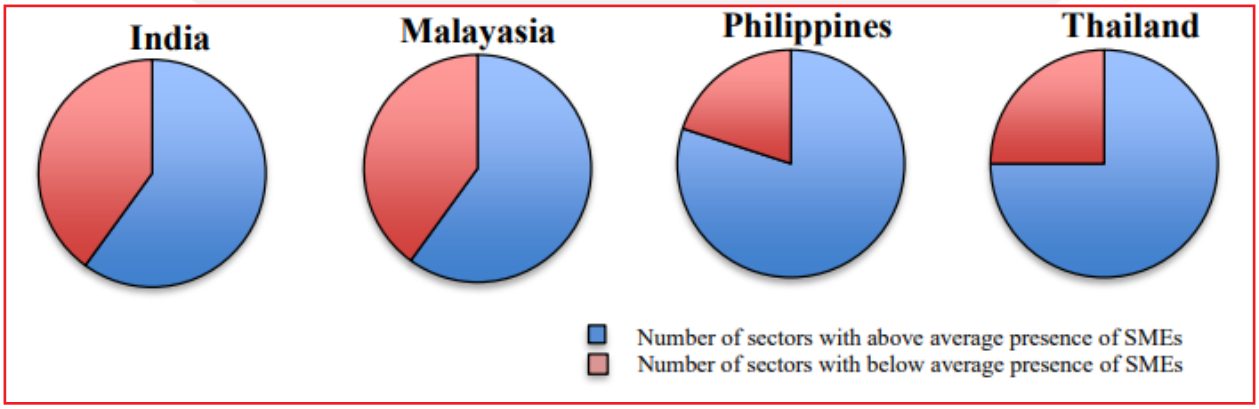

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **तकनीकी बाधाएँ:** भारतीय MSME को प्राय: अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में संघर्ष करना पड़ता है, जिसमें **सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS)** उपाय और **व्यापार में तकनीकी बाधाएँ (TBT) शामिल हैं।**
- **सीमित नेटवर्किंग अवसर:** भारत में MSME के पास प्राय: विदेश में संभावित खरीदारों के साथ **संपर्क की कमी होती है,** जिससे उनकी बाज़ार पहुँच और दृश्यता सीमित हो जाती है।
- **घरेलू बाज़ार के हिस्सेदारी में कमी:** FTA के अंतर्गत कम टैरिफ के कारण सस्ती आयातित वस्तुएँ बाज़ार में आएँगी, जिससे घरेलू MSME **विदेशी प्रतिस्पर्द्धियों के समक्ष बाज़ार हिस्सेदारी खो देंगे,** जिससे बिक्री और राजस्व में कमी आएगी।
- **मापनीय चुनौतियाँ: पूंजी, प्रौद्योगिकी और कुशल श्रम तक पहुँच** की कमी भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने वाली विदेशी वस्तुओं के विरुद्ध **मूल्य, गुणवत्ता और दक्षता** पर प्रतिस्पर्द्धा करने की उनकी क्षमता में बाधा बन सकती है।

FTA किसानों पर नकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकते हैं?

- **UPOV 1991 कन्वेंशन:** यूरोपीय संघ भारत पर **UPOV 1991 (पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ)** में शामिल होने के लिये दबाव बना रहा है, जो बड़े निगमों को नई पादप किस्मों पर विशेष अधिकार प्रदान करता है।
  - यदि भारत UPOV 1991 में शामिल होता है, तो भारत को **बीज संप्रभुता पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है,** जहाँ **टर्मिनेटर सीड्स/बीजों (पहली फसल के बाद बाँझ** होने के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित) के उपयोग के कारण किसानों को **प्रत्येक मौसम में सीड्स/बीज खरीदने के लिये मज़बूर** किया जा सकता है।
- **'ट्रिप्स-प्लस' मांगें:** यूरोपीय संघ की ट्रिप्स-प्लस मांगों का उद्देश्य **कीटनाशकों और उर्वरकों** जैसे कृषि रसायनों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के **बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों** का विस्तार करना है।
  - इससे कृषि रसायन बाज़ार पर बड़ी कंपनियों का **एकाधिकार** हो जाएगा और किसानों के लिये आवश्यक आगतों की **कीमतें** बढ़ जाएंगी।
- **गैर-टैरिफ बाधाएँ (NTB):** कई कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं के लिये यूरोपीय संघ **की कीटनाशक अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) 0.01 भाग प्रति मिलियन (PPM)** लागू करने से भारत के कृषि निर्यात को अस्वीकार किया जा सकता है।
- **प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि:** आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते **(ECTA)** के तहत, ऑस्ट्रेलिया भारत में **दाल, मदिरा, भेड़ के मांस, ऊन और बागवानी** उत्पादों का निर्यात बढ़ाना चाहता है, जो जीविका आधारित भारतीय छोटे भूमिधारक किसानों के लिये हानिकारक साबित हो सकता है।
- **खाद्य असुरक्षा:** भारत वर्तमान में **सभी कनाडाई मसूर निर्यात पर 30% टैरिफ लागू** करता है, जो **भारत-कनाडा FTA** के बाद समाप्त हो जाएगा।
  - इससे पाँच वर्षों में कनाडा के निर्यात में **147%** की वृद्धि हो सकती है, जिससे भारत के घरेलू दाल उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लक्ष्य को खतरा हो सकता है।

आगे की राह:

- बुनियादी ढाँचे में निवेश से **लॉजिस्टिक्स लागत कम** होगी तथा बंदरगाहों, रेलमार्गों और सड़कों को जोड़ने और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने से दक्षता बढ़ेगी।
- **उत्पत्ति के नियम (ROO) में छूट:** भारत को FTA उपयोग को बढ़ाने और निर्यातकों के लिये लेनदेन लागत को कम करने हेतु ROO विनियमों को सभी क्षेत्रों में एक समान लागू करने की बजाय अधिक वस्तु-विशिष्ट और अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिये।
- **सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना:** भारत को अपने मज़बूत **सेवा क्षेत्रों,** विशेष रूप से **आईटी, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)** और अन्य ज्ञान-आधारित सेवाओं के लिये बाज़ार पहुँच पर **अधिक ज़ोर देते हुए FTA डिज़ाइन करने पर** ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- **मौजूदा FTA पर पुन: संवाद करना:** पहले से हस्ताक्षरित FTA के लिये, भारत को रसायन, ऑटोमोटिव घटकों और

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विद्युत उपकरणों जैसे **उच्च तकनीक और मूल्यवर्द्धित उत्पादों** में विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिये **शर्तों पर पुन: संवाद** करना चाहिये।

- **अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना:** निर्यातोन्मुख उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना ताकि वैश्विक मांग के अनुरूप **उच्च मूल्य वाले उत्पाद** तैयार किये जा सकें।
- **एकीकृत नीति दृष्टिकोण:** भारत की **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PIL) योजना**, जिसका उद्देश्य चुनिंदा क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना है, को भविष्य के FTA के साथ जोड़ा जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि PIL योजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों को व्यापार समझौतों में भी प्राथमिकता दी जाए।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के कृषि क्षेत्र और लघु उद्योगों पर मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लोन 'राइट-ऑफ' और NPA

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर **राइट-ऑफ (ऋण माफ करना) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA)** में उल्लेखनीय कमी आई है।

- परिणामस्वरूप, बैंकों ने मार्च, 2024 तक अग्रिमों के **2.8%** का **NPA अनुपात 12 वर्षों** के **निम्नतम स्तर पर प्राप्त** कर लिया है।

बैंकों द्वारा लोन राइट-ऑफ के संबंध में मुख्य आँकड़े क्या हैं ?

- **लोन राइट-ऑफ:**
  - **वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2024** के बीच, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों ने **12.3 लाख करोड़ रुपए** के ऋण माफ किये, जिसमें **पिछले 5 वर्षों** (वित्त वर्ष 2020-2024) में ही **9.9 लाख करोड़** रुपए शामिल हैं।
  - वर्ष 2015 में शुरू किया गया **'एसेट क्वालिटी रिव्यु'** के बाद, **वित्त वर्ष 2019** में **ऋण राइट-ऑफ करने का उच्चतम आँकड़ा** 2.4 लाख करोड़ रुपए रहा।
  - हालाँकि, तब से **राइट-ऑफ** में कमी आई है, वित्त वर्ष 2024 में यह सबसे कम 1.7 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो कुल बैंक ऋण का सिर्फ **1%** है।

LOAN WRITE-OFFS BY BANKS (₹cr)

Year	Amount
2023-24	1,70,270
2022-23	2,08,037
2021-22	1,74,966
2020-21	2,02,781
2019-20	2,34,170

Source: RBI

- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा:**
  - पिछले 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2020-2024) में कुल ऋण माफी में **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB)** का हिस्सा **53%** (**6.5 लाख करोड़ रुपए**) था।
- **वसूली दरें:**
  - ऋण माफ करने (राइट-ऑफ) के बावजूद, इन ऋणों से **वसूली अपेक्षाकृत** कम रही है, जो पिछले 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2020-2024) में **केवल 18.7% (1.85 लाख करोड़ रुपए)** रही है।
    - **वित्त वर्ष 2020-2024 के बीच राइट-ऑफ की गई राशि का 81% से अधिक (8 लाख करोड़ रुपए से अधिक)** वसूल नहीं हो पाया, जो कि डिफॉल्ट किये गए ऋणों की वसूली में चुनौतियों को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ये ऋण खाते **अधिकतर विल्फुल डिफॉल्ट थे,** जिनमें से कुछ कंपनियों के प्रवर्तक और निदेशक तो देश छोड़कर भाग गए थे।

- **NPA अनुपात पर प्रभाव:**
  - सितंबर, 2024 तक, PSBs और **निजी क्षेत्र के बैंकों** (PSBs) का **सकल NPA क्रमशः 3.16 लाख करोड़ रुपए** और **1.34 लाख करोड़ रुपए था।**
  - **बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में NPS अनुपात** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये **3.01%** तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये **1.86%** था।

नोट:
- **विलफुल डिफॉल्टर** वह उधारकर्त्ता या गारंटर होता है, जो **25 लाख रुपए या उससे अधिक की बकाया राशि वाले ऋण** को चुकाने में जानबूझकर विफल रहता है।
- बड़े **डिफॉल्टर** से तात्पर्य ऐसे उधारकर्त्ता से है, जिसका ऋण बकाया 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तथा जिसके खाते को संदिग्ध या घाटे वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- **राइट-ऑफ** से तात्पर्य **किसी गैर-निष्पादित ऋण या परिसंपत्ति को बैंक के वित्तीय अभिलेखों से हटाने** से है, यह मानते हुए कि ऋण की वसूली की संभावना नहीं है।
  - यह प्रक्रिया उधारकर्त्ता को **ऋण चुकाने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है, बल्कि वसूली की असंभावना को स्वीकार** करती है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) क्या है?

- **परिचय:**
  - इसका तात्पर्य आमतौर पर एक ऋण या अग्रिम से है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान एक निश्चित अवधि के लिये अतिदेय रहता है। ज़्यादातर मामलों में ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण का **भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिये नहीं** किया गया हो।
  - कृषि के लिये यदि 2 **शस्य ऋतुओं/फसली मौसमों** के लिये मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- **NPA के प्रकार:**
  - **सकल NPA:** यह अनंतिम राशि में कटौती किये बिना **NPA की कुल राशि** है।
  - **निवल NPA:** सकल NPA में से प्रावधान **घटाने पर निवल NPA** प्राप्त होता है।
    - प्रावधान का तात्पर्य ऋणों अथवा NPAs से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई करने के लिये बैंकों द्वारा अलग रखे गए धन से है।

भारत में NPA से निपटने के प्रावधान:

- **बैड बैंक:**
  - नेशनल **नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (NARC)** भारत का नामित "बैड बैंक" है।
    - इन परिसंपत्तियों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार ने **भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRC)** की भी स्थापना की है, जो परिसंपत्तियों को बाज़ार में बेचने का कार्य करती है।
  - **वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहितकाप्रवर्तनअधिनियम(Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act- SARFAESI अधिनियम), 2002**
  - **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016**
    - इसने इस प्रक्रिया की देखरेख के लिये **राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT)** और **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)** की भी स्थापना की।
  - **बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम (RDB अधिनियम), 1993।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

EASE फ्रेमवर्क

- सरकार ने **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों** की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु वर्ष 2018 में **उन्नत पहुँच और सेवा उत्कृष्टता (EASE) ढाँचा** पेश किया है।
- **यह शासन, विवेकपूर्ण ऋण, जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अपनाने** और **परिणामोन्मुखी मानव संसाधन प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि उभरते बैंकिंग परिदृश्य के साथ संरेखित वृद्धिशील सुधारों को संस्थागत बनाता है, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाता है।

Prudential Lending:

❖PSBs are now systematically monitoring adherence to risk-based pricing and have established data-driven risk-scoring mechanisms for the appraisal of high-value loans, factoring in group entities.

IT-based Early Warning Systems:

These systems leverage third-party data to enable timely, proactive action in stressed accounts.

Stressed Assets Management Verticals:

❖Dedicated units have been set up for focused slippage prevention and recovery in large-value stressed loans, resulting in a sharp decline in such loans.

Tech-Enabled Smart Banking:

❖The adoption of retail and MSME loan management systems has reduced loan turnaround times. Additionally, platforms like OTS (One-Time Settlement) and the e-Bkray stressed assets auction platform have enhanced recovery processes.

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बैंकों द्वारा ऋण माफी क्या है?

- **परिचय:**
  - लोन राइट ऑफ को खाते में डालने, **बैंक के परिसंपत्ति रिकॉर्ड से लोन को हटाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है,** जो यह दर्शाता है कि **बैंक को अब राशि वसूलने की उम्मीद नहीं है।**
  - यह मुख्य रूप से बैंकों द्वारा **अपनी बैलेंस शीट को** NPA से मुक्त करने तथा **अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये किया जाने वाला** एक **लेखांकन उपाय है।**
  - यह प्रक्रिया बैंकों को **वसूली योग्य परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने** और **अपनी कर देनदारियों को** कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की अनुमति देती है।
- **लेखांकन तंत्र:**
  - **NPA वर्गीकरण और प्रावधान:**
    - **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के विवेकपूर्ण मानदंडों** के अनुसार, बैंकों को NPA के लिये प्रावधान बनाना चाहिये, जो परिसंपत्ति की आयु बढ़ने के साथ बढ़ता है और संपार्श्विक के प्राप्ति योग्य मूल्य से प्रभावित होता है।
    - इससे गैर-निष्पादित ऋणों से संबंधित वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिये सतर्क लेखांकन दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।
  - **तकनीकी अपलेखन:**
    - तकनीकी राइट ऑफ को खाते में डालने की प्रक्रिया तब होती है, जब **प्रावधान अधिशेष ऋण राशि से मेल खाते हैं,** जिससे बैंकों को **अपने बैलेंस शीट से ऋण को हटाने की अनुमति मिलती है, जबकि इसे "एडवांस अंडर कलेक्शन"** के अंतर्गत ऑफ-बैलेंस शीट आइटम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
    - राइट ऑफ खाते में डाले जाने के बावजूद, **ऋणकर्त्ता की देनदारी बनी रहती है,** तथा विधिक और संस्थागत तंत्र के माध्यम से वसूली के प्रयास जारी रहते हैं।
- **नियामक दिशानिर्देश:**
  - इसके लिये आवश्यक है कि **राइट ऑफ खाते में डाली गई राशि** बैलेंस शीट प्रबंधन और कर दक्षता पर केंद्रित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप हो।
  - बैंकों को **राइट ऑफ खाते में डाले गए खातों पर नज़र रखना जारी रखना चाहिये तथा रिटर्न को अनुकूलतम बनाने के लिये वसूली के लिये सक्रिय प्रयास करना चाहिये।**
  - इसके अतिरिक्त **आयकर अधिनियम** राइट ऑफ खाते में डाली गई राशि पर कटौती की अनुमति देता है, जिससे बैंकों पर कर का बोझ कम करने में सहायता मिलती है।

भारत में बढ़ते NPA के कारण क्या हैं?

- **दोषपूर्ण ऋण प्रक्रिया:** ऋणकर्त्ता के चयन के दौरान **अपर्याप्त सावधानी और क्रेडिट प्रोफाइल की आवधिक समीक्षा के** परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान क्षमताओं का अनुचित मूल्यांकन होता है।
  - इसके अतिरिक्त अंतिम उपयोग निगरानी प्रणालियों की कमी से **धन को गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिये मोड़ दिया जाता है, जिससे** NPA की समस्या और बढ़ जाती है।
- **विलफुल डिफॉल्ट और खराब क्रेडिट कल्चर:** विलफुल डिफॉल्ट की संख्या में वृद्धि, NPA में वृद्धि में योगदान करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में **2.5 मिलियन रुपए और उससे अधिक** के अधिशेष ऋण वाले **विलफुल डिफॉल्टरों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी गई है,** जो जून 2019 में 10,209 से बढ़कर मार्च 2023 तक 14,159 हो गई है।
  - बार-बार ऋण माफी, विशेषकर **कृषि ऋण के लिये,** ने ऋण संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
    - **ऋण माफी** के वादे, **भविष्य में ऋण माफी की प्रत्याशा में** ऋण न चुकाने के लिये ऋणकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं।
- **औद्योगिक रुग्णता:** औद्योगिक रुग्णता **अप्रभावी प्रबंधन,** अपर्याप्त तकनीकी प्रगति, तथा **सरकारी नीतियों में निरंतर बदलावों के कारण उत्पन्न होती है,** जिससे उद्योग वित्तीय रूप से अस्थिर हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों की **ऋण वसूली दर खराब हो जाती है।**
- **धोखाधड़ी और कदाचार: बैंकरों और ऋणकर्त्ताओं दोनों** द्वारा धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों ने NPA संकट को बढ़ा दिया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में **भारतीय बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में 166% की वृद्धि हुई** और यह संख्या 36,000 से अधिक हो गई।
- नीरव मोदी-PNB धोखाधड़ी और विजय माल्या-किंगफिशर डिफॉल्ट जैसे **हाई-प्रोफाइल घोटालों ने** जनता के विश्वास और **वित्तीय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।**

- **विनियामक और नीतिगत जोखिम:** RBI के दिशानिर्देशों का पालन न करने, जैसे कि **वैधानिक और विनियामक पालन में कमियों,** के कारण बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, जैसे कि सितंबर 2024 में RBI द्वारा एक्सिस बैंक और HDFC बैंक पर हाल ही में 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
  - **इसके अतिरिक्त ऋणों को सदाबहार बनाए रखना** और **बैलेंस शीट की विंडो ड्रेसिंग** (स्वस्थ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने के लिये वित्तीय विवरणों में हेरफेर करना) जैसी प्रथाएँ, विशेष रूप से **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों** और **सहकारी बैंकों के बीच प्रचलित रही हैं।**
    - ये प्रथाएँ **वास्तविक परिसंपत्ति गुणवत्ता को विकृत करती हैं,** अंतर्निहित वित्तीय तनाव को छुपाती हैं और **सटीक जोखिम आकलन में बाधा डालती हैं।**
- **क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियाँ: विमानन क्षेत्र** में उच्च परिचालन लागत जैसे उद्योग-विशिष्ट कारक उच्च NPA का कारण बनते हैं।
  - भारतीय एयरलाइनों को वित्त वर्ष 2025 में 2,000-3,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा होने का अनुमान है, **जिसका मुख्य कारण उच्च परिचालन व्यय और कम टिकट कीमतें हैं।**
  - **कृषि और MSME** को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) देने में अक्सर पुनर्भुगतान संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बैंकिंग क्षेत्र के NPA में वृद्धि होती है।
- **समाधान तंत्र में अकुशलता: ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRT) के** समक्ष **मामलों के समाधान में देरी** एवं **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)** तथा **SARFAESI अधिनियम** जैसे **वसूली संबंधी कानूनों के शिथिल कार्यान्वयन से** प्रभावी NPA प्रबंधन में बाधा उत्पन्न हुई है।

NPA वसूली से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **विधिक एवं विनियामक बाधाएँ:** भारत में NPA वसूली में **शिथिल एवं परंपरागत विधिक फ्रेमवर्क से बाधा** आ रही है। IBC और SARFAESI अधिनियम जैसे कानूनों के बावजूद, कॉर्पोरेट **दिवालियापन मामलों के समाधान में 400 दिनों से अधिक समय** लगता है, **जैसा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)** द्वारा बताया गया है।
  - **ऋणदाता अक्सर वसूली में देरी करने के क्रम में कानून का सहारा लेते हैं,** जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है।
- **उचित परिसंपत्ति मूल्यांकन और प्राप्ति:** NPA वसूली में सटीक परिसंपत्ति मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण है। **बाज़ार की स्थितियों एवं आर्थिक कारकों के** कारण इसका **अधिमूल्यन या अवमूल्यन हो सकता है,** जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान हो सकता है।
  - **कोलेटरल को नकदी में परिवर्तित करना** (विशेष रूप से आर्थिक मंदी के दौरान या विशिष्ट बाज़ार स्थितियों में) **धीमा और चुनौतीपूर्ण** हो सकता है, क्योंकि परिसंपत्तियों का अक्सर उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करना जटिल होता है।
- **उधारकर्त्ताओं का सहयोग:** यह NPA वसूली के लिये महत्त्वपूर्ण है। कई उधारकर्त्ताओं में **या तो चुकाने की क्षमता या इच्छा** की कमी होती है, **जिसके कारण वे संपत्ति को छिपाने या उसका कम मूल्यांकन करने** या **कानून का उपयोग** कर इसमें देरी करते हैं, जिससे वसूली प्रक्रिया में काफी बाधा आती है।
- **परिचालन अक्षमताएँ: खराब दस्तावेज़ीकरण, अपर्याप्त ट्रैकिंग प्रणाली** एवं **समन्वय की कमी** जैसी आंतरिक अक्षमताओं से NPA वसूली में बाधा आती है।
  - **केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली के अभाव** में सूचना के कुप्रबंधन एवं वसूली में देरी होने के साथ लागत में वृद्धि होती है।
- **आर्थिक कारक एवं बाज़ार की स्थिति:** आर्थिक मंदी के कारण **संपत्ति के मूल्यों में गिरावट आती है,** जिससे पूर्ण ऋण राशि वसूलना मुश्किल हो जाता है। **बाज़ार में अस्थिरता** (विशेष रूप से रियल एस्टेट और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में) से वसूली प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आगे की राह

- **सरकारी सहायता:** पारदर्शी मान्यता, बेहतर वसूली, पुनर्पूंजीकरण और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र **के बैंकों को मज़बूत बनाने एवं NPA को कम करने** के लिये **4R रणनीति- मान्यता, समाधान, पुनर्पूंजीकरण एवं सुधार को** लागू करना चाहिये।
- **उन्नत निगरानी:** बैंकों को **ऋण चूक के प्रारंभिक संकेतों का पता लगाने के लिये बेहतर निगरानी प्रणालियों में निवेश करना चाहिये** तथा ऋणों के NPA बनने से पहले **निवारक उपाय** करने चाहिये।
  - **उधारकर्त्ताओं के साथ सक्रिय सहभागिता** एवं ऋण निष्पादन का नियमित पुनर्मूल्यांकन, चूक के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है।
- **अनुमोदन प्रक्रिया:** एक **संरचित ऋण अनुमोदन प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिये, जिसमें उधारकर्त्ताओं की वित्तीय स्थिति** एवं पुनर्भुगतान क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करने के साथ **आवधिक समीक्षा** शामिल हो।
- **संस्थागत तंत्र:** दीर्घकालिक औद्योगिक एवं बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिये नवीन **विकास वित्तीय संस्थानों (DFI)** का विकास करना चाहिये।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग: सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के** बैंकों तथा **विशेष एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से** वसूली कार्यों की दक्षता में सुधार हो सकता है।
  - **डिफॉल्टरों पर नज़र रखने** के लिये प्रौद्योगिकी एवं डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करने से भी वसूली प्रयासों में वृद्धि हो सकती है।
- **जोखिम प्रबंधन: ऋण पोर्टफोलियो में विविधता लाकर** संकेंद्रण जोखिम को कम करने के साथ मंदी के दौरान NPA को न्यूनतम करने के लिये **विशिष्ट क्षेत्रों या उधारकर्त्ताओं** पर निर्भरता कम करनी चाहिये।
  - बैंकों को **कड़े ऋण मानदंड अपनाने के साथ सफलता की अधिक संभावना वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

निष्कर्ष

यद्यपि ऋण माफी से भारतीय बैंकों के NPA में कमी आई है लेकिन इस दृष्टिकोण की दीर्घकालिक स्थिरता, वसूली तंत्र में सुधार के साथ विधिक ढाँचे को मज़बूत करने एवं वित्तीय संस्थानों के समग्र प्रशासन को उन्नत बनाने पर निर्भर है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय बैंकों में बढ़ते NPA के कारणों का विश्लेषण करते हुए उसे कम करने के क्रम में सरकार तथा RBI के उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।

राज्य वित्त 2024-25 पर RBI की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ***राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन,*** विषयक रिपोर्ट जारी की, जिसमें राजकोषीय समेकन में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति पर प्रकाश डाला गया और साथ ही उच्च ऋण स्तर तथा बढ़ती सब्सिडी जैसी गंभीर चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं ?

- **महामारी के बाद राज्यों का प्रदर्शन:**
  - **बेहतर कर राजस्व:** औसत **कर संग्रहण में उछाल** (आर्थिक विकास दर में परिवर्तन के प्रति कर राजस्व की अनुक्रियाशीलता) 0.86 (2013 से 2020 के दौरान) से बढ़कर 1.4 (2021-25 के दौरान) हो गई, जो **कर संग्रह** में बेहतर दक्षता को दर्शाती है।
    - उच्च कर राजस्व से राज्यों द्वारा राजमार्गों और पुलों सहित **परिसंपत्ति निर्माण के लिये अधिक धनराशि आवंटित करने में सहायता प्राप्त हुई है।**
  - **पूंजीगत व्यय:** राज्यों ने व्यय की गुणवत्ता में लगातार सुधार किया है, पूंजीगत व्यय 2021-22 में **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 2.8 प्रतिशत हो गया तथा इसके लिये 2024-25 में जीडीपी का 3.1 प्रतिशत बजट किया गया है।
    - इससे विकास को बढ़ावा देने वाले निवेश के साथ व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने का संकेत मिलता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **राजकोषीय अनुशासन:** राज्यों का सकल **राजकोषीय घाटा** 2024-25 के लिये सकल घरेलू उत्पाद का 3.2% निर्धारित किया गया है, जो 2023-24 (2.9%) के स्तर में साधारण वृद्धि है।
  - राज्यों का राजस्व व्यय वित्त वर्ष 25 में बढ़कर **47.5 ट्रिलियन रुपए होने का अनुमान है,** जो **सकल घरेलू उत्पाद का 14.6%** है, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह 39.9 ट्रिलियन रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 13.5% था।
- **उधार पर निर्भरता:** राज्यों की बाज़ार उधार पर निर्भरता बढ़ गई है, जो वित्त वर्ष 2025 में **सकल राजकोषीय घाटे (GFD) का 79% था।**
  - वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सकल बाज़ार उधारी 32.8% बढ़कर 10.07 ट्रिलियन रुपये हो गई।
- **उन्नत ऋण स्तर: राज्यों का ऋण-से-GDP अनुपात** (आर्थिक उत्पादन की तुलना में ऋण का सापेक्ष माप) **मार्च 2021 में GDP के 31.0% से घटकर मार्च 2024 में 28.5% हो गया,** लेकिन मार्च 2019 में महामारी-पूर्व स्तर 25.3% से अधिक रहा।
  - राज्यों का ऋण स्तर **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समिति द्वारा 2023 तक 60% तक ऋण-से-GDP अनुपात की सिफारिश से अधिक है** (जिसमें **केंद्र सरकार के लिये 40% और राज्य सरकारों के लिये 20%**)।
  - **अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा** जैसे राज्यों ने उच्च राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है, जबकि **गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में** सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में घाटा कम है।
  - **विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOM) राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव** बना रही हैं तथा इनका संचित घाटा वर्ष 2022-23 तक 6.5 लाख करोड़ रुपए (भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.4%) तक पहुँच गया।
- **राज्यों के बजट से संबंधित चिंताएँ:**
  - **सब्सिडी का बढ़ता बोझ:** विभिन्न राज्यों ने **"कृषि ऋण माफी, मुफ्त/सब्सिडी वाली सेवाएँ** (जैसे- कृषि और घरों के लिये विद्युत, परिवहन, गैस सिलेंडर तथा किसानों, युवाओं एवं महिलाओं को नकद हस्तांतरण)" की घोषणा की है।
    - इन उपायों से **महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे के लिये निर्धारित धनराशि के खत्म होने** का जोखिम है।
    - **महिलाओं के लिये आय हस्तांतरण** (लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, सकल घरेलू उत्पाद का ~0.6%) जैसी सब्सिडी योजनाएँ राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालती हैं।
  - **राजस्व सृजन:** वित्त वर्ष 2025 में **गैर-कर स्रोतों** और केंद्रीय अनुदानों से राजस्व में कमी का अनुमान है।
    - राज्य कर राजस्व के प्राथमिक स्रोत, **राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)** की वृद्धि की गति धीमी हो गई है।
  - **राजकोषीय पारदर्शिता का अभाव: बजट से इतर देनदारियों** की अपर्याप्त रिपोर्टिंग वास्तविक राजकोषीय स्थिति को अस्पष्ट कर देती है।

राज्य वित्त पर RBI की सिफारिशें क्या हैं?

- **ऋण समेकन:** ऋण में कमी के लिये स्पष्ट, पारदर्शी और **समयबद्ध मार्ग स्थापित** करना। **राजकोषीय जवाबदेही** में सुधार के लिये देनदारियों की एक समान रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
  - रिपोर्ट में "अगली पीढ़ी" के राजकोषीय नियमों का आह्वान किया गया है, जो राज्यों को आघातों से निपटने के लिये लचीलापन प्रदान करते हैं, साथ ही मध्यम अवधि की राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
- **व्यय दक्षता:** परिणाम-आधारित और **जलवायु-संवेदनशील बजट** पर ध्यान केंद्रित करना।
  - राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये संसाधनों को मुक्त करने और राजकोषीय तनाव को कम करने के लिये **केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS)** को प्रभावी ढंग से युक्तिसंगत बनाना ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना:** सब्सिडी को **अधिक उत्पादक व्यय पर हावी होने से रोकने** के लिये उसे नियंत्रित और अनुकूलित करना।
- **प्रभावी बाज़ार ऋण:** राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने और वित्तीय कमज़ोरियों को न्यूनतम करने के लिये **बाज़ार ऋण पर अत्यधिक निर्भरता** को कम करना।
- **राजस्व सृजन:** SGST, **स्टांप ड्यूटी** और अन्य प्रमुख राजस्व स्रोतों के लिये संग्रह तंत्र को मज़बूत करना। बाज़ार ऋण पर निर्भरता कम करने के लिये गैर-कर राजस्व तथा अनुदान में वृद्धि करना।

नोट: सब्सिडी एक **सरकारी लाभ है जो व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से (नकद भुगतान) या अप्रत्यक्ष रूप से (कर छूट)** प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य भार को कम करना और सामाजिक या आर्थिक लक्ष्यों को बढ़ावा देना है।

सब्सिडी और राजकोषीय अनुशासन में संतुलन की क्या आवश्यकता है ?

- **सब्सिडी का महत्त्व:**
  - **मानव विकास:** सब्सिडी, स्वास्थ्य देखभाल और आय हस्तांतरण जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम सुभेद्य आबादी को सहायता प्रदान करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)** गरीब परिवारों को सब्सिडी वाले **LPG कनेक्शन** प्रदान करती है, जिससे पारंपरिक खाना पकाने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे कम होते हैं।
  - **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** निम्न आय वाले परिवारों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
  - **आर्थिक समानता:** सब्सिडी **धन का पुनर्वितरण करके आय असमानता को कम करने में मदद करती है,** जो अधिक समावेशी विकास में योगदान दे सकती है।
    - सब्सिडी गरीबों पर **बाज़ार की ताकतों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद** करती है तथा **आर्थिक संकट के समय सुरक्षा कवच** प्रदान करती है।
- **राजकोषीय अनुशासन का महत्त्व:**
  - **स्थायी सार्वजनिक वित्त:** उचित वित्तपोषण के बिना अत्यधिक कल्याणकारी व्यय से **उच्च घाटा और सार्वजनिक ऋण बढ़ सकता है,** जिससे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।
    - राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने से सरकारी व्यय स्थायी रहता है तथा अत्यधिक घाटे से बचाव होता है।
  - **निवेशकों का विश्वास:** राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि **बाज़ार और विदेशी निवेशक देश को एक विश्वसनीय आर्थिक साझेदार के रूप में देखते रहें।**
    - **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** और **राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2013** जैसी योजनाओं के माध्यम से राजकोषीय समेकन पर सरकार का ध्यान स्थिर राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
  - **आर्थिक विकास:** उत्पादक निवेश की कीमत पर कल्याणकारी व्यय पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से **आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा** सतत् विकास के लिये उपलब्ध संसाधन कम हो सकते हैं।
  - **सब्सिडी और राजकोषीय अनुशासन में संतुलन:**
    - **लक्षित कल्याण कार्यक्रम: किसानों के लिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान)** और कुशल सब्सिडी वितरण के लिये **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना** जैसे लक्षित कल्याण व्यय, यह सुनिश्चित करते हैं कि संसाधन ज़रूरतमंदों तक पहुँचें, प्रभाव को अधिकतम करें और अपव्यय को न्यूनतम करें।
  - **डिजिटल इंडिया** और **आधार से जुड़े लाभों** के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने से सब्सिडी दक्षता में सुधार होता है, लीकेज कम होती है, तथा बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश के लिये संसाधन उपलब्ध होते हैं।
    - **राजस्व वृद्धि:** GST के माध्यम से कर आधार को मज़बूत करने से राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है। **उत्पादन**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) जैसी पहलों का विकास, जो **अतिरिक्त सब्सिडी के बजाय दीर्घकालिक आय प्रदान कर सकते हैं, कल्याण और निवेश दोनों के लिये राजकोषीय स्थान** बनाता है।

- **आर्थिक स्थिरता:** राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने से **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, सार्वजनिक ऋण को कम करने** और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष

भारत के विकास पथ को बनाए रखने के लिये राजकोषीय अनुशासन के साथ सब्सिडी को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है। संसाधनों का कुशल आवंटन, कल्याणकारी व्यय और राजस्व सृजन में रणनीतिक सुधारों के साथ, एक **स्थिर और समृद्ध अर्थव्यवस्था** का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कल्याणकारी व्यय और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाने में भारतीय राज्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये।

असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** ने अक्तूबर, 2023- सितंबर, 2024 की संदर्भ अवधि हेतु वर्ष 2023-24 के लिये **असंगठित क्षेत्र उद्यमों (ASUSE)** के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किये।

- संदर्भ **अवधि एक विशिष्ट समय-सीमा है,** जिसका उपयोग डेटा या सांख्यिकी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिये किया जाता है।

ASUSE क्या है ?

- **परिचय:** ASUSE **विशेष रूप से विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों (निर्माण को छोड़कर)** में असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की विभिन्न आर्थिक और परिचालन से जुड़ी विशेषताओं को मापना है।
  - असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठान **असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम हैं,** जिनमें **MSMEs, किराये के श्रमिकों वाली घरेलू इकाइयाँ और स्वयं के खाते वाले** उद्यम शामिल हैं।
- **कवरेज़:**
  - **भौगोलिक:** संपूर्ण भारत के **ग्रामीण और शहरी क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गाँवों को छोड़कर, जहाँ पहुँचना कठिन है)।**
  - **क्षेत्रवार:** तीन क्षेत्रों अर्थात **विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं से संबंधित असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठान।**
  - **स्वामित्व:** स्वामित्व, साझेदारी (सीमित देयता भागीदारी को छोड़कर), **स्वयं सहायता समूह (SHG),** सहकारी समितियाँ, सोसायटी/ट्रस्ट आदि।
- **सर्वेक्षण समय-सीमा:** पहला पूर्ण **ASUSE 2021-22** (अप्रैल 2021 - मार्च 2022) में आयोजित किया गया था, इसके बाद दूसरा सर्वेक्षण अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक किया गया।
  - वर्तमान **तीसरा सर्वेक्षण (ASUSE 2023-24) अक्तूबर, 2023 से सितंबर, 2024** तक के लिये जारी किया गया था।
- **नमूना आकार:** ASUSE 2023-24 में, **16,842 सर्वेक्षणित प्रथम चरण इकाइयों** (ग्रामीण में 8,523 और शहरी में 8,319) से कुल **4,98,024 प्रतिष्ठानों (ग्रामीण में 2,73,085 और शहरी में 2,24,939) से डेटा एकत्र किया गया था।**
  - प्रथम चरण की **इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना गाँव और शहरी क्षेत्रों में ब्लॉक** थीं।

ASUSE 2023-24 परिणामों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

- **प्रतिष्ठानों में वृद्धि:** प्रतिष्ठानों की कुल संख्या **12.84% बढ़कर** वर्ष 2022-23 में 6.50 करोड़ से **वर्ष 2023-24 में 7.34 करोड़ हो गई है।**
  - **"अन्य सेवा"** क्षेत्र में **सर्वाधिक 23.55% की वृद्धि तथा विनिर्माण क्षेत्र में 13%** की वृद्धि देखी गयी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

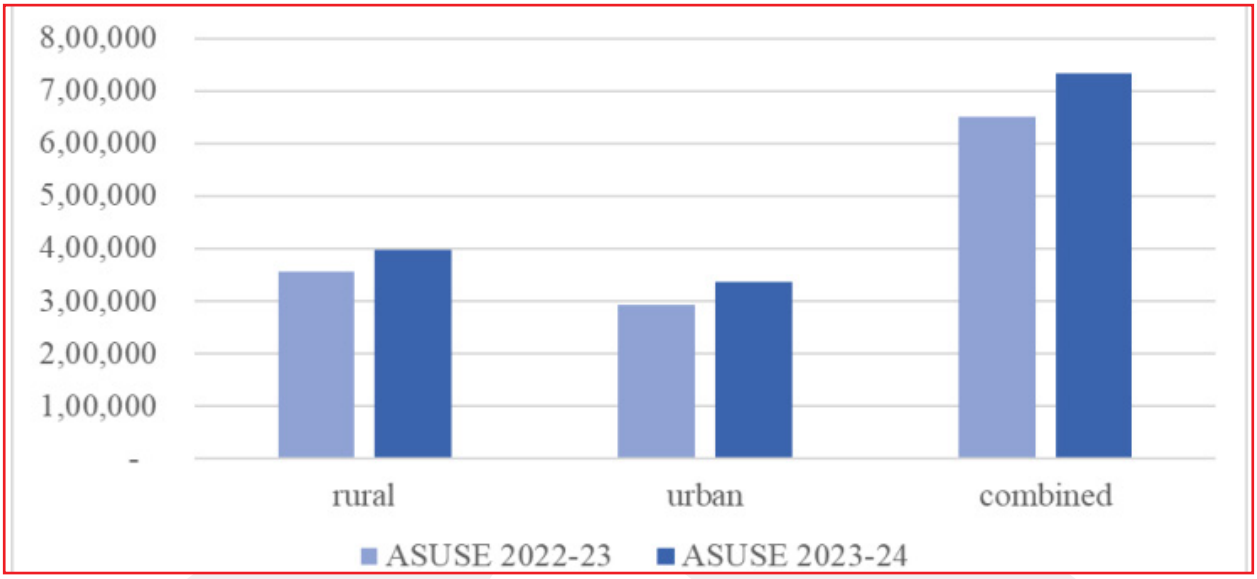

- **GVA वृद्धि: सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में 16.52%** की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से "अन्य सेवाओं" क्षेत्र में **26.17% की वृद्धि** के कारण हुई।
  - **प्रति श्रमिक GVA में 5.62%** की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2022-23 में 1,41,769 रुपए से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,49,742 रुपए हो गई।

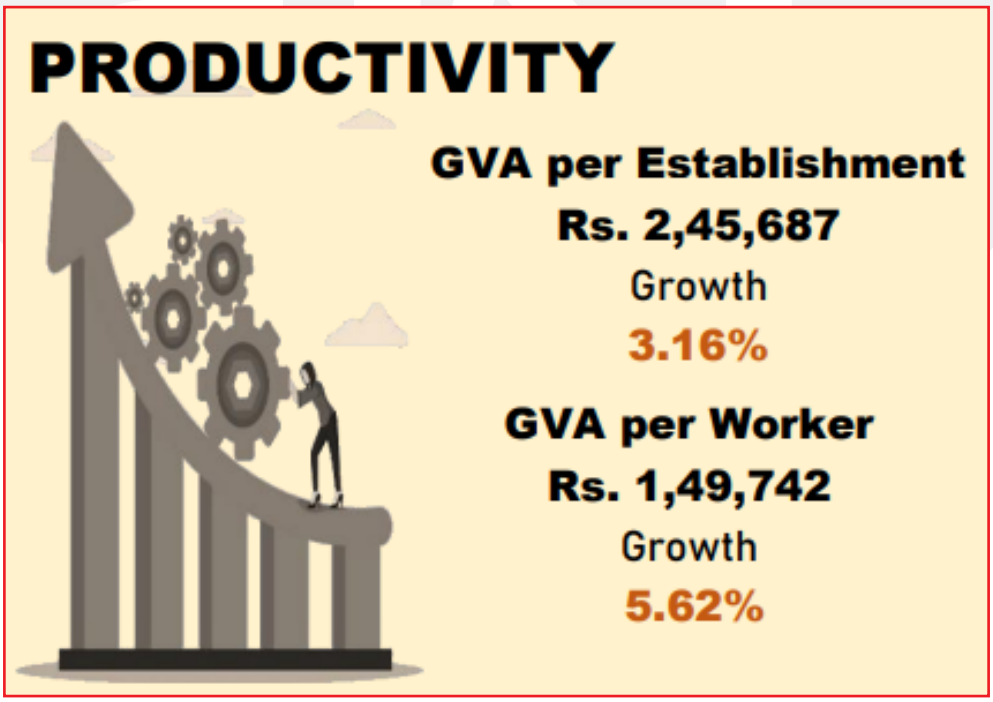

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रति प्रतिष्ठान आउटपुट:** प्रति प्रतिष्ठान **सकल उत्पादन मूल्य (GVO)** वर्तमान मूल्यों में **6.15%** बढ़कर 4,63,389 रुपए से **4,91,862 रुपए** हो गया।
  - GVO से तात्पर्य किसी प्रतिष्ठान द्वारा किसी विशिष्ट अवधि के दौरान उत्पादित **वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य** से है।
- **श्रम बाज़ार का प्रदर्शन:** इस क्षेत्र में **12 करोड़ से अधिक श्रमिकों को रोज़गार मिला, जो 2022-23 से एक करोड़ से अधिक की वृद्धि** है, जो मज़बूत श्रम बाज़ार वृद्धि का संकेत है।
  - **"अन्य सेवा" क्षेत्र में 17.86% की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि** देखी गई, जिसके बाद विनिर्माण **क्षेत्र में 10.03% की वृद्धि हुई।**
- **महिला उद्यमिता:** महिला स्वामित्व वाली **स्वामित्व प्रतिष्ठान वर्ष 2022-23 में 22.9% से बढ़कर 2023-24 में 26.2% हो गई,** जो महिलाओं के व्यवसाय स्वामित्व में सकारात्मक प्रवृत्ति का संकेत है।

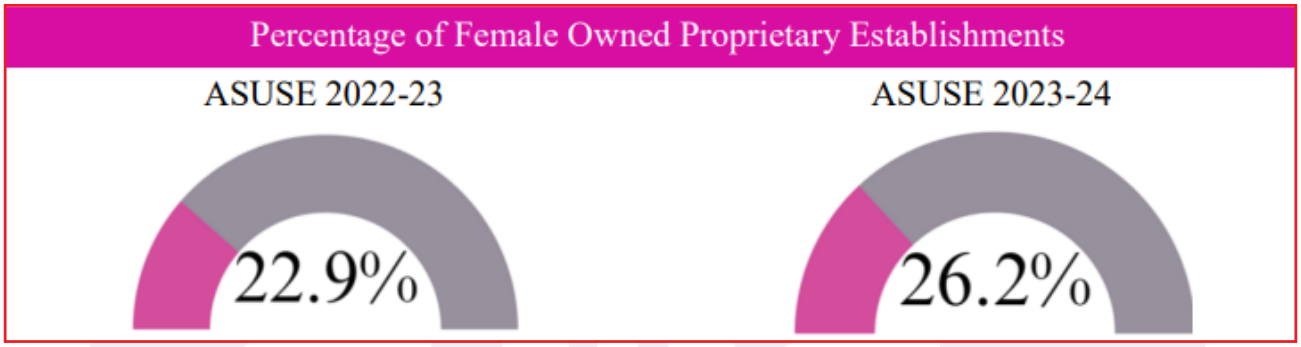

- **वेतन में सुधार: वर्ष 2023-24** में नियोजित श्रमिकों के लिये **औसत पारिश्रमिक में 13% की वृद्धि हुई,** जिसमें सबसे अधिक **वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र (16%)** में देखी गई।
- **डिजिटल पैठ:** इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2022-23 में 21.1% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में **26.7%** हो गई है, जो व्यावसायिक परिचालन में डिजिटल की ओर अग्रसर एक मज़बूत प्रवृत्ति को दर्शाता है।

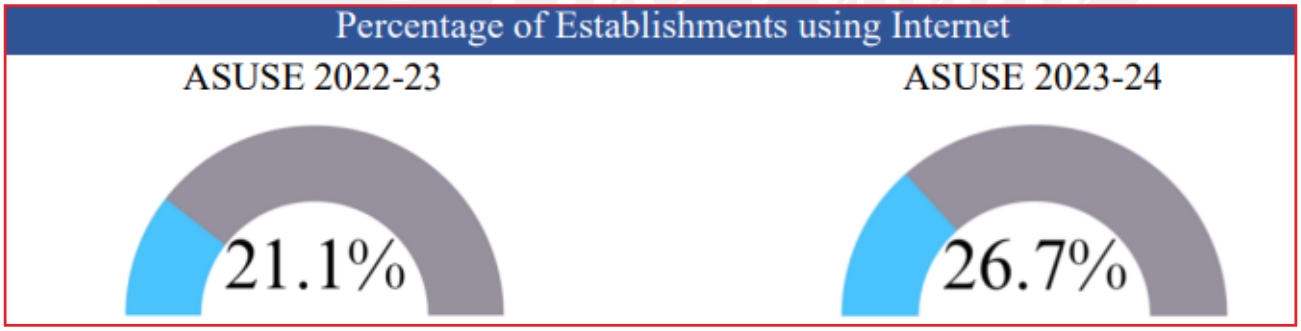

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मुख्य अवधारणाएँ और परिभाषाएँ:

- **उद्यम:** वित्तीय और निवेश निर्णयों में स्वायत्तता के साथ **वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाली इकाई,** जो संसाधन आवंटन के लिये ज़िम्मेदार है।
- **असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठान:** वे **निगमित नहीं हैं** (अर्थात् न तो **कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत पंजीकृत हैं और न ही **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत)।
- **विनिर्माण प्रतिष्ठान: सामग्री को नए उत्पादों में बदलने** या रखरखाव और मरम्मत सहित विनिर्माण सेवाएँ प्रदान करने में शामिल इकाइयाँ।
- **पारिश्रमिक: नियमित भुगतान** (वेतन, मज़दूरी, बोनस) और सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिये नियोक्ता का योगदान, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल या मनोरंजन जैसे भुगतान शामिल हैं।
- **सकल मूल्य संवर्धन (GVA):** GVA **उत्पादन और मध्यवर्ती उपभोग (इनपुट)** के सकल मूल्य के बीच का **अंतर** है।
- **किराये पर काम करने वाले श्रमिक प्रतिष्ठान (HWE):** वह प्रतिष्ठान जिसमें **कम से कम एक कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत** हो।
- **अन्य सेवा प्रतिष्ठान:** वे विभिन्न सेवा गतिविधियों में लगे असंगठित उद्यमों को संदर्भित करते हैं जो **व्यापार और विनिर्माण श्रेणियों में नहीं** आते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित गैर-कृषि इकाइयों का क्या महत्त्व है?

- **रोज़गार प्रदाता: वर्ष 2018-19** के **आर्थिक सर्वेक्षण** से पता चलता है कि **भारत का 93% कार्यबल** अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिससे यह सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता बन गया है।
- **क्षेत्रीय संतुलन:** अनौपचारिक उद्यम **ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण** करके और **सीमित पूंजी** वाले व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करके क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद करते हैं।
- **उद्यमिता:** छोटी अनौपचारिक फर्म विशेष रूप से **महिलाओं, युवाओं** और हाशिये पर रहने वाले समुदायों के व्यक्तियों जैसे **कमजोर समूहों** के लिये **उद्यमिता** को बढ़ावा देती हैं।
- **औपचारिक क्षेत्र के लिये समर्थन:** यह **औपचारिक क्षेत्र** को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करता है जिनका बड़ी फर्मों द्वारा या औपचारिक उद्यमों की **आपूर्ति शृंखलाओं** का समर्थन करके कुशलता से उत्पादन नहीं किया जा सकता है।
- **गतिशील भूमिका:** असंगठित क्षेत्र में **सेवाओं में 38%, व्यापार (मुख्य रूप से खुदरा) में 35%, तथा विनिर्माण में 27%** फर्में कार्यरत हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अनौपचारिक उद्यमों के महत्त्व को दर्शाता है।

भारत में असंगठित गैर-कृषि इकाइयों से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **लैंगिक असमानताएँ:** अनौपचारिक कार्यबल में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी है, फिर भी उन्हें **कम वेतन, आय अस्थिरता और सामाजिक सुरक्षा के अभाव** सहित कई गंभीर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **अनियंत्रित कारकों के प्रति सुभेद्यता:** भारत में **मानसून के सीज़न** के दौरान निर्माण गतिविधियाँ प्राय: रुक जाती हैं, जिससे **प्रवासी श्रमिकों** को स्थायी रोज़गार नहीं मिल पाता।
- **रोज़गार सुरक्षा का अभाव:** अनौपचारिक रोज़गार में स्वभावत: औपचारिक रोज़गार से संबंधित सुरक्षा और लाभ जैसे **लिखित अनुबंध, न्यूनतम मज़दूरी, सवेतन अवकाश और विनियमित कार्य घंटे का अभाव** होता है।
- **कर चोरी:** कई कंपनियां कानूनी प्रणाली से राजस्व और व्यय को छिपाकर **करों की चोरी** करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में **अत्यधिक हानि** होती है।
- **विकास में चुनौतियाँ:** दीर्घकालिक स्थिरता चिंता का विषय बनी हुई है, **वर्ष 2015-2023** तक इस क्षेत्र की **विकास दर केवल 2% का न्यूनतम विस्तार** दर्शा रही है।
- **सटीक आँकड़ों का अभाव: वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण** में कहा गया है कि भारत का **93%** कार्यबल अनौपचारिक है, जबकि **नीति आयोग की न्यू इंडिया के लिये रणनीति** में इसका अनुमान **85%** लगाया गया है।
  - **राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)** की **'असंगठित क्षेत्र सांख्यिकी समिति की रिपोर्ट', 2012** में दावा किया गया है कि **90%** से अधिक कार्यबल अनौपचारिक है, हालाँकि स्रोत निर्दिष्ट नहीं किये गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आगे की राह

- **औपचारिकता को प्रोत्साहित करना: पंजीकरण** प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, छोटी फर्मों के लिये **करों को कम करके,** तथा व्यवसायों को श्रम और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने के लिये **प्रोत्साहन** प्रदान करके **औपचारिकता** को प्रोत्साहित करना।
- **सशक्तिकरण के लिये स्वयं सहायता समूह: स्वयं सहायता समूह (SHG)** की स्थापना से अनौपचारिक कर्मचारियों को उनके कार्य की स्थिति और आर्थिक सुरक्षा में सुधार के लिये आवश्यक उपकरण और सहायता प्रदान की जा सकती है।
- **व्यापक डेटाबेस: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था** पर विस्तृत डेटा एकत्र करने से नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने, लक्षित हस्तक्षेप डिजाइन करने और नीति प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलती है।
- **समान कार्य के लिये समान वेतन:** सरकार को **राज्य नीति के निदेशक तत्त्वों** के **अनुच्छेद 39(d)** के अनुसार समान कार्य के लिये समान वेतन सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना चाहिये।
- **क्षमता विकास:** अनौपचारिक श्रमिकों के लिये कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना, जिसमें **बढ़ईगीरी, प्लंबिंग, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण,** डिजिटल साक्षरता और सॉफ्ट स्किल जैसे ट्रेड शामिल हों।
  - **नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने** के लिये अनुभवी कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षुता और **मार्गदर्शन कार्यक्रम** शुरू करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की भूमिका का आकलन कीजिये।

विमानन और उत्सर्जन पर इसका प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि विमानन क्षेत्र **ग्रीनहाउस गैस** उत्सर्जन में शीर्ष वैश्विक योगदानकर्त्ताओं में से एक है, निजी जेट विमानों का प्रति यात्री कार्बन उत्सर्जन काफी अधिक है।

- भारत का निजी विमानन क्षेत्र अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन देश की बढ़ती संवृद्धि के कारण इसमें तीव्र वृद्धि हो रही है।

विमानन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन की क्या स्थिति है ?

- **विमानन क्षेत्र:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** के अनुसार, **वर्ष 2022 में वैश्विक ऊर्जा-संबंधित CO_2 उत्सर्जन में विमानन की 2% भागीदारी** रही, जिसमें उत्सर्जन लगभग **800 मीट्रिक टन CO_2** (जो **कोविड-19 महामारी** के स्तर का लगभग 80% है) तक पहुँच गया।
    - हाल के दशकों में विमानन क्षेत्र से उत्सर्जन में **रेल, सड़क या जहाज़रानी की तुलना में अधिक तीव्र वृद्धि** हुई।
  - यदि विमानन क्षेत्र को **एक देश** माना जाए तो यह **विश्व में शीर्ष 10 उत्सर्जकों में शामिल** होगा।
- **निजी विमानन क्षेत्र से उत्सर्जन:** अध्ययन में पाया गया कि **वर्ष 2019 और 2023 के बीच निजी विमानन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन में 46%** की वृद्धि हुई।
  - निजी जेट विमान, वाणिज्यिक उड़ानों की तुलना में प्रति यात्री **5 से 14 गुना अधिक CO_2 उत्सर्जित करते हैं** तथा प्रति यात्री आधार पर **रेलगाड़ियों की तुलना में 50 गुना अधिक प्रदूषण** करते हैं।
  - **इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx)** एवं अन्य ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं।

निजी विमानन क्षेत्र में वृद्धि:

- **वैश्विक:** निजी जेट की संख्या दिसंबर 2023 के 25,993 से बढ़कर **फरवरी 2024 में 26,454** हो गई, जिससे होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि हुई।
  - प्रत्येक निजी उड़ान से औसतन लगभग **3.6 टन CO_2 का उत्सर्जन** होता है जिससे **ग्लोबल वार्मिंग** में वृद्धि होती है।
- **भारत:** मार्च 2024 तक भारत में **112 पंजीकृत निजी विमान** हैं।
  - यद्यपि यह संख्या अमेरिका एवं माल्टा जैसे देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है फिर भी इससे भारत निजी विमान स्वामित्व के मामले में **शीर्ष 20 देशों** में शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत में **प्रति एक लाख व्यक्तियों पर एक निजी जेट** है, जो माल्टा (46.51 प्रति लाख) एवं अमेरिका (5.45 प्रति लाख) जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।
- भारत में अरबपतियों **(विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी संख्या)** और करोड़पतियों की बढ़ती संख्या से निजी जेट की मांग को बढ़ावा मिला है।

विमानन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के संभावित समाधान क्या हैं ?

- **सतत् विमानन ईंधन (SAF):** SAF (स्पाइसजेट और एयर एशिया जैसी एयरलाइनों द्वारा परीक्षण किया गया) **जैव-आधारित या अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन** हैं जो रासायनिक रूप से पारंपरिक जेट ईंधन के समान हैं, लेकिन इनका **कार्बन उत्सर्जन काफी कम** है।
- **संभावित लाभ:**
  - **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** SAF फीडस्टॉक और उत्पादन विधि के आधार पर कार्बन उत्सर्जन को **80%** तक कम कर सकता है।
  - **अनुकूलता:** SAF **ड्रॉप-इन ईंधन** हैं, जिनका **उपयोग मौजूदा विमान इंजन और बुनियादी ढाँचे में बिना किसी बड़े बदलाव** के किया जा सकता है, जो उत्सर्जन में कमी के लिये एक निकट-अवधि समाधान प्रदान करता है।
  - **विविध फीडस्टॉक:** SAF उत्पादन से विभिन्न प्रकार के फीडस्टॉक्स (जैसे शैवाल, कृषि अवशेष, अपशिष्ट तेल या नगरपालिका ठोस अपशिष्ट) का लाभ उठाया जा सकता है, जिससे **जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम** हो सकती है **और आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन** आ सकता है।
- **चुनौतियाँ:**
  - **उच्च लागत:** SAF वर्तमान में **पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में अधिक महंगे हैं,** जिससे वे बाज़ार में कम प्रतिस्पर्द्धी बन गए हैं।
  - **सीमित उत्पादन:** SAF की वैश्विक उत्पादन क्षमता सीमित है, और विमानन उद्योग की मांग को पूरा करने के लिये उत्पादन बढ़ाने के लिये **महत्त्वपूर्ण निवेश और बुनियादी ढाँचे** के विकास की आवश्यकता है।
  - **स्थायित्व:** हालाँकि SAF उत्सर्जन को कम करते हैं, लेकिन भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल उपयोग और जैव विविधता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए उनका उत्पादन धारणीय होना चाहिये।
- **बैटरी-इलेक्ट्रिक प्रणोदन:** इसमें विमान के इंजनों को चलाने के लिये **बैटरियों में संग्रहीत विद्युत् का उपयोग करना,** तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये **पारंपरिक जेट इंजनों के स्थान पर** विद्युत मोटरों का उपयोग करना शामिल है।
- **संभावित लाभ:**
  - **शून्य उत्सर्जन:** बैटरी-इलेक्ट्रिक विमान कोई प्रत्यक्ष उत्सर्जन नहीं करते हैं, जिससे छोटी दूरी की उड़ानों के लिये स्वच्छ, कार्बन-तटस्थ भविष्य में योगदान मिलता है।
  - **ऊर्जा दक्षता:** विद्युत मोटर **दहन इंजन की तुलना में अधिक कुशल हैं,** जो बैटरी से अधिक ऊर्जा को थ्रस्ट में परिवर्तित करते हैं।
  - **शोर में कमी:** विद्युत प्रणोदन ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, जिससे यह शहरी और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिये आदर्श बन जाता है।
- **चुनौतियाँ:**
  - **बैटरी की सीमाएँ:** वर्तमान बैटरी प्रौद्योगिकी ऊर्जा घनत्व की सीमाओं के कारण **लंबी दूरी की उड़ानों के लिये उपयुक्त नहीं** है।
  - **वजन और आकार:** बैटरियाँ **भारी होती हैं और काफी स्थान घेरती हैं,** जिससे इलेक्ट्रिक विमान का आकार और पेलोड क्षमता सीमित हो जाती है।
  - **चार्जिंग अवसंरचना:** हवाई अड्डों पर चार्जिंग अवसंरचना की व्यापक आवश्यकता है और इसके लिये **महत्त्वपूर्ण निवेश और समन्वय** की आवश्यकता है।
- **हाइड्रोजन:** **हाइड्रोजन ईंधन उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है और दहन के समय केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है,** जिससे यह एक स्वच्छ ईंधन विकल्प बन जाता है।
  - **हाइड्रोजन दहन** (40% दक्षता) और **हाइड्रोजन ईंधन सेल** (45-50% दक्षता) दोनों पर सक्रिय अनुसंधान चल रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **संभावित लाभ:**
  - **उच्च ऊर्जा घनत्व:** हाइड्रोजन में **केरोसिन की तुलना में तीन गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा घनत्व** होता है, जिससे यह बड़े विमानों और लंबी उड़ानों के लिये उपयुक्त हो जाता है।
  - गुरुत्वीय ऊर्जा घनत्व किसी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान पर उपलब्ध ऊर्जा है।
  - **स्वच्छ उत्सर्जन:** जब हाइड्रोजन का दहन किया जाता है या फ्यूल सेल में उपयोग किया जाता है, तो यह केवल **जल वाष्प उत्पन्न करता है,** जिससे यह जीवाश्म-आधारित जेट ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प बन जाता है।
- **चुनौतियाँ:**
  - **हाइड्रोजन का भंडारण:** हाइड्रोजन के खराब ऊर्जा घनत्व के कारण, इसके लिये विशाल, भारी भंडारण टैंकों की आवश्यकता होती है, जिससे विमानन हेतु हल्के, कॉम्पैक्ट विकल्प ढूंढना मुश्किल हो जाता है।
    - तरल हाइड्रोजन उच्च घनत्व प्रदान करता है, लेकिन अतिरिक्त बाधाएँ उत्पन्न करता है, जिससे कुशल भंडारण कठिन हो जाता है।
  - **बुनियादी ढाँचे का विकास:** हवाई अड्डों पर ईंधन भरने के बुनियादी ढाँचे की स्थापना और हाइड्रोजन के सुरक्षित वैश्विक परिवहन को सुनिश्चित करना इसकी **उच्च ज्वलनशीलता** के कारण चुनौतीपूर्ण है।
    - **विशेष सुरक्षा उपायों और कुशल श्रम की आवश्यकता** से लागत बढ़ जाती है।
  - **विमान का पुन:** ईंधन कोशिकाओं के लिये व्यापक रूप से ओवरहाल की आवश्यकता होती है, जिसमें **ईंधन टैंक, वितरण प्रणाली और भंडारण** में संशोधन शामिल हैं, जबकि हाइड्रोजन दहन के लिये **विमान के आंशिक पुन: डिज़ाइन की आवश्यकता** होती है।
    - इसके लिये महत्त्वपूर्ण **तकनीकी विशेषज्ञता और मौजूदा विमानों के नवीनीकरण के लिये** पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी।

हवाई यात्रा को सतत् बनाने के लिये भारत की क्या पहल हैं?

- **नीतिगत पहल:** भारत सरकार ने ग्रामीण हवाई संपर्क में सुधार के लिये **उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)** योजना और हवाईअड्डे की क्षमता बढ़ाने के लिये **NABH (भारत निर्माण के लिये अगली पीढ़ी के हवाईअड्डे)** योजना शुरू की।
- **सतत् विमानन ईंधन (SAF): भारतीय एयरलाइनों द्वारा SAF** पर परीक्षण किया गया, स्पाइसजेट द्वारा वर्ष 2018 में जट्रोफा तेल के मिश्रण तथा एयरएशिया द्वारा वर्ष 2023 में SAF का उपयोग किया गया।
- **विमानन के लिये इथेनॉल:** भारत की इथेनॉल उत्पादन आपूर्ति शृंखला विमानन ईंधन के लिये एक व्यवहार्य मध्यम अवधि समाधान हो सकती है।
  - **विमानन ईंधन के लिये इथेनॉल का उत्पादन करने हेतु अधिशेष चीनी** का उपयोग करने से **वर्ष 2050 तक भारत की विमानन ईंधन मांग का 15-20%** पूरा हो सकता है, हालाँकि भूमि-उपयोग में परिवर्तन एवं भूजल की कमी से बचने के लिये सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

विमानन उद्योग से संबंधित भारत की पहल

- राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016
- घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवाओं के लिये **वस्तु एवं सेवा कर (GST)** की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई।
- ओपन स्काई संधि
- डिजी यात्रा

आगे की राह:

- **सतत् विमानन ईंधन (SAF) को बढ़ावा देना:** लागत कम करने और उपलब्धता बढ़ाने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से SAF उत्पादन को बढ़ाना।
- **हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक प्रणोदन का विकास:** हाइड्रोजन-संचालित विमान और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रौद्योगिकियों में निवेश करना, भंडारण समाधान, बुनियादी ढाँचे और विमान पुन: डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कार्बन ऑफसेट पहल:** विमानन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने और उसे कम करने के लिये **ICAO कार्बन एमिशन कैलकुलेटर (ICEC)** जैसे कार्बन ऑफसेट कार्यक्रमों को लागू करना।
- **बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना:** सुरक्षा और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए हवाई अड्डों पर SAF उत्पादन, हाइड्रोजन ईंधन भरने और इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिये बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
- **नीति और विनियामक समर्थन:** विमानन में हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिये **कार्बन मूल्य निर्धारण**, कर प्रोत्साहन और कड़े उत्सर्जन लक्ष्य जैसी नीतियों को लागू करना।
- **कार्बन ऑफसेट कार्यक्रम:** संक्रमण के दौरान उत्सर्जन को कम करने के लिये ICAO कार्बन उत्सर्जन कैलकुलेटर (ICEC) जैसे मज़बूत कार्बन ऑफसेट कार्यक्रम स्थापित करना।
- **हितधारक सहयोग:** सतत् विमानन के लिये तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिये एयरलाइनों, निर्माताओं और नियामकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

वैश्विक स्तर पर और भारत में निजी विमानन का विकास जलवायु परिवर्तन प्रयासों को चुनौती देता है। जबकि विमानन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है, नवाचार, नीति और स्थिरता के माध्यम से डीकार्बोनाइज़ेशन को प्राथमिकता देना महत्त्वपूर्ण है। जैसे-जैसे भारत का निजी विमानन क्षेत्र विस्तार कर रहा है, उसे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये कम कार्बन प्रौद्योगिकियों और ज़िम्मेदार हवाई यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विमानन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिये, जिसमें SAF, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की भूमिका भी शामिल है।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2023-24

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **अरक्षित ऋण और निजी ऋण** पर बढ़ती निर्भरता पर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी वार्षिक ***रिपोर्ट भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा प्रगति वर्ष 2023-24*** में अधिक सतर्कता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- **सकल अनर्जक परिसंपत्तियों (GNPA)** में लगातार गिरावट और **बैंकों की अविरत लाभप्रदता के बावजूद**, केंद्रीय बैंक ने वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में उभरते जोखिमों का निवारण किये जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

RBI के रिपोर्ट संबंधी मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **NPA में गिरावट: GNPA मार्च 2024 में 13 वर्ष के निम्नतम स्तर 2.7% पर पहुँच गया**, जो सितंबर वर्ष 2024 तक और गिरकर 2.5% हो गया।
  - सितंबर वर्ष 2024 में खुदरा ऋण खंड का GNPA अनुपात सबसे कम, 1.2% था, जबकि **कृषि ऋण में सबसे अधिक GNPA अनुपात 6.2% था।**
  - शिक्षा ऋणों के लिये GNPA अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो मार्च 2023 में 5.8% से घटकर सितंबर वर्ष 2024 तक 2.7% हो गया, हालाँकि यह खुदरा क्षेत्रों में सबसे अधिक है।
- लाभप्रदता: बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि जारी रही जिसमें परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (RoA) 1.4% (2024-25 की पहली छमाही) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (RoE) वित्त वर्ष 24 में 14.6% रहा, जो लगातार छह वर्षों से लाभ में वृद्धि को दर्शाता है।
  - NBFC क्षेत्र में बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और सुदृढ़ **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) के साथ दोहरे अंक की ऋण वृद्धि हुई।**
  - **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB)** की समेकित बैलेंस शीट में ऋण और जमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा **शहरी सहकारी बैंकों (UCB)** की परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी बफर एवं लाभप्रदता में सुधार हुआ।
- **अरक्षित ऋणों की बढ़ती हिस्सेदारी:** SCB के कुल ऋण में अरक्षित ऋणों की हिस्सेदारी **मार्च 2023 में बढ़कर 25.5% हो गई**, जो मार्च 2024 में नगण्य गिरावट के साथ 25.3% हो गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसकी प्रतिक्रिया में RBI ने नवंबर 2024 में कड़े मानदंड प्रस्तुत करने के साथ **जोखिम भार बढ़ाया** और **जोखिम सीमा** (किसी उधारकर्त्ता या समूह को अधिकतम उधार) निर्धारित की।
- RBI ने **टॉप-अप ऋणों** (जिन्हें प्रायः न्यूनतम जाँच-पड़ताल एवं दिशा-निर्देशों के प्रति कमज़ोर अनुपालन के साथ स्वीकृत किया जाता है) **पर भी चिंता** व्यक्त की।
  - वर्ष 2023 में RBI ने **मूल्यह्रास वाली चल संपत्तियों के आधार पर आवंटित टॉप-अप ऋणों को** असुरक्षित ऋण के रूप में संदर्भित किया जाना अनिवार्य कर दिया।

- **डार्क पैटर्न का उदय:** इस रिपोर्ट में **डार्क पैटर्न पर चिंता** व्यक्त की गई। **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)** ने ऐसी प्रथाओं को विनियमित करने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं तथा RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं (RE) के बीच डार्क पैटर्न की व्यापकता का मूल्यांकन किया जा रहा है।
- कर्मचारियों का अधिक पलायन: कर्मचारी पलायन (संगठन छोड़ने वाले कर्मचारी) की दर पिछले तीन वर्षों में 25% तक बढ़ गई है जिससे सेवा में व्यवधान, संस्थागत ज्ञान की हानि एवं उच्च भर्ती लागत जैसे परिचालन जोखिमों के संबंध में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **स्लिपेज अनुपात:** वर्ष 2023-24 में स्लिपेज अनुपात में सुधार हुआ है। लगातार तीसरे वर्ष, **निजी क्षेत्र के बैंकों (PVB) में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB)** की तुलना में स्लिपेज अनुपात अधिक रहा है, क्योंकि PVB के NPA में काफी वृद्धि हुई है।
- **RBI की सिफारिशें:**
  - RBI ने बैंकों को कर्मचारियों की संख्या में कमी को कम करने के लिये बेहतर ऑनबोर्डिंग, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ एवं सहायक कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने जैसी रणनीतियाँ अपनाने की सिफारिश की।
  - RBI ने बैंकों से ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं एवं विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह (विशेष रूप से असुरक्षित ऋणों के संबंध में बढ़ते जोखिमों के मद्देनजर) किया है।

प्रमुख शब्दावली

- **परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (RoA):** इसका आशय किसी व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियों के सापेक्ष लाभप्रदता से है।
- **इक्विटी पर रिटर्न (RoE):** इसका आशय कुल शेयरधारकों की इक्विटी के सापेक्ष किसी कंपनी के वार्षिक रिटर्न (शुद्ध आय) का मापन है।
  - **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR): यह बैंक की घाटे को अवशोषित करने** एवं स्थिरता सुनिश्चित करने, जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा करने एवं वित्तीय प्रणाली दक्षता को बढ़ावा देने की **क्षमता** का मापन है।
  - **स्लिपेज अनुपात:** यह वर्ष के आरंभ में मानक अग्रिमों के हिस्से के रूप में NPA में नई वृद्धि का मापन है।
- **डार्क पैटर्न:** डार्क पैटर्न अनैतिक **उपयोगकर्त्ता इंटरफेस (UI)/उपयोगकर्त्ता अनुभव (UX)** युक्तियाँ हैं, जिसके तहत उपयोगकर्त्ताओं को धोखा देकर उन्हें ऐसे कार्य हेतु प्रेरित किया जाता है जिन्हें वे नहीं करना चाहते हैं, जिससे कंपनी को लाभ होता है।
- इन प्रथाओं से उपयोगकर्त्ता नियंत्रण एवं पारदर्शिता सीमित होती हैं जैसे- छिपी हुई लागतें, जटिल रद्दीकरण विकल्प, भ्रामक विज्ञापन या निशुल्क परीक्षण के बाद स्वतः शुल्क लेना।
- **उदाहरण:** छद्म विज्ञापन और लेन-देन हेतु अकाउंट ओपनिंग का दबाव।

भारत की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते असुरक्षित ऋणों का क्या प्रभाव है?

- **उच्च डिफॉल्ट दर और वित्तीय दबाव:** जैसे-जैसे अधिक असुरक्षित ऋण जारी किये जाते हैं, **डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ता है,** जिससे **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में वृद्धि** होती है और बैंकों तथा NBFC पर वित्तीय दबाव बढ़ता है।
- **मुद्रास्फीति दबाव:** बढ़ते डिफॉल्ट और उच्च ब्याज दरों के कारण प्रयोज्य आय कम हो जाती है, विवेकाधीन व्यय पर अंकुश लगता है, **मुद्रास्फीति** बढ़ती है तथा आर्थिक विकास धीमा हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उपभोक्ताओं पर प्रभाव:** उपभोक्ताओं के लिये, असुरक्षित ऋण की उपलब्धता ऋण तक आसान पहुँच प्रदान कर सकती है।
  - हालाँकि इससे तात्पर्य **उच्च ब्याज दरें** और संभावित **ऋण जाल** भी है यदि इसे ज़िम्मेदारी से प्रबंधित नहीं किया गया।
- **ग्रामीण और शहरी प्रभाव:** उच्च लागत वाले ऋणों में वृद्धि के कारण ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उपभोक्ता विश्वास में कमी आ रही है।

आगे की राह

- **ऋण प्रथाओं को मज़बूत बनाना:** उधारकर्त्ता जोखिम का आकलन करने और विफलता को कम करने के लिये प्रौद्योगिकी तथा **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** का उपयोग करके ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मज़बूत बनाना।
- **उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना: वित्तीय साक्षरता,** ऋण उत्पादों में पारदर्शिता और ऋण देने में डार्क पैटर्न के सख्त विनियमन पर ध्यान केंद्रित करना।
- **मुद्रास्फीति के दबावों का प्रबंधन करना:** मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और प्रयोज्य आय की रक्षा करने के लिये आर्थिक विकास के साथ ब्याज दरों को संतुलित करना।
- **परिसंपत्ति गुणवत्ता को मज़बूत करना:** ऋण पोर्टफोलियो की सक्रिय निगरानी करना, मज़बूत पूंजी बफर बनाना और जोखिम को कम करने के लिये दबाव परीक्षण करना।
- **विनियामक निरीक्षण में सुधार:** वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिये विवेकपूर्ण ऋण प्रथाओं और नियमित लेखा-परीक्षणों का कठोर प्रवर्तन सुनिश्चित करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और व्यापक अर्थव्यवस्था पर बढ़ते असुरक्षित ऋणों के प्रभाव पर चर्चा कीजिये। भारतीय रिज़र्व बैंक इन उभरते जोखिमों का समाधान कैसे कर सकता है?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

पेरिस समझौते के नौ वर्ष

चर्चा में क्यों ?

12 दिसंबर, 2015 को अंगीकृत **पेरिस समझौते** के **नौ वर्ष** पूर्ण होने के साथ इसकी संवीक्षा की जा रही है।

- वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, हालिया रुझान **जलवायु परिवर्तन** का शमन करने में इसकी **प्रभावहीनता** को उजागर करते हैं। पिछले नौ वर्षों में, वैश्विक उत्सर्जन में 8% की वृद्धि हुई है और अनुमानत: वर्ष 2024 में पहली बार यह **पूर्व-औद्योगिक स्तरों** से ऊपर 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से अधिक हो जाएगा।

पेरिस समझौता क्या है ?

- **परिचय:**
  - यह **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत विधिक रूप से बाध्यकारी** वैश्विक समझौता है जिसका अंगीकार वर्ष 2015 (COP 21) में किया गया था।
  - इसका उद्देश्य तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की महत्त्वाकांक्षा के साथ **जलवायु परिवर्तन का शमन करना** और वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखना है।
  - इसने **क्योटो प्रोटोकॉल** का स्थान लिया जो जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु एक पूर्व समझौता था।
  - पेरिस समझौते के अंतर्गत, प्रत्येक देश को हर पाँच वर्ष में अपने **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** प्रस्तुत करना और उसे अद्यतन करना होता है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की उनकी योजनाओं की रूपरेखा होती है।
    - NDC, देशों द्वारा अपने **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने** तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल कार्य करने हेतु की गई प्रतिज्ञाएँ हैं।
- **उपलब्धियाँ:**
  - **वैश्विक सहमति और समावेशिता:** ऐसा प्रथमत: है जब, लगभग सभी राष्ट्र, **विकसित**, विकासशील और अल्प विकसित, एक सार्वभौमिक ढाँचे के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रतिबद्ध हैं, जहाँ सभी देश **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** के माध्यम से योगदान करते हैं, जिससे वैश्विक भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
  - **विकासशील देशों के लिये वित्तीय सहायता: विकसित देशों ने विकासशील देशों को शमन और अनुकूलन** में सहायता देने के लिये 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का संकल्प लिया है, जिसमें कमज़ोर देशों के लिये सतत् विकास को सक्षम बनाने के लिये वर्ष 2020 के बाद वित्तीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है।
  - **समानता और विभेदित ज़िम्मेदारियाँ: राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर प्रतिबद्धताओं को संतुलित करने के लिये "साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियाँ (CBDR)"** के UNFCCC सिद्धांत को शामिल किया गया, जिससे विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिये निष्पक्षता सुनिश्चित हुई।
- **आलोचना:** विश्व **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** की वर्ष 2022 की **स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट** रिपोर्ट के अनुसार **जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता** अपने एजेंडे को पूरा करने में अप्रभावी रहा है।
  - समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, पिछले आठ वर्ष (2015-2022) लगातार वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष रहे हैं।
    - **यदि पिछले तीन वर्षों में ला नीना मौसम घटना** नहीं घटी होती, तो स्थिति और भी संकटपूर्ण हो सकती थी, जिसका मौसम प्रणाली पर शीतलन प्रभाव पड़ता है।
  - वर्तमान **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)** प्रतिबद्धताएँ वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सीमित करने के लिये अपर्याप्त हैं, जिसमें 2.5-2.9 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है तथा लक्ष्यों एवं वास्तविक कार्यान्वयन के बीच अंतर के कारण वर्ष **2030 तक उत्सर्जन और भी अधिक हो सकता है।**

- विश्व **मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की रिपोर्ट में** इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2015 का पेरिस समझौता पर्याप्त नहीं है तथा इसके पूरक के रूप में जीवाश्म ईंधन संधि की आवश्यकता है।
- यद्यपि कई देशों में एनडीसी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ लागू हैं, फिर भी उनकी पर्याप्तता एवं कार्यान्वयन प्रभावशीलता अलग-अलग हैं।
  - उदाहरण के लिये, जबकि यूरोपीय संघ के एनडीसी **यूरोपीय ग्रीन डील की तरह सुदृढ़ लक्ष्य और कार्यान्वयन को दर्शाते हैं**, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश कोयले पर निर्भरता तथा सीमित संसाधनों के कारण **प्रभावी कार्यान्वयन के लिये संघर्ष करते हैं।**

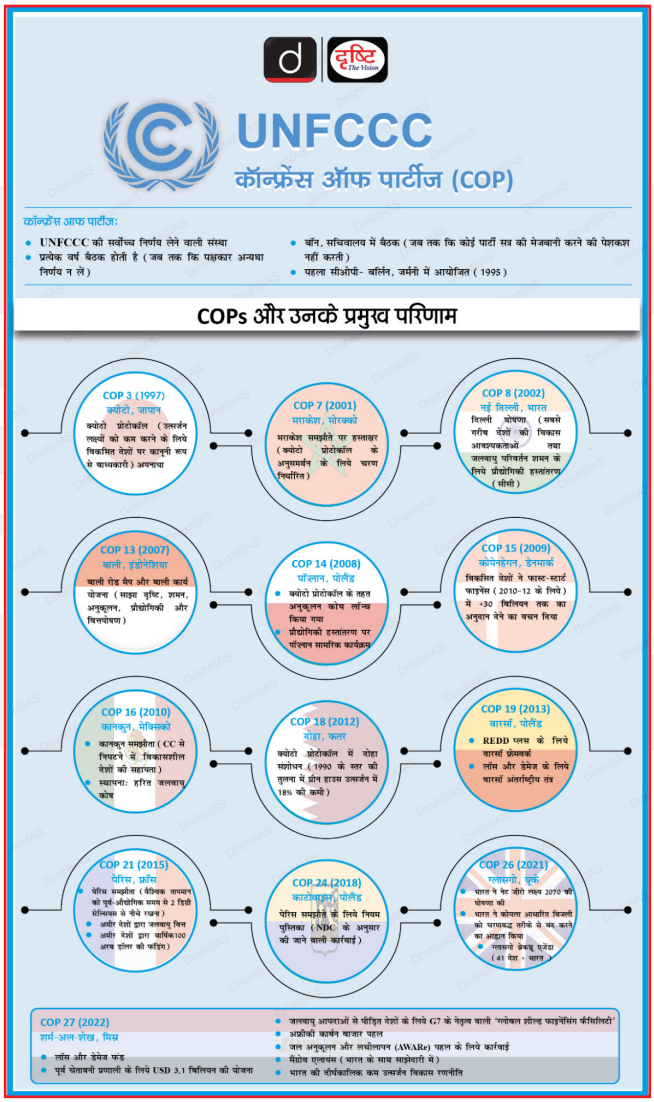

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

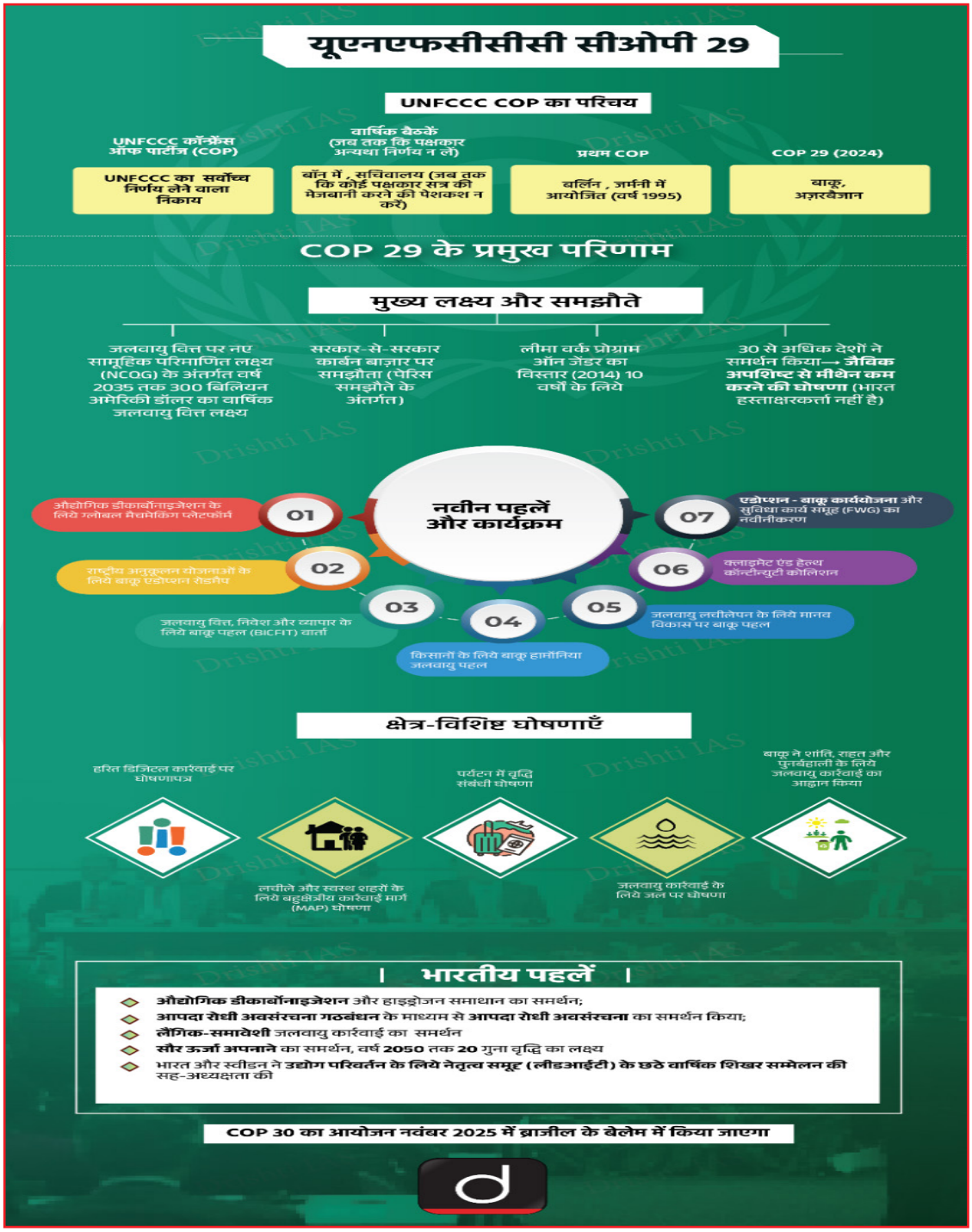

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

पेरिस समझौते पर विकसित, विकासशील और अल्पविकसित देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण क्या हैं ?

पहलू	विकसित देश	विकासशील देश	अल्प-विकसित देश (LDCs)
एनडीसी के प्रति दृष्टिकोण	लचीलेपन के लिये स्वैच्छिक एनडीसी का पक्ष लें।	स्वैच्छिक एनडीसी की अपर्याप्त एवं असमान बताते हुए आलोचना करना।	मज़बूत वैश्विक कार्रवाई के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की मांग करना।
जलवायु वित्त	कम औद्योगिकीकृत देशों पर अधिक ज़िम्मेदारी डालने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।	विकसित देशों से पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय सहायता का समर्थन करना।	वादा किये गए वित्तपोषण में विलंब और अपर्याप्तता से निराशा, विशेष रूप से अनुकूलन और हानि एवं क्षति के लिये।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	सीमित, बाज़ार-आधारित प्रौद्योगिकी साझाकरण का समर्थन करना।	हरित अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिये सुलभ एवं किफायती प्रौद्योगिकी की मांग करना।	महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुँच की कमी पर प्रकाश डालना, जिससे उनकी भेद्यता वृद्धि होती है।
ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी	ऐतिहासिक उत्सर्जन जवाबदेही से आगे बढ़ने का प्रयास करना।	विकसित देशों को जवाबदेह ठहराने के लिये "साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों" (CBDR) के सिद्धांत पर परिचर्चा करना।	वैश्विक कार्रवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये ऐतिहासिक उत्सर्जन को संबोधित करने के महत्त्व पर ज़ोर देना।
अनुकूलन हेतु आवश्यकताएँ	अनुकूलन की अपेक्षा शमन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना।	वर्तमान और भविष्य के जलवायु प्रभावों से निपटने के लिये शमन एवं अनुकूलन दोनों पर ज़ोर देना।	गंभीर कमज़ोरियों, विशेषकर समुद्र-स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाओं के कारण अनुकूलन को प्राथमिकता देना।
लॉस एंड डैमेज	मुआवज़ा या क्षतिपूर्ति देने में अनिच्छा प्रदर्शित करना।	हानि और क्षति से निपटने के लिये मज़बूत तंत्र की स्थापना का समर्थन करना।	उनके अस्तित्व को संकट में डालने वाले अपरिवर्तनीय जलवायु प्रभावों के लिये तत्काल कार्रवाई और क्षतिपूर्ति की मांग करना।

पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने के लिये क्या किया जा सकता है ?

- **एनडीसी को सुदृढ़ और लागू करना:** एनडीसी को **तापमान लक्ष्यों** के साथ संरेखित करने के लिये समय-समय पर समीक्षा के साथ **कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना**, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि विकसित देश अपने ऐतिहासिक उत्सर्जन एवं वित्तीय क्षमता को दर्शाते हुए **उच्च शमन लक्ष्य को अपनाएँ।**
- **जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना:** जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये एक **बाध्यकारी वैश्विक ढाँचा स्थापित करना, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिये विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना** तथा नवीकरणीय ऊर्जा निवेशों को प्राथमिकता देने के लिये जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करना।
- **जलवायु वित्त को बढ़ावा देना:** विकसित देशों को वर्ष **2035 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य को पार करना होगा, कमज़ोर देशों के लिये** अनुकूलन और **लॉस एंड डैमेज** वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना होगा तथा कार्बन कर एवं विमानन कर जैसे नवीन तंत्रों को लागू करना होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत की जलवायु परिच्छेदिका/प्रोफाइल

क्षेत्रवार योगदान

- **प्रमुख उत्सर्जक क्षेत्र:** ऊर्जा, परिवहन, निर्माण

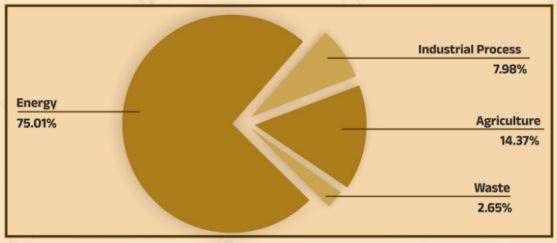

- **प्रमुख जलवायु जोखिम:** बाढ़, सूखा, हीटवेव, कोल्डवेव और चक्रवात
- **कमज़ोर क्षेत्र:** कृषि और खाद्य, जल, तटीय, स्वास्थ्य, वन और अन्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रमुख पहल

- **राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचा**
  - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
  - जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC)
- **भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (वर्ष 2022)**
  - 'जीवन' के लिये जन आंदोलन - 'पर्यावरण के लिये जीवन शैली'
  - आर्थिक विकास हेतु जलवायु-अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना
  - वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य
  - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता
  - 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 का अतिरिक्त कार्बन सिंक
  - विशिष्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से अपनाना
  - घरेलू और नई एवं अतिरिक्त निधियाँ एकत्रित करना
  - क्षमताओं का निर्माण करना, घरेलू ढाँचा और अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना
- **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता - UNFCCC (1994) कन्वेंशन और समझौते**
  - पेरिस समझौता (2015)
  - क्योटो प्रोटोकॉल (2005)

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग

द्विपक्षीय परियोजनाएँ

- **ड्यूश गेसेलशाफ्टफ्यूर इंटरनेशनेल ज़ुसामेनरबीट (GIZ) GmbH (जर्मनी)**
  - ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन और वित्त (CAFRI) (वर्ष 2020-2023)
  - राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त शमन कार्रवाई (NAMAs) (वर्ष 2007)
  - ग्लोबल कार्बन मार्केट (GCM) (वर्ष 1997)
  - जलवायु परिवर्तन अध्ययन और कार्रवाई पर क्षमताओं का संस्थागतकरण (ICCC)
- **यूरोपीय संघ (EU)**
  - पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये रणनीतिक साझेदारी (SPIPA) (वर्ष 2018-2022)
  - इको-सिटीज़ के लिये स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ और ऊर्जा दक्षता

बहुपक्षीय परियोजनाएँ

- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (वर्ष 2019)**
- **अनुकूलन पर वैश्विक आयोग (GCA) (2018)**
- **UNDP:** राज्य-स्तरीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बाज़ार परिवर्तन और बाधाओं को दूर करना

Drishti IAS

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना: किफायती प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की** सुविधा प्रदान करना, **प्रशिक्षण और अनुसंधान** के माध्यम से तकनीकी क्षमता का निर्माण करना तथा टिकाऊ नवाचार एवं परिनियोजन के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अनुकूलन और जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति विकसित करना, **लचीले बुनियादी ढाँचे में निवेश करना** तथा जलवायु-प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
- **न्यायसंगत कार्यान्वयन और जवाबदेहिता: सीबीडीआर को बहाल करके** समानता को बनाए रखना , एनडीसी और वित्त के लिये पारदर्शी **जवाबदेहिता** स्थापित करना तथा गैर-अनुपालन के लिये दंड के साथ अनुपालन के लिये प्रोत्साहन को लागू करना।
- **वैश्विक सहयोग में वृद्धि:** बाकू में COP29 के हालिया घटनाक्रमों के मद्देनजर, **एकीकृत वैश्विक कार्रवाई को** सुविधाजनक बनाने के लिये **बहुपक्षीय संस्थाओं को मज़बूत करने** और गैर-अनुपालन के लिये जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाले मज़बूत विधिक ढाँचे की स्थापना की आवश्यकता है।

पूर्वी समुद्री गलियारा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चेन्नई और व्लादिवोस्तोक (रूस) के मध्य हाल ही में खोले गए **पूर्वी समुद्री गलियारे** से शिपिंग/परिवहन समय और लागत में कमी से भारत-रूस व्यापार में वृद्धि हुई है।

- यह गलियारा कच्चे तेल, कोयला, उर्वरक और धातु जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि **भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक** बन गया है।
- इस गलियारे से द्विपक्षीय व्यापार की गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आने तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

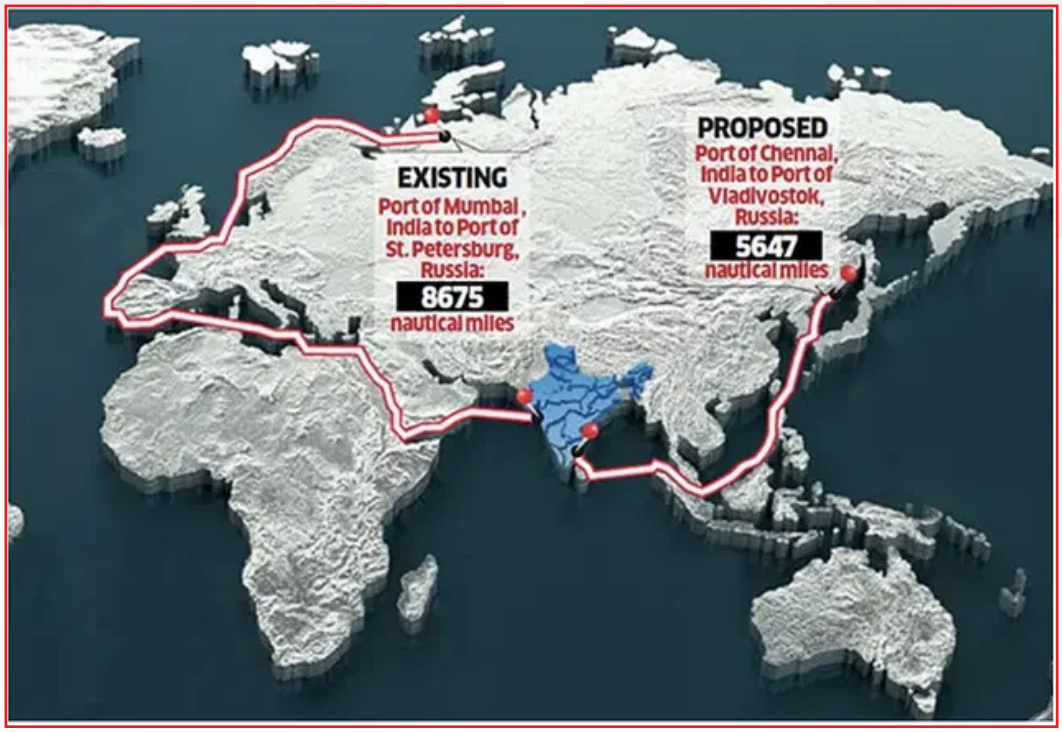

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

पूर्वी समुद्री गलियारा (ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर-EMC) क्या है ?

- **परिचय:**
  - **चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा (EMC)** भारत के पूर्वी तट (चेन्नई बंदरगाह) को रूस के सुदूर-पूर्वी क्षेत्र (व्लादिवोस्तोक बंदरगाह) के बंदरगाहों से जोड़ने वाला एक समुद्री गलियारा है।
  - यह **जापान सागर, दक्षिण चीन सागर** और **मलक्का जलडमरूमध्य** से होकर गुज़रता है।
- **महत्त्व:**
  - EMC से शिपिंग दूरी 8,675 समुद्री मील (**यूरोप-सेंट पीटर्सबर्ग-मुंबई मार्ग के माध्यम से**) से घटकर **5,600 समुद्री मील** हो गई है, जिससे परिवहन समय 40 दिनों से घटकर केवल **24 दिन** रह गया है।
  - यह भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत जुलाई, 2024 में चीन को पीछे छोड़कर रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है।
- **रसद लागत में कमी:**
  - **भारत अपनी कच्चे तेल की खपत का लगभग 85% आयात करता है।**
- **व्यापार का विविधीकरण:**
  - यह गलियारा न केवल कच्चे तेल के शिपमेंट को सुगम बनाता है, बल्कि **कोयला, LNG, उर्वरक** और अन्य वस्तुओं के शिपमेंट को भी सुगम बनाता है, **जिससे देशों के मध्य व्यापारिक संबंध व्यापक** होते हैं।
- **भारत के समुद्री क्षेत्र में वृद्धि:**
  - यह गलियारा **भारत के समुद्री क्षेत्र को सहयोग प्रदान** करता है, जो देश के लगभग **95% (मात्रा के अनुसार)** और **70% (मूल्य के अनुसार) व्यापार तथा इसके विकास एवं दक्षता** में योगदान देता है।
  - यह गलियारा **भारत का समुद्री विज़न, 2030** के अनुरूप है, जिसमें समुद्री क्षेत्र में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 150 से अधिक पहल शामिल हैं।
- **सामरिक महत्त्व:**
  - व्लादिवोस्तोक **प्रशांत महासागर** में स्थित सबसे बड़ा रूसी बंदरगाह है और यह गलियारा **दक्षिण चीन सागर** से होकर गुज़रता है तथा इस क्षेत्र में **चीन के प्रभुत्व को संबोधित करते** हुए भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मज़बूत करता है।
  - चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारा अन्य पहलों, जैसे **उत्तरी समुद्री मार्ग** और **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)** के साथ संरेखित है।
- **भारत की 'एक्ट फार ईस्ट नीति' को आगे बढ़ाना:**
  - इसके अतिरिक्त, इससे पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और व्यापार साझेदारी के अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे भारत एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित होगा।
  - **EMC रूसी संसाधनों तक भारत की पहुँच** को बढ़ाएगा तथा प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों में इसकी स्थिति को मज़बूत करेगा।
  - क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाकर, यह **पूर्वी एशिया, आसियान और रूस के साथ व्यापार को बढ़ावा** देता है, बहुविध परिवहन को सुविधाजनक बनाता है तथा बुनियादी ढाँचे के विकास को समर्थन प्रदान करता है।

भारत के लिये अन्य कौन-से समुद्री गलियारे महत्त्वपूर्ण हैं ?

- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):**
  - INSTC **7,200 किलोमीटर लंबा बहुविध पारगमन मार्ग है, जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को** ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से और आगे **रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप से** जोड़ता है।
- **इसकी शुरूआत वर्ष 2000 में भारत, ईरान और रूस** के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से हुई थी, इसमें **13 सदस्य देशों को** शामिल किया गया है।
  - यह **भारत, ईरान, अज़रबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप** के बीच **जहाज़, रेल और सड़क मार्गों को जोड़ता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इस गलियारे के 3 मार्ग हैं: केंद्रीय गलियारा (भारत से ईरान होते हुए रूस), पश्चिमी गलियारा (अज़रबैजान-ईरान-भारत) और पूर्वी गलियारा (रूस से मध्य एशिया होते हुए भारत)।

- जून 2024 में रूस ने पहली बार INSTC के माध्यम से **भारत को कोयला ले जाने वाली दो ट्रेनें** भेजीं।

- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) परियोजना:**
  - IMEC **परियोजना की घोषणा G20 शिखर सम्मेलन (2023)** में की गई थी, IMEC का उद्देश्य **भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को रेलवे, सड़क एवं जहाज़-से-रेल लिंक** के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है।
  - इसमें दो गलियारे शामिल हैं: पूर्वी गलियारा, जो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है तथा उत्तरी गलियारा, जो खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है।
  - इस परियोजना में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगी, जिससे एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

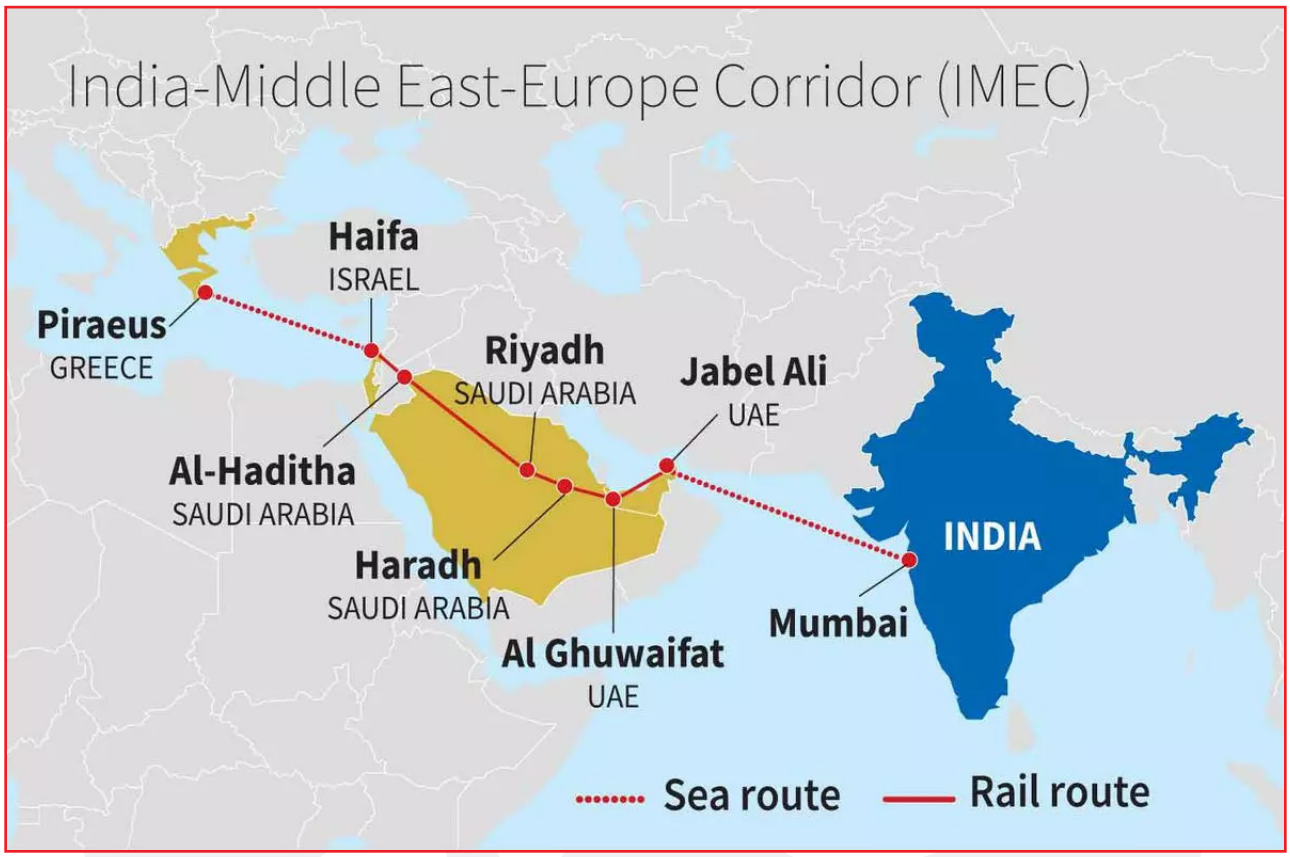

- **उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR):**
  - NSR **5,600 किमी. लंबा आर्कटिक शिपिंग मार्ग है, जो बेरिंट और कारा सागर को बेरिंग जलडमरूमध्य से** जोड़ता है।
  - यह स्वेज़ नहर जैसे **पारंपरिक मार्गों की तुलना में 50% कम पारगमन समय प्रदान करता है, जो वर्ष 2021 के स्वेज़ नहर ब्लॉकेज** के बाद इसने ध्यान आकर्षित किया।
    - यह एक ऐसा क्षेत्र बन गया है, जहाँ दोनों देश **आर्कटिक शिपिंग और पोलर नेविगेशन से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, जो पश्चिमी यूरेशिया तथा एशिया-प्रशांत के बीच** एक रणनीतिक शिपिंग मार्ग प्रदान करता है।
  - **भारत की दिलचस्पी NSR में इसलिये है** क्योंकि **रूसी कच्चे तेल** और कोयले का आयात बढ़ रहा है। **NSR क्षेत्र में रूस-चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।**

भारत-रूस संबंधों के प्रमुख पहलू क्या हैं ?

- **सामरिक साझेदारी:** भारत और रूस ने वर्ष 2000 में अपनी सामरिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया, जिसे वर्ष 2010 में **विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी में उन्नत किया गया।**
- इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हासिल करना है तथा वर्ष 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **द्विपक्षीय व्यापार और निवेश:** वित्त वर्ष 2023-24 में भारत-रूस व्यापार 65.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। रूस से प्रमुख आयात और निर्यात (वित्त वर्ष 2024):
  - **मूल्य के अनुसार:**
    - **आयात:** कच्चा तेल, परियोजना माल, कोयला, कोक, वनस्पति तेल और उर्वरक।
    - **निर्यात:** प्रसंस्कृत खनिज, लोहा और इस्पात, चाय, समुद्री उत्पाद और कॉफी।
  - **मात्रा के अनुसार:**
    - **आयात:** कच्चा पेट्रोलियम, कोयला, उर्वरक, वनस्पति तेल तथा लोहा एवं इस्पात।
    - **निर्यात:** प्रसंस्कृत खनिज, लोहा और इस्पात, चाय, ग्रेनाइट तथा प्रसंस्कृत फल और जूस।
  - वर्ष 2018 में द्विपक्षीय निवेश 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जिसे वर्ष 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का संशोधित लक्ष्य रखा गया है।
- **वंदे भारत स्लीपर के लिये भारत-रूस संयुक्त उद्यम:** भारत-रूस संयुक्त उद्यम किनेट ने 1,920 वंदे भारत स्लीपर कोचों के निर्माण के लिये लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री का अधिग्रहण कर लिया है।
- **ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग:** रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दोनों देश तेल एवं गैस क्षेत्रों में व्यापक रूप से सहयोग करते हैं।
  - रूस के राज्य स्वामित्व ऊर्जा कंपनियों ने भारत के ऊर्जा बुनियादी ढाँचे में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है, जबकि भारतीय कंपनियाँ रूस में तेल अन्वेषण परियोजनाओं में शामिल हैं।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** भारत और रूस का IRIGC-M&MTC तंत्र द्वारा विनियमित दीर्घकालिक रक्षा सहयोग रहा है, जिसमें इंद्र तथा वोस्तोक 2022 जैसे नियमित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास शामिल हैं।
  - दोनों देशों के प्रमुख रक्षा परियोजनाओं में S-400 प्रणाली, MiG-29, कामोव हेलीकॉप्टर, INS विक्रमादित्य, Ak-203 राइफलों और ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रदाय एवं T-90 टैंक व Su-30 MKI का अनुज्ञापित उत्पादन शामिल है।
  - यह सहयोग क्रेता-विक्रेता मॉडल से शुरू होकर उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान, विकास एवं उत्पादन में परिणत हुआ है।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** इसमें अंतरिक्ष (गगनयान), नैनो प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।
  - दोनों देशों ने संयुक्त रूप से कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का विकास किया। यह साझेदारी नवाचार के लिये वर्ष 2021 के रोडमैप द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करना और संयुक्त परियोजनाओं का समर्थन करना है।
- **भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग:**
  - भारत-रूस संबंध वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा में साझा हितों पर आधारित हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र तथा BRICS जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है।
  - एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रूस की बढ़ती सहभागिता विशेष रूप से चीन के समुद्री प्रभाव को संतुलित करने के संदर्भ में, भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **आर्थिक कूटनीति और कराधान समझौते:**
  - **भारत-रूस दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAA)**, जो वर्ष 1996 से प्रभावी है, **दोहरे कराधान को समाप्त करके** और **राजकोषीय अपवंचन** को रोककर **सीमा पार निवेश तथा व्यापार** को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

भारत के प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा

चर्चा में क्यों ?

भारत और कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की **खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी** तक बढ़ा दिया है। **यह वर्ष** 1981 में **इंदिरा गांधी की यात्रा** के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी यात्रा है।

- यह यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और व्यापक सहयोग के लिये नई प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा के मुख्य बिंदु क्या हैं ?

- **ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर:** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में उनके योगदान के लिये **कुवैत के सर्वोच्च सम्मान 'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर'** से सम्मानित किया गया।
- **सामरिक साझेदारी:** दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को **'रणनीतिक साझेदारी'** के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की तथा राजनीतिक, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया।
  - **रक्षा सहयोग:** संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, तटीय रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
  - **सांस्कृतिक और खेल सहयोग:** भारत और कुवैत ने **वर्ष 2025-2029** के लिये **सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम** (CEP) तथा **वर्ष 2025-2028 के लिये खेल के क्षेत्र में सहयोग पर कार्यकारी कार्यक्रम** पर हस्ताक्षर किये।
- **संयुक्त सहयोग आयोग (JCC):** द्विपक्षीय संबंधों की निगरानी के लिये **दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता में JCC** की स्थापना की गई।
  - **शिक्षा, व्यापार, निवेश, कृषि और आतंकवाद-निरोध** जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नए **संयुक्त कार्य समूह (JWG)** स्थापित किये गए।
- **प्रौद्योगिकी और उभरते क्षेत्र:** सेमीकंडक्टर, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-गवर्नेंस** और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सहयोग पर ज़ोर दिया गया।
- **ऊर्जा सहयोग:** दोनों पक्ष ऊर्जा क्षेत्र में **क्रेता-विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर व्यापक साझेदारी** की ओर बढ़ने पर सहमत हुए, जिसमें तेल, गैस, शोधन और **नवीकरणीय ऊर्जा** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** भारतीय पक्ष ने **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** का सदस्य बनने के कुवैत के फैसले का स्वागत किया।
  - भारत के प्रधानमंत्री ने **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की अध्यक्षता मिलने पर कुवैत को बधाई दी तथा भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौते** के महत्त्व पर बल दिया।
  - **दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) में सुधार** की आवश्यकता पर बल दिया।

'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर'

- यह सम्मान राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी देशों के शासकों और शाही परिवारों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है।
- **वर्ष 1974** में स्थापित यह पुरस्कार **मुबारक अल सबाह** को सम्मानित करता है, **जिन्हें मुबारक अल-कबीर** के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने वर्ष 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन किया था।
  - मुबारक अल सबाह ने कुवैत के भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उसे **ओटोमन साम्राज्य स्वायत्तता** दिलाई।
- ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर के पूर्व प्राप्तकर्त्ताओं में **महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन, सऊदी अरब के राजा सलमान और**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

पूर्व फ्राँसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी जैसे उल्लेखनीय व्यक्ति शामिल हैं।

भारत-कुवैत संबंध कैसे हैं ?

- **ऐतिहासिक संबंध:** भारत और कुवैत के बीच दीर्घकालिक संबंध हैं, जो **तेल के आगमन से पहले** के समय से चले आ रहे हैं, जब **समुद्री व्यापार** कुवैत की अर्थव्यवस्था की नींव था।
  - **भारतीय रुपया वर्ष 1961 तक कुवैत में वैध मुद्रा था,** जो उनके मज़बूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है।
  - ऐतिहासिक रूप से, कुवैत भारत के साथ **खजूर, मोती और अरबी घोड़ों** जैसी वस्तुओं का व्यापार करता था। हालाँकि, **तेल की खोज के बाद,** कुवैत की अर्थव्यवस्था बदल गई, अब **तेल राज्य की आय का लगभग 94% योगदान** देता है।
- **आर्थिक साझेदारी:** कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 में **10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था।
  - **कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्त्ता है, जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का 3%** पूरा करता है।
  - कुवैत को भारतीय निर्यात **पहली बार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** हो गया, जो बढ़ते व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है।
  - भारत में **कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 अरब अमेरिकी डॉलर** से अधिक है।
- **कुवैत में प्रवासी भारतीय:** लगभग 1 मिलियन की आबादी के साथ, भारतीय समुदाय **कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समूह** है।
  - यह समुदाय कुवैती अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, खुदरा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में।

पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति में कुवैत का क्या महत्त्व है ?

- **आर्थिक योगदान:** कुवैत में भारतीय प्रवासियों द्वारा प्रेषित धनराशि भारतीय अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का निवेश करती है, जो **आर्थिक स्थिरता और विकास** के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **आर्थिक सहयोग: कुवैत का विजन 2035,** जिसका उद्देश्य तेल से परे अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है, भारत के लिये नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग करने के अवसर प्रस्तुत करता है।
  - यह भारत के विकास लक्ष्यों, विशेषकर **विकसित भारत 2047** के अनुरूप है।
  - इसके अतिरिक्त, कुवैत से ऊर्जा सुरक्षा भारत के औद्योगिक **विकास और घरेलू जरूरतों** के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **भू-राजनीतिक प्रभाव:** मध्य पूर्व में कुवैत का स्थिति और GCC में इसकी भूमिका इसे क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख अभिकर्त्ता बनाती है।
  - कुवैत के साथ भारत के जुड़ाव से उसे पश्चिम एशिया में संतुलित और प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है।
- **श्रम और कौशल विकास: कुवैत के विजन 2035 के तहत कुशल कार्यबल की मांग,** कौशल विकास में भारत की ताकत के अनुरूप है, जिससे **अधिक भारतीय श्रमिकों को** स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में **कुवैत के विकास में योगदान करने का अवसर** मिलेगा।

खाड़ी सहयोग परिषद क्या है ?

- **परिचय: वर्ष 1981** में स्थापित GCC एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, जिसमें छह अरब राज्य शामिल हैं: **बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।**
  - GCC की स्थापना क्षेत्रीय तनावों, विशेष रूप से **ईरानी क्रांति (1979)** और **इराक-ईरान युद्ध (1980-1988)** के जवाब में की गई थी।
    - इसका उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र में एकता को बढ़ावा देना और साझा चुनौतियों का समाधान करना है।
- **संगठनात्मक संरचना: सर्वोच्च परिषद** GCC का **सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय** है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं।
  - **सर्वोच्च परिषद की अध्यक्षता** सदस्य देशों के वर्णमाला क्रम के आधार पर **प्रतिवर्ष बदलती** रहती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मुख्यालय:** रियाद, सऊदी अरब।
- **GCC के साथ भारत के संबंध:** GCC भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और निवेश साझेदार है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से महत्त्वपूर्ण निवेश प्राप्त है।
  - **संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** और **दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य** है।
    - वित्त वर्ष 2023-24 में भारत-GCC द्विपक्षीय व्यापार **161.59 बिलियन अमरीकी डॉलर** रहा। भारत का निर्यात 56.3 बिलियन अमरीकी डॉलर और भारत का आयात 105.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
    - GCC तेल सहित भारत के निर्यात के लिये एक प्रमुख बाज़ार बना हुआ है, तथा वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय कार्यबल मौजूद है।
  - **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) में लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी धन प्रेषण में महत्त्वपूर्ण योगदान** देते हैं, जो हाल में आई गिरावट के बावजूद भारत के लिये **आय का प्रमुख स्रोत** बना हुआ है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **श्रीलंका के नए राष्ट्रपति व्यापार, ऊर्जा और समुद्री सहयोग** बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पहली भारत यात्रा पर थे।

- भारतीय नेताओं के साथ चर्चा में **तमिल आकांक्षाओं, आर्थिक सुधार** और **चीनी प्रभाव** का मुकाबला करने पर ज़ोर दिया गया, तथा **भारत की पड़ोसी पहले नीति** और **सागर विजन** को मज़बूत किया गया।

हालिया दौरे के परिणाम क्या हैं ?

- **आर्थिक और व्यापार समझौते:** राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रस्तावित **आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौतों (ETCA)** पर भी चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य व्यापार संबंधों में सेवाओं और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना है।
  - भारत ने **भारतीय रुपया (INR)-श्रीलंकाई रुपया (LKR) व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने** तथा **1,500 श्रीलंकाई सिविल सेवकों के प्रशिक्षण** सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।
- **ऊर्जा साझेदारी:** भारत ने श्रीलंका की तत्काल ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उसे **LNG की आपूर्ति करने** पर सहमति व्यक्त की, जबकि दोनों देशों ने क्षेत्रीय **ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिये संयुक्त अरब अमीरात** के साथ ऊर्जा पाइपलाइन की घोषणा की।
  - **त्रिंकोमाली** को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ-साथ अपतटीय पवन ऊर्जा और ग्रिड इंटरकनेक्शन जैसी **नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं** को प्राथमिकता दी गई।
- **बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी:** भारत की **"पड़ोसी पहले" नीति** के तहत **नौका सेवाओं** की बहाली और **कांकेसंथुराई बंदरगाह, आवास और डिजिटल बुनियादी ढाँचे** का निरंतर विकास।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग:** दोनों देश **सुरक्षा सहयोग,** विशेषकर समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- **वित्तीय सहायता:** खाद्य, ईंधन और दवाओं के लिये 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहित भारत की वित्तीय सहायता, संकट के दौरान श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्त्वपूर्ण थी।
- **वैश्विक मंचों पर द्विपक्षीय सहयोग:** श्रीलंका ने **ब्रिक्स समूह** में शामिल होने के अपने प्रयास में तथा **महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग** से संबंधित मामलों में भारत से समर्थन मांगा।

भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग के क्षेत्र क्या हैं ?

- **आर्थिक सहयोग: भारत SAARC** में श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में **5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।**
  - भारत आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करता है जबकि श्रीलंका को **भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते** से लाभ मिलता है।
- **विकास सहायता: भारत ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS)** के अंतर्गत **ऋण सहायता (LOC)** के माध्यम से श्रीलंका को विकास सहायता प्रदान की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वर्ष 2023 तक, श्रीलंका को **रेलवे, अस्पताल, बुनियादी ढाँचे** और **विद्युत संचरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहायता हेतु 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक** की **ऋण सहायता (LOC) प्रदान की गई।**
- **जाफना सांस्कृतिक केंद्र** और **सुवा सेरिया एम्बुलेंस सेवाओं** जैसी परियोजनाओं सहित भारत की **ऋण सहायताओं** से श्रीलंका का **सामाजिक-आर्थिक ढाँचा सुदृढ़ होता है** तथा बुनियादी ढाँचे एवं आजीविका में सुधार होता है।

- **ऊर्जा सहयोग: जाफना में हाइब्रिड प्रणालियों** सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं , क्षेत्र में **ऊर्जा सुरक्षा** के लिये भारत के प्रयासों को प्रतिबिंबित करती हैं ।
- **रक्षा एवं सुरक्षा:** रक्षा संबंधों में संयुक्त **सैन्य अभ्यास** (**मित्र शक्ति**) और **नौसैनिक अभ्यास** (**SLINEX**) शामिल हैं।
  - **समुद्री बचाव समन्वय केंद्र** की स्थापना श्रीलंका की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत ने **श्रीलंका के आतंकवाद-रोधी** और पर्यावरण **आपदा प्रबंधन** प्रयासों का समर्थन किया है।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान:** दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को छात्रवृत्ति कार्यक्रमों, बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार और शासन एवं शिक्षा में भारतीय प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान के माध्यम से मज़बूत किया गया है।
- **समुद्री सहयोग:** हिंद महासागर में स्थायी संसाधन प्रबंधन और **अवैध मत्स्य संग्रहण के बारे में साझा चिंताओं** से सहयोग को बढ़ावा मिला है।
  - **संयुक्त गश्त** और **सतत् मत्स्य संग्रहण पहल** समुद्री जैवविविधता और आजीविका की रक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत और श्रीलंका में सहयोग के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं?

- **मत्स्य संग्रहण संबंधी विवाद:** श्रीलंकाई जलक्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में भारतीय मछुआरों द्वारा मत्स्य संग्रहण के उपयोग से तनाव बढ़ गया है, जिसके कारण गिरफ्तारियाँ, दंड तथा द्विपक्षीय कूटनीति और तटीय समुदायों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

- **कच्चातीवु द्वीप विवाद: कच्चातीवु द्वीप** का स्वामित्व और उपयोग अभी भी विवादास्पद है, तथा भारतीयों को वहाँ मत्स्य संग्रहण और यात्रा करने का अधिकार देने वाले समझौतों के कार्यान्वयन पर असहमति के कारण द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं।
- **राजनीतिक और जातीय मुद्दे:** कुछ राजनीतिक समूहों ने श्रीलंका में तमिल लोगों को भारत की सहायता का विरोध किया है।
  - तमिल बहुल क्षेत्रों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिये **13वें संशोधन** को लागू करने में देरी एक लंबे समय से चली आ रही शिकायत रही है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत के सामरिक हितों को चुनौती मिल रही है, खासतौर पर **हंबनटोटा बंदरगाह** जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में। चीन द्वारा समर्थित परियोजनाओं को भारत क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये खतरा मानता है।
- **समुद्री सीमा मुद्दे:** दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं, **अफानासी निकितिन सीमाउंट** पर संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल में अतिव्यापी दावों को उजागर करता है तथा कूटनीतिक तनाव उत्पन्न कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आगे की राह:

- **संवाद बढ़ाना:** मत्स्य संग्रहण के अधिकार, तमिल सुलह और समुद्री विवाद जैसे प्रमुख मुद्दों के समाधान हेतु राजनयिक संबंधों को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **बिम्सटेक** जैसे द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से नियमित वार्ता समाधान के लिये एक मंच प्रदान कर सकती है।
- **आर्थिक एकीकरण:** व्यापार समझौतों और बुनियादी ढाँचों के संबंधों, जैसे नौका सेवाओं और पाइपलाइन परियोजनाओं का विस्तार करने से आर्थिक अंतरनिर्भरता को में वृद्धि होगी।
  - प्रस्तावित **समुद्री ऊर्जा केबल जैसी सहयोगात्मक पहल** साझा लाभ को बढ़ा सकती है।
- **मत्स्य प्रबंधन: संयुक्त पहल, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और मछुआरों** के लिये **वैकल्पिक आजीविका** के माध्यम से **सतत् मत्स्य संग्रहण की प्रथाओं को बढ़ावा देने** से संघर्ष का समाधान हो सकता है तथा **समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र** का भी संरक्षण होगा।
  - विवादों को सुलझाने के अलावा, सहकारी परियोजनाओं, क्षमता निर्माण पहलों और मछुआरों के लिये आय के वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से सतत् मत्स्य संग्रहण के तरीकों को बढ़ावा देने से समुद्री आवासों को बचाया जा सकेगा।
- **विकास संबंधी सहायता का लाभ उठाना: भारत को नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और डिजिटल शासन** पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक प्रमुख **विकास भागीदार** के रूप में अपनी भूमिका जारी रखनी चाहिये।
  - **ग्रीन डेब्ट स्वैप आर्थिक सुधार** को स्थिर लक्ष्यों के साथ संरेखित कर सकता है।
- **भू-राजनीति को संतुलित करना:** भारत को **रणनीतिक निवेश और कूटनीतिक पहुँच** के माध्यम से चीनी प्रभाव को संतुलित करना होगा।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि इसकी सहायता श्रीलंका के **दीर्घकालिक हितों के अनुरूप हो**।

सोमालिया में अफ्रीकी संघ का समर्थन और स्थिरीकरण मिशन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** ने **अफ्रीकी संघ (AU) शांति और सुरक्षा परिषद** की पहल, **सोमालिया में अफ्रीकी संघ समर्थन तथा स्थिरीकरण मिशन (AUSSOM)** का समर्थन किया।

- **प्रस्ताव 2767 (2024)** शीर्षक वाले प्रस्ताव का उद्देश्य **सोमालिया के गृहयुद्ध** और **अल-शबाब तथा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट** जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न सोमालिया की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है।
- यह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के समान है।

नोट: शांति एवं सुरक्षा परिषद (PSC) संघर्षों की **रोकथाम, प्रबंधन और समाधान** के लिये **AU** का **स्थायी निर्णय लेने वाला अंग** है।

- यह **अफ्रीकी शांति और सुरक्षा वास्तुकला (APSA)** का प्रमुख स्तंभ भी है, जो अफ्रीका में **शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता** को बढ़ावा देने की रूपरेखा है।
- लेवेंट **भूमध्य सागर** का पूर्वी तट है जिसमें **सीरिया, लेबनान, इज़रायल, जॉर्डन और फिलिस्तीन** शामिल हैं।

ATMIS और AUSSOM क्या है ?

- **ATMIS: सोमालिया में अफ्रीकी संघ संक्रमण मिशन (ATMIS)** एक **बहुआयामी मिशन (सैन्य, पुलिस और नागरिक)** है, जो **अफ्रीकी संघ द्वारा अधिकृत** तथा **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिदेशित** है।
  - **अधिदेश:** यह **सोमालिया में अफ्रीकी संघ मिशन (AMISOM)** का स्थान लेगा तथा इसे **सोमाली संक्रमण योजना (STP)** को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने का स्पष्ट अधिदेश दिया गया है।
    - STP, अफ्रीकी संघ से सोमालिया की संघीय सरकार को **सुरक्षा ज़िम्मेदारी हस्तांतरित करने** के लिये सोमालिया और उसके साझेदारों द्वारा तैयार की गई एक व्यापक मार्गदर्शिका है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **AUSSOM:** यह **सोमालिया में अफ्रीकी संघ संक्रमण मिशन (ATMIS)** के प्रतिस्थापन का प्रावधान करता है, जिसका कार्यकाल **31 दिसंबर, 2024** को समाप्त हो रहा है।
- **उत्तरदायित्व परिवर्तन:** वर्ष 2022 से, **7,000 ATMIS सैनिकों** को कम कर दिया गया है और AUSSOM राष्ट्र को स्थिर करने में **सोमाली बलों को समर्थन** देना जारी रखेगा।
- **अधिदेश और संचालन:** आतंकवाद से लड़ने और सुरक्षा बनाए रखने के लिये AU सदस्य जून 2025 तक **1,040 पुलिस अधिकारियों सहित 12,626 कर्मियों** को तैनात कर सकते हैं।
- **वित्तपोषण:** अफ्रीकी शांति अभियानों के लिये स्थायी और पूर्वानुमानित वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिये मिशन को वित्तपोषित करने हेतु **संयुक्त राष्ट्र मूल्यांकित योगदान (75%) और अफ्रीकी संघ/भागीदार योगदान (25%)** को मिलाकर एक संकर दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया है।
- **चुनौतियाँ: बुरुंडी और इथियोपियाई** सैनिक AUSSOM में **भाग नहीं लेंगे।**
  - **मिस्र AUSSOM में भाग ले सकता है,** जिसके साथ **इथियोपिया** का नील नदी पर बने एक बाँध को लेकर **विवाद** है।
    - **इथियोपिया के सोमालीलैंड (सोमालिया से अलग हुआ क्षेत्र)** पर शासन करने वाले प्राधिकारियों के साथ **अच्छे संबंध** हैं।
  - अमेरिका ने चिंता व्यक्त की कि **संयुक्त राष्ट्र ने इस मिशन को अनुपातहीन रूप से वित्त पोषित किया** और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान में भाग नहीं लिया।

सोमालिया में गृह युद्ध का घटनाक्रम क्या है?

- **परिचय:** इसकी शुरुआत **वर्ष 1988** में राष्ट्रपति **सियाद बार्रे के निरंकुशवादी शासन** के दौरान हुई थी। **जनवरी 1991** में उनका शासन खत्म हो गया, जिससे **शक्ति शून्यता** और **अस्तव्यस्तता** की स्थिति उत्पन्न हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

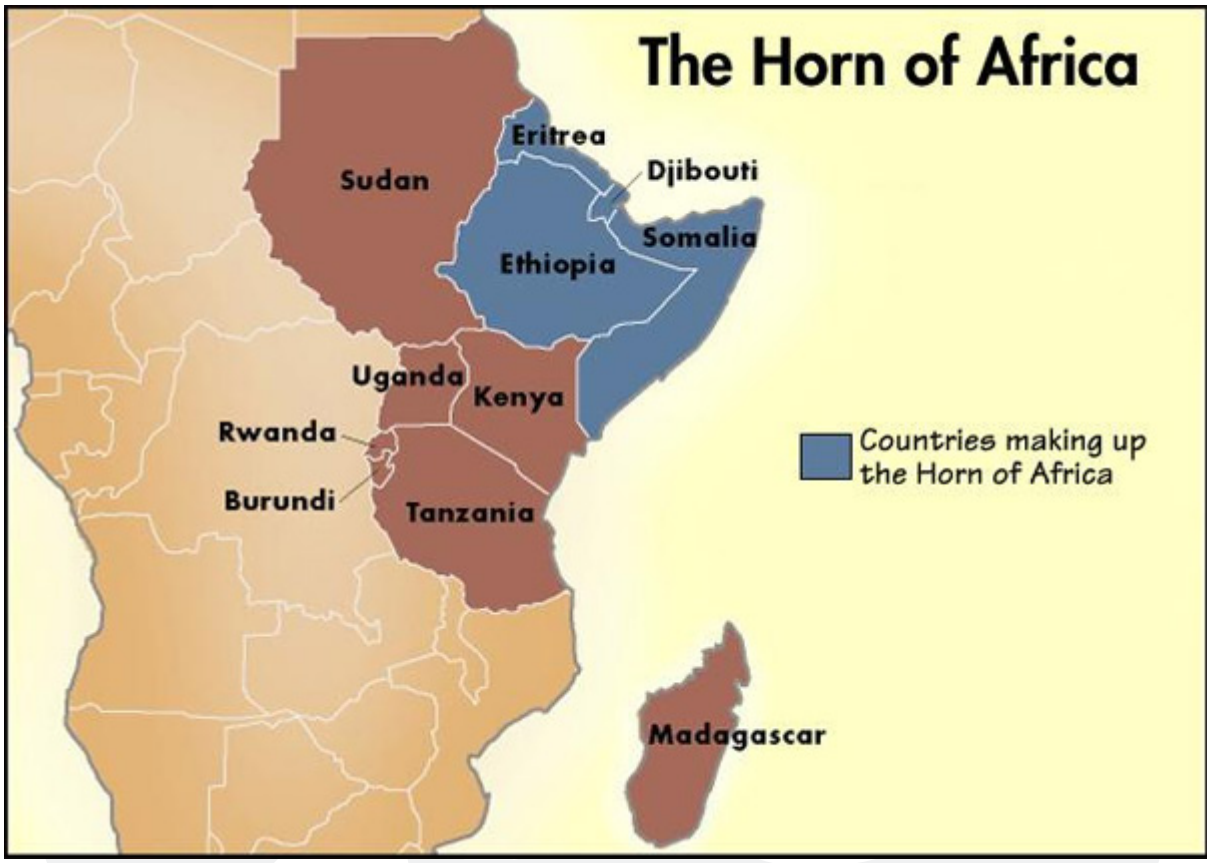

- **सोमालिया का विखंडन:** बार्रे के पतन के बाद, सोमालिया मिलिशिया और अन्य समूहों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में विभाजित हो गया, जिसमें **सोमालीलैंड** और **पुंटलैंड** भी शामिल थे, जिन्होंने क्रमशः **वर्ष 1991** में पूर्ण स्वतंत्रता एवं **वर्ष 1998** में आंशिक स्वायत्तता की घोषणा की।
  - **सोमालिया और इथियोपिया** में समुद्री पहुँच समझौते को लेकर एक **वर्ष से विवाद जारी है, जिसे इथियोपिया ने अलगाववादी सोमालीलैंड क्षेत्र** के साथ किया था।
- **वंशवाद का उदय:** वंशवाद प्रणाली से सोमालिया में **तनाव की स्थिति बढ़ती गई, जिससे सरकार के एकता एवं शांति प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई, जबकि वंशीय प्रतिद्वंद्विता ने संघीय सरकार तथा क्षेत्रीय राज्यों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया।**
  - **वंशवाद का तात्पर्य वंश-आधारित राजनीति** का प्रभुत्व है, जिसके अंतर्गत वंश एवं उप-वंश के हितों को प्राथमिकता दी जाती है और **राष्ट्रीय एकता** प्रभावित होती है।
  - सोमालिया में चार मुख्य कुल हैं: **दोराड, हाविये, दीर और राहनवेयम**।
- **शांति प्रयास:**
  - **आर्टा घोषणा (2000): विकास पर अंतर-सरकारी प्राधिकरण (IGAD)** जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने अधिक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने का प्रयास किया।
  - **संक्रमणकालीन सरकार: संक्रमणकालीन राष्ट्रीय सरकार (TNG)** और **संक्रमणकालीन संघीय सरकार (TFG)** की स्थापना की गई लेकिन इनमें अकुशलता, आपसी मतभेद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ थीं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अल-शबाब का उदय: वर्ष** 2007 में **अल-शबाब, एक इस्लामी आतंकवादी समूह** के उदय से संघर्ष और बढ़ गया। यह **अल-कायदा का सबसे महत्त्वपूर्ण सहयोगी है।**
  - अल-शबाब का प्राथमिक लक्ष्य **सोमालिया की संघीय सरकार (FGS) को अपदस्थ करना**, विदेश की सेनाओं का निष्कासन करना तथा **इस्लामी विधि (शरिया) की सख्त व्यवस्था स्थापित करना है।**
  - यह समूह **"ग्रेटर सोमालिया"** की मांग करता है, जिसका उद्देश्य पूर्वी अफ्रीका के जातीय सोमालियों को एक इस्लामी राज्य में एकजुट करना है।
    - ग्रेटर सोमालिया में **सोमालिया, सोमालीलैंड, जिबूती और केन्या (उत्तरी क्षेत्र) का हिस्सा और इथियोपियाई ओगाडेन शामिल होंगे।**

नोट: हॉर्न ऑफ अफ्रीका में **जिबूती, इरीट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया** देश शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन क्या है ?

- **परिचय:** यह संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में **सैन्य कर्मियों, पुलिस और नागरिक विशेषज्ञों** के परिनियोजन के माध्यम से संघर्ष क्षेत्रों में **शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में मदद करने के लिये संचालन का एक समूह है।**
  - इसकी स्थापना **मई 1948** में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने **इज़रायल और उसके अरब के पड़ोसी देशों** के बीच **युद्धविराम समझौते** की निगरानी के लिये **संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों** के परिनियोजन को अधिकृत किया था।
  - संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को प्राय: उनकी हल्के नीले रंग की टोपी या हेलमेट के कारण **ब्लू बेरेट्स अथवा ब्लू हेलमेट्स** कहते हैं।
- **वैश्विक उपस्थिति: गत 70 वर्षों** में, 1 मिलियन से अधिक **पुरुषों और महिलाओं** ने 70 से अधिक **संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों** में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत सेवा की है।
  - वर्तमान में 125 देशों के 1,00,000 से अधिक **सैन्य, पुलिस और नागरिक कार्मिक** 14 शांति अभियानों में कार्यरत हैं।

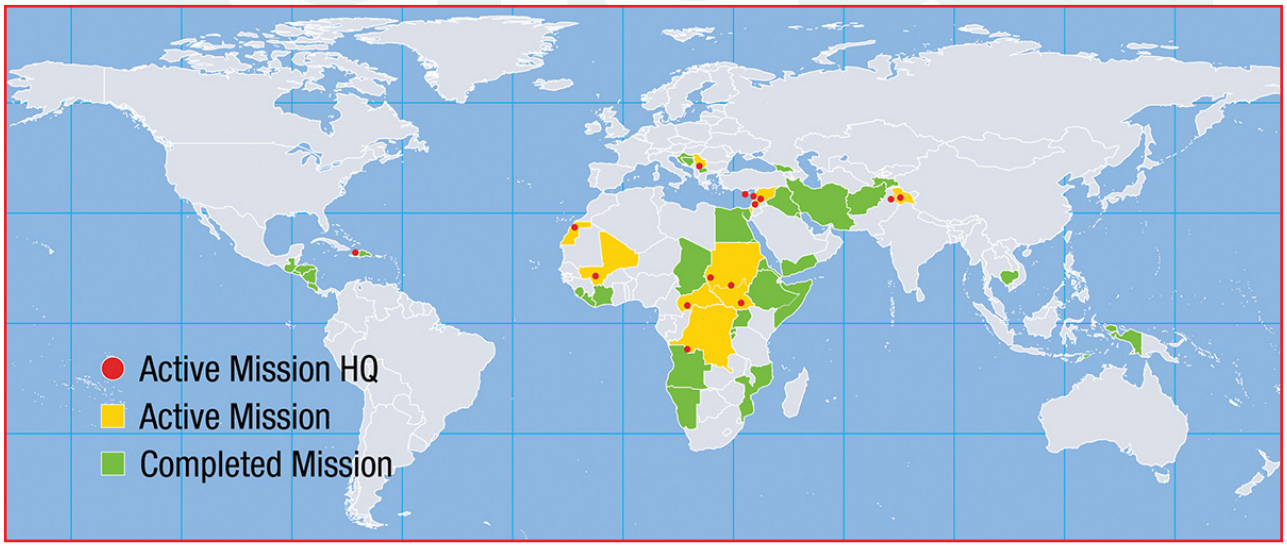

- **प्रभावशीलता:**
  - **सफलता की कहानियाँ:**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सिएरा लियोन (1999-2005):** शांति सैनिकों द्वारा बाल सैनिकों सहित **75,000 से अधिक पूर्व के लड़ाकों को निरस्त्र किया गया** और 42,000 हथियारों को नष्ट किया, जिससे देश के स्थिरीकरण में काफी मदद मिली।
- **बुरुंडी (2004-2006):** संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने देश को जातीय संघर्ष से उबरने में मदद की, **गृह युद्ध से स्थिरता** की ओर संक्रमण में सहायता की तथा इन उपलब्धियों को उन्नत बनाने के क्रम में अपने मिशन का विस्तार किया।
- **लाइबेरिया (2003-2018):** लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMIL) द्वारा शांति समझौतों में मध्यस्थता की गई, निरस्त्रीकरण को महत्त्व दिया गया और लाइबेरिया में **लोकतांत्रिक चुनावों** का समर्थन किया गया।
- **सिएरा लियोन (1999 से 2005): शांति सैनिकों ने गृह युद्ध को** समाप्त करने के साथ **लोम शांति समझौते** के कार्यान्वयन में सहायता की।
- इस मिशन की सफलता शांति प्रक्रिया के प्रति दोनों युद्धरत पक्षों की प्रतिबद्धता, इसके **स्पष्ट जनादेश** एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्राप्त समर्थन से प्रेरित थी।

- **विफलताएँ:**
  - **सोमालिया (1992-1995): मोगादिशु के युद्ध (1993)** में अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप **अमेरिकी एवं संयुक्त राष्ट्र बलों** को तुरंत वापस लौटना पड़ा।
    - वर्ष 1995 तक संयुक्त राष्ट्र ने इससे पूरी तरह अलगाव कर लिया, जिससे यह मिशन **असफल** हो गया।
  - **रवांडा (1994):** वर्ष 1994 में **800,000 से अधिक लोग (जिनमें से अधिकांश तुत्सी जातीय समूह** के थे) नरसंहार में मारे गए।
    - प्रारंभिक चेतावनियों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करने या इसे रोकने के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने में विफल रहा।
  - **स्रेब्रेनिका (1995):** वर्ष 1995 में **बोस्निया के स्रेब्रेनिका** (**"सुरक्षित क्षेत्र" घोषित होने के बावजूद) में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक, बोस्नियाई सर्ब बलों** द्वारा की गई **8,000 मुस्लिम पुरुषों एवं बालकों** की हत्या को रोकने में विफल रहे।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत का योगदान

- **भारत की भूमिका:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा किसी भी अन्य देश की तुलना में इसमें सबसे अधिक सैनिकों का योगदान दिया है। **वर्ष 1948 से अब तक 72 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में से 49 में 253,000 से अधिक सैन्यकर्मी** सेवा दे चुके हैं।
  - जनवरी 2024 तक **लगभग 5,900 भारतीय सैनिक** 12 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में संलग्न हैं।
- **पूर्व के मिशन:**
  - **हैती (2017-19): भारत ने** नवंबर 2017 से जुलाई 2019 तक BSF, CISF और असम राइफल्स के लगभग 280 कर्मियों के साथ दो **संगठित पुलिस इकाइयों (FPU) का योगदान** दिया, जिससे इसकी **सफलता** में योगदान मिला।
  - **लाइबेरिया (2007-16): लाइबेरिया में 125** सदस्यीय **महिला पुलिस इकाई** की प्रेरणा से पुलिस में भर्ती होने के लिये आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई।
  - **सिएरा लियोन (1999-2001):** भारत ने दो इन्फैंट्री बटालियन समूह, दो इंजीनियर कंपनियाँ, **हमलावर हेलीकॉप्टर इकाई के साथ चिकित्सा इकाई** के रूप में योगदान दिया।
  - **सूडान (2005):** भारत ने दो इन्फैंट्री **बटालियन समूहों, इंजीनियर कंपनी, सिग्नल कंपनी** आदि के रूप में योगदान दिया।
  - **रवांडा (1994-96):** एक इन्फैंट्री बटालियन, सिग्नल कंपनी, इंजीनियर कंपनी, स्टाफ अधिकारी एवं सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में योगदान दिया।
  - **सोमालिया (1993-94):** भारतीय सेना ने **सभी रैंकों के 5,000 सैनिकों वाला एक ब्रिगेड समूह तैनात करने के साथ** नौसेना के चार युद्धपोत तैनात किये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा हाल ही में **AUSSOM को समर्थन दिये जाने से सोमालिया में लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध के बीच उसे स्थिर करने के क्रम** में जारी संघर्ष को रेखांकित किया गया है। ATMIS और AUSSOM जैसे अफ्रीकी नेतृत्व वाले मिशन महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन सोमालिया तथा रवांडा जैसे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की ऐतिहासिक **विफलताओं से स्पष्ट जनादेश, संसाधनों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता** को बल मिलता है।

डीप स्टेट और इसके प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, विभिन्न देशों में सरकारों को अस्थिर करने के लिये एक कथित **अंतर्राष्ट्रीय डीप स्टेट (अत्यंत शक्तिशाली देश)** से संबंधित विवाद देखने मिला हैं।

डीप स्टेट क्या है ?

- **परिचय:** यह सरकारी, कॉर्पोरेट और गैर-सरकारी अभिजात वर्ग के एक गुप्त नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो अपार शक्ति का प्रयोग कर नीति-निर्माण को नियंत्रित करते हैं, निर्वाचित राजनेताओं को कमज़ोर तथा आम लोगों के हितों को विफल करते हैं।
  - विदेशी सरकारें **अपने हितों के आधार पर कुछ देशों में लोकतंत्र, मानवाधिकारों** और उदारवादी मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं।
- **पृष्ठभूमि:** इसका नाम तुर्की शब्द **"डेरिन डेवलेट (derin devlet)"** से लिया गया है, जिसका अंग्रेज़ी में शाब्दिक अर्थ **"डीप स्टेट"** होता है। तुर्की में, इसका मतलब लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार पर हावी होने वाले गैर-निर्वाचित तत्त्वों से है।
  - **पाकिस्तान** में **"डीप स्टेट"** से तात्पर्य **शक्तिशाली सैन्य नेताओं** द्वारा नियंत्रित सरकार से है।
- **'डीप स्टेट' की कार्यप्रणाली:**
  - **शासन परिवर्तन:** स्टीफन किन्ज़र की पुस्तक, ***ओवरथ्रो (Overthrow)***, ने कई महाद्वीपों पर अमेरिका द्वारा किये गए **"सेंचुरी ऑफ रशीम (century of regime change)" मिशनों का वृत्तांत लिखा है।** उदाहरण के लिये, **बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार** को हटाने के लिये अमेरिकी डीप स्टेट को दोषी ठहराया जा रहा है।
  - **थिंक टैंक: थिंक टैंक, NGO और पक्षपाती मीडिया** का उपयोग सरकारों द्वारा समर्थित राजनीतिक परिवर्तनों के लिये परिस्थितियाँ विकसित करने हेतु किया जाता है। उदाहरण के लिये, जॉर्जिया (2003), यूक्रेन (2004) और किर्गिज़स्तान (2005) में रंगीन क्रांतियाँ (**Colour Revolutions**)।
    - पाकिस्तान के पूर्व **प्रधानमंत्री इमरान खान** ने विदेशी शक्तियों पर **अपनी** सरकार गिराने का आरोप लगाया है।
    - निहत्थे सार्वजनिक विद्रोहों को रंगीन क्रांतियों द्वारा संगठित किया गया जिसका लक्ष्य एक राज्य का शासन समाप्त तथा उसे बदनाम करना था।
  - **संघर्ष और युद्ध: लॉकहीड मार्टिन, रेथॉन, बोइंग** और **नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन** जैसी रक्षा कंपनियाँ हथियारों, गोला-बारूद और सैन्य प्रौद्योगिकी की आपूर्ति से काफी लाभान्वित होती हैं।
    - व्यवसाय अपने हित में काम करते हैं और अपने हथियारों की मांग बढ़ाने के लिये युद्ध का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिये **यूक्रेन में संघर्ष के** परिणामस्वरूप हथियारों की यूक्रेन की मांग।
  - **आर्थिक प्रभाव:** इच्छुक देशों में बाज़ार पहुँच और व्यापार-अनुकूल विनियमन को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिये-
    - हालाँकि, इससे **अपेक्षित परिणाम नहीं मिले** और परिणामत: **शॉक थेरेपी** अपनानी पड़ी।
    - शॉक थेरेपी एक **आर्थिक सिद्धांत** है जो कहता है कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति में **अचानक, नाटकीय परिवर्तन एक राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था को मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था में परिवर्तित** कर सकता है।
  - **विश्व व्यापार संगठन व्यापार वार्ता** में देशों पर **अपने कृषि बाज़ार** आयातित उत्पादों के लिये **खोलने का दबाव** डालना।
  - **सोवियत संघ** के पतन के बाद, पूर्व सोवियत राज्य और लैटिन अमेरिकी साम्यवादी देश **राज्य-संचालित अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित** हो गए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **निगरानी: एडवर्ड स्नोडेन** ने खुलासा किया कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) **एशिया और अफ्रीका** जैसे विकासशील देशों में **निगरानी** करती है।
- **मीडिया और आख्यान: पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टें** भारत में कुछ मुद्दों (जैसे, **धार्मिक असहिष्णुता, कश्मीर**) को गलत तरीके से प्रस्तुत करती हैं ताकि मानवाधिकारों पर सरकार पर दबाव बनाया जा सके।
  - **एमनेस्टी इंटरनेशनल** ने भारत सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध **भेदभावपूर्ण कानून** अपनाने का आरोप लगाया।
- **साइबर प्रभाव: गूगल और फेसबुक** जैसी प्रभावशाली **बाज़ार प्रभुत्व वाली कंपनियों ने डेटा गोपनीयता और कराधान** पर देशों के नियमों को प्रभावित किया।
- **नागरिक समाज आंदोलन:** मानव अधिकारों या जलवायु परिवर्तन के नाम पर भारत की **कोयला और ऊर्जा परियोजनाओं** के खिलाफ **ग्रीनपीस इंडिया** जैसे नागरिक समाज समूहों को वित्त पोषित करना, किसानों के आंदोलन में उनकी कथित भागीदारी।
  - **खुफिया ब्यूरो** की एक रिपोर्ट में **ग्रीनपीस** जैसे **"विदेशी वित्तपोषित" NGO पर सकल घरेलू उत्पाद** की वृद्धि पर 2-3% तक नकारात्मक प्रभाव डालने का आरोप लगाया गया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुँचाना:** निहित स्वार्थ वाले देश **भारतीय मूल के लोगों को फिल्मों में खलनायकों की भूमिकाओं** में पेश करते हैं, ताकि उनकी छवि खराब की जा सके।
  - देश अन्य देशों के खिलाफ निराधार आरोप भी लगाते हैं। उदाहरण के लिये, **कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों** की हत्या में **भारत की भूमिका** का आरोप लगाया।

भारत पर डीप स्टेट का आरोप

- पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार **स्टीव कोल** ने कहा कि भारत में एक प्रकार का **डीप स्टेट** है, जिसमें खुफिया एजेंसियों या सेना के बजाय मुख्य रूप से **भारतीय विदेश सेवा** शामिल है।
- पत्रकार **जोसी जोसेफ** ने अपनी पुस्तक ***द साइलेंट कूप: ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डीप स्टेट*** में तर्क दिया है कि **"राज्य के भीतर एक राज्य"** है जो समाज के **कमज़ोर वर्गों** के खिलाफ पक्षपात करता है।
  - उन्होंने **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)** को भी उन एजेंसियों में शामिल किया है जो कथित तौर पर डीप स्टेट चला रही हैं।
- हालाँकि, सरकार ने ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया है क्योंकि वह **पंचशील सिद्धांतों** और **वसुधैव कुटुंबकम** (विश्व एक परिवार है) में विश्वास करती है।

डीप स्टेट किस प्रकार देशों को प्रभावित करता है?

- **राजनैतिक परोपकार:** विशाल वित्तीय संसाधनों वाले लोग **ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (OSF)** जैसे गैर सरकारी संगठनों का उपयोग दिखावा के रूप में करते हैं और **"ओपन सोसाइटी"** की वकालत करते हैं, जिसका अर्थ है **शासन परिवर्तन** के लिये प्रयास करना।
  - उन्होंने **भारत, रूस, चीन, इज़रायल और हंगरी** जैसे देशों की खुलेआम आलोचना की तथा उनके नेताओं पर **अधिनायकवादी शासन** की अवधारणा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
- **शैक्षिक पहल:** कई गैर सरकारी संगठन छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रदान करते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रभावशाली पदों पर बैठे लोग - **नौकरशाह, पत्रकार और नीति निर्माता** आर्थिक विकास को बाधित करने के लिये **छद्म पर्यावरण सक्रियता** जैसे उनके उद्देश्यों के प्रति **सहानुभूति** रखते हैं।
- **घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप:** किसी देश की आंतरिक नीतियों (विशेष रूप से **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकारों एवं शासन के संबंध में सत्ता-विरोधी भावना)** तथा आलोचना को अक्सर निहित स्वार्थ वाले गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** डीप स्टेट द्वारा **आर्थिक नीतियों को भी प्रभावित** किया जाता है। ये प्रमुख वित्तीय घटनाओं में शामिल होते हैं, जैसे **बैंक ऑफ इंग्लैंड का विखंडन** एवं **एशियाई वित्तीय संकट में योगदान**।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- हिंडनबर्ग रिसर्च ने विकासशील देशों (भारत और चीन) में व्यवसायों पर बड़े पैमाने पर **अकाउंटिंग धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्य में हेरफेर तथा भारत के स्टॉक मार्केट को अस्थिर करने के लिये टैक्स हेवन** का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। उदाहरण के लिये, अडानी समूह के खिलाफ आरोप।
- **हिंडनबर्ग को शॉर्ट-सेलिंग** (एक ऐसी रणनीति जिसमें फर्म लाभ कमाने के लिये किसी कंपनी के स्टॉक मूल्य में **गिरावट की भविष्यवाणी करते हुए लाभ कमाने के लिये कारोबार करती है)** में भी संलग्न पाया गया।

आगे की राह

- **कठोर विनियमन: भारत को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)** के माध्यम से विदेशी वित्तपोषित गैर सरकारी संगठनों पर निगरानी कड़ी करने एवं कड़े विनियमन लागू करने की आवश्यकता है।
  - **गैर-लाभकारी संगठनों (NPO)** को भी अपने **भुगतान खातों** को लेखापरीक्षित खातों के साथ सरकार के साथ साझा करना चाहिये।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता: थिंक टैंक, मीडिया एवं नागरिक समाज** आंदोलनों के माध्यम से घरेलू राजनीति को प्रभावित करने के **विदेशी प्रयासों का मुकाबला करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा जागरूकता** को बढ़ावा देना चाहिये।
  - **NSA अजीत डोभाल ने भारत के रक्षा बलों** के मनोबल की रक्षा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अखंडता को बनाए रखने के लिये **सोशल मीडिया के संतुलित दृष्टिकोण** पर बल दिया।
- **स्वदेशी थिंक टैंक: भारत** को राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने एवं बाहरी संस्थाओं को **एकाधिकार करने से रोकने के लिये स्वदेशी थिंक टैंक एवं मीडिया प्लेटफॉर्म** विकसित करने चाहिये।
- **राजनयिक समन्वय: भारत** को सहयोगियों का एक नेटवर्क बनाने एवं अपने राजनीतिक परिदृश्य को अस्थिर करने वाले प्रयासों से बचने के लिये **समान विचारधारा वाले देशों एवं संगठनों** के साथ राजनयिक संबंधों को मज़बूत करना चाहिये।
- **डेटा संप्रभुता:** भारत की **साइबर सुरक्षा** को मज़बूत करना एवं इसके **डिजिटल आयामों को नियंत्रित करना** विदेशी प्रभाव को कम करने (विशेष रूप से गूगल और फेसबुक जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियों के संदर्भ में) के लिये महत्त्वपूर्ण है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता

चर्चा में क्यों ?

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (Ind-Aus ECTA) के दो वर्ष पूरे हो गए हैं, यह वर्ष द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि के वर्ष रहे हैं।

- दोनों देश इस सफलता को सुदृढ़ सहयोग और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं, जिसमें **वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक** पहुँचाना भी शामिल है।

Ind-Aus ECTA क्या है ?

- **परिचय:** भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता है, जिस पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किये गए तथा नवंबर 2022 में दोनों देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।
  - इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच टैरिफ में कमी, सेवाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने तथा निवेश प्रवाह को **बढ़ाकर** गहन **आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के साथ व्यापार संबंधों** को बढ़ाना है।
- **भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **टैरिफ में कटौती:** इस समझौते से **ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को भारत में 85% से अधिक वस्तुओं** पर टैरिफ-मुक्त निर्यात की अनुमति मिली तथा जनवरी 2026 तक यह आँकड़ा बढ़कर 90% हो जाएगा।
    - इसके विपरीत यहाँ **भारत से होने वाला 96% आयात** अब टैरिफ-मुक्त है तथा वर्ष 2026 तक यह आँकड़ा बढ़कर 100% हो जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इस **टैरिफ उदारीकरण से** दोनों देशों को लाभ मिलने का अनुमान है क्योंकि इससे **सस्ता कच्चा माल उपलब्ध होने एवं** वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलने के साथ उपभोक्ताओं के लिये वस्तुओं की कीमते कम हो सकेंगी।

- **प्रमुख बाज़ारों तक पहुँच:** ECTA से **ऑस्ट्रेलिया के तेज़ी से बढ़ते बाज़ार में भारत की अधिमान्य बाज़ार पहुँच** सुनिश्चित होगी।
  - ऑस्ट्रेलिया के लिये यह समझौता भारत के **श्रम-प्रधान क्षेत्रों में अवसर** प्रदान करता है जिनमें रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, चमड़ा, फर्नीचर, खाद्य तथा कृषि शामिल हैं।
- **सेवाएँ:** इस समझौते के तहत सेवाओं के **135 उप-क्षेत्रों से संबंधित प्रतिबद्धताएँ** शामिल हैं जिससे व्यावसायिक सेवाएँ, संचार, निर्माण तथा इंजीनियरिंग जैसे उद्योगों को लाभ होगा।
  - भारत के योगदान में **103 उप-क्षेत्रों में आस्ट्रेलिया के लिये बाज़ार पहुँच** तथा **31 उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) का दर्जा** शामिल है।
- **फार्मास्युटिकल और IT लाभ:** इस समझौते से दवाओं की स्वीकृति में तेजी आएगी और **IT क्षेत्र में दोहरे कराधान की समाप्ति होगी,** जिससे भारत की IT कंपनियों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त मिलेगी और लाखों की बचत होगी।
- **रोज़गार सृजन और कौशल विनिमय:** ECTA से भारत में 1 मिलियन रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है, जिसमें **भारतीय योग शिक्षकों, रसोइयों** और अध्ययन के बाद कार्य वीज़ा के माध्यम से 100,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। इससे दोनों देशों में कौशल विनिमय और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा मिलता है।
- **भू-राजनीतिक महत्त्व:** ECTA भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मज़बूत करता है, **क्वाड, इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉसपेरिटी (IPEF)** और **सप्लाई चेन रेज़ीलियेंस इनिशिएटिव (SCRI)** जैसे रणनीतिक समूहों में सहयोग को गहरा करता है, आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों को संरेखित करता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA के अंतर्गत द्विपक्षीय व्यापार किस प्रकार विकसित हुआ है?

- **व्यापार में वृद्धि:** समझौते के लागू होने के बाद से **द्विपक्षीय व्यापार दोगुने से भी अधिक** हो गया है। **वर्ष 2020-21 में 12.2 बिलियन अमरीकी डॉलर** से बढ़कर **वर्ष 2022-23 में 26 बिलियन अमरीकी डॉलर** हो गया।
  - व्यापार की गति मज़बूत बनी हुई है तथा ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 14% बढ़ रहा है।
- वर्ष 2024 के पहले आठ महीनों में कुल द्विपक्षीय व्यापार 16.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो एक मज़बूत व्यापार साझेदारी को दर्शाता है।
- **निर्यात और आयात उपयोगिता:** दोनों देशों के बीच **तरजीही आयात डेटा विनिमय** वर्ष 2023 में शुरू हुआ, जो प्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है।
- निर्यात उपयोगिता 79% है, जबकि आयात उपयोगिता थोड़ा अधिक 84% है।
- **क्षेत्रीय विकास: वस्त्र, रसायन और कृषि** जैसे प्रमुख क्षेत्रों को इस समझौते से काफी लाभ हुआ है।
- निर्यात में विविधता आई है, तथा **हीरे-जड़ित स्वर्ण** और टर्बोजेट जैसे नए उत्पादों को प्रमुखता मिल रही है।
- **कच्चा माल:** भारत द्वारा धातु अयस्कों, कपास और लकड़ी जैसे कच्चे माल के आयात ने इसके उद्योगों को बढ़ावा दिया है, जो व्यापार साझेदारी की पूरक प्रकृति को उज़ागर करता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों के भविष्य का विजन क्या है?

- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA):** ECTA की सफलता के आधार पर, **भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)** अब प्रगति पर है।
  - 10 औपचारिक दौरों और कई अंतर-सत्रीय चर्चाओं के साथ, CECA का लक्ष्य व्यापार संबंधों को और भी आगे बढ़ाना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **व्यापार लक्ष्य:** दोनों देशों ने **वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य** रखा है। यह लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को गहरा करने और आपसी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिये साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **वैश्विक आर्थिक प्रभाव:** गहन आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी साझेदारी को मज़बूत बनाने तथा अधिक लचीली, गतिशील वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिये तत्पर हैं।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अन्य व्यापार समझौते

- **दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए):** दोनों देशों में अर्जित आय पर दोहरे कराधान को रोकने, कर बोझ को कम करने और सुचारू व्यापार संचालन की सुविधा प्रदान करने के लिये 1991 में लागू किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT):** वर्ष 1994 की **द्विपक्षीय निवेश संधि** को भारत द्वारा वर्ष 2017 में समाप्त कर दिया गया था। दोनों देश द्विपक्षीय निवेशों की सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिये एक नई निवेश संधि की खोज कर रहे हैं।
- क्षेत्र-विशिष्ट समझौते: शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापन मौजूद हैं, जो सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार में चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** अन्य बाज़ारों के साथ एक दूसरे के पूरक व्यापारिक प्रोफाइल के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया की तुलना में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता अभी भी कम है।
- **अन्य बाज़ारों पर ध्यान:** भारत सऊदी अरब, कुवैत और श्रीलंका जैसे बाज़ारों में बेहतर प्रदर्शन करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर स्थित पूर्वी बाज़ारों में इसका प्रदर्शन निराशाजनक है।
- **गैर-टैरिफ बाधाएँ (NTB)**- ऑस्ट्रेलिया में भारत के समक्ष आने वाली NTB में से 32% **सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी (SPS)** उपायों से उत्पन्न होती हैं, जो विशेष रूप से कृषि उपज को प्रभावित करती हैं।
  - **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** का SPS समझौता यह गारंटी देता है कि खाद्य पदार्थों में हानिकारक पदार्थ या रोगाणु नहीं होंगे, तथा WTO सदस्यों के बीच किये गए उत्पाद के व्यापार से कीट और बीमारियाँ नहीं फैलेगी।
- **व्यापक FTA का अभाव:** वर्तमान समझौते सरकारी खरीद, डिजिटल व्यापार और उत्पत्ति के नियमों जैसे मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं, जिससे व्यापार ढाँचे में अंतराल बना रहता है।
- ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2025 में होने वाले आगामी संघीय चुनावों ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) पर प्रगति को धीमा कर दिया है, जिससे व्यापार चुनौतियों के समाधान में देरी हो रही है।

आगे की राह:

- **साझेदारी का लाभ उठाना:** व्यापार लचीलापन बढ़ाने के लिये क्वाड जैसे रणनीतिक ढाँचों के माध्यम से सहयोग को गहरा करना। एकल-स्रोत बाज़ारों पर निर्भरता कम करने के लिये आपूर्ति शृंखला विविधीकरण पर समन्वय स्थापित करना।
- **CECA को अंतिम रूप देना:** अधिक मज़बूत और समावेशी व्यापार ढाँचे के लिये सरकारी खरीद, डिजिटल व्यापार, उत्पत्ति के नियमों और बौद्धिक संपदा में अंतराल को दूर करने के लिये CECA वार्ता में तेज़ी लाना।
- **निवेश को प्रोत्साहित करना:** निवेश की सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये एक **नई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)** को अंतिम रूप प्रदान करना।
- पारस्परिक मान्यता समझौतों के माध्यम से SPS उपायों पर ध्यान देकर गैर-टैरिफ बाधाओं (NTB) से निपटना और निर्यात के लिये अनुपालन को सरल बनाना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

माओवादी उग्रवाद का उन्मूलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित अमर शहीद स्मारक** पर **माओवादी उग्रवाद (नक्सलवाद)** से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

- उन्होंने यह भी कहा कि **त्रि-आयामी रणनीति का उपयोग करके मार्च 2026 तक** भारत **माओवादी उग्रवाद (नक्सलवाद) से पूरी तरह मुक्त** हो जाएगा।
  - **त्रि-आयामी लालच-और-दंड रणनीति (Three-Pronged Carrot-And-Stick Strategy)** में माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिये **सुरक्षा उपाय, विकास और सशक्तिकरण** शामिल हैं।

माओवादी उग्रवाद को खत्म करने की त्रि-आयामी रणनीति क्या है ?

- **सुरक्षा उपाय (बल):**
  - **सुरक्षा बलों की तैनाती:** वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में **केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों** की उपस्थिति को मज़बूत करना।
  - **संयुक्त अभियान:** राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे **CRPF (केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल) तथा COBRA (कमांडो बटालियन फॉर रेज़ोल्यूट एक्शन)** के बीच समन्वित कार्यवाही।
  - **क्षमता निर्माण:** सैन्य बलों के लिये हथियारों, संचार प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे को उन्नत करना। उदाहरण के लिये, CAPF बटालियनों के लिये **मिनी UAV, सौर लाइट, मोबाइल टावर** आदि का उपयोग।
  - **ऑपरेशन समाधान:** खुफिया जानकारी जुटाने, परिचालन रणनीति और विकास पर केंद्रित एक दृष्टिकोण।
- **विकास पहल:**
  - **विकास केंद्रित योजनाएँ:** प्रमुख कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जैसे:
    - **PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना):** ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी के लिये।
    - **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम:** सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15,000 घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी है।
  - प्रत्येक गाँव में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुँचाने के प्रयास चल रहे हैं।
    - **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 47 ज़िलों में कौशल विकास योजना:** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये विशेष रूप से तैयार की गई।
    - **नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम (CAP):** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को करने के लिये CAPFs को वित्तीय अनुदान प्रदान करना
    - **विशेष अवसंरचना योजना:** सुदूरवर्ती क्षेत्रों में **सड़क, पुल और स्कूल** जैसी बुनियादी अवसंरचना का सृजन।
    - **बेहतर शासन:** स्थानीय कार्मिकों की भर्ती के माध्यम से इन क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना।
- **सशक्तीकरण (दिल और दिमाग जीतने का दृष्टिकोण):**
  - **सार्वजनिक सहभागिता:** सरकार और जनजातीय समुदायों के बीच **विश्वास और संचार** को बढ़ावा देना, अलगाव को कम करना।
  - **पुनर्वास नीतियाँ:** माओवादी कार्यकर्त्ताओं के लिये आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनाएँ, जिनमें **शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता** जैसे प्रोत्साहन दिये जाते हैं।
  - **शिकायतों का समाधान: निष्पक्ष भूमि अधिग्रहण** नीतियों को सुनिश्चित करना, **वन अधिकार अधिनियम, 2006** का कार्यान्वयन और सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करने के लिये जनजातीय अधिकारों का संरक्षण।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नोट: समाधान का अर्थ है S- Smart leadership (कुशल नेतृत्व), A- Aggressive strategy (आक्रामक रणनीति), M- Motivation and training (अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण), A- Actionable intelligence (अभियोज्य गुप्तचर व्यवस्था), D- Dashbord based key performance indicators and key result area (कार्ययोजना आधारित प्रदर्शन सूचकांक एवं परिणामोन्मुखी क्षेत्र), H- Harnessing technology (कारगर प्रौद्यौगिकी), A- Action plan for each threat (प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना) और N- No access to financing (नक्सलियों के वित्त-पोषण को विफल करने की रणनीति)।

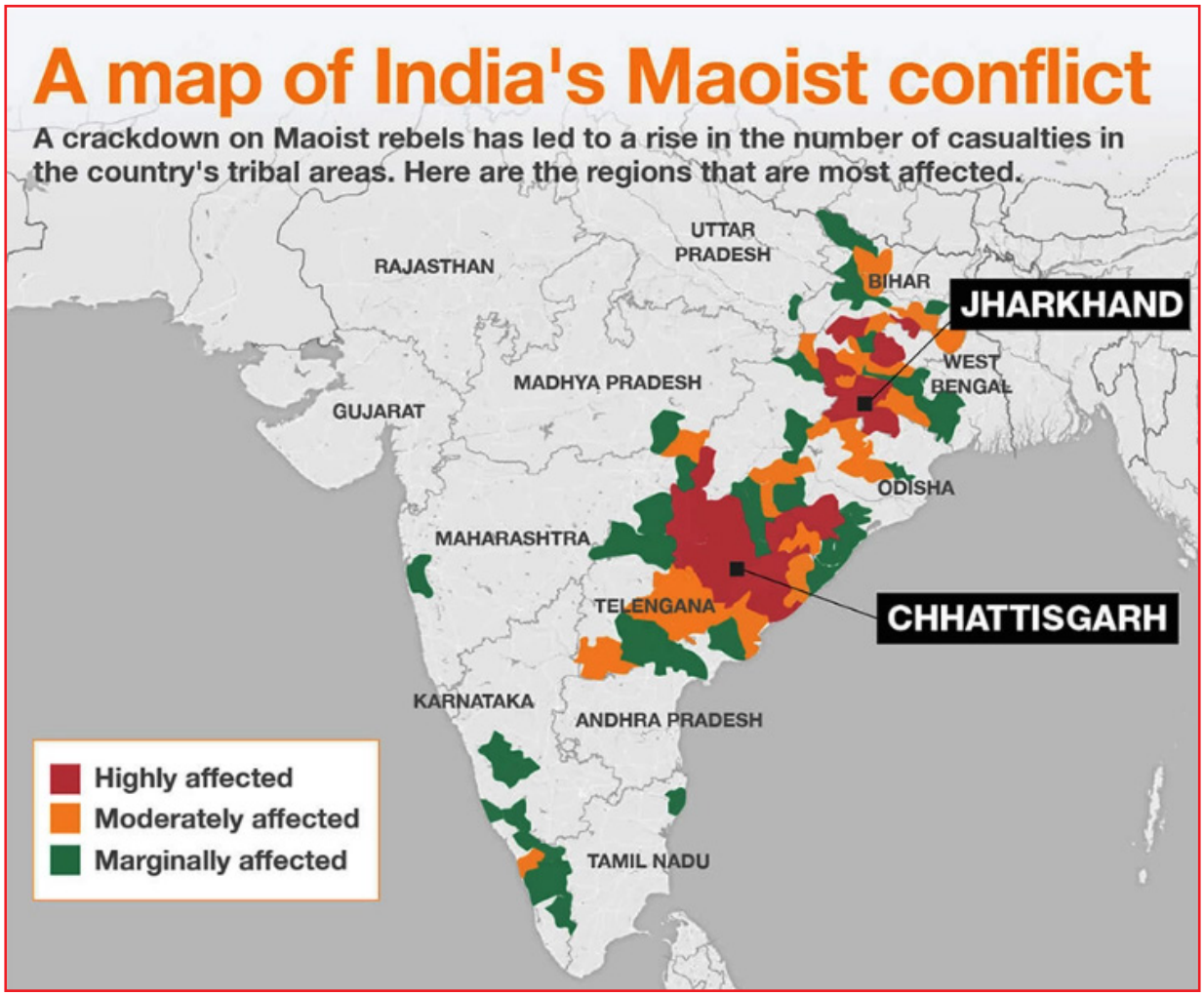

माओवाद क्या है ?

- **परिचय: माओ से-तुंग** द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है। यह **सशस्त्र विद्रोह, जन-आंदोलन और रणनीतिक गठबंधनों** के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर अधिकार करने का सिद्धांत है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- माओ ने इस प्रक्रिया को **'दीर्घकालिक जनयुद्ध' कहा,** जिसमें सत्ता पर अधिकार करने के लिये **'मिलिट्री लाइन'** पर ज़ोर दिया जाता है।

- **माओवादी विचारधारा:** माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य सत्ता पर कब्ज़ा करने के साधन के रूप में **हिंसा और सशस्त्र विद्रोह** का प्रयोग करना है।
  - माओवादी उग्रवाद सिद्धांत के अनुसार, **'हथियार रखना अस्वीकार्य है'**।
- **भारतीय माओवादी:** भारत में सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी संगठन **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) है** जिसका गठन **वर्ष 2004** में हुआ था।
  - फ्रंट ऑर्गनाइज़ेशन मूल माओवादी पार्टी की शाखाएँ हैं, जो **कानूनी उत्तरदायित्व से बचने के लिये अलग अस्तित्व** का दावा करती हैं।
- **CPI (माओवादी) और उसके अग्रणी संगठनों को गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967** के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।

माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने में हाल की उपलब्धियाँ क्या हैं ?

- **'माओवाद-मुक्त' गाँव:** वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में **287 नक्सलियों** को मार गिराया गया, लगभग **1,000** को गिरफ्तार किया गया और **837** ने आत्मसमर्पण कर दिया।

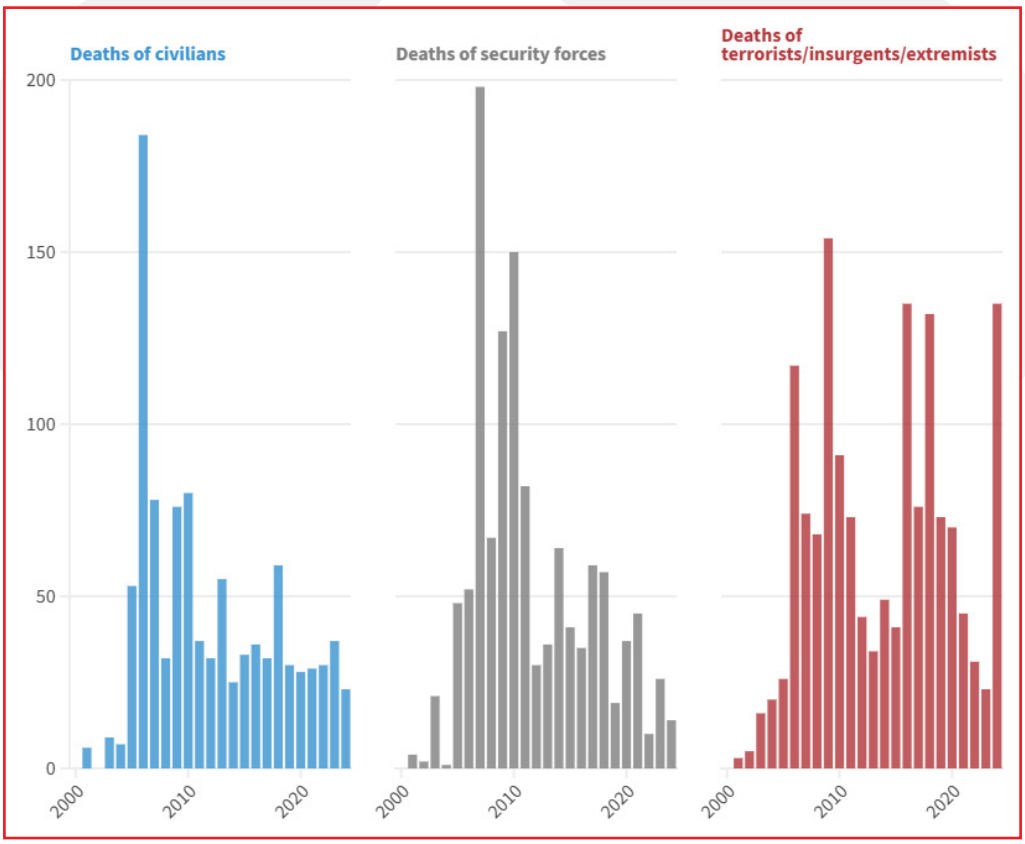

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- दंतेवाड़ा के गाँवों को क्रमिक रूप से 'माओवादी मुक्त' घोषित किया गया है, **वर्ष 2021 तक 15 से अधिक गाँवों** को यह दर्जा प्राप्त हो जाएगा।
- रिकॉर्ड संख्या में नक्सलवादियों को मारा गया, गिरफ्तार किया गया या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। यह इतिहास में पहली बार है कि एक ही वर्ष में इतना बड़ा क्षेत्र नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गया है।

- **सुरक्षा बलों की मृत्यु में कमी:** वर्ष 2024 में, सुरक्षा बलों की केवल 14 मृत्यु दर्ज की गईं, जो वर्ष 2007 में अधिकतम 198 मृत्यु की तुलना में काफी कम है।
- **समर्थन हासिल करना:** माओवादियों की असफलता का कारण जनजातीय समुदायों से **मिल रही समर्थन में कमी है**, जो वर्षों तक नुकसान पहुँचाने के बाद अलगाव महसूस कर रहे हैं।
- **उन्नत सुरक्षा उपाय:** सैन्य सहायता और परिचालन दक्षता के लिये अब **12 हेलीकॉप्टर** तैनात किये गए हैं, जबकि पहले केवल दो हेलीकॉप्टर तैनात थे, जिसके बाद से सरकारी सैन्य हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **बुनियादी ढाँचा और रसद:** वर्ष 2014 और 2024 के बीच **544 किलेबंद पुलिस स्टेशन** बनाए गए, जबकि **वर्ष 2004 और 2014 के बीच केवल 66** ही बनाए गए थे।
  - सुरक्षा संबंधी रिक्तियों को भरने के लिये **45 पुलिस स्टेशनों** को भरने का निर्णय लिया गया है।
- **विशेष केंद्रीय सहायता:** अब तक कुल **14,367 करोड़ रुपए** स्वीकृत किये गए हैं, जिनमें से **12,000 करोड़ रुपए** प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में सुधार पर खर्च किये गए हैं।

माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने में क्या चुनौतियाँ हैं ?

- **शोषण और दमन:** सामंती व्यवस्था, जाति पदानुक्रम और **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** जैसे कानून ने आदिवासियों को और अधिक अलग-थलग कर दिया, जबकि माओवादियों के मूल आधार जनजातियों तथा दलितों को ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहने के लिये मजबूर किया गया।
- **विकास का अभाव:** आंतरिक क्षेत्रों में **बुनियादी ढाँचे का अभाव है,** महत्त्वपूर्ण आवंटन के बावजूद शासन और कार्यान्वयन विफलताओं के कारण विकास अवरुद्ध है।
- **केंद्रीकृत माओवादी कमान:** CPI (माओवादियों) के पास **केंद्रीकृत कमान** है, जो सरकार की **विभाजित प्रतिक्रिया के कारण अभुजमाध** जैसे क्षेत्रों को सैन्य ठिकानों के रूप उपयोग करने को सक्षम बनाती है।
- **समृद्ध संसाधनों तक पहुँच:** **80% कोयला भंडार** और लगभग **19%** अन्य समृद्ध **खनिज संसाधन** नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एक अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- **विश्वास की कमी:** अप्रभावी शासन, संवैधानिक प्रावधानों (**जैसे- पाँचवीं एवं नौवीं अनुसूची**) के गैर-कार्यान्वयन तथा उचित पुनर्वास के बिना विस्थापन से स्थानीय अलगाव की स्थिति और खराब हो जाती है।

आगे की राह:

- **शासन में सुधार: पाँचवीं अनुसूची** के अनुसार **जनजातीय सलाहकार परिषदों** का गठन करना ताकि आदिवासियों को अपने संसाधनों के प्रबंधन में सशक्त बनाया जा सके।
  - भूमिहीनों को भूमि पुनर्वितरित करने के लिये **नौवीं अनुसूची** के अंतर्गत **भूमि हदबंदी अधिनियम** लागू करने की आवश्यकता है।
- **आर्थिक विकास:** बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **आक्रामक और समावेशी विकासात्मक पहलों** पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **अफीम की खेती** जैसी अवैध गतिविधियों पर निर्भरता को **कम करने** के लिये वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना।
- **सुरक्षा उपाय:** स्थानीय शासन संरचनाओं को सशक्त बनाते हुए जनजातीय क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिये **अर्द्ध-सैनिक बलों की विशेष इकाई** तैनात करना।
- **संसाधन प्रबंधन:** इस प्रक्रिया में हितधारकों के रूप में आदिवासियों के साथ **प्राकृतिक संसाधनों का सतत् और न्यायसंगत** दोहन सुनिश्चित करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: माओवादी उग्रवाद को खत्म करने के लिये भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली त्रि-आयामी रणनीति का विश्लेषण कीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जैवविविधता और पर्यावरण

UNCCD का COP16

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के पक्षकारों का 16वाँ सम्मेलन (COP16) सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 200 देशों ने भूमि पुनरुद्धार तथा सूखा प्रतिरोधक क्षमता को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- **पहली बार** UNCCD COP का आयोजन **मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्र** में हुआ।

UNCCD COP16 के प्रमुख परिणाम क्या थे ?

- **वैश्विक सूखा फ्रेमवर्क:** इसमें वैश्विक सूखा फ्रेमवर्क की दिशा में राष्ट्रों के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया तथा **मंगोलिया में वर्ष 2026 में होने वाले COP17** तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।
- **वित्तीय प्रतिज्ञाएँ:** मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण एवं सूखे से निपटने के क्रम में **12 बिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक की धनराशि देने का संकल्प लिया गया।
  - **रियाद ग्लोबल ड्रॉट रेज़िलियेंस पार्टनरशिप:** इसमें **80 कमज़ोर देशों** को सहायता देने के क्रम में **12.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई, जिसमें अरब समन्वय समूह के 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।
  - **ग्रेट ग्रीन वॉल (GGW) पहल:** अफ्रीका के नेतृत्व वाली **GGW पहल** के तहत साहेल परिदृश्य के पुनरुद्धार हेतु **इटली से 11 मिलियन यूरो तथा** 22 अफ्रीकी देशों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिये **ऑस्ट्रिया से 3.6 मिलियन यूरो** प्राप्त करने पर प्रकाश डाला गया।
  - **अनुकूलित फसलों और मृदाओं के लिये विज़न (VACS):** VACS पहल के लिये लगभग **70 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की घोषणा की गई।
    - VACS का लक्ष्य स्वस्थ मृदा में विविध, पौष्टिक तथा जलवायु-अनुकूलित फसलों के साथ **अनुकूल खाद्य प्रणालियों** का विकास करना है।
- **स्थानीय लोग और स्थानीय समुदाय: स्थानीय लोगों एवं स्थानीय समुदायों** के लिये कॉकस का गठन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके दृष्टिकोण तथा चुनौतियों का प्रतिनिधित्व किया जा सके।
  - **स्थानीय लोगों के फोरम** में प्रस्तुत पवित्र भूमि घोषणा, वैश्विक **भूमि एवं** सूखा प्रबंधन में अधिक भागीदारी पर केंद्रित है।
- **Business4Land पहल: यह मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण एवं सूखे (DLDD)** संबंधी चुनौतियों से निपटने के क्रम में **निजी क्षेत्र के प्रयास, पर्यावरण, सामाजिक तथा शासन (ESG) रणनीतियों** सहित धारणीय वित्त की भूमिका पर प्रकाश डालने पर केंद्रित है।
  - भूमि पुनर्स्थापन तथा सूखा रोकथाम हेतु वर्तमान में निजी क्षेत्र की वित्तपोषण में **केवल 6% की भागीदारी** है।
- **UNCCD का विज्ञान-नीति इंटरफेस (SPI): सभी पक्षों ने UNCCD के SPI को** जारी रखने पर सहमति (जिसकी स्थापना **वर्ष 2013 में COP11 (विंडहोक, नामीबिया)** में की गई थी) व्यक्त की ताकि वैज्ञानिक निष्कर्षों को निर्णयकर्त्ताओं हेतु सिफारिशों के रूप में उपयोग किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय

- **परिचय:** UNCCD तीन **रियो सम्मेलनों** में से एक है, जिसमें **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC)** और **जैवविविधता पर अभिसमय** शामिल हैं।
- **उद्देश्य और महत्त्व:** UNCCD की स्थापना **वर्ष 1994** में भूमि की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिये की गई थी, जिसका उद्देश्य एक स्थायी भविष्य बनाना था।
  - इसमें फसल की क्षति, पलायन और संघर्ष सहित **भूमि क्षरण तथा सूखे** के परिणामों पर चर्चा की गई है।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य लक्ष्य **भूमि क्षरण को कम करना** और **भूमि की रक्षा करना** है ताकि सभी लोगों के लिये भोजन, जल, आश्रय तथा आर्थिक अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा:** यह मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिये **एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है।
- **सदस्यता:** इस सम्मेलन में **197 पक्षकार** हैं, जिनमें 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- **सिद्धांत:** यह **भागीदारी, साझेदारी** और **विकेंद्रीकरण** के सिद्धांतों पर काम करता है।

इंटरनेशनल ड्रॉट रेज़िलियेंस ऑब्जर्वेटरी

- **इंटरनेशनल ड्रॉट रेज़िलियेंस ऑब्जर्वेटरी (IRDO) पहला वैश्विक AI-संचालित मंच है** जो देशों को गंभीर सूखे से निपटने के लिये उनकी क्षमता का आकलन करने और उसे बढ़ाने में मदद करता है।
- यह नवोन्मेषी उपकरण **इंटरनेशनल ड्रॉट रेज़िलियेंस एलायंस (IDRA)** की एक पहल है।
  - IDRA एक वैश्विक गठबंधन है जो **देशों, शहरों और समुदायों** में सूखे से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिये **राजनीतिक, तकनीकी एवं वित्तीय पूंजी** जुटाने में मदद करता है।
  - इसे **स्पेन और सेनेगल** द्वारा **शर्म अल-शेख** में **UNFCCC के 27 वें सम्मेलन (COP27)** में लॉन्च किया गया था।

मरुस्थलीकरण क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

- **मरुस्थलीकरण:** मरुस्थलीकरण **भूमि क्षरण** का एक प्रकार है, जिसमें पहले से ही **अपेक्षाकृत शुष्क भूमि क्षेत्र और अधिक शुष्क हो जाता है,** जिससे उत्पादक मृदा क्षीण हो जाती है तथा जल निकायों, जैवविविधता एवं वनस्पति आवरण नष्ट हो जाता है।
  - यह **जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, अत्यधिक चारण और असंवहनीय कृषि पद्धतियों** सहित कई कारकों के संयोजन से प्रेरित है।

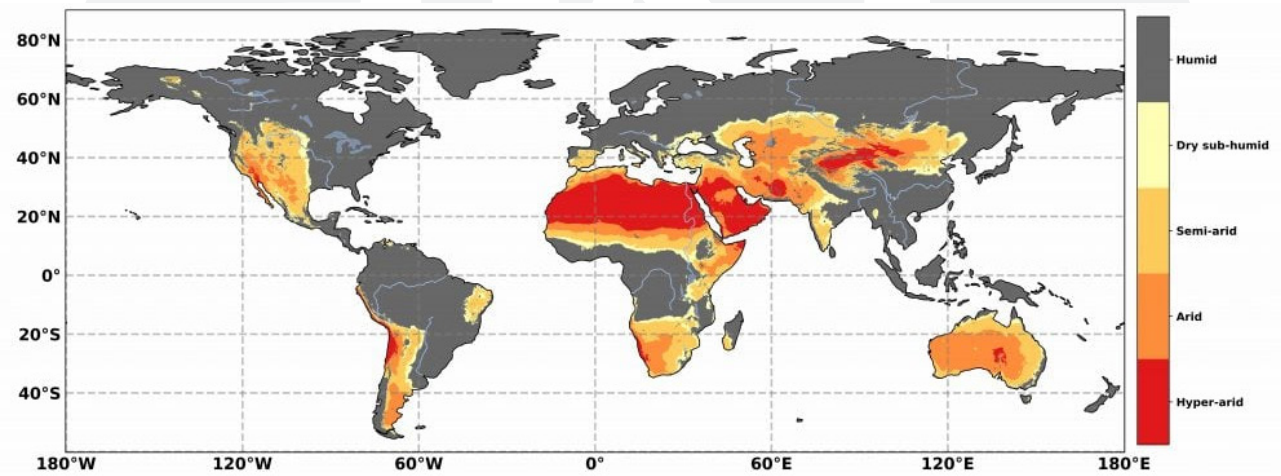

- **वर्तमान स्थिति:**
  - **शुष्क भूमि का विस्तार:** UNCCD की रिपोर्ट *' द ग्लोबल थ्रेट ऑफ ड्राईंग लैंड्स'* **के अनुसार, 1990 के दशक से पृथ्वी की 77.6% भूमि** शुष्कता का अनुभव कर रही है।
    - **पृथ्वी की स्थलीय सतह (अंटार्कटिका को छोड़कर)** का **40.6% भाग** शुष्क भूमि है, जो उत्पादक भूमि में तेज़ी से हो रही कमी को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रभावित प्रमुख क्षेत्र: यूरोप** (इसकी 95.9% भूमि), **ब्राज़ील के कुछ भाग, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, एशिया** और **मध्य अफ्रीका में** महत्त्वपूर्ण रूप से सूखे की प्रवृत्ति देखी जा रही है।
  - **अफ्रीका** और **एशिया के** कुछ भागों में पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण तथा मरुस्थलीकरण हो रहा है, जिससे जैवविविधता को खतरा है।
- **अनुमानित भविष्य का प्रभाव:** अनुमानों से पता चलता है कि, सबसे खराब स्थिति में, सदी के अंत तक **5 अरब लोग** शुष्क भूमि पर रह सकते हैं और उन्हें **मृदा के क्षरण, जल की कमी** तथा **पारिस्थितिकी तंत्र के पतन** जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

नोट: नौ ग्रहीय सीमाएँ:

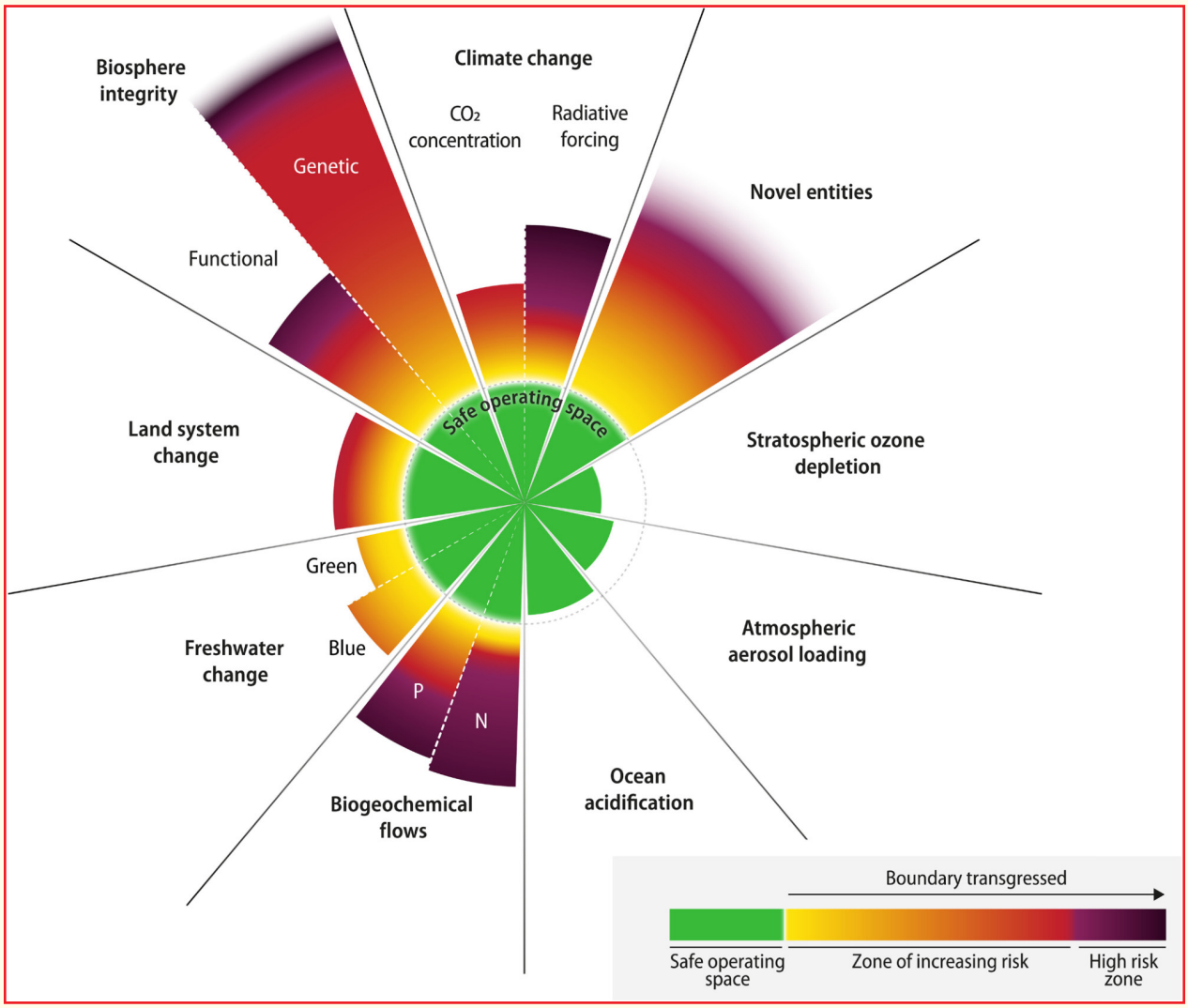

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के निहितार्थ क्या हैं ?

- **ग्रहीय सीमाओं को खतरा:** **नौ में से सात ग्रहीय सीमाओं** पर असंवहनीय भूमि उपयोग के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, **जैसा कि UNCCD की रिपोर्ट में रेखांकित किया** गया है।
  - विश्व में **स्वच्छ जल के उपयोग का 70%, वनों की कटाई का 80% तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 23% कृषि** के कारण होता है।
- **आर्थिक लागत:** सूखे से **विश्वभर में 1.8 बिलियन लोग प्रभावित** होते हैं और सूखे से होने वाला आर्थिक नुकसान **प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** होने का अनुमान है, जिससे कृषि, ऊर्जा और जल उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- **सामाजिक लागत: जल की कमी** और **कृषि की बर्बादी के** कारण **मध्य पूर्व, अफ्रीका** तथा **दक्षिण एशिया** सहित विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
- **खाद्य सुरक्षा:** भूमि क्षरण से **वैश्विक खाद्य आपूर्ति का छठा हिस्सा खतरे में पड़ सकता है,** जिससे **पृथ्वी के कार्बन भंडार का एक तिहाई हिस्सा समाप्त हो सकता है।**
- **प्राकृतिक आपदाओं से संबंध:** शुष्कता के कारण, विशेष रूप से अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क जैव ईंधन में वृद्धि के कारण, बड़े पैमाने पर वनाग्नि जैसी घटनाएँ देखने को मिल रही हैं।
  - **रेत और धूल के तूफान** विशेष रूप से **मध्य पूर्व में** सामान्य होते जा रहे हैं।

भारत में मरुस्थलीकरण की वर्तमान स्थिति:

- **UNCCD के आँकड़ों अनुसार**, वर्ष 2015-2019 तक भारत की कुल 30.51 मिलियन हेक्टेयर भूमि का क्षरण हुआ है।
  - इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2019 तक देश के **9.45% भू-भाग** का क्षरण हो चुका था। जो **वर्ष 2015 में 4.42%** था।
- **भारत की कुल बंजर भूमि 43 मिलियन फुटबॉल के मैदानों के** आकार के बराबर है।
- उस दौरान भूमि क्षरण से **251.71 मिलियन भारतीय**, या देश की कुल जनसंख्या का **18.39%** प्रभावित हुआ।
- वर्ष 2015 से 2018 तक देश में **854.4** मिलियन लोग सूखे के खतरे में थे।

आगे की राह:

- **पुनर्वनीकरण एवं वनरोपण:**
  - **पुनर्वनरोपण: उज़्बेकिस्तान** के पुनर्वनरोपण कार्यक्रम के तहत **अराल रेगिस्तान** के दस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में **वृक्ष और झाड़ियाँ लगाई गई हैं** तथा मिट्टी को स्थिर करने एवं रेत के तूफानों को रोकने के लिये सूखा प्रतिरोधी **ब्लैक सैक्सुअल श्रब्स/झाड़ियों *(हेलोक्सीलोन एफिलम) का उपयोग*** *किया गया है।*
  - **वनरोपण: "ग्रेट ग्रीन वॉल"** का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना है, जिसमें साहेल और सहारा क्षेत्र** के 22 अफ्रीकी देश शामिल होंगे।
- **कृषि वानिकी:** वृक्षों को कृषि फसलों के साथ एकीकृत करने से **मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो** सकता है, जल संरक्षण तथा मिट्टी का कटाव कम हो सकता है।
- **जल प्रबंधन तकनीकें: वर्षा जल संचयन और ड्रिप सिंचाई** से पौधों की जड़ों तक कुशलतापूर्वक पानी पहुँचाया जा सकता है, जिससे जल की कमी वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण तथा अपवाह को कम किया जा सकता है।
  - **सूखा प्रतिरोधी फसलें** लगाने से जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी कृषि की जा सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- **आवास पुनर्स्थापन: आर्द्रभूमि और नदी-तल** जैसे प्राकृतिक आवासों का संरक्षण तथा पुनर्वास, जैवविविधता को पुनर्स्थापित करता है, **मिट्टी की नमी में सुधार करता है** एवं मरुस्थलीकरण के विरुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की सहिष्णुता को बढ़ाता है।
- **मूल कारणों पर ध्यान देना: वनों की कटाई, खराब भूमि प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन जैसे मरुस्थलीकरण के कारणों पर ध्यान देना,** साथ ही स्थिरता को बढ़ावा देने वाली नीतियों का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

आर्द्रभूमि संरक्षण को सुदृढ़ बनाना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने कार्यकर्त्ताओं द्वारा दायर एक जनहित याचिका में, लगभग 30,000 अतिरिक्त **आर्द्रभूमियों**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

के संरक्षण का आदेश दिया, जो ***एम.के. बालाकृष्णन बनाम भारत संघ मामले*** में वर्ष 2017 के निर्णय के अनुसार 201,503 आर्द्रभूमियों के पूर्व संरक्षण पर आधारित है।

- न्यायालय ने **राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** को तीन महीने के भीतर इन आर्द्रभूमियों की ज़मीनी जाँच और सीमांकन का काम पूरा करने का आदेश दिया।

आर्द्रभूमियाँ क्या हैं ?

- जलीय व स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो दीर्घावधि में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से, खारे या ताजे जल से भरा हुआ अथवा जल से संतृप्त हो, आर्द्र भूमि कहा जाता है जिसमें समुद्रतटीय भाग भी शामिल है जहाँ लघु ज्वार की स्थिति में जल की गहराई 6 मीटर से अधिक न हो।
  - **आर्द्रभूमियाँ इकोटोन होती हैं,** जिनमें स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि होती है।

आर्द्रभूमि के प्रकार:

- **तटीय आर्द्रभूमि:** यह नदियों से अप्रभावित होकर **भूमि और खुले समुद्र के बीच** पाई जाती हैं।
  - उदाहरणों में **तटरेखाएँ, समुद्र तट, मैंग्रोव** और **प्रवाल भित्तियाँ** शामिल हैं, जैसे कि संरक्षित उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में **मैंग्रोव दलदल** इसका एक अच्छा उदहारण है।
- **उथली झीलें और तालाब:** कम प्रवाह वाले स्थायी या अर्द्ध-स्थायी जल के क्षेत्र, जिनमें लवणीय झीलें और ज्वालामुखी क्रेटर झीलें शामिल हैं।
- **दलदल:** ये जल से संतृप्त क्षेत्र या जल से भरे क्षेत्र होते हैं और आर्द्र मृदा की स्थिति के **अनुकूल जड़ी-बूटियों वाली वनस्पतियाँ** इनकी विशेषता होती है।
  - वे ज्वारीय या गैर-ज्वारीय हो सकते हैं।
- **स्वैंप्स:** ये मुख्य रूप से सतही जल द्वारा पोषित होते हैं तथा यहाँ **वृक्ष व झाड़ियाँ** पाई जाती हैं। ये मीठे जल से खारे जल के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं।
- **बॉग्स:** बॉग्स **दलदल पुरानी झील घाटियाँ** अथवा भूमि में जलभराव वाले गड्ढे हैं। इनमें लगभग सारा पानी वर्षा के दौरान जमा होता है।
- **ज्वारनदमुख (Estuaries):** वे क्षेत्र जहाँ **नदियाँ समुद्र से मिलती हैं,** मीठे जल से खारे जल में परिवर्तित होती हैं, जैवविविधता से समृद्ध हैं।
  - उदाहरणों में डेल्टा, ज्वारीय पंक और लवणीय दलदल शामिल हैं।

आर्द्रभूमि का महत्त्व:

- **प्राकृतिक जल शोधक: तलछट को रोककर, प्रदूषकों को विघटित करके तथा अतिरिक्त पोषक तत्त्वों को अवशोषित करके, आर्द्रभूमि प्राकृतिक जल शोधक** के रूप में कार्य करती हैं।
  - इस प्रक्रिया से जल की गुणवत्ता में सुधार होता है, यह सुनिश्चित होता है कि यह मानव उपभोग के लिये स्वच्छ और सुरक्षित है तथा समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।
- **बाढ़ की रोकथाम:** वे अतिरिक्त जल को अवशोषित और संग्रहीत करते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है जिससे घरों और बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा होती है।
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** इस बात पर ज़ोर देता है कि आर्द्रभूमि आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे को 60% तक कम कर सकती है।
- **वन्यजीवों के लिये आवास:** आर्द्रभूमि पक्षियों, मछलियों और अन्य वन्यजीवों की कई प्रजातियों के लिये महत्त्वपूर्ण आवास प्रदान करती है, जिनमें **सारस क्रेन** जैसी संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी शामिल हैं।
  - **अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (SAC) द्वारा तैयार राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची एवं मूल्यांकन** के अनुसार, आर्द्रभूमियाँ **पृथ्वी की सतह के केवल 6% भाग** को कवर करने के बावजूद, **विश्व की 40% से अधिक प्रजातियों का आवास स्थल हैं।**
- **कार्बन पृथक्करण:** आर्द्रभूमियाँ मिट्टी और वनस्पति में बड़ी मात्रा में कार्बन संग्रहित करती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है।
  - **भारतीय जलवायु परिवर्तन आकलन नेटवर्क (INCCA)** इस बात पर ज़ोर देता है कि आर्द्रभूमियों को

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बहाल करने से **कार्बन अवशोषण** को बढ़ाकर, जल गुणवत्ता में सुधार करके तथा बाढ़ के खतरों को कम करके भारत के जलवायु लक्ष्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है।

- **आजीविका:** कई समुदाय मछली संग्रहण, कृषि और पर्यटन के माध्यम से अपनी आजीविका के लिये आर्द्रभूमि पर निर्भर हैं।
  - **एशिया, अफ्रीका और अमेरिका** में लगभग एक अरब परिवार अपनी आजीविका के लिये चावल की खेती पर निर्भर हैं। वेटलैंड धान चावल 3.5 अरब लोगों के लिये मुख्य भोजन है, जो वैश्विक कैलोरी सेवन का 20% प्रदान करता है।

भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति क्या है ?

- **अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC)** द्वारा उपग्रह आधारित अवलोकन के अनुसार, भारत में लगभग 231,195 आर्द्रभूमियाँ हैं। हालाँकि **आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम 2017 के तहत केवल 92 आर्द्रभूमियों को आधिकारिक तौर पर संरक्षण हेतु अधिसूचित** किया गया है।

आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिये उठाए गए कदम:

- **रामसर अभिसमय:** भारत **1 फरवरी, 1982** को **रामसर अभिसमय** में शामिल हुआ और तब से **1,367,749** हेक्टेयर क्षेत्र में फैली **85 आर्द्रभूमियों** को अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया है।
  - **नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काज़ुवेली पक्षी अभयारण्य** (तमिलनाडु) और **मध्य प्रदेश का तवा जलाशय को हाल ही में आर्द्रभूमियों** के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- **मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड:** **मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड** अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की सूची पर रामसर अभिसमय के अंतर्गत आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है।
  - **आद्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017**
  - **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कार्य योजना**
  - **जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय योजना (NPCA)**
  - **अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना**

आर्द्रभूमि संरक्षण में चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **अपर्याप्त कानूनी ढाँचा:**
  - **विनियामक चुनौतियाँ: हालाँकि आद्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017** जैसे कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से नहीं किया जाता है। कई आद्रभूमियाँ असुरक्षित हैं या उनका प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाता।
    - वर्ष 2022-23 की **जल निकाय जनगणना** से पता चलता है कि **भारत में 24,24,540 जल निकाय हैं, जिनमें से 55% निजी स्वामित्त्व** वाले हैं, **जिससे संरक्षण के प्रयास जटिल हो जाते हैं** ।
  - **विकेंद्रीकरण के मुद्दे:** आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिये राज्य सरकारों को शक्तियाँ सौंपे जाने से विभिन्न क्षेत्रों में **कार्यान्वयन और संरक्षण में असंगतियाँ उत्पन्न हो गई हैं।**
- **शहरीकरण और भूमि उपयोग परिवर्तन:**
  - **अतिक्रमण:** तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण से आर्द्रभूमियों का विनाश हुआ है, जिससे उनके आकार और पारिस्थितिक कार्य में कमी आई है। **चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में** महत्त्वपूर्ण गिरावट देखी गई है।
    - पिछले 30 वर्षों में, शहरीकरण, प्रदूषण और कृषि के कारण **भारत की 30% आर्द्रभूमि** नष्ट हो गई हैं।
- **प्रदूषण और जल गुणवत्ता में गिरावट:**
  - **औद्योगिक उत्सर्जन:** पूर्वी कोलकाता सहित कई आर्द्रभूमियों का स्वास्थ्य और जैवविविधता पर अनुपचारित सीवेज, कृषि अपवाह और औद्योगिक अपशिष्टों से होने वाले प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - **आक्रामक प्रजातियाँ:** आक्रामक पौधों की प्रजातियों के प्रवेश से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बाधित होने से स्थानीय वनस्पतियों एवं जीवों को खतरा हो सकता है।
    - उदाहरण के लिये, **जलकुंभी *(Eichhornia crassipes)*** एक आक्रामक पौधे की प्रजाति है जो भारत के जल निकायों में मिलती है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:**
  - **परिवर्तित जल विज्ञान:** जलवायु परिवर्तन से वर्षा का पैटर्न प्रभावित होने से जल स्तर में परिवर्तन होने के साथ आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र बाधित (जैसा कि **सुंदरवन** में देखा गया है) हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- आर्द्रभूमियाँ बाढ़ एवं सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती जा रही हैं, जिससे उनका पारिस्थितिक संतुलन बाधित हो सकता है।

- **जागरूकता की कमी:**
  - **शैक्षिक अंतराल:** कई समुदाय आर्द्रभूमि से मिलने वाले लाभों (जैसे- बाढ़ नियंत्रण, जल शोधन, और जीवों के लिये आवास) को नहीं समझते हैं।
    - आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी महत्त्व के बारे में आम लोगों तथा नीति निर्माताओं में जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण संरक्षण के प्रयास अपर्याप्त बने हुए हैं।

रामसर अभिसमय (RAMSAR CONVENTION)

Drishti IAS

परिचय:

- इसे आर्द्रभूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है।
- यह एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे वर्ष **1971** में रामसर, ईरान में अपनाया गया।
- वर्ष **1975** में इसे लागू किया गया।
- ऐसी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व रखती हों।
- **विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल:** पैंटानल, दक्षिण अमेरिका।

मोंट्रेक्स रिकॉर्ड:

- वर्ष **1990** में मोंट्रेक्स (स्विटजरलैंड) में इसे अपनाया गया।
- यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है।

आर्द्रभूमियाँ:

- आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान है जहाँ भूमि मौसमी अथवा स्थायी रूप से जल (खारा या मीठा/ताजा अथवा इन दोनों के बीच की स्थिति) से ढकी होती है।
- यह नदियों, दलदल, मैंग्रोव, कीचड़ युक्त भूमि, तालाबों, जलमग्न स्थान, बिलबोंग (नदी की वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो गई हो), लैगून, झीलों और बाढ़ के मैदानों सहित विभिन्न रूपों में हो सकती है।
- **विश्व आर्द्रभूमि दिवस:** 2 फरवरी

भारत और रामसर अभिसमय:

- भारत में रामसर अभिसमय वर्ष **1982** में लागू हुआ।
- **रामसर स्थलों की कुल संख्या: 75**
- चिल्का झील (ओडिशा), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान), हरिके झील (पंजाब), लोकटक झील (मणिपुर), वुलर झील (जम्मू और कश्मीर) आदि।
- **भारत में संबंधित फ्रेमवर्क**
  - आर्द्रभूमियों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, **1986** के प्रावधानों के तहत 'आद्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम, **2017**' को अधिसूचित किया है।
  - ये नियम आर्द्रभूमियों के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करते हैं तथा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या केंद्रशासित प्रदेश आर्द्रभूमि प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करते हैं।

प्रमुख तथ्य

- **भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल:** सुंदरबन, पश्चिम बंगाल
- **भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल:** वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु
- **सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य:** तमिलनाडु (14)
- **मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्रभूमियाँ:**
  - केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान
  - लोकटक झील, मणिपुर

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आगे की राह

- **नीतियों में आर्द्रभूमियों को महत्त्व देना:**
  - **उत्सर्जन लक्ष्य:** आर्द्रभूमि के **ब्लू कार्बन** को शामिल करने से संरक्षण लक्ष्यों (भारत का वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य) को समर्थन मिल सकता है लेकिन वर्तमान में व्यवस्थित सूची की कमी के कारण इसे अनदेखा किया जाता है।
    - आर्द्रभूमि के कार्बन भंडारण और GHG उत्सर्जन को राष्ट्रीय कार्बन स्टॉक एवं प्रवाह आकलन में शामिल करना चाहिये।
    - इसके अतिरिक्त पीटलैंड की कार्बन गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने एवं प्रबंधित करने के लिये उनकी विस्तृत सूची बनानी चाहिये।
- **आर्द्रभूमि का प्रभावी प्रबंधन:**
  - **एकीकृत दृष्टिकोण:** एकीकृत योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी के साथ **आर्द्रभूमि के निकटवर्ती क्षेत्र में अनियोजित शहरीकरण** की समस्या का समाधान करना चाहिये।
    - पारिस्थितिकीविदों, जलग्रहण प्रबंधन विशेषज्ञों, योजनाकारों एवं निर्णयकर्त्ताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये।
- **मेगा शहरी योजनाओं के साथ समन्वय विकसित करना:**
  - **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को महत्त्व देना:** विकास नीतियों, शहरी नियोजन एवं जलवायु परिवर्तन शमन में आर्द्रभूमि की भूमिका पर बल देना चाहिये।
    - **स्मार्ट सिटी मिशन** और **अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन** जैसी पहलों के साथ धारणीय आर्द्रभूमि प्रबंधन को एकीकृत करना चाहिये।
- **जन भागीदारी को बढ़ावा देना:**
  - **सार्वजनिक भागीदारी: दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान, दिल्ली 2041 में** 'ग्रीन और ब्लू परिसंपत्तियों' के एकीकृत नेटवर्क के संरक्षण एवं विकास हेतु सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित किया गया।
    - **महाराष्ट्र के मांडवी क्रीक में** स्वामिनी **स्वयं सहायता समूह की** मैंग्रोव सफारी, पारिस्थितिकी पर्यटन के तहत समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण का एक मॉडल है।

कृषि विस्तार से जैवविविधता को खतरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि **कृषि विस्तार** के कारण **पश्चिमी घाट** में **मेंढकों की आबादी खतरे में** पड़ रही है।

- यह कृषि विस्तार के **व्यापक विमर्श** का हिस्सा है, जो **जैवविविधता को खतरे में डाल रहा है तथा आवास को क्षति** पहुँचा रहा है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

- **कृषि विस्तार का प्रभाव:** बागानों और चावल के खेतों की वृद्धि से मेंढकों की आबादी के लिये खतरा पैदा हो गया है; **काजू और आम के बागानों में मेंढकों की संख्या सबसे कम** है, जबकि **धान के खेतों में विविधता न्यून** है।
- **दुर्लभ मेंढक प्रजातियों में कमी:** **CEPF बुरोइंग मेंढक (मिनरवेरा सेप्फी)** और **गोवा फेजेरवेरा (मिनरवेरा गोमांतकी)** जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ, परिवर्तित कृषि आवासों में **दुर्लभ** थीं।
- **वैश्विक और स्थानीय उभयचरों में गिरावट:** विश्व भर में लगभग **40.7% (8,011 प्रजातियाँ)** उभयचरों को आवास क्षति, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और **चिट्रिडिओमाइकोसिस** जैसी बीमारियों के कारण **संकटग्रस्त** माना गया है।
  - **पश्चिमी घाट,** जो 252 उभयचर प्रजातियों (226 मेंढक) के साथ एक **जैवविविधता हॉटस्पॉट** है, **आवास क्षति** और मेंढक आबादी में गिरावट का सामना कर रहा है।
- **गिरावट के कारण:**
  - **माइक्रो हैबिटेट की क्षति: रॉक पूल** जैसे महत्त्वपूर्ण माइक्रो हैबिटेट आवास, जो सूखे के दौरान **मेंढक के अंडों और टैडपोल** की रक्षा करते हैं, **कृषि पद्धतियों** के कारण खतरे में पड़ रहे हैं।
  - **आर्द्रभूमि का विनाश:** कृषि और शहरी विस्तार मेंढक प्रजनन के लिये महत्त्वपूर्ण **आर्द्रभूमियों को नुकसान पहुँचा** रहा है।
  - **कृषि अपवाह: कीटनाशकों और उर्वरकों** के साथ कृषि अपवाह जल की गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाता है, जिससे संवेदनशील मेंढक आबादी खतरे में पड़ जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जलवायु परिवर्तन:** मेंढकों की सूक्ष्म पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता उन्हें **जलवायु परिवर्तन** और मानवीय व्यवधानों के प्रति **संवेदनशील** बनाती है।

नोट: भारतीय समुदायों में मेंढकों का **सांस्कृतिक महत्त्व** है, जो **वर्षा और उर्वरता** का प्रतीक है। उदाहरण,

- **असम** में ***भेकुली बिया* (मेंढक विवाह) की प्रथा वर्षा को आमंत्रित करने** के साधन के रूप में प्रचलित है।
- **दक्षिण भारत** में, **मेंढक विवाह को मण्डूक परिणय** के नाम से जाना जाता है, जिसमें **वर्षा के लिये प्रार्थना** की जाती है।
- **उत्तर प्रदेश** में **सोनभद्र, गोरखपुर और वाराणसी** जैसी जगहों पर मेंढक विवाह की प्रथा है।
- **केरल** की **नादुकानी-मूलमट्टम-कुलमावु जनजातियाँ** मानसून के दौरान भोजन के लिये **पिगनोज़ पर्पल फ्रॉग** का पालन करती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

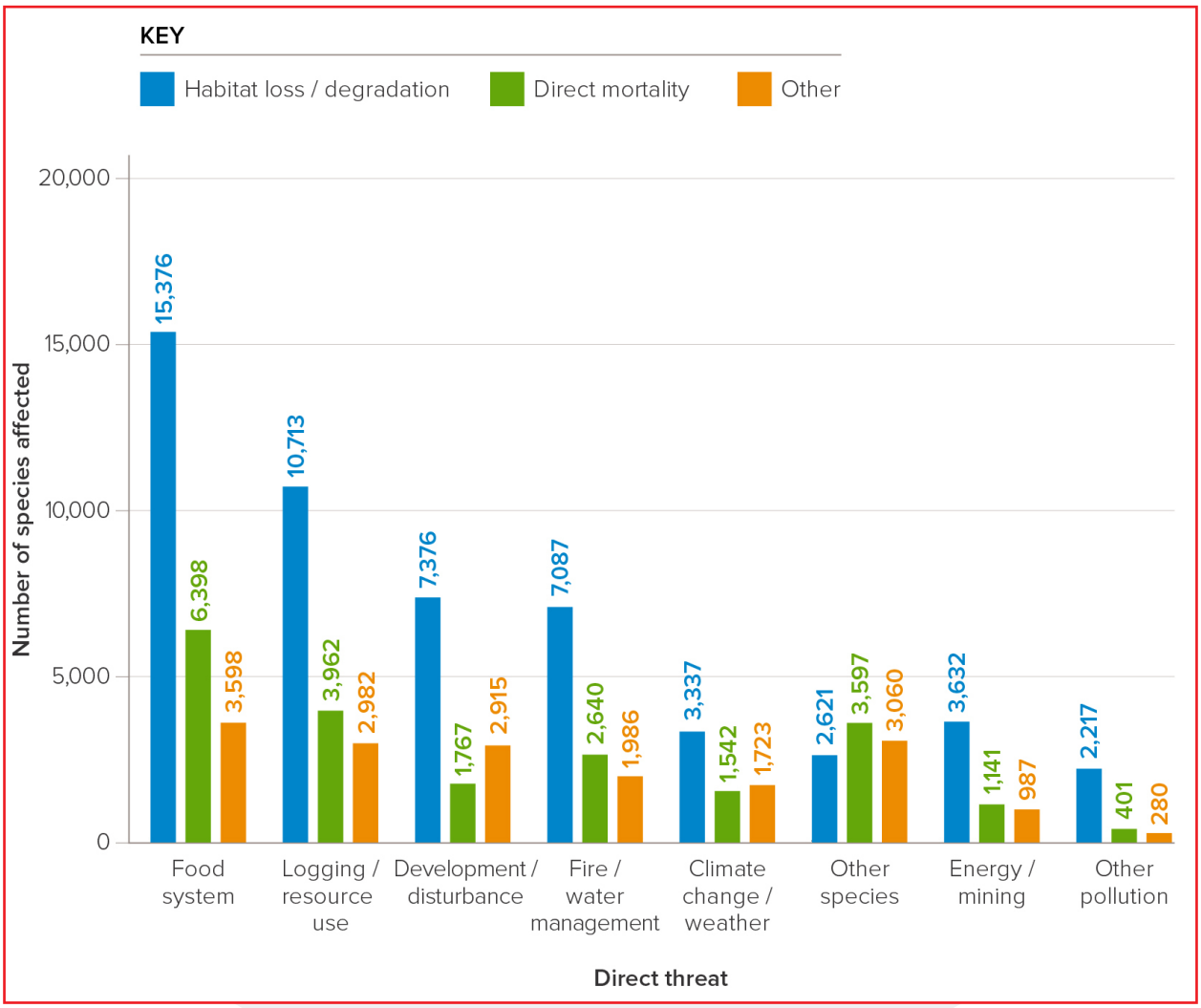

कृषि विस्तार जैवविविधता को कैसे नुकसान पहुँचाता है ?

- **वनों की कटाई:** वनों को कृषि भूमि में परिवर्तित करना **आवासीय क्षति का प्रमुख कारण** है।
  - **वर्ष 1990 के बाद से** विश्व भर में प्राथमिक वन के क्षेत्रफल में **80 मिलियन हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है,** जिसके परिणामस्वरूप आवास विनाश, **विखंडन** और अंततः विलुप्ति हुई है।
- **आवास विनाश: वर्ष 1962 और वर्ष 2017** के बीच, वैश्विक स्तर पर लगभग **340 मिलियन हेक्टेयर** कृषि भूमि और **470 मिलियन हेक्टेयर** प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को चारागाह में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे **महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों** का विनाश हुआ।
- **मोनोकल्चर: पशुपालन, सोया और ताड़ के तेल की कृषि** जैसी बड़े पैमाने की कृषि पद्धतियों वाले विविध पारिस्थितिक तंत्रों की जगह **मोनोकल्चर** को महत्त्व दिया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **रसायनों का अत्यधिक उपयोग:** औद्योगिक कृषि पद्धतियाँ, विशेषकर **कीटनाशकों, उर्वरकों और रसायनों** का अत्यधिक उपयोग **भूजल** और **जल प्रणालियों** को प्रदूषित करता है, जिससे जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं।
- **निम्न कार्बन भंडारण:** कृषि भूमि में मूल वनों या वनस्पतियों की तुलना में **निम्न कार्बन का भंडारण** है।
  - भूमि-उपयोग में परिवर्तन से **दीर्घावधि में 17 गीगाटन CO_2 उत्सर्जित हो सकती है**, जिससे जलवायु संकट और अधिक गंभीर हो सकता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान उत्पन्न होने से जैवविविधता को खतरा हो सकता है।
- **विलुप्त होने का खतरा: IUCN द्वारा संकटग्रस्त के रूप में पहचानी गई 25,000 प्रजातियों** में से लगभग **13,382 प्रजातियाँ** मुख्य रूप से कृषि भूमि के क्षरण के कारण खतरे में हैं।
  - इसके अतिरिक्त, लगभग **3,019 प्रजातियाँ शिकार और मत्स्य संग्रहण** तथा 3,020 प्रजातियाँ खाद्य प्रणाली से होने **वाले प्रदूषण** से प्रभावित होती हैं।
- **प्रजातियों का पृथक्करण:** अंत:प्रजनन, संसाधनों की कमी और सीमित गतिशीलता के परिणामस्वरूप, कृषि विस्तार से आवास खंडित हो जाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं, साथ ही प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है।

कृषि विस्तार और जैवविविधता संरक्षण को कैसे संतुलित किया जा सकता है?

- **उपज अंतराल (Closing Yeild Gap) को कम करना:** कई निम्न आय वाले देशों में, बढ़ती खाद्य मांग के **बावजूद उपज** स्थिर रही है, **जिसके कारण भूमि क्षरण में वृद्धि हुई** है।
  - **उच्च जैवविविधता वाले उष्णकटिबंधीय देशों** में उपज अंतराल को कम करना, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर और अधिक अतिक्रमण किये बिना खाद्यान्न की मांग को पूरा करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **उपज अंतर वर्तमान और संभावित उपज** के बीच का अंतर है।
- **सतत् गहनता: परिशुद्ध कृषि** उर्वरक उपयोग को अनुकूलित करके प्रदूषण, उत्सर्जन और भूमि उपयोग को कम करती है, जिससे किसानों को **कम पर्यावरणीय लागत के साथ उच्च पैदावार बनाए रखने में मदद मिलती है।**
- **विविधीकृत कृषि प्रणालियाँ: अंतर-फसल** (एक साथ कई फसलें उगाना) या **आवरण फसलों का उपयोग करने जैसी पद्धतियाँ अतिरिक्त रासायनिक इनपुट के बिना उत्पादकता** तथा मिट्टी की उर्वरता एवं कीट नियंत्रण को बढ़ा सकती हैं।
- **भूमि-उपयोग नियोजन:** मज़बूत **भूमि-उपयोग नियोजन** और **क्षेत्रीकरण नीतियाँ, जो उच्च पारिस्थितिक मूल्य** वाले क्षेत्रों की रक्षा करती हैं, संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करते हुए कृषि विकास को निर्देशित कर सकती हैं।
- **स्वस्थ आहार:** ऐसे आहार जो अधिक **पौधे-आधारित होते हैं** तथा **संसाधन-गहन मांस उत्पादन पर कम निर्भर होते हैं**, उन्हें कम फसल भूमि की आवश्यकता होती है तथा उनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिये **समुद्री भोजन लाल मांस** का एक स्वस्थ विकल्प है।
- **खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना:** खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को आधे में कम करने से विश्व में खाद्यान्न की खपत में 15% की कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप 230 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष:

कृषि विस्तार जैवविविधता के लिये महत्त्वपूर्ण खतरे उत्पन्न करता है, जिसका उदाहरण पश्चिमी घाट में मेंढकों की आबादी में गिरावट है। हालाँकि **उपज अंतराल को कम करने, परिशुद्ध कृषि, विविध खेती और उचित भूमि-उपयोग योजना जैसी सतत् विधियाँ जैवविविधता संरक्षण** के साथ खाद्य उत्पादन को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं, जिससे पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सकती हैं।

18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने **भारत वन स्थिति रिपोर्ट** 2023 शृंखला की 18वीं रिपोर्ट **(ISFR 2023)** जारी की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ISFR को भारतीय वन विज्ञानी (F-असोसिएटर)** द्वारा वर्ष 1987 में द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया गया था।

ISFR 2023 के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

- **वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल:** देश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल **8,27,356.95 वर्ग किमी है,** जो देश का भौगोलिक क्षेत्र (GA) का **25.17% है।**
- कुल **वन** क्षेत्रफल **7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर (21.76%) है,** जबकि **वृक्ष** क्षेत्रफल **1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर (3.41%) है।**

वर्ग	क्षेत्रफल (किमी.□)	भौगोलिक क्षेत्र (GA) का प्रतिशत
वन आवर्द्धन	7,15,342.61	21.76%
वृक्षारोपण	1,12,014.34	3.41%
कुल वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल	**8,27,356.95**	**25.17%**
स्क्रब	43,622.64	1.33%
गैर वन क्षेत्र	24,16,489.29	73.50%
देश का भौगोलिक क्षेत्र	**32,87,468.88**	**100.00%**

- **वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि:** देश के वन एवं वृक्षावरण में **1,445.81 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है,** जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में **156.41 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।**
  - **अधिकतम वृद्धि (वन एवं वृक्षावरण): छत्तीसगढ़ (684 वर्ग किमी.)** उसके बाद उत्तर प्रदेश (559 वर्ग किमी.), ओडिशा (559 वर्ग किमी.) तथा राजस्थान (394 वर्ग किमी.)।
  - **अधिकतम वृद्धि (वनावरण): मिज़ोरम (242 वर्ग किमी.)** उसके बाद गुजरात (180 वर्ग किमी.) और ओडिशा (152 वर्ग किमी.)।
  - **सबसे ज़्यादा कमी: मध्यप्रदेश (612.41 वर्ग किमी.)** उसके बाद कर्नाटक (459.36 वर्ग किमी.), लद्दाख (159.26 वर्ग किमी.) और नगालैंड (125.22 वर्ग किमी.)।
- क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष तीन राज्य मध्यप्रदेश (77,073 वर्ग किमी.) हैं, **जिसके बाद** अरुणाचल **प्रदेश** (65,882 वर्ग किमी.) और **छत्तीसगढ़** (55,812 वर्ग किमी.) हैं।
  - कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के **प्रतिशत** की दृष्टि से, **लक्षद्वीप** (91.33%) में सबसे अधिक वनावरण है, जिसके बाद **मिज़ोरम** (85.34%) और **अंडमान एवं निकोबार द्वीप** (81.62%) का स्थान है।

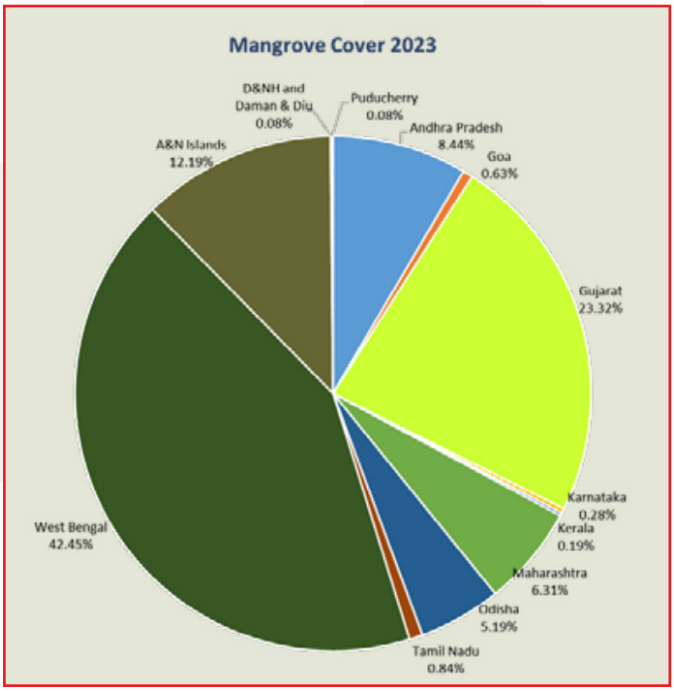

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

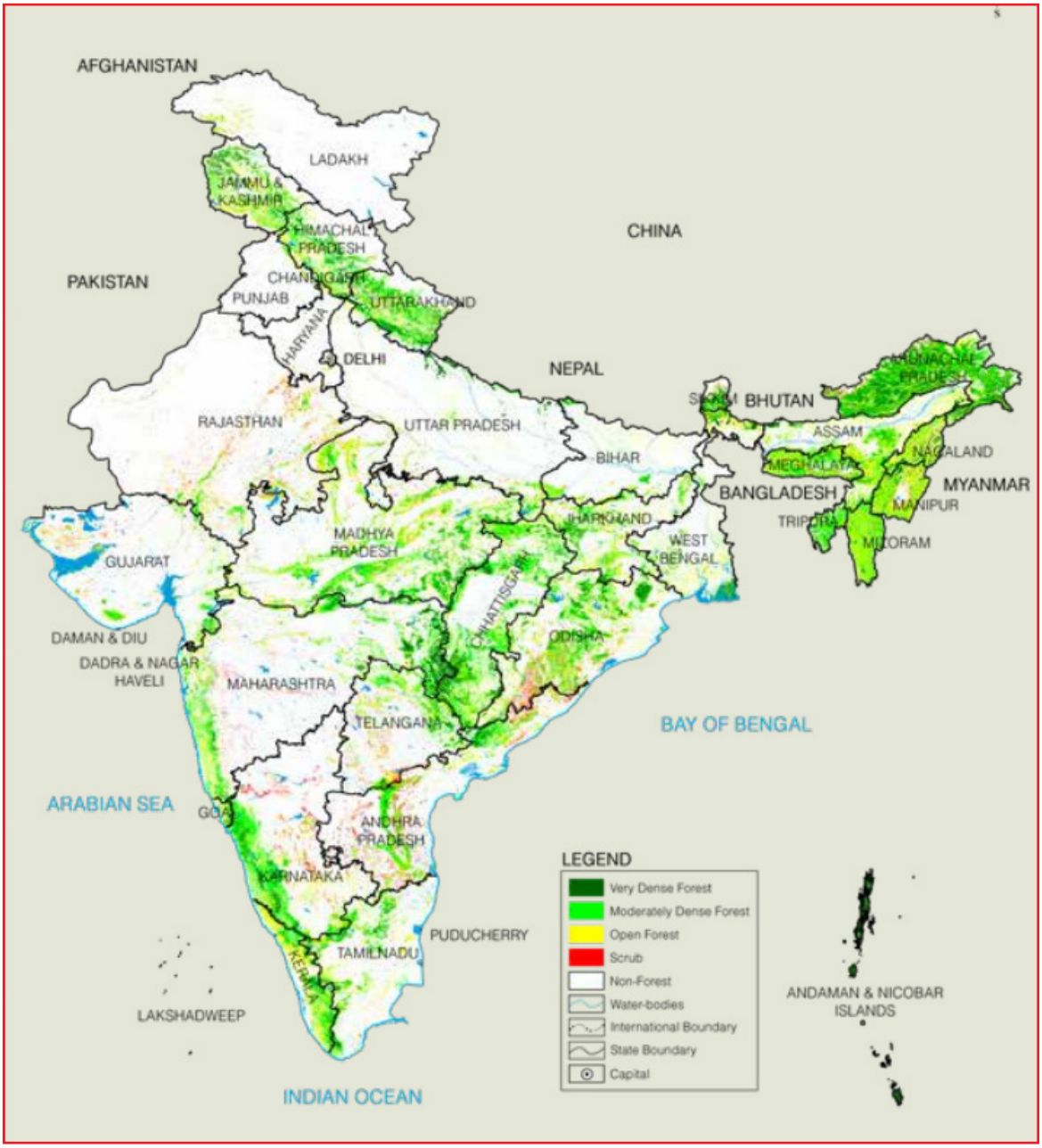

- **उच्च वनावरण: 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों** में **33% से अधिक** भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है।
  - इनमें से **आठ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों** अर्थात् **मिज़ोरम, लक्षद्वीप**, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में वन क्षेत्र **75% से अधिक है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कार्बन स्टॉक:** देश का वन **कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन** अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में **81.5 मिलियन टन अधिक** है।
  - **शीर्ष 3: अरुणाचल प्रदेश** (1,021 मीट्रिक टन) उसके बाद मध्य प्रदेश (608 मीट्रिक टन), छत्तीसगढ़ (505 मीट्रिक टन) और महाराष्ट्र (465 मीट्रिक टन)।
  - भारत का कार्बन स्टॉक **30.43 बिलियन टन CO_2 समतुल्य** तक पहुँच गया है, जो **वर्ष 2005 के आधार वर्ष से 2.29 बिलियन टन अधिक** है तथा **वर्ष 2030 के 2.5-3.0 बिलियन टन के लक्ष्य के करीब** है।

नोट:

- **पेरिस समझौता:** पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में की गई **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** प्रतिबद्धताओं में, **भारत** ने **वर्ष 2030 तक** अतिरिक्त वनावरण और वृक्षावरण के माध्यम से **2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक** बनाने का संकल्प लिया है।
- **बॉन चैलेंज: भारत ने बॉन चैलेंज** के भाग के रूप में **वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि** को पुनर्स्थापन के अंतर्गत लाने का भी संकल्प लिया है।
- **आजीविका:** भारत के वन **वैश्विक मानव आबादी** के लगभग 17% और **विश्व के कुल पशुधन के 18% की आजीविका का समर्थन** करते हैं।
- **वैश्विक स्थिति: FAO** द्वारा प्रकाशित **वैश्विक वन संसाधन आकलन (GFRA, 2020)** के अनुसार, भारत **वन क्षेत्र** के मामले में **विश्व के शीर्ष 10 देशों** में शामिल है और **वर्ष 2010-2020 के बीच वन क्षेत्र में उच्चतम वार्षिक शुद्ध वृद्धि के लिये तीसरे स्थान** पर है।

- **क्षेत्रीय प्रदर्शन: पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (WGESA) 60,285.61 वर्ग किमी** में फैला हुआ है, जिसमें से 44,043.99 वर्ग किमी. (73%) क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है।
  - **पूर्वोत्तर क्षेत्र** में कुल वन एवं वृक्षावरण **1,74,394.70 वर्ग किमी.** है, जो इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का 67% है।
- **मैंग्रोव आवरण:** भारत का **मैंग्रोव** आवरण **4,991.68 वर्ग किमी.** है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का **0.15%** है, जिसमें 2021 से **7.43 वर्ग किमी. की कमी** आई है।
  - **गुजरात** में मैंग्रोव आवरण में **36.39 वर्ग किमी.** की **कमी** देखी गई, जबकि **आंध्र प्रदेश** और **महाराष्ट्र में क्रमशः 13.01 वर्ग किमी. और 12.39 वर्ग किमी.** की वृद्धि देखी गई।
- **वनाग्नि:** वर्ष 2023-24 सीज़न में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष तीन राज्य **उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़** हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण

- **स्थापना:** इसकी स्थापना **1 जून, 1981** को हुई, जो **वर्ष 1965** में शुरू किये गए **वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण (PISFR)** का स्थान लेता है।
  - **वर्ष 1976** में **राष्ट्रीय कृषि आयोग (NCA)** ने **राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन** की स्थापना की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप **FSI** का निर्माण हुआ ।
  - **PISFR** की शुरुआत **वर्ष 1965** में भारत सरकार द्वारा **FAO और UNDP** के प्रायोजन से की गई थी।
- **मूल संगठन: पर्यावरण और वन मंत्रालय**, भारत सरकार।
- **प्राथमिक उद्देश्य:** भारत के **वन संसाधनों का नियमित रूप से आकलन और निगरानी करना।**
  - इसके अलावा, यह **प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार** की सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- **कार्यप्रणाली: FSI का मुख्यालय देहरादून** में है तथा **शिमला, कोलकाता, नागपुर और बंगलूरू** में चार क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ इसकी उपस्थिति संपूर्ण भारत में है।
  - पूर्वी क्षेत्र का एक उपकेंद्र **बर्नीहाट (मेघालय)** में है।

वर्ष 2013 से 2023 के बीच वानिकी मापदंडों की क्या स्थिति रही ?

- **वन क्षेत्र में वृद्धि:** देश के वन क्षेत्र में **16,630.25 वर्ग किमी. की** वृद्धि **हुई है।**
  - वृक्षावरण **में 20,747.34 वर्ग किमी. की** वृद्धि हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- देश के **मैंग्रोव आच्छादन में 296.33 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई।**

- **मृदा स्वास्थ्य:** मृदा स्वास्थ्य में सामान्य सुधार हुआ है (**वर्ष 2013 में 83.53%** की तुलना में उथली से गहन मृदा में **87.16%**), जो ह्यूमस में सुधार से परिलक्षित होता है।
  - **मृदा कार्बनिक कार्बन** 55.85 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर **56.08 टन प्रति हेक्टेयर हो गया है।**
    - मृदा कार्बनिक कार्बन का तात्पर्य **मृदा कार्बनिक पदार्थ में निहित कार्बन** है जो **मृदा एकत्रीकरण में योगदान देता है, जिससे मृदा संरचना एवं स्थिरता बढ़ती है।**
- **जैविक प्रभाव: वनों पर जीवीय प्रभाव भी वर्ष 2013 के 31.28% से** घटकर 26.66% रह गया है, जो **प्राणीजात जैवविविधता** और **वनस्पतिजात जैवविविधता के लिये बेहतर परिवेश सिद्ध होगा।**
  - जीवीय प्रभाव का आशय सजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव से है। वनों में, जीवीय प्रभावों में **चारण, ब्राउज़िंग, मानव जनित अग्नि, पोलार्डिंग, अवैध कर्तन और पातन शामिल हो सकते हैं।**

निष्कर्ष

18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में वन और वृक्षावरण, कार्बन स्टॉक तथा मृदा स्वास्थ्य में सकारात्मक रुझानों पर प्रकाश डाला गया है और साथ ही वनाग्नि एवं मैंग्रोव की क्षति **जैसी चुनौतियों का समाधान किया गया है।** **पेरिस समझौते** और **बॉन चैलेंज** जैसे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इसके वर्तमान के संरक्षण प्रयासों के अनुरूप है।

भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री द्वारा** उपलब्ध आँकड़ों से देश भर में इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश पड़ा है।

ई-अपशिष्ट

- **इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट)** से तात्पर्य ऐसे विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से है जो पुराने हो गए हैं या जो कार्यशील नहीं हैं।
- ई-अपशिष्ट में अनेक विषैले रसायन होते हैं जिनमें सीसा, कैडमियम, पारा तथा निकल जैसी धातुएँ शामिल हैं।

भारत में ई-अपशिष्ट की स्थिति क्या है ?

- **मात्रा में वृद्धि: भारत में पिछले पाँच वर्षों में ई-अपशिष्ट के उत्पादन में 72.54% की वृद्धि (** जो वर्ष 2019-20 के 1.01 मिलियन मीट्रिक टन (MT) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है) देखी गई है।
- प्रतिवर्ष लगभग **57%** ई-अपशिष्ट **(990,000 मीट्रिक टन के बराबर)** अनुपचारित रह जाता है।
- भारत के 65 शहरों से कुल ई-अपशिष्ट का 60% से अधिक उत्पादित होता है जबकि 10 राज्यों की कुल ई-अपशिष्ट में 70% भागीदारी है।
- **पुनर्चक्रण अंतराल:** वर्ष 2023-24 में केवल **43% ई-अपशिष्ट का** पुनर्चक्रण (**वर्ष 2019-20 में यह 22% था)** किया गया।
- ई-अपशिष्ट के प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्रों का वर्चस्व है तथा इनमें पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अभाव है।
- **वैश्विक संदर्भ: चीन एवं अमेरिका** के बाद भारत विश्व स्तर पर **तीसरा सबसे बड़ा ई-अपशिष्ट उत्पादक** देश है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में विश्व भर में **लगभग 53.6 मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट** उत्पन्न हुआ।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम

- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2022:**
- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** उत्पादकों को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के माध्यम से वार्षिक पुनर्चक्रण लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य है।.
- **EPR** प्रमाण-पत्र से पुनर्चक्रित उत्पादों हेतु जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **विस्तारित उत्पाद कवरेज:** वित्त वर्ष 2023-24 से इसके तहत 106 **विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE)** को शामिल किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **थोक उपभोक्ताओं का एकीकरण:** सार्वजनिक संस्थानों एवं कार्यालयों द्वारा पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ताओं/नवीनीकरणकर्त्ताओं के माध्यम से ई-अपशिष्ट का निपटान कराने पर ज़ोर दिया गया।
- पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ताओं और नवीनीकरणकर्त्ताओं को ई-अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023:** **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के नियम 5 के** अंतर्गत, प्रशीतन एवं वातानुकूलन विनिर्माण में सुरक्षित, जवाबदेह तथा धारणीय रेफ्रिजरेंट प्रबंधन सुनिश्चित करने के क्रम में खंड 4 जोड़ा गया।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024:**
  - **केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** द्वारा जारी **दिशा-निर्देशों के अनुसार,** उसके अनुमोदन से **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व** प्रमाण-पत्रों के व्यापार हेतु **प्लेटफॉर्म स्थापित** कर सकती है।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों **के लिये मूल्य सीमा निर्धारण किया जाएगा** जो गैर-अनुपालन के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का **100% (अधिकतम)** एवं **30% (न्यूनतम)** होगा।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन/अभिसमय कौन-से हैं ?

- **अंतर्राष्ट्रीय:**
  - **खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों एवं उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन (1989):**
    - **भारत** बेसल कन्वेंशन का एक पक्षकार है।
  - **बामाको कन्वेंशन (1991): इसके तहत अफ्रीका में खतरनाक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट सहित) के आयात पर** प्रतिबंध लगाया गया है तथा इस महाद्वीप से ऐसे अपशिष्ट की सीमा पार आवाजाही को नियंत्रित किया गया है।
  - **पारा पर मिनामाता कन्वेंशन (2013)**
    - **भारत ने वर्ष 2018** में मिनामाता कन्वेंशन की पुष्टि की।
  - **स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POP) (2001)**
    - भारत ने स्टॉकहोम कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है तथा घरेलू कानूनों के माध्यम से इसके प्रावधानों को क्रियान्वित करने पर ज़ोर दिया है।
- **राष्ट्रीय:**
  - **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022:** इसके तहत **EPR** और उचित पुनर्चक्रण पर ज़ोर दिया गया है।
- **हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016**
  - **रासायनिक एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना:** स्टॉकहोम और रॉटरडैम सम्मेलनों के प्रति प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित किया गया है।

भारत में ई-अपशिष्ट निपटान के सामान्य तरीके क्या हैं ?

- **लैंडफिलिंग:** इसके तहत **ई-अपशिष्ट को मृदा** के अंदर डंप करना शामिल है।
  - एक गंभीर **चिंता का विषय** यह है कि **संकटजनक पदार्थों का मृदा और भूजल में** रिसकर पर्यावरण को नुकसान पहुँचने का खतरा है।
- **भस्मीकरण (Incineration): उच्च तापमान (900-10,000 डिग्री सेल्सियस) पर ई-अपशिष्ट** का नियंत्रित विधि से दहन करने से अपशिष्ट की मात्रा कम हो जाती है और कुछ संकटजनक पदार्थ निष्प्रभावी हो जाते हैं।
- **पुनर्चक्रण:** मूल्यवान सामग्री (**जैसे- धातु, प्लास्टिक**) को पुन: प्राप्त करने के लिये ई-अपशिष्ट को नष्ट करना और विषाक्त घटकों का सुरक्षित रूप से विनष्टीकरण करना। यह पारा, कैडमियम और सीसा जैसे संकटजनक पदार्थों को कम करता है, जिससे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जोखिम कम होते हैं।
  - **उदाहरण:** मुद्रित सर्किट बोर्ड, सी.आर.टी., मोबाइल फोन और तारों का पुनर्चक्रण।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

ई-अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे और संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं ?

- **अनौपचारिक ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण: ज्वलन और एसिड लीचिंग जैसी संकटजनक विधियों का** उपयोग करके अनौपचारिक ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण से विषाक्त धुआँ उत्सर्जित होता है **तथा मृदा एवं जल दूषित हो जाता है,** जिससे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
  - **चीन, भारत, पाकिस्तान, वियतनाम** और **फिलीपींस** के अनौपचारिक रीसाइक्लिंग बाज़ार विश्व के 50% से 80% **ई-अपशिष्ट का प्रबंधन करते हैं।**

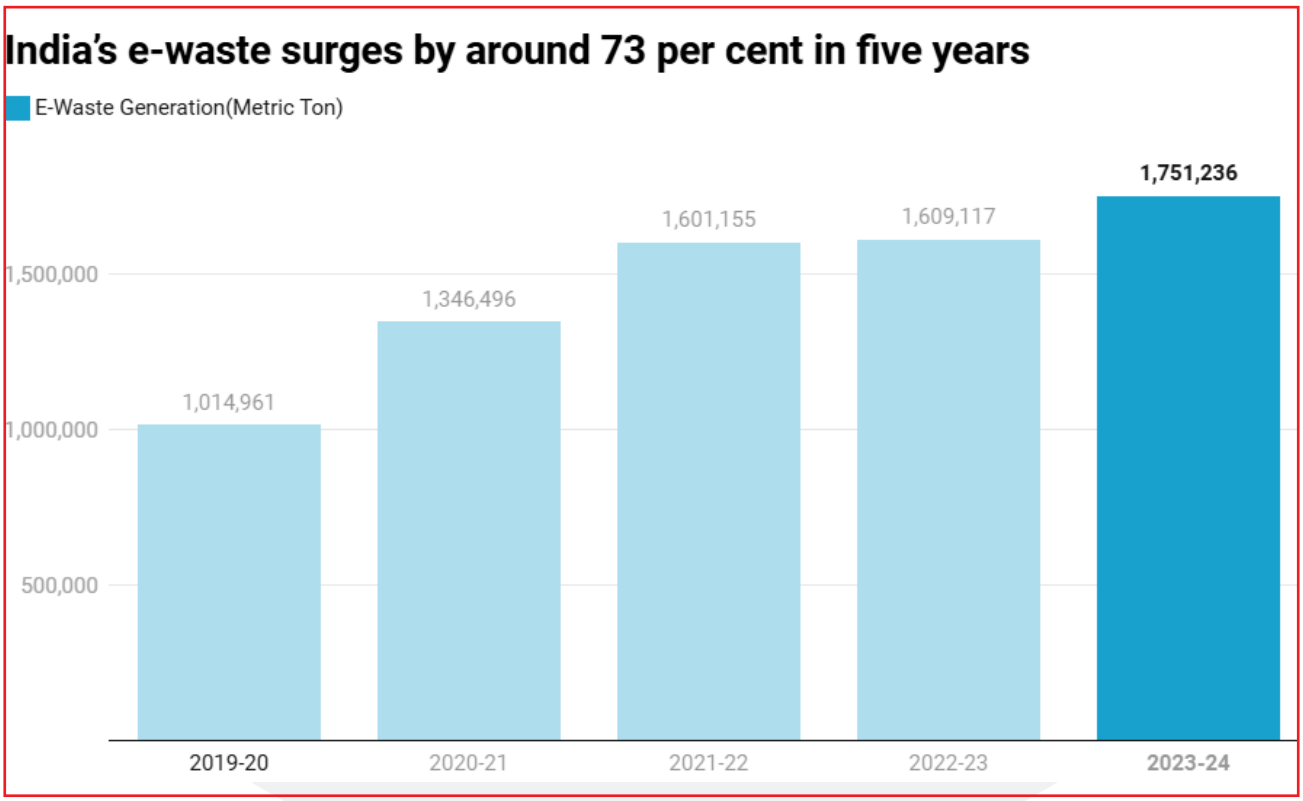

- **बुनियादी ढाँचे का अभाव:** ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिये बुनियादी ढाँचे, जिसमें **अपर्याप्त संग्रहण बिंदु** और **पुनर्चक्रण सुविधाएँ शामिल हैं,** से अनुचित निपटान की समस्या उत्पन्न होती है।
  - इसके **परिणामस्वरूप ई-अपशिष्ट लैंडफिल में पहुँचता है,** जिससे संकटजनक रसायनों से मृदा और जल संदूषित हो जाता है।
- **जागरूकता का अभाव:** उचित निपटान और पुनर्चक्रण के संबंध में उपभोक्ताओं, व्यवसायों तथा नीति निर्माताओं में जागरूकता का अभाव है।
  - उदाहरण के लिये, व्यक्ति अपने ई-अपशिष्ट को नियमित कूड़ेदानों में फेंक सकते हैं या उसे ऐसे दान-संस्थाओं को दान कर सकते हैं जिनके पास ई-अपशिष्ट का उचित रूप से प्रबंधन करने हेतु उचित संसाधन का अभाव है।
- **ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव:** ई-अपशिष्ट से पर्यावरण को नुकसान होता है क्योंकि विषाक्त पदार्थ (जैसे- सीसा, कैडमियम और पारा) जल, मृदा तथा वायु को दूषित करते हैं, जिससे वन्य जीवन प्रभावित होता है।
  - अनुचित निपटान से भूजल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा क्षरण बढ़ता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

किन कार्यनीतियों से भारत में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है?

- **अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण: संग्रहण दरों को बढ़ाने के लिये** अनौपचारिक अपशिष्ट संचालकों को औपचारिक प्रणालियों में एकीकृत किया जाना चाहिये। सुरक्षित हैंडलिंग तकनीकों पर अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना आवश्यक है।
- उदाहरण के लिये, चीन **अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (WEEE)** की पुनर्प्राप्ति तथा निपटान के प्रबंधन पर विनियमन के माध्यम से प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के साथ अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाता है।
- **तकनीकी प्रगति:** दक्षता बढ़ाने के लिये उन्नत रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये और बेहतर ई-अपशिष्ट ट्रैकिंग तथा संग्रहण प्रणालियों के लिये **AI एवं IoT-आधारित समाधान** विकसित करने की आवश्यकता है।
- यूरोपीय संघ के **"मरम्मत के अधिकार"** नियम के अंतर्गत निर्माताओं के लिये वस्तुओं की मरम्मत के दायित्वों को स्पष्ट किया गया है तथा उपभोक्ताओं को मरम्मत के माध्यम से उत्पाद के जीवनचक्र को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- **वैश्विक प्रथाओं से सीख लेना:**
- **यूरोपीय संघ:** कठोर **पुनर्चक्रण लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये** तथा उत्पादकों के लिये पारिस्थितिकी-डिज़ाइन प्रोत्साहन बढ़ाया जाना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, यूरोपीय संघ (EU) द्वारा **अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (WEEE) निर्देश।**
- **जापान: रीसाइक्लिंग पहलों को** प्रभावी ढंग से **वित्तपोषित करने और समर्थन देने** के लिये **राष्ट्रव्यापी ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग शुल्क** क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।
  - जापान **घरेलू उपकरण पुनर्चक्रण विधि (HARL)** के माध्यम से **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)** पर ज़ोर देता है।
- **नवीनीकरण और पुन: उपयोग कार्यक्रम: कंपनियों** को पुनर्विक्रय के लिये प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स का नवीनीकरण करने के लिये **प्रोत्साहन** प्रदान किया जाना चाहिये, जिससे उनके जीवन चक्र का संवर्द्धन किया जा सके।
- **उदाहरण: जर्मनी** में उपभोक्ताओं को **पुराने उपकरणों की मरम्मत** या नवीनीकरण के लिये निर्दिष्ट केंद्रों पर इसे वापस किये जाने की सुविधा उपलब्ध है।
- ई-अपशिष्ट को कम करते हुए वहनीय इलेक्ट्रॉनिक्स को सुलभ बनाने के लिये **संगठित सेकेंड-हैंड बाज़ारों का सुदृढ़ीकरण** किया जाना चाहिये।
- **जन जागरूकता और शिक्षा:** ई-अपशिष्ट के खतरों और उचित निपटान विधियों पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिये जन जागरूक अभियान आयोजित करना चाहिये।
- जन संपर्क कार्यक्रमों के लिये गैर सरकारी संगठनों और थिंक टैंकों के साथ सहयोग किया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग:** रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण के लिये **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)** जैसे संगठनों के साथ साझेदारी की जानी चाहिये।

जल और ऊर्जा मांग पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

जलवायु परिवर्तन, जल उपलब्धता और **ऊर्जा मांग** के बीच परस्पर संबंध सतत् विकास में सबसे **महत्त्वपूर्ण चुनौतियों** में से एक है।

- **एकीकृत संसाधन प्रबंधन** के लिये प्रणालीगत समाधान की आवश्यकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन जल और ऊर्जा दोनों को तेज़ी से प्रभावित करता है।

जलवायु परिवर्तन ऊर्जा मांग को कैसे प्रभावित करता है?

- **ऊर्जा की बढ़ती मांग: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग के कारण विशेष रूप से गर्म क्षेत्रों में एयर कंडीशनर जैसी **शीतलन प्रणालियों की मांग बढ़** रही है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग **25% से 58%** तक बढ़ सकती है, जो मुख्य रूप से शीतलन की आवश्यकता से प्रेरित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

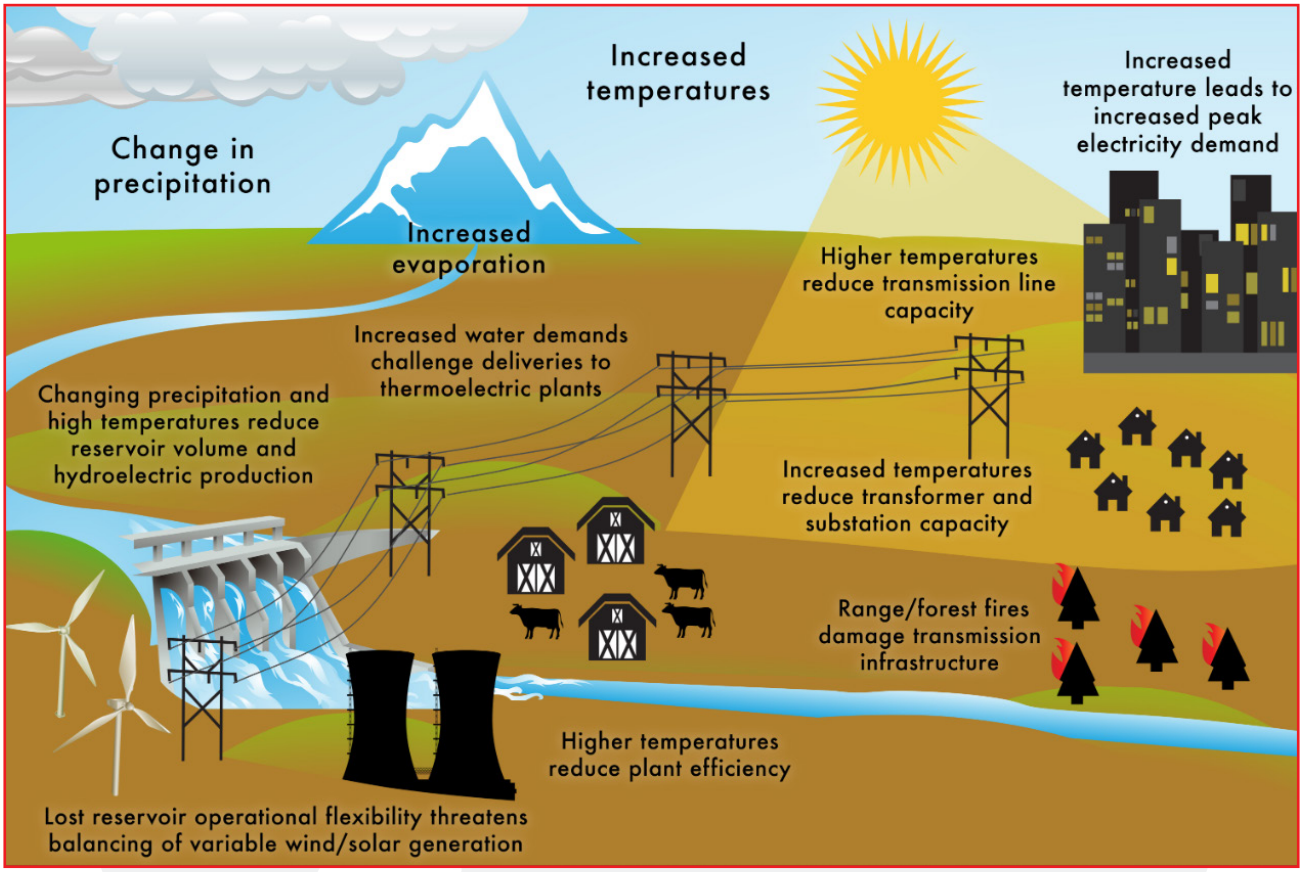

- **मौसमी पैटर्न:** शीतलन के अलावा, कुछ क्षेत्रों में **अत्यधिक तापमान** में उतार-चढ़ाव के कारण तापन की मांग में वृद्धि हो सकती है, जिससे **वैश्विक स्तर पर असमान ऊर्जा आवश्यकताएँ** उत्पन्न हो सकती हैं।
- **बढ़ता तापमान:** **ग्लोबल वार्मिंग** के कारण शीतलन की मांग में वृद्धि से एक **फीडबैक लूप** का निर्माण होता है: ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि (ज्यादातर जीवाश्म ईंधन आधारित) जलवायु परिवर्तन को और तेज़ करती है।
  - इससे **वायु प्रदूषकों** और **ग्रीनहाउस गैसों** का उत्सर्जन बढ़ता है।
- **ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान: बर्फबारी में कमी और लंबे समय तक सूखे** के कारण विद्युत् संयंत्रों और **जल विद्युत संयंत्रों** के लिये जल की उपलब्धता कम हो जाती है।
  - **पेट्रोलियम शोधन और जैव ईंधन उत्पादन** जैसे उद्योग, जो जल पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जल की कमी से प्रभावित हैं।
- **ताप प्रभाव:** उच्च तापमान से **ट्रांसमिशन लाइनों की वहन क्षमता कम** हो जाती है।
  - गर्मी के कारण वनाग्नि से **पारेषण नेटवर्क** नष्ट हो जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकती है।

नोट: IEA की रिपोर्ट के अनुसार **वैश्विक ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का** योगदान लगभग 80% है।

- **जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल** का अनुमान है कि जीवाश्म ईंधन 73% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जलवायु परिवर्तन से जल संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

- **ऊर्जा उत्पादन:** विद्युत संयंत्रों को **कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिये शीतलन हेतु पर्याप्त मात्रा में जल** की आवश्यकता होती है लेकिन जल की कमी के कारण इसमें समस्या हो सकती है।
  - **धारा प्रवाह (मात्रा और समय)** में परिवर्तन से जलविद्युत बाँधों पर प्रभाव पड़ता है।
  - **एक किलोवाट-प्रति घंटा विद्युत** के लिये नदियों या झीलों से लगभग **25 गैलन जल प्रवाह** की आवश्यकता होती है।
- **परिवर्तित वर्षा पैटर्न:** ग्लोबल वार्मिंग से प्रेरित **सूखा** एवं **कम वर्षा से पेयजल, सिंचाई तथा ऊर्जा** के लिये जल की उपलब्धता पर खतरा बना हुआ है।
  - बर्फ पिघलने पर निर्भर क्षेत्रों में बर्फ की मात्रा में कमी से जल आपूर्ति कम हो सकती है।
- **जैव ऊर्जा एवं कृषि: जैव ऊर्जा** के लिये फसलें उगाने **(जैसे कि रेपसीड, सूरजमुखी, सोयाबीन, ताड़ या अरंडी का तेल)** से जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
  - बढ़ते तापमान के कारण **सिंचाई की आवश्यकता बढ़ने** से ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है।
- **ऊर्जा-गहन जल प्रबंधन: मीठे जल की कमी के कारण** खारे जल को पीने योग्य जल में बदलने के साथ भूजल निष्कर्षण के लिये **ऊर्जा-गहन विलवणीकरण** की आवश्यकता हो सकती है।

नोट: विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार, वर्ष 2040 तक **33 देश** अत्यधिक जल तनाव का अनुभव करेंगे तथा **उनके 80% से अधिक जल संसाधन प्रतिवर्ष समाप्त** हो जाएंगे।

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** का अनुमान है कि **वर्ष 2030 तक सूखे में 30% की वृद्धि (विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में)** होगी।
- **विश्व मौसम विज्ञान संगठन** की रिपोर्ट के अनुसार **पिछले 50 वर्षों** में जलवायु संबंधी आपदाओं में **पाँच गुना वृद्धि** होने से वैश्विक जल तनाव और भी बढ़ गया है।

जलवायु-जल-ऊर्जा के बीच किस प्रकार प्रबंधन किया जा सकता है ?

- **जल-कुशल प्रौद्योगिकियाँ:** विद्युत संयंत्रों में शुष्क शीतलन प्रणालियों के माध्यम से जल की खपत को **90% तक कम** किया जा सकता है।
  - शुष्क कूलर में **ठंडक** हेतु जल के बजाय वायु का उपयोग होता है।
- **क्षेत्रीय ऊर्जा रणनीति:** उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल के माध्यम से स्थानीय संसाधन बाधाओं की पहचान करने एवं **क्षेत्रीय ऊर्जा-आर्थिक रणनीतियों को विकसित करने के लिये फसल, जल एवं आर्थिक डेटा** को एकीकृत किये जाने से स्थानीय स्तर की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
- **ऊर्जा-कुशल जल प्रबंधन:**
  - **पारंपरिक उपचार:** पारंपरिक जल उपचार और जल-बचत तकनीकों जैसे कम **जल-तीव्रता/लो वाटर इंटेंसिटी (विलवणीकरण के विपरीत)** विकल्पों को प्राथमिकता देकर ऊर्जा और जल आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है।
  - **जल-कुशल पद्धतियाँ: ड्रिप सिंचाई** और **अपशिष्ट जल उपचार जैसी कुशल सिंचाई प्रणालियाँ** ऊर्जा की खपत और जल की बर्बादी को कम कर सकती हैं।
  - **जल पुनर्चक्रण: औद्योगिक और ग्रे-वाटर के पुनर्चक्रण** से उद्योग और कृषि में मीठे पानी की मांग को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि करना: सौर और पवन** जैसी विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ न्यूनतम जल का उपयोग करती हैं (जीवाश्म ईंधन द्वारा प्रयुक्त जल का 1% से भी कम), जिससे प्रतिस्पर्द्धा कम होती है और सतत् ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है।
- **प्रकृति-आधारित समाधान (NBS): आर्द्रभूमि, वन** और **जलग्रहण क्षेत्रों** जैसे पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने से जल सुरक्षा बढ़ती है तथा कृत्रिम जल प्रबंधन प्रणालियों से जुड़ी ऊर्जा मांग कम होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **क्षमता निर्माण: सतत् ऊर्जा और जल प्रणालियों को विकसित करने, कार्यान्वित करने और प्रबंधित करने** की क्षमता का निर्माण दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है।

निष्कर्ष:

जलवायु-जल-ऊर्जा सहसंबंध **जटिल चुनौतियाँ** प्रस्तुत करता है जिनके लिये एकीकृत समाधान की आवश्यकता होती है। **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिये जल-कुशल प्रौद्योगिकियों**, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत् प्रबंधन प्रथाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है। **प्रकृति-आधारित समाधान और क्षमता निर्माण** सहित प्रभावी रणनीतियाँ संसाधन प्रबंधन में दीर्घकालिक स्थिरता और अनुकूलता प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सामाजिक न्याय

महिलाओं द्वारा भारतीय कानून लैंगिक आधार पर दुरुपयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, बंगलूरू में एक तकनीकी विशेषज्ञ के **आत्महत्या करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय** में **एक जनहित याचिका (PIL)** दायर की गई है, जिसमें **दहेज़ और घरेलू हिंसा से जुड़े मौजूदा कानूनों** की समीक्षा और सुधार का अनुरोध किया गया है ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

- याचिका में कहा गया है कि **दहेज़ निषेध अधिनियम, 1961** और **भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता)** की **धारा 498A** का दुरुपयोग असंबंधित विवादों को निपटाने और पति के परिवार को परेशान करने के लिये किया गया है।

भारतीय कानून किस प्रकार लिंग-पक्षपाती हैं ?

- **IPC की धारा 304B (दहेज़ मृत्यु):** समय के साथ लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि विवाहित भारतीय महिला की हर अप्राकृतिक या असामयिक रूप से हुई **मृत्यु दहेज़ मृत्यु है**।
  - ऐसे मामलों में **पति या रिश्तेदार को** कम-से-कम सात वर्ष के **कारावास** की सज़ा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
- **IPC की धारा 498A (महिलाओं के प्रति क्रूरता):** धारा **498A** के तहत विवाहित महिला के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर **पति या उसके रिश्तेदारों को तीन साल तक** की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
  - **धारा 304B** एक **गैर-ज़मानती, गैर-समझौता योग्य और संज्ञेय** अपराध है, जिसका अर्थ है कि यदि **आरोप झूठा भी हो तब भी मुकदमा** चलेगा और पति को निर्दोष साबित होने तक **दोषी माना जाएगा।**
  - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों** के अनुसार, वर्ष 2012 में लगभग **200,000 लोगों को अप्रमाणित दहेज़ के आरोपों** में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से केवल 15% अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया।
- **IPC की धारा 375 (बलात्कार):** IPC की धारा 375 के तहत **केवल पुरुष ही अपराधी हो सकते हैं** और **महिलाएँ** ही बलात्कार की शिकार हो सकती हैं। यह **धारा पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को बलात्कार पीड़ित** के रूप में मान्यता नहीं देती है।
  - भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पुरुष पीड़ितों के लिये एकमात्र विकल्प है, लेकिन इसमें कई चुनौतियाँ हैं तथा यह **पुरुषों द्वारा पुरुषों पर किये जाने वाले यौन** शोषण को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है।
- **BNS की धारा 69:** यह **"धोखे से यौन संबंध बनाने"** को अपराध मानती है, जिसमें "बिना इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करना" भी शामिल है, जिसके लिये 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
  - शादी के वादे पर सहमति से बनाया गया **यौन संबंध** तभी अपराध माना जाएगा जब **पुरुष इससे मुकर जाए, महिला नहीं।**
  - **"शादी का वादा"** करना गैरकानूनी है, जिससे किसी व्यक्ति की निजता और स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, जबकि इस तथ्य की अनदेखी की जा सकती है कि महिला ने स्वेच्छा से इस रिश्ते में प्रवेश किया है।
- **IPC की धारा 354: यह महिला की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुँचाने के** लिये उस पर किया गया हमला या उसके साथ गलत मंशा के साथ ज़ोर जबरदस्ती है। हालाँकि **पुरुष और ट्रांसजेंडर की मर्यादा और मान सम्मान** की रक्षा के लिये ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है।
  - ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जिनमें **महिलाएँ पुरुषों को धमकाती** हैं तथा इसके लिये उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता (क्योंकि देश के कानून में ऐसे अपराधों से **पुरुषों की रक्षा नहीं की गई है)** है।
- **CrPC अधिनियम, 1973 की धारा 125:** भारत में **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973** की धारा 125 के तहत न केवल पत्नी बल्कि उसके **माता-पिता एवं बच्चों के लिये भी भरण-पोषण की अवधारणा को** निर्धारित किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भरण-पोषण कानून का उद्देश्य पुरुषों को अपने आश्रितों के भरण-पोषण के लिये **पूरी तरह ज़िम्मेदार** बनाना (बिना इस बात पर विचार किए कि महिलाओं को वास्तव में वित्तीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं) है।

- **घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005:** इसमें **पुरुषों** तथा **ट्रांसजेंडर को घरेलू दुर्व्यवहार** के संभावित शिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।
  - अपने जीवनसाथियों से **उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का** सामना करने वाले पुरुषों को इस अधिनियम के तहत **कोई विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं है** और ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने पर उन्हें अक्सर **संदेह की दृष्टि** से देखा जाता है।
- **हिरासत और तलाक की कार्यवाही:** हिरासत विवादों में न्यायालय अक्सर प्राथमिक देखभालकर्त्ता के रूप में **महिलाओं का पक्ष** लेते हैं और इसमें **पुरुषों को** अक्सर **हाशिये** पर रखा जाता है।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012:** एकल महिला किसी भी बच्चे को गोद ले सकती है लेकिन **एकल पुरुष बालिका को गोद नहीं** ले सकता है।
  - विवाहित संबंध होने की स्थिति में पति-पत्नी दोनों को गोद लेने के लिये **सहमत** होना आवश्यक है।

नोट: ***प्रवीण कुमार जैन-अंजू जैन तलाक मामला, 2024*** में सर्वोच्च न्यायालय ने पत्नी के लिये **गुजारा भत्ता निर्धारित करने हेतु आठ कारक** निर्धारित किये। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पक्षों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति
- **पत्नी** और आश्रित बच्चों की उचित आवश्यकताएँ
- पक्षों की व्यक्तिगत **योग्यताएँ एवं रोज़गार की स्थिति**
- **आवेदक के स्वामित्व वाली** स्वतंत्र आय या संपत्ति
- वैवाहिक घर में **पत्नी का जीवन स्तर**
- पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के लिये किये गए रोज़गार का त्याग
- गैर-कामकाजी पत्नी के लिये उचित मुकदमेबाज़ी लागत
- **पति की वित्तीय क्षमता,** उसकी आय, भरण-पोषण दायित्व एवं देयताएँ

झूठे आरोपों तथा विधिक रूप से उत्पीड़न के क्या प्रभाव होते हैं?

- **अवसाद और चिंता:** झूठे आरोप या विधिक रूप से उत्पीड़न द्वारा गंभीर **मनोवैज्ञानिक संकट** उत्पन्न हो सकता है जिससे **विश्वासघात, असहायता और दीर्घकालिक चिंता** की भावना उत्पन्न हो सकती है।
- **सामाजिक कलंक:** विधिक उत्पीड़न या झूठे आरोपों का सामना करने वाले पुरुषों को **दोषी या अविश्वसनीय** के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ये परिवार एवं दोस्तों के साथ सामाजिक नेटवर्क से अलग-थलग हो सकते हैं।
- **दमित भावनाएँ: पुरुषों से दृढ़ एवं लचीला** होने की सामाजिक अपेक्षाएँ उन्हें अपनी कमज़ोरी व्यक्त करने या सहायता मांगने से हतोत्साहित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप **आंतरिक संकट** एवं अनुचित मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **वैवाहिक आत्महत्या दर:** NCRB के आँकड़े दर्शाते हैं कि विवाहित पुरुषों में **महिलाओं की तुलना में आत्महत्या की दर काफी अधिक** है, जिसका आंशिक कारण विधिक एवं सामाजिक चुनौतियाँ हैं।
- **वित्तीय भार: कई पुरुषों के लिये कानूनी प्रक्रियाओं की फीस** का भार तथा रोज़गार की संभावित हानि, वित्तीय रूप से विनाशकारी हो सकती है।

झूठे आरोपों के मामले में निवारण

- भारतीय दंड संहिता की **धारा 500** के अंतर्गत **पति, मानहानि का मुकदमा** दायर कर सकता है।
- CrPC की **धारा 9** के तहत पति **उस क्षतिपूर्ति की वसूली के लिये दावा दायर कर सकता है,** जो उसे और उसके परिवार को **क्रूरता एवं दुर्व्यवहार के झूठे आरोपों** के कारण हुई है।
- IPC की **धारा 182 के तहत 498A से संबंधित झूठे मामलों के खिलाफ सुरक्षा** प्रदान की गई है। झूठे बयान देने पर न्यायपालिका को गुमराह करने के आरोप में व्यक्ति को **6 महीने की कैद, जुर्माना या दोनों** हो सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय कानून में लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित न्यायिक दृष्टिकोण क्या है?

- ***साक्षी बनाम भारत संघ मामला, 1999:*** सर्वोच्च न्यायालय ने **विधि आयोग** को लिंग-तटस्थ बलात्कार कानून के मुद्दे से निपटने का निर्देश दिया।
  - परिणामस्वरूप, **विधि आयोग की वर्ष 2000 की 172वीं रिपोर्ट में** बलात्कार के अपराध के स्थान पर **"यौन हमले" के रूप में लिंग-तटस्थ अपराध** को शामिल करने की सिफारिश की गई।
- ***प्रिया पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला, 2006:*** इस मामले में, अपराधी की पत्नी ने बलात्कार को देखा, पीड़िता को थप्पड़ मारा, दरवाज़ा बंद किया और **आपराधिक मंशा में संलिप्तता को प्रदर्शित** किया।
  - हालाँकि न्यायालय ने फैसला दिया कि उसे **बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता** क्योंकि वह एक महिला थी।
- **सुशील कुमार शर्मा केस, 2005:** याचिकाकर्त्ता ने समानता का उल्लंघन करने के लिये IPC की **धारा 498A** को चुनौती दी।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस प्रावधान के **दुरुपयोग** से **विधिक अतिवाद** को बढ़ावा मिल सकता है, **लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार** रखते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य दहेज़ हत्याओं को रोकना है।
- **चंद्रभान केस, 1954:** चंद्रभान केस, 1954 में **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने निष्कर्ष निकाला कि पति-पत्नी के बीच मतभेद और शत्रुता के दौरान सबसे अधिक नुकसान बच्चों को होता है, क्योंकि पति-पत्नी के खिलाफ **अधिकांश शिकायतें क्षणिक आवेश में आकर व्यर्थ बहस** के कारण की जाती हैं।
- **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014:** सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A के तहत अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय **सावधानी बरतने की आवश्यकता** पर ज़ोर दिया, क्योंकि यह एक **गैर-ज़मानती और संज्ञेय अपराध** है।

भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता कैसे प्राप्त की जाए?

- **लैंगिक पूर्वाग्रह को स्वीकार करना:** यह पुराना दृष्टिकोण कि **पुरुष अपराधी** होते हैं और **महिलाएँ पीड़ित** होती हैं, इस तथ्य की अनदेखी करता है कि पुरुष भी **घरेलू हिंसा, उत्पीड़न तथा झूठे आरोपों के शिकार** हो सकते हैं।
  - विधिक सुधारों को इन वास्तविकताओं को स्वीकार करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कानून पुरुषों, महिलाओं तथा अन्य लिंगों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करें।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली को संवेदनशील बनाना: न्यायाधीशों, विधिक पेशेवरों और पुलिस को लैंगिक रूढ़िवादिता** पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से अपने स्वयं के **अचेतन पूर्वाग्रहों** को पहचानने एवं चुनौती देने के लिये संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- **मौजूदा कानूनों में संशोधन: लैंगिक रूप से तटस्थ भाषा को** अपनाना आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पुरुष और महिला (यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी) समान रूप से संरक्षित हों।
  - उदाहरण के लिये, **"पति" या "पत्नी"** के स्थान पर **"जीवनसाथी"** जैसे शब्दों का प्रयोग यह सुनिश्चित करता है कि कानून लैंगिक दृष्टिकोण से एक को दूसरे पर वरीयता नहीं देता है।
- **पुरुषों कल्याण के लिये संस्थाएँ:** संस्थाओं को लैंगिक रूप से तटस्थ होना चाहिये। **महिला मंत्रालय का नाम बदलकर मानव विकास कल्याण मंत्रालय** करने की ज़रूरत है ताकि हर व्यक्ति की सुरक्षा हो सके।
- **समाज को संवेदनशील बनाना:** लैंगिक तटस्थता प्राप्त करने के लिये उन रूढ़िवादिताओं को **चुनौती** देने की आवश्यकता है जो **पुरुषों को मज़बूत और भावनाहीन तथा महिलाओं को कमज़ोर और पोषण करने वाली** के रूप में देखती हैं।
  - पुरुष और महिला दोनों ही पीड़ित या अपराधी हो सकते हैं तथा उनके साथ **समान व्यवहार** किया जाना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: लैंगिक समानता के संदर्भ में, भारतीय कानूनों में पूर्वाग्रहों की जाँच कीजिये। भारत में लैंगिक-तटस्थ कानून बनाने के लिये कौन से सुधार आवश्यक हैं?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

युवाओं में मादक पदार्थों का बढ़ता दुरुपयोग

चर्चा में क्यों ?

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** ने युवाओं में बढ़ती मादक पदार्थों की लत पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे एक पीढ़ीगत खतरा बताया है।

- यह चिंता पाकिस्तान से जुड़े हेरोइन तस्करी मामले में **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)** की जाँच का समर्थन करने वाले फैसले के दौरान सामने आई।
- न्यायालय ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिये परिवारों, समाज और राज्य प्राधिकारियों की ओर से **तत्काल सामूहिक कार्रवाई** की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

विश्व में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की स्थिति क्या है ?

वैश्विक परिदृश्य:

- **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)** द्वारा जारी **विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट, 2024** के अनुसार, वैश्विक मादक पदार्थ उपयोग करने वाले लोगों की संख्या **292 मिलियन तक पहुँच गई है,** जो पिछले दशक की तुलना में **20%** की वृद्धि को दर्शाता है।
- **मादक पदार्थों की प्राथमिकताएँ:** कैनबिस सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा (**228 मिलियन उपयोगकर्त्ता**) है, इसके बाद ओपिओइड (**60 मिलियन**), ऐम्फिटेमिन (**30 मिलियन**), **कोकीन** (**23 मिलियन**) और **एक्स्टसी** (**20 मिलियन**) हैं।
- **उभरते खतरे:** रिपोर्ट में सिंथेटिक ओपिओइड के एक नए वर्ग, **नेटिज़ेंस** को एक महत्त्वपूर्ण खतरे के रूप में चिह्नित किया गया है, जो फेंटेनाइल से भी अधिक शक्तिशाली है, जो विशेष रूप से उच्च आय वाले देशों में ओवरडोज से होने वाली मौतों में वृद्धि में योगदान देता है।
  - **फेंटेनाइल** एक ओपिओइड दवा है जिसका उपयोग **एनाल्जेसिक (दर्द निवारक) और एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है।**
  - **उपचार अंतराल: 64 मिलियन** मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों वाले **11 में से केवल 1** व्यक्ति को ही उपचार मिलता है।
  - **महिलाओं को अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, मादक पदार्थों के उपयोग से संबंधित विकारों से पीड़ित 18** में से केवल **1 महिला**, जबकि **7 में से 1 पुरुष को ही उपचार मिल पाता है।**

भारत में मादक पदार्थों का प्रचलन:

- **मादक पदार्थों की लत:**
  - मादक पदार्थों की लत बढ़ रही है, **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** के अनुसार भारत में लगभग **100 मिलियन** लोग विभिन्न नशीले पदार्थों से प्रभावित हैं।
    - **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब** जैसे राज्यों में वर्ष 2019 और 2021 के बीच **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस)** के तहत सबसे अधिक FIR दर्ज की गईं।
  - **ऐल्कहॉलिज़्म** एक **दीर्घकालिक बीमारी है** जिसके कारण लोगों को शराब पीने की तीव्र इच्छा होती है और वे शराब पीने पर नियंत्रण नहीं रख पाते।
  - **भांग:** लगभग **3.1 करोड़ लोग** (2.8%) भांग का सेवन करते हैं, जिनमें से **72 लाख** (0.66%) भांग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
  - **ओपिओइड का उपयोग: 2.06%** जनसंख्या ओपिओइड का उपयोग करती है, और लगभग **0.55%** (60 लाख) को ओपिओइड निर्भरता के लिये उपचार सेवाओं की आवश्यकता है।
  - **सीडेटिव: 1.18 करोड़** (1.08%) व्यक्ति गैर-चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये सीडेटिव का उपयोग करते हैं।
  - **इनहेलेंट:** इनहेलेंट का दुरुपयोग **1.7% बच्चों और किशोरों को प्रभावित करता है, जो वयस्कों में 0.58% की व्यापकता** से काफी अधिक है। लगभग **18 लाख बच्चों** को इनहेलेंट के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु सहायता की आवश्यकता है।
  - **इंजेक्शन द्वारा मादक द्रव्यों का प्रयोग:** लगभग **8.5 लाख** लोग मादक द्रव्यों का इंजेक्शन द्वारा प्रयोग करते हैं, जिन्हें **पीपुल हू इंजेक्ट ड्रग्स (PWID) कहा जाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **शराब:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के भारत में **मादक द्रव्यों के सेवन की सीमा और पैटर्न पर 2019 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण** के अनुसार, **10 से 75 वर्ष की आयु के 16 करोड़ लोग (14.6%)** वर्तमान में शराब का सेवन करते हैं। उनमें से 5.2% शराब पर निर्भरता से पीड़ित (ऐल्कहॉलिज़्म) हैं।

प्रमुख मादक द्रव्य उत्पादक क्षेत्र:

- **गोल्डन क्रीसेंट: अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से मिलकर बना यह क्षेत्र अफीम उत्पादन का प्राथमिक केंद्र बना हुआ है, जिसका प्रभाव जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान** और **गुजरात** जैसे भारतीय राज्यों पर पड़ता है।
- **गोल्डन ट्राएंगल: लाओस, म्याँमार** और **थाईलैंड** के इंटरसेक्शन पर स्थित यह क्षेत्र हेरोइन उत्पादन के लिये जाना जाता है जिसमें **म्याँमार** का विश्व के कुल हेरोइन उत्पादन में **80%** का योगदान है। इसकी तस्करी के मार्ग लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और भारत से होकर गुज़रते हैं।

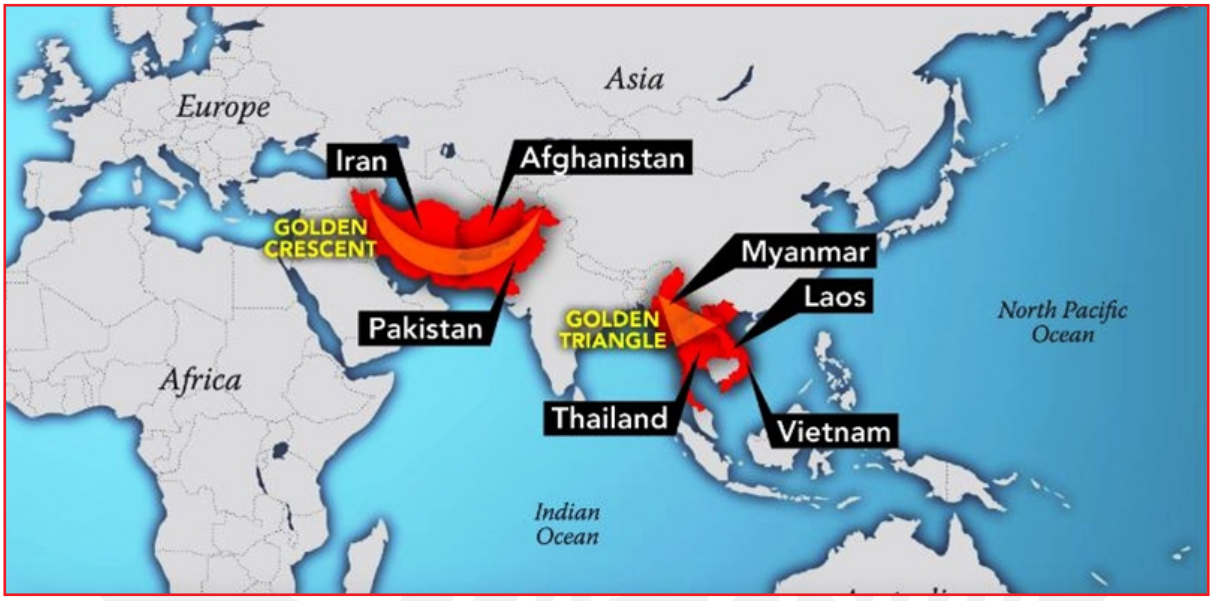

मादक द्रव्य और पदार्थ के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

प्रकार	अभिलक्षण
उत्तेजक	• उत्तेजक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं, जिससे सतर्कता और शारीरिक सक्रियता में वर्द्धन होता है। इनके कारण मूड स्विंग, अनिद्रा, अनियमित हृदय स्पंद और चिंता जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। • **उदाहरण:** कोकीन, क्रैक, एम्फेटामाइन्स, तथा एमाइल या ब्यूटाइल नाइट्राइट्स जैसे इनहेलेंट्स।
अवसादक:	• मद्य, बार्बिट्युरेट्स और ट्रैंक्विलाइज़र जैसे अवसादक पदार्थ **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र** को मंद कर देते हैं, जिससे शरीर शिथिल हो जाता है। • मद्य के दुरुपयोग से **बोलने में कठिनाई, स्मृति-लोप तथा गंभीर मामलों में अचेतनता या मृत्यु हो सकती है।** • **उदाहरण:** बार्बिट्युरेट्स और ट्रैंक्विलाइज़र

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हैलुसिनोजन	• हैलुसिनोजन के उपयोग से मनुष्य की **अनुभूति में परिवर्तन आता है, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव, व्यामोह, भ्रम और उलझन जैसी समस्याएँ होती हैं।** हालाँकि ये शारीरिक रूप से व्यसनकारी नहीं हैं, लेकिन वे स्थायी मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुँचा सकती हैं। • उदाहरण: LSD, एक्स्टसी, साइलोसाइबिन (मैजिक मशरूम)।
वियोजनी औषधियाँ	• वियोजनी औषधियाँ के उपयोग से **शरीर और परिवेश से अलगाव की अनुभूति होती है जिससे गतिक** कार्य बाधित होते हैं और भ्रम उत्पन्न होता है। • **उदाहरण:** केटामाइन, डीएक्सएम (डेक्सट्रोमेथॉरफन).
ओपियोइड	• ये **अत्यधिक व्यसनकारी हैं और दर्द से राहत एवं सुखाभास में मदद करती हैं।** • **उदाहरण:** हेरोइन, अफीम, औषधीय दर्द निवारक (जैसे, कोडीन, मॉर्फिन)।
इनहेलेंट	• इनहेलेंट से सिरदर्द, मतली, समन्वय लोप और गंभीर मामलों में श्वासरोध या मौत हो सकती है। **उदाहरण:** गैसोलीन, पेंट थिनर, एमाइल नाइट्राइट।
कैनबिस	• ***Cannabis sativa*** **पौधे** से प्राप्त कैनाबिस का उपयोग प्राय: **मारिजुआना, हशीश और हैश ऑयल** जैसे रूपों में किया जाता है। • इसका दुरुपयोग **स्मृति, एकाग्रता को कम करता है और व्यामोह, व्यसन** एवं **दीर्घकालिक संज्ञानात्मक समस्याएँ हो सकती हैं। उदाहरण:** मारिजुआना, हशीश, हैश ऑयल।

भारत में किन कारणों से मादक द्रव्यों का दुरुपयोग बढ़ रहा है ?

- **साथियों का प्रभाव:** दोस्तों के साथ घुलने-मिलने, विशेष रूप से हाई स्कूल और कॉलेज में, और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा से प्राय: मादक द्रव्यों का सेवन शुरू किया जाता है।
- **शैक्षणिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ:** शैक्षणिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने का दबाव, उच्च प्रतिस्पर्द्धा के साथ मिलकर तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है।
  - कुछ युवा इन दबावों से निपटने के लिये मादक द्रव्यों का उपयोग करते हैं।
- **सांस्कृतिक मानदंड और मीडिया का प्रभाव: मीडिया, फिल्मों और संगीत** में मादक द्रव्यों के उपयोग को बढ़ावा देने से प्राय: युवा वर्ग के बीच मादक द्रव्यों के सेवन को सामान्य बना दिया जाता है, जिससे यह प्रचलन में आ जाता है या स्वीकार्य हो जाता है।
  - **मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में राज्य प्राधिकारियों और स्थानीय सरकारों की सीमित भूमिका** से भारत में मादक पदार्थों का उपयोग बढ़ा है।
- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** गरीबी, बेरोज़गारी, शैक्षिक और मनोरंजक संसाधनों तक सीमित पहुँच के कारण **मादक द्रव्यों के सेवन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि युवा लोग** बचने या इससे निपटने के लिये मादक पदार्थों का सहारा लेते हैं।
- **पारिवारिक वातावरण:** अव्यवस्थित पारिवारिक गतिशीलता, **माता-पिता द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन का दुरुपयोग,** तथा भावनात्मक समर्थन का अभाव प्राय: **युवाओं में मादक पदार्थों के उपयोग की उच्च दर से संबंधित हैं।**
  - एक सहायक पारिवारिक वातावरण इन जोखिमों को कम कर सकता है।
- **विधिक व्यवस्था की खामियाँ:** **संगठित अपराध** गिरोह विधिक व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाते हैं, जैसे कि कमज़ोर सीमा नियंत्रण, ताकि वे मादक पदार्थ की तस्करी कर सकें। ये प्राय: अफ्रीका और दक्षिण एशिया से व्यापार मार्गों का दुरुपयोग करके मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वर्ष 2023 में **सीमा सुरक्षा बल ने** भारत-पाकिस्तान सीमा पर मादक पदार्थों की ज़ब्ती में 35% की वृद्धि की सूचना दी है, जो इन मार्गों के माध्यम से अवैध मादक पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करने में चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

- **आसान उपलब्धता:** मादक पदार्थों की आसान उपलब्धता, विशेषकर **पंजाब में,** व्यापक दुरुपयोग को जन्म देती है।
  - पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) के वर्ष 2022 के अध्ययन के अनुसार पंजाब की लगभग **15.4% आबादी मादक पदार्थों का उपयोग करती है, और 3 मिलियन से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं।**

- **सख्त कानूनों का भय: NDPS अधिनियम** जैसे सख्त कानून अभियोजन के भय से **परिवारों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग का खुलासा करने से हतोत्साहित** कर सकते हैं, **जिससे पुनर्वास के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।**
  - इससे न केवल व्यक्तियों को सहायता लेने से रोका जाता है, बल्कि अवैध पदार्थों आपूर्ति श्रृंखला को भी जारी रहने दिया जाता है, जिससे भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग में वृद्धि होती है।

भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिये सरकार के क्या उपाय हैं?

- **विधायी उपाय:**
  - **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985**: यह स्वापक औषधियों और **मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण और तस्करी को नियंत्रित करता है।**
  - **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** और **स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार की रोकथाम (PITNDPS) अधिनियम, 1988** मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को **नियंत्रित करने एवं रोकने** के लिये कानूनी ढाँचे को नियंत्रित करते हैं।
- **संस्थागत उपाय:**
  - **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)**: यह भारत में **केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है।**
    - **यह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर जब इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता शामिल हो।
    - **यह अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों** वाले मामलों की जाँच करता है, जिसमें आतंकवाद से **जुड़े मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क, हथियारों की तस्करी और सीमापार से घुसपैठ शामिल हैं।**
    - **यह अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ व्यापार को बाधित करने, अवैध शिपमेंट को ज़ब्त करने और** तस्करी में शामिल संगठित आपराधिक सिंडिकेट को नष्ट करने के लिये अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
  - **राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB):**
    - **NCB** भारत की एक **नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करती है, और सार्क ड्रग अपराध निगरानी डेस्क (SDOMD)** जैसी पहलों में भाग लेती है।
  - **अन्य प्रवर्तन एजेंसियाँ: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), सीमा शुल्क विभाग** और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ **मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये मिलकर काम करती हैं।**
- **निवारक और पुनर्वास उपाय:**
  - **मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR): NAPDDR** योजना जागरूकता अभियानों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, नशामुक्ति और पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से मादक पदार्थों की मांग को कम करने पर केंद्रित है।
  - **नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA): NMBA को** विशेष रूप से स्कूली बच्चों के बीच मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये शुरू किया गया था।
  - **निदान और NCORD पोर्टल: निदान और NCORD पोर्टल** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जो मादक पदार्थों के अपराधियों का विस्तृत डेटाबेस बनाए रखते हैं, और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों और प्रवृत्तियों पर नज़र रखने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करते हैं।
- **विशिष्ट पहल:**
  - **प्रोजेक्ट सनराइज (वर्ष 2016):**
    - **प्रोजेक्ट सनराइज** पूर्वोत्तर राज्यों में मादक पदार्थों का इंजेक्शन लेने वाले लोगों में HIV के बढ़ते प्रसार की समस्या से निपट रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **नशा मुक्त भारत:**
  - **नशा मुक्त भारत** एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो मादक पदार्थों के उपयोग और इसके सामाजिक परिणामों को रोकने के लिये सामुदायिक पहुँच पर केंद्रित है।
- **ज़ब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS):**
  - NCB द्वारा ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से **मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों और अपराधियों पर नज़र रखने के लिये सिम्स पोर्टल विकसित किया गया था।**
- **नशामुक्ति केंद्र:**
  - **AIIMS में राष्ट्रीय नशा निर्भरता उपचार केंद्र (NDDTC)** जैसी संस्थाओं के साथ राज्य द्वारा संचालित केंद्र (जो नशे के आदी लोगों के लिये परामर्श, चिकित्सा उपचार और सामाजिक पुन: एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं) स्थापित किये गए हैं।

आगे की राह

- **वर्तमान कानूनों को मज़बूत करना:** बेहतर प्रशिक्षण, संसाधनों एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से **NDPS तथा PITNDPS अधिनियमों** के कार्यान्वयन को मज़बूत बनाना चाहिये।
  - **दंडात्मक उपायों के साथ-साथ पुनर्वास को एकीकृत करने,** प्रवर्तन को मज़बूत करने एवं **स्थानीय, राज्य तथा केंद्रीय अधिकारियों के बीच समन्वय में सुधार करने के** लिये NDPS **अधिनियम पर पुनर्विचार** करने की आवश्यकता है।
- **एकीकृत नीति दृष्टिकोण:** सरकार को **एकीकृत नीतियाँ विकसित करनी चाहिये** जिससे **मादक पदार्थों के दुरुपयोग के मूल कारणों को हल किया जा सके** जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हों।
  - दवा प्रवृत्तियों एवं हस्तक्षेप कार्यक्रमों की **प्रभावशीलता पर नजर रखने** के लिये निरंतर अनुसंधान आवश्यक है, जिससे **डेटा-आधारित नीति समायोजन** संभव हो सके।
- **नशामुक्ति केंद्र और शिविर: ज़िला स्तर पर नशामुक्ति केंद्रों** की स्थापना के साथ सरकारी एजेंसियों द्वारा **पुनर्वास शिविरों के आयोजन से** प्रभावित व्यक्तियों को सहायता मिल सकती है।
  - **दीर्घकालिक सुधार** के साथ बीमारी के दोबारा होने की रोकथाम के लिये **देखभाल के बाद परामर्श एवं पुनर्वास** प्रयास आवश्यक हैं।
- **शिक्षा एवं जागरूकता: स्कूलों को अपने पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के बारे में शिक्षा को** शामिल करना चाहिये तथा विद्यार्थियों को छोटी उम्र से ही मादक पदार्थों के सेवन के जोखिम एवं परिणामों के बारे में बताना चाहिये।
  - नागरिक समाज एवं धार्मिक नेता **स्कूलों तथा समुदायों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने,** स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देने तथा एथलीटों एवं अभिनेताओं जैसे **रोल मॉडल को शामिल** करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** प्रभावी **सूचना साझाकरण एवं तस्करी विरोधी उपायों के लिये पड़ोसी देशों तथा UNODC** और **इंटरपोल** जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ **संबंधों को मज़बूत** करना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग: मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क पर नज़र रखने तथा अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन वाले क्षेत्रों की निगरानी करने के लिये AI, बिग डेटा एवं ड्रोन का** उपयोग करना चाहिये। मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों के लिये ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित करना चाहिये।

निष्कर्ष

संविधान के अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य में सुधार के क्रम में हानिकारक पदार्थों के निषेध का आह्वान किया गया है। मादक पदार्थों के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये भारत को मज़बूत विनियमन एवं उन्नत विधिक तंत्र के साथ राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। इसके साथ ही इसकी रोकथाम, इसमें शामिल लोगों के पुनर्वास तथा सख्त प्रवर्तन पर केंद्रित एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करना आवश्यक है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा कीजिये। मादक पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने हेतु कुछ उपाय बताइये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भूगोल

महासागरीय एनोक्सिक घटना 1a

चर्चा में क्यों ?

साइंस एडवांसेज़ में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में **महासागरों में एनोक्सिक घटना 1a (OAE 1a)** के काल और अवधि के संबंध में नई जानकारी प्रदान की गई है।

- **जापान के माउंट आशिबेत्सू** के प्रागैतिहासिक शैलों और जीवाश्मों का अध्ययन कर शोधकर्त्ताओं ने OAE 1a के कारणों और समयरेखा का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया है। OAE के कारण पृथ्वी के महासागरों में व्यापक रूप से **ऑक्सीजन की कमी (एनोक्सिक)** हुई थी।

महासागरीय एनोक्सिक घटना 1a क्या है ?

- **परिभाषा: OAE 1a, क्रिटेशस कल्प** (145 मिलियन वर्ष पूर्व का काल और 66 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त) के दौरान एक विशिष्ट अवधि को संदर्भित करता है जब पृथ्वी के **महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी**, जिससे समुद्री जीवन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ था।
- **कारण:** विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना **बृहद स्तर पर ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण हुई थी**, जिससे व्यापक मात्रा में **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** का उत्सर्जन हुआ, जिससे **ग्लोबल वार्मिंग** हुई और महासागरों में **ऑक्सीजन की कमी हुई**, जिसके परिणामस्वरूप **एनोक्सिक समुद्री द्रोणियों** का निर्माण हुआ।
- **प्रभाव:** समुद्री जल में CO_2 की उपस्थिति से कार्बोनिक एसिड बनता है, **जिससे समुद्री जीवों के शैल** घुल जाते हैं **और ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है।**
  - ऑक्सीजन की कमी के कारण समुद्री प्रजातियों, विशेष रूप से प्लवक, विलुप्त हो गईं, तथा **कार्बनिक कार्बन युक्त परतों, जिन्हें ब्लैक शेल्स कहते हैं, का निर्माण हुआ।**

एनोक्सिक समुद्री बेसिन

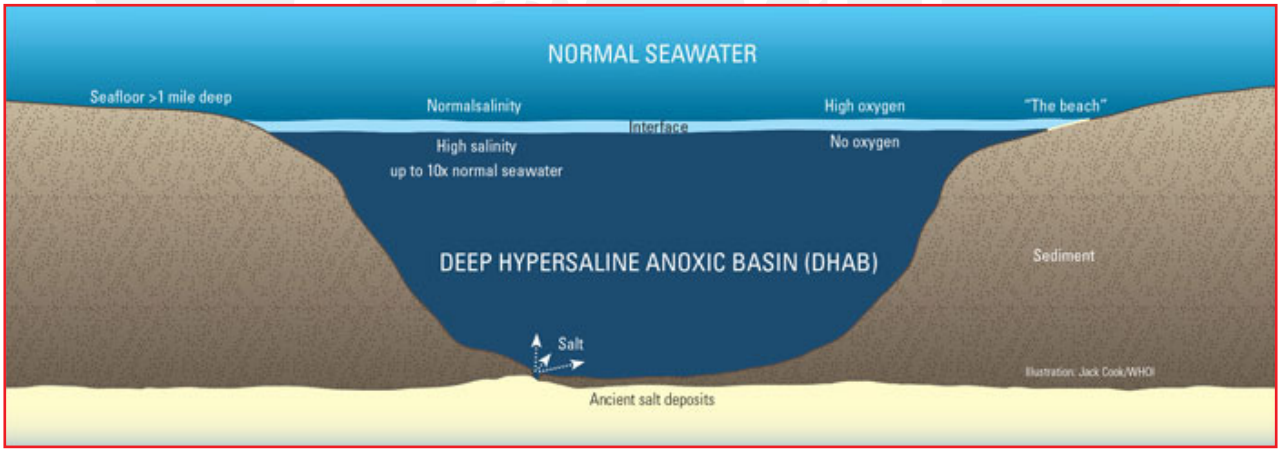

- एनोक्सिक बेसिन का तात्पर्य ऐसे जल क्षेत्र से है, जो प्राय: गहरे महासागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ **ऑक्सीजन का स्तर अत्यंत कम या नितांत अभाव** होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ऑक्सीजन की इस कमी से **अधिकांश वायुजीवी जीवों की उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है** लेकिन विशिष्ट सूक्ष्मजीवों और विशेष कवकों की संवृद्धि के लिये एक अनुकूल परिवेश का निर्माण होता है।
- ये स्थितियाँ प्राय: ऐसे गहरे समुद्री क्षेत्रों या झीलों में उत्पन्न होती हैं जो **ऑक्सीजन युक्त सतही जल से अलग होते हैं।**

- **कार्बन पृथक्करण:** एनोक्सिक बेसिन कार्बन को संरक्षित करते हुए कार्बनिक पदार्थों के क्षय को धीमा करते हैं (कम ऑक्सीजन के कारण)। इसके कारण ऐसे क्षेत्रों में **दीर्घकालिक कार्बन पृथक्करण** होता है, जिससे वायुमंडल में CO_2 के स्तर को कम करने में मदद मिलती है।
- **उदाहरण: काला सागर,** कैरियाको बेसिन (**कैरेबियन सागर**) और ओर्का बेसिन (**मेक्सिको की उत्तर-पश्चिमी खाड़ी**)।
- **मृत क्षेत्र:** ये महासागरों और बड़ी झीलों में **हाइपोक्सिक क्षेत्र (कम ऑक्सीजन)** हैं, जहाँ ऑक्सीजन का स्तर अधिकांश समुद्री जीवन के लिये पर्याप्त नहीं है।

महासागरीय एनोक्सिक घटना 1a पर अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं ?

- **OAE 1a का समय:** अध्ययन में जापान के **होक्काइडो द्वीप** से **ज्वालामुखीय टफ्स** (ज्वालामुखी राख के संघनन और सीमेंटीकरण से निर्मित आग्नेय चट्टानें) के उन्नत **समस्थानिक विश्लेषण** का उपयोग करके OAE 1a के सटीक समय को लगभग **119.5 मिलियन वर्ष पूर्व** बताया गया।
  - OAE 1a 1.1 मिलियन वर्षों तक चला, जिससे पता चला कि CO_2-संचालित वार्मिंग और एनोक्सिया से उबरने में महासागरों को कितना समय लगा।
- **ज्वालामुखी विस्फोट:** अध्ययन ने पुष्टि की कि ज्वालामुखी विस्फोट से CO_2 उत्सर्जित होती है, जिससे महासागरीय ऑक्सीजन में कमी आती है।
- **आधुनिक जलवायु परिवर्तन की प्रासंगिकता:** अध्ययन में अतीत में ज्वालामुखीय CO_2 उत्सर्जन को वर्तमान **मानव-प्रेरित तापमान वृद्धि** से जोड़ा गया है, तथा चेतावनी दी गई है कि **आधुनिक तापमान वृद्धि** की तीव्र गति से इसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, तथा संभावित रूप से **होलोसीन विलुप्ति (संभवत: छठी व्यापक विलुप्ति घटना)** हो सकती है।
  - यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक **कार्बन चक्र** पर बढ़े हुए CO_2 के दीर्घकालिक प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है।

पृथ्वी पर प्रमुख सामूहिक विलुप्ति की घटनाएँ क्या हैं ?

- **ऑर्डोविशियन-सिलुरियन सामूहिक विलुप्ति (443 मिलियन वर्ष पूर्व):**
  - **प्रभाव:** लगभग 85% प्रजातियाँ नष्ट हो गईं।
  - **कारण:** तापमान में नाटकीय गिरावट और **हिमस्खलन**, जिससे समुद्र के स्तर में गिरावट आती है, जिसके बाद तेज़ी से गर्मी बढ़ती है।
- **डेवोनियन सामूहिक विलुप्ति: 374 मिलियन वर्ष पहले घटित हुई:**
  - **प्रभाव:** पृथ्वी की लगभग तीन-चौथाई प्रजातियाँ नष्ट हो गईं, जिनमें अधिकतर समुद्री अकशेरुकी थे।
  - **कारण:** पर्यावरण में परिवर्तन जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग, समुद्र के स्तर में उतार-चढ़ाव और **वायुमंडलीय ऑक्सीजन** और कार्बन डाइऑक्साइड **में कमी।** विलुप्ति के सटीक कारण अभी भी अस्पष्ट हैं।
- **पर्मियन सामूहिक विलुप्ति (250 मिलियन वर्ष पूर्व):**
  - **प्रभाव:** इसे **"द ग्रेट डाइंग"** के नाम से जाना जाता है, इसने अधिकांश कशेरुक सहित 95% से अधिक प्रजातियों को नष्ट कर दिया।
  - **कारण:** इसका संबंध **रूस के साइबेरियन ट्रैप्स** में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट से है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और महासागरीय एनोक्सिया की स्थिति पैदा हो रही है। ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और संभावित क्षुद्रग्रह प्रभाव ने संभवत: विलुप्ति को और बढ़ा दिया है।
- **ट्राइसिक सामूहिक विलुप्ति (200 मिलियन वर्ष पूर्व):**
  - **प्रभाव:** कई **डायनासोर** सहित लगभग 80% प्रजातियाँ समाप्त हो गईं।
  - **कारण:** व्यापक भूगर्भीय गतिविधि जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा और **महासागरों का अम्लीकरण** हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **क्रिटेशियस सामूहिक विलुप्ति (66 मिलियन वर्ष पूर्व):**
  - **प्रभाव:** **नॉन-एवियन डायनासोर** समेत 78% प्रजातियाँ नष्ट हो गईं।
  - **कारण:** संभवत: मेक्सिको में एक क्षुद्रग्रह के टकराने के कारण विशाल गर्त बन गया, ग्लोबल कूलिंग हुआ और पारिस्थितिकी तंत्र विलुप्त हो गया।
    - इसके अतिरिक्त, **भारत के दक्कन पठार** में ज्वालामुखी विस्फोटों ने **ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देकर** इस घटना को और गंभीर बना दिया है।

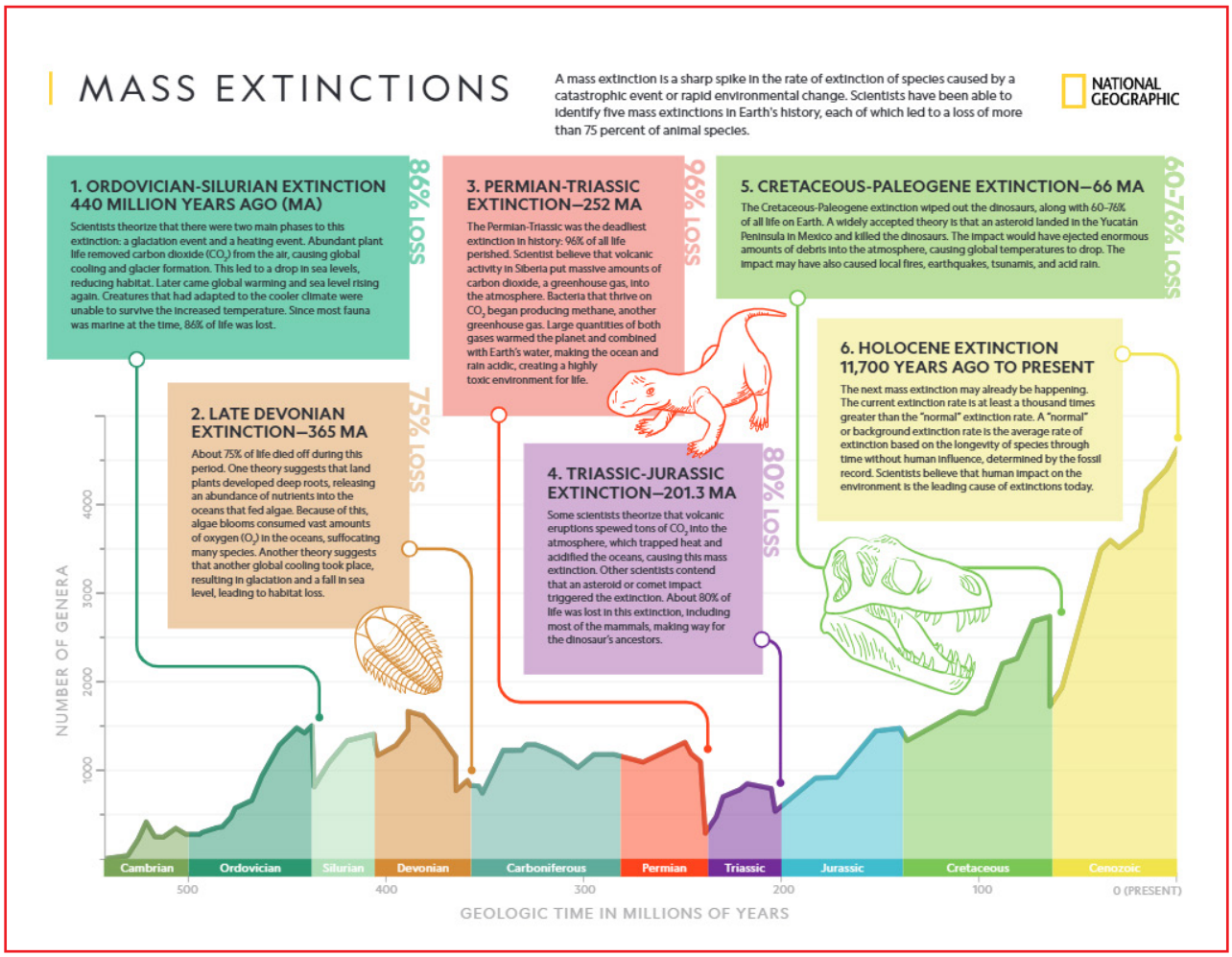

होलोसीन विलुप्ति क्या है ?

- **परिचय:** होलोसीन विलुप्ति, जिसे **छठी सामूहिक विलुप्ति** के रूप में भी जाना जाता है, **लगभग 12,000 वर्ष पहले** शुरू हुई क्रमिक विलुप्ति की घटना को संदर्भित करती है तथा इसके लिये मुख्य रूप से **मानवीय गतिविधियों** को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि पिछली सामूहिक विलुप्ति **प्राकृतिक घटनाओं** के कारण हुई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रमुख घटक:**
  - **अतिदोहन:** अत्यधिक मत्स्य संग्रहण और अवैध शिकार जैसी गतिविधियों से प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं।
  - **आवास की हानि: कृषि और शहरीकरण** के लिये भूमि के रूपांतरण से आवास नष्ट और आबादी विखंडित हो जाती है।
  - **जलवायु परिवर्तन:** मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों के वितरण और संबंधों को बाधित करते हैं।
  - **प्रदूषण:** औद्योगिक, कृषि और अपशिष्ट प्रदूषण रसायनों और प्लास्टिक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं।
  - **आक्रामक प्रजातियाँ:** गैर-देशी प्रजातियाँ देशी पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती हैं, स्थानीय प्रजातियों से प्रतिस्पर्द्धा करती हैं या उनका शिकार करती हैं।
- **होलोसीन एक्सटिंक्ट/विलोप घटनाओं के प्रमुख उदाहरण:**
  - मेगाफौना **विलुप्ति (12,000 वर्ष पूर्व) ने मैमथ** और **कृपाण-दांतेदार बिल्लियों** जैसे बड़े स्तनधारियों को नष्ट कर दिया , जो संभवत: मानव शिकार और **जलवायु परिवर्तन** के कारण हुआ ।
  - **कोरल रीफ ब्लीचिंग** समुद्र के बढ़ते तापमान और महासागरीय अम्लीकरण के कारण हो रही है, जिससे रीफ जैव विविधता खतरे में पड़ रही है।
  - **उभयचरों,** विशेषकर मेंढकों की संख्या में गिरावट, निवास स्थान की क्षति, प्रदूषण और चिट्रिडिओमाइकोसिस जैसी बीमारियों के कारण हो रही है।
- **प्रभाव:** वर्तमान विलुप्ति दर **प्राकृतिक दर से 1,000-10,000 गुना अधिक है।**
  - खाद्य उत्पादन, स्वच्छ जल और वायु जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं खतरे में हैं, जिससे जैव विविधता और मानव जीवन दोनों को खतरा है।
- **होलोसीन एक्सटिंक्ट/विलोप को कम करने के प्रयास:** कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और **वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता को मज़बूत करना**, जैसा कि **पेरिस समझौते** में रेखांकित किया गया है।
  - **30X30 पहल** के तहत, **कम-से-कम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल और महासागरों के संरक्षण** के लिये वैश्विक स्तर पर सहयोग करना।
  - समुदायों, कंपनियों और व्यक्तियों को सतत् प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना तथा निगमों एवं सरकारों को जवाबदेह बनाना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: "छठा व्यापक विलोप/छठा विलोप" के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिये। मानवीय गतिविधियाँ इस संकट में किस प्रकार योगदान देती हैं?

केन-बेतवा लिंक परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में **केन-बेतवा लिंक परियोजना (Ken-Betwa Link Project- KBLP)** की आधारशिला रखी।

- **नदियों को आपस में जोड़ने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** के एक हिस्से के रूप में 45,000 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य **बुंदेलखंड** में जल आपूर्ति की कमी को दूर करना है।

नोट: KBLP के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने दौधन बाँध सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी, जो क्षेत्र की **11 लाख हेक्टेयर भूमि** को लाभ पहुँचाएगी।

- प्रधानमंत्री ने **ओंकारेश्वर में मध्य प्रदेश** का पहला **फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट** का भी उद्घाटन किया, जो **नवीकरणीय ऊर्जा** अपनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

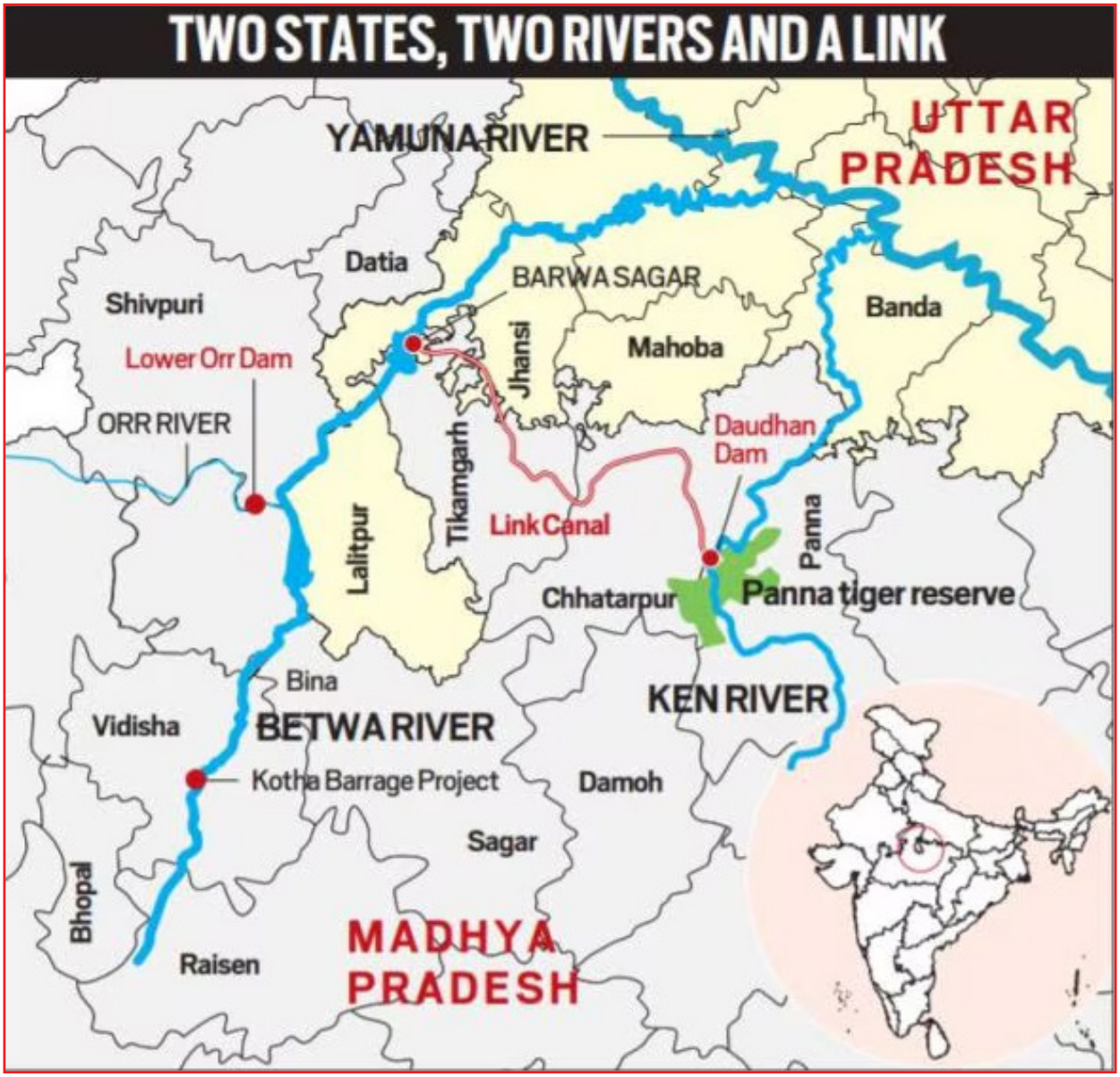

केन-बेतवा लिंक परियोजना की मुख्य विशेषता क्या हैं ?

- **परिचय:** KBLP, NPP के तहत भारत की पहली पहल है, जिसे वर्ष 1980 में नदियों को आपस में जोड़ने हेतु तैयार किया गया था, जिसे **केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण** द्वारा कार्यान्वित किया गया था।
  - इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल को **उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी** में स्थानांतरित करना है, यह **दोनों यमुना की सहायक नदियाँ** हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

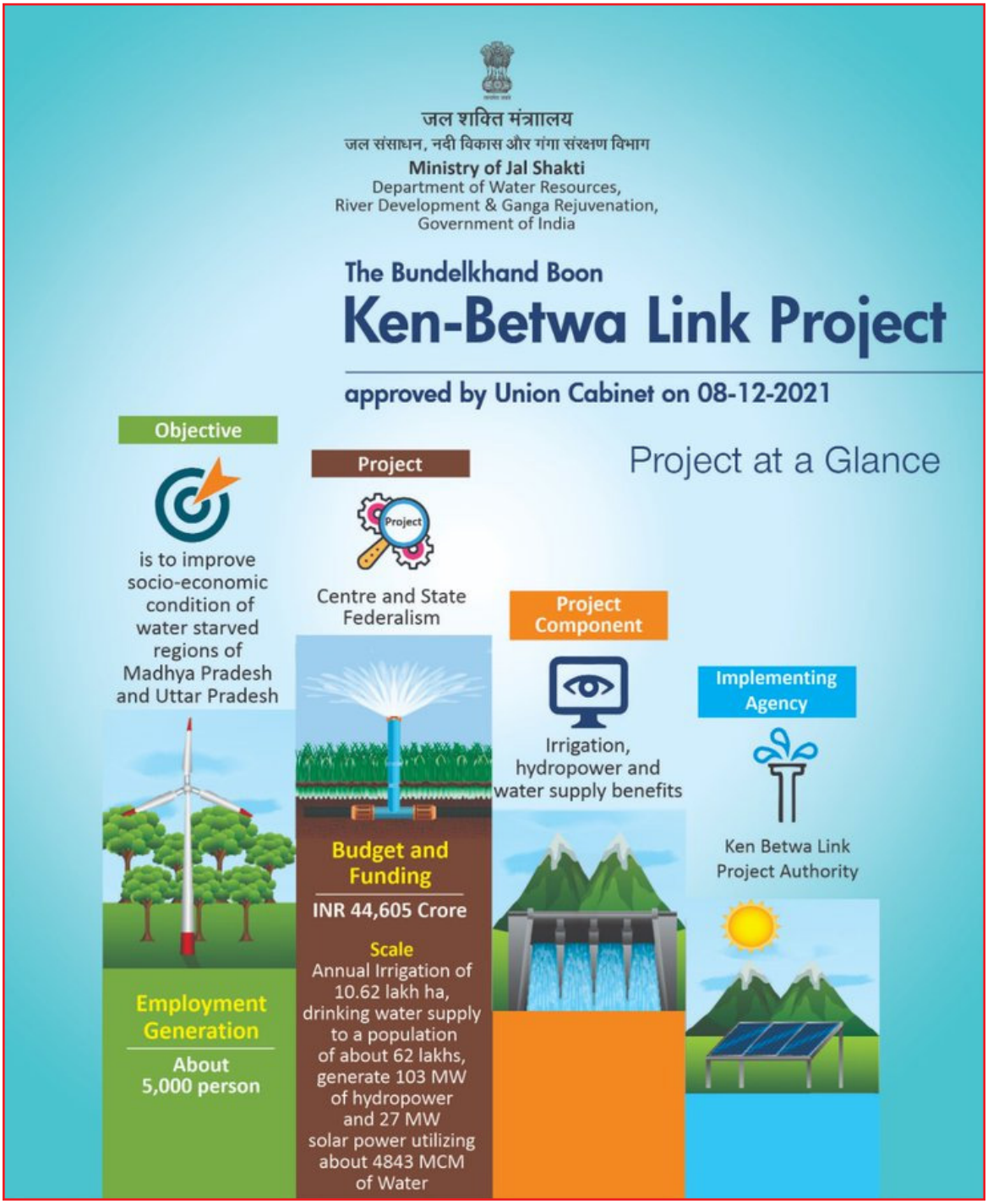

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **परियोजना के चरण:**
  - **प्रथम चरण: दौधन बाँध परिसर,** निम्न-स्तरीय और उच्च-स्तरीय सुरंगों, केन-बेतवा लिंक परियोजना और बिजलीघरों का निर्माण।
  - चरण II: ओर्र/ओर नदी (बेतवा की एक सहायक नदी) पर स्थित लोअर ओर्र बाँध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज का निर्माण
- **लाभ:**
  - प्रतिवर्ष **6.3 लाख हेक्टेयर** क्षेत्र की सिंचाई।
  - **62 लाख लोगों** को पेयजल आपूर्ति।
  - परियोजना में **जल विद्युत उत्पादन (100 मेगावाट) और सौर ऊर्जा (27 मेगावाट)** के प्रावधान शामिल हैं।
- **बुंदेलखंड का महत्त्व:** बुंदेलखंड एक भौगोलिक क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 ज़िलों में फैला हुआ है।
  - बुंदेलखंड **लंबे समय से सूखाग्रस्त और जल की कमी से जूझ रहा है,** जिससे रोज़गार हेतु लोगों का पलायन हो रहा है।
  - KBLP पेयजल तक पहुँच को सुनिश्चित करता है, विश्वसनीय सिंचाई के साथ कृषि तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, जिससे प्रवासन में कमी आती है।
- **आलोचकों द्वारा उठाई गई पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:**
  - आलोचकों ने परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से **पन्ना टाइगर रिज़र्व** पर, जिसका 10% से अधिक मुख्य क्षेत्र जलमग्न हो सकता है।
  - आलोचकों का तर्क है कि इस परियोजना से बाघों, गिद्धों और अन्य प्रजातियों सहित **वन्यजीव आवासों को काफी नुकसान** हो सकता है।
    - 23 लाख से अधिक वृक्षों के काटे जाने की आशंका है, तथा निर्माण गतिविधियों से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।
- **सरकारी प्रतिक्रिया:** सरकारी तंत्र द्वारा आश्वासन दिया गया कि परियोजना निर्माण में **पन्ना टाइगर रिज़र्व के वन्य जीवन के संरक्षण** पर विचार किया जाएगा तथा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये विकास और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उपाय लागू किये जाएंगे।

केन और बेतवा नदियों के बारे में मुख्य तथ्य

- **केन नदी:** केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैमूर पहाड़ियों की उत्तर-पश्चिमी ढलान पर अहिरगवां गाँव के पास से निकलती है।
  - यह नदी उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के निकट चिल्ला गाँव में यमुना में मिल जाती है।
  - केन नदी दुर्लभ **साझर पत्थर** के लिये जानी जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बावस, देवर, कैथ, कोपरा और बेयरमा शामिल हैं।
- **बेतवा नदी:** बेतवा, मध्य प्रदेश में **विंध्य श्रेणी** से निकलती है, बुंदेलखण्ड से होकर बहती है, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिलती है।
  - बेतवा की प्रमुख सहायक नदियाँ **नुआन, उर और धसान** हैं। प्राचीन काल में बेतवा को **वेत्रवती** के नाम से जाना जाता था।

भारत में नदी-जोड़ो परियोजनाओं की उत्पत्ति

- **सर आर्थर कॉटन (19 वीं शताब्दी):** नदियों को जोड़ने का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश इंजीनियर **सर आर्थर कॉटन** द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य नौवहन और सिंचाई के लिये **गंगा** और **कावेरी** को जोड़ना था।
  - पेरियार परियोजना, जिसका निर्माण वर्ष 1895 में किया गया था, एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो **केरल में पेरियार नदी बेसिन** से जल को **तमिलनाडु में वैगई नदी बेसिन** तक ले जाती है।
- **राष्ट्रीय जल ग्रिड:** तत्कालीन केंद्रीय सिंचाई मंत्री डॉ. के.एल. राव ने **1970 के दशक में राष्ट्रीय जल ग्रिड** के निर्माण का प्रस्ताव रखा था।
  - इसका उद्देश्य जल-अधिशेष क्षेत्रों से जल-कमी वाले क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करना है।
- **गारलैंड नहर:** कैप्टन **दिनशॉ जे दस्तूर** ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल के पुनर्वितरण के लिये गारलैंड नहर का प्रस्ताव रखा।
- **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980): वर्ष** 1980 में तैयार की गई, जिसका उद्देश्य अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण था।
  - वर्ष 1982 में नदियों को जोड़ने के लिये जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिये **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA)** की स्थापना की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नदियों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) क्या है ?

- **परिचय:** सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा वर्ष 1980 में तैयार की गई NPP का उद्देश्य जल के अंतर-बेसिन हस्तांतरण के माध्यम से जल संसाधनों का विकास करना है।
  - NPP के अंतर्गत नदियों को जोड़ने का कार्य NWDA को सौंपा गया है।

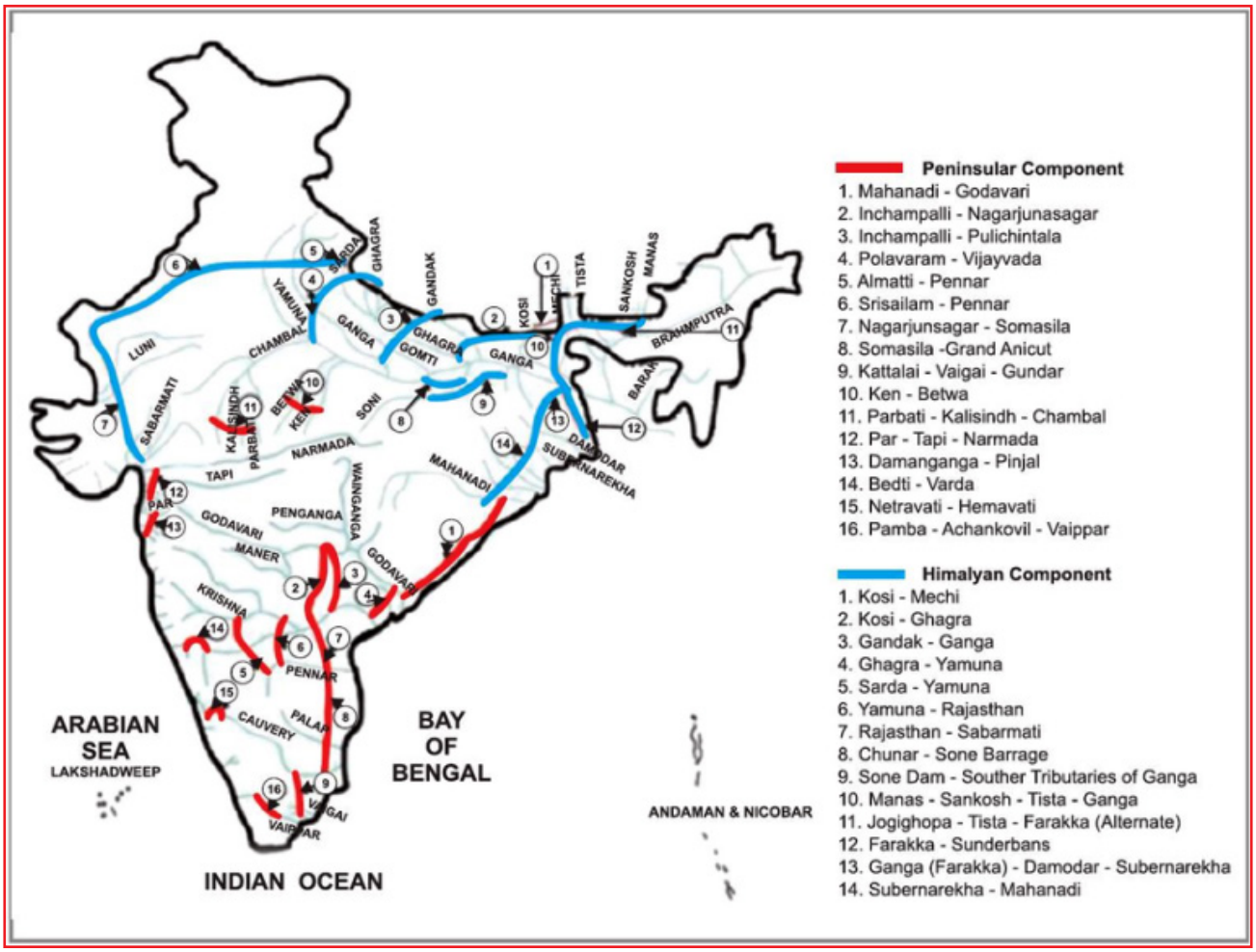

- **घटक:** योजना के दो मुख्य घटक हैं: हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ विकास।
  - **30 लिंक परियोजनाएँ:** प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16, हिमालयी घटक के अंतर्गत 14।
  - **प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक:** दक्षिणी और मध्य भारत में नदियों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख परियोजनाओं में **महानदी-गोदावरी,** गोदावरी-कृष्णा और केन-बेतवा लिंक शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **हिमालयी नदी विकास घटक:** इसका उद्देश्य गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की पूर्वी सहायक नदियों के अधिशेष जल को पश्चिमी क्षेत्रों की ओर मोड़ना है। इससे संबंधित उल्लेखनीय परियोजनाओं में **कोसी-घाघरा एवं गंडक-गंगा लिंक** शामिल हैं।

- **महत्त्व: यह राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु** जैसे राज्यों में जल की कमी को दूर करने पर केंद्रित है।
  - इससे सिंचाई में सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी।
  - **इससे माल ढुलाई के लिये अंतर्देशीय जलमार्गों को** बढ़ावा मिलने के साथ भूजल की कमी को कम करने तथा समुद्र में प्रवाहित होने वाले मीठे जल का उपयोग करने के क्रम में सतही जल के उपयोग को महत्त्व मिलेगा।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में नदियों को जोड़ने के लिये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना को बताते हुए धारणीय जल प्रबंधन हेतु इसके निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिये?

दृष्टि The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कृषि

किसानों के कल्याण में सुधार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति (PSC) ने 18वीं लोकसभा** में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की **अनुदान मांगों (2024-25)** पर अपनी पहली प्रस्तुत की है।

- **इसके द्वारा किसानों के कल्याण में सुधार** के क्रम में कई सिफारिशें की गईं।

PSC द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

- **MSP की विधिक गारंटी:** इसने **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** की **विधिक गारंटी प्रदान करने की** सिफारिश की।
  - MSP के विधिक कार्यान्वयन हेतु एक **रोडमैप विकसित करने के साथ** यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि केंद्र सरकार **सुचारु परिवर्तन** के लिये वित्तीय योजना बनाए।
  - सरकार द्वारा संसद में **फसल-पश्चात ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है,** जिसमें MSP पर फसल बेचने वाले किसानों की संख्या तथा **MSP और बाज़ार मूल्य के बीच अंतर** का विवरण हो।
- **धान अपशिष्ट प्रबंधन: पराली जलाने** से रोकने के लिये फसल अवशेषों के प्रबंधन एवं निपटान के लिये किसानों को **मुआवज़ा** प्रदान करना चाहिये।
  - **पंजाब के उस प्रस्ताव पर विचार किया जाए जिसमें प्रति एकड़ 2,000 रुपए** का बोनस (जिसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर दिया जाएगा) देने का प्रावधान है।
- **पीएम-किसान योजना को बढ़ावा देना: पीएम-किसान योजना** के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय सहायता को 6,000 रुपए से बढ़ाकर **12,000 रुपए** किया जाए।
  - **इसे बँटाईदार किसानों** एवं **कृषि श्रमिकों** तक भी बढ़ाया जा सकता है।
- **ऋण राहत:** बढ़ते ऋण संकट के साथ आत्महत्याओं को कम करने के लिये किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिये **ऋण माफी योजना** शुरू की जाए।
  - ग्रामीण परिवारों में **ऋण** पर बढ़ती निर्भरता और बढ़ते **बकाया ऋणों पर** बारीकी से **नज़र रखना।**
- **बजटीय आवंटन:** इसमें कुल केंद्रीय योजना के प्रतिशत के रूप में कृषि के लिये बजटीय आवंटन में निरंतर गिरावट की ओर इशारा किया गया है।
  - वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक उच्च आवंटन के बावजूद, केंद्रीय योजना परिव्यय हिस्सा वर्ष **2020-21 में 3.53% से घटकर वर्ष 2024-25 में 2.54%** हो गया।
- **सार्वभौमिक फसल बीमा:** समिति ने **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)** स्वास्थ्य बीमा योजना के अनुरूप **2 एकड़** तक के छोटे किसानों के लिये अनिवार्य फसल बीमा का प्रस्ताव रखा है।
- **राष्ट्रीय कृषि मज़दूर आयोग: कृषि मज़दूरों** के अधिकारों और कल्याण के लिये **न्यूनतम जीवन निर्वाह मज़दूरी हेतु राष्ट्रीय आयोग** की स्थापना की जाएगी।
- **विभाग का नाम बदलना:** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर **कृषि, किसान और खेत मज़दूर कल्याण विभाग** रखना ताकि कृषि मज़दूरों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

नोट: उपाध्यक्ष **जगदीप धनखड़** ने इस दावे को खारिज कर दिया कि उच्च MSP से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, उन्होंने कहा, **"हम किसानों को जो भी मूल्य देंगे, राष्ट्र को बिना किसी संदेह के पाँच गुना अधिक लाभ होगा।"**

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति

- **परिचय:** कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति संसद को कृषि, पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित **नीतियों, कानूनों एवं मुद्दों की समीक्षा व देख-रेख में सहायता करती है।**
  - इसका गठन **लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331C** के अंतर्गत किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

न्यूनतम समर्थन मूल्य
Minimum Support Price (MSP)

वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर

- **सिफारिश:**
- **'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP)** द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा **गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।**
- **22 अधिदिष्ट फसलें :**
  (14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)
- **7 अनाज**- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी
- **5 दालें**- चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर
- **7 तिलहन**- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल
- **कच्चा कपास**
- **कच्चा जूट**
- **नारियल/गरी (कोपरा)**

MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदिष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है

- **MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:**
  - फसल की खेती में आने वाली लागत
  - फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति
  - बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ
  - अंतर-फसल मूल्य समता
  - उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)
  - पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)
  - कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
  - MSP की सिफारिश करते समय **CACP** द्वारा **'A2+FL'** और **'C2'** दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
  - **MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **अधिकार क्षेत्र: इसे** भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के कामकाज की **जाँच और निगरानी** का कार्य सौंपा गया है:
  - **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
    - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
    - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
  - **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
    - पशुपालन और डेयरी विभाग
    - मत्स्य विभाग
  - **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**
  - **सहकारिता मंत्रालय**
- **संरचना:** इसमें **कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमे से लोकसभा** अध्यक्ष द्वारा नामित **21 सदस्य लोकसभा** से तथा सभापति द्वारा नामित **10 राज्य सभा से** होते हैं।
  - समिति के अध्यक्ष की **नियुक्ति** लोकसभा **अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों** में से की जाती है।
- **सदस्यों का कार्यकाल:** समिति के सदस्यों का कार्यकाल **एक वर्ष से अधिक नहीं होता है।**

किसानों के कल्याण पर PSC की सिफारिशों का क्या महत्त्व है?

- **वित्तीय स्थिरता:** कानूनी रूप से बाध्यकारी MSP से किसानों के लिये **वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी, आत्महत्याओं में कमी आएगी,** बाज़ार में अस्थिरता कम होगी, ऋण का बोझ कम होगा तथा किसानों के समग्र मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
- **खाद्य सुरक्षा:** कानूनी रूप से गारंटीकृत MSP व्यापक राष्ट्रीय **खाद्य सुरक्षा** उद्देश्यों के साथ संरेखित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि खाद्यान्न स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध हों, जिससे **सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहायता मिलती है।**
- **पर्यावरणीय स्थिरता: पराली जलाने से निपटने के लिये उपकरण खरीदने हेतु किसानों को मुआवज़ा** प्रदान करने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  - फसल अवशेष जलाने से उत्तरी भारत में **शीतकाल में वायु प्रदूषण और भी बदतर हो जाता है, क्योंकि कई किसान प्रभावी फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं।**
- **कल्याण में समावेशिता:** कृषि विभाग का नाम बदलकर इसमें "कृषि मज़दूरों" को शामिल करना, न केवल भूमि-स्वामी किसानों बल्कि **कृषि में समस्त हितधारकों के कल्याण पर व्यापक ध्यान को दर्शाता है।**

अनुदान की मांगें

- **संवैधानिक आधार:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद-113** में यह प्रावधान है कि भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्ययों को छोड़कर, **भारत की संचित निधि से व्यय अनुमानों को अनुदानों की मांग** के रूप में **लोकसभा** में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
- प्रभारित व्यय सूचनात्मक प्रयोजन के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं, लेकिन उन पर मतदान नहीं होता।
- **उद्देश्य:** विभिन्न सेवाओं पर व्यय के लिये अनुदानों की मांगों को **लोकसभा द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें राजस्व और पूंजीगत खाते (ऋण सहित) दोनों शामिल होते हैं।**
- **प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिये एक मांग:** सामान्यत: **प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा एक मांग** प्रस्तुत की जाती है।
  - हालाँकि, बड़े मंत्रालयों/विभागों के लिये एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- **भारित व्यय का समावेशन:** यदि व्यय का कोई भाग संचित निधि पर **'भारित' है, तो उसे अनुदानों की मांग** में **स्पष्ट रूप से इटैलिक में दर्शाया जाता है।**
  - हालाँकि, इस भाग पर मतदान नहीं होता है।

किसानों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **MSP का अधूरा वादा:** किसान उत्पादन की व्यापक **लागत (C2+50%) का 1.5 गुना वैधानिक MSP की मांग कर रहे हैं,** जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
  - अनुशंसित दर पर MSP की गारंटी के बिना, किसानों को **वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है,** जिससे संकट और आत्महत्याएँ बढ़ रही हैं।
- **उत्पादन की बढ़ती लागत: उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों, डीजल, पानी और बिज़ली** की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे किसानों की लाभप्रदता पर दबाव पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **ऋण बोझ: वर्ष 2022-23** की **नाबार्ड ग्रामीण वित्तीय समावेशन** के अनुसार ऋण लेने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत **2016-17 में 47.4% था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 52% हो गया।**
  - इओसके साथ ही ग्रामीण परिवारों की **आय में 57.6%** (2016-22) की वृद्धि हुई लेकिन **व्यय में 69.4% की वृद्धि हुई,** जो दर्शाता है कि आय वृद्धि से अधिक व्यय में बढ़ोतरी हुई।
- **सार्वजनिक निवेश में कमी:** सिंचाई और बिजली में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में कटौती के कारण **लागत में वृद्धि हुई है और परियोजनाएँ अधूरी रह गईं,** जिससे किसानों की सिंचाई और वहनीय बिजली की पहुँच में बाधा उत्पन्न हो रही है।
  - इसके अतिरिक्त, **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** से किसानों की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप पूर्ति नहीं हो पाई है तथा कई राज्यों ने इससे अलग होने का निर्णय लिया है, क्योंकि कथित तौर पर यह किसानों की बजाय बीमा कम्पनियों को लाभ पहुँचाने पर केंद्रित है।
- **कृषि विकास में गिरावट: 2023-24** में कृषि की **विकास दर** (अनंतिम अनुमान) घटकर **1.4%** रह गई, जो गत सात वर्षों में सबसे कम है जबकि **गत चार वर्षों में** औसत वार्षिक विकास दर 4.18% रही थी।
- **मनरेगा के लिये अपर्याप्त धनराशि:** वर्तमान सरकार की **मनरेगा** के लिये **अपर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आलोचना की गई है,** जिसके कारण कार्य दिवसों की संख्या **घटकर मात्र 42 रह गई है।**
  - कृषीतर ऋतुओं के दौरान **मनरेगा कार्य की अनुपलब्धता किसानों की आजीविका के लिये खतरा बन जाती है।**
- **भूमि अधिग्रहण: "भूमि का स्वामित्व किसान के पास"** से **"भूमि का स्वामित्व कॉर्पोरेट के पास"** की ओर स्थानांतरित होने को लेकर चिंता बढ़ रही है, जो **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** का उल्लंघन है।
  - खनन एवं अन्य उद्देश्यों के लिये जनजातीय समुदायों से बिना किसी प्रतिकर के उनकी भूमि पर अधिग्रहण किया जा रहा है।

आगे की राह

- **C2+50% पर सांविधिक MSP:** सरकार को **एम.एस. स्वामीनाथन आयोग** द्वारा अनुशंसित **C2+50% पर सांविधिक MSP** लागू करने के लिये **स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिये।**
- **एकमुश्त ऋण संबंधी छूट:** एकमुश्त ऋण अधित्यजन से किसानों को **तत्काल राहत मिलेगी,** आत्महत्याओं की रोकथाम होगी तथा कृषि में पुनर्निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **फसल बीमा में सुधार: नियमित सूखा, बाढ़, बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि** को देखते हुए, PMFBY से अलग एक **व्यापक फसल बीमा योजना** होनी चाहिए।
- **मनरेगा का विस्तार:** मनरेगा के लिये वित्त पोषण में वृद्धि, कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर **कम से कम 200 करना** तथा **दैनिक मजदूरी को 600 रुपए करना,** ग्रामीण परिवारों को अनुपयुक्त कृषि अवधि के दौरान आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा।
- **प्रगतिशील कराधान:** कृषि सुधारों के लिये **आवश्यक संसाधन** जुटाने हेतु आयकर स्लैब में संशोधन किया जाना चाहिये।
- **कृषि नीतियों की समीक्षा:** सरकार को **किसानों के बजाय कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को संशोधित करना चाहिये** तथा किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास सुनिश्चित करने और किसानों की आत्महत्याओं की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों पर चर्चा कीजिये।

भारत के FPO का वैश्वीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER)** ने भारत के **किसान उत्पादक संगठनों (FPO)** की **समस्याओं** का विश्लेषण किया और **सुधार के सुझाव** दिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ICRIER (1981) एक प्रमुख भारतीय नीति अनुसंधान **प्रबुद्ध मंडल है जो कृषि, जलवायु परिवर्तन**, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है।

एक कृषक उत्पादक संगठन क्या होता है ?

- **परिचय:** FPO एक प्रकार का **उत्पादक संगठन (PO)** है, जिसके सदस्य **किसान** होते हैं।
  - **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC)** FPO के संवर्द्धन में सहायता प्रदान करता है।
  - PO किसी भी उत्पाद के उत्पादकों के संगठन के लिये एक **सामान्य नाम है, जैसे- कृषि, गैर-कृषि उत्पाद, शिल्पकारी उत्पाद**, इत्यादि।
    - PO एक **उत्पादक कंपनी, एक सहकारी समिति** या कोई अन्य विधिक रूप हो सकता है जो सदस्यों के बीच लाभ/हितलाभ को साझा करने का प्रावधान करता है।
- **FPO की आवश्यकता: लघु और सीमांत किसानों** को व्यापक स्तर के लाभ प्राप्त करने में मदद करना, सामूहिक रूप से संवाद करके उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना, उनकी आय को दोगुना करना एवं वैश्विक बाज़ारों में उनकी पहुँच बढ़ाना।
  - भारत में **86% किसान लघु और सीमांत किसान हैं।**
- **स्वामित्व:** FPO का स्वामित्व उसके सदस्यों के पास होता है। यह **उत्पादकों का, उत्पादकों द्वारा तथा उत्पादकों के लिये एक संगठन है।**
- **FPO के विधिक स्वरूप:** FPO को निम्नलिखित के तहत पंजीकृत किया जा सकता है:
  - कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013।
  - **सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी**
  - भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत लोक न्यास

PO और सहकारी समितियों में अंतर:

मापदंड	सहकारी समिति	उत्पादक संगठन
उद्देश्य	एकल उद्देश्य	मल्टी ऑब्जेक्ट
सदस्यता	व्यक्ति एवं सहकारी समितियाँ	कोई भी व्यक्ति, समूह, संघ, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादक
सरकारी नियंत्रण	हस्तक्षेप के विषय में अत्यधिक संरक्षित	न्यूनतम, वैधानिक आवश्यकताओं तक सीमित
प्रारक्षित निधि	लाभ होने पर निर्मित किया जाता है	प्रत्येक वर्ष निर्मित किया जाना अनिवार्य

भारत के FPO को कौन-सी समस्याएँ परेशान कर रही हैं ?

- **सीमित बाज़ार संपर्क:** लगभग **80% FPO खरीदारों**, विनिर्माताओं, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और निर्यातकों की **पहचान करने तथा उन तक पहुँचने** में असमर्थ हैं।
- **उत्पाद संबंधी जानकारी का अभाव:** यद्यपि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर **8,000 से अधिक FPO पंजीकृत हैं, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वे किन उत्पादों की आपूर्ति करते हैं।**
  - जानकारी के अभाव के कारण **कंपनियाँ और विदेशी अभिकर्त्ता व्यापारियों तथा पारंपरिक मंडियों के** माध्यम से सामान खरीदने में रुचि रखते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जटिल विनियमन:**
  - **मानकों की बहुलता: FSSAI, BIS, APEDA और मसाला बोर्ड** जैसी विभिन्न एजेंसियाँ अलग-अलग मानक प्रदान करती हैं, जिससे **FPO** अनुपालन तथा **बाज़ार पहुँच के बारे में भ्रमित हो जाते हैं।**
  - **सूचना का अभाव:** लगभग **72% FPO को** घरेलू मानक-निर्धारण प्रक्रिया बहुत **जटिल लगती है, उन्हें** निर्यात मानकों और आवश्यकताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव रहता है।
- **आयातक देशों द्वारा अस्वीकृति:** बहुत कम देशों ने भारत के साथ **मानकों के लिये पारस्परिक मान्यता समझौते किये हैं।**
  - यद्यपि हमारे **मानक अच्छे हैं, फिर भी** आयातक देशों द्वारा उन्हें **शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है।**
- **ट्रेसेबिलिटी संबंधी मुद्दे:** वैश्विक खरीदार **उत्पाद संबंधी ट्रेसेबिलिटी चाहते हैं,** कई FPO को यह नहीं पता कि इसे कैसे लागू किया जाए।
  - उत्पाद संबंधी ट्रेसिबिलिटी **प्रत्येक चरण पर विनिर्माण डेटा को** लॉग करती है साथ ही मॉनिटर करके **आपूर्ति शृंखला के माध्यम से उत्पादों को ट्रैक करती है।**
- **ई-कॉमर्स को सीमित रूप से अपनाना: ONDC और E-नाम** जैसी सरकारी पहलों के बावजूद, FPO के पास ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिये जागरूकता तथा क्षमता सीमित है।
  - उदाहरण के लिये नवंबर 2024 तक **कोई भी टर्मरिक FPO ONDC पर सूचीबद्ध नहीं है।**

भारत में FPO की सफलता की कहानी

- **ओडिशा में कंधमाल हल्दी को बढ़ावा देने के लिये कंधमाल एपेक्स स्पाइसेस एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग (KASAM) की** स्थापना की गई है। यह ओडिशा सरकार के तहत **61 मसाला विकास समितियों** का सहयोग है।
  - **इसने किसान साथी** के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत किसान साथी **दो KASAM FPO - गुमापदार FPC लिमिटेड और शास्त्री FPC लिमिटेड के साथ कार्य कर रहा है** - ताकि उन्हें वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचने में मदद मिल सके।
    - **गुमापदर FPC लिमिटेड नीदरलैंड से नेडस्पाइस ग्रुप** को कंधमाल हल्दी का निर्यात कर रहा है।
- यह दर्शाता है कि **रणनीतिक साझेदारी** और समन्वित प्रयासों से FPO बाज़ार की बाधाओं को पार कर सकते हैं, जो वैश्विक भी हो सकते हैं।

वैश्विक सफलता की कहानियाँ

- **मेक्सिको (एजिडो प्रणाली):** एजिडो **सामुदायिक कृषि प्रणाली है,** जहाँ भूमि का स्वामित्व और प्रबंधन सामूहिक रूप से समुदायों द्वारा किया जाता है।
  - **इससे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचने में मदद मिली, विशेष रूप से एवोकाडो और बेरी** जैसी फसलों में।
- **थाईलैंड: थाईलैंड में कृषि सहकारी समितियों** का एक मज़बूत नेटवर्क है, विशेष रूप से चावल उत्पादन में।
  - **"एक तांबून (गाँव) एक उत्पाद"** जैसे कार्यक्रम अद्वितीय **स्थानीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देते हैं।**
- **चीन: चाय, फल और जलीय कृषि** जैसे क्षेत्रों में कृषक व्यावसायिक सहकारी समितियों (FPC) ने सफलतापूर्वक वैश्विक बाज़ारों में प्रवेश किया है।
  - **अलीबाबा** जैसे प्लेटफॉर्म ने सहकारी समितियों को **सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय करने** में सक्षम बनाया है ।

आगे की राह

- **FPO का डेटाबेस: FPO का विस्तृत, उत्पाद-विशिष्ट डेटाबेस** विकसित करना, ताकि वैश्विक कंपनियाँ प्रासंगिक FPO का पता लगा सकें और उनके साथ जुड़ सकें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिये **दृश्यता (Visibility) और साझेदारी को बढ़ावा देना** तथा उत्पाद का पता लगाने की कमी जैसी बाधाओं को दूर करना।

- **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म: FPO को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म** पर लाने के लिये अधिक समर्थन की आवश्यकता है, साथ ही **किसानों को** ई-नाम जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बारे में **शिक्षित करने की भी आवश्यकता** है ताकि उन्हें बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने में मदद मिल सके।
- **वैश्विक अनुपालन मानक:** भारत के कृषि उत्पादों को अस्वीकार किये जाने से बचाने के लिये **स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, अधिकतम अवशेष स्तरों तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं** जैसे **वैश्विक अनुपालन मानकों** पर ज्ञान का हस्तांतरण महत्त्वपूर्ण है।
- **उत्पाद-विशिष्ट प्रशिक्षण:** प्रमुख बाज़ारों के लिये अनुपालन मानकों और विनियमों से संबंधित **उत्पाद-विशिष्ट प्रशिक्षण तथा दिशा-निर्देशों** की आवश्यकता है ।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना: कंधमाल हल्दी FPO** जैसे सफल केस स्टडीज़ की पहचान करना और संरचित ज्ञान-साझाकरण तंत्र के माध्यम से इन मॉडलों को दोहराना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में FPO के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की जाँच कीजिये और किसानों की बाज़ार पहुँच बढ़ाने में उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिये सुधार सुझाइये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय समाज

घरेलू प्रवास पर EAC-PM रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने "*400 मिलियन ड्रीम्स!*" शीर्षक से एक कार्यपत्र जारी किया है, जिसमें वर्ष 2011 से घरेलू **प्रवास में आई 12% की गिरावट** पर प्रकाश डाला गया है।

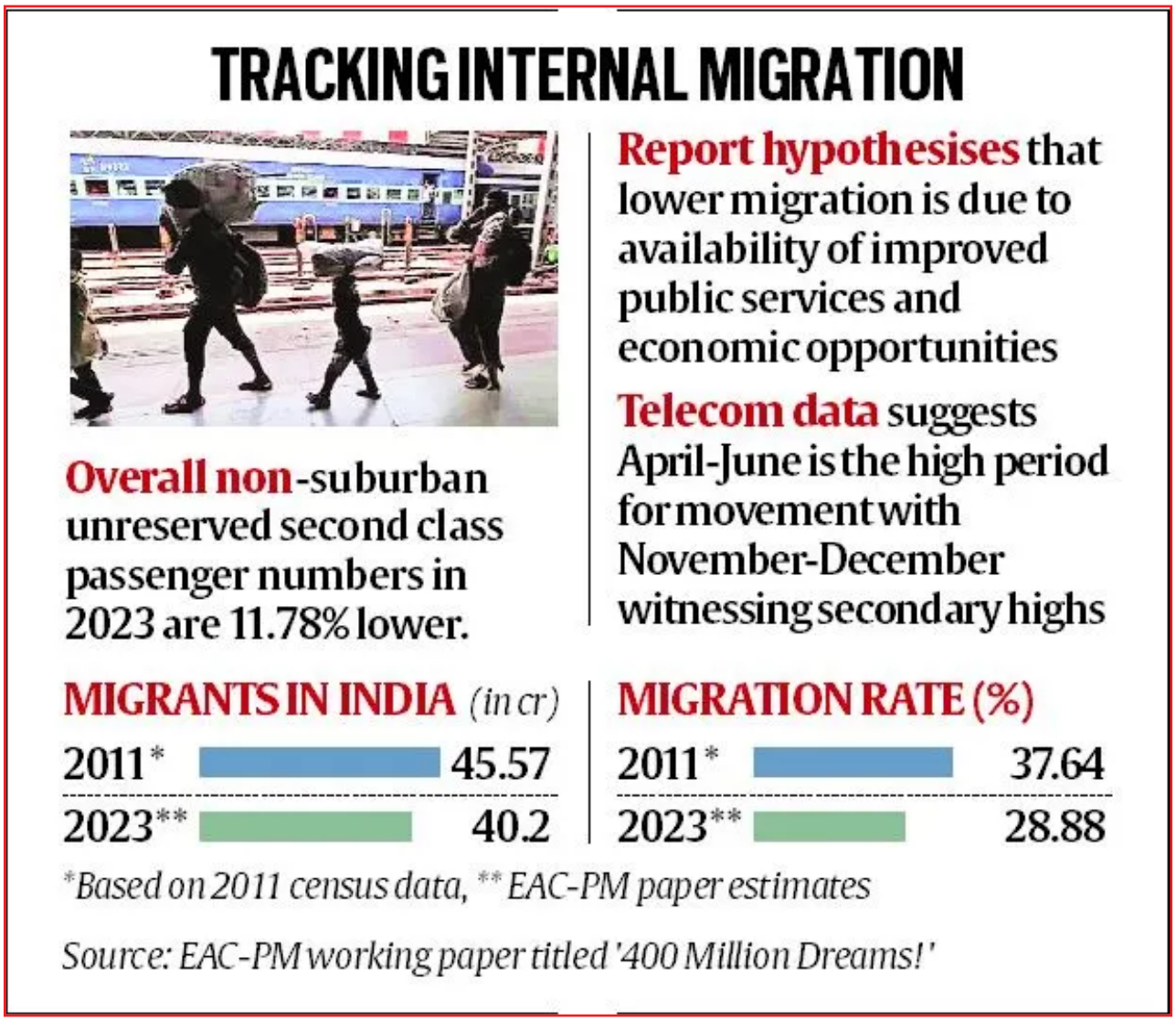

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह बदलाव व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाता है, जिसका श्रेय पारंपरिक रूप से उच्च प्रवास स्रोत वाले क्षेत्रों में बेहतर आर्थिक अवसरों एवं बुनियादी ढाँचे को दिया गया है।

घरेलू प्रवास पर EAC-PM रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- **प्रवास में कमी:** भारत में घरेलू प्रवासियों की संख्या में वर्ष 2011 से **12% की कमी** आई है **वर्ष 2023** के अनुसार प्रवासियों की अनुमानित संख्या **40.20 करोड़** है।
  - यह **जनगणना 2011** के अनुसार 45.58 करोड़ प्रवासियों से **11.78%** कम है।
  - **प्रवास दर** (किसी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले और जाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर) वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या की **37.64% से घटकर वर्ष 2023 में 28.88%** हो गई है, जो प्रवास में कमी का संकेत है।
- **प्रवास गतिशीलता:**
  - **प्रवास का शहरी संकेंद्रण: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु** और **कोलकाता** जैसे प्रमुख शहर प्रवासियों के लिये प्राथमिक गंतव्य बने हुए हैं।
- **महाराष्ट्र** और **आंध्र प्रदेश में** कुल प्रवासियों के प्रतिशत हिस्से में कमी देखी गई है।
  - **प्रवासियों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाले राज्य: पश्चिम बंगाल, राजस्थान** और **कर्नाटक में** प्रवासियों को आकर्षित करने में **सबसे अधिक वृद्धि** हुई है।
  - **मुंबई, बंगलुरू शहरी** और **हावड़ा** सबसे अधिक प्रवासी आगमन को आकर्षित करने वाले शीर्ष ज़िलों में शामिल हैं।
  - **उभरते प्रवासन मार्ग:** प्राथमिक प्रवासन गलियारों में **उत्तर प्रदेश-दिल्ली, गुजरात-महाराष्ट्र, तेलंगाना-आंध्र प्रदेश** और **बिहार-दिल्ली** शामिल हैं।
  - **मौसमी प्रवास प्रवृत्तियाँ:** प्रवास अप्रैल से जून के दौरान सर्वाधिक होता है, तथा **नवंबर-दिसंबर** में यह अधिक होता है, जो संभवत: त्यौहारों और विवाहों के कारण होता है।
    - **जनवरी** में प्रवास का स्तर सबसे कम होता है, जो एक मौसमी पैटर्न का संकेत देता है।
- **प्रवास में कमी के कारण:** घरेलू प्रवास में कमी का श्रेय **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)** जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय आर्थिक अवसरों में सुधार, **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)** के माध्यम से उन्नत बुनियादी ढाँचे, **आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)** के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवा, तथा प्रवास-मूल क्षेत्रों में **डिजिटल इंडिया** के माध्यम से शिक्षा और कनेक्टिविटी में प्रगति को दिया जाता है।

प्रवास

- प्रवासन से तात्पर्य **लोगों के अपने निवास स्थान से नए स्थान पर, या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार या किसी राज्य के भीतर स्थानांतरण** से है।
  - यद्यपि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग दीर्घकालिक प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो कम से कम 12 महीने तक अपने मूल देश से बाहर रहता है।**
- **प्रवास के दो प्राथमिक प्रकार:** अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में **राज्य की सीमाओं को पार करके किसी अन्य देश में न्यूनतम अवधि तक रहना** शामिल है, जबकि **आंतरिक प्रवास उसी देश के भीतर** होता है।
  - **शहरीकरण आंतरिक प्रवास का एक विशिष्ट रूप है,** जहाँ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं।

घरेलू प्रवास में कमी के क्या निहितार्थ हैं?

- **आर्थिक निहितार्थ:** प्रवास में कमी के कारण **कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी** हो सकती है, विशेष रूप से उन उद्योगों में जो प्रवासी श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
  - इससे उन क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ सकती है, लेकिन **उत्पादन लागत भी बढ़** सकती है और **प्रतिस्पर्द्धा कम** हो सकती है।
  - छोटे शहरों में बेहतर आर्थिक अवसर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच **आय असमानता** को कम कर सकते हैं। कार्यबल के अपने गृह क्षेत्रों में रहने से **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** मिलेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सामाजिक निहितार्थ:** प्रवासन में कमी से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे** की मांग बढ़ सकती है।
- हालाँकि, इससे शहरी केंद्रों में बेहतर रोज़गार और शिक्षा के अवसरों तक पहुँच सीमित हो जाती है।
  - यदि परिवार के पुरुष सदस्यों के लिये प्रवास के अवसर कम हो जाएँ, तो परंपरागत रूप से यहीं रहने वाली महिलाओं को लंबे समय तक आर्थिक निर्भरता का सामना करना पड़ सकता है।
- **जनसांख्यिकीय प्रभाव:** शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों के कम पलायन से **शहरीकरण** प्रभावित हो सकता है, जिससे शहरों की आर्थिक गतिशीलता प्रभावित हो सकती है।
- मेट्रो शहरों में जनसंख्या वृद्धि में कमी से उनके **उपभोक्ता आधार और आर्थिक गतिविधियाँ** प्रभावित हो सकती हैं।
- **नीति और शासन संबंधी निहितार्थ:** कम प्रवास दर शहरी क्षेत्रों पर दबाव को कम कर सकती है, जिससे संभावित रूप से **भीड़भाड़, आवास की कमी और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव जैसी समस्याएँ कम** हो सकती हैं।
  - **रोज़गार पलायन को कम करने के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA)** जैसी राष्ट्रीय रोज़गार योजनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में रहने से **स्थानीय भूमि और जल संसाधनों पर दबाव बढ़** सकता है, जिससे **असंवहनीय कृषि पद्धतियाँ विकसित** हो सकती हैं।

प्रवासियों के कल्याण हेतु भारत की पहल:

- **पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)**
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (PMSYM)**
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)**
- **वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)**
- **'मेरा राशन मोबाइल' एप्लीकेशन**

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)

- EAC-PM एक स्वतंत्र सलाहकार निकाय है, जो भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित सलाह प्रदान करता है।
  - इसके कार्यक्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित मुद्दों का विश्लेषण और सलाह देना, व्यापक आर्थिक मामलों पर विचार करना तथा प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना शामिल है।
- EAC-PM की भूमिका **सलाहकारी और गैर-बाध्यकारी** है, तथा रिपोर्टों, प्रस्तुतियों और हितधारकों के साथ संवाद के माध्यम से जनता के बीच आर्थिक समझ को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त प्रयास भी किये जाते हैं।
- **नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)** प्रशासनिक और तार्किक सहायता के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में घटते घरेलू प्रवास के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। यह क्षेत्रीय विकास और शहरीकरण के रुझानों को कैसे प्रभावित करता है?

कोविड-19 महामारी का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व में **कोविड-19** महामारी को पाँच साल बीत चुके हैं, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु, अभूतपूर्व **आर्थिक व्यवधान** और महत्त्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई थी।

- यद्यपि यह तीव्र संकट लगभग समाप्त हो चुका है, फिर भी **अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, कानूनों और समाज पर इसके दुष्परिणाम** अभी भी विश्व की दिशा पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं।

कोविड-19 महामारी ने विश्व को कैसे बदल दिया?

- **आर्थिक प्रभाव:**
  - **GDP अंतराल:**
    - भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी **GDP वृद्धि**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

दर में तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जो कि लॉकडाउन के कारण **-5.8% तक गिर गई,** जो **कोविड-पूर्व** औसत **6.6%** थी।

- **महामारी के बाद की रिकवरी** मज़बूत रही, जिसके बाद के तीन वर्षों (2021 से 2023) में **वृद्धि दर 9.7%, 7% और 8.2% रही,** लेकिन **अर्थव्यवस्था** महामारी-पूर्व की स्थिति से कई वर्ष पीछे है।
- यद्यपि अर्थव्यवस्था महामारी से अच्छी तरह उबर गई है, और उसके बाद के तीन वर्षों (2021-2023) में **9.7%, 7% और 8.2%** की दर से वृद्धि हुई है, फिर भी अर्थव्यवस्था अभी भी महामारी-पूर्व की गति से कई साल पीछे है।
- वर्ष 2020 में **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% की गिरावट आई है,** और **वर्ष 2023 वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट** आधार वर्ष 2020 के पूर्वानुमान से लगभग **4.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की कमी का संकेत प्रदर्शित करती है।
- अमेरिका और चीन सहित बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी इसी प्रकार के उत्पादन अंतराल का सामना करना पड़ा, जो व्यापार तनाव और बाह्य चुनौतियों के कारण और भी बदतर हो गया।

ऋण की स्थिति:

- महामारी के दौरान विश्व की सरकारों ने बहुत अधिक कर्ज लिया, जिसके कारण **वर्ष 2020 में सार्वजनिक ऋण में 20 वर्षों की सबसे बड़ी वृद्धि** हुई।
- सार्वजनिक ऋण **कोविड-पूर्व स्तर से उच्च** बना हुआ है तथा **नेट-शून्य प्रतिबद्धताओं, यूरोप के रक्षा बजट में वृद्धि एवं बढ़ते संरक्षणवाद** के कारण खर्च में वृद्धि होने का अनुमान है।
- उच्च ऋण बोझ से **राजकोषीय अनुकूलन बाधित होता है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बुनियादी ढाँचे** जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कम संसाधन मिलते हैं।

औद्योगिक नीतियाँ:

- महामारी से **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं** की कमज़ोरियों पर प्रकाश (विशेष रूप से **सेमीकंडक्टर** और **फार्मास्यूटिकल्स** जैसे क्षेत्र में इनपुट हेतु चीन पर अत्यधिक निर्भरता का होना) पड़ा है।
- विश्व स्तर पर सरकारों ने **नई औद्योगिक नीतियाँ** शुरू की हैं, जिनमें **अमेरिकी चिप्स अधिनियम, भारत की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना** एवं **मेड इन चाइना 2025** शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आत्मनिर्भरता बढ़ाना है।
- वर्ष 2019 से 2024 के बीच, भू-राजनीतिक चिंताओं एवं **आपूर्ति श्रृंखला संबंधी अनुकूलन** को मज़बूत करने के प्रयासों से प्रेरित होकर, **वैश्विक स्तर पर राज्य हस्तक्षेप में तीन गुना वृद्धि** हुई है।

सामाजिक एवं राजनीतिक गतिशीलता:

विश्वास में कमी आना:

- एडेलमैन **ट्रस्ट बैरोमीटर द्वारा** सरकारों, व्यवसायों एवं मीडिया जैसी संस्थाओं के बीच वैश्विक विश्वास को मापा जाता है। महामारी के बाद इस **विश्वास में तीव्र गिरावट** देखी गई है, जिससे शासन एवं नेतृत्व के प्रति जनता के असंतोष पर प्रकाश पड़ता है।
- वर्ष 2023 में 24 देशों में किये गये प्यू सर्वेक्षण (Pew Survey) से पता चलता है कि **74% लोग निर्वाचित पदाधिकारियों से अलग महसूस करते हैं** और 59% लोग **लोकतंत्र** से असंतुष्ट हैं।
- सत्ता-विरोधी भावना में वृद्धि हुई है, जिसके **परिणामस्वरूप वर्ष 2024 में 54 में से 40 चुनावों में सत्ताधारी दलों को हार** का सामना करना पड़ा, जिससे महामारी के दीर्घकालिक राजनीतिक दुष्परिणामों पर प्रकाश पड़ता है।

बदलते कार्य मॉडल:

- महामारी से **हाइब्रिड कार्य को लोकप्रियता** मिली है, जिसके तहत वर्ष 2024 में **नौकरी चाहने वाले 42% भारतीयों ने लचीले कार्य घंटों** को प्राथमिकता दी।
- **गिग वर्क** और **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म** के उदय से श्रमिकों को वैकल्पिक आय के स्रोत तलाशने में सहायता मिली है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कार्य-जीवन संतुलन** पर अधिक बल देने से नियोक्ताओं को कर्मचारी कल्याण को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ अपनाने हेतु प्रोत्साहन मिला।

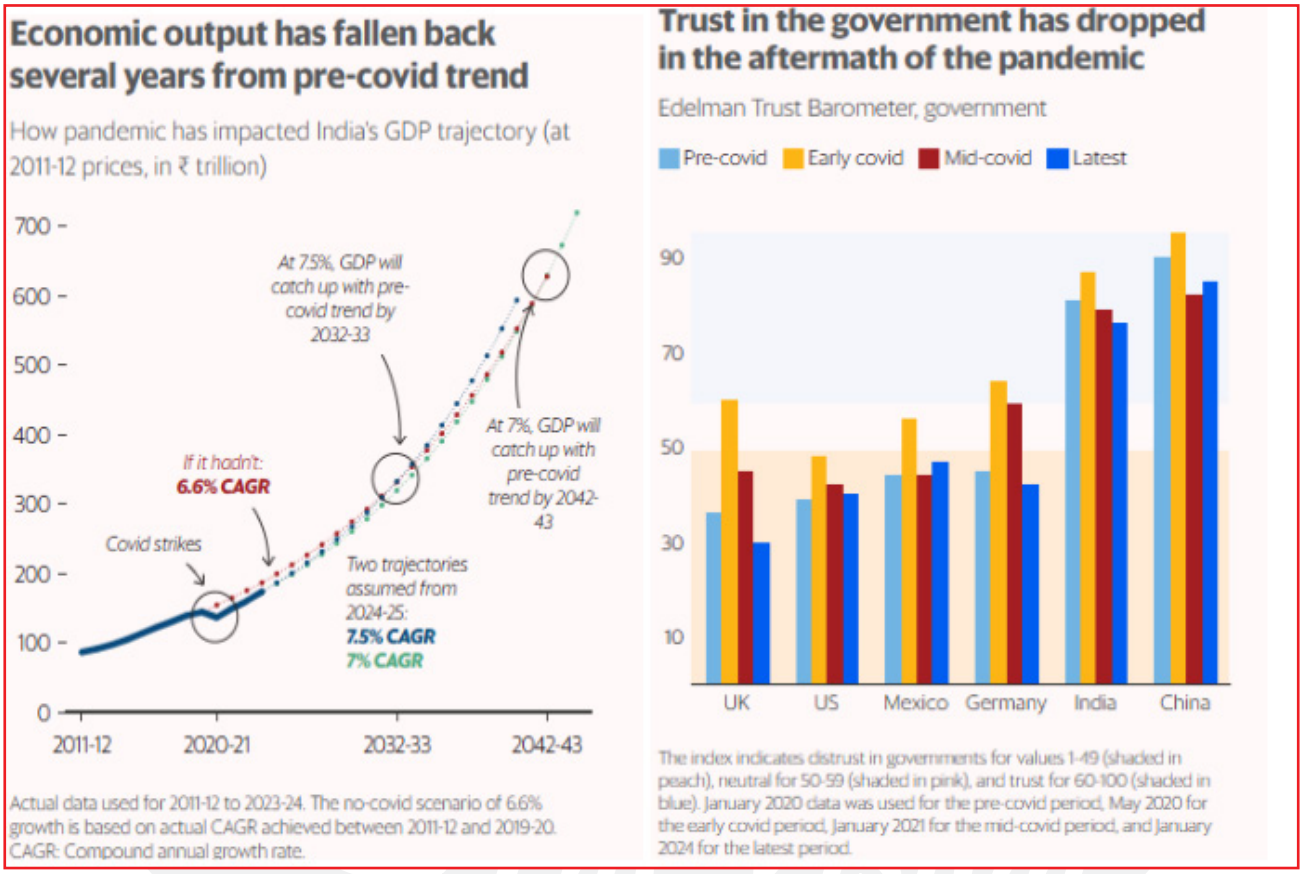

कोविड-19 महामारी

- **SARS-CoV-2 वायरस** के कारण होने वाले कोविड-19 की पहली बार **दिसंबर 2019 में चीन के वुहान** में पहचान की गई थी और फिर यह तीव्रता से विश्व स्तर पर प्रसारित हुआ।
- **मार्च 2020** तक **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** द्वारा इसे महामारी घोषित कर दिया गया, जिस क्रम में व्यापक लॉकडाउन एवं प्रतिबंध लगाए गए।
- इस वायरस के कारण **लाखों लोगों की मृत्यु हुई,** स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बाधित हुई तथा बेरोज़गारी एवं वैश्विक मंदी सहित गंभीर सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं।
- इसके प्रभाव ने **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक समन्वय** में कमजोरियों को उजागर किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

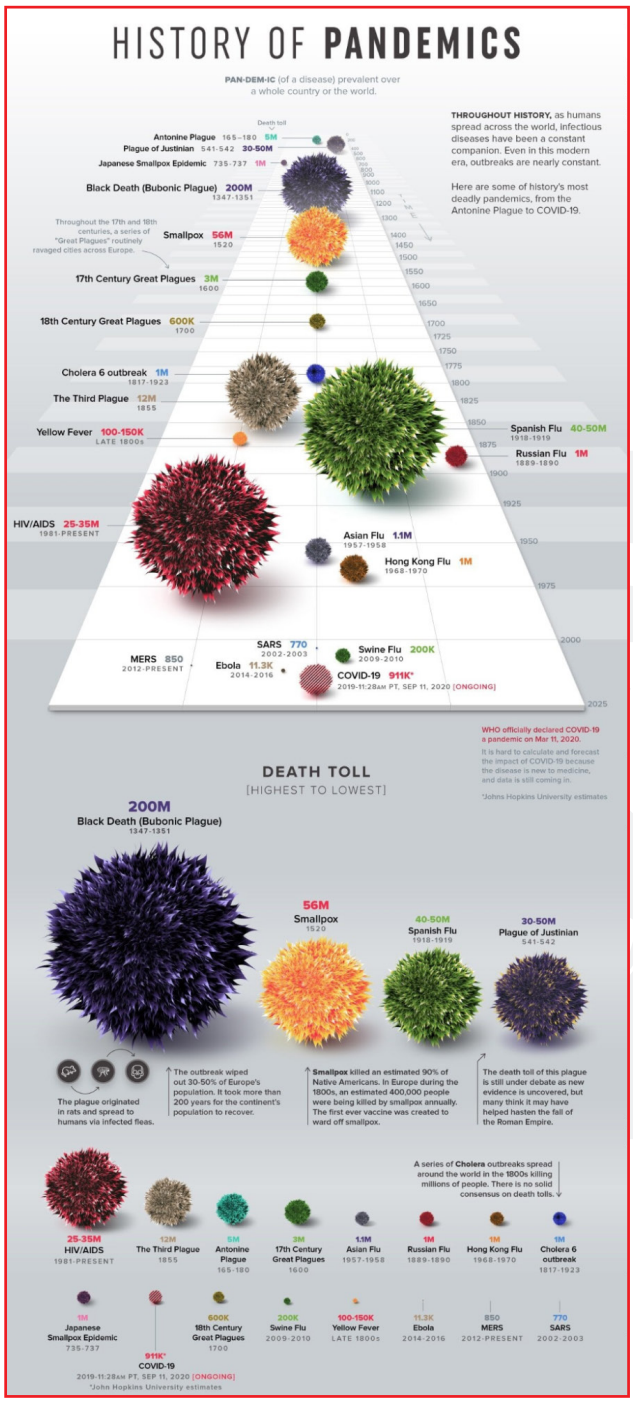

आगे की राह:

- **आर्थिक सुधार:** सकल घरेलू उत्पाद सुधार में तेज़ी लाने के लिये हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे **प्रमुख विकास क्षेत्रों में निवेश करना।**
  - आवश्यक सार्वजनिक निवेश को बनाए रखते हुए महामारी-काल के ऋणों का प्रबंधन करने के लिये **संतुलित राजकोषीय रणनीति** अपनाना।
- **वैश्विक सहयोग और आपूर्ति शृंखला लचीलापन:** संरक्षणवाद को कम करने और आपूर्ति शृंखला स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गठबंधनों को मज़बूत करना।**
  - चीन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के लिये विनिर्माण आधार में विविधता लाना।
- **शासन में विश्वास बढ़ाना:** सरकारों में जनता का विश्वास पुन: स्थापित करने के लिये नीति निर्माण में **पारदर्शिता और जवाबदेही** को बढ़ावा देना।
  - लक्षित कल्याण कार्यक्रमों और समावेशी नीतियों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना।
- **कार्यबल अनुकूलन:** अनौपचारिक श्रमिकों के लिये कानूनी ढाँचा और सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करके **हाइब्रिड और गिग कार्य मॉडल** को प्रोत्साहित करना।
  - दूरस्थ कार्य और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को समर्थन देने के लिये **डिजिटल बुनियादी ढाँचे** में निवेश करना।
- **सामाजिक समानता और स्वास्थ्य प्रणालियाँ:** भविष्य की स्वास्थ्य संकटों के लिये तैयारी करने हेतु स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का विस्तार करना और प्रणालियों को मजबूत करना।
  - वैश्विक स्तर पर टीकों और आवश्यक दवाओं जैसे संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: कोविड-19 महामारी ने वैश्विक GDP विकास पथ में विचलन को कैसे प्रभावित किया है, और भारत को स्थायी सुधार पथ सुनिश्चित करने के लिये कौन सी नीतियाँ अपनानी चाहिए?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारतीय इतिहास

विजय दिवस की 53वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत द्वारा 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस **वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम** में जीत तथा बांग्लादेश के गठन की **53वीं वर्षगाँठ** का प्रतीक है।

- **राष्ट्रपति** और **प्रधानमंत्री** सहित राष्ट्रीय नेताओं ने **दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक** पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

53वाँ विजय दिवस समारोह

- **कोलकाता के फोर्ट विलियम** में आयोजित 53वें विजय दिवस समारोह में **मुक्ति योद्धाओं** (जो पूर्वी पाकिस्तान में गुरिल्ला प्रतिरोध बल का हिस्सा थे) सहित बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के **वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम** का स्मरण किया गया।
- इसमें युद्ध के दौरान प्रशिक्षण, आपूर्ति एवं नैतिक समर्थन में भारत के प्रमुख सहयोग पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा किये गए अत्याचारों पर भी विचार व्यक्त किये।
- इस कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित करना, सलामी देना तथा सैन्य टैटू बनाना शामिल था, जिसमें भारत एवं बांग्लादेश के बीच स्थायी मित्रता पर ज़ोर दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नोट:

- हाल ही में विजय दिवस के अवसर पर ढाका में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण को दर्शाने वाली वर्ष **1971 की प्रतिष्ठित पेंटिंग को सेना प्रमुख के लाउंज से मानेकशॉ सेंटर** में स्थानांतरित कर दिया गया।
- इस पेंटिंग के स्थान पर लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब द्वारा चित्रित ***'कर्म क्षेत्र-कर्मों का क्षेत्र' पेंटिंग*** *लगाई गई।*
  - इसमें **बर्फ से ढके पहाड़, पैंगोंग त्सो, गरुड़, भगवान कृष्ण का रथ, चाणक्य** एवं **आधुनिक सैन्य उपकरण** (जैसे- टैंक, हेलीकॉप्टर तथा गश्ती नौकाएँ) शामिल हैं जो भारत की सामरिक तथा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं।

वर्ष 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध क्या था ?

- **परिचय:**
  - बांग्लादेश **मुक्ति युद्ध, 1971** तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) एवं पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ।
- **उत्पत्ति:**
  - वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की जड़ें **वर्ष 1947 के भारत विभाजन** से संबंधित हैं, जिससे उपमहाद्वीप **धार्मिक आधार पर विभाजित** हुआ था।
  - जिन्ना की मांग को पूरा करने के लिये पाकिस्तान को मुस्लिम बाहुल्य राज्य के रूप में गठित किया गया था।
  - धर्म के आधार पर एकजुट होने के बावजूद, पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान के बीच **भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषायी मतभेदों** से मतभेद को जन्म मिला।
- **वर्ष 1971 के युद्ध के कारण:**
  - **सामाजिक शोषण:** स्वतंत्रता के बाद, पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को **सांस्कृतिक रूप से हीन माना गया,** क्योंकि विभाजन से पूर्व हिंदू-प्रभुत्व वाले अभिजात वर्ग के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध थे। इस धारणा से बंगाली लोगों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिला।
  - **भाषाई प्रभुत्व: पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में उर्दू को थोपने से** पूर्वी पाकिस्तान की प्रमुख भाषा (बंगाली) की उपेक्षा हुई, जिसके कारण व्यापक अशांति के साथ विरोध प्रदर्शन हुए।
  - **राजनीतिक भेदभाव:** पश्चिमी पाकिस्तान का **केंद्रीय सरकार पर प्रभुत्व था** तथा **सत्ता पंजाबी अभिजात वर्ग के पास केंद्रित थी।** पूर्वी पाकिस्तान में, अपनी बड़ी आबादी के बावजूद, निर्णय लेने का न्यूनतम प्रतिनिधित्व था।
    - **वर्ष 1970 के चुनाव,** जिनमें **अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान** ने निर्णायक जीत हासिल की, **पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता की मांग का प्रतीक थे,** लेकिन पश्चिमी पाकिस्तानी नेताओं के प्रतिरोध के कारण अशांति फैल गई।
  - **आर्थिक शोषण: पूर्वी पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक उपेक्षा** और शोषण का सामना करना पड़ा।
    - **पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान के राजस्व का 62% उत्पन्न करने के बावजूद,** अपने विकास के लिये **राष्ट्रीय बजट का केवल 25%** ही प्राप्त कर पाया।
  - **रोज़गार असमानताएँ:** पश्चिमी पाकिस्तानियों ने अधिकांश प्रशासनिक और उच्च पदों पर कब्ज़ा कर लिया, जबकि **बंगालियों का नागरिक तथा सैन्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम था, जिससे** असमानताएँ और अधिक बढ़ गईं।
- **युद्ध की प्रमुख घटनाएँ:**
  - **ऑपरेशन सर्चलाइट (25 मार्च, 1971):**
    - पाकिस्तानी सेना ने **बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने के लिये ढाका** और पूर्वी पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों पर क्रूर कार्रवाई शुरू की।
    - इस अभियान में **छात्रों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया गया,** जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हत्याएँ एवं विनाश हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **स्वतंत्रता और अनंतिम सरकार:**
  - **शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा ने मुक्ति संग्राम** की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित किया।
  - **मुक्ति वाहिनी (स्वतंत्रता सेनानी)** का गठन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ **गुरिल्ला युद्ध आयोजित करने के लिये किया गया था।**
  - बाद में, मुजीबनगर में **बांग्लादेश की अनंतिम सरकार** की स्थापना की गई और **शेख मुजीबुर रहमान** को **राष्ट्रपति बनाया गया।**
- **मुक्ति वाहिनी द्वारा सैन्य अभियान (अप्रैल-दिसंबर 1971):**
  - मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में छापामार अभियान चलाए, पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया और आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित किया।
- **भारत में शरणार्थी संकट (मध्य 1971):**
  - पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण 10 मिलियन से अधिक शरणार्थी भारत आ गए।
  - प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने मुक्ति वाहिनी को मानवीय सहायता प्रदान की तथा बाद में सैन्य और कूटनीतिक समर्थन भी प्रदान किया।

शिमला समझौता, 1972

- **वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध** के बाद **2 जुलाई, 1972** को इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
- संबंधों को सामान्य बनाने और शांति स्थापित करने के लिये **प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी** तथा **पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो** के मध्य इस पर वार्तालाप हुई थी।
- **उद्देश्य:**
  - कश्मीर मुद्दे का द्विपक्षीय समाधान किया जाए तथा इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण रोका जाए।
  - नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के आधार पर भारत-पाक संबंधों में सुधार लाना।
  - पाकिस्तान में और अधिक आक्रोश को रोकने के लिये भारत ने युद्धविराम रेखा को स्थायी सीमा बनाने का विरोध किया।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - **संघर्ष समाधान:** मुद्दों का द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जाना।
  - **नियंत्रण रेखा (LOC):** दोनों पक्ष वर्ष 1971 के युद्ध के बाद कश्मीर में स्थापित नियंत्रण रेखा का सम्मान करने तथा इसकी स्थिति में एकतरफा परिवर्तन न करने पर सहमत हुए।
  - **सैन्य वापसी:** अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने-अपने पक्षों की ओर सैनिकों की वापसी।
  - **भावी कूटनीति:** निरंतर वार्ता और युद्धबंदियों के प्रत्यावर्तन के प्रावधान।

वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी?

- **प्रारंभिक सावधानी और मानवीय संकट:**
  - भारत ने शुरू में **सतर्कतापूर्ण रुख** अपनाया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान द्वारा की गई **सैन्य कार्यवाही** के कारण **बड़े पैमाने पर शरणार्थियों का पलायन हुआ**- लगभग 8-10 मिलियन लोग, जिनमें अधिकांशत: हिंदू थे, भारत की ओर पलायन कर गए।
  - भारत ने पूर्वी राज्यों, **मुख्यत: पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा** और **मेघालय** में **शरणार्थी शिविर** स्थापित किये।
- **कूटनीतिक प्रयास:**
  - भारत ने पाकिस्तान के अत्याचारों की ओर ध्यान आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिये **वैश्विक समर्थन** मांगा।
- **सैन्य हस्तक्षेप और परिणाम:**
  - युद्ध **3 दिसंबर, 1971** को शुरू हुआ जब **पाकिस्तान ने** पश्चिमी मोर्चों पर **भारतीय सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किये,** जिसके जवाब में **भारत ने भी हवाई हमले किये** तथा पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर समन्वित अभियान शुरू हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- भारत ने **मुक्ति वाहिनी,** जो **बांग्लादेशी लड़ाकों की 20,000 सदस्यीय गुरिल्ला सेना थी,** को प्रशिक्षण देकर तथा पूर्वी पाकिस्तान के भूगोल के बारे में उनके ज्ञान का लाभ उठाकर महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान की।
- यह संघर्ष 13 दिनों तक चला, जिसमें नौसेना और वायु सेना सहित भारत के सैन्य बलों ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की।
- **16 दिसंबर 1971** को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाजी ने **ढाका में आत्मसमर्पण समझौते पर हस्ताक्षर** किये, जिसके परिणामस्वरूप **90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण** किया, जो **द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था और जिसके परिणामस्वरूप **बांग्लादेश का निर्माण** हुआ।

- **युद्ध के परिणाम:**
  - इस युद्ध के परिणामस्वरूप **जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार** कर दिया गया, जिससे **कश्मीर** पर पाकिस्तान का दावा कमज़ोर हो गया और दक्षिण एशिया में उसकी स्थिति काफी नाजुक हो गयी।
    - **जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत में** इस बात पर ज़ोर दिया गया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक मतभेद होने से उनके हितों की **रक्षा के लिये अलग-अलग राष्ट्र** आवश्यक हैं।
  - भारत ने पाकिस्तान के दमन के **पीड़ितों को मानवीय सहायता और समर्थन** प्रदान करके **अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को मज़बूत किया तथा मानवाधिकारों और करुणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।**

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत-बांग्लादेश संबंधों में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के लिये इन मुद्दों के समाधान के उपाय सुझाएँ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स

मानव का विकास और प्रवास

वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि **होमो सेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ** और तत्पश्चात् विश्व के अन्य भागों में उनका स्थान परिवर्तन हुआ। इन प्रवासों के मार्ग और काल अभी भी वैज्ञानिकों के लिये चर्चा का विषय हैं।

- **कोस्टल डिस्पर्शन सिद्धांत** के अनुसार मानव का समुद्रतटीय रेखाओं के अनुदिश प्रवास हुआ किंतु इसमें सिद्ध पुरातात्त्विक साक्ष्य का अभाव है।

विकास के सिद्धांत

समान पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी वंशवृद्धि के दौरान जीवों में होने वाला परिवर्तन।

जीवन की उत्पत्ति का ओपेरिन-हाल्डेन सिद्धांत

- भौतिकवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है
- प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार है:

परमाणुओं की भौतिक-रासायनिक प्रक्रियाएँ→ कार्बनिक यौगिक→ वृहत् अणु→ प्रथम जीवित तंत्र या कोशिकाएँ

अर्जित गुणों की विरासत का सिद्धांत (लैमार्कवाद)

- जैविक विकास का प्रथम सिद्धांत
- विकासवादी विचार:
  - जीवन की आंतरिक शक्तियाँ जीव के आकार को बढ़ाती हैं
  - नवीन संरचनाएँ 'आंतरिक इच्छा (Inner Want)' के कारण प्रदर्शित होती हैं
  - जीवों पर प्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभाव
  - अर्जित गुणों की विरासत
- **उदाहरण;** सतह पर वनस्पति की कमी के कारण जिराफ की गर्दन धीरे-धीरे लंबी होती गई है

प्राकृतिक चयन का सिद्धांत (डार्विनवाद)

- विकासवादी जीव विज्ञान की स्थापना
- तत्त्व:
  - विविधता की सार्वभौमिक घटना
  - तेज़ी से गुणन (Rapid multiplication)
  - अस्तित्त्व के लिये संघर्ष- अंतः विशिष्ट और अंतर-विशिष्ट
  - **स्वस्थतम की उत्तरजीविता (प्राकृतिक चयन)**
  - उपयोगी विविधताओं की विरासत; गैर-उपयोगी विविधताओं का उन्मूलन
- उदाहरण के लिये औद्योगीकरण के पश्चात् की अवधि में सफेद पंखों वाले पतंगों (Moths) की तुलना में काले पंखों वाले पतंगों (Moths) का अधिक अस्तित्त्व

नव-डार्विनवाद
डार्विन के विकास के सिद्धांत का ग्रेगर मेंडल के आनुवंशिकी के सिद्धांत के साथ एकीकरण

आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत
- जैविक विकास के सिद्धांतों में से एक
- इसमें निम्नलिखित कारक शामिल हैं- उत्परिवर्तन, भिन्नता/पुनर्संयोजन, आनुवंशिकता, प्राकृतिक चयन और अलगाव

उत्परिवर्तन सिद्धांत (ह्यूगो डी व्रीस)

- यह विकास को एक आघातीय (Jerky) प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है, जहाँ उत्परिवर्तन (असंतत विविधता) द्वारा प्रजातियों की नई किस्मों का निर्माण होता है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - उत्परिवर्तन आकस्मिक प्रकट होता है और शीघ्र क्रियाशील हो जाता है
  - एक प्रजाति के कई व्यक्तियों में एक ही प्रकार का उत्परिवर्तन
  - सभी उत्परिवर्तन वंशानुगत होते हैं
  - उपयोगी उत्परिवर्तन का चयन होता है और घातक (Lethal) उत्परिवर्तन प्रकृति द्वारा समाप्त कर दिये जाते हैं

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

मानव विकास

- मानव का विकास वह **विकासीय प्रक्रम है जिसके कारण शारीरिक रूप से आधुनिक मानव का उद्भव हुआ, जिसकी शुरुआत प्राइमेट्स- विशेष रूप से होमो वंश** के इतिहास से हुई और जिसके परिणामस्वरूप **होमो सेपियंस का उद्भव होमिनिड वंश, ग्रेट एप** की एक अलग प्रजाति के रूप में हुआ।

मानव विकास के चरण:

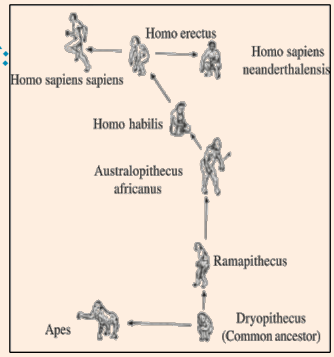

- ड्रायोपिथेकस
- रामापिथेकस
- ऑस्ट्रेलोपिथेकस
- होमो
  - होमो हैबिलिस
  - होमो इरेक्टस
  - होमो सेपियंस
    - होमो सेपियंस निएंडरथेलेंसिस
    - होमो सेपियंस सेपियंस

मानव प्रवास का मार्ग क्या है ?

पृष्ठभूमि:

- **आनुवंशिक अध्ययनों से मानव विकास और प्रवासन प्रतिरूप** के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। **माइटोकॉन्ड्रियल डी.एन.ए. उत्परिवर्तन** का विश्लेषण करके, वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि हज़ारों वर्षों में होमो सेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ और तत्पश्चात् विश्व के अन्य भागों में उनका प्रवासन हुआ।
  - यद्यपि वैज्ञानिक **आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत पर व्यापक सहमति व्यक्त करते हैं** किंतु प्रवास के काल और मार्ग को लेकर उनमें मतभेद है।

मानव विस्तार के दो सिद्धांत:

- **कोस्टल डिस्पर्सन सिद्धांत:** किये गए अध्ययनों के अनुसार मनुष्य ने **ऊष्ण जलवायु, प्रचुर भोजन और उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों** की सहायता से **तटों** के अनुदिश प्रवास किया।
  - **वर्ष 2005 में 260 ओरंग असली (Orang Asli) व्यक्तियों (मलेशिया की जनजाति)** के माइटोकॉन्ड्रियल डी.एन.ए. का उपयोग कर किये गए शोध के अनुसार **लगभग 65,000 वर्ष पूर्व तेज़ी से तटीय प्रवास हुआ था,** जिसमें **हिंद महासागर** के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में प्रवास हुआ।
  - **वर्ष 2020** में किये गए एक अध्ययन में **जापान** में **2,700 वर्ष प्राचीन डी.एन.ए.** में **ताइवानी जनजातियों** के साथ आनुवंशिक समानताएँ पाई गईं।
    - **अंडमान द्वीप समूह के अधिवास** भी तटीय प्रवास से संबंधित हैं।
- **सिद्धांत की चुनौतियाँ:**
  - भारत के पुरातात्त्विक साक्ष्य इस सिद्धांत के विपरीत है। **अंतर्देशीय पुरापाषाण स्थल** के साक्ष्य मौजूद हैं और कोस्टल डिस्पर्शन सिद्धांत के विपरीत संपूर्ण **हिंद महासागर तटरेखा** के अनुदिश प्रवास करने के **कोई पुरातात्त्विक साक्ष्य नहीं** हैं।

अंतर्देशीय विस्तार मॉडल: अंतर्देशीय विस्तार मॉडल के अनुसार **प्रारंभिक मानव** तटीय मार्गों के स्थान पर आंतरिक स्थलीय मार्गों से प्रवास करते थे।

- **सौराष्ट्र प्रायद्वीप अध्ययन:**
  - हालिया शोध में **गुजरात के भादर और अजी नदी द्रोणियों में मध्य पुरापाषाण काल के औजारों का विश्लेषण किया गया।**
  - सापेक्ष काल निर्धारण विधियों का उपयोग करने पर पाया गया कि ये **औजार 56,000-48,000 वर्ष पुराने हैं, जिनसे अंतर्देशीय प्रवास के संकेत मिलते हैं।**
  - मध्य पुरापाषाण काल के औजारों में उन्नत फ्लेकिंग तकनीक का पता चला, जो **उत्तर पुरापाषाण काल** के तीक्ष्ण फलक औजारों से भिन्न था।
  - **अध्ययनों के अनुसार मध्य पुरापाषाण काल के दौरान** सौराष्ट्र **कच्छ, मकरान** और **पश्चिमी घाट** से जुड़ा हुआ था, जो दर्शाता है कि यह क्षेत्र तट से दूर था।
  - **इसके अतिरिक्त समुद्री संसाधनों पर निर्भरता** (जैसे- मछली, शंख) का कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिससे अंतर्देशीय प्रवास की पुष्टि होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

निष्कर्ष

- अध्ययन में **नवीन डेटा प्रस्तुत किये गए हैं**, लेकिन सटीक तिथि निर्धारण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है। साक्ष्य संपूर्ण रूप से तटीय प्रवास सिद्धांतों के विपरीत हैं लेकिन **जलमग्न स्थलों और अदिनांकित क्षेत्रों** के कारण गहन स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- अध्ययन में सौराष्ट्र में व्यापक विस्तार पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें तटीय, आंतरिक और अंतर्देशीय क्षेत्र शामिल हैं तथा जिससे **बहुआयामी प्रवासन प्रतिरूप** के संकेत मिलते हैं।
- अंतर्देशीय बनाम तटीय प्रवास प्रतिरूप के इस विस्तृत विश्लेषण में निरंतर नया डेटा जोड़ा जा रहा है जो आनुवंशिक और पुरातात्त्विक निष्कर्षों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, 2024

राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) द्वारा **वर्ष 2024 के आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड** शीर्षक से हाल ही में जारी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि आर्कटिक, जो कभी एक **प्रमुख कार्बन सिंक था**, अब **जलवायु-प्रेरित ऊष्मा** के कारण **कार्बन का स्रोत बन रहा है।**

नोट: NOAA, अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को समझना और पूर्वानुमान लगाना, तटीय एवं सागरीय संसाधनों का प्रबंधन करना तथा सूचित निर्णय लेने में सहायता करना है।

- आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, जो वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ऐतिहासिक अभिलेखों की तुलना में आर्कटिक की वर्तमान स्थिति पर विश्वसनीय और संक्षिप्त पर्यावरणीय जानकारी प्रदान करता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

- **आर्कटिक तापन में तेज़ी:** आर्कटिक तेज़ी से गर्म हो रहा है। **वर्ष 1900 में रिकॉर्ड शुरूआत से वर्ष 2024 दूसरा सबसे गर्म वर्ष होगा।**
  - **वर्ष 2024 की आर्कटिक की ग्रीष्म ऋतु** रिकॉर्ड स्तर **पर तीसरी सबसे गर्म ग्रीष्म ऋतु** होंगी, जिसमें **अलास्का और कनाडा** जैसे क्षेत्र अत्यधिक गर्म लहरों का सामना करेंगे।
- **आर्कटिक टुंड्रा एक कार्बन स्रोत:** पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्कटिक टुंड्रा **कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तित हो रहा है।**
  - पर्माफ्रॉस्ट के विघटन से **कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है**, जिससे वैश्विक तापन में तीव्रता आती है।
  - **वनाग्नि** की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ रही है, जिससे अधिक कार्बन उत्सर्जित हो रहा है तथा वनाग्नि का समय बढ़ रहा है।
- **समुद्री हिम में कमी:** पिछले दशकों में **समुद्री हिम के विस्तार और सघनता** में अत्यधिक कमी आई है। **समुद्री हिम के मौसम की अवधि कम होने से समुद्र की सतह अधिक उद्भासित रहती है, जो अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है और ताप में वृद्धि होती है।**
- **आर्कटिक ग्लेशियर** और **ग्रीनलैंड हिम आवरण** के पिघलने से इनका जल महासागरों में पहुँच रहा है, जिससे **विश्व के समुद्र-स्तर में वृद्धि** हो रही है।
- **निहितार्थ:** आर्कटिक में परिवर्तन होने से वैश्विक चुनौतियों जैसे **तटीय बाढ़, चरम मौसम की घटनाओं और वनाग्नि** का जोखिम बढ़ता है।
  - आर्कटिक की **कार्बन भंडारण की घटती क्षमता**, आगामी खतरों को कम करने हेतु **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** को **तत्काल कम करने** की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
  - जलवायु परिवर्तन के कारण **रेनडियर या कारिबू की संख्या में कमी आ रही है, जिससे भोजन और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिये उन पर निर्भर रहने वाले स्वदेशी समुदाय प्रभावित हो रहे हैं।**

आर्कटिक क्या है ?

- **परिचय:** आर्कटिक पृथ्वी का सबसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है। इसमें आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र एवं अलास्का (अमेरिका),

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस व स्वीडन के कुछ भाग शामिल हैं।

- आर्कटिक की विशेषता इसकी शीतल जलवायु है, जहाँ तापमान प्राय: अत्यधिक निम्न हो जाता है।

- **भू-राजनीतिक महत्त्व:** आर्कटिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज शामिल हैं, जो इन संसाधनों पर नियंत्रण के लिये महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रुचि एवं प्रतिस्पर्द्धा को आकर्षित करता है।
- **आर्कटिक क्षेत्र में भारत की रुचि:** भारत ने वर्ष 1920 में **स्वालबार्ड संधि** पर हस्ताक्षर करके आर्कटिक क्षेत्र में सहभागिता की शुरुआत की।
  - भारत ने वर्ष 2007 में अपना **आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम** आरंभ किया तथा आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान आरंभ किया एवं 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीपसमूह में **हिमाद्रि अनुसंधान केंद्र** की स्थापना की।
  - भारत को वर्ष 2013 से **आर्कटिक परिषद** में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
  - वर्ष 2022 में भारत सरकार ने जलवायु अनुसंधान में संलग्न होने के उद्देश्य से **आर्कटिक नीति की घोषणा की। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र** इसके कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी होगी।

तबला वादक ज़ाकिर हुसैन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक ज़ाकिर हुसैन का इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (IPF) की जटिलताओं के कारण निधन हो गया।

ज़ाकिर हुसैन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **प्रारंभिक जीवन: 9 मार्च, 1951** को जन्मे ज़ाकिर हुसैन, महान तबला वादक **उस्ताद अल्ला रक्खा** के पुत्र थे।
  - **उन्होंने सात वर्ष की आयु** में तबला प्रशिक्षण शुरू किया।
- **योगदान:** पश्चिमी संगीतकारों के साथ उनके सहयोग, विशेष रूप से **अंग्रेज़ी गिटारवादक जॉन मैकलॉघलिन, वायलिन वादक एल. शंकर एवं तालवादक टीएच 'विक्कु' विनायकराम** के साथ **वर्ष 1973 की परियोजना** से भारतीय शास्त्रीय संगीत वैश्विक मंच तक पहुँचा।
- **पुरस्कार: उन्होंने चार ग्रैमी अवॉर्ड** जीते, जिनमें वर्ष 2024 के **66वें ग्रैमी अवॉर्ड** के तीन अवॉर्ड शामिल हैं। उन्हें **पद्म श्री (1988), पद्म भूषण (2002) और पद्म विभूषण (2023)** से भी सम्मानित किया गया।

इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (IPF) क्या है ?

- IPF एक **फेफड़ों की बीमारी** है जिसके कारण फेफड़ों में **वायु कोष्ठक क्षतिग्रस्त और रेशेदार हो जाने** से ऑक्सीजन का कुशलतापूर्वक आदान-प्रदान करने की उनकी क्षमता बाधित हो जाती है।
  - इसमें फेफड़ों में **एल्वियोली के आस-पास के ऊतक** मोटे **एवं कठोर** हो जाते हैं।
    - एल्वियोली, **ब्रोन्किओल्स** के अंत में स्थित **छोटे वायु कोष्ठक हैं** जो रक्तप्रवाह के साथ **ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान** करने में सहायक हैं।
- **कारण:** IPF का स्पष्ट कारण **अज्ञात है** इसलिये इसे "इडियोपैथिक" कहा जाता है जिसका अर्थ है **अस्पष्टीकृत।**
- **जोखिम कारक: IPF पुरुषों** एवं **वर्तमान या पूर्व में धूम्रपान करने वालों के बीच** अधिक सामान्य है। यह आमतौर पर **50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को प्रभावित** करता है।
  - इसके अन्य जोखिम कारकों में **आनुवंशिक कारक,** सिगरेट पीने जैसे जोखिम और वायरल संक्रमण शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

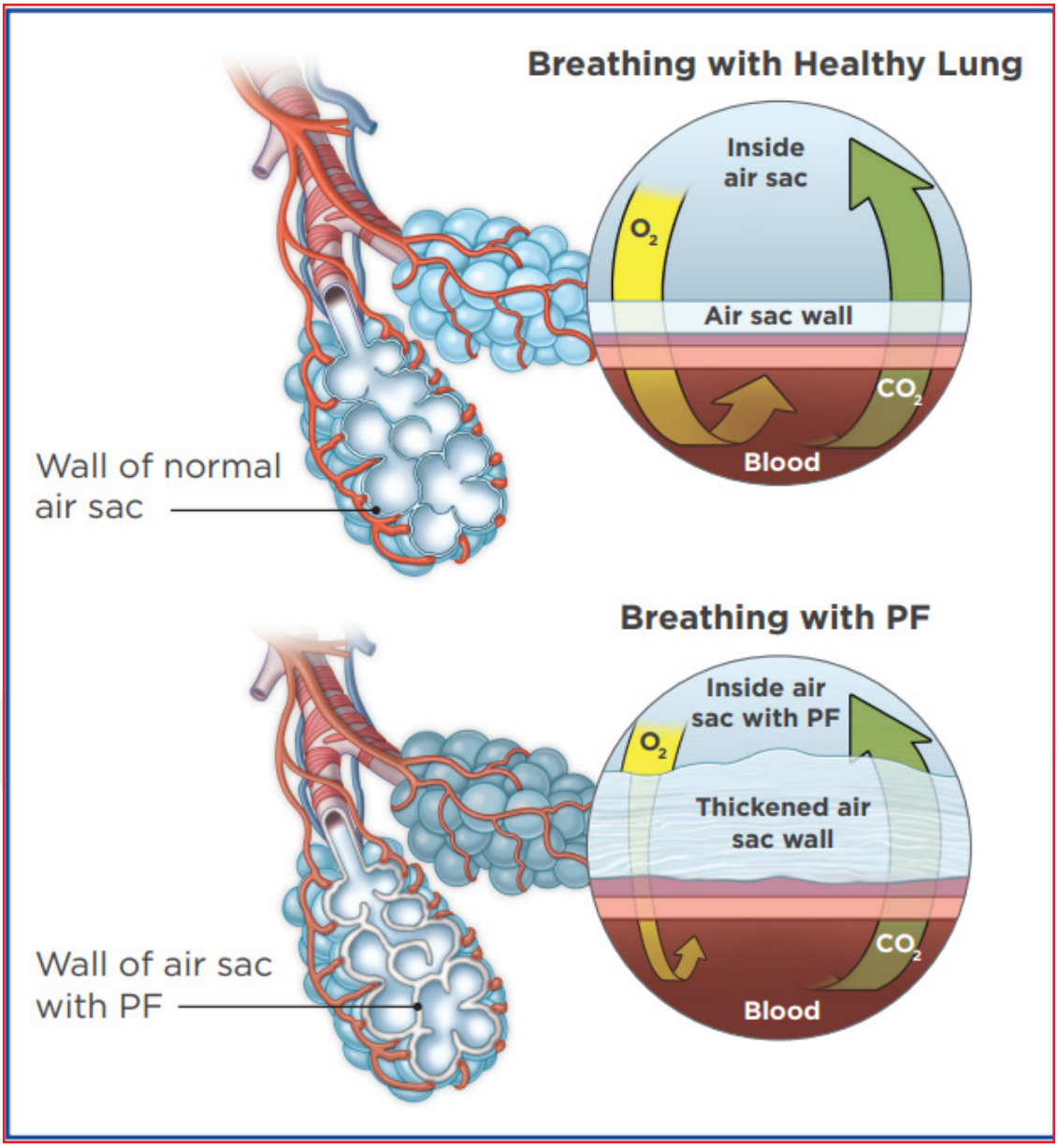

तबला

- तबला **हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत** में प्रयुक्त होने वाला एक ताल वाद्य यंत्र है जिसमें ढोल की एक जोड़ी शामिल होती है। इसमें अलग-अलग आकारों और मापों के दो एकल सिरों वाले ढोल होते हैं।
  - ऐसा माना जाता है कि **अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया था।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **तबला निर्माण: तबला लकड़ी का बना** होता है जिस पर **पशु की खाल** चढ़ी होती है।
  - तबले की सतह का मध्य भाग **स्याही लेप से ढका होता है** जो ढोल को सुर देने में सहायक होता है।
  - इसमें बाएँ ढोल का आवरण **मिट्टी या धातु से** बना होता है तथा इसे **स्याही लेप के साथ पशु की खाल** से ढका जाता है।
- **संगीत भूमिका:** तबले का प्रयोग मुख्य रूप से **गायन** एवं **वाद्य हिंदुस्तानी संगीत के** साथ-साथ उत्तर भारत की विभिन्न **नृत्य शैलियों** में **किया जाता है।**
- **प्रमुख संगीतकार:** प्रसिद्ध तबला वादकों में **उस्ताद अल्ला रक्खा खान**, उनके बेटे **ज़ाकिर हुसैन**, **शफत अहमद** तथा **समता प्रसाद** शामिल हैं।

NTA का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों ?

इसरो के पूर्व अध्यक्ष **के. राधाकृष्णन** की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त पैनल ने **राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)** में **व्यापक सुधारों** की सिफारिश की है।

NTA के पुनर्गठन के लिये प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

- **सशक्त शासन: लेखापरीक्षा, नैतिकता और हितधारक संबंधों** पर तीन उप-समितियों के साथ एक सशक्त शासी निकाय का निर्माण करना।
  - **महानिदेशक (DG)** की एक विशिष्ट नेतृत्वकारी भूमिका होनी चाहिये तथा वह कम से कम **अतिरिक्त सचिव स्तर** का होना चाहिये।
- **'डिजी परीक्षा' प्रणाली:** इसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिये **'डिजी परीक्षा'** प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया गया है।
  - यह प्रक्रिया परीक्षा प्रक्रिया के **विभिन्न चरणों** में उम्मीदवारों की पहचान प्रमाणित करने के लिये **आधार, बायोमेट्रिक्स और AI एनालिटिक्स** का उपयोग करती है।
- **मोबाइल परीक्षण केंद्र (MTC): पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों और द्वीपों** जैसे सुदूरवर्ती स्थानों तक पहुँचने के लिये हबों (Buses) को **वर्क-स्टेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और विद्युत् आपूर्ति** से सुसज्जित करना।
- **हाइब्रिड परीक्षण विधियाँ: एन्क्रिप्टेड प्रश्न पत्रों** को परीक्षण केंद्रों के केंद्रीकृत सर्वरों पर प्रेषित किया जाना चाहिये है, तथा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये **उच्च गति वाले प्रिंटर** का उपयोग करके सुरक्षित रूप से मुद्रित किया जाना चाहिये।
- **प्रश्न पत्रों का मुद्रण:** मुद्रण, पैकेजिंग और परिवहन के दौरान मुद्रण प्रेस पर **पूर्व-अनुमोदन सत्यापन** और सतत् निगरानी की जानी चाहिये।
  - प्रश्नपत्र और OMR शीट **विशिष्ट रूप से कोडित और ऑडिटेड** होनी चाहिये।
- **नवाचारों का परीक्षण:** पैनल ने **तीन नीतिगत नवाचारों** की सिफारिश की।
  - **बहु-सत्र परीक्षण:** बड़े पैमाने पर होने वाली परीक्षाओं के लिये, विशेषकर जब प्रतिभागियों की संख्या **दो लाख से अधिक** हो।
  - **बहु-चरणीय परीक्षण:** परीक्षण **चरणों** में आयोजित किया जाएगा, जिसमें **प्रत्येक चरण** में अभ्यर्थी के ज्ञान या कौशल के **विशिष्ट पहलू** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - **क्लस्टर दृष्टिकोण: CUET प्रवेश** के लिये विषय वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला को संबंधित विषयों के अधिक **केंद्रित क्लस्टरों में सुव्यवस्थित करना।**
- **परीक्षा केंद्र आवंटन:** पैनल ने **अभ्यर्थियों के निवास के निकट** परीक्षा केन्द्र आवंटित करने तथा प्रत्येक ज़िले में सुरक्षित केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
  - राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को सरकारी संस्थानों को प्राथमिकता देते हुए **1,000 सुरक्षित केंद्र** स्थापित करने का लक्ष्य रखना चाहिये।
- **स्थायी स्टाफ:** इसने NTA को **स्थायी स्टाफ नियुक्त** करने की सिफारिश की।
- **सहयोग:** NTA को संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया के दौरान **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** और **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)** सहित **टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों** के साथ सहयोग करना चाहिये।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी क्या है ?

- **परिचय:** NTA की स्थापना **वर्ष 2017** में **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत पंजीकृत एक **सोसायटी** के रूप में की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उद्देश्य:** यह **उच्च शिक्षण संस्थानों** में प्रवेश/फेलोशिप के लिये प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिये एक **प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन** है। उदाहरण के लिये, JEE (मेन), CMAT, UGC - NET आदि।
- **शासी निकाय:** NTA की अध्यक्षता **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा नियुक्त एक **प्रतिष्ठित शिक्षाविद्** द्वारा की जाती है।
  - महानिदेशक को **शिक्षाविदों/विशेषज्ञों की अध्यक्षता में 9 विभागों** द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
  - **CEO** सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक होता है।

रोमानिया और बुल्गारिया शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए

चर्चा में क्यों ?

1 जनवरी, 2025 से **बुल्गारिया तथा रोमानिया यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में** शामिल हो जाएंगे । दोनों देश, जो वर्ष 2007 से यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, अंतत: सीमाहीन क्षेत्र में शामिल हो सकेंगे, जिससे पूरे यूरोप में निर्बाध यात्रा और आवागमन संभव हो सकेगा।

यूरोपीय संघ का शेंगेन क्षेत्र क्या है ?

- **शेंगेन क्षेत्र :** शेंगेन क्षेत्र का नाम लक्ज़मबर्ग के एक छोटे से गाँव के नाम पर रखा गया है, जहाँ **शेंगेन समझौते (वर्ष 1985)** तथा **शेंगेन कन्वेंशन (वर्ष 1990)** पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - इन समझौतों ने भागीदार देशों के बीच आंतरिक सीमा जाँच को समाप्त कर दिया, परिणामस्वरूप अधिकांश यूरोपीय संघ के राज्यों और कुछ गैर-यूरोपीय संघ देशों में लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति प्राप्त हुई।
  - शेंगेन क्षेत्र **आंतरिक सीमा नियंत्रण** के बिना विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है और अब इसमें **29 देश** (27 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में से 25 **(साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर), चार गैर-यूरोपीय संघ देश (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड)** शामिल हैं।

शेंगेन क्षेत्र की मुख्य विशेषताएँ:

- **मुक्त आवागमन:** शेंगेन क्षेत्र **425 मिलियन से अधिक यूरोपीय संघ के नागरिकों और गैर-यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिये मुक्त आवागमन** की गारंटी देता है जो कानूनी रूप से यूरोपीय संघ में निवासी हैं।
  - आंतरिक सीमा जाँच को समाप्त करके, यह भागीदार देशों के बीच निर्बाध यात्रा, रहना और काम करना संभव बनाता है।
  - एक समान वीज़ा नीति पर्यटकों, व्यापारिक यात्रियों और अन्य आगंतुकों के लिये **90 दिनों** तक के अल्पकालिक प्रवास की अनुमति देती है।
- **सीमा पार सहयोग:** शेंगेन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये **पुलिस सहयोग, न्यायिक सहयोग और शेंगेन सूचना प्रणाली (SIS) के प्रावधान** शामिल हैं।
  - SIS यूरोप में सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिये सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त तथा सबसे बड़ी सूचना साझाकरण प्रणाली है।
- **अस्थायी सीमा नियंत्रण:** असाधारण परिस्थितियों में, देश सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से सीमा नियंत्रण पुन: लागू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अन्य सदस्य राज्यों और यूरोपीय आयोग को सूचित करना होगा।
- **शेंगेन मूल्यांकन:** शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के इच्छुक देशों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा, जिसमें **प्रभावी सीमा नियंत्रण, वीज़ा जारी करना और कानून प्रवर्तन सहयोग** शामिल है।

बुल्गारिया और रोमानिया के बारे में मुख्य तथ्य

- **बुल्गारिया:**
  - **राजधानी:** सोफिया
  - **भूगोल:** बुल्गारिया दक्षिण-पूर्वी यूरोप के **बाल्कन** में स्थित है। इसकी सीमा **काला सागर** से लगती है और यह रोमानिया और तुर्की के बीच स्थित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- बुल्गारिया उत्तर में रोमानिया, दक्षिण में तुर्की और ग्रीस, दक्षिण-पश्चिम में उत्तरी मैसेडोनिया तथा पश्चिम में सर्बिया से घिरा हुआ है।

- **राजनीतिक प्रणाली:** संसदीय गणतंत्र
- **विदेशी संबंध: बुल्गारिया संयुक्त राष्ट्र (UN), उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO), यूरोपीय संघ** और **शेंगेन क्षेत्र** का सदस्य है।
- **रोमानिया:**
- **राजधानी:** बुखारेस्ट
- **भूगोल:** रोमानिया उत्तर में यूक्रेन, उत्तर-पूर्व में मोल्दोवा, दक्षिण-पूर्व में काला सागर, दक्षिण में बुल्गारिया, दक्षिण-पश्चिम में सर्बिया और पश्चिम में हंगरी से घिरा है।
- **राजनीतिक प्रणाली:** अर्द्ध-राष्ट्रपति गणतंत्र
- **विदेशी संबंध: रोमानिया संयुक्त राष्ट्र, नाटो, यूरोपीय संघ, यूरो-अटलांटिक भागीदारी परिषद** और **यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (OSCE)** का सदस्य है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

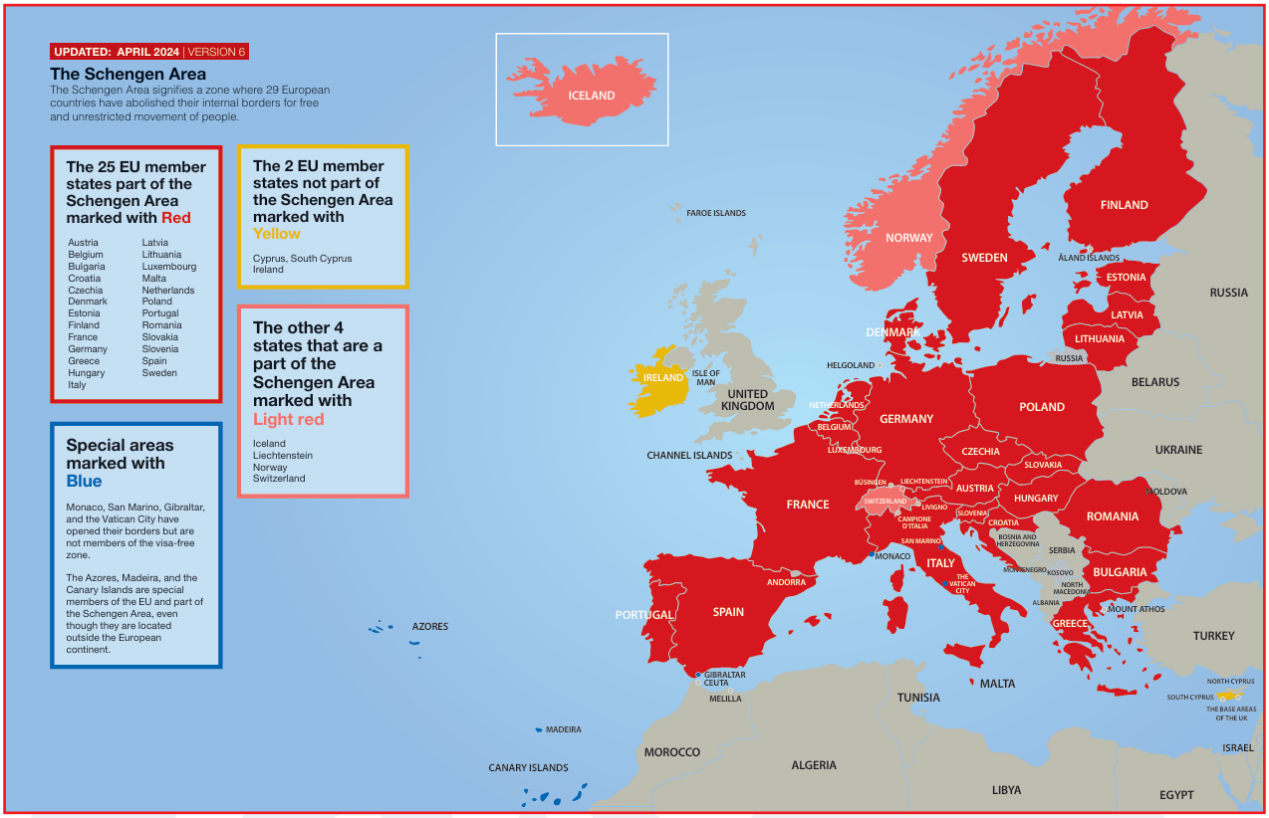

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था पुन:स्थापित

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **पड़ोसी देशों से विदेशी घुसपैठ के कारण** बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण **मणिपुर, मिज़ोरम और नगालैंड में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था (PAR) को पुन: लागू कर दिया है।**

- **यह निर्णय विदेशी गतिविधियों पर नज़र रखने** तथा इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान पर सरकार के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है।

संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था क्या है ?

- **PAR: यह विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत स्थापित विनियमों का एक समूह है,** जिसका उद्देश्य उन **क्षेत्रों में विदेशी आगंतुकों को विनियमित करना है जिन्हें रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण या बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील माना जाता है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों** और भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में।
- **PAR की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **प्रतिबंधित प्रवेश:** विदेशियों को पूर्व सरकारी अनुमति के बगैर PAR के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं है।
    - इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिये उन्हें संरक्षित क्षेत्र परमिट (PAP) के लिये आवेदन करना होगा और उसे प्राप्त करना होगा, जो अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों की आवागमन पर नज़र रखने की अनुमति देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- PAR द्वारा कवर किये गए क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट होने, या जातीय उन्माद, उग्रवाद या राजनीतिक अस्थिरता के कारण संवेदनशील माना जाता है।

- शिथिलता और पुन:स्थापन: अतीत में कुछ क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये अस्थायी शिथिलता प्रदान की गई है, जैसे मणिपुर, मिज़ोरम और नगालैंड, जहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2010 में PAR में शिथिलता दी गई थी।
  - हालाँकि, जब सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हुईं तो ऐसी छूट वापस ले ली गई, जैसा कि हाल ही में इन राज्यों में PAR को पुन: लागू करने के मामले में देखा गया।

विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958

- विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अंतर्गत निर्गत विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958, **भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशियों के आवागमन के विनियमन के उद्देश्य से निर्मित** एक प्रमुख नियामक ढाँचा है ।
- इसमें **'इनर लाइन'** को यथापरिभाषित किया गया है, जो जम्मू-कश्मीर से मिज़ोरम तक की सीमा है, जिसके आगे जाने के लिये विदेशी यात्रियों को विशेष परमिट लेना आवश्यक होता है।
  - **किसी राज्य की इनर लाइन और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा** के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है।
    - विदेशी नागरिक इन क्षेत्रों में केवल PAP के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। संरक्षित क्षेत्रों में संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नगालैंड और सिक्किम (आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्र और आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में सम्मिलित) शामिल हैं।
    - इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में अभिहित किया गया है।
  - **इनर लाइन और मूल जनजातियों के कब्जे वाले इलाकों के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है।** इन क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति **(प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट)** के **प्रवेश वर्जित है।**
    - प्रतिबंधित क्षेत्रों में संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केंद्रशासित प्रदेश और सिक्किम राज्य का एक भाग शामिल है।

राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत सरकार ने वन्यजीवों के समक्ष आने वाले स्वास्थ्य खतरों से निपटने के उद्देश्य से एक **राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति प्रस्तावित** की है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति क्या है ?

- **परिचय:**
  - **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के तहत **केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, प्राणि उद्यानों** और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया।
  - नीति विकास को IIT बॉम्बे स्थित GISE हब और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय जैसे संस्थानों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- **उद्देश्य:**
  - यह नीति **भारत की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31)** और **वन हेल्थ नीति** की पूरक होगी, जिसका **उद्देश्य लोगों, पशुओं तथा पर्यावरण** के बीच परस्पर निर्भरता को मान्यता देकर उनके स्वास्थ्य को अनुकूलित करना है।
  - **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31) में 103 संरक्षण कार्यों और 250 परियोजनाओं** की रूपरेखा दी गई है।
    - इनमें **बाघ अभयारण्यों, संरक्षित क्षेत्रों और वनों में रोग निगरानी के लिये एक मानक प्रोटोकॉल** बनाना, साथ ही जंगली जानवरों की मृत्यु तथ इच्छामृत्यु के लिये **कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल** स्थापित करना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- नीति में **वन्यजीव रोगाणु जोखिम प्रबंधन**, **रोग प्रकोप की तैयारी और प्रतिक्रिया**, तथा **जैव सुरक्षा** जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा।
- नीति का उद्देश्य वन्यजीव रोगों और स्वास्थ्य प्रबंधन रणनीतियों पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास पहल को बढ़ावा देना है।
  - वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन में शामिल **हितधारकों के कौशल और ज्ञान** को बढ़ाना।

- **वर्तमान वन्यजीव स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियाँ:**
  - भारतीय वन्यजीव **विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना** कर रहे हैं, जिनमें **संक्रामक रोग (कैनाइन डिस्टेंपर वायरस)**, आवास की क्षति, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अवैध गतिविधियाँ शामिल हैं।
    - यह नीति इसलिये आवश्यक है क्योंकि **भारत में वन्यजीवों की 91,000 से अधिक प्रजातियाँ** पाई जाती हैं, तथा यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और बायोस्फीयर रिज़र्वों सहित **1,000 से अधिक** संरक्षित क्षेत्र हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

- **केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CJZA)** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक **वैधानिक निकाय** है, जिसे **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था।
- इसकी अध्यक्षता **पर्यावरण मंत्री** करते हैं तथा इसमें **10 सदस्य और एक सदस्य-सचिव** होते हैं।
- इसका उद्देश्य समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास को पूरक और मज़बूत बनाना है।

पवित्र उपवनों की सुरक्षा

हाल ही में **उच्चतम न्यायालय ने** केंद्र सरकार को संपूर्ण देश में **पवित्र उपवनों** के संरक्षण के लिये एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया।

- **यह निर्णय राजस्थान के राजसमंद ज़िले** के **पिपलांत्री गाँव** में बनाए गए **पिपलांत्री मॉडल** से प्रेरित था।

पवित्र उपवन क्या हैं ?

- **पवित्र वन: पवित्र वन अक्षत वन** भूमि है, जिसे स्थानीय निवासियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है तथा **स्थानीय लोगों द्वारा** उनकी **संस्कृति और धार्मिक विश्वासों के कारण संरक्षित किया गया है।**
  - पवित्र उपवन किसी समय की प्रमुख वनस्पतियों के **अवशेष हैं।**
- **भारत में पवित्र वन:** संपूर्ण भारत में 10 लाख से अधिक पवित्र वन और **100,000 से 150,000 पवित्र वन मौज़ूद हैं।**
  - **यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड** में प्रमुख है।
- **वैधानिक प्रावधान: वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** राज्य सरकारों को किसी भी **निज़ी या सामुदायिक भूमि को** सामुदायिक **रिज़र्व** घोषित करने का अधिकार देता है, जिसके तहत पवित्र उपवनों को सामुदायिक रिज़र्व घोषित किया जा सकता है।
  - **गोदावर्मन *मामला, 1996*** द्वारा समर्थित **राष्ट्रीय वन नीति, 1988 ने प्रथागत अधिकार वाले** समुदायों को इन वन क्षेत्रों की रक्षा और सुधार करने के लिये प्रोत्साहित किया, जिन पर वे अपनी आवश्यकताओं के लिये निर्भर हैं।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** यह **हिंदू मान्यताओं का अभिन्न अंग है,** जो **सह-अस्तित्व और** प्रकृति के प्रति श्रद्धा को बढ़ावा देता है।
- **संरक्षण में भूमिका: वृक्ष पूजा** और उन्मूलन तथा शिकार पर सख्त प्रतिबंध जैसी प्रथाएँ जैवविविधता सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
  - **विविध वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के लिये शरणस्थल** के रूप में कार्य करना तथा स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना।
  - **ये अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों (OECM)** के उदाहरण हैं।
- **विभिन्न नाम:**

क्षेत्र/राज्य	पवित्र उपवनों का नाम
हिमाचल प्रदेश	देववन
कर्नाटक	देवराकाडु
केरल	कावु
मध्यप्रदेश	सरना
राजस्थान	ओरान
महाराष्ट्र	देवराई
मणिपुर	उमंगलाई
मेघालय	लॉ क्यंतांग/लॉ लिंगदोह
उत्तराखंड	देवन/देवभूमि
पश्चिम बंगाल	ग्रामथान
आंध्रप्रदेश	पविथ्रावन

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

टिप्पणी:

- उच्चतम **न्यायालय (SC) ने** भगवद गीता के **अध्याय 13 से श्लोक 20** का हवाला दिया: **"प्रकृति सभी भौतिक चीजों का स्रोत है:** निर्माता, निर्माण साधन और निर्मित चीजें। **आत्मा सभी चेतना का स्रोत है** जो खुशी और पीड़ा महसूस करती है।"
- ***गोदावर्मन मामले 1996*** में उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार किया, जिसमें **वन भूमि पर अतिक्रमण से लेकर वन्यजीव संरक्षण, वन क्षेत्रों के भीतर खनन गतिविधियों का विनियमन शामिल था।**

पिपलांट्री मॉडल

- इसने बताया कि किस प्रकार **पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास** मिलकर समुदायों में बदलाव ला सकते हैं।
- **पिपलांत्री गाँव** के सरपंच ने **प्रत्येक बालिका के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने** की पहल आरंभ की।
  - **इसकी शुरुआत अत्यधिक संगमरमर खनन के कारण हुई पर्यावरणीय क्षति,** जल की कमी, वनोन्मूलन और आर्थिक गिरावट के कारण उनकी बालिका की दुखद मृत्यु के बाद हुई।
- पर्यावरण की दृष्टि से **40 लाख से अधिक वृक्ष** लगाए गए हैं, जिससे **जल स्तर 800-900 फीट ऊपर उठने में मदद मिली है** तथा **जलवायु को 3-4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में सहायता मिली है।**
- इससे **कन्या भ्रूण हत्या में भारी कमी आई, स्थानीय आय में वृद्धि हुई, शिक्षा के अवसर बढ़े** तथा महिला स्वयं सहायता समूह फलने-फूलने लगे।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण के रूप में नैनोप्लास्टिक

हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की बोतलों (SUPB) से प्राप्त नैनोप्लास्टिक एंटीबायोटिक प्रतिरोध (AR) के प्रसार में योगदान करते हैं, जो एक अज्ञात सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को रेखांकित करता है।

- एंटीबायोटिक प्रतिरोध, जो कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध का एक प्रकार है, यह तब होता है जब बैक्टीरिया उन दवाओं के प्रभावों का प्रतिरोध करने लगते हैं जो कभी उन्हें नष्ट कर देती थीं या उनके विकास को बाधित करती थीं।

अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं ?

- **इंटेस्टाइन माइक्रोबायोम के लिये जोखिम:** नैनोप्लास्टिक्स लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस (**इंटेस्टाइन माइक्रोबायोटा**) को AR जीन के वाहक में परिवर्तित कर सकता है, जो संक्रमण के दौरान रोगजनक बैक्टीरिया में स्थानांतरित हो सकता है, जिससे AR संकट और भी बढ़ सकता है।
- **क्षैतिज जीन स्थानांतरण (HGT):** पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट बोतल-व्युत्पन्न नैनोप्लास्टिक (PBNP) क्षैतिज जीन स्थानांतरण (HGT) के माध्यम से ई.कोलाई से लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस में AR जीन के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
  - HGT में जीन को एक जीव से दूसरे जीव में सीधे स्थानांतरित किया जाता है, संभवत: विभिन्न प्रजातियों में। (वर्टिकल जीन ट्रांसफर, माता-पिता से संतान में)।
- **AR जीन स्थानांतरण के दो तंत्र:**
  - **प्रत्यक्ष परिवर्तन पथ:** PBNP भौतिक वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जीवाणु झिल्लियों के पार AR प्लाज़्मिड का परिवहन करते हैं और प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण को बढ़ावा देते हैं।
  - **OMV-प्रेरित स्थानांतरण मार्ग:** PBNP ऑक्सीडेटिव अवसाद को प्रेरित करता है, जिससे बाहरी झिल्ली पुटिका (OMV) स्राव में वृद्धि होती है।
    - AR जीन वाले ये OMV, लाभकारी और रोगजनक बैक्टीरिया सहित जीवाणु प्रजातियों के बीच जीन स्थानांतरण को सुगम बनाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

AR जीन स्थानांतरण तंत्र:

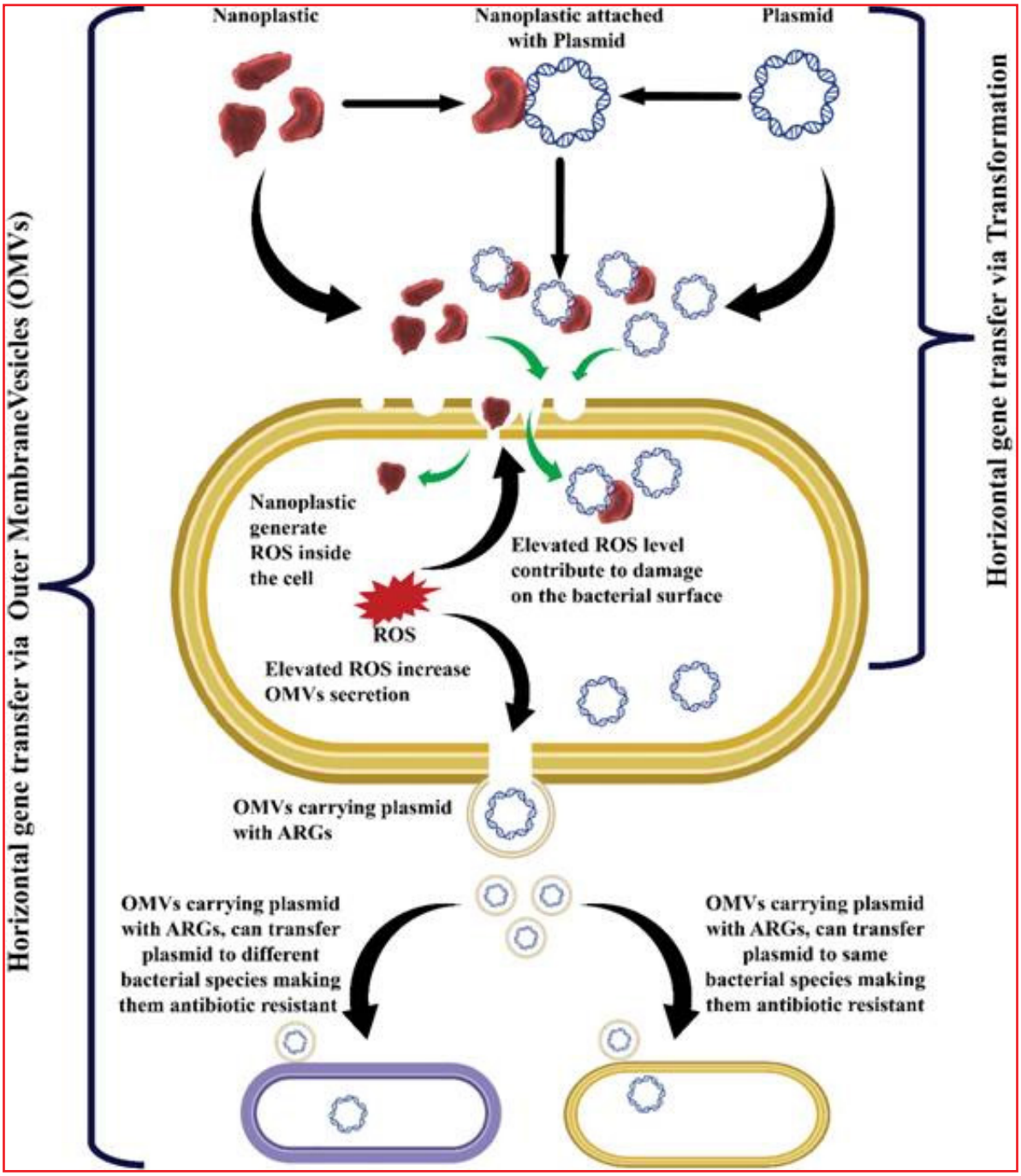

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नैनोप्लास्टिक्स क्या हैं ?

- **परिभाषा:** नैनोप्लास्टिक्स सिंथेटिक या अत्यधिक संशोधित प्राकृतिक पॉलिमर के ठोस कण होते हैं, जिनका आकार 1 NM और 1000 NM के बीच होता है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध
(AntiMicrobial Resistance-AMR)

Drishti IAS

सूक्ष्मजीवों में रोगाणुरोधी दवाओं के प्रभाव का विरोध करने की क्षमता

AMR में वृद्धि के कारण

- संक्रमण नियंत्रण/स्वच्छता की खराब स्थिति
- एंटीबायोटिक दवाओं का अति प्रयोग
- सूक्ष्मजीवों का आनुवंशिक उत्परिवर्तन
- नई रोगाणुरोधी दवाओं के अनुसंधान एवं विकास में निवेश का अभाव

AMR विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को 'सुपरबग' कहा जाता है

AMR के प्रभाव

- ↑ संक्रमण फैलने का खतरा
- संक्रमण को इलाज को कठिन बना देता है; लंबे समय तक चलने वाली बीमारी
- ↑ स्वास्थ्य सेवाओं की लागत

उदाहरण

- K निमोनिया में AMR के कारण कार्बापेनेम्स (Carbapenem) एंटीबायोटिक्स प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं
- AMR माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी टीबी (RR-टीबी) का कारण बनता है
- दवा प्रतिरोधी HIV (HIVDR) एंटीरेट्रोवाइरल (ARV) दवाओं को अप्रभावी बना रहा है

WHO द्वारा मान्यता

- AMR की पहचान वैश्विक स्वास्थ्य के लिये शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में
- वर्ष 2015 में GLASS (ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम) लॉन्च किया गया

AMR के खिलाफ भारत की पहलें

- टीबी, वेक्टर जनित रोग, एड्स आदि का कारण बनने वाले रोगाणुओं में AMR की निगरानी।
- वन हेल्थ के दृष्टिकोण के साथ AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2017)
- ICMR द्वारा एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम

न्यू देल्ही मेटालो-बीटा-लैक्टामेज़-1 (NDM-1) एक जीवाणु एंजाइम है, जिसका उद्भव भारत से हुआ है, यह सभी मौजूदा β-लैक्टम एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय कर देता है

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **प्रकार:**
  - **प्राथमिक नैनोप्लास्टिक्स:** ये उत्पादन प्रेरित नैनोप्लास्टिक्स हैं, आमतौर पर विशिष्ट अनुप्रयोगों हेतु उत्पादित होते हैं।
  - **द्वितीयक नैनोप्लास्टिक:** पर्यावरण में अधिकांश नैनोप्लास्टिक द्वितीयक होते हैं, अर्थात ये अज्ञात रूप में पर्यावरण में छोड़े गए बड़े प्लास्टिक वस्तुओं के विखंडन से उत्पन्न होते हैं।
- **नैनोप्लास्टिक्स से संबंधित चिंताएँ:**
  - **पर्यावरणीय उपस्थिति:** समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं और पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है।
  - **जैवसंचय:** स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव।
  - **विषाक्तता:** सूजन, और सामान्य कोशिकीय प्रक्रियाओं में व्यवधान।
  - **इंटेस्टाइन माइक्रोबायोम संबंधी व्यवधान:** पाचन समस्याएँ, प्रतिरक्षा विकार, या संक्रमण का खतरा बढ़ जाना।

गोलान हाइट्स

चर्चा में क्यों ?

गोलान हाइट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इज़रायल ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण इस क्षेत्र में अपनी जनसंख्या को दोगुना करने की योजना की घोषणा की है।

गोलान हाइट्स के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं ?

- **भौगोलिक स्थिति:** गोलान हाइट्स दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में **जॉर्डन नदी घाटी के ऊपरी भाग पर स्थित 1,200 वर्ग किलोमीटर** का पहाड़ी क्षेत्र है।
  - "गोलान" नाम **बाइबिल के शरणस्थल शहर,** बाशान में स्थित गोलान से लिया गया है, जिसका उल्लेख **बाइबिल** में भी किया गया है।
  - **गोलान पर्वत माउंट हरमोन (उत्तर), यार्मूक नदी (दक्षिण), जॉर्डन नदी और गैलिली सागर (पश्चिम)** और **सीज़नल वादी अल-रुक्काद (पूर्व)** से घिरा हुआ है।
  - यह शुष्क क्षेत्र के लिये पानी का एक प्रमुख स्रोत है। गोलान के जलग्रहण क्षेत्र से वर्षा का पानी **जॉर्डन नदी** में जाता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ: वर्ष 1967 के छह दिवसीय युद्ध** में इज़रायल ने सीरिया से गोलान हाइट्स के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था तथा वर्ष 1973 के युद्ध के दौरान सीरिया द्वारा इसे वापस लेने का प्रयास विफल रहा।
  - वर्ष 1974 में इज़रायल और सीरिया ने **विघटन समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत योम किप्पुर युद्ध** के बाद युद्ध विराम स्थापित हुआ।
    - इस समझौते के परिणामस्वरूप गोलान हाइट्स में युद्ध विराम रेखा की निगरानी के लिये **संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल (UNDOF)** का गठन किया गया।
  - **इज़रायल ने वर्ष 1981** में इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदम को मान्यता नहीं मिली, हालाँकि **अमेरिका ने वर्ष 2019 में इज़राइल की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया,** लेकिन सीरिया अभी भी इसकी वापसी की मांग कर रहा है।
- **सैन्य उपस्थिति: यह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी वाले विसैन्यीकृत क्षेत्र (DMZ)** द्वारा विभाजित है, जिसमें इज़रायल और सीरियाई सेनाएँ **"पृथक्करण क्षेत्र" द्वारा अलग हैं, जो वर्ष 1974** के समझौते के तहत स्थापित एक बफर ज़ोन है।
- **सैन्य महत्त्व:** गोलान हाइट्स को एक महत्त्वपूर्ण **सुरक्षा बफर ज़ोन** माना जाता है। इस क्षेत्र में इज़राइल की सैन्य उपस्थिति सीरिया और अन्य क्षेत्रीय कारकों से संभावित खतरों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करती है।
  - पठार की ऊँची स्थिति के कारण इस क्षेत्र से इज़रायल सीरिया और लेबनान दोनों की गतिविधियों पर निगरानी रख सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

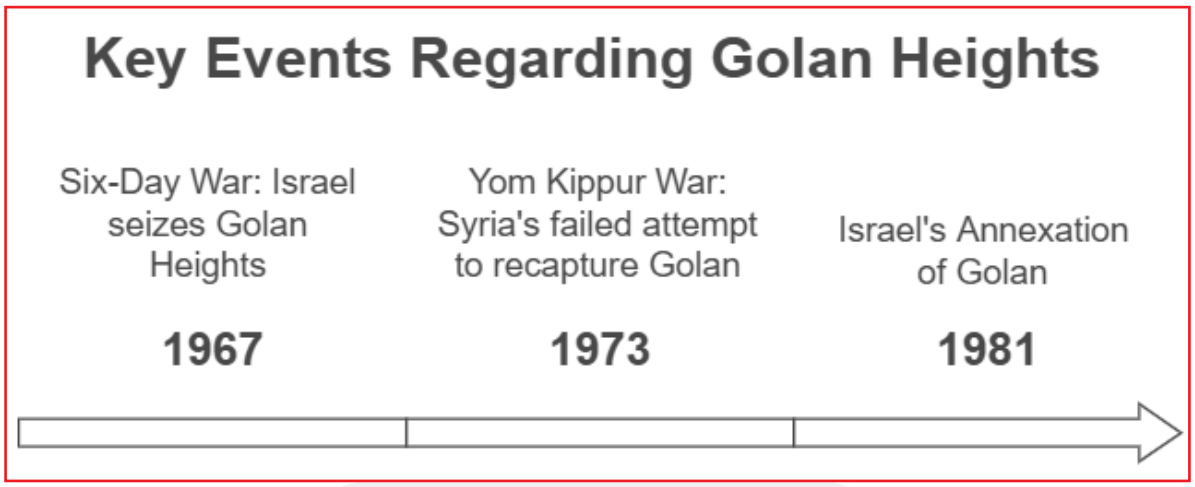

नोट: भारत ने दिसंबर, 2024 में **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें इज़रायल से सीरिया के अधिकार वाले **गोलान हाइट्स** को छोड़ने का आह्वान किया गया था।

- प्रस्ताव में वर्ष 1967 से अधिकार वाले सीरियाई गोलान क्षेत्र में इज़रायली बस्तियों के निर्माण और अन्य गतिविधियों की अवैधता पर ज़ोर दिया गया।

चौधरी चरण सिंह की जयंती एवं राष्ट्रीय किसान दिवस 2024

हाल ही में, **किसानों के सम्मान** और **श्री चौधरी चरण सिंह** की जयंती के उपलक्ष्य में **23 दिसंबर 2024** को **राष्ट्रीय किसान दिवस (किसान दिवस)** मनाया गया।

- उन्हें **'किसान नेता'** के रूप में जाना जाता है, उनकी जयंती को **भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास** में उनके योगदान के लिये **वर्ष 2001** से **'किसान दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।

चौधरी चरण सिंह से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - वर्ष 1902 में नूरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में जन्मे, वे एक **भारतीय राजनीतिज्ञ** और **स्वतंत्रता सेनानी** थे, जिन्होंने **भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री** (1979-80) के रूप में कार्य किया।
  - उन्होंने दो बार **उप-प्रधानमंत्री** (जनवरी-जुलाई 1979) और उत्तर प्रदेश के **मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया।**
  - उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में **छपरौली (वर्ष 1937, 1946, 1952, 1962, 1967) और बाद में बागपत के सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया।**
- **प्रमुख योगदान:**
  - उन्होंने **विकेंद्रीकरण, ज़मीनी स्तर पर शासन** और **स्थानीय आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा दिया** ।
  - उन्होंने **ऋण राहत विधेयक, 1939 का** प्रारूप तैयार किया, जिससे किसानों को साहूकारों से मुक्ति मिली तथा **जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960** में भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - उन्होंने **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की वकालत की,** भूमिहीनों को लाभ पहुँचाने के लिये **चकबंदी अधिनियम (1953)** तथा **उत्तरप्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम (1952)** पेश किये।
  - उन्होंने कृषि-बाज़ार बुनियादी ढाँचे का निर्माण करते हुए **कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्केटिंग) अधिनियम (1938) का प्रस्ताव रखा।**
  - उन्होंने **ग्रामीण विकास विभाग** को **मंत्रालय का दर्जा दिया तथा नाबार्ड की** स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सामाजिक योगदान:**
  - उन्होंने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिये **महात्मा गांधी** के साथ मिलकर अहिंसक आंदोलन किया और कई बार जेल भी गए।
  - उन्होंने **जातिगत विभाजन का विरोध करके**, अंतर्जातीय **विवाहों को बढ़ावा दिया** तथा **कृषकों के आश्रितों के लिये कोटा का समर्थन करके सामाजिक न्याय की वकालत की**, जो कि **बी.आर. अंबेडकर के एकीकृत** सामाजिक और आर्थिक सुधारों के दृष्टिकोण से मेल खाता था।
  - उन्होंने *'ज़मींदारी उन्मूलन', 'कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्स-रेड', 'इंडिया पावर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन', 'किसान स्वामित्व या श्रमिकों के लिये भूमि'* और *'प्रिवेंशन ऑफ डिविजन ऑफ होल्डिंग बिलो अ सर्टेन मिनिमम' जैसी प्रभावशाली पुस्तकें लिखीं।*

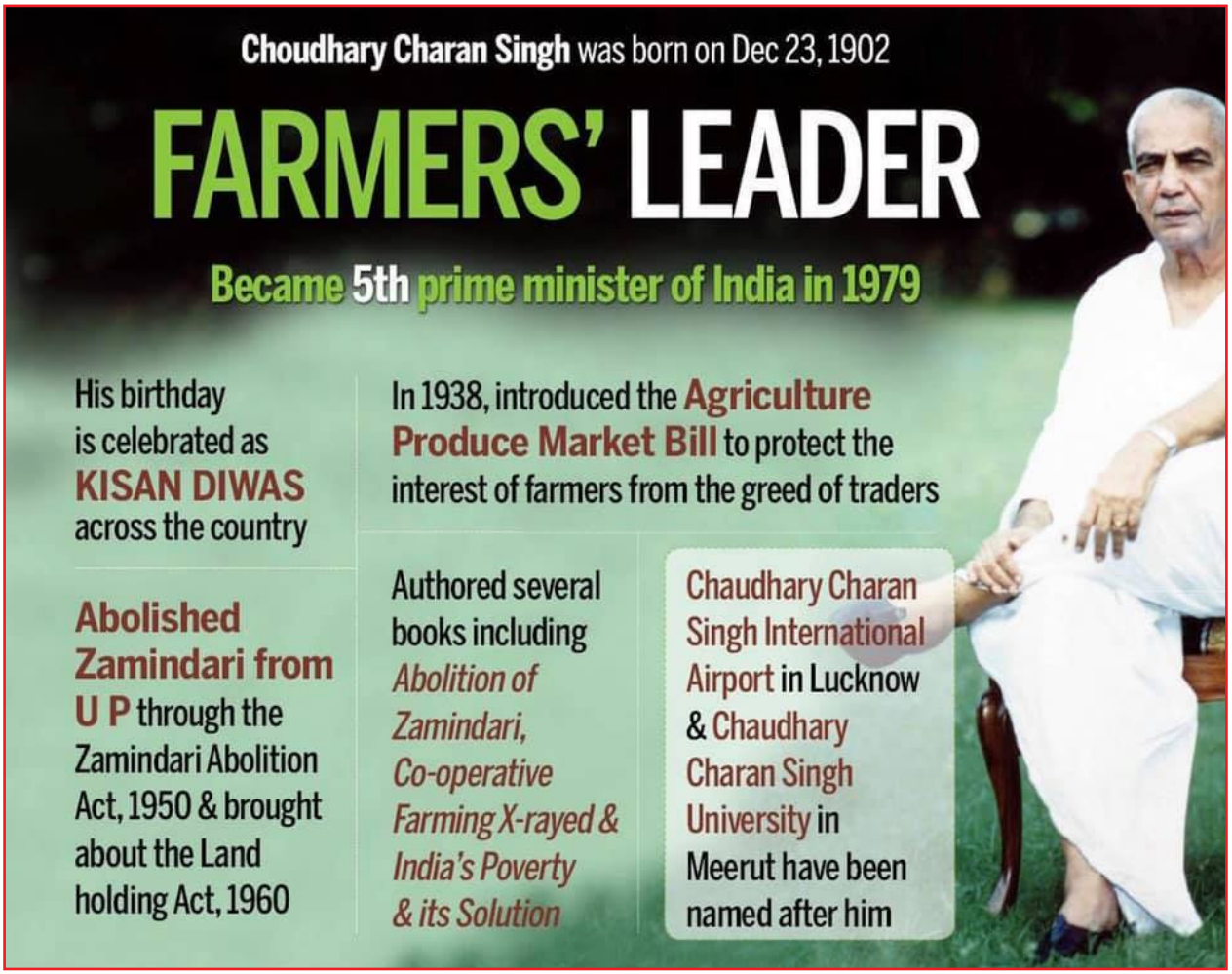

- **प्रासंगिकता:**
  - वर्तमान की पहलें जैसे-**किसानों की आय दोगुनी करना, MSME प्रोत्साहन, पंचायती राज** और नैतिक प्रशासन उनके दूरदर्शी विचारों से प्रेरित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- हाल ही में, 2024 में सरकार ने उन्हें 4 अन्य पुरस्कार विजेताओं- **कर्पूरी ठाकुर, मनकोम्बु संबाशिवन (MS) स्वामीनाथन, पामुलपर्थी वेंकट (P. V.) नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी** के साथ प्रतिष्ठित **भारत रत्न** से सम्मानित किया।
  - सरकार ने उनके सम्मान में 2008 में **लखनऊ हवाई अड्डे का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया।**
- **29 मई 1987** को उनका निधन हो गया। नई दिल्ली में उनका स्मारक स्थित है जिसे **किसान घाट** कहते हैं।

किसानों के लिये संबंधित पहल क्या है?

- **पीएम-किसान**
- **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन**
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)**
- **पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (NBS) कार्यक्रम**
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन**
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**
- **परंपरागत कृषि विकास योजना**
- **किसान क्रेडिट कार्ड**

NCD की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संपूर्ण भारत में **गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NCD)** की प्रगति पर प्रकाश डाला।

NP-NCD क्या है?

- **परिचय:** NP-NCD उद्देश्य **हृदय संबंधी रोग (CVD), कैंसर** और **मधुमेह** जैसे **गैर-संचारी रोगों (NCD) के बढ़ते बोझ से निपटना है।**
  - ये रोग प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभरे हैं, जो **भारत में होने वाली कुल मौतों में लगभग 63%** का कारण बनते हैं।
- **उद्देश्य:** NP-NCD का प्राथमिक लक्ष्य बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्द्धन और **रोगों के शीघ्र निदान तथा प्रबंधन** के माध्यम से प्रमुख NCD को रोकना एवं नियंत्रित करना है।
- **कार्यान्वयन:** यह कार्यक्रम राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के माध्यम से **NCD फ्लेक्सी-पूल** के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  - राज्यों को ज़िला स्तर और उससे नीचे NCD से संबंधित गतिविधियों को लागू करने के लिये वित्तीय सहायता मिलती है, जिसमें **केंद्र-राज्य का हिस्सा 60:40** (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिये 90:10) होता है।
- **NP-NCD के प्रमुख घटक:**
  - **NCD स्क्रीनिंग: मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर** जैसे- मौखिक, स्तन तथा गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जाँच के लिये 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को लक्षित करना।
  - **NCD क्लीनिक:** शीघ्र निदान, उपचार और आपातकालीन देखभाल के लिये **ज़िला NCD क्लीनिक** तथा **कार्डियक केयर यूनिट (CCU) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) NCD क्लीनिक** की स्थापना।
  - **कैंसर देखभाल: कैंसर रोगियों के लिये डे केयर सेंटर** स्थापित करना और तृतीयक कैंसर देखभाल बुनियादी ढाँचे को समर्थन देना।
  - **प्रशिक्षण: मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा), सहायक नर्स दाइयों (ANM)** और चिकित्सा अधिकारियों जैसे स्वास्थ्य कार्यककर्त्ताओं को NCD का शीघ्र पता लगाने, प्रबंधन तथा रोकथाम में प्रशिक्षित किया जाता है।
  - **डिजिटल एकीकरण:** NCD डेटा और स्क्रीनिंग को ट्रैक तथा प्रबंधित करने के लिये **राष्ट्रीय NCD पोर्टल एवं मोबाइल एप्लिकेशन** का उपयोग किया जाता है।
- **प्रभाव:** सुलभ NCD निदान और प्रबंधन के लिये 770 ज़िला NCD क्लीनिक, 372 डे केयर सेंटर, 233 CCU तथा लगभग 6,410 CHC NCD क्लीनिक स्थापित किये गए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **NHM के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल** के भाग के रूप में सामान्य NCD के लिये जनसंख्या-आधारित जाँच लागू की गई।
- आशा कार्यकर्त्ता समुदायों को NCD की रोकथाम के बारे में शिक्षित करती हैं, स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देती हैं तथा जाँच और परीक्षण के माध्यम से शीघ्र पहचान करने का कार्य करती हैं।

गैर-संचारी रोग

- **NCD:** इसे क्रोनिक रोग भी कहा जाता है, ये **दीर्घकालिक रोग हैं** जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं।
  - ये रोग दीर्घकालीन अवस्था में विकसित होते हैं और **आनुवंशिक, पर्यावरणीय तथा व्यवहारगत कारकों से प्रभावित होते हैं।**

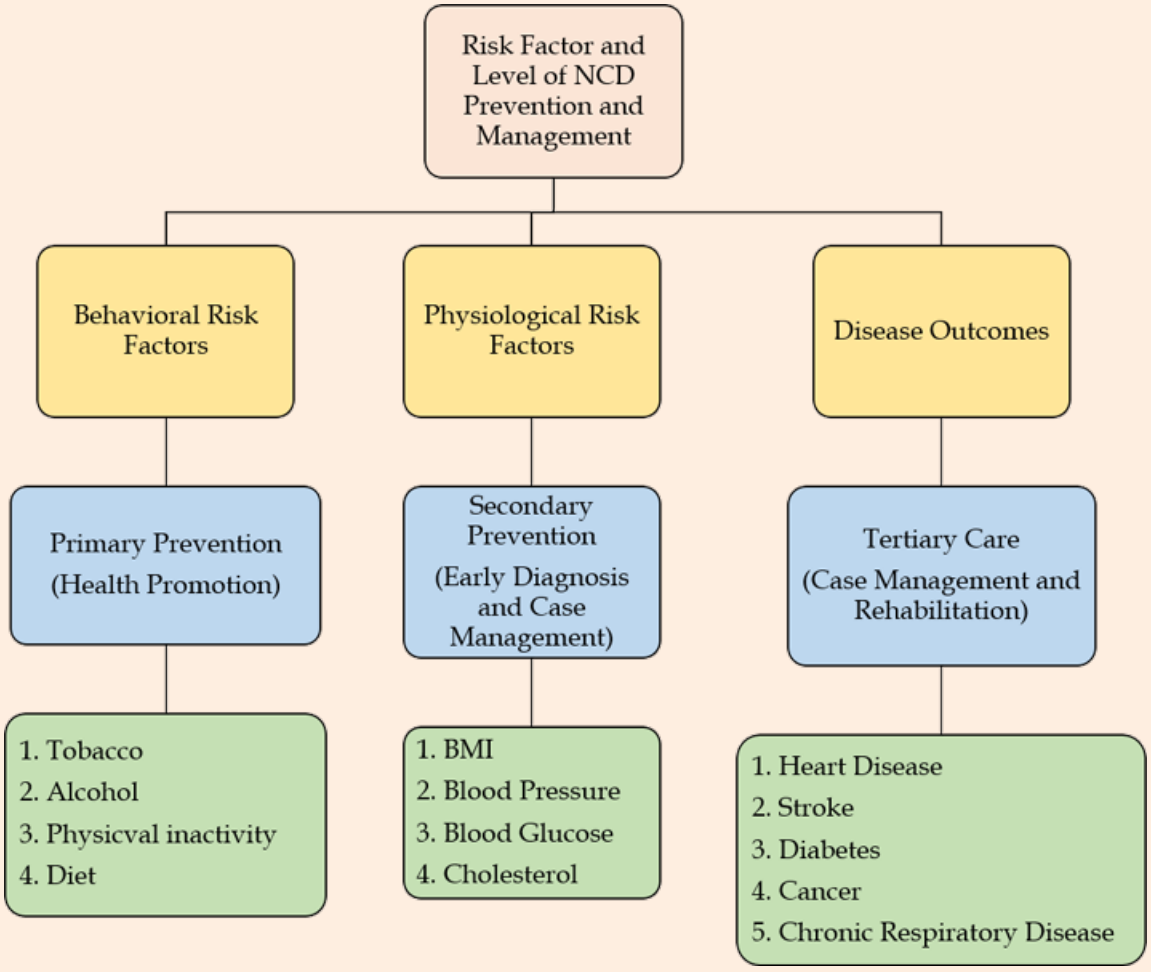

- **NCD के लिये जोखिम कारक:** तंबाकू का उपयोग अधिक नमक, शराब का दुरुपयोग, निष्क्रियता, उच्च रक्तचाप, मोटापा, उच्च रक्त लिपिड और वायु प्रदूषण।
- **प्रभाव: NCD के कारण वैश्विक स्तर पर 74% मौतें होती हैं,** प्रतिवर्ष 15 मिलियन से अधिक असामयिक मौतें होती हैं (30-69 वर्ष की आयु में), जिनमें से 85% निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **रोकथाम और नियंत्रण रणनीतियाँ:** तंबाकू, शराब का सेवन कम करना, व्यायाम, स्वस्थ आहार और बेहतर वायु गुणवत्ता को बढ़ावा देना। प्रारंभिक जाँच, प्राथमिक देखभाल और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से परिणाम बेहतर होने की संभावना होती है साथ ही लागत भी कम हो सकती है।
- विश्व **स्वास्थ्य संगठन (WHO) की** वर्ष **2030 तक गैर- संचारी** रोगों के लिये वैश्विक कार्य योजना में **सतत् विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 3.4 की** दिशा में प्रगति में तेज़ी लाने के लिये एक कार्यान्वयन रोडमैप शामिल है, जिसका लक्ष्य गैर-संचारी रोगों से होने वाली असामयिक मौतों को एक तिहाई तक कम करना है।

सेफलोपॉड्स का संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **वाशिंगटन और कैलिफोर्निया में ऑक्टोपस पालन पर प्रतिबंध** लगा दिया गया है। हवाई में भी **सेफलोपॉड्स परिवार से संबंधित ऑक्टोपस के भोजन की मांग को कम** करने के लिये इसी तरह के उपायों पर विचार किया जा रहा है।

सेफलोपॉड्स क्या हैं ?

- **सेफलोपॉड्स समुद्र में रहने वाले बुद्धिमान अकशेरुकी जीवों** का एक समूह है जिसमें कटलफिश, **स्क्विड और ऑक्टोपस** शामिल हैं।
  - **मोलस्क** के एक बड़े समूह को **सेफलोपॉड्स** कहा जाता है। नरम त्वचा/अंग वाले अकशेरुकी जिन्हें मोलस्का के नाम से जाना जाता है, अक्सर पूरी तरह या आंशिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण/शैल में बंद होते हैं।
  - प्रारंभिक **सेफलोपॉड्स में से कई प्रजातियों के सुरक्षात्मक शैल (बाह्य आवरण)** नष्ट हो गए तथा उनमें उच्च बुद्धिमत्ता, लचीली भुजाएँ और छलावरण जैसी विशेषताएँ विकसित हो गईं।
- **विविधता: सेफलोपॉड्स तीन सुपरऑर्डर** वाला एक विविध वर्ग है:
  - **ऑक्टोपोडिफॉर्म्स** (**ऑक्टोपस** और संबंधित प्रजातियां)
  - **डेकापोडिफॉर्म्स** (**स्क्विड, कटलफिश** और संबंधित प्रजातियाँ)
  - **नॉटिलोइड्स** (**नॉटिलस** और संबंधित प्रजातियाँ)
- **शारीरिक संरचना: सेफलोपॉड** शब्द का अर्थ है **"सिर पैर"**, जो उनके सिर और भुजाओं के बीच संबंध को दर्शाता है।
  - सेफलोपॉड्स में **दो आँखें और कम-से-कम आठ भुजाएँ होती** हैं। उदाहरण के लिये, ऑक्टोपस आठ भुजाओं वाले होते हैं जबकि **स्क्विड दस भुजाओं वाले होते हैं।**
  - **नॉटिलस** एकमात्र सेफेलोपोड्स हैं जिनके पास **बाह्य आवरण होता है।**
- **आँखें और दृष्टि:** अधिकांश सेफलोपॉड्स संभवत: **वर्णांध (colorblind) होते** हैं तथा इनमे **दृश्य छद्मावरण (camouflage) होता हैं।**
  - वे अपनी त्वचा के ठीक नीचे स्थित **छोटी थैलियों को खोल और बंद कर सकते हैं जिनमें रंगीन रंगद्रव्य और परावर्तक होते हैं**, जिससे विशिष्ट रंग प्रकट होते हैं।
- **गति:** सेफलोपॉड्स मुख्य रूप से चलने या आगे बढ़ने के लिये **जेट प्रणोदन का उपयोग करते हैं**, जिसमें उनके मेंटल गुहा से पानी छोड़ना शामिल है।
  - ऑक्टोपस **अपनी भुजाओं से चलते हैं**, जबकि स्क्विड और कटलफिश चलने के लिये **पंखों** का उपयोग करते हैं।
- **परिसंचरण तंत्र:** सेफलोपॉड्स में तीन हृदय होते हैं: दो ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करते हैं, और एक ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है।
  - उनका **रक्त ताँबा-आधारित हीमोसायनिन** के कारण नीला होता है, जो लौह-आधारित **हीमोग्लोबिन की तुलना में कम प्रभावी, लेकिन ठंडे, कम ऑक्सीजन वाले वातावरण** में अत्यधिक प्रभावी होता है।
- **मस्तिष्क: सामान्य ऑक्टोपस (ऑक्टोपस वल्गेरिस) में** आधे से अधिक **न्यूरॉन** मस्तिष्क में नहीं होते हैं, बल्कि **भुजाओं में "मिनी-ब्रेन" या गैंग्लिया में वितरित होते हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- केंद्रीय मस्तिष्क में अधिकांश न्यूरॉन्स **दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं** तथा बोध एवं स्मृति के लिये एक चौथाई से भी कम न्यूरॉन्स शेष होते हैं।

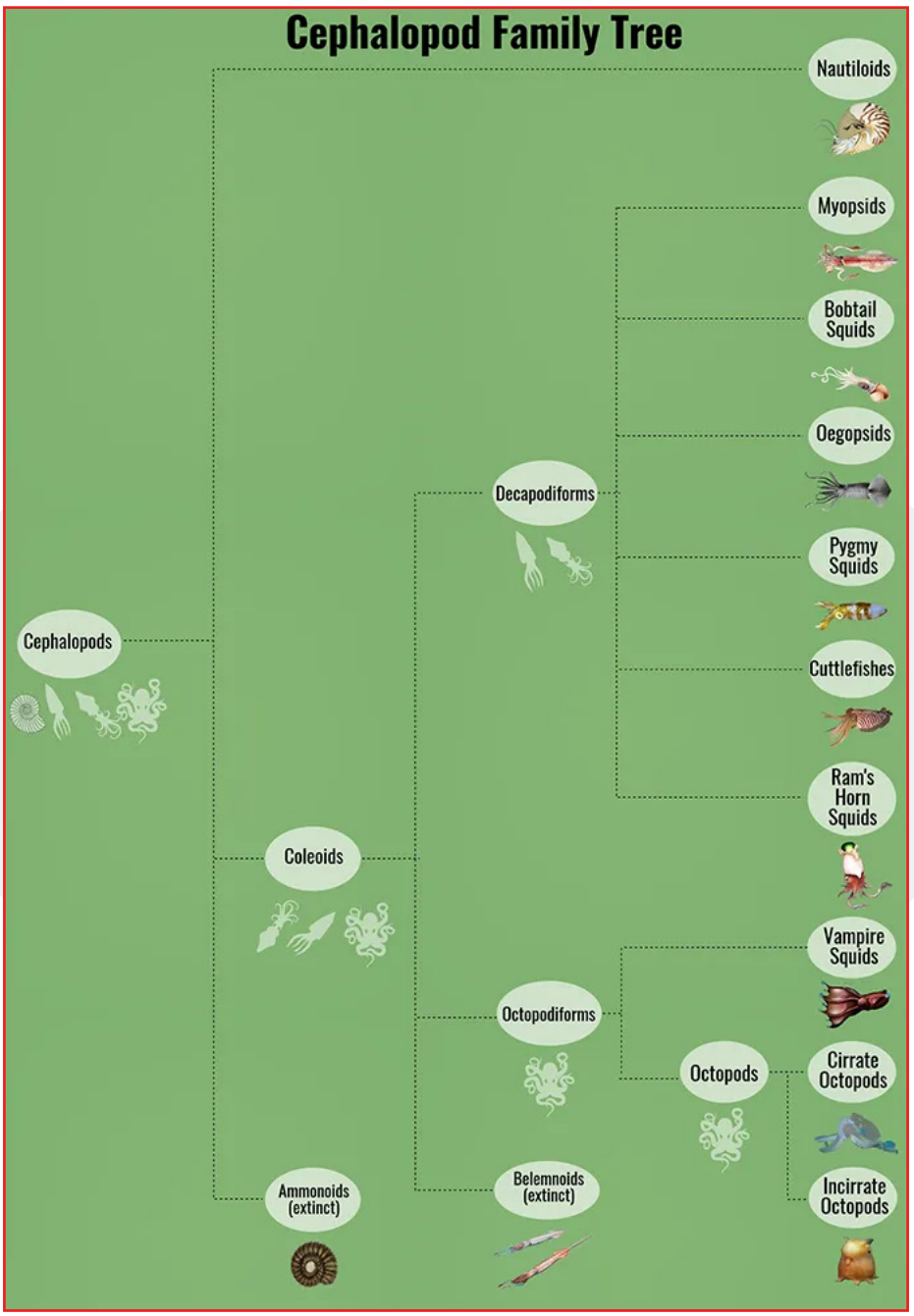

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

हिंद महासागर में हाइड्रोथर्मल वेंट

हाल ही में **भारत के डीप ओशन मिशन** के अंतर्गत हिंद महासागर की **सतह** से 4,500 मीटर नीचे स्थित **एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट** की इमेजिंग करके एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई।

- **समुद्रयान मिशन** और भविष्य के अन्वेषण प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करते हुए यह उपलब्धि भारत के खनिज अन्वेषण और गहरे समुद्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगी।

हाइड्रोथर्मल वेंट क्या हैं ?

- **परिभाषा:** हाइड्रोथर्मल वेंट **गर्म जल के जलमग्न चश्मे (स्प्रिंग)** हैं जो **विवर्तनिक प्लेटों** के निकट पाए जाते हैं, जहाँ भू पर्पटी के नीचे से **गर्म जल और खनिज** धरती से बाहर निकलता है।

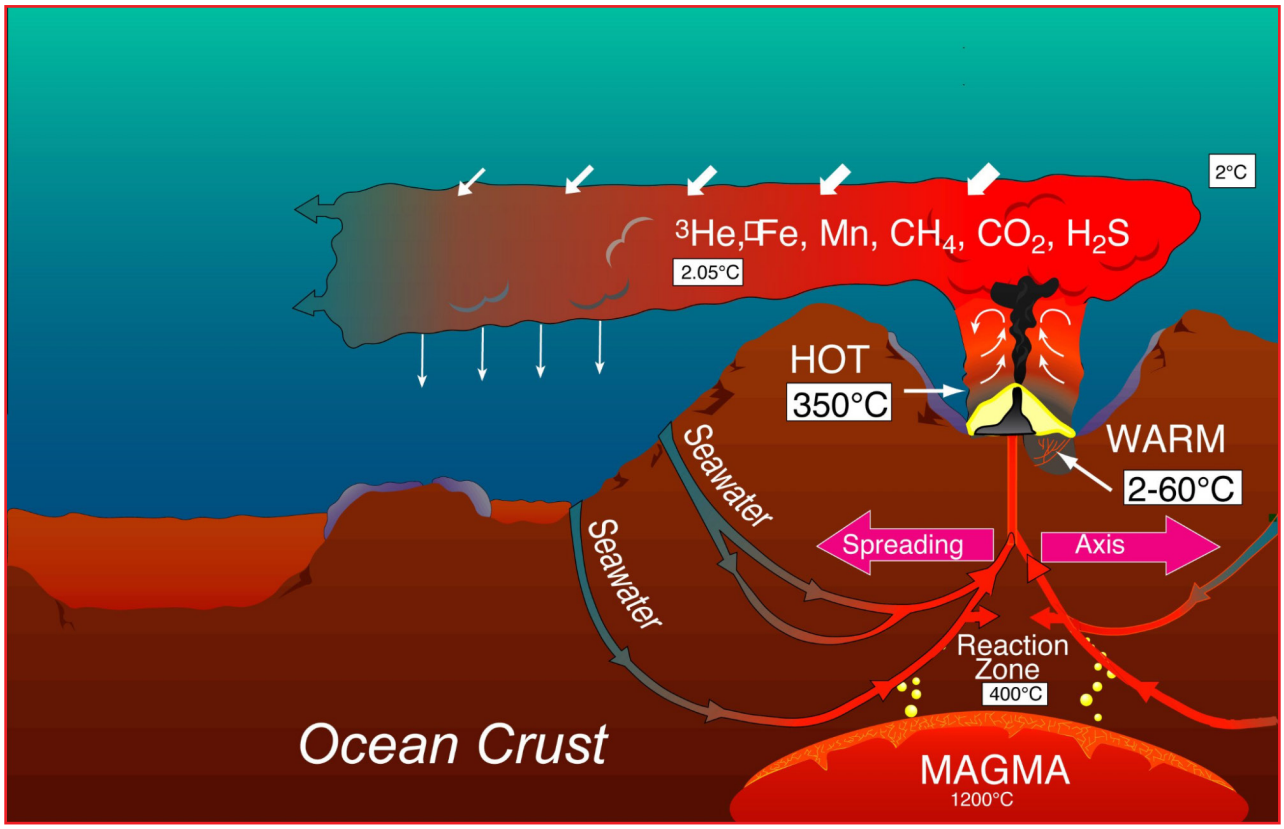

  - हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज पहली बार 1977 में **इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के समीप की गई थी।**
- **निर्माण प्रक्रिया:** महासागरीय जल का, ऐसी **विवर्तनिक प्लेटों** के समीप महासागरीय भूपर्पटी के **विदर (विवर्तनिक प्लेटों के अलग होने से निर्मित दरारें) के माध्यम से नीचे की ओर स्रवण होता है** जो या तो **अलग** हो रही होती हैं **(कटक में विस्तरण) या एक दूसरे की दिशा में गति कर रही होती हैं (सबडक्शन क्षेत्र)।**
  - महासागर तल का ठंडा **जल (लगभग 2°C) गर्म मैग्मा** के संपर्क में आता है **और इसका ताप बढ़कर 370°C** तक हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **गर्म महासागरीय जल, जलतापीय तरल पदार्थ** के रूप में सागर तल से पुन: बाहर निकलता है तथा छिद्रों का निर्माण करता है।
  - महासागरीय जल का हाइड्रोथर्मल वेंट्स में तापमान 700°F से भी अधिक हो सकता है किंतु इसमें क्वथन (Boiling) नहीं होता क्योंकि **गहराई पर उच्च** दाब होता है।

- **हाइड्रोथर्मल वेंट्स के प्रकार:**
  - **ब्लैक स्मोकर्स:** ये वेंट **कण युक्त तरल पदार्थ उत्सर्जित करते हैं,** मुख्य रूप से **आयरन सल्फाइड**, जिससे **काले वर्ण का धुआँकश बनता है।**
  - **व्हाइट स्मोकर्स:** ये वेंट **बेरियम, कैल्शियम और सिलिकॉन युक्त तरल पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, जिससे सफेद वर्ण का धुआँकश बनता है।**

- **महत्त्व:** हाइड्रोथर्मल वेंटिंग से प्राप्त निक्षेपों में ताँबा, जस्ता, सोना, चाँदी, प्लैटिनम, लोहा, कोबाल्ट, निकल और अन्य मूल्यवान खनिज और धातुएँ प्रचुर मात्रा में होती हैं।
  - हाइड्रोथर्मल वेंट्स से ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता हैं जिसमें **रसायन संश्लेषी जीवों** (वे जीव जो ऊर्जा के लिये सूर्य प्रकाश पर निर्भर न रहकर रसायनों पर निर्भर होते हैं) की संवृद्धि होती है।
  - **30,000 वर्षों** तक सक्रिय रहने वाले हाइड्रोथर्मल वेंट में दीर्घकालिक संसाधन उपयोग और अन्वेषण की संभावना होती है।

हाइड्रोथर्मल वेंट्स की भाँति अन्य जियोथर्मल संरचनाएँ

- **गर्म जल के चश्मे:** हाइड्रोथर्मल वेंट्स की तरह, **भूमि पर गर्म जल के चश्मे** ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूताप से गर्म हुआ भूजल सतह से बाहर निकलता है।
  - **ज्वालामुखीय क्षेत्रों में, जल मैग्मा से ऊष्मित शैल** के संपर्क में आता है, जिससे **अत्यधिक कोष्ण जल** उत्पन्न होता है।
  - गैर-ज्वालामुखीय क्षेत्रों में, गहराई बढ़ने के साथ शैलों का ताप भी बढ़ता है (भूतापीय ढाल)। जल का स्रवण उस गहराई तक होता है जहाँ यह गर्म शैलों के संपर्क में आता है और तत्पश्चात् सतह पर इसका परिसंचरण होता है और गर्म जल के चश्मे का निर्माण होता है।
  - **उदाहरण:** मणिकरण (हिमाचल प्रदेश), गौरीकुंड (उत्तराखंड)
- **गीज़र:** ये जियोथर्मल साधन हैं जिनसे **भूमिगत तापन के कारण समय-समय पर जल और भाप बाहर निकलती है।**
  - **ज्वालामुखीय** क्षेत्रों में भूमिगत गुहिकाओं के भरण हेतु **गीजर** को व्यापक मात्रा में भूजल की आवश्यकता होती है। **मैग्मा से ऊष्मित होकर जल भाप में बदल जाता है,** जिससे गर्म जल और भाप का विस्फोट होता है।
  - **उदाहरण: येलोस्टोन नेशनल पार्क (अमेरिका)।**
- **फ्यूमरोल्स:** ये भू पर्पटी के वे विवृत क्षेत्र हैं जिसमें से ज्वालामुखीय गैसें और भाप निकलती है।
  - फ्यूमरोल्स तब उत्पन्न होते हैं जब **मैग्मा जल स्तर से होकर गुज़रता है,** जिससे जल गर्म हो जाता है और भाप ऊपर उठती है तथा **हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S)** जैसी ज्वालामुखीय गैसें सतह पर आ जाती हैं।
  - फ्यूमरोल विशेषता वाले क्षेत्रों को प्राय: **"डाइंग वोल्केनो"** कहते हैं, जहाँ भूमिगत मैग्मा पिंडित और शीतलित हो गया होता है।
  - **उदाहरण: बैरन द्वीप (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)**
- **मडपॉट (Mudpots):** ये बुलबुले युक्त पंक के तालाब हैं जो भूतापीय क्षेत्रों में बनते हैं।
  - सीमित भूतापीय जल का पंक और चिकनी मृदा के साथ संयोजन होने पर इसका निर्माण होता है।
  - **उदाहरण: येलोस्टोन नेशनल पार्क (अमेरिका)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

आयु-संबंधित मांसपेशीय क्षय पर mtDNA उत्परिवर्तन का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

जीनोम रिसर्च में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि **माइटोकॉन्ड्रियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (mtDNA) में विलोपन उत्परिवर्तन उम्र के साथ मांसपेशियों के क्षय** में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

- शोधकर्त्ताओं ने पाया कि ये **उत्परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रियल कार्य को बाधित** करते हैं, जिससे मांसपेशियों का क्षरण होता है। यह खोज आयु-संबंधित मांसपेशीय क्षय को विलंबित करने के लिये संभावित मार्ग प्रस्तुत करती है।

माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ?

- **परिचय: माइटोकॉन्ड्रिया** झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग हैं जो अधिकांश **यूकेरियोटिक कोशिकाओं** के कोशिकाद्रव्य में पाए जाते हैं।
  - **कोशिका के "पावरहाउस"** के रूप में संदर्भित माइटोकॉन्ड्रिया विभिन्न कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिये **आवश्यक ऊर्जा के उत्पादन के लिये महत्त्वपूर्ण** हैं।
  - माइटोकॉन्ड्रिया **विशेष रूप से माँ के अंडाणु (एग सेल)** के माध्यम से **वंशानुगत** प्राप्त होते हैं।
- **महत्त्वपूर्ण कार्य:**
  - **ATP उत्पादन:** माइटोकॉन्ड्रिया **एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (ATP)** उत्पन्न करते हैं, जो कोशिकाओं में प्राथमिक ऊर्जा वाहक है।
    - ATP लगभग सभी कोशिकीय कार्यों के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिसमें मांसपेशी संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण (वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएँ DNA से प्रोटीन बनाती हैं) और कोशिका विभाजन शामिल हैं।
  - **कोशिकीय श्वसन:** माइटोकॉन्ड्रिया **कोशिकीय श्वसन** (भोजन को तोड़ते हैं और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं) में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
  - **कोशिका मृत्यु का विनियमन:** माइटोकॉन्ड्रिया **एपोप्टोसिस** (कोशिका मृत्यु का एक प्रकार) को विनियमित करने में शामिल होते हैं, जो स्वस्थ ऊतकों और अंगों को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA):** अधिकांश अन्य अंगों के विपरीत, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है, जिसे **mtDNA** के नाम से जाना जाता है।
  - mtDNA **विलोपन उत्परिवर्तन के लिये प्रवण** है, जहाँ **DNA के कुछ हिस्से नष्ट हो जाते** हैं। इन उत्परिवर्तनों का कोशिकीय कार्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
    - mtDNA में विलोपन उत्परिवर्तन अणु को छोटा और कम कार्यात्मक बनाता है। उत्परिवर्तित mtDNA प्रतिकृतिकरण के दौरान **स्वस्थ mtDNA से प्रतिस्पर्द्धा** कर सकता है, जिसके कारण **माइटोकॉन्ड्रियल कार्य में क्रमिक गिरावट** आ सकती है।

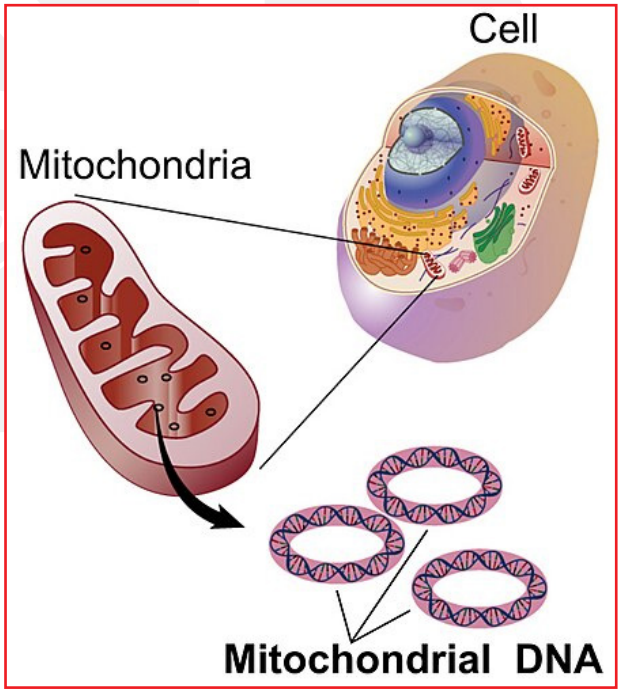

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

विशेषता	परमाणु जीनोम (DNA)	माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA)
आकार	3.2 अरब आधार युग्म	16,569 आधार युग्म
आकार	रेखीय, 23 गुणसूत्रों में संगठित	गोलाकार
जीन	~20,000 प्रोटीन-कोडिंग जीन और ~15,000-20,000 गैर-कोडिंग जीन	13 प्रोटीन-कोडिंग जीन, 24 गैर-कोडिंग जीन
वंशानुगत	माता-पिता दोनों से वंशानुगत प्राप्त होते हैं	केवल माँ से वंशानुगत प्राप्त होते हैं
जगह	नाभिक में पाया जाता है	माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है
समारोह	अधिकांश प्रोटीन बनाने के लिये निर्देशों को एनकोड करता है	माइटोकॉन्ड्रियल कार्य के लिये महत्त्वपूर्ण प्रोटीन को एनकोड करता है

नोट: जीन DNA का एक खंड है जिसे **मैसेंज़र आरएनए (mRNA) में ट्रांसक्राइब किया** जाता है। फिर mRNA नाभिक से **कोशिका द्रव्य** में चला जाता है, जहाँ कोशिका इसका उपयोग प्रोटीन बनाने के लिये करती है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

- **mtDNA उत्परिवर्तन:** अध्ययन में पाया गया है कि **माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA) में विलोपन उत्परिवर्तन** उम्र के साथ मांसपेशियों की हानि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **शिथिलता और मांसपेशी हानि:** उत्परिवर्तन **माइटोकॉन्ड्रियल कार्य को बाधित करते** हैं, जिससे मांसपेशी कोशिकाओं को पर्याप्त ATP उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, जिससे **मांसपेशी कोशिका का अपक्षयन और मृत्यु** हो जाती है।
  - अध्ययन में पाया गया कि mtDNA विलोपन के कारण **काइमेरिक जीन का निर्माण होता है** (जहाँ दो अलग-अलग माइटोकॉन्ड्रियल जीन मिलकर असामान्य अनुक्रम बनाते हैं)।
    - ये काइमेरिक जीन mtDNA की सामान्य अभिव्यक्ति को बाधित करते हैं, जिससे माइटोकॉन्ड्रियल शिथिलता और अधिक बढ़ जाती है।
- **आयु-संबंधी परिवर्तन:** शोधकर्त्ताओं ने पाया कि वृद्ध व्यक्तियों में mtDNA विलोपन के कारण **काइमेरिक माइटोकॉन्ड्रियल mRNA में दो गुना वृद्धि देखी गई, जो असामान्य जीन अभिव्यक्ति** के साथ, **मांसपेशियों और मस्तिष्क के ऊतकों में माइटोकॉन्ड्रियल शिथिलता और उम्र बढ़ने की गति** को तेज़ करता है।
- **जैविक आयु संकेतक:** mtDNA विलोपन उत्परिवर्तन और काइमेरिक mRNA जैविक आयु के लिये मूल्यवान बायोमार्कर हैं।
  - उनके महत्त्व को समझने से **ऐसी चिकित्सा पद्धति** विकसित हो सकती है जो इन **उत्परिवर्तनों को रोक सकती है या उनकी मरम्मत कर सकती है,** जिससे संभावित रूप से **आयु-संबंधित मांसपेशी हानि और अन्य बुढ़ापे के लक्षणों** में देरी देखने को मिल सकती है।

सर आइजैक न्यूटन का योगदान

चर्चा में क्यों ?

25 दिसंबर 1642 को जन्मे सर आइजैक न्यूटन इतिहास के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनकी **382वीं जयंती पर**, विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है, जो आज भी विश्व की समझ को आकार दे रहा है।

आइजैक न्यूटन कौन थे ?

- **प्रारंभिक जीवन:** आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड के वूल्सथॉर्प में हुआ था। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उनकी गणित, प्रकाशिकी, भौतिकी और खगोल विज्ञान में रुचि विकसित हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

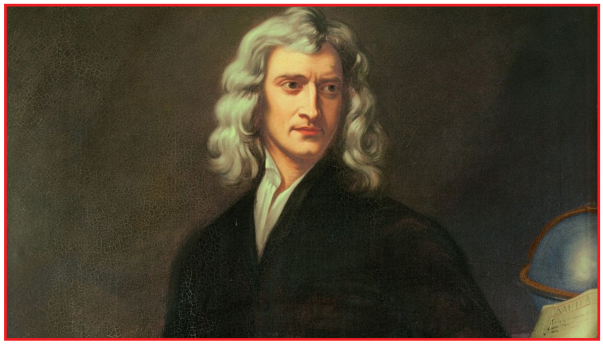

- स्नातक होने के बाद, वह कैम्ब्रिज में प्रोफेसर बन गए और बाद में **गणित के प्रतिष्ठित दूसरे लुकासियन चेयर** पर आसीन हुए।
  - कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में **किंग चार्ल्स द्वितीय** द्वारा वर्ष 1664 में स्थापित गणित की लुकासियन चेयर, **विश्व के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक पदों** में से एक है।
- वर्ष 1705 में, रानी ऐनी (ग्रेट ब्रिटेन की रानी) ने आइजैक न्यूटन को **"सर"** की उपाधि देते हुए नाइट से सम्मानित किया।

न्यूटन का योगदान:

गति के नियम:

- **प्रथम नियम (जड़त्व):** जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता तब तक वह स्थिर या एकसमान गति में रहती है।
  - यह सिद्धांत आधुनिक भौतिकी में आधारभूत है, जो **कार दुर्घटनाओं से लेकर अंतरिक्ष में उपग्रह की गति** तक सब कुछ समझाता है।
- **दूसरा नियम (बल और त्वरण):** न्यूटन ने स्थापित किया कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है **(F=ma)**।
  - इस सिद्धांत का प्रयोग इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस और वाहन डिजाइन में **संरचनाओं और मशीनों को बलों का सामना करने** में सहायता करने के लिये किया जाता है।
- **तृतीय नियम (क्रिया और प्रतिक्रिया):** प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
  - यह नियम **रॉकेट प्रणोदन** और चलने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों का आधार है।

गुरुत्वाकर्षण (g) और गुरुत्वाकर्षण (G):

- **गुरुत्वाकर्षण:** सर आइजैक न्यूटन ने 1660 के दशक के अंत में **गुरुत्वाकर्षण** के अस्तित्व की खोज की थी।
  - गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा कोई ग्रह या अन्य पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है।
- **गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम:** न्यूटन ने पहचाना कि **दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती** होता है और **उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती** होता है, जिसका अर्थ है कि **जैसे-जैसे वस्तुएँ एक-दूसरे से दूर होती जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण कमज़ोर** होता जाता है।
  - उनके कार्य ने **ग्रहों की गति** और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली शक्तियों की समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया।
  - यह नियम ग्रहों की गति की व्याख्या करता है तथा **उपग्रहों की कक्षाओं** और **अंतरिक्ष अन्वेषण** के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **प्रकाशिकी: प्रकाश की प्रकृति** पर उनके शोध से यह खोज हुई कि **श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का संयोजन है,** जिसे उन्होंने प्रिज्म (त्रि-आयामी ठोस वस्तु) का उपयोग करके प्रदर्शित किया।
- **परावर्तक दूरबीन: लेंस का उपयोग करने वाली दूरबीनों में रंगीन विपथन** (रंग विरूपण) की समस्या को हल करने के लिये, आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1668 में **परावर्तक दूरबीन** का निर्माण किया।
- प्राथमिक लेंस के स्थान पर दर्पण लगाकर, वह रंगीन विपथन को समाप्त करने और छवि की स्पष्टता में वृद्धि करने में सक्षम हो गये।
- **गणित:** एक गणितज्ञ के रूप में, न्यूटन को गाटफ्रीड विलहेल्म लाइबनिज के साथ मिलकर *कैलकुलस* विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, यह एक ऐसा उपकरण था जिसका विज्ञान और इंजीनियरिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।
- **उल्लेखनीय कार्य:** वर्ष 1687 में आइज़क न्यूटन द्वारा प्रकाशित *'फिलासफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमैटिका'*, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, ने यांत्रिकी (वस्तुओं और बलों की गति का अध्ययन) की खोज की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- न्यूटन ने कीमिया/एल्केमी (आधारभूत धातुओं को सोने में बदलने के अध्ययन से संबंधित) पर दशकों तक अध्ययन किया, हालाँकि वह असफल रहे, लेकिन उनके कीमिया संबंधी कार्य ने रसायन विज्ञान और भौतिकी को मिलाकर पदार्थ और प्रकाशिकी की उनकी समझ को प्रभावित किया।
- **पुरस्कार:** आइज़क न्यूटन पदक और पुरस्कार, भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिये, यूके और आयरलैंड में भौतिकी के लिये एक सोसायटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स (IOP) द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु बायोडायवर्सिटी क्रेडिट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, जर्नल **प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने बायोडायवर्सिटी क्रेडिट बाज़ार की प्रभावशीलता** पर संदेह जताया है, जिसे जैवविविधता संरक्षण के लिये एक **संभावित गेम-चेंजर** के रूप में बताया जा रहा है।

- अध्ययन में **बाज़ार की महत्त्वपूर्ण अनिश्चितताओं** पर भी ज़ोर दिया गया है साथ ही यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या इस रणनीति के लाभ, जिसका **उद्देश्य जैव विविधता की हानि का प्रतिकार** करना है, वास्तव में संभावित नुकसान से अधिक हैं।

बायोडायवर्सिटी क्रेडिट क्या हैं ?

- **परिचय:** बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एक **सत्यापन योग्य, मात्रात्मक और विपणन योग्य वित्तीय साधन** है जो एक निश्चित अवधि में **भूमि या महासागर आधारित जैवविविधता इकाइयों** के निर्माण और बिक्री के माध्यम से सकारात्मक प्रकृति और जैवविविधता परिणामों (जैसे प्रजातियाँ, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक आवास) को पुरस्कृत करता है।
  - 'बायोडायवर्सिटी क्रेडिट' पहल की शुरुआत **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** द्वारा पर्यावरण के लिये **मात्रात्मक लाभ** हेतु नए वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिये गई थी।
- **क्रियाविधि:** बायोडायवर्सिटी क्रेडिट **कार्बन क्रेडिट** के समान कार्य करते हैं।
  - जब कोई **कंपनी या सरकार** जैवविविधता को हानि पहुँचाती है, तो वे **अन्यत्र संरक्षण प्रयासों** के लिये भुगतान करके **क्षतिपूर्ति** कर सकते हैं।
  - विचार यह है कि संरक्षण के लिये निजी वित्तपोषण को आकर्षित करते हुए **प्रतिपूरक कार्यों** के माध्यम से जैवविविधता को होने वाली **समग्र क्षति को संतुलित** किया जाए।
- **भविष्य की संभावना:** WEF का अनुमान है कि बायोडायवर्सिटी क्रेडिट बाज़ार का मूल्य **8 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है, जो **वर्ष 2030 तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर** और **वर्ष 2050 तक 69 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है।
  - **कुनमिंग -मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 में वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर** जुटाने के लिये **पारिस्थितिकी तंत्र सेवा भुगतान, ग्रीन बॉण्ड और बायोडायवर्सिटी क्रेडिट** जैसे वित्तपोषण तंत्रों का आह्वान किया गया है। इसके अनुरूप, **बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस (BCA)** का शुभारंभ किया गया।

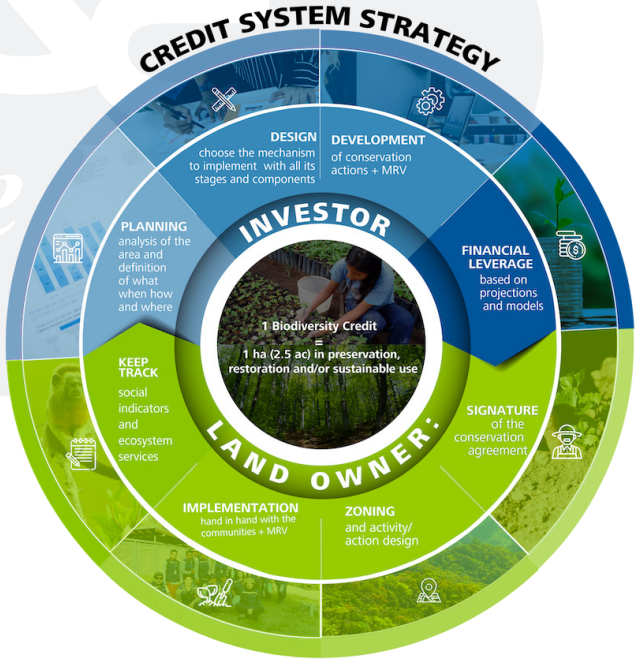

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अलायंस (BCA)

- **परिचय:** BCA एक **स्वैच्छिक** अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जो **कुनमिंग -मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क** के कार्यान्वयन में सहायता के लिये **विविध हितधारकों** को एक साथ लाता है।
  - यह लक्ष्य 19(c) और (d) पर ध्यान केंद्रित करता है, जो **"निजी क्षेत्र को जैवविविधता में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करता है"**, अन्य बातों के अलावा **"सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ बायोडायवर्सिटी क्रेडिट" का उपयोग** करता है।
- **पृष्ठभूमि:** BCA को दिसंबर 2022 में **मॉन्ट्रियल, कनाडा में जैवविविधता पर कन्वेंशन (CBD COP 15) की 15 वीं बैठक** के दौरान लॉन्च किया गया था।
  - BCA सचिवालय को **UNDP, UNEP-वित्त पहल (UNEP FI)** और **स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (SIDA) द्वारा सहायता** प्रदान की जाती है।
- **उद्देश्य:** BCA **उच्च स्तरीय, विज्ञान आधारित सिद्धांतों** की रूपरेखा का निर्माण करके एक **विश्वसनीय और मापनीय** बायोडायवर्सिटी क्रेडिट बाज़ार के निर्माण के लिये मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **प्रमुख हितधारक:** इसमें **स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों और निजी क्षेत्र** के प्रतिनिधि शामिल हैं, तथा **सतत् विकास के लिये विश्व व्यापार परिषद (WBCSD)** प्रमुख भागीदार है।

जैवविविधता संरक्षण से संबंधित पहल क्या हैं ?

- **भारत:**
  - **भारत व्यापार एवं जैवविविधता पहल (IBBI)**
  - **आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2010**
  - **जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय योजना**
  - **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो**
  - **जैवविविधता अधिनियम, 2002**
- **वैश्विक:**
  - **नागोया प्रोटोकॉल**
  - **वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)**
  - **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर**

बायोडायवर्सिटी क्रेडिट बाज़ार से संबंधित चिंताएँ क्या हैं ?

- **दोषपूर्ण अवधारणा:** जब कोई कंपनी या सरकार जैवविविधता को नुकसान पहुँचाती है, तो वे अन्यत्र संरक्षण भुगतान के माध्यम से **नुकसान की भरपाई** कर सकते हैं, लेकिन इसकी **आलोचना इस आधार पर की जाती है** कि इससे **नुकसान को रोकने** एवं **मूल कारणों का समाधान करने** के बजाय **उसे अन्यत्र स्थानांतरित** कर दिया जाता है।
- **विस्थापन और भूमि अधिग्रहण: धनी निगम एवं राष्ट्र ग्लोबल साउथ** के गरीब देशों से क्रेडिट खरीद सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप **भूमि अधिग्रहण के साथ** स्थानीय समुदायों के विस्थापन की संभावना बढ़ जाती है।
  - विस्थापन एवं भूमि तथा संसाधनों तक पहुँच सीमित होने से **महिलाएँ एवं हाशिये के समूह असमान** रूप से प्रभावित होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सटीक मापन का अभाव: कार्बन क्रेडिट** के विपरीत (जो **एक टन CO_2 या CO_2 समतुल्य** के रूप में मानकीकृत होते हैं) बायोडायवर्सिटी क्रेडिट को **हेक्टेयर** में मापा जाता है जिससे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों, महाद्वीपों और **बायोम में जैवविविधता को समान** करना जटिल हो जाता है।
  - **इसके अतिरिक्त** वनों की कटाई जैसी नकारात्मक गतिविधियाँ जब **अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित** हो जाती हैं तब **वहाँ उत्सर्जन** होता है जैसे कि किसानों द्वारा **बायोडायवर्सिटी क्रेडिट अपनाने के बाद नई भूमि** को कृषि हेतु परिवर्तित करना।
- **प्रणालीगत परिवर्तनों में विलंब**: बायोडायवर्सिटी क्रेडिट से एक **अस्थायी समाधान मिल** सकता है, जिससे जैवविविधता हानि से निपटने के लिये आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तनों में विलंब हो सकता है।
  - बायोडायवर्सिटी क्रेडिट (जो अक्सर **अल्प अवधि** के लिये जारी किये जाते हैं) **दीर्घकालिक प्रभावों का** आकलन करना कठिन बना देते हैं, क्योंकि **तितली जैसे समूहों** के सटीक मूल्यांकन हेतु दीर्घकालिक डेटा की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- **मूल कारण को हल करना: सर्वप्रथम जैवविविधता की हानि को रोकने की दिशा में** प्रयास (जैसे वनों की कटाई, अधारणीय कृषि या जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन को सीमित करना) किये जाने चाहिये।
- **संदर्भ-विशिष्ट मेट्रिक्स:** केवल भूमि क्षेत्र से परे **प्रजातियों की अंत:क्रिया, पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक महत्व** को ध्यान में रखते हुए संदर्भ-विशिष्ट मेट्रिक्स विकसित करना चाहिये।
- **समग्र दृष्टिकोण की ओर बदलाव:** जैवविविधता विनाश को बढ़ावा देने वाले उद्योगों (जैसे, **कृषि, वानिकी एवं खनन**) को बदलने के साथ **चक्रीय अर्थव्यवस्थाओं** को बढ़ावा देने एवं जैवविविधता संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिये सभी क्षेत्रों में नीतिगत रूपरेखाओं को संरेखित करने पर बल देना चाहिये।
- **निगरानी और रिपोर्टिंग:** नागरिक समाज एवं स्थानीय समुदायों को **परियोजनाओं की जाँच करने, निगमों को जवाबदेह बनाने** तथा यह सुनिश्चित करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये कि बायोडायवर्सिटी क्रेडिट से वास्तविक संरक्षण परिणाम प्राप्त हों।
- **गैर-बाज़ार आधारित दृष्टिकोण:** बायोडायवर्सिटी क्रेडिट जैसे **बाज़ार आधारित समाधानों से प्रत्यक्ष, प्रकृति आधारित समाधानों** की ओर बदलाव की आवश्यकता है, जिससे संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने एवं समुदाय आधारित संरक्षण का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किये जाने के साथ प्रकृति के आंतरिक मूल्य को महत्व मिलता हो।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: जैवविविधता में गिरावट के कारणों को दूर करने में बायोडायवर्सिटी क्रेडिट की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

बेलगाम कॉन्ग्रेस अधिवेशन के 100 वर्ष

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 1924 के बेलगाम कॉन्ग्रेस अधिवेशन की शताब्दी का आयोजन 26-27 दिसंबर 2024 को कर्नाटक के बेलगाम में किया गया।

- यह आयोजन बेलगाम में ऐतिहासिक **39वें अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस अधिवेशन की महात्मा गांधी की अध्यक्षता के स्मरण में होता है,** जहाँ उन्होंने कॉन्ग्रेस पार्टी की विचारधारा एवं संगठनात्मक संरचना में प्रमुख योगदान दिया था।

वर्ष 1924 के कॉन्ग्रेस के बेलगाम अधिवेशन का क्या महत्त्व है ?

- **गांधी जी का नेतृत्व:** यह **एकमात्र कॉन्ग्रेस अधिवेशन था** जिसकी **अध्यक्षता गांधी जी ने** पार्टी प्रमुख के रूप में की थी। **गांधी, दिसंबर 1924 से अप्रैल 1925** तक **कॉन्ग्रेस अध्यक्ष** के पद पर रहे।
  - वर्ष 1916 में गांधी ने बेलगाम की पहली यात्रा स्थानीय नेता देशपांडे के निमंत्रण पर की थी।
- **सामाजिक परिवर्तन पर बल:** गांधी ने **अस्पृश्यता को समाप्त करने, खादी को बढ़ावा देने** तथा **ग्रामोद्योग** को समर्थन देने पर बल दिया, जिससे कॉन्ग्रेस के तहत राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक सुधार दोनों के लिये आंदोलन शुरू हुआ।
  - **कॉन्ग्रेस** सदस्यों के लिये खादी कातना अनिवार्य था और मासिक रूप से 2,000 गज खादी कपड़ा बनाना अनिवार्य था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

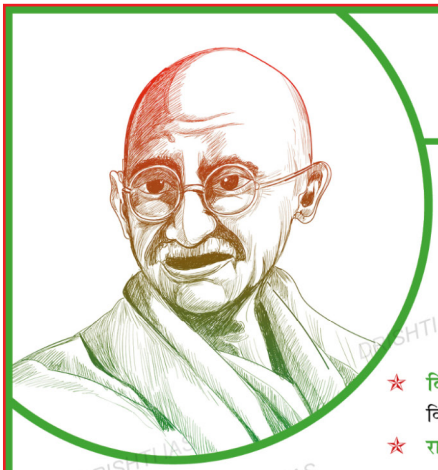

मोहनदास करमचंद गांधी

संक्षिप्त परिचय

- जन्म: **2** अक्तूबर, **1869**; पोरबंदर (गुजरात)।
  - **2** अक्तूबर को **अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
- प्रोफाइल: वकील, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्त्ता, लेखक तथा राष्ट्रवादी आंदोलनों के नेतृत्वकर्त्ता।
  - राष्ट्रपिता (सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नाम से संबोधित किया)।
- विचारधारा: अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, प्रकृति की देखभाल, करुणा, दलितों के कल्याण आदि के विचारों में विश्वास करते थे।
- राजनीतिक गुरु: गोपाल कृष्ण गोखले

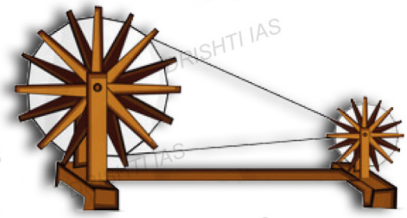

- मृत्यु: नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या (**30 जनवरी, 1948**)।
  - **30** जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- नोबेल शांति पुरस्कार के लिये पाँच बार नामित किया गया।

दक्षिण अफ्रीका में गांधी (1893–1915)

- नस्लवादी शासन (मूल अफ्रीकी और भारतीयों के साथ भेदभाव) के खिलाफ सत्याग्रह।
  - दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष **9** जनवरी को **प्रवासी भारतीय दिवस (PBD)** मनाया जाता है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

- छोटे पैमाने के विभिन्न आंदोलन जैसे- चंपारण सत्याग्रह **(1917)**, प्रथम सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918)- पहली भूख हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह **(1918)**- पहला असहयोग।
- राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन: रॉलेट एक्ट के खिलाफ **(1919)**, असहयोग आंदोलन **(1920-22)**, सविनय अवज्ञा आंदोलन **(1930&34)**, भारत छोड़ो आंदोलन **(1942)**।
- गांधी-इरविन समझौता **(1931)**: गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जिसने सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत को चिह्नित किया।
- पूना पैक्ट **(1932)**: गांधी और **बी.आर. अंबेडकर** के बीच; इसने वंचित वर्गों के लिये अलग निर्वाचक मंडल के विचार को छोड़ दिया (सांप्रदायिक पंचाट)।

पुस्तकें

हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ (आत्मकथा)

साप्ताहिक पत्रिकाएँ

हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन

गांधी शांति पुरस्कार

भारत द्वारा गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिये दिया जाता है।

उद्धरण

- **"खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, सामंजस्य में हों।"**
- **"कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है।"**
- **"आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिये। मानवता सागर के समान है; यदि सागर की कुछ बूँदें गंदी हैं, तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता।"**

- गांधी ने **कॉन्ग्रेस की सदस्यता शुल्क में 90%** की कटौती की।

- **हिंदू-मुस्लिम एकता:** गांधी ने इस मंच का उपयोग हिंदू-मुस्लिम एकता की वकालत करने के लिये किया, जो व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के लिये आवश्यक था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सामाजिक और आर्थिक उत्थान:** गांधीजी ने **स्वच्छता, नगर नियोजन** और **किसानों के आर्थिक उत्थान के लिये गायों के उपयोग** जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसमें **गौरक्षा** पर विशेष ध्यान दिया गया।
  - उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि **गौरक्षा के लिये उनकी वकालत का धर्मांतरण या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा से कोई संबंध नहीं** है।
  - उन्होंने **सफाई स्वयंसेवकों की प्रशंसा यह देखते हुए कि इसमें** 70 में से 40 ब्राह्मण थे, उन्होंने **विभिन्न जातियों की सामाजिक सेवा** पर ज़ोर दिया।
  - उन्होंने **अधिवेशन में VIP पर अत्यधिक व्यय की आलोचना** की तथा भविष्य के अधिवेशनों में **सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार** करने का आह्वान किया।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** इस अधिवेशन में उल्लेखनीय संगीत प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिनमें हिंदुस्तानी संगीत के उस्ताद **विष्णु दिगंबर पलुस्कर** और युवा **गंगूबाई हंगल** ने हिस्सा लिया, साथ ही कन्नड़ गीत **"उदयवगली नम्मा चलुवा कन्नड़ नाडु"** भी प्रस्तुत किया गया।
- **अधिवेशन की विरासत:** अधिवेशन के लिये खोदा गया **पंपा सरोवर कुआँ,** दक्षिण बेलगावी के कुछ हिस्सों को **जलापूर्ति** करता है।

भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के प्रमुख अधिवेशन

- **1885:** बंबई में *प्रथम अधिवेशन,* डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में - भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का गठन।
- **1886:** कलकत्ता में *दूसरा अधिवेशन,* दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में।
- **1887:** मद्रास में *तीसरा अधिवेशन,* सैयद बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में - पहले मुस्लिम अध्यक्ष।
- **1888:** इलाहाबाद में *चौथा अधिवेशन,* जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में - प्रथम अंग्रेज़ अध्यक्ष।
- **1896:** *कलकत्ता* - रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' गाया गया।
- **1901:** *कलकत्ता* - कॉन्ग्रेस मंच पर गांधीजी की पहली उपस्थिति।
- **1905:** *बनारस* - **स्वदेशी आंदोलन** की औपचारिक घोषणा। **गोपाल कृष्ण गोखले** की अध्यक्षता में आयोजित।
- **1906:** *कलकत्ता - राष्ट्रपति दादाभाई नौरोजी (अध्यक्ष)* - **स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी** और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव।
- **1907:** *सूरत* - रास बिहारी घोष (अध्यक्ष) - **नरमपंथियों और गरमपंथियों** के बीच विभाजन।
- **1916:** *लखनऊ* - राष्ट्रपति ए.सी. मजूमदार (अध्यक्ष) - नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच एकता; मुस्लिम लीग के साथ **लखनऊ समझौता।**
- **1917:** *कलकत्ता* - राष्ट्रपति एनी बेसेंट (अध्यक्ष) - कॉन्ग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष।
- **1919:** *अमृतसर - राष्ट्रपति मोतीलाल नेहरू (अध्यक्ष)* - **खिलाफत आंदोलन** के लिये समर्थन।
- **1920:** *कलकत्ता* - राष्ट्रपति लाला लाजपत राय (अध्यक्ष) - गांधीजी ने **असहयोग प्रस्ताव** पेश किया।
- **1924:** *बेलगाम* - महात्मा गांधी (अध्यक्ष)- **गांधीजी की अध्यक्षता** वाला एकमात्र अधिवेशन।
- **1927:** *मद्रास - राष्ट्रपति डॉ. एम.ए. अंसारी* (अध्यक्ष) - **साइमन कमीशन** के खिलाफ और पूर्ण स्वराज के लिये प्रस्ताव।
- **1929:** *लाहौर* - राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू (अध्यक्ष)- पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरूआत।
- **1931:** *कराची - राष्ट्रपति वल्लभभाई पटेल (अध्यक्ष)*- **मौलिक अधिकारों** और **राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम** पर प्रस्ताव।
- **1936:** *लखनऊ* - राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू (अध्यक्ष)- समाजवादी विचारों की ओर झुकाव।
- **1938:** *हरिपुरा* - राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस (अध्यक्ष - राष्ट्रीय योजना समिति का गठन।
- **1939:** *त्रिपुरी* - राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद (अध्यक्ष)- बोस पुन: निर्वाचित लेकिन त्यागपत्र दे दिया; फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ।
- **1940:** *रामगढ़* - राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद (अध्यक्ष) - सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित।
- **1946:** *मेरठ* - अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी (अध्यक्ष)- स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम अधिवेशन।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि

हाल ही में **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने बताया कि रुपए की **वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)** अक्तूबर 2024 में 107.20 से नवंबर 2024 में **108.14 तक पहुँच गई, जो इस वर्ष का उच्चतम स्तर है।**

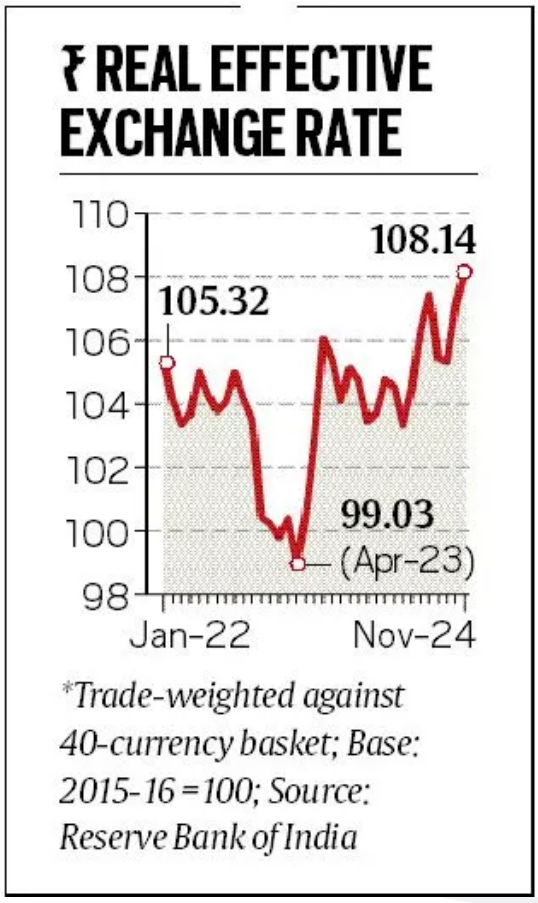

REER से संबंधित RBI के निष्कर्ष क्या हैं ?

- **रिकॉर्ड उच्च REER मूल्य:** रुपए का 108.14 का REER वर्ष 2015-16 से अधिमूल्यन को इंगित करता है, जो **अमेरिकी डॉलर** के सामने **अंकित मूल्यह्रास** के बावजूद **निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कमज़ोर करता है, जो अंकित प्रभावी विनिमय दर (NEER) और REER सूचकांकों में** विरोधाभास को दर्शाता है।
  - 100 से अधिक REER का अर्थ है आधार वर्ष (वर्ष 2015-16) की तुलना में अधिक मूल्यांकन जिससे निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो जाती है, जबकि 100 से कम का मान न्यूनतम मूल्यांकन को दर्शाता है।
- **अस्थिरता की प्रवृत्ति:** रुपए में प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के बीच **सबसे कम अस्थिरता देखी गई** (अन्य मुद्राओं की तुलना में इसमें मज़बूती आई), जबकि उभरते बाज़ारों की मुद्राओं में बढ़ते अमेरिकी **बॉण्ड प्रतिभूति** और **मज़बूत डॉलर सूचकांक के कारण निकासी हुई।**
- **व्यापार संतुलन के निहितार्थ:** REER के अनुसार **रुपए का अधिक मूल्य निर्धारण, भारतीय निर्यात को** महंगा बनाता है, जिससे वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा कम होती है।
  - साथ ही इससे आयात लागत भी कम हो जाती है, जिससे **व्यापार घाटा** बढ़ने की संभावना रहती है।
- **पूंजी बहिर्वाह:** उच्च **बॉण्ड प्राप्ति** और सुरक्षित-आश्रय परिसंपत्तियों की वैश्विक मांग से प्रेरित **अमेरिकी डॉलर के मज़बूत होने से भारत से पूंजी बहिर्वाह देखने को मिला है,** जिससे रुपए पर दबाव पड़ा है।

NEER और REER क्या है और इनका महत्त्व क्या है ?

- **परिभाषा:**
  - **NEER: अंकित प्रभावी विनिमय दर (NEER)** एकाधिक व्यापारिक साझेदार मुद्राओं के सापेक्ष किसी मुद्रा की द्विपक्षीय **विनिमय दरों** का भारित औसत है।
    - यह देशों के बीच **मुद्रास्फीति** या मूल्य स्तर के अंतर को ध्यान में रखे बगैर अंकित मुद्रा के सामर्थ्य को दर्शाता है।
    - **NEER** में वृद्धि अंकित मूल्यवृद्धि का संकेत देती है, जबकि गिरावट मूल्यह्रास का संकेत देती है।
  - **REER: वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER)** घरेलू अर्थव्यवस्था और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच **सापेक्ष मूल्य स्तरों (मुद्रास्फीति)** को समायोजित करके NEER में सुधार करती है।
    - **REER** की गणना **NEER को** घरेलू मूल्य सूचकांकों और विदेशी मूल्य सूचकांकों के अनुपात से गुणा करके की जाती है, जिससे यह क्रय **शक्ति समता (PPP)** -समायोजित माप बन जाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **NEER/REER सूचकांक:** भारत के लिये **NEER/REER सूचकांक में छह मुद्राएँ शामिल हैं:** अमेरिकी डॉलर (USD), यूरो (EUR), जापानी येन (JPY), ब्रिटिश पाउंड (GBP), चीनी युआन (CNY) और सिंगापुर डॉलर (SGD)।
  - NEER/REER **सूचकांक को** संशोधित कर इसमें 36 मुद्राओं की एक व्यापक टोकरी को शामिल किया गया है।
- **प्रभावित करने वाले कारक: NEER/REER उत्पादकता अंतर** (प्रतिस्पर्द्धा प्रभावित होना), **व्यापार शर्तें** (निर्यात/आयात संतुलन का प्रभावित होना), **मुद्रास्फीति** (मुद्रा मूल्य का कम होना) और **राजकोषीय व्यय** (आर्थिक स्थिरता और मांग का प्रभावित होना) से प्रभावित होते हैं।

- **NEER का महत्त्व:**
  - **व्यापार-भारित सूचकांक:** NEER एक मुद्रा के विभिन्न व्यापारिक साझेदारों के विरुद्ध अंकित प्रदर्शन का आकलन करता है, तथा व्यापक बाह्य मुद्रा प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **सीमित अंतर्दृष्टि:** यह **मुद्रास्फीति के अंतर को नज़रअंदाज करता है,** इसलिये **NEER** वास्तविक व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता या क्रय शक्ति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
- **व्यापक आर्थिक उपयोग:** नीति निर्माता मुद्रा की मज़बूती के रुझान को समझने और आवश्यकता पड़ने पर अंकित हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिये **NEER का उपयोग करते हैं।**

- **REER का महत्त्व:**
  - **प्रतिस्पर्द्धात्मकता का सूचक:** REER मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर किसी देश की **बाह्य प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मापता है,** जिसका उच्च मूल्य कम **निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता** और **सस्ते आयात को दर्शाता है।**
  - **नीति मार्गदर्शिका:** REER यह निर्धारित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि कोई मुद्रा **अधिक मूल्यांकित है या कम मूल्यांकित है,** तथा **मौद्रिक नीति** और **विनिमय दर** समायोजन का मार्गदर्शन करती है।
  - **व्यापार संतुलन पर प्रभाव:** REER के मूल्यह्रास से निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होकर अल्पावधि में **व्यापार संतुलन में सुधार होता है।**

नासा का पार्कर सोलर प्रोब

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **नासा के पार्कर सोलर प्रोब** द्वारा किसी भी अन्य मानव निर्मित उपकरण की तुलना में सूर्य के अधिक निकट उड़ान भरकर 430,000 मील प्रति घंटे की गति प्राप्त करके तथा 982°C तक के तापमान को सहन करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया गया है।

पार्कर सोलर प्रोब से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं ?

- **परिचय:**
  - वर्ष 2018 में लॉन्च किये गए कार के आकार के इस रोबोटिक अंतरिक्ष यान का नाम अमेरिकी सौर **खगोल भौतिकीविद् यूजीन न्यूमैन पार्कर** के नाम पर रखा गया है।
    - यह **नासा** का पहला मिशन है जिसका **नाम किसी जीवित शोधकर्त्ता के नाम** पर रखा गया है तथा यह सूर्य के कोरोना के 3.8 मिलियन मील के दायरे में अन्वेषण करने वाला पहला मिशन है।
  - इस प्रोब में अत्यधिक तापमान को सहन करने के लिये **उन्नत कार्बन-कम्पोज़िट हीट शील्ड** का उपयोग किया गया है।
- **उद्देश्य:**
  - पार्कर सोलर प्रोब का लक्ष्य **सूर्य के निकट 6.5 मिलियन किलोमीटर** की दूरी से गुजरते हुए सूर्य के ऊर्जा प्रवाह, कोरोना के तापन का अध्ययन करना है।
    - यह **सौर पवनों** के स्रोत की भी जाँच करेगा, जो अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करने वाले **आवेशित कणों** की उच्च गति वाली तरंगे हैं।
  - **सूर्य के कोरोना** की जाँच करना, तथा यह समझना कि यह सूर्य की सतह से अधिक गर्म क्यों है, जो खगोलभौतिकी में एक लंबे समय से रहस्य बना हुआ है।
  - सौर वायु के स्रोतों पर **प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र की संरचना और गतिशीलता** का निर्धारण करना है।
  - ऊर्जावान कणों को गति प्रदान करने और गति देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करना।

आदित्य-L1 मिशन

- **आदित्य-L1 मिशन लैग्रेंज प्वाइंट L1** पर भारत की सौर वेधशाला है, जो **सूर्य के क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल गतिकी** का निरंतर अवलोकन करने में सक्षम है।
- अंतरिक्ष यान को **सूर्य-पृथ्वी प्रणाली** के **लैग्रेंज बिंदु 1 (L1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा** में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग **1.5 मिलियन** कि.मी. दूर है।
- इस मिशन का उद्देश्य **सौर कोरोना (Solar Corona), प्रकाशमंडल (Photosphere), क्रोमोस्फीयर (Chromosphere) और सौर पवन** (Solar Wind) के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

लैग्रेंज बिंदु:

- **परिचय:**
  - लैग्रेंज बिंदु वे स्थान हैं जहाँ एक छोटी वस्तु दो-पिंडों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्थिर रह सकती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह अंतरिक्ष यान को दो बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बलों को छोटे पिंड के साथ तालमेल बिठाने के लिये आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के साथ संतुलित करके न्यूनतम ईंधन खपत के साथ स्थिर स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

- **प्रकार:**
  - लैग्रेंज **बिंदु L1 सूर्य-पृथ्वी रेखा के बीच** स्थित है। पृथ्वी से L1 की दूरी **पृथ्वी-सूर्य दूरी का लगभग 1%** है।
  - **सूर्य से पृथ्वी के पीछे स्थित L2,** पृथ्वी की छाया के हस्तक्षेप के बिना ब्रह्मांड का अवलोकन करने के लिये आदर्श स्थितियाँ प्रदान करता है।
  - **सूर्य के पीछे, पृथ्वी के विपरीत स्थित L3,** सूर्य के दूरवर्ती भाग के संभावित अवलोकन प्रदान करता है।
  - **L4** और **L5** पर स्थित वस्तुएँ स्थिर स्थिति बनाए रखती हैं तथा दो बड़ी वस्तुओं के साथ समबाहु त्रिभुज बनाती हैं।

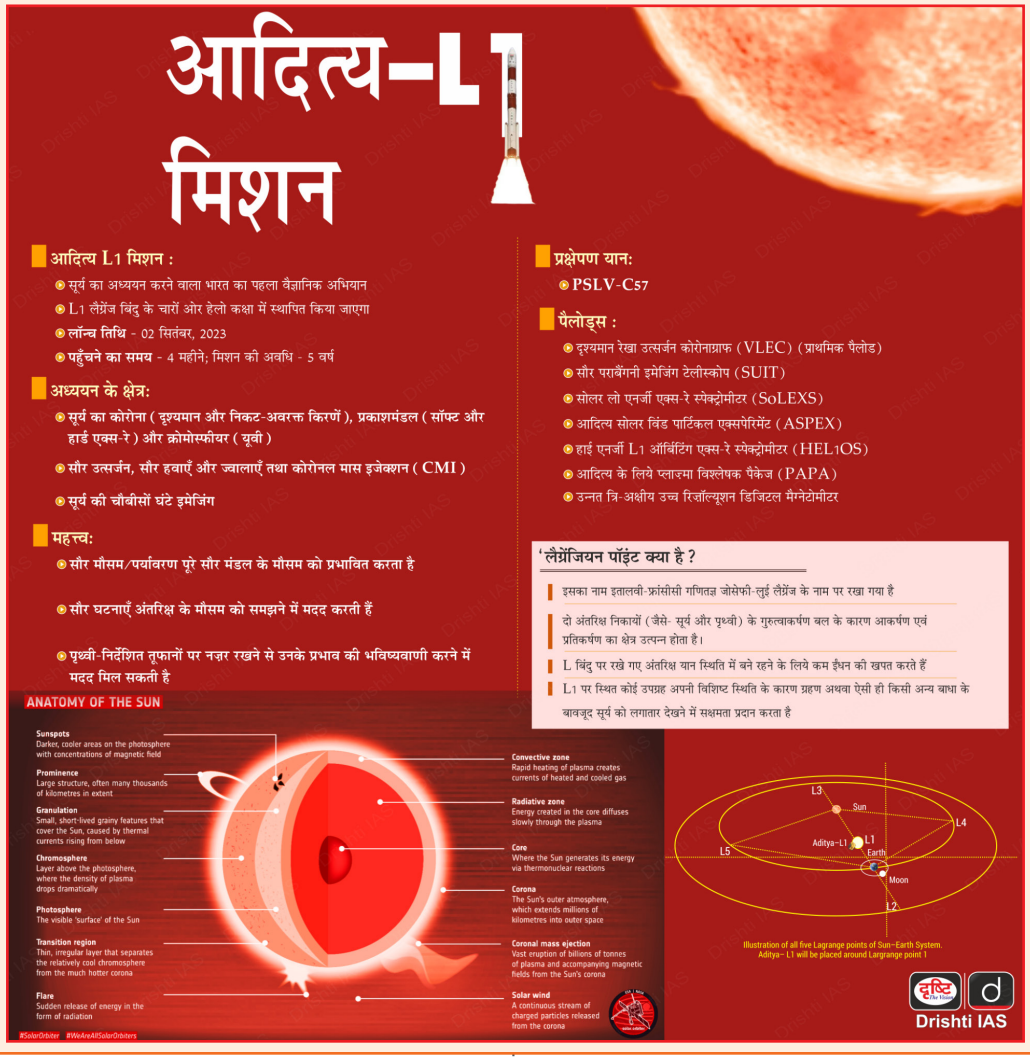

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कृषि सहकारी समितियों के लिये पहल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, **सहकारिता मंत्रालय** ने **बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (MPACS)** सहित कृषि में **सहकारी समितियों** के विकास के लिये कई **पहल** की हैं।

MPACS क्या है ?

- **PACS के बारे में: PACS ग्राम-स्तरीय सहकारी ऋण समितियाँ** हैं जो ग्रामीण कृषि उधारकर्त्ताओं को **ऋण** प्रदान करती हैं और उनसे **पुनर्भुगतान** एकत्र करती हैं।
  - PACS राज्य के **संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम** के तहत पंजीकृत हैं और **सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार (RCS)** द्वारा प्रशासित हैं।
- **संवैधानिक समर्थन: 97 वें संशोधन अधिनियम, 2011** ने संविधान के **भाग III** के तहत **अनुच्छेद 19(1)(c)** में **सहकारी समिति** शब्द जोड़ा।
  - **सहकारी समितियों को बढ़ावा देने** के संबंध में **राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (भाग IV)** में एक नया **अनुच्छेद 43B** जोड़ा गया।
- **MPACS के बारे में: MPACS** ग्रामीण समुदायों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कृषि ऋण के अलावा **सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला** प्रदान करता है।
  - इसमें ऋण समितियों के साथ-साथ **डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियाँ** भी शामिल हैं, और यह खाद, गैस, उर्वरक और पानी के **भंडारण और वितरण** सहित **32 गतिविधियों** में संलग्न है, जो इसे अधिक **बहुमुखी और प्रभावी** बनाता है।

कृषि में सहकारी समितियों के विकास के लिये हाल की पहल क्या हैं ?

- **बहुउद्देशीय PACS: डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों** के साथ-साथ 10,000 नव स्थापित **बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (MPACS)** का उद्घाटन किया गया।
  - भारत ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के **प्रत्येक पंचायत में सहकारी समितियों** की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **5 वर्ष की अवधि में 2 लाख PACS** गठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **राष्ट्रीय जैविक सहकारी लिमिटेड (NOCL):** किसानों से **जैविक खेती** के माध्यम से अपनी आय वर्द्धन करनें के उद्देश्य से **NOCL से जुड़ने** का आग्रह किया गया।
  - NOCL **सहकारी क्षेत्र** के जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, प्रमाणीकरण, परीक्षण, ब्रांडिंग और विपणन से संबंधित एक **छत्र संगठन है।**
    - NOCL को **बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002** के तहत पंजीकृत किया गया है।
- **मोबाइल ग्रामीण मार्ट पहल:** इसे **भारत ब्रांड** के तहत वहनीय कीमतों पर **दालें, चावल और गेहूँ का आटा** जैसी आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिये **NABARD** के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
  - भारत ब्रांड **मध्यम वर्ग को सहायता प्राप्त कीमतों पर आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराता है।**
- **माइक्रो-ATM: वित्तीय समावेशन** और सहायता को सुविधाजनक बनाते हुए सहकारी समितियों को **कम लागत वाले ऋण** तक पहुँच के लिये **RuPay किसान क्रेडिट कार्ड** और **माइक्रो-एटीएम** की सुविधा प्रदान की जा रही है।

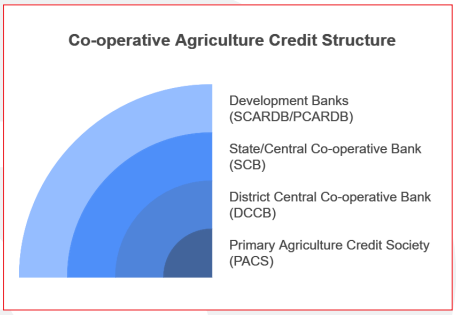

लोकसभा चुनाव 2024 के आँकड़े

हाल ही में भारत **निर्वाचन आयोग ने** सभी हितधारकों के लिये **पारदर्शिता और पहुँच को** बढ़ाने के लिये **वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के लिये व्यापक आँकड़े जारी किये हैं।**

आँकड़ों की मुख्य बातें क्या हैं ?

- **मतदाता: कुल 97,97,51,847 पंजीकृत मतदाता**, जो वर्ष 2019 में 91,19,50,734 से **7.43% अधिक है।**
  - कुल **64.64 करोड़ वोट डाले गए,** जबकि वर्ष 2019 में 61.4 करोड़ वोट पड़े थे।
    - **धुबरी (असम) में सबसे अधिक 92.3% मतदान** हुआ, जबकि **श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)** में सबसे कम **38.7% मतदान हुआ**, (वर्ष 2019 में 14.4% से ऊपर)।
  - **वर्ष 2024 में NOTA को 63,71,839 वोट (0.99%)** मिले, जबकि ट्रांसजेंडर मतदाताओं का मतदान 27.09% रहा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मतदान केंद्र: वर्ष** 2024 के लोकसभा चुनाव में **10,52,664 मतदान केंद्र थे**, जो वर्ष 2019 में 10,37,848 से अधिक हैं।
  - **बिहार में** मतदान केंद्रों की संख्या में **सबसे अधिक वृद्धि** हुई, जहाँ **4,739 मतदान केंद्र जोड़े गए,** उसके बाद पश्चिम बंगाल (1,731) का स्थान रहा।
  - **वर्ष 2019 में 540 मतदान केंद्रों की तुलना में** केवल **40 मतदान केंद्रों** (कुल मतदान केंद्रों का 0.0038%) पर **पुनर्मतदान हुआ**।
- **नामांकन: वर्ष** 2024 के लोकसभा चुनावों में **12,459 नामांकन** दाखिल किये गए, जबकि वर्ष 2019 में यह संख्या 11,692 थी।
  - **मलकाज़गिरी (तेलंगाना)** में सबसे अधिक **114 नामांकन थे,** जबकि **डिब्रूगढ़ (असम)** में सबसे कम **3 नामांकन थे (सूरत को छोड़कर)।**
- **महिला सशक्तीकरण: वर्ष** 2024 के लोकसभा चुनावों में **47,63,11,240 महिला मतदाता (कुल मतदाताओं का 48.62%) थीं,** जिनकी संख्या वर्ष 2019 में 43,85,37,911 (48.09%) थी।
  - **वर्ष 2024 में महिला मतदाताओं का उच्चतम** प्रतिशत भाग **पुदुचेरी (53.03%) है और उसके बाद केरल (51.56%) का स्थान आता है।**
    - **धुबरी (असम)** में सबसे अधिक **92.17% महिला मतदाताओं ने मतदान किया,** दूसरे स्थान पर **तामलुक (पश्चिम बंगाल) में 87.57% महिला मतदाताओं ने मतदान किया।**
  - **प्रति 1,000** पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या वर्ष 2019 में 926 से बढ़कर वर्ष **2024 में 946 हो जाएगी।**
    - सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों वाला राज्य महाराष्ट्र (111) उसके बाद उत्तर प्रदेश (80) और तमिलनाडु (77) का स्थान है।
- **समावेशी चुनाव: वर्ष** 2024 के लोकसभा चुनावों में **ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 23.5%** बढ़कर 48,272 हो गई (वर्ष 2019 में 39,075), जिसमें **तमिलनाडु में** सबसे अधिक **8,467 मतदाता थे।**

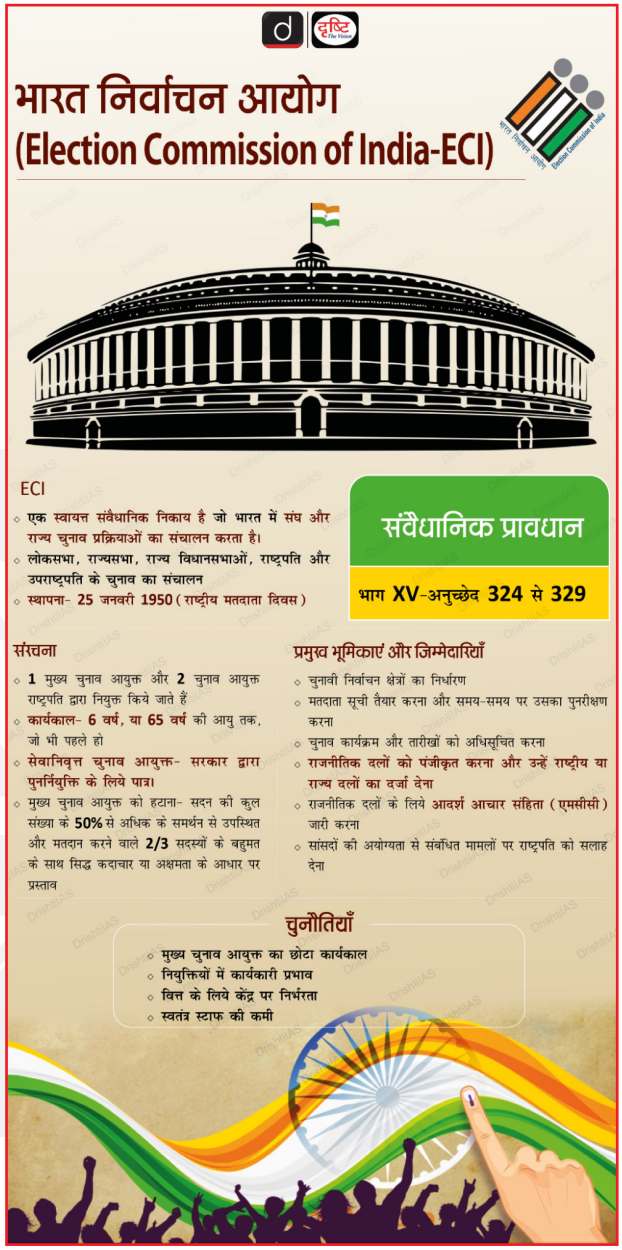

- **ट्रांसजेंडर मतदाताओं के बीच मतदान प्रतिशत वर्ष** 2019 में 14.64% से लगभग दोगुना होकर **27.09% हो गया।**
- **पंजीकृत दिव्यांग** मतदाताओं की संख्या वर्ष 2019 में 61,67,482 की तुलना में बढ़कर **90,28,696 हो गई।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वर्ष 2024 में 1,19,374 विदेशी मतदाता** पंजीकृत हुए (वर्ष 2019 में 99,844 विदेशी मतदाता)।

- **परिणाम: वर्ष** 2024 के लोकसभा चुनावों में **छह राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया, जिन्होंने** कुल वैध मतों का **63.35%** संयुक्त वोट शेयर हासिल किया।
  - सूरत **(गुजरात) निर्वाचन क्षेत्र निर्विरोध** रहा।
  - **3,921 स्वतंत्र उम्मीदवारों** में से केवल 7 निर्वाचित हुए।
  - स्वतंत्र उम्मीदवारों को **कुल वैध मतों में से 2.79% मत प्राप्त हुए,** जिसमें 279 स्वतंत्र महिला उम्मीदवार थीं।

नोट: सूरत लोकसभा सीट पर एक उम्मीदवार का नामांकन **खारिज़ होने** तथा आठ अन्य उम्मीदवारों द्वारा **अपना नामांकन वापस लेने के बाद** विजयी उम्मीदवार निर्विरोध विजयी हो गया।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का कम उपयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसदीय स्थायी समिति (PSC)** ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) योजना** के निम्न प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया।

- इस योजना की सीमित सफलता, अस्थिर कृषि बाज़ारों और फसल-पश्चात होने वाले नुकसान की चुनौतियों से निपटने में सरकार की क्षमता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करती है।

PSC रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

- **बजट का कम उपयोग:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये आवंटित 173.40 करोड़ रुपए में से केवल 34% (59.44 करोड़ रुपए) अक्तूबर 2024 तक खर्च किये गए हैं।
  - **आवंटित बजट का 65.73% हिस्सा अभी तक खर्च नहीं हो पाया है,** जिससे शेष वित्तीय वर्ष के लिये व्यय संबंधी दिशानिर्देशों को पूरा करने में चिंता उत्पन्न होती है।
- **मूल्य स्थिरीकरण पर सीमित प्रभाव:** फसल की कीमतों को स्थिर करने के योजना के उद्देश्य के बावजूद, **महाराष्ट्र में प्याज़ किसानों को मूल्य में गिरावट का सामना** करना पड़ रहा है, तथा प्याज़ की **कीमतों में लगभग 50% की कमी** आई है।
  - ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में **आलू की कमी** देखी जा रही है, तथा पश्चिम बंगाल में मौसम की खराब स्थिति के कारण **उत्पादन में गिरावट** के कारण स्थिति और भी चिंताजनक है।
- **नीतिगत असंगतताएँ: निर्यात प्रतिबंध और उसके विस्तार** तथा निर्यात शुल्क अधिरोपण जैसी सरकार की असंगत नीतियों ने प्याज़ किसानों को निराश कर दिया है, जिससे उचित मूल्य प्राप्त करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई है।
- **योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौतियाँ:** इस योजना के अंतर्गत इसके **दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करने में संघर्ष करना पड़ा है।** इसके दोहरे उद्देश्यों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्य का विकल्प प्रदान करते हुए किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना शामिल है।
  - अपर्याप्त **वित्तपोषण और प्रगति का अभाव कृषि बाज़ारों को स्थिर करने और कटाई-उपरांत प्रबंधन** में बुनियादी ढाँचे की कमी की पूर्ति करने में चुनौतियों को उजागर करता है।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना क्या है ?

- **परिचय:** यह **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना** के तहत वर्ष 2018 में शुरू की गई एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जिसका उद्देश्य "ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति)"** से प्रेरित होकर **विकारीय फसलों** की कीमतों को स्थिर करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- **उद्देश्य:**
  - **दीर्घावधि हस्तक्षेप:** उत्पादन क्लस्टरों और **कृषक उत्पादक संगठनों (FPO)** को सहायता प्रदान कर किसानों की मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना।
    - फार्म-गेट अवसंरचना, कृषि-लॉजिस्टिक्स और भंडारण सुविधाओं के माध्यम से **कटाई के बाद होने वाले नुकसान** को कम करना।
    - उत्पादन क्लस्टरों को बाज़ार से जोड़कर **खाद्य प्रसंस्करण** और मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना।
- **अल्पकालिक हस्तक्षेप: आपात/मजबूरन विक्रय से उत्पादकों की रक्षा करना** तथा कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **कार्यान्वयन: OG का कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** द्वारा किया जाता है, जिसका वित्तपोषण **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)** द्वारा किया जाता है।
- **क्षेत्र का विस्तार:** ओ.जी. योजना के अंतर्गत प्रारंभ में **टमाटर, प्याज़ और आलू (टी.ओ.पी.)** की फसल शामिल थी।
  - हालाँकि, **15 वें वित्तीय आयोग चक्र (2021-26)** के भाग के रूप में, इसमें विस्तार कर **22 विकारीय (जिनका नाश शीघ्रत: होता है) फसलों को शामिल कर दिया गया,** जैसे **फल** (आम, केला, अंगूर), **सब्जियाँ** (गाजर, बीन्स, भिंडी), **लौकी कुल** (लौकी, करेला) और अन्य फसलें जैसे **लहसुन, अदरक और झींगा।**

भारत के हरित विकास एवं लोजिस्टिक्स क्षेत्र में आधुनिकीकरण हेतु ADB ऋण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, **भारत सरकार** और **एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने** और सतत् विकास को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से **दो महत्त्वपूर्ण ऋण समझौतों** पर हस्ताक्षर किये।

भारत द्वारा लिये गए ADB ऋण के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के** ऋण का उद्देश्य **भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं** के अनुरूप **हरित एवं धारणीय बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को संपोषित करना है, जिसमें विशेष रूप से कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के परिवर्तन एवं शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा** जैसे कम संसाधन वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ।
  - **प्राप्तकर्त्ता:** सॉवरेन गारंटी के साथ ऋण **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को प्रदान किया जाएगा।**
  - **IIFCL की भूमिका:** IIFCL इस निधि का उपयोग **बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये दीर्घकालिक पूंजी उपलब्धता** तथा निजी क्षेत्र के संसाधनों को प्राप्त करने के लिये करेगा।
    - यह ऋण भारत की अपनी **नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये निजी पूंजी निवेश की आवश्यकता के अनुरूप है।**
    - IIFCL देश का एक अग्रणी **सार्वजनिक क्षेत्र का अवसंरचना वित्त संस्थान है,** जिसने **देश के लगभग 21% राष्ट्रीय राजमार्गों को वित्तपोषित किया है,** जिसमें लगभग 30,000 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं।
- **350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का** यह ऋण भारत के **विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने** एवं **आपूर्ति शृंखला अनुकूलन को उन्नत करने के लिये कार्यान्वित SMILE कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है।**
  - इसका उद्देश्य **लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, दक्षता में सुधार करना, रोज़गार सृजन** एवं **लैंगिक समावेशन को प्रोत्साहित करते हुए** लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देकर भारत के **समग्र आर्थिक विकास का सहयोग प्रदान करना है।**

स्ट्रेंथनिंग मल्टीमॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (SMILE) कार्यक्रम क्या है ?

- **परिचय:**
  - SMILE कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा **एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार और आधुनिकीकरण** के लिये आरंभ की गई एक प्रमुख पहल है।
- **उद्देश्य:**
  - **भारत की मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग को सुदृढ़ करना** और लॉजिस्टिक्स सुपरमार्केट में सुधार करके **आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करना।**
- **मुख्य बिंदु:**
  - **संस्थागत सुदृढ़:** राष्ट्रीय, राज्यीय और शहरी स्तर पर लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में संलग्न विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों के मध्य **समन्वय एवं नियोजन में** सुधार करना है।
    - इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के लिये **अधिक निर्मित और कुशल शासन संरचना तैयार करना है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **मानकीकरण एवं अवसंरचना विकास:** दक्षता में सुधार लाने और बुनियादी ढाँचे के विकास में अधिक निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिये भंडारण तथा अन्य लॉजिस्टिक आस्तियों के मानकीकरण को बढ़ावा देना।
  - इसमें **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) को** बढ़ावा देना शामिल है।
- **बाह्य व्यापार से संबद्ध बुनियादी ढाँचे में सुधार:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विलंब एवं लागत को कम करने के लिये आयात और निर्यात से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।
- **तकनीकी अनुकूलन:** दक्षता में सुधार, उत्सर्जन में कमी तथा सेवा वितरण को उन्नत करने के लिये लॉजिस्टिक्स परिचालन में स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और स्वचालन के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
  - इसमें **डिजिटलीकरण एवं डेटा साझाकरण को बढ़ावा देना शामिल है।**

लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र सरकार की प्रमुख पहलें

- **भारतमाला प्रोजेक्ट**
- **प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना**
- **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क**
- **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर**
- **सागरमाला परियोजना**
- **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)**
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022**
- **फास्टैग, RFID के साथ ई-वे बिल एकीकरण**

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB)

- **परिचय:** ADB एक बहुआयामी विकास बैंक है **जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र** में **आर्थिक विकास व सहयोग को** बढ़ावा देने के मिशन के साथ की गई थी।
- **मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस** में स्थित है।
- **सदस्यता:** इसमें **68 सदस्य हैं**, जिनमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र से 49 तथा अन्य क्षेत्रों से 19 सदस्य शामिल हैं।
- **भारत और ADB:** भारत ADB का संस्थापक और चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक (जापान, अमेरिका एवं चीन के बाद) है।
- **भारत को ADB का समर्थन:** ADB ने अपनी ADB स्ट्रेटेजी वर्ष 2030 तथा वर्ष 2023-2027 के लिये देश साझेदारी रणनीति के अनुरूप, टिकाऊ, जलवायु-लचीले और समावेशी विकास हेतु भारत की प्राथमिकताओं के साथ अपने समर्थन को सरेखित किया है।
- हाल ही में ADB ने **एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024** जारी की।

इसरो का स्पैडेक्स

चर्चा में क्यों ?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 30 दिसंबर, 2024 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (SpaDeX) मिशन के प्रक्षेपण के साथ एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिये तैयार है।

इस मिशन का उद्देश्य उपग्रह डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना है, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिये एक महत्त्वपूर्ण तकनीक है।

स्पैडेक्स क्या है ?

- **परिचय:** स्पैडेक्स (Space Docking Experiment-SpaDeX) एक **प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन** है जिसे इसरो द्वारा **अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी** का प्रदर्शन करने के लिये विकसित किया गया है।
  - इस मिशन का उद्देश्य **दो छोटे अंतरिक्ष यान को एक-दूसरे से मिलाने, डॉक करने और अनडॉक करने** की क्षमता का प्रदर्शन करना है, जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
- **उद्देश्य:** स्पैडेक्स (SpaDeX) का प्राथमिक लक्ष्य, **पृथ्वी की निचली कक्षा** में दो छोटे अंतरिक्ष यान, **SDX01 (चेज़र) और SDX02 (टारगेट)** के लिये डॉकिंग तकनीक विकसित करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

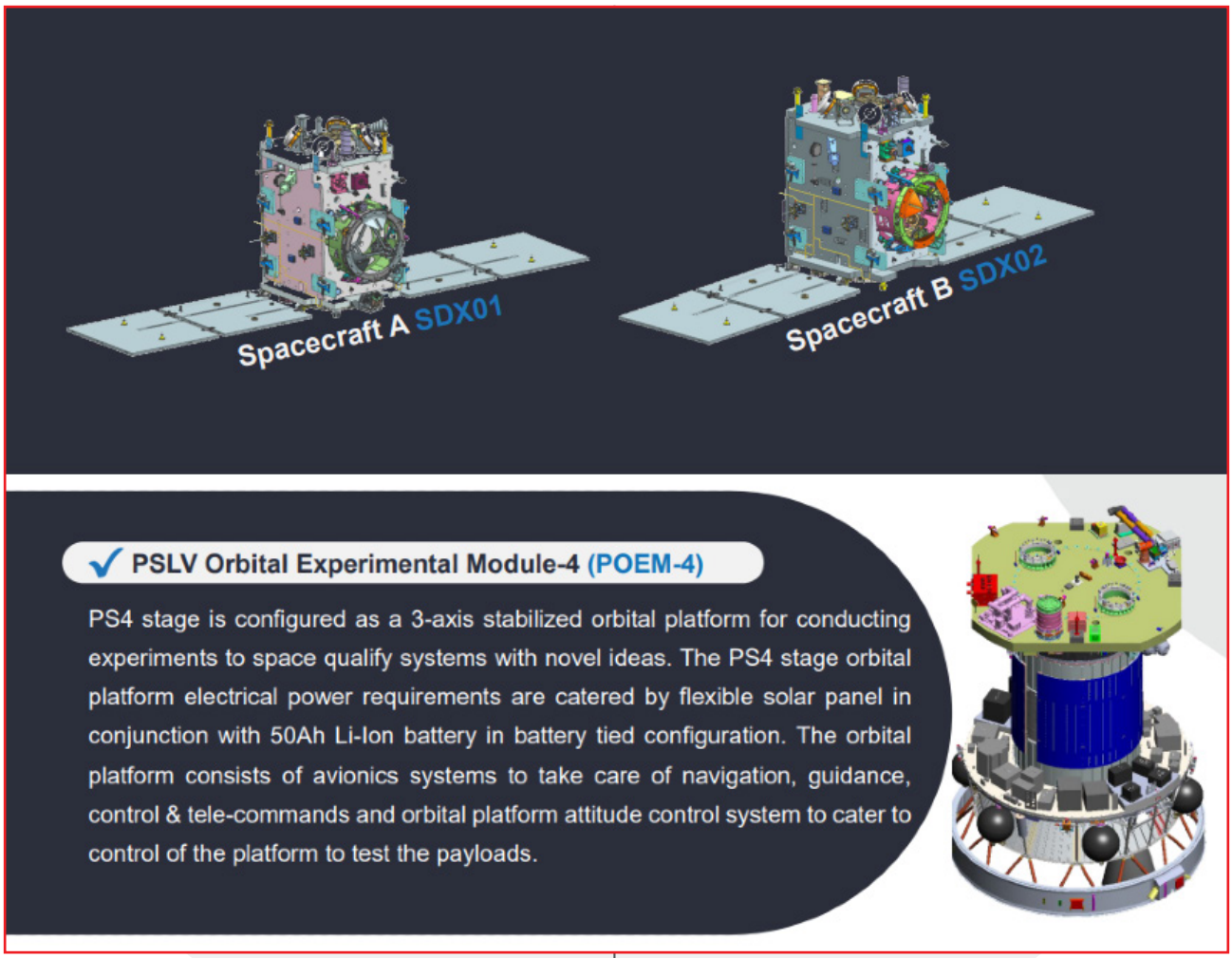

- वे **उन्नत सेंसर और प्रणोदन प्रणालियों** का उपयोग करते हुए स्वायत्त रूप से डॉकिंग करेंगे।
- द्वितीयक उद्देश्यों में **विद्युत शक्ति हस्तांतरण का परीक्षण और अंतरिक्ष यान नियंत्रण का प्रदर्शन शामिल है।**

- **मिशन अवधि:** दो वर्ष
- **मिशन डिज़ाइन:** स्पैडेक्स (SpaDeX) दो उपग्रहों, SDX01 और SDX02 को **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) रॉकेट** का उपयोग करके 470 किमी. की कक्षा में स्थापित करेगा, **जहाँ वे अलग हो जाएंगे और धीरे-धीरे एक-दूसरे के पास आएंगे,** अंतत: 20 किमी. से 3 मीटर की दूरी पर डॉकिंग करेंगे।
  - दोनों उपग्रह **भारतीय डॉकिंग सिस्टम (BDS)** से सुसज्जित हैं।
    - BDS में समान, कम प्रभाव (उपगमन वेग 10 मिमी./सेकंड के क्रम का है), उभयलिंगी (डॉकिंग सिस्टम दोनों अंतरिक्ष यान, चेज़र और टारगेट के लिये समान हैं) डॉकिंग तंत्र हैं, जो उपग्रह सर्विसिंग, चालक दल के स्थानांतरण और भारत के अंतरिक्ष स्टेशन विकास जैसे भविष्य के कार्यों के लिये मिशन के लचीलेपन तथा सटीकता को बढ़ाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- स्पैडेक्स (SpaDeX) शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप्स से 24 पेलोड ले जाने के लिये **PSLV के चौथे चरण, POEM (PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरीमेंटल मॉड्यूल)-4** का उपयोग करेगा। ये प्रयोग कक्षा में **सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण** का लाभ उठाएंगे।

- **डॉकिंग चुनौती:** दोनों उपग्रह (चेज़र और टारगेट) 28,800 किमी/घंटा की गति से परिक्रमा करेंगे। डॉकिंग से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक अपने सापेक्ष वेग को घटाकर 0.036 किमी/घंटा करना होगा।

स्पेस डॉकिंग

- स्पेस डॉकिंग का तकनीक का तात्पर्य अंतरिक्ष में **दो अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की तकनीक** से है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से मानव को एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में भेज पाना संभव होता है।
  - यह क्षमता अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को इकट्ठा करने या उपकरण, चालक दल या आपूर्ति को स्थानांतरित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- उदाहरण के लिये, **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)** का निर्माण इसी तकनीक का उपयोग करके किया गया था, जिसमें विभिन्न मॉड्यूलों को अलग-अलग प्रक्षेपित किया गया था और अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था।
  - निरंतर डॉकिंग मिशन, आपूर्ति, नए चालक दल के सदस्यों और मॉड्यूलों को पहुँचाकर **ISS को प्रचालन** में बनाए रखते हैं, तथा पुराने चालक दल के सदस्यों को पृथ्वी पर वापस लौटने में सहायता करते हैं।

स्पेस डॉकिंग प्रौद्योगिकी भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- **मॉड्यूलर स्पेस इन्फ्रास्ट्रक्चर:** मल्टी-मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन बनाने के लिये डॉकिंग एक शर्त है। यह अंतरिक्ष में संरचनाओं के संयोजन की अनुमति देता है, जिससे एकल प्रक्षेपण मिशनों के आकार और भार संबंधी बाधाओं में कमी आती है।
- **अंतरग्रहीय और चंद्र मिशन:** डॉकिंग से कक्षीय ईंधन भरने और पेलोड विनिमय में सहायता मिलती है, जिससे लूनर बेस और मंगल अन्वेषण के लिये मिशन लचीलापन बढ़ता है।
  - यह **चंद्रयान-4**, अंतरिक्ष स्टेशनों और भारत के नियोजित **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS)** जैसे भविष्य के मिशनों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम:** गगनयान और उससे आगे के दीर्घकालिक मिशनों के दौरान **चालक दल के स्थानांतरण और आपातकालीन निकासी** के लिये अंतरिक्ष डॉकिंग महत्त्वपूर्ण है।
- **वैश्विक सहयोग और बाज़ार संभावना:** स्पैडेक्स **भारत को रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बना सकता है,** जो अंतरिक्ष डॉकिंग में महारत हासिल करेगा, उपग्रह सेवा में अपनी उपस्थिति को मज़बूत करेगा और उन्नत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम करेगा।
- **उपग्रह सर्विसिंग:** डॉकिंग से उपग्रहों की सर्विसिंग, ईंधन भरने और उन्हें उन्नत करने की सुविधा मिलती है, जिससे उनका परिचालन जीवन और प्रदर्शन बेहतर होता है।

सशस्त्र सीमा बल का 61वाँ स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के **सिलीगुड़ी** में **सशस्त्र सीमा बल (SSB)** के **61वें स्थापना दिवस समारोह** में शामिल हुए।

- उन्होंने पूर्वोत्तर और सिक्किम के प्रवेशद्वार तथा तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे **सिलीगुड़ी कॉरिडोर** की सुरक्षा में सशस्त्र सीमा बल (SSB) की भूमिका की सराहना की।

सशस्त्र सीमा बल (SSB) क्या है?

- **परिचय: SSB केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)** का एक हिस्सा है, जो **नेपाल (1,751 किमी) और भूटान (699 किमी) के साथ भारत की सीमा** की रक्षा करता है।
  - यह **भारत के सात अर्द्ध-सैनिक बलों में से एक है (अन्य 6: असम राइफल्स (Assam Rifles), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG))।**
- **गठन:** इसकी स्थापना **वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण** के बाद **मई, 1963** में **विशेष सेवा ब्यूरो** के रूप में की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह **गृह मंत्रालय** के तत्वावधान में कार्य करता है।

- **मान्यता:** SSB **पहला केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बल** है जिसमें **महिलाओं को भी शामिल** किया गया है।
- मार्च, 2004 में SSB को राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये **राष्ट्रपति ध्वज** से सम्मानित किया गया।
- राष्ट्रपति ध्वज किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला **सर्वोच्च सम्मान** है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है ?

- **परिचय:** यह एक **संकीर्ण भूमि** है, जो लगभग **60 किलोमीटर लंबी** और **17-22 किलोमीटर चौड़ी** है। इसके **संकीर्ण आकार** के कारण इसे '**चिकन नेक**' भी कहा जाता है।
- **अवस्थिति: नेपाल, भूटान और बांग्लादेश** के बीच स्थित यह भारत और इसके पूर्वोत्तर राज्यों के बीच **एकमात्र स्थलीय संपर्क मार्ग** है।
  - यह **पश्चिम बंगाल** में स्थित है।
- **महत्त्व:** यह **सैन्य रसद** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा सड़क और रेलवे नेटवर्क के लिये प्रमुख मार्ग प्रदान करता है, जिससे सशस्त्र बलों की आवाजाही में सुविधा होती है।
  - सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुँच न होने से **भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अलग-थलग पड़ जाएगा**, जिससे आपूर्ति लाइनें और सुदृढ़ीकरण बाधित हो जाएंगे

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

NAFLD का MASLD के रूप में पुनर्वर्गीकरण

चर्चा में क्यों ?

नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ को मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिज़ीज़ के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने से इसके प्राथमिक कारण के रूप में मेटाबोलिक डिसफंक्शन पर बल दिया गया है, जिससे इससे जुड़े अल्कोहल कारक को इससे अलग करने पर प्रकाश पड़ा है।

- इस परिवर्तन से इस समस्या को शराब के इतर **अंतर्निहित चयापचय संबंधी समस्याओं** एवं असामान्य कोलेस्ट्रॉल से जोड़कर देखा जाएगा।

नॉन-एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ क्या है ?

- **परिचय:** NAFLD एक ऐसी स्थिति है जिसमें शराब के बिना भी **लिवर में वसा का संग्रहण** हो जाता है।
  - इसमें दो प्रकार शामिल हैं: **नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर (NAFL)** और **नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH)**।
- **NAFLD के प्रकार**
  - **NAFL:** इसमें **लिवर में वसा का निर्माण** होने के साथ **सूजन या क्षति न्यूनतम या शून्य** होती है।
    - इससे आमतौर पर लिवर संबंधी जटिलताएँ नहीं होती हैं लेकिन यकृत में वृद्धि के साथ असुविधा हो सकती है।
  - **NASH:** इसमें **वसा का निर्माण तथा लिवर की सूजन** दोनों ही शामिल हैं, जिससे **लिवर क्षतिग्रस्त** होने के साथ **फाइब्रोसिस** (ऐसी स्थिति जिसमें लिवर में स्कार ऊतक की अधिकता हो जाती है) एवं संभावित रूप से **सिरोसिस** (ऐसी स्थिति जिससे लिवर कैंसर के जोखिम में वृद्धि होती है) की समस्या हो सकती है।
- **लक्षण और कारण:** NAFLD अक्सर लक्षणहीन होता है लेकिन **मोटापा, मेटाबोलिक सिंड्रोम** (चयापचय संबंधी असामान्यताओं का समूह) एवं **टाइप 2 मधुमेह** जैसी स्थितियाँ इसके जोखिम को बढ़ा देती हैं।
- **निदान: NAFLD का निदान चिकित्सा इतिहास, शारीरिक परीक्षण और NAFL एवं NASH के बीच अंतर करने के लिये** रक्त परीक्षण, इमेजिंग तथा यकृत बायोप्सी जैसे परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है।
- **उपचार: वजन कम करना,** NAFLD के प्रबंधन के लिये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वसा, सूजन एवं लिवर फाइब्रोसिस (ऐसी स्थिति जिसमें लिवर में स्कार ऊतक की अधिकता हो जाती है) की स्थिति को रोका जा सकता है।
- **रोकथाम:** स्वस्थ आहार और वजन में संतुलन बनाए रखने से NAFLD को रोकने या प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। प्रभावित लोगों के लिये स्वस्थ आहार और वजन घटाने की सलाह दी जाती है।

MASLD को क्या अलग बनाता है ?

- **चयापचय संबंधी कारणों पर ध्यान दें: MASLD चयापचय संबंधी शिथिलता को** प्राथमिक कारण के रूप में दर्शाता है, जबकि **NAFLD केवल शराब के उपयोग की अनुपस्थिति** को दर्शाता है।
- **व्यापकता:** MASLD विश्व स्तर पर **25%** लोगों को प्रभावित करता है, तथा **मोटापे या टाइप 2 मधुमेह** से पीड़ित लोगों में इसकी दर अधिक **(50-70%)** है।
- **MASLD निदान:** MASLD के निदान के लिये फाइब्रोस्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड और रक्त परीक्षण जैसे गैर-आक्रामक (Non-Invasive) परीक्षणों का उपयोग किया जाता है।
  - फाइब्रोस्कैन एक गैर-आक्रामक परीक्षण है जो यकृत की वसा और कठोरता को मापता है, जिससे यकृत बायोप्सी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- **MASLD की रोकथाम:** फास्ट फूड, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और शर्करा युक्त पदार्थों का सेवन न करना।
- साबुत अनाज, फल, सब्जियाँ और प्रोटीन से युक्त संतुलित आहार MASLD को रोकने में मदद कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

नोट: हेपेटाइटिस लिवर की **एक तीव्र या जीर्ण सूजन** है। वायरल संक्रमण (**A, B, C, D, E**), शराब का सेवन, जहर, ड्रग्स और ऑटोइम्यून रोग - ऐसे विकार जिनमें प्रतिरक्षा प्रणाली लिवर को लक्षित करती है, सभी इसके लिये ज़िम्मेदार हो सकते हैं।

Types of Hepatitis

	TRANSMISSION	PREVENTION	TREATMENT
Hepatitis A	Eating contaminated food or drinking contaminated water	• Practicing good hygiene • Vaccine	No treatment
Hepatitis B	Through contact with the blood or bodily fluids of an infected person	• Practicing good hygiene • Vaccine • Blood screening	• Alpha interferon • Peginterferon
Hepatitis C	Blood-to-blood contact	• Practicing good hygiene • Avoid sharing needles, toothbrushes, razors or nail scissors	Direct-acting antiviral drugs
Hepatitis D	Contact with infected blood (only occurs in people already infected with hepatitis B)	• Hepatitis B vaccine • Avoid sharing needles, toothbrushes, razors or nail scissors	Interferon
Hepatitis E	Eating contaminated food or drinking contaminated water	• Practicing good hygiene • Avoid drinking water that has come from a potentially unsafe source	No treatment

स्वस्थ जीवनशैली से संबंधित भारत की पहल

- ईट राइट मेला
- फिट इंडिया मूवमेंट
- 'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेशन
- मिशन पोषण 2.0
- मध्याह्न भोजन योजना
- पोषण वाटिकाएँ
- आँगनवाड़ी
- यूनिफाइड इंडिया आर्गेनिक

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

रैपिड फायर

डिज़ीज़ एक्स

दिसंबर 2024 में **कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC)** में होने वाले प्रकोप के कारण 400 से अधिक लोगों की मृत्यु की संभावना है, जिससे **डिज़ीज़ एक्स के बारे में चिंताएँ बढ़ेंगी**।

डिज़ीज़ एक्स का परिचय:

- **परिभाषा: विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2018** में एक **अज्ञात रोगज़नक के लिये एक काल्पनिक शब्द जो वैश्विक महामारी को ट्रिगर करने** में सक्षम है, जो उभरते रोगों को रोकने की **तैयारी की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।**
- **उत्पत्ति:** वर्ष **2014-2016 पश्चिम अफ्रीकी इबोला महामारी के बाद उभरा।**
- **स्रोत: वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, कवक या प्रियन** से उत्पन्न हो सकते हैं। वर्ष 1940 से अब तक 300 से अधिक उभरती बीमारियाँ उभरी हैं, जिसमें 70% **जूनोटिक बीमारियाँ शामिल हैं।**
- **जोखिम कारक:** उच्च जैवविविधता वाले क्षेत्र, कमज़ोर स्वास्थ्य सेवा (जैसे, कांगो बेसिन), वैश्विक संपर्क, जूनोटिक स्पिलओवर, वनोन्मूलन, कृषि, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जैव आतंकवाद, प्रयोगशाला दुर्घटनाएँ और **जलवायु परिवर्तन** भविष्यवाणियों को जटिल बनाते हैं।

शमन:

- त्वरित पहचान और प्रतिक्रिया के लिये मज़बूत निगरानी, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियाँ और **CEPI** जैसे प्लेटफॉर्म महत्त्वपूर्ण हैं।
- वैश्विक सहयोग, संसाधनों तक समान पहुँच, तथा **विश्व स्वास्थ्य संगठन की रोगज़नक़ सूची, महामारी संधि** और **नागोया प्रोटोकॉल** जैसे ढाँचे तैयारी के लिये आवश्यक हैं।

DRC:

- DRC **अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश** और **विश्व का 11वाँ सबसे बड़ा देश है।**

मैंगनीज़ संदूषण से कैंसर की संभावना

हाल ही में हुए एक अध्ययन में बिहार के **गंगा के मैदानी** क्षेत्रों में बढ़ते **कैंसर के मामलों के लिये भूजल** में **मैंगनीज़ (Mn) संदूषण को ज़िम्मेदार ठहराया गया।** ब्लड सेंपल्स (औसत: 199 $\mu g/L$; उच्चतम: लीवर कैंसर के मरीज़ में 6,022 $\mu g/L$) और घरेलू हैंडपंप के जल में Mn का बढ़ा हुआ स्तर देखा गया है।

- अध्ययन में बिहार के 1,146 कैंसर रोगियों की जाँच की गई, जिसमें **कार्सिनोमा** सामान्य (84.8%) था।

घरेलू जल के सेंपल्स का मैंगनीज़ संदूषण के लिये **परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग करके परीक्षण किया गया है।**

मैंगनीज़:

- यह पृथ्वी पर **पाँचवीं सबसे प्रचुर धातु है, जो ऑक्साइड, कार्बोनेट और सिलिकेट के रूप** में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है।
- यह शरीर में **होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिये अल्प मात्रा में महत्त्वपूर्ण है,** किंतु अधिक मात्रा में विषाक्त हो जाता है।
- **WHO** के अनुसार पीने योग्य जल में **मैंगनीज़ की अनुशंसित सीमा 400 $\mu g/L$ है।**

संदूषण के स्रोत:

- प्रमुख स्रोतों में **भूगर्भीय अवसाद (अवसादी/आग्नेय चट्टानों से)** और **औद्योगिक प्रदूषण** जैसे मानवजनित कारक शामिल हैं। **भूजल** संदूषण का एक प्राथमिक माध्यम है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- मैंगनीज़ के उच्च स्तर के निरंतर संपर्क में रहने से **विषाक्तता उत्पन्न होती है, जिससे कमज़ोरी, भद्दापन, भावनात्मक अस्थिरता,** गतिशीलता में कमी और उन्नत अवस्था में कैंसर जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

प्रभावित क्षेत्र:

- **भारत:** बिहार का गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल (मुर्शिदाबाद, 24 परगना), कर्नाटक (तुमकुर)।
- **वैश्विक: नाइज़ीरिया, बांग्लादेश, चीन, जापान और ग्रीस** ।

गुकेश ने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप, 2024 का खिताब जीता

हाल ही में, **डी. गुकेश सिंगापुर** में आयोजित **FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप,2024** में **चीन के डिंग लिरेन (2023 विश्व शतरंज चैंपियन) को** हराकर 18 वर्ष की उम्र में **सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन** बने ।

डी. गुकेश:

- गुकेश, **विश्व चैम्पियनशिप के सबसे युवा हैं, वे इतिहास में तीसरे सबसे युवा ग्रैंडमास्टर** और **2750 FIDE** रेटिंग हासिल करने वाले **सबसे युवा खिलाड़ी** भी हैं ।
  - उल्लेखनीय बात यह है कि वह **रूसी गैरी कास्पारोव से चार वर्ष छोटे हैं**, जब उन्होंने वर्ष **1985 में अनातोली कार्पोव से यह खिताब जीता था।**
- **गुकेश, FIDE विश्व शतरंज चैम्पियनशिप** जीतने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंडमास्टर हैं, उनसे पहले **विश्वनाथन आनंद थे**, जिनके पास वर्ष 2000-2002 एवं वर्ष 2007-2013 तक यह खिताब था, उसके बाद **मैग्नस कार्लसन ने वर्ष** 2013 में यह खिताब जीता था।

FIDE विश्व शतरंज चैम्पियनशिप:

- **FIDE** सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं का संचालन करता है और इसे वर्ष 1999 में **अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति** द्वारा **वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी।**
  - वर्ष 1924 में पेरिस में स्थापित और **लुसाने में मुख्यालय वाला** FIDE अब सबसे बड़े **राष्ट्रीय शतरंज संघों में से एक है**, जिसके 201 देश संबद्ध सदस्य हैं।

भारत-मोरक्को रक्षा उद्योग

हाल ही में, **मोरक्को के रबात में आयोजित भारत-मोरक्को** रक्षा उद्योग संगोष्ठी में **रक्षा सहयोग** बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें मोरक्को ने अपने देश में भारतीय कंपनियों के लिये **लाभदायक, नौकरशाही से पूर्णत: मुक्त परिवेश** का प्रस्ताव किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- हालिया आँकड़ों के अनुसार, भारत का कुल **रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए था** जिसके वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
  - **मोरक्को** जैसे वैश्विक साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग से तकनीकी प्रगति, वर्द्धित निवेश और वैश्विक सहयोग के माध्यम से उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- **टाटा समूह** द्वारा मोरक्को में भारत का पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना **"मेक इन इंडिया"** पहल को रेखांकित करता है, जो विशेष रूप से WhAP 8x8 ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल जैसी उन्नत प्रणालियों में भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाता है।
- मोरक्को के निवेशक-अनुकूल परिवेश और 90 देशों के साथ **मुक्त व्यापार समझौतों** के व्यापक नेटवर्क से भारतीय रक्षा निर्यात के लिये विशेष रूप से अफ्रीका एवं यूरोप में नए बाज़ार स्थापित होंगे।

मोरक्को:

- इसकी सीमा **अल्जीरिया** (पूर्व), **पश्चिमी सहारा** (दक्षिण), **अटलांटिक महासागर** (पश्चिम), और **भूमध्य सागर** (उत्तर) से लगती है तथा **जिब्राल्टर जलडमरूमध्य** इसे स्पेन से अलग करता है।
  - भारत का मोरक्को से **निर्यात 83.9 मिलियन अमरीकी डॉलर** और आयात **162 मिलियन अमरीकी डॉलर है।**

मालिबू वनाग्नि

हाल ही में, कैलिफोर्निया के मालिबू में फ्रैंकलिन फायर नामक विनाशकारी वनाग्नि के चलते निवासियों को तुरंत क्षेत्र खाली करना पड़ा और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी।

- विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रैंकलिन फायर की विनाशकारिता के पीछे "सांता एना" पवनों और जलवायु परिवर्तन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
  - **सांता एना** पवनें तब उत्पन्न होती हैं जब **ग्रेट बेसिन (रॉकी पर्वत और सिएरा नेवादा के बीच का क्षेत्र) पर उच्च दाब** तथा **कैलिफोर्निया के तट पर निम्न दाब** के कारण अंतर्देशीय मरुस्थलों से पर्वतों के ऊपर **प्रशांत महासागर** तक तीव्र पवनें चलती हैं।
  - ये पवनें आमतौर पर **अक्तूबर से जनवरी** तक चलती हैं।
- **वनाग्नि:** वनाग्नि प्राकृतिक क्षेत्रों जैसे कि वनों या घास के मैदानों में लगी **अनियंत्रित, अनियोजित आग** है, जो वायु और स्थलाकृति जैसे पर्यावरणीय कारकों के कारण तेज़ी से फैलती है।
- **वनाग्नि के प्रकार:**

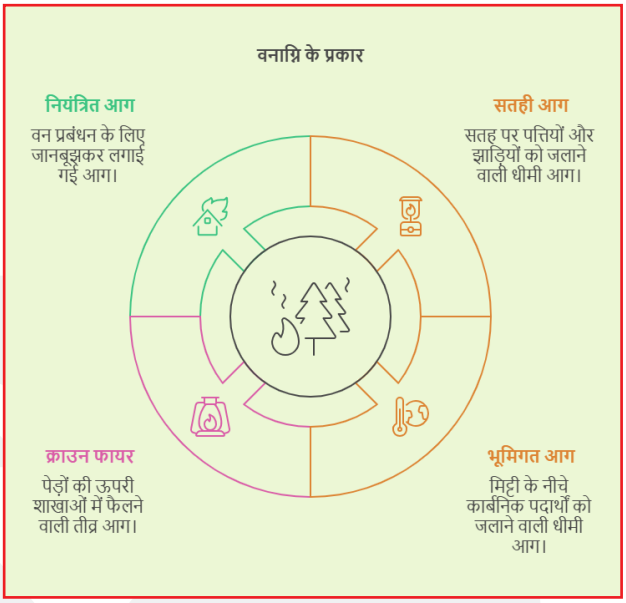

- **भारतीय परिदृश्य:**
  - **भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)** द्वारा जारी **ISFR 2021** के अनुसार, **35.47%** वन क्षेत्र को आग प्रवण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
    - वनाग्नि की सबसे अधिक घटनाएँ **मिज़ोरम (3,738), मणिपुर (1,702), असम (1,652), मेघालय (1,252)** और **महाराष्ट्र (1,215)** में दर्ज की गई हैं।
  - **सरकारी पहल:**
    - **वनाग्नि के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPFF)**
    - **वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना (FPM)**

इंडियन लाइट टैंक (ILT) ज़ोरावर

इंडियन लाइट टैंक (ILT), जिसे **ज़ोरावर** के नाम से भी जाना जाता है, ने 4,200 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसे **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** तथा **लार्सन एंड टुब्रो (L&T)** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, जिसमें उच्च ऊँचाई वाले युद्ध और तीव्र तैनाती के लिये विभिन्न **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों** का योगदान भी शामिल है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **उच्च ऊँचाई पर प्रदर्शन:** लद्दाख के कठिन भूभाग में, इसने विभिन्न रेंजों पर कई राउंड सटीक फायरिंग करते हुए उल्लेखनीय गतिशीलता और विश्वसनीयता दिखाई है।
  - **एयरलिफ्ट क्षमता:** भारतीय वायु सेना द्वारा टैंक की एयरलिफ्टिंग क्षमता के प्रदर्शन का भी परीक्षण किया गया ताकि दुर्गम स्थानों पर त्वरित तैनाती की जा सके।
- **महत्त्व:** यह स्वदेशी नवाचार के साथ भारत की **पर्वतीय युद्ध क्षमताओं** को मज़बूत करता है, हवाई परिवहन क्षमता, उच्च कोण पर फायरिंग और बढ़ी हुई गतिशीलता के लिये सीमित रूप से हथियार प्रक्षेप्य (तोपखाने) की भूमिका प्रदान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मिर्ज़ा गालिब की जयंती

हाल ही में, प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा गालिब की जयंती के अवसर पर **साहित्य कला परिषद** द्वारा दिल्ली में '**रिमेम्बरिंग गालिब**' नामक तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार की एक सांस्कृतिक शाखा है, जिसकी स्थापना **वर्ष 1968 में दिल्ली में कला और संस्कृति** के **प्रचार-प्रसार** के लिये की गई थी।

मिर्ज़ा गालिब:

- **मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान** जिन्हें गालिब के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म **27 दिसंबर, 1797** को हुआ था।
- वह एक प्रसिद्ध **उर्दू और फारसी कवि थे,** उनका वंश **ऐबक तुर्कों से जुड़ा हुआ था।**
- उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में विवाह कर लिया और दिल्ली में बस गए।
- वर्ष 1850 में **मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फर द्वितीय द्वारा उन्हें *दबीर-उल-मुल्क*** और ***नज्म-उद-दौला*** की उपाधि से सम्मानित किया गया।
- उन्हें कविता और इतिहासकार का **शाही शिक्षक** नियुक्त किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वर्ष 1869 में गालिब की मृत्यु के बाद उन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन** में **चिश्ती संप्रदाय** के प्रसिद्ध सूफी संत **निज़ामुद्दीन औलिया** की कब्र के पास दफनाया गया।
- उन्होंने **उर्दू पत्र लेखन** को और अधिक संवादपूर्ण बना दिया।

मायोट में चक्रवात चिडो

हाल ही में **चक्रवात** चिडो से मोजाम्बिक चैनल (हिंद महासागर) में स्थित **फ्राँसीसी हिंद महासागर क्षेत्र** (मायोट) प्रभावित हुआ।

मायोट:

- इसमें कोमोरोस द्वीपसमूह के **दो द्वीप शामिल हैं, जिनमें मुख्य द्वीप** मायोट (या ग्रांड टेरे) और छोटा द्वीप **पामांडज़ी** (पेटाइट टेरे) **है।**
- यह फ्राँस और यूरोपीय संघ दोनों का **सबसे निर्धन** क्षेत्र है।
- **फ्राँस ने वर्ष** 1843 में मायोट को उपनिवेश बनाया तथा **वर्ष** 1904 में कोमोरोस सहित पूरे द्वीपसमूह **पर कब्ज़ा** कर लिया।
  - **वर्ष 1974 के जनमत संग्रह** में 95% लोगों ने अलग होने का समर्थन किया, लेकिन मायोट के 63% लोगों ने फ्राँसीसी बने रहने के पक्ष में मतदान किया।
  - **ग्रांड कोमोर, अंजुआन और मोहेली द्वारा वर्ष** 1975 में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। मायोट पर अभी भी पेरिस से शासन किया जाता है।

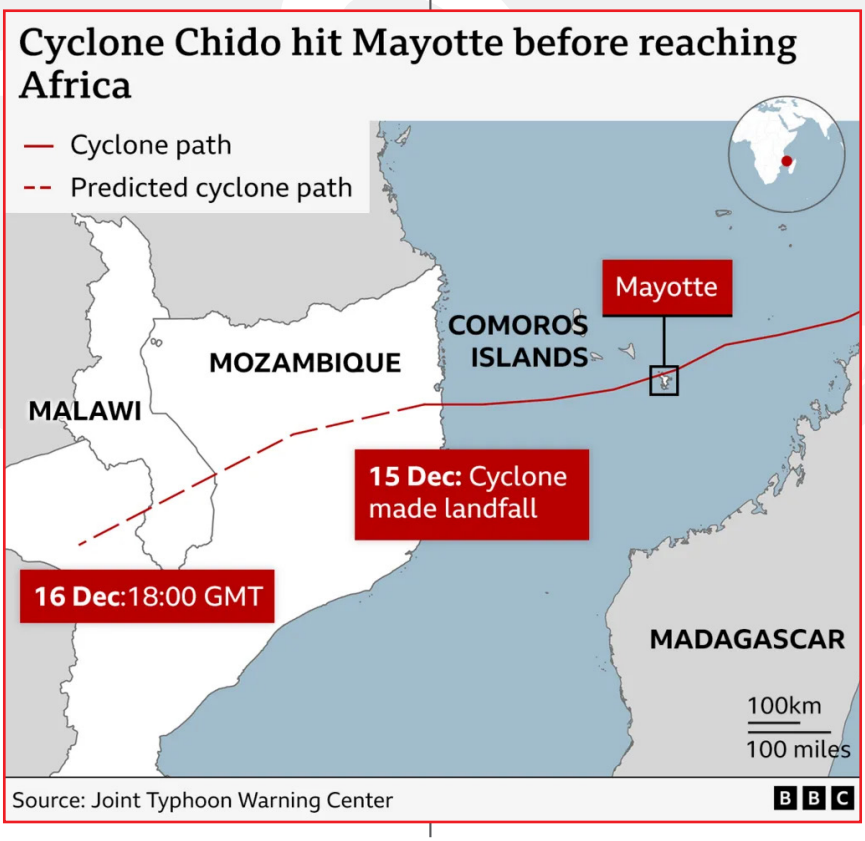

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

चक्रवात

परिचय

चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके आस-पास तेजी से इसके केंद्र की ओर वायु परिसंचरण होते हैं।

चक्रवात बनाम प्रतिचक्रवात

दबाव प्रणाली	केंद्र में दबाव की स्थिति	हवा की दिशा का पैटर्न	
		उत्तरी गोलार्द्ध	दक्षिणी गोलार्द्ध
चक्रवात	निम्न	वामावर्त	दक्षिणावर्त
प्रतिचक्रवात	उच्च	दक्षिणावर्त	वामावर्त

वर्गीकरण

उष्णकटिबंधीय चक्रवात: मकर और कर्क रेखा के बीच उत्पन्न होते हैं।

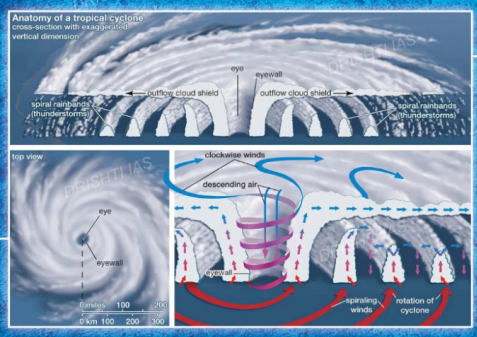

अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय/समशीतोष्ण चक्रवात; ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं।

- **गठन के लिए शर्तें:**
  - 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह।
  - कोरिओलिस बल की उपस्थिति।
  - ऊर्ध्वाधर/लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव।
  - पहले से मौजूद कमजोर निम्न-दबाव क्षेत्र या निम्न-स्तर-चक्रवात परिसंचरण।
  - समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन (Divergence)।
- **नामकरण:**
  - **नोडल प्राधिकरण: विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)**
  - **हिंद महासागर क्षेत्र:** बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड इस क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण में योगदान करते हैं।

- **उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिये अलग-अलग नाम:**
  - **टाइफून:** दक्षिण पूर्व एशिया और चीन
  - **हरिकेन:** उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत
  - **टॉरनेडो:** पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका
  - **विली-विलीज:** उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया
  - **उष्णकटिबंधीय चक्रवात:** दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर
- **भारत में चक्रवात:**
  - **द्वि-वार्षिक चक्रवात मौसम:** मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर।
  - **हाल के चक्रवात:** ताउते, वायु, निसर्ग और मेकानु (अरब सागर में) तथा असानी, अम्फान, फोनी, निवार, बुलबुल, तितली, यास और सितरंग (बंगाल की खाड़ी में)।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने **सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की**, जो **15 दिसंबर, 1950 को हुई थी**।

- उनके अडिग संकल्प और दृढ़ दृष्टिकोण के कारण उन्हें व्यापक रूप से **"भारत के लौह पुरुष" के** रूप में मान्यता प्राप्त है, और उन्हें **राष्ट्रीय एकता के प्रतीक** के रूप में जाना जाता है।

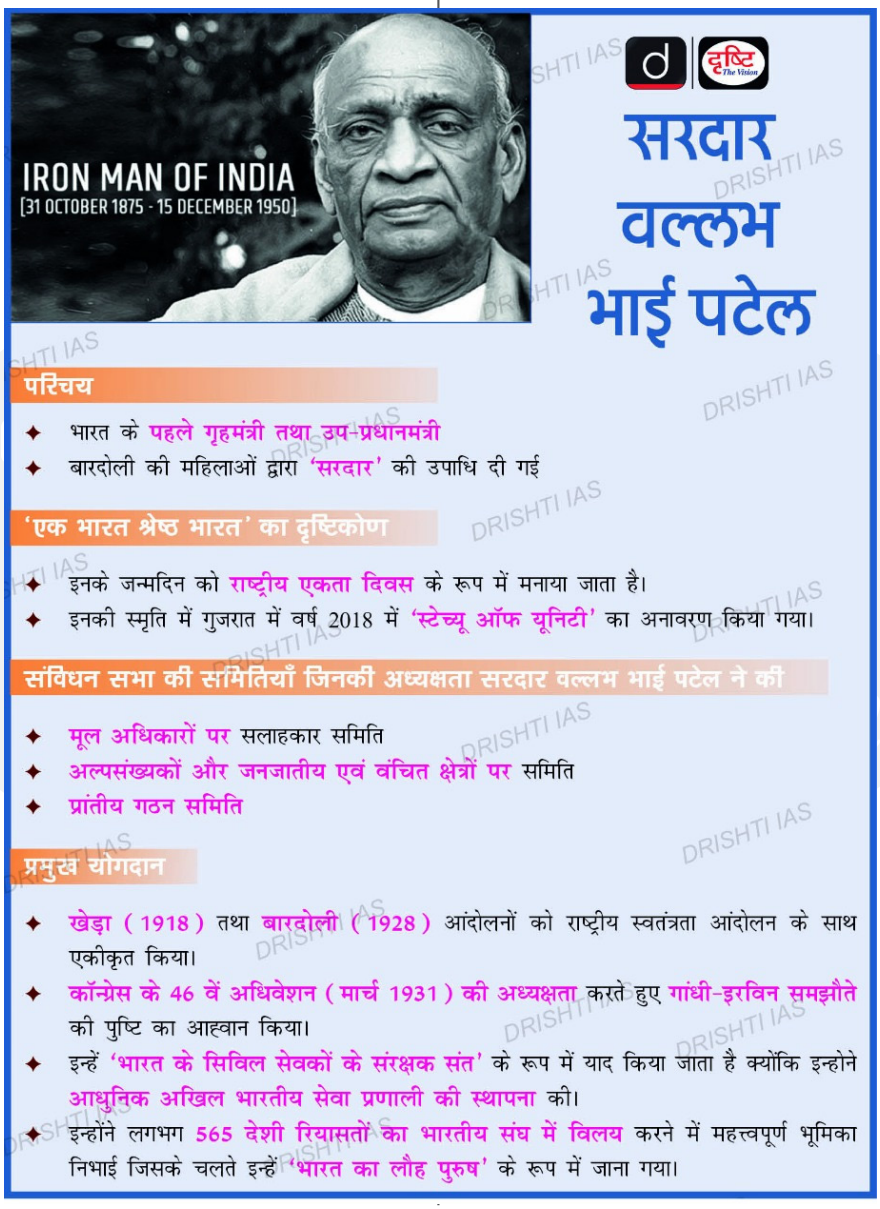

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

राजनीतिक उपलब्धियाँ:

- **खेड़ा सत्याग्रह (1918): उन्होंने सूखे के कारण खराब फसल** से प्रभावित किसानों के लिये कर छूट की मांग करते हुए **खेड़ा सत्याग्रह** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **बारदोली सत्याग्रह (1928): बारदोली सत्याग्रह** के दौरान अनुचित कर वृद्धि के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें इस नेतृत्व के लिये "सरदार" की उपाधि प्रदान की गई।
- गांधीजी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर **वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों** का नेतृत्व किया और इसमें शामिल होने के कारण उन्हें कई बार कारावास के दंड का भी सामना करना पड़ा।
- **उन्होंने कराची** में वर्ष **1931 के कॉन्ग्रेस अधिवेशन** की अध्यक्षता की तथा **गांधी-इरविन समझौते, मौलिक अधिकारों** और **राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम** पर प्रस्ताव के संबंध में चर्चाओं का नेतृत्व किया।
- उन्होंने लगभग **562 रियासतों** को भारतीय संघ में एकीकृत करने का नेतृत्व किया, जिससे लाखों लोगों के लिये स्थिरता और लोकतंत्र सुनिश्चित हुआ।
- **राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस** (21 अप्रैल) सरदार पटेल के 1947 के भाषण का सम्मान करता है, जिसमें उन्होंने सिविल सेवकों को **"भारत का इस्पाती ढाँचा"** कहा था तथा लोकसेवा के प्रति उनके समर्पण को सुदृढ़ किया था।
- उन्होंने संविधान सभा में **मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक** तथा **जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों** पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता की।
- **31 अक्तूबर, 2018** को सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिये विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा, **स्टैच्यू ऑफ यूनिटी** का उद्घाटन **गुजरात के केवडिया** में किया गया, जिसकी ऊँचाई 182 मीटर (600 फीट) है।

श्री पोट्टी श्रीरामुलु

हाल ही में **आंध्र प्रदेश** के मुख्यमंत्री ने तेलुगू लोगों के लिये शहीद **श्री पोट्टी श्रीरामुलु** के बलिदान को याद करने के लिये उनके सम्मान में एक तेलुगू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की।

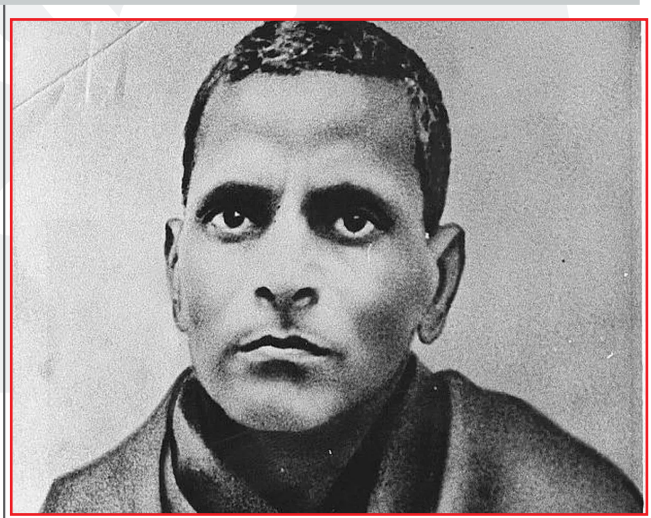

- श्री पोट्टी श्रीरामुलु को **मद्रास से तेलुगू भाषी राज्य** की वकालत करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिये सम्मानित किया जाता है। **15 दिसंबर** को उनके बलिदान के कारण भारत में भाषायी राज्यों का निर्माण हुआ।
- **56 दिनों के उपवास** के बाद उनकी मृत्यु से व्यापक हिंसा हुई, जिसके कारण सरकार को **राज्य पुनर्गठन आयोग (दिसंबर 1953) का गठन करना पड़ा**, जिसके फलस्वरूप **अक्तूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण** हुआ।
- श्रीरामुलु ने **भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन** में भाग लिया और वर्ष **1930 के नमक सत्याग्रह** में भाग लेने के कारण जेल गए तथा **भारत छोड़ो आंदोलन** में भी भाग लिया।
- वह **महात्मा गांधी** के समर्पित अनुयायी और प्रबल समर्थक थे। वह **येरनेनी सुब्रह्मण्यम** द्वारा स्थापित **कोमारवोलू में गांधी आश्रम** में भी शामिल हुए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- उन्होंने **नेल्लोर के मूलपेटा** स्थित **वेणु गोपाल स्वामी मंदिर** में **दलितों के प्रवेश के अधिकार के समर्थन** में अनशन किया, जिसे अंततः स्वीकार कर लिया गया।

भारत में मोल्दोवा का दूतावास

हाल ही में पूर्वी यूरोपीय देश **मोल्दोवा गणराज्य ने नई दिल्ली में अपने दूतावास** का उद्घाटन किया।

- वर्ष 1991 में **सोवियत संघ के पतन** और मोल्दोवा की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1992 में भारत तथा मोल्दोवा के मध्य **राजनयिक संबंध स्थापित हुए**।

मोल्दोवा:

- मोल्दोवा (पूर्व नाम: **बेस्सारबिया**) **यूक्रेन और रोमानिया की** सीमा से लगा एक **स्थलरुद्ध** देश है।
- **यह बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर-पूर्व** में स्थित है।
- **बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण-पूर्वी यूरोप** में अवस्थित है जिसका नाम **बाल्कन पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है ।**
- मोल्दोवा का अधिकांश भाग विशाल घुमावदार **प्रुत और डेनिस्टर नदियों** के बीच स्थित है।
- **यह कार्पेथियन पर्वतमाला** के महान चाप के पूर्व में स्थित है।
- **ट्रांसनिस्ट्रिया, डेनिस्टर नदी के पूर्व** में मोल्दोवा से विभाजित एक **छोटा-सा** क्षेत्र है।
- **ट्रांसनिस्ट्रिया पर रूस समर्थक अलगाववादियों** का नियंत्रण है, जहाँ स्थायी रूप से **रूसी सेना** के साथ-साथ एक बड़ा आर्म्स डिपो भी स्थित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जलवाहक योजना

हाल ही में **केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री** ने **अंतर्देशीय जलमार्ग** और माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिये **'जलवाहक' योजना** शुरू की।

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों की वाणिज्यिक क्षमता का दोहन करना, **रसद लागत को कम करना** और **सड़कों और रेलमार्गों पर यातायात को आसान बनाना** है।
  - **यह राष्ट्रीय जलमार्ग (NW) 1 (गंगा), 2 (ब्रह्मपुत्र)** और **16 (बराक)** पर लंबी दूरी की माल ढुलाई को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रोत्साहन:**
  - **भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग** के माध्यम से **राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2 और 16** पर कार्गो आवागमन के लिये परिचालन व्यय का **35% तक प्रतिपूर्ति** प्रदान करता है।
  - यह **निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले जहाजों को किराये पर लेने** को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रतिस्पर्द्धा और दक्षता को बढ़ावा मिलता है।
- **आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - इसका लक्ष्य **वर्ष 2027 तक 800 मिलियन टन किलोमीटर कार्गो** को शिफ्ट करना है।
  - इसका लक्ष्य जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को 132.89 मिलियन टन (2023-24) से बढ़ाकर **वर्ष 2030 तक 200 मिलियन टन** और **वर्ष 2047 तक 500 मिलियन टन** करना है, जिससे **नीली अर्थव्यवस्था** और **आत्मनिर्भर भारत** पहल को समर्थन मिलेगा।
- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):**
  - इसकी स्थापना **वर्ष 1986** में अंतर्देशीय जलमार्गों को विनियमित और विकसित करने के लिये की गई थी।
  - भारत में नदियों, नहरों और बैकवाटर्स सहित **14,500 किलोमीटर** नौगम्य जलमार्ग हैं।
  - **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016** के अंतर्गत 111 जलमार्गों (5 मौजूदा और 106 नए) को **राष्ट्रीय जलमार्ग** घोषित किया गया है।

बीमाकर्त्ता के लिये कंपोजिट लाइसेंस

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन के माध्यम से समग्र या कंपोजिट लाइसेंस शुरू करने का प्रस्ताव रखा,** जिसका उद्देश्य भारत में बीमा तक पहुँच सुनिश्चित करना तथा **वर्ष 2047 तक 'सभी के लिये बीमा'** का लक्ष्य हासिल करना है।

- **समग्र या कंपोजिट लाइसेंस:** समग्र लाइसेंस बीमाकर्त्ताओं को **एक ही पंजीकरण** के तहत **जीवन और गैर-जीवन बीमा** की पेशकश करने की अनुमति देता है, जिससे परिचालन एक इकाई में समेकित हो जाता है।
  - वर्तमान में, बीमा कंपनियों को प्रत्येक व्यवसाय के लिये **अलग-अलग लाइसेंस प्राप्त** करने की आवश्यकता होती है।

लाभ:

- समग्र लाइसेंस बीमा कंपनियों को एक ही इकाई के तहत कई लाइनों का प्रबंधन करने की अनुमति प्रदान कर **लागत** और स्वीकृति से संबंधित असुविधाओं में कमी लाता है, जिससे **नवाचार और दक्षता** को बढ़ावा मिलता है।
- एकीकृत आईटी प्रणालियों के साथ, **जीवन बीमा कंपनियाँ क्षतिपूर्ति-आधारित स्वास्थ्य बीमा** की पेशकश कर सकती हैं, जिससे अंडरराइटिंग में सुधार और खर्चों में कटौती होगी।
- **एजेंट जीवन और गैर-जीवन** दोनों प्रकार के उत्पाद बेच सकते हैं, ताकि ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताएँ बेहतर ढंग से पूरी हो सकें।

विनियामक परिवर्तन :

- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) बीमा कंपनियों** को समग्र लाइसेंस प्रदान करने हेतु **जीवन बीमा निगम (LIC) अधिनियम, 1956** और **सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम (GIBNA), 1972** में संशोधन की आवश्यकता है।

29वाँ दिल्ली CII शिखर सम्मेलन

हाल ही में भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने दिल्ली में आयोजित **29वें भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) भागीदारी शिखर सम्मेलन** के दौरान सतत् विकास में **समान ज़िम्मेदारियों** की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ:

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्त्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- **क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
  - **अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
  - **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- **हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
  - इसके अंतर्गत कोष- **अल्प विकसित देश कोष (LDCF)** और **विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)**
- **दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
  - **कानकुन समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध कराना।
  - **पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- **लॉस एंड डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमज़ोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)	कमज़ोर भारतीय राज्यों के लिये
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)	स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)
राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)	आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को ख़त्म करना
अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)	UNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	वैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।

Drishti IAS

- **पर्यावरणीय समानता:** औद्योगिक देशों को अतीत में हुई पर्यावरणीय क्षति के लिये उत्तरदायी ठहराने के लिये भारत ने **"प्रदूषणकर्त्ता को भुगतान करना होगा" सिद्धांत और "सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व" (CBDR)** को बढ़ावा दिया।
- **एकतरफा उपायों का विरोध:** इसने विकासशील देशों के निर्यात को नुकसान पहुँचाने के लिये **यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM)** और **यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (EUDR)** की आलोचना की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **जलवायु वित्त:** भारत ने **बाकू में आयोजित CoP29 में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के **जलवायु-वित्त पैकेज पर असंतोष व्यक्त किया** तथा वैश्विक दक्षिण के लिये अनुकूलन एवं वित्त पर ध्यान देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- **साझेदारी और प्रौद्योगिकी:** भारत ने **इज़रायल, इटली और कतर** जैसे देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने पर ज़ोर दिया, तथा व्यापार, स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए **जलवायु अनुकूल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान** का समर्थन किया।

CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024:

- **आयोजक:** भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और DPIIT, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
- **थीम (2024):** ***"प्रगति के लिये साझेदारी"***।
- **भागीदारी:** 61 देशों के प्रतिनिधि, स्थिरता, व्यापार, हरित प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

'किसान कवच'

हाल ही में **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने भारत का पहला **कीटनाशक रोधी बॉडीसूट**, 'किसान कवच' का अनावरण किया, जो **रसायनों को त्वचा के संपर्क** में आने से रोकता है।

- **किसान कवच:** किसानों को **कीटनाशकों के संपर्क में आने से होने वाले हानिकारक प्रभावों** से बचाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है, जो **श्वास संबंधी विकार, दृष्टि हानि और चरम स्थितियों में, मृत्यु सहित** विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का कारण बनता है।
  - इसमें **'ऑक्सीम फैब्रिक' तकनीक का उपयोग** किया जाता है, जो छिड़काव के दौरान **कपड़े या शरीर पर छिड़के जाने वाले** किसी भी सामान्य कीटनाशक को रासायनिक रूप से विघटित कर सकता है।
  - इस सूट की मैन्यूफैक्चरिंग प्रक्रिया में सूती कपड़ा **न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोलिसिस** के माध्यम से संपर्क में आने वाले कीटनाशकों को निष्क्रिय करता है।
  - इसे **ब्रिक-इनस्टेम, बेंगलूरू द्वारा सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड** के सहयोग से विकसित किया गया है।
- **कीटनाशक का उपयोग:** **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** के अनुसार, भारत में वर्ष 2020 में **61,000 टन** से अधिक कीटनाशक का उपयोग किया गया है।
  - भारत अपने उपयोग से लगभग **चार गुना** अधिक कीटनाशक का उत्पादन करता है।
- **कीटनाशक विषाक्तता:** तीव्र कीटनाशक विषाक्तता से प्रत्येक वर्ष **विश्वभर में 385 मिलियन लोग प्रभावित** होते हैं, जिससे **11,000 लोगों की मृत्यु** हो जाती है तथा **दक्षिण एशिया** इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है।

रॉटन फ्री-टेल्ड बैट नामक प्रजाति

हाल ही में दिल्ली के यमुना जैवविविधता पार्क में रॉटन फ्री-टेल्ड बैट (*ओटोमॉप्स रॉटनी*) नामक एक **दुर्लभ चमगादड़ की प्रजाति** देखी गई है।

- **रॉटन फ्री-टेल्ड बैट:**
  - **यह मोलोसस बैट परिवार** की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN: "अपर्याप्त आँकड़े" के रूप में सूचीबद्ध।**
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I** के अंतर्गत संरक्षित।
- **भौगोलिक वितरण:** यह मुख्य रूप से **पश्चिमी घाट** में एक ज्ञात प्रजनन कॉलोनी के साथ पाई जाती है।
  - **मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों** में भी छोटी कॉलोनियाँ दर्ज की गईं **तथा कंबोडिया** में एक एकल व्यक्ति देखा गया।
- **शारीरिक विशेषताएँ:** इसका आकार बड़ा होता है, इसके **कान इसके मुँह से आगे तक फैले हुए हैं, इसका फर दो रंगों वाला मखमली है** तथा यह अपनी **शक्तिशाली उड़ान क्षमताओं के लिये जाना जाता है।**
- **पारिस्थितिक भूमिका: यह कीट जनसंख्या विनियमन** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और **परागण में सहायता के लिये जाना जाता है।**
  - **निवास स्थान:** यह **गुफाओं या अंधेरे, आर्द्र और कम उष्ण स्थानों में**, सामान्यत: मध्यम आकार की कॉलोनियों में बसेरा करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **महत्त्व:**
- दिल्ली में लगभग **14 चमगादड़ प्रजातियाँ पाई जाती हैं,** जिनमें से 4 को **स्थानीय रूप से विलुप्त माना जाता है: भारतीय फाल्स वैम्पायर, ब्लैक बियर्डेड टोम्ब बैट, इजिप्टियन फ्री टेल्ड बैट,** और **इंडियन पिपिस्टरेल।**

- **अरावली जैव विविधता पार्क** (गुरुग्राम) दिल्ली एनसीआर में **ब्लिथ हॉर्सशू बैट नामक चमगादड़ प्रजाति** का एकमात्र ज्ञात विश्राम स्थल है।

हिंडन नदी में प्रदूषण

यमुना की वर्षा आधारित **सहायक** नदी हिंडन **नदी अनुपचारित अपशिष्ट** के नाले में बदल गई है, जो **पर्यावरणीय क्षरण का** प्रतीक है तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके औद्योगिक क्षेत्र के समुदायों के लिये खतरा उत्पन्न कर रही है।

- हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में **निम्न शिवालिक श्रेणी** से निकलती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र से होकर बहती है तथा नोएडा में **यमुना में मिलने से पहले 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है।**
- नदी की प्रमुख सहायक नदियों में शामिल हैं: **काली (पश्चिम) नदी और कृष्णी नदी।**
- ऐतिहासिक रूप से, हिंडन नदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में **कृषि** और **मत्स्य पालन के लिये उपयोगी रही है। लेकिन औद्योगिकीकरण** तथा **शहरीकरण ने** इसके पारिस्थितिक संतुलन को नष्ट कर दिया है।
- वर्ष 2015 में **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने** हिंडन नदी को "**मृत नदी**" घोषित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें प्रदूषण का स्तर अत्यधिक है, विभिन्न भागों में यह स्नान के लिये अनुपयुक्त है।
  - मृत नदी वह जल निकाय है जो अत्यधिक प्रदूषण या पर्यावरणीय क्षरण के कारण **जलीय जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को सहारा देने की अपनी क्षमता खो चुकी है।**

कैलाश मानसरोवर यात्रा

भारत और चीन ने **विशेष प्रतिनिधियों (SR)** की **23वीं बैठक आयोजित की, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)** पर सैनिकों की वापसी के समझौते की पुष्टि की गई।

- इस वार्ता में **तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील** की पवित्र तीर्थयात्रा **कैलाश मानसरोवर यात्रा (KMY)** को फिर से शुरू करने पर चर्चा की गई, जिस पर **कोविड-19** तथा चीन द्वारा व्यवस्थाओं का नवीनीकरण न करने के कारण वर्ष 2020 में रोक लगा दी गई थी।
- भारत प्रतिवर्ष **जून से सितंबर** माह में उत्तराखंड में **लिपुलेख दर्रा** (1981 से) और सिक्किम में **नाथू ला दर्रा** (2015 से) के माध्यम से KMY का आयोजन करता है।
- KMY में हिंदू, जैन, बौद्ध और बॉन अनुयायी शामिल होते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं में कैलाश शिखर को भगवान शिव का वास स्थल माना जाता है, जबकि जैन धर्म के अनुयायी इसे **अष्टपद पर्वत** मानते हैं, जहाँ **ऋषभदेव** ने मोक्ष प्राप्त किया था।
  - कैलाश पर्वत के निकट अवस्थित मानसरोवर झील अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के फलस्वरूप एक पवित्र स्थल है।
  - इस तीर्थयात्रा का प्रबंधन **कुमाऊँ मंडल विकास निगम** द्वारा भारत के **विदेश मंत्रालय** और **चीन सरकार के** सहयोग से किया जाता है।
- 6,638 मीटर ऊँचा कैलाश पर्वत **काले पत्थर** से निर्मित **हीरे के आकार का शिखर है और** साथ ही एशिया की प्रमुख नदियों जैसे- **ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु** तथा **करनाली** का उद्गम स्थल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

RBI ने किसानों के लिये जमानत-मुक्त ऋण बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बढ़ती लागत के बीच **लघु एवं सीमांत किसानों को** सहायता देने हेतु किसानों के लिये **जमानत-मुक्त ऋण सीमा 1.6 लाख रुपए से** बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है।

मुख्य बातें:

- **लाभार्थी:** 86% से अधिक किसानों, मुख्यत: लघु एवं सीमांत भूमिधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- **विस्तारित कवरेज़: इसमें कृषि से संबंधित गतिविधियों** के लिये ऋण शामिल हैं, जिससे आय में विविधता आती है।
  - बैंकों को निर्देश दिया गया है कि ये शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करें तथा प्रावधान के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ।
- **पूरक योजनाएँ:** इस उपाय से **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** ऋण तक पहुँच आसान हो जाएगी और **संशोधित ब्याज अनुदान योजना** के साथ संरेखित किया जाएगा, जिसमें 4% की प्रभावी **ब्याज दर पर 3 लाख रुपए** तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
  - यह पहल कृषि में **वित्तीय समावेशन को बढ़ाती है, किसानों को आगत लागतों का प्रभावी प्रबंधन करने, परिचालन में निवेश करने और आजीविका में सुधार करने में सक्षम बनाती है।**

डायरिया रोग से होने वाली मौतों में वैश्विक गिरावट

द लांसेट इन्फेक्शियस डिज़ीज़ में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में **डायरिया** रोग के कारण होने वाली वैश्विक मौतों में कमी पर प्रकाश डाला गया है।

- **डायरिया रोग के कारण वैश्विक मृत्यु में लगभग 60% की गिरावट** आई है, वर्ष **2021 में 1.2 मिलियन मौतें दर्ज की गईं,** जो वर्ष 1990 में 2.9 मिलियन थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चे** और **बुज़ुर्ग** (70 वर्ष से अधिक) **अत्यधिक संवेदनशील बने हुए हैं, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया** में, जहाँ मृत्यु दर सबसे अधिक है।
  - उल्लेखनीय बात यह है कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर **में 79% की कमी आई है,** फिर भी इस आयु वर्ग में **मृत्यु दर सबसे अधिक है।**
  - **विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALY),** जिसका आशय दिव्यांगता की स्थिति वाली जीवन अवधि से है, वर्ष **1990 में 186 मिलियन से घटकर वर्ष 2021 में 59 मिलियन हो गया,** जिसमें **पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 31 मिलियन थी।**
- **उच्च आय वाले देशों** में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में **प्रति 100,000 जनसंख्या पर एक से भी कम मृत्यु होती** है, जबकि **उप-सहारा अफ्रीका** में समान जनसांख्यिकी में **प्रति 100,000 जनसंख्या पर** कम-से-कम 150 मृत्यु होती हैं।
- **दस्त: दस्त को प्रतिदिन तीन या अधिक बार पतला या तरल मल त्यागने** (या किसी व्यक्ति के लिये सामान्य से अधिक बार मल त्यागने) के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - दस्त से उत्पन्न सबसे गंभीर खतरा निर्जलीकरण है।

INS निर्देशक

भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड में अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत, आईएनएस निर्देशक को शामिल किया है।

- **सर्वेक्षण पोत (लार्ज) (SVL) परियोजना** के दूसरे पोत INS निर्देशक को मल्टी-बीम इको साउंडर्स एवं ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स (AUV) जैसी उन्नत प्रणालियों का उपयोग करके **हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण**, नेविगेशन तथा समुद्री सुरक्षा को उन्नत बनाने हेतु कमीशन किया गया है।
  - SVL परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण बेड़े को पुराने संधायक श्रेणी के पोत के स्थान पर आधुनिक बनाना है। इस परियोजना में चार पोत शामिल हैं; **वे संधायक, निर्देशक, इक्षक और संशोधक** हैं।
- **स्वदेशी विनिर्माण: 80% से अधिक स्वदेशी उपकरणों** से निर्मित होने के साथ यह **मेक इन इंडिया** और **आत्मनिर्भर भारत** पहल के अनुरूप है।
- **समुद्री कूटनीति और सुरक्षा: यह पोत समुद्री कूटनीति के लिये** एक विश्वसनीय उपकरण के रूप में कार्य करने के साथ समुद्री सर्वेक्षणों में मित्र देशों की सहायता करेगा, जो भारत की **SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास)** पहल के अनुरूप है।
  - इससे समुद्री सुरक्षा में सुधार होने के साथ **हिंद महासागर क्षेत्र** में भारत की नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा।

NIA को गैर-अनुसूचित अपराधों की जाँच का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय

हाल ही में, **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने माना है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की जाँच करने की शक्ति केवल अनुसूचित अपराधों की जाँच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनुसूचित अपराधों से संबंधित होने पर गैर-अनुसूचित अपराधों की भी जाँच कर सकती है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि **NDPS अधिनियम, 1985** (जो NIA अधिनियम के तहत अनुसूचित नहीं है) के तहत **अपराध UAPA** के अपराधों से जुड़े हैं और अधिनियम के तहत अनुसूचित हैं, तो **NIA उन अपराधों** की जाँच कर सकती है।

NIA अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अनुसूचित अपराध:

- **NDPS अधिनियम, 1985** मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तथा नशीली दवाओं की तस्करी जैसे अपराधों के लिये कारावास (10-20 वर्ष), जुर्माना (न्यूनतम 1 लाख रुपए) और गंभीर अपराधों को दोहराने पर मृत्युदंड का प्रावधान करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इसमें मादक पदार्थ संबंधी अपराधों से जुड़ी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है तथा इसके प्रवर्तन के लिये वर्ष 1986 में **भारतीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो** की स्थापना की गई।

- **NIA** भारत की **केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसे NIA अधिनियम, 2008** के तहत स्थापित किया गया है।
  - यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जाँच करता है, जिसमें हथियारों, मादक पदार्थों की तस्करी और जाली मुद्रा प्रचलन जैसे सीमा पार अपराध शामिल हैं।
- यह **गृह मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।

सेबी का विशेष निवेश कोष (SIF)

SEBI ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) नामक एक **नया परिसंपत्ति वर्ग** शुरू किया है। यह उन जानकार निवेशकों के लिये बनाया गया है जो जोखिम वाले निवेश करने में रूचि दिखाते हैं।

विशिष्ट निवेश निधि (SIF):

- **SIF, म्यूचुअल फंड (MF)** और **पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (PMS)** के बीच अंतराल को कम करने पर केंद्रित है।
- इसमें **न्यूनतम 10 लाख रुपए का निवेश आवश्यक** है जबकि मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिये इस सीमा में छूट दी गई है। SIF से ओपन-एंडेड, क्लोज़-एंडेड और सावधिक निवेश रणनीतियाँ उपलब्ध होंगी।
- **परिसंपत्ति वर्ग:**
  - **यह निवेशों का** एक ऐसा समूह है जिसकी **विशेषताएँ समान होने के साथ यह समान नियमों** द्वारा शासित होते हैं।
  - **उदाहरण: इक्विटी (स्टॉक),** निश्चित आय (**बॉण्ड**), नकदी एवं नकदी समकक्ष, रियल एस्टेट, वस्तुएँ और मुद्राएँ।

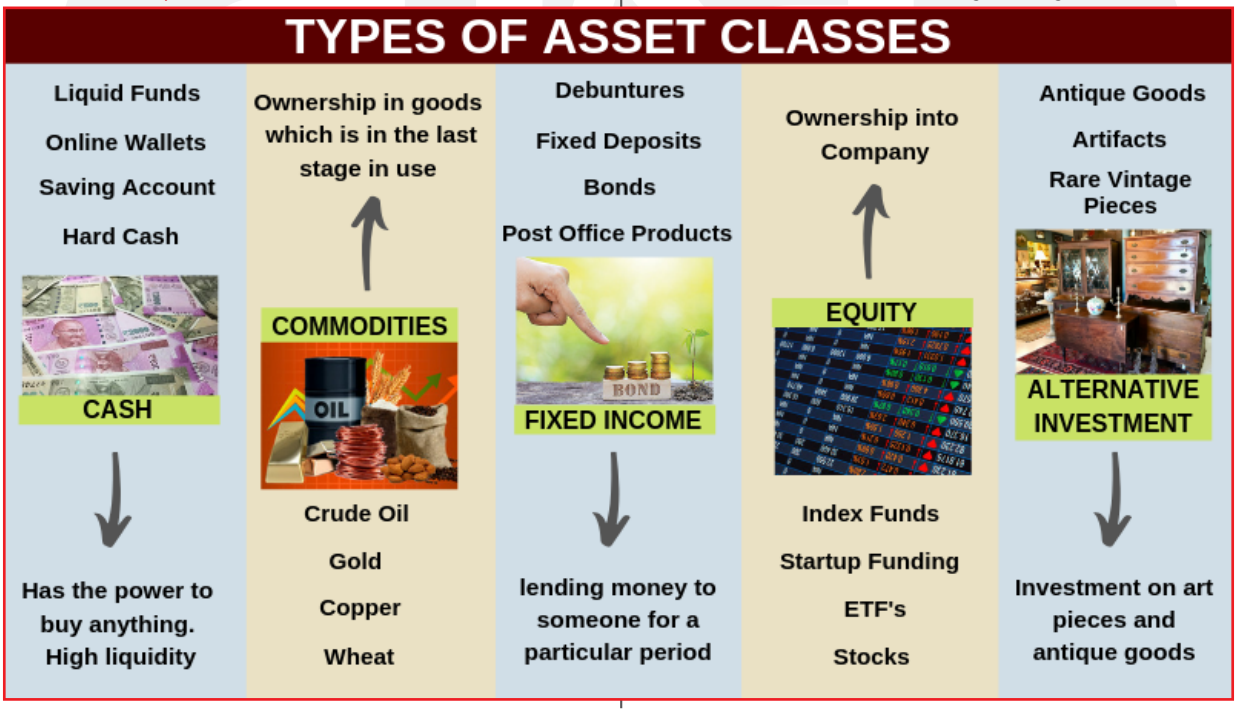

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **MF: ये ऐसे निवेश साधन हैं जिनमें बॉण्ड, स्टॉक** या दोनों के संयोजन जैसी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिये कई निवेशकों से धन एकत्र किया जाता है।
- **PMS:** यह **व्यक्तिगत निवेश प्रबंधन** पहलू है, जहाँ एक **समर्पित पोर्टफोलियो प्रबंधक** निवेशक की विशिष्ट आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप रणनीति तैयार करता है।
  - MF के विपरीत, PMS गहन शोध के आधार पर पेशेवर प्रबंधन के साथ **अनुकूलित पोर्टफोलियो** प्रदान करता है।
  - इससे आमतौर पर **उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों को लक्षित** किया जाता है और इसमें **उच्च शुल्क शामिल** होता है।
- SEBI द्वारा अनुपालन बोझ को कम करने **के साथ इसमें प्रवेश बाधाओं को कम करने के क्रम में** अधिक हितधारकों को म्यूचुअल फंड बाज़ार में प्रोत्साहित करके **एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF)** एवं **इंडेक्स फंड** जैसी **निष्क्रिय रूप से प्रबंधित फंड योजनाओं** को सुविधाजनक बनाने हेतु **म्यूचुअल फंड लाइट विनियम (एक सरलीकृत नियामक प्रणाली)** को भी प्रस्तुत किया गया है।

मरीन हीट वेव से 4 मिलियन मुरे समुद्री पक्षियों की मृत्यु

"द ब्लॉब" नामक **मरीन हीट वेव (MHW)** से वर्ष 2014 और 2016 के बीच **अलास्का के 4 मिलियन कॉमन मुरे समुद्री पक्षियों** की मृत्यु हुई है।

- यह **जंगली पक्षी या स्तनपायी** की किसी एक प्रजाति की **सबसे बड़ी प्रलेखित** मृत्यु है।
- **कॉमन मुरेस:** ये **काले और सफेद रंग के समुद्री पक्षी** हैं (जिन्हें अक्सर **"उड़ने वाले पेंगुइन" के रूप में वर्णित** किया जाता है) जो दिखने में कुछ हद तक **पेंगुइन जैसे होते हैं,** जो अलास्का में **सबसे अधिक संख्या में पाए** जाने वाले समुद्री पक्षियों में से हैं।
  - वे उत्तरी गोलार्द्ध में **सबसे अधिक गहराई** तक गोता लगाने वाले पक्षी हैं जो 600 फीट गहराई तक गोता लगा सकते हैं।
  - **IUCN स्थिति: कम चिंताजनक** .

- **मरीन हीट वेव (MHW):** यह स्थिति तब विकसित होती है जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र का **सतही तापमान कम-से-कम पाँच दिनों** तक औसत तापमान से **3 या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक** हो जाता है।
  - MHW कई **सप्ताह, महीनों या वर्षों तक चल** सकता है।
  - MHW समुद्री घास के जंगलों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि क्लेप्स (उथले पानी में पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र) आमतौर पर ठंडे पानी में उगते हैं।
  - **आमतौर पर ठंडे पानी** में उगते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अलास्का:

- क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है।
- इसकी सीमा **उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में कनाडा, दक्षिण में प्रशांत महासागर** तथा **पश्चिम में बेरिंग जलडमरूमध्य के माध्यम से रूस** से लगती है।
  - मूलत: रूस का हिस्सा रहे अलास्का को वर्ष 1867 में अमेरिका ने खरीद लिया था।
- यह क्षेत्र तेल, प्राकृतिक गैस और खनिजों से समृद्ध है।

पैंगोलिन

नाइजीरियाई अधिकारियों ने लगभग 2.18 टन पैंगोलिन स्केल (1,100 पैंगोलिन की जान के बराबर चमड़े) **जब्त किये,** जो पैंगोलिन की तस्करी से निपटने के लिये चल रहे प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- पैंगोलिन सबसे अधिक तस्करी किये जाने वाला **स्तनधारी जीव** हैं, **एशिया और अफ्रीका में इनके मांस और शल्कों** की बहुत अधिक मांग है, मुख्य रूप से गठिया, अर्थराइटिस और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार के लिये पारंपरिक चिकित्सा में इनका उपयोग किया जाता है।
- **पैंगोलिन प्रजातियाँ:** पैंगोलिन की आठ प्रजातियाँ हैं, जो दो महाद्वीपों में पाई जाती हैं:
  - **अफ्रीका: ब्लैक-बेल्ड पैंगोलिन, व्हाइट-बेल्ड पैंगोलिन, जाइंट ग्राउंड पैंगोलिन और टेम्मिंक्स ग्राउंड पैंगोलिन।**
  - **एशिया: भारतीय पैंगोलिन** *(मैनिस क्रैसिकाउडेटा)*, **चीनी पैंगोलिन** *(मैनिस पेंटाडैक्टाइला)*, **फिलीपीन पैंगोलिन** *और* **सुंडा पैंगोलिन।**

- **विशेषताएँ:** पैंगोलिन **एकांतप्रिय, रात्रिचर प्राणी** है जिसके शरीर पर शल्कों का एक विशिष्ट कवच होता है। इन्हें **स्केली एंटीइटर्स के** नाम से भी जाना जाता है, ये मुख्य रूप से चींटियों और दीमकों का सेवन करते हैं।
- **संरक्षण स्थिति:** इन प्रजातियों की संरक्षण स्थिति **संवेदनशील से लेकर गंभीर रूप से संकटग्रस्त** तक है।
- **वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species- CITES)** के के तहत पैंगोलिन के व्यापार पर प्रतिबंध है तथा उन्हें **IUCN रेड लिस्ट के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध किया गया हैं।**
- भारत में **भारतीय और चीनी** दोनों पैंगोलिन **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972** की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं, जो इसके **शिकार, व्यापार या किसी अन्य प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।**

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली

हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने **शिकायत निवारण तंत्र** की दक्षता बढ़ाने के लिये **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के अंतर्गत हुई प्रगति पर प्रकाश डाला।**

- CPGRAMS, **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र** द्वारा निर्मित एक 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ नागरिक **सेवा वितरण से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।** भारत और राज्यों के प्रत्येक मंत्रालय तथा राज्यों के पास इस प्रणाली तक भूमिका-आधारित पहुँच है।
  - नागरिक पंजीकरण आई.डी. का उपयोग करके शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और समाधान से असंतुष्ट होने पर अपील दायर कर सकते हैं।
  - 31 अक्तूबर, 2024 तक, 2020 से 2024 की अवधि में **CPGRAMS** पर लगभग 1.12 करोड़ शिकायतों का निवारण किया गया। वर्ष 2024 में, अभि तक की सर्वाधिक 23.24 लाख शिकायतों का निवारण किया गया।
  - सरकार ने शिकायत निवारण को और अधिक कुशल बनाने के लिये **10-चरणीय सुधार लागू किये, जिसके अंतर्गत एक लाख से अधिक शिकायत अधिकारियों को मैप किया गया तथा लंबित शिकायतों की संख्या को कम कर 54,339 तक कर दिया गया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

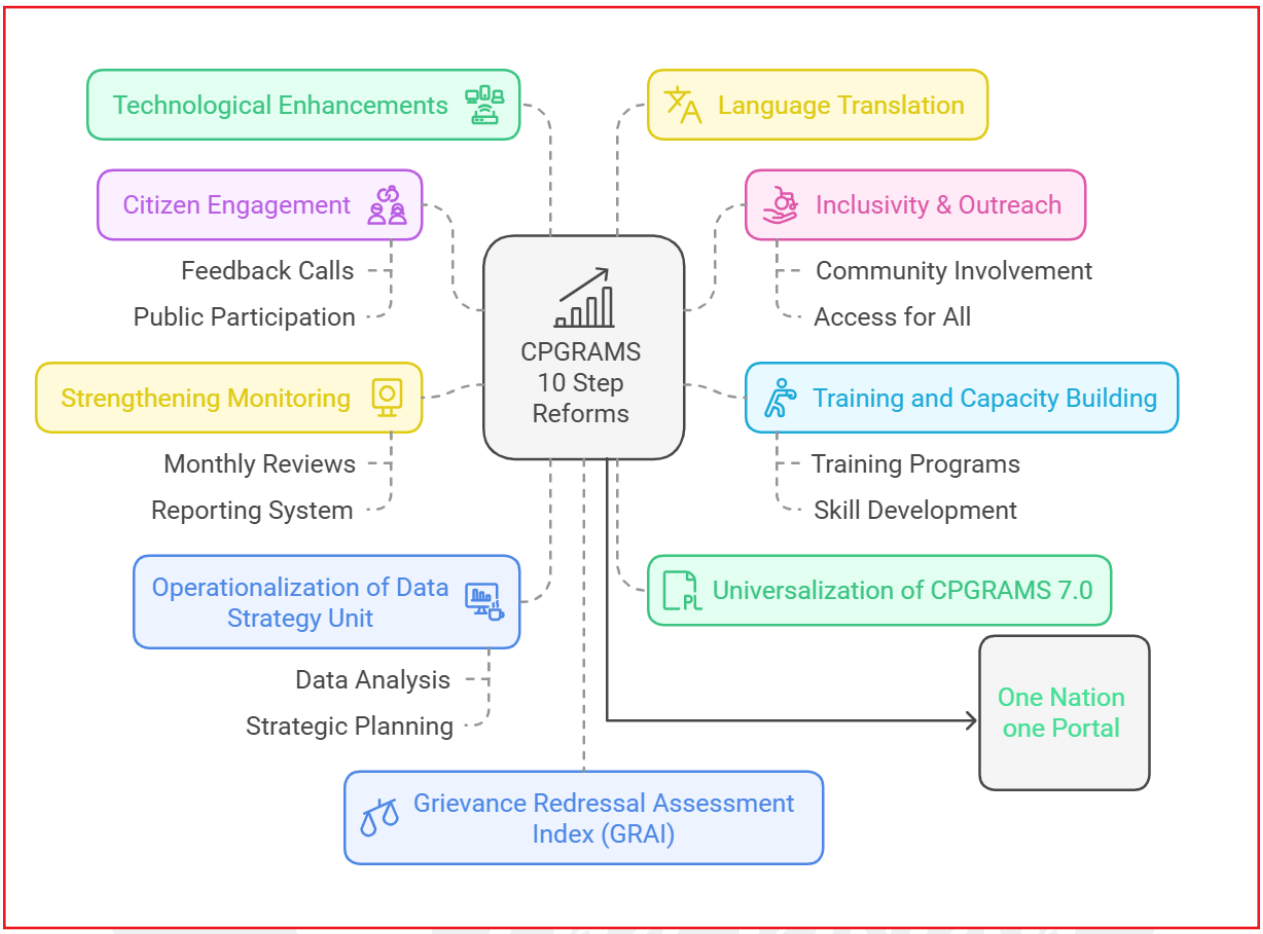

विरासत

वस्त्र मंत्रालय 15 **से** 28 **दिसंबर तक नई** दिल्ली में **विरासत साड़ी महोत्सव 2024** के **तीसरे संस्करण का** आयोजन कर रहा है।

- यह मेगा इवेंट विविध हस्तनिर्मित साड़ियों के प्रदर्शन तथा बुनकरों एवं कारीगरों को सीधे बाज़ार तक पहुँच प्रदान करते हुए **भारत के हैंडलूम विरासत को प्रोत्साहित करता है।**
- **भारत के हथकरघा क्षेत्र के बारे में:**
  - हथकरघा क्षेत्र लगभग **3.5 मिलियन लोगों** विशेष रूप से महिलाओं को **रोज़गार प्रदान करता है**, जिसके चलते यह **कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार क्षेत्रक बन गया है।**
  - यह अपनी **अनूठी क्षेत्रीय बुनाई** जैसे- **पैठणी, कांचीपुरम, बनारसी, पटोला** इत्यादि के लिये जाना जाता है। इनमें से प्रत्येक में विशिष्ट डिज़ाइन और रूपांकन होते हैं जो विश्व भर से साड़ी प्रेमियों का ध्यान आकर्षित करते हैं।
- **हथकरघा क्षेत्र के लिये सरकारी पहल:**
  - **राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP)**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- कच्चा माल आपूर्ति योजना (RMSS)
- बुनकरों के लिये मुद्रा ऋण/रियायती ऋण योजना
- हथकरघा उत्पादक कंपनियाँ
- डिज़ाइन संसाधन केंद्र (DRC)
- एक ज़िला एक उत्पाद

त्रिशूर पूरम में हाथी परेड

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने **त्रिशूर पूरम** में हाथियों के प्रदर्शन पर **केरल उच्च न्यायालय** द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर रोक लगा दी।

- इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने हाथियों के बीच **3 मीटर की दूरी** , सार्वजनिक या पर्क्यूशन प्रदर्शनों से **8 मीटर की दूरी** , **तथा** आतिशबाजी वाले क्षेत्रों से **100 मीटर की दूरी रखने का आदेश दिया था।**

त्रिशूर पूरम:

- यह केरल के त्रिशूर में आयोजित होने वाला एक **वार्षिक हिंदू मंदिर उत्सव है जो 10 मंदिरों** के देवताओं का एक प्रतीकात्मक मिलन है।
- केरल के **मेडम (अप्रैल-मई)** में मनाया जाने वाला यह त्यौहार **सभी पूरमों (मंदिर उत्सव) की जननी** के रूप में जाना जाता है।
- इसकी शुरुआत **कोचीन के महाराजा राजा राम वर्मा** (1790-1805) ने की थी, जिन्हें **सक्थन थंपुरन** के नाम से जाना जाता था। इसमें 10 विभिन्न मंदिरों ने भाग लिया था।
- **जीवंत रूप से सुसज्जित हाथी** त्रिशूर पूरम का एक प्रमुख आकर्षण हैं।
- त्यौहार की शुरुआत **ध्वजारोहण** समारोह से होती है, जिसे **कोडियेट्टम** के नाम से जाना जाता है। अंतिम दिन शानदार **आतिशबाजी का प्रदर्शन** होता है।

बड़े मांसाहारी जीवों द्वारा फूलों का परागण

इथियोपियाई भेड़िया, एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है, जो **अप्रत्याशित परागणकर्त्ता** के रूप में कार्य करता है तथा **पादप-परागणकर्त्ता संबंधों** पर पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है।

- इथियोपियाई भेड़िया, इथियोपियाई **रेड हॉट पोकर** फूलों के रस का **सेवन** करता है, वह अपने **मुँह के आगे वाले भाग पर पराग स्थानांतरित करके** परागण में सहायता करता है।
  - इथियोपियन रेड हॉट पोकर एक **लाल और पीले रंग का फूल** है जो **मीठा पराग** उत्पन्न करता है और अनेक परागणकों को आकर्षित करता है।

इथियोपियाई भेड़िया:

- यह **एफ्रोअल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र** में एक विशेष **कृंतक शिकारी** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **एफ्रोअल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र अफ्रीका के उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्र** हैं, विशेष रूप से **इथियोपियाई हाइलैंड्स** (समुद्र तल से 3200 मीटर ऊपर, ठंडी और कठोर जलवायु)।

- इसका आकार लगभग एक **बड़े कुत्ते** के समान होता है, जिसका **आवरण (Coat) लाल होता है**, गले और छाती पर **सफेद निशान** होते हैं तथा **पूँछ काली एवं घनी** होती है।
- आज **500 से भी कम जीवित प्राणियों** के साथ यह अफ्रीका का सबसे **संकटग्रस्त मांसाहारी** जानवर है।
- यह **केवल इथियोपिया में,** उष्णकटिबंधीय जंगलों के ऊपर ऊँचे **"स्काई आइलैंड्स"** में रहता है।
  - स्काई आइलैंड्स **अलग-अलग पर्वत हैं** जो मौलिक रूप से भिन्न तराई के वातावरण से घिरे हैं।
- **अन्य मांसाहारी परागणकर्त्ता: चमगादड़** पराग-खाने वाले स्तनधारी परागणकर्त्ता हैं।
  - छोटी मांसाहारी प्रजातियाँ जैसे कि **सीवेट या नेवले** परागण करते हैं।
  - सर्वाहारी भालू, जैसे कि **सन बियर**, भी परागण करते हैं।

उत्तर पूर्वी परिषद का 72वाँ पूर्ण अधिवेशन

त्रिपुरा के अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद (NEC) के 72 वें पूर्ण अधिवेशन में केंद्रीय गृहमंत्री ने **पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस बलों के लिये उग्रवाद नियंत्रण** से हटकर **नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को** सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जो इस क्षेत्र में शासन की एक नवीन अवस्था को दर्शाता है।

- **NEC: वर्ष 1971 में** (संसद के एक अधिनियम द्वारा) स्थापित NEC, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये **नोडल एजेंसी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा शामिल हैं।**
  - इसका उद्देश्य विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करना और क्षेत्र की क्षमता का दोहन करना है।
- **NEC की उपलब्धियाँ:** 11,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ।
  - **उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम (NEEPCO)** के नेतृत्व वाली परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया।
  - **क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) जैसे आधारभूत संस्थान** तथा विभिन्न शैक्षिक एवं तकनीकी केंद्र स्थापित करना।
  - **एक सलाहकार निकाय से क्षेत्रीय योजना एजेंसी के रूप में** परिवर्तित होकर, रणनीतिक निर्णय लेने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ग्रीन डिपॉज़िट

भारत में मूल्य निर्धारण संबंधी मुद्दों, लोगों की अपर्याप्त सहभागिता और निजी बैंकों की सीमित रुचि के कारण **ग्रीन डिपॉज़िट** के स्वीकरण की गति मंद है।

- **ग्रीन डिपॉज़िट:** ये सौर ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और सतत् जल प्रबंधन जैसी **हरित परियोजनाओं** के **वित्तपोषण** के लिये निर्धारित ब्याज़-युक्त जमा राशि हैं।
  - जून 2023 में, **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने **स्थायी निवेश को बढ़ावा देने के लिये ग्रीन डिपॉज़िट** हेतु एक **रूपरेखा तैयार की।**
    - हालाँकि, SBI जैसे बैंकों में इसको लेकर सीमित रुचि देखी गई है, क्योंकि उनकी ब्याज़ दरें नियमित जमाओं के मुकाबले प्रतिस्पर्द्धी नहीं हैं।
- **ग्रीन डिपॉज़िट संबंधी चुनौतियाँ:** नियमित जमा की तुलना में **ग्रीन डिपॉज़िट पर कम ब्याज़ दरें ग्राहकों को हतोत्साहित करती हैं।**
  - बैंकों को यह परिभाषित करने में कठिनाई होती है कि कौन सी गतिविधियाँ **"हरित" मानी जाएंगी तथा हरित निवेश के लिये स्पष्ट रूपरेखा का भी अभाव है।**
  - ग्रीन डिपॉज़िट के लिये **आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR)** की आवश्यकता अधिक है, जो अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने में बाधा बन सकती है।
- **ग्रीन डिपॉज़िट के प्रति भारत की प्रतिबद्धता: भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक कार्बन तटस्थता लक्ष्यों की पूर्ति** करना है तथा इस परिवर्तन में **हरित वित्त महत्त्वपूर्ण होगा।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

अमेरिका ने नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट का उन्मूलन किया

नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट, जिसे **मर्डर हॉर्नेट** भी कहा जाता है, को **अमेरिका** में **सफलतापूर्वक समाप्त** कर दिया गया है।

नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट:

- नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट (Vespa mandarinia) विश्व की **सबसे बड़ी हॉर्नेट (ततैया)** है, जिसकी **लंबाई 2 इंच** तक होती है।
  - ततैया एक प्रकार का **कीट** है जो **हाइमनोप्टेरा** गण से संबंधित है, जिसमें **मधुमक्खियाँ और चींटियाँ** भी शामिल हैं ।
- इसका **सिर बड़ा, ठोस पीले या नारंगी रंग का** तथा आँखें काली होती हैं।

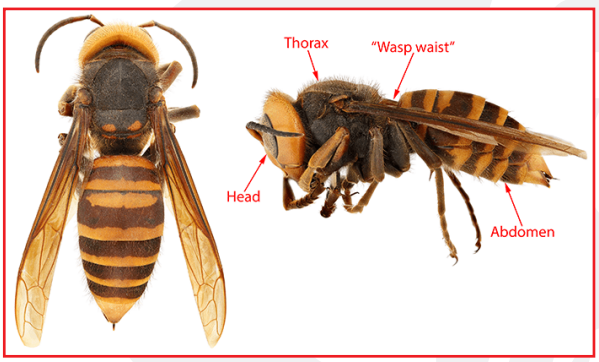

- यह **एशिया की मूल प्रजाति** है और इसे पहली बार **वर्ष 2019** में कनाडा की सीमा के पास **वाशिंगटन राज्य** में देखा गया था ।
- यह **कीटों और देशी परागणकों** के लिये एक बड़ा खतरा है जो केवल 90 मिनट में **मधुमक्खियों के पूरे छत्त (मधुमक्खियों के आवास)** को नष्ट कर सकता है।
  - यह **लोगों की जान** भी ले सकता है, क्योंकि यह मधुमक्खी से **सात गुना अधिक विषैला** है तथा **कई बार डंक** मार सकता है।
- वे आमतौर पर **वन क्षेत्रों में,** प्राय: **भूमिगत गुहाओं में अपना घोंसला** बनाते हैं।

GST परिषद की 55वीं बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्री ने **वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद** की 55वीं बैठक की अध्यक्षता की।

GST परिषद की 55वीं बैठक में लिये गए प्रमुख निर्णय क्या हैं ?

- **प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन (EV):** GST परिषद ने गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह सभी प्रयुक्त **EV** की बिक्री पर कर की दर को **12% से बढ़ाकर 18%** करने का निर्णय लिया है।
  - **GST केवल व्यावसायिक** बिक्री के मामले में **मार्जिन मूल्य** (खरीद और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर, यदि दावा किया गया हो तो मूल्यह्रास का समायोजन) पर लागू होगा। **व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत बिक्री (Individual-to-Individual sales)** पर **कोई GST लागू नहीं** होगा।
- **बैंकों के दंडात्मक शुल्क: ऋण अवधि के उल्लंघन** के लिये **बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)** द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई GST लागू नहीं होगी।
- **पेमेंट एग्रीगेटर: 2,000 रुपए से कम** के भुगतान वाले **पेमेंट एग्रीगेटर** छूट के पात्र होंगे।
  - यह छूट **पेमेंट गेटवे** या फंड निपटान से असंबंधित अन्य **फिनटेक सेवाओं** पर लागू **नहीं** होगी।
- **विमानन टरबाइन ईंधन (ATF):** GST परिषद **ATF** को GST के दायरे में लाने पर **सहमत नहीं हुई** क्योंकि राज्यों ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया।
  - **राज्य ATF को कच्चे पेट्रोलियम डीजल बास्केट** का हिस्सा मानते हैं और इनके अनुसार केवल इसे इससे अलग **नहीं** किया जा सकता है।
  - पाँच उत्पादों यानी **कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, ATF और प्राकृतिक गैस को** GST के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पर केंद्र सरकार **उत्पाद शुल्क लगाती है** और राज्य **VAT** लगाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **GST से छूट: किसानों** द्वारा सीधे आपूर्ति की जाने वाली **काली मिर्च एवं किशमिश को** GST से छूट दी गई।
  - **जीन थेरेपी को GST से पूरी तरह छूट** दी गई है तथा **सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों** पर **एकीकृत GST** छूट को बढ़ाया गया है।
- **क्षतिपूर्ति उपकर: व्यापारिक निर्यातकों को आपूर्ति पर क्षतिपूर्ति उपकर** की दर को घटाकर 0.1% कर दिया गया।
  - यह उपकर GST के कार्यान्वयन के कारण **राज्यों को होने वाली किसी भी राजस्व हानि की भरपाई** के लिये चुनिंदा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकत्र किया जाता है।
- **पॉपकॉर्न:** GST परिषद ने **स्पष्ट किया** (कोई नया कर नहीं लगाया गया) कि **कारमेलाइज़्ड पॉपकॉर्न** पर 18% GST लगाया जाएगा। **नमक और मसालों** के साथ रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा (अगर वह पहले से पैक और लेबल नहीं है) और अगर वह **पहले से पैक और लेबल है तो 12% GST** लगेगा।
  - **कारमेलाइज़्ड पॉपकॉर्न को चीनी कन्फेक्शनरी** के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस पर **18% GST प्रस्तावित** किया गया है जबकि **नमकीन** पॉपकॉर्न पर **5% GST** का प्रावधान किया गया।

नोट:

- **पेमेंट एग्रीगेटर:** पेमेंट एग्रीगेटर एक **तृतीयक-पक्ष सेवा प्रदाता है** जो ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान करने एवं व्यवसायों को भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिये **फोनपे, पेटीएम आदि।**
- **पेमेंट गेटवे:** पेमेंट गेटवे को ऑनलाइन भुगतान के लिये **प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदाता के रूप में संदर्भित** किया जाता है।
  - इसमें भौतिक कार्ड-रीडिंग डिवाइस जैसे **पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) मशीन**, **क्यूआर कोड या नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक** आदि शामिल हैं।
  - **फिनटेक सेवाएँ:** इसका आशय किसी भी **ऐप, सॉफ्टवेयर या ऐसी तकनीक** से है जिससे लोगों या व्यवसायों को डिजिटल रूप से अपने वित्त **तक पहुँचने, प्रबंधन करने या जानकारी प्राप्त करने** के साथ वित्तीय लेन-देन में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिये **वज़ीरएक्स** (बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज तथा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म)।

GST परिषद

- **परिचय:** GST परिषद (**अनुच्छेद 279-A (101वाँ संशोधन, 2016)** के तहत एक **संवैधानिक निकाय)** द्वारा GST के कार्यान्वयन संबंधी सिफारिशें की जाती हैं।
  - GST एक **मूल्यवर्द्धित (एड वैलोरम)** और **अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है** जो भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- **सदस्य:** इस परिषद में **केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)**, केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।
- **निर्णयों की प्रकृति:** ***मोहित मिनरल्स मामले, 2022*** में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि GST परिषद की सिफारिशें **बाध्यकारी नहीं** हैं क्योंकि संसद एवं राज्यों दोनों के पास GST के संबंध में **विधायी शक्तियाँ** हैं।

अंत:समुद्री (अंडरसी) केबल नेटवर्क

भारत **दो नए केबल नेटवर्क इंडिया एशिया एक्सप्रेस (IAX) और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस (IEX)** स्थापित करने की योजना बना रहा है।

- **IAX चेन्नई और मुंबई** को एशिया में **सिंगापुर, थाईलैंड एवं मलेशिया** से जोड़ता है। जबकि **IEX फ्राँस, ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र एवं जिबूती** से जोड़ता है।

अंत:समुद्री (सबमरीन केबल):

- यह **समुद्र तल** पर बिछाई गई **उच्च क्षमता वाली ऑप्टिक फाइबर केबल हैं, जो उच्च गति डेटा विनिमय के लिये वैश्विक कनेक्टिविटी** प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- फाइबर ऑप्टिक केबल में डिजिटल जानकारी को स्थानांतरित करने के लिये **प्रकाश तरंगों का** उपयोग किया जाता है। यह अपने संचालन के लिये **पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर** करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- एक छोर पर स्थित **लेजर अत्यंत तीव्र गति से** पतले काँच के तंतुओं से होकर केबल के दूसरे छोर पर स्थित रिसेप्टर्स तक पहुँचता है।
  - इन काँच के तंतुओं को सुरक्षा के लिये प्लास्टिक (और कभी-कभी स्टील के तार) **की परतों में** लपेटा जाता है।
- यह उपग्रह संचार की तुलना में **असीमित बैंडविड्थ** और **बहुत कम विलंबता (लेटेंसी) प्रदान करते हैं, जो अंतरिक्ष मौसम,** विकिरण और मलबे से खतरों का सामना करते हैं ।
- वर्ष 2023 तक, भारत के **पाँच शहरों में 14 अलग-अलग स्टेशनों** पर **17 अंतर्राष्ट्रीय सब-सी केबल** बिछाए गए हैं, जिनकी संचयी प्रकाशित क्षमता **138.55 टेराबिट्स प्रति सेकंड (tbps)** और **सक्रिय क्षमता** 111.11 **tbps है** ।

Project	Capacity (tbps)	Length (km)	Investors Include	Connecting
2Africa Pearls	180	45,000	Airtel, Meta, Saudi Telecom	Africa, Europe, Middle East, Asia
India-Asia-Express	200	16,000	Jio, China Mobile	Mumbai, Singapore, Malaysia, Thailand, and Sri Lanka
India-Europe-Express	200	9,775	Jio, China Mobile	Mumbai to Persian Gulf and Europe

Total existing installed capacity 138.55 tbps

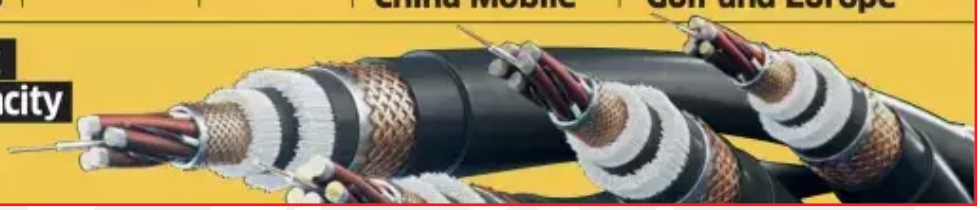

मारबर्ग वायरस रोग

रवांडा ने अपने यहाँ पहली बार फैले **मारबर्ग वायरस रोग (MVD) के प्रकोप** को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया है तथा 42 दिनों तक कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद **आधिकारिक रूप से इसके समाप्त होने की घोषणा** कर दी है।

- MVD एक गंभीर और **घातक रक्तस्रावी बुखार** है, जो **मारबर्ग वायरस** के कारण होता है, जिसमें मृत्यु दर बहुत अधिक है और वर्तमान में इसका कोई अनुमोदित उपचार उपलब्ध नहीं है।
- **संचरण:** यह **फ्रूट बैट्स *(रूसेटस एजिप्टियाकस)* से मनुष्यों में** फैलता है, तथा संक्रमित व्यक्तियों के शारीरिक द्रव्यों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है।
- **लक्षण:** MVD की शुरुआत तेज़ बुखार, गंभीर सिरदर्द और अस्वस्थता से होती है।
  - जैसे-जैसे यह बढ़ता है, यह गंभीर रक्तस्राव, सदमा और कई अंगों की विफलता का कारण बन सकता है, तथा लक्षण शुरू होने के **8-9 दिन** बाद मृत्यु भी हो सकती है।
- **निदान :** निदान की पुष्टि **RT-PCR (रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन)** और वायरस अलगाव जैसे परीक्षणों के माध्यम से की जाती है, जिसके लिये अधिकतम जैव-खतरे की रोकथाम की आवश्यकता होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **उपचार:** कोई अनुमोदित टीका या एंटीवायरल उपचार नहीं; **सहायक देखभाल,** जैसे पुनर्जलीकरण और लक्षण प्रबंधन, जीवन प्रत्याशा को बेहतर बनाता है।
- **नियंत्रण:** प्रमुख नियंत्रण उपायों में **सामुदायिक सहभागिता, सुरक्षित अंत्येष्टि, संपर्क अनुरेखण** और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण नियंत्रण शामिल हैं।
- **रवांडा के बारे में मुख्य तथ्य: यह पूर्वी-मध्य अफ्रीका** में एक स्थलबद्ध देश है, जिसे **"हज़ार पहाड़ियों की भूमि"** के रूप में जाना जाता है। यह **बुरुंडी, तंज़ानिया, युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य** के साथ सीमा साझा करता है।
  - किगाली राजधानी है। **नील और कांगो नदियाँ** रवांडा से होकर बहती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

मांसाहारी गिलहरियाँ

विस्कॉन्सिन-ओ क्लेयर विश्वविद्यालय (अमेरिका) द्वारा किये गए एक अध्ययन में पता चला है कि **कैलिफोर्निया ग्राउंड गिलहरी** (Otospermophilus beecheyi), जिन्हें पहले **शाकाहारी** माना जाता था, **अवसरवादी सर्वाहारी व्यवहार** प्रदर्शित करती हैं।

- शोधकर्त्ताओं ने देखा कि गिलहरियाँ **वोल्स (कृंतकों) का शिकार करती हैं, उन्हें मारकर भक्षण करती हैं**, तथा 74 में से 42% क्रियाएँ सक्रिय शिकार से संबंधित थीं।
- जुलाई के प्रारंभ में वोल्स (कृंतकों) की संख्या में वृद्धि के साथ गिलहरियों की मांसाहारी गतिविधियाँ में वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि भोजन की आपूर्ति ने उन्हें शिकार के लिये प्रेरित किया।
- इसमें पता चला कि **गिलहरियों का आहार पहले की अपेक्षा अधिक लचीला** है, जिससे उन्हें **भोजन की उपलब्धता में परिवर्तन के अनुकूल होने** तथा तेज़ी से बदलते वातावरण में जीवित रहने में मदद मिलती है।

- **कैलिफोर्निया ग्राउंड गिलहरी:**
  - इसे **बीचेई ग्राउंड गिलहरी** के नाम से भी जाना जाता है और यह आमतौर पर पश्चिमी अमेरिका में पाई जाती है।
  - इनका **फर धब्बेदार होता है, तथा इनका रंग ग्रे, हल्का और गहरा भूरा** होता है, तथा इनकी त्वचा पर सफेद रंग होता है।
  - वे आम तौर पर **रैटलस्नेक, ईगल, रैकून, लोमड़ी, बेजर और वीज़ल्स का शिकार होते हैं** और वनों में **6 वर्ष तक जीवित** रह सकते हैं।
  - **IUCN रेड लिस्ट:** कम चिंताजनक
  - **CITES:** कोई विशेष दर्जा नहीं
- **भारतीय पाम गिलहरी** (फनाम्बुलस पल्मारम) आमतौर पर भारत और श्रीलंका में पाई जाती है।

शेख हसीना के प्रत्यर्पण का आग्रह

हाल ही में भारत को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री **शेख हसीना के प्रत्यर्पण** (Extradition) के संबंध में बांग्लादेश से एक **नोट वर्बेल (अहस्ताक्षरित राजनयिक पत्राचार) प्राप्त हुआ।**

- शेख हसीना पर **छात्रों द्वारा किये गए विरोध प्रदर्शनों** के दौरान **सामूहिक हत्याओं का आरोप है**, जिसके लिये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उन पर **मुकदमा चलाना चाहती है।**
- **बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना को भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि 2013, जिसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था,** के तहत वापस भेजने की मांग की जा सकती है।
- **संधि के अपवाद:**
  - **अनुच्छेद 6:** यदि जिस अपराध के संदर्भ में अनुरोध किया गया है वह राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
  - **अनुच्छेद 8:** किसी व्यक्ति को **प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता** यदि उसके विरुद्ध **"न्याय के हित में सद्भावपूर्वक"** आरोप न लगाया गया हो।
- **वर्ष 2016 का संशोधन: इसका उद्देश्य** प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को **सरल एवं त्वरित बनाना करना** था
  - **अनुच्छेद 10 (3):** इसने प्रत्यर्पण का अनुरोध करने वाले देश की ओर से **साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने** की आवश्यकता को **समाप्त कर दिया।**
  - **सक्षम न्यायालय: प्रत्यर्पण के लिये सक्षम न्यायालय** द्वारा जारी **अरेस्ट वारंट** ही पर्याप्त है। उल्लेखनीय है कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कई अरेस्ट वारंट जारी किये गए हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- इस संधि के तहत भारत को वर्ष 2015 में उल्फा नेता अनूप चेतिया को प्रत्यर्पित कराने का अवसर प्राप्त हुआ था।

Rocky ties: Rising India-B'desh tensions

A timeline of major controversies since Bangladesh's ex-PM Sheikh Hasina fled the country

AUGUST

Sheikh Hasina steps down and flees to India amid protests

- Marks beginning of tensions between interim government and India
- Muhammad Yunus becomes interim government head

NOVEMBER

Diplomatic tensions over minority protection

- Interim govt dismisses Indian concerns about Hindu minority persecution
- Yunus claims Indian media is exaggerating reports of violence
- India formally calls on Bangladesh to protect minorities

DECEMBER

- Bangladesh summons Indian high commissioner Pranay Verma, the first time in recent years a senior Indian diplomat was summoned
- Protests over treatment of Hindu monk Chinmoy Krishna Das
- Yunus raises concerns about Hasina making statements from India, claims they "create tension"
- Yunus seeks India's help to clear "dark clouds" over bilateral ties

कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के उम्मीदवारों का मूल्यांकन

हाल ही में, **सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद** हेतु विचारार्थ उम्मीदवारों के साथ वार्ता की, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम का यह कदम मानक स्क्रीनिंग प्रक्रिया से पृथक् था।

- **मानक स्क्रीनिंग प्रक्रिया में न्यायिक कार्यों का मूल्यांकन, खुफिया विभाग (IB) से प्राप्त जानकारी,** राज्यपाल के माध्यम से **मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त विचार** और **न्याय विभाग की टिप्पणियाँ** शामिल होती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने यह कदम **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** के एक न्यायाधीश द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान **धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद उठाया**, जिसकी व्यापक **आलोचना की गई थी**।
  - यह आरोप लगाया गया कि उनकी टिप्पणियों ने वर्ष 1997 **में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्स्थापन (Restatement of Values of Judicial Life) का** उल्लंघन किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कॉलेजियम सिस्टम

- न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - राष्ट्रपति "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों" से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
  - इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
  - इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
  - राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

आलोचना

- अपारदर्शिता
- भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- कार्यपालिका का बहिष्करण
- नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- यह **न्यायिक आचार संहिता है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका** तथा **निष्पक्ष** न्याय प्रशासन के लिये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है।

◆ **इस कृत्य ने बंगलूरू प्रिंसिपल ऑफ ज्यूडीशियल कंडक्ट, 2002 का** भी उल्लंघन किया, जो **न्यायाधीशों हेतु नैतिक मानदंड निर्धारित करता है** तथा उनके न्यायिक व्यवहार को नियंत्रित करता है।

- यह **छह प्रमुख मूल्यों** अर्थात् **स्वतंत्रता** (Independence), **निष्पक्षता** (Impartiality), **सत्यनिष्ठ** (Integrity), **औचित्य** (Propriety), **समानता** (Equality) तथा **अभिक्षमता और कर्मठता** (Competence and Diligence) को मान्यता देता है।

- संविधान के **अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की** नियुक्ति **राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** और राज्य के **राज्यपाल के** परामर्श से की जाएगी।

अमेरिका द्वारा क्षेत्रीय अधिग्रहण और ग्रीनलैंड में रुचि

अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में ग्रीनलैंड को खरीदने में रुचि व्यक्त की है, जो **आर्कटिक** जैसे रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अमेरिका की मौजूदा महत्त्वाकाँक्षाओं को उजागर करता है।

- यह कदम अमेरिका द्वारा क्षेत्रीय अधिग्रहण के दीर्घकालिक इतिहास को दर्शाता है, जो वैश्विक शक्ति के रूप में उसके विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

अमेरिका द्वारा क्षेत्रीय अधिग्रहण:

- **लुइसियाना (1803):** अमेरिका ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर में फ्राँस से 828,000 वर्ग मील भूमि का अधिग्रहण किया, जिससे उसका आकार दोगुना हो गया तथा **मिसिसिपी नदी पर नियंत्रण प्राप्त हुआ।**
- **गैड्सडेन (1853): दक्षिणी अंतर-महाद्वीपीय रेलमार्ग की** सुविधा हेतु एरिज़ोना तथा न्यू मैक्सिको में 30,000 वर्ग मील का क्षेत्र खरीदा गया।
- **अलास्का (1867):** अमेरिका ने रूस से 7.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में लगभग 600,000 वर्ग मील ज़मीन खरीदी।

◆ शुरुआत में इसे कम तात्कालिक मूल्य वाले एक **रणनीतिक अधिग्रहण के रूप में देखा गया, लेकिन वर्ष 1896 में क्लोंडाइक गोल्ड रश** (**क्लोंडाइक में सोने की खोज**) के बाद इसे महत्त्व मिला और यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बन गया।

ग्रीनलैंड से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- यह **विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उत्तरी अटलांटिक महासागर** में स्थित है तथा **डेनमार्क** का एक क्षेत्र है।
- **ग्रीनलैंड में वॉटकिंस रेंज और स्टॉनिंग आल्प्स** जैसी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ तथा बोर्ग्लम (Borglum) और मेजरक्वाक (Majorqaq) जैसी नदियाँ हैं।
- **ग्रीनलैंड 1700 के दशक के उत्तरार्ध से ही** एक खनन राष्ट्र रहा है, जहाँ **कोयला तथा बाद में सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा,** जस्ता, ग्रेफाइट और संगमरमर का खनन किया गया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024

हाल ही में **24 दिसंबर, 2024 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया।** इस वर्ष का **थीम "आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुँच"** था।

- यह दिवस **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986** के अधिनियमन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया था।

शुरू की गई प्रमुख पहलें:

- **जागो ग्राहक जागो ऐप और जागृति ऐप:** इनका उद्देश्य **उपभोक्ताओं** को '**डार्क पैटर्न**' सहित अनुचित व्यापार प्रथाओं की पहचान करने में सशक्त बनाना है।

◆ डार्क पैटर्न का तात्पर्य **भ्रामक विधियों से है जिनका** उपयोग वेबसाइट और ऐप द्वारा **उपयोगकर्त्ताओं को** अनपेक्षित कार्यों में शामिल करने के लिये किया जाता है। उदाहरण के लिये, **हिडेन लागतें, हिडेन विज्ञापन आदि।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान ई-मैप:** इसका उद्देश्य **उपभोक्ता अधिकारों** और विधिक मापविज्ञान सेवाओं की सूचना तक पहुँच को सरल बनाना है।
- **AI-सक्षम NCH 2.0:** यह संशोधित **राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पोर्टल शिकायत** के **कुशल समाधान** के लिये **बहुभाषी समर्थन** और **AI चैटबॉट की सुविधा** प्रदान करेगा।
- **जैविक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला:** इसका उद्घाटन **गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह में किया गया** तथा यह प्रयोगशाला **जैविक खाद्य** सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करेगी।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस **15 मार्च** को मनाया जाता है।

प्रकाश की चाल

प्रकाश की चाल, जो भौतिकी में एक **मौलिक स्थिरांक है,** सदियों से बढ़ती हुई परिशुद्धता के साथ निर्धारित की जाती रही है।

- प्रकाश की चाल वह दर है जिस पर प्रकाश तरंगें **विभिन्न पदार्थों के माध्यम से** फैलती हैं। विशेष रूप से, **निर्वात में प्रकाश की चाल** को **299,792,458 मीटर प्रति सेकंड** के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - विभिन्न पदार्थों से गुजरते समय प्रकाश की चाल भिन्न हो सकती है, जो उस **पदार्थ के अपवर्तनांक** (एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते समय प्रकाश किरण के मुड़ने की माप) पर निर्भर करता है।
- प्रकाश की चाल के प्रारंभिक अनुमान इस बात पर आधारित थे कि **प्रकाश को एक ज्ञात दूरी तय करने में कितना समय लगता है,** तथा उपकरणों के उन्नत होने के साथ-साथ माप में भी सुधार होता गया।
- **ओले रोमर (1676)** ने बृहस्पति के चंद्रमाओं और पृथ्वी से बृहस्पति की दूरी के आधार पर उनके ग्रहण के समय में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन करके सबसे पहले **प्रकाश की चाल** का अनुमान लगाया था।
  - उनका अनुमान था कि यह गति **225,300 किमी/सेकंड** होगी, जो बृहस्पति की दूरी के संदर्भ में सीमित जानकारी के कारण आधुनिक माप से बहुत दूर थी।
- प्रकाश की चाल का आधुनिक माप **लेज़र किरणों और परमाणु घड़ियों का उपयोग** करके किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में सटीक मान प्राप्त होता है।

मानव संपर्क से लायन-टेल्ड मेकाक को खतरा

लुप्तप्राय लायन-टेल्ड मेकाक/सिंह-पूँछ वाले मैकाक (Lion-Tailed Macaques) को बढ़ते मानवीय संपर्क से खतरा है, जो **आवास की कमी, मानव अतिक्रमण और भोजन की बढ़ती आपूर्ति** से प्रेरित है।

- मानव द्वारा उपलब्ध कराया गया भोजन **से बीमारी फैलने, कुपोषण और अप्राकृतिक खाद्य स्रोतों पर निर्भरता** तथा **सड़क दुर्घटनाओं** एवं मानव आक्रामकता के जोखिम बढ़ रहे है।
  - लायन-टेल्ड मेकाक **मानव-परिवर्तित वातावरण के प्रति अत्यधिक अनुकूलनीय है** तथा अक्सर मनुष्यों के साथ अंत:क्रिया करता है।

- **लायन-टेल्ड मेकाक:**
  - यह **पूर्वजगत बंदर हैं जो** भारत के **पश्चिमी घाटों** में स्थानिक रूप से पाये जाते हैं ।
    - उनके प्रमुख आवासों में पश्चिमी घाट के **अनामलाई पहाड़ियाँ,** नेलियामपैथी, नीलांबुर घाट, **शोलायार,** गवी, **सबरीमाला, वल्लीमलाई पहाड़ियाँ और अगुम्बे शामिल हैं।**
  - लायन-टेल्ड मेकाक के **काले फर** और सिर तथा ठोड़ी के चारों ओर **एक धूसर अयाल होता है जिसके कारण उन्हें "दाढ़ी वाले बंदर (Beard Ape)" भी कहा** जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- समूह के प्रमुख नर मेकाक अपने क्षेत्र में प्रवेश करते समय अन्य को सचेत करने के लिये **मानव-जैसी तेज़ 'आवाज़/उफ (Whoops)' का उपयोग** करते हैं।

- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय**
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I**
  - **CITES: परिशिष्ट I**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

जल्लीकट्टू

तमिलनाडु सरकार ने **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड** के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 में सुरक्षित **जल्लीकट्टू आयोजनों के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** जारी की है।

- आयोजनों को **तमिलनाडु पशु क्रूरता निवारण (जल्लीकट्टू का आयोजन) नियम, 2017 की धारा 3(2)** का पालन करना होगा, जिसके तहत **केवल अनुमति के साथ अधिसूचित स्थानों पर ही जल्लीकट्टू की अनुमति दी जाएगी,** बैलों की सुरक्षा और क्रूरता की रोकथाम सुनिश्चित की जाएगी।
- 2,000 वर्ष से अधिक पुराना, जल्लीकट्टू, तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जो मूल रूप से **उपयुक्त वर** का चयन करने के लिये आयोजित किया जाता था।

  - यह खेल भारत के एक जातीय समूह **अयार** से जुड़ा हुआ है, और इसका नाम **"जल्ली" (सिक्के) और "कट्टू" (बंधा हुआ)** से निकला है।
  - यह **मट्टू पोंगल दिवस** (पोंगल का तीसरा दिन) पर मनाया जाता है, जहाँ एक बैल को छोड़ दिया जाता है, और प्रतिभागी उसके **सींग पर बंधे सिक्के जीतने के लिये उसे वश में करते हैं।**
  - इस खेल में **पुलिकुलम या कंगायम नस्ल के बैलों का उपयोग** किया जाता है, जो प्रजनन और बाज़ार में बिक्री के लिये अत्यधिक मूल्यवान हैं।
- जल्लीकट्टू को दर्शाती एक मुहर **सिंधु घाटी स्थल** पर मिली थी, जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है। मदुरै के निकट एक 1500 वर्ष पुरानी गुफा चित्रकला में भी इस खेल को दर्शाया गया है।
- जल्लीकट्टू के विभिन्न संस्करणों, जैसे **वादी मंजुविरट्टू, वेलि विरट्टू और वटम मंजुविरट्टू** में बैल को पकड़ने की अवधि या तय की जाने वाली दूरी के संबंध में अलग-अलग नियम हैं।

सरदार उधम सिंह की 125वीं जयंती

हाल ही में 26 दिसंबर को **सरदार उधम सिंह** की जयंती मनाई गई, जिसमें **जलियाँवाला बाग हत्याकांड** में न्याय के अथक प्रयास के प्रतीक के रूप में उनकी विरासत का स्मरण किया गया।

- **जन्म एवं प्रारंभिक जीवन:** उधम सिंह का जन्म **26 दिसंबर 1899** को पंजाब के संगरूर ज़िले के सुनाम में हुआ था। कम आयु में ही माता-पिता की मृत्यु हो जाने पर यह अमृतसर के केंद्रीय खालसा अनाथालय में पले-बढ़े।

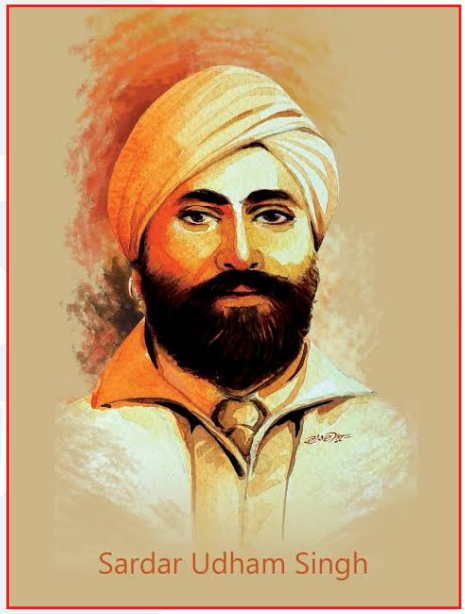

- **जलियाँवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी:** उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 के जलियाँवाला **बाग हत्याकांड में जीवित** बचे थे, जहाँ **ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में सेना ने** 400 से अधिक निहत्थे नागरिकों की हत्या कर दी थी।
- **क्रांतिकारी गतिविधियाँ:** इस नरसंहार से गहराई से प्रभावित होकर उधम सिंह **वर्ष 1924** में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विदेशों में भारतीयों को संगठित करने के लिये **गदर पार्टी में** शामिल हो गए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **वर्ष 1927** में फायरआर्म रखने के जुर्म में उन्हें पाँच वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई।

- **बदला और फाँसी: 13 मार्च 1940** को उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक के दौरान **माइकल ओ' डायर की हत्या** कर दी।
  - उन्हें 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में फाँसी दे दी गई।
- **विरासत:** ***शहीद-ए-आज़म*** के रूप में सम्मानित, उधम सिंह के अवशेषों को वर्ष 1974 में वापस लाया गया।
  - उनके कार्य औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध अटूट प्रतिरोध का प्रतीक हैं।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन

हाल ही में **विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया** गया है, जिसके तहत निर्वाचन संबंधी कुछ दस्तावेज़ों तक जनता की पहुँच प्रतिबंधित कर दी गई है।

- **हाल ही के संशोधन:**
  - यह संशोधन, **जो नियम 93(2)(A)** के तहत पहले सभी चुनाव पत्रों के सार्वजनिक निरीक्षण की अनुमति प्रदान करता था, इसमें संशोधन **भारत निर्वाचन आयोग (ECI)** की सिफारिश के बाद किया गया है।
  - यह संशोधित नियम अब ढाँचे के अंतर्गत **सूचीबद्ध विशिष्ट दस्तावेज़ों तक पहुँच** को सीमित करता है।
- **संशोधन की पृष्ठभूमि:**
  - इसकी शुरुआत **पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग** को हरियाणा विधानसभा चुनावों के **CCTV फुटेज** सहित सभी चुनाव संबंधी दस्तावेज़ साझा करने के निर्देश के बाद हुई है।
  - **निर्वाचन आयोग ने मतदाता की गोपनीयता और संवेदनशील** जानकारी के संभावित दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है।
- **RTI कार्यकर्त्ताओं और विपक्षी दलों** का तर्क है कि यह संशोधन निर्वाचन प्रक्रिया **पारदर्शिता और जवाबदेही** को प्रभावित करता है।
- **निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961:**
  - यह **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के अनुसार भारत में चुनाव कराने के लिये विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है।
  - ये नियम **उम्मीदवारों के नामांकन, मतदान प्रक्रियाओं** आदि को कवर करते हैं, **मतदाता गोपनीयता और चुनावी अखंडता सुनिश्चित तथा निर्वाचन अधिकारियों** के कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं।

डेनाली फॉल्ट

एक नए शोध से डेनाली फॉल्ट की उत्पत्ति का पता चला है, जो एक **विवर्तनिक सीमा** है जिससे अलास्का में डेनाली पर्वत (जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊँचा पर्वत है) का निर्माण हुआ।

- डेनाली **फॉल्ट का** निर्माण **72 मिलियन से 56 मिलियन वर्ष पूर्व** रैंगेलिया **कम्पोज़िट टेरेन** नामक **महासागरीय प्लेट** के **उत्तरी अमेरिकी प्लेट से टकराव** के कारण हुआ था।
  - इस अध्ययन में **इन्वर्टेड मेटामॉर्फिज़्म** के साक्ष्य भी मिले, जिसमें विवर्तनिक गतिविधि के कारण **उच्च दाब वाली चट्टानें निम्न दाब वाली चट्टानों से ऊपर** स्थित हो जाती हैं।
- **भ्रंश: भ्रंश या दरार से ब्लॉक पर्वतों** का निर्माण होता है। उदाहरण, **सतपुड़ा और विंध्य पर्वत।**
  - **ब्लॉक पर्वतों का निर्माण** तब होता है जब **भूमि के बड़े हिस्से टूटकर लंबवत रूप से विस्थापित** हो जाते हैं। इन्हें **फॉल्ट-ब्लॉक पर्वत** भी कहा जाता है।
- **फॉल्ट के प्रकार:**
  - **स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट:** ये फॉल्ट तब बनते हैं जब विवर्तनिक प्लेट **न्यूनतम ऊर्ध्वाधर गति** के साथ **क्षैतिज रूप** से खिसकती है। उदाहरण के लिये, **डेनाली फॉल्ट।**
  - **नॉर्मल फॉल्ट:** ये फॉल्ट तब बनते हैं जब **एक चट्टान का ब्लॉक नीचे की ओर खिसक** जाता है तथा पास के ब्लॉक से अलग हो जाता है। उदाहरण के लिये, **पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली।**
  - **रिवर्स फॉल्ट (थ्रस्ट फॉल्ट):** ये फॉल्ट तब बनते हैं जब **ऊपरी ब्लॉक ऊपर की बढ़ते हुए निचले ब्लॉक** के ऊपर चला जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

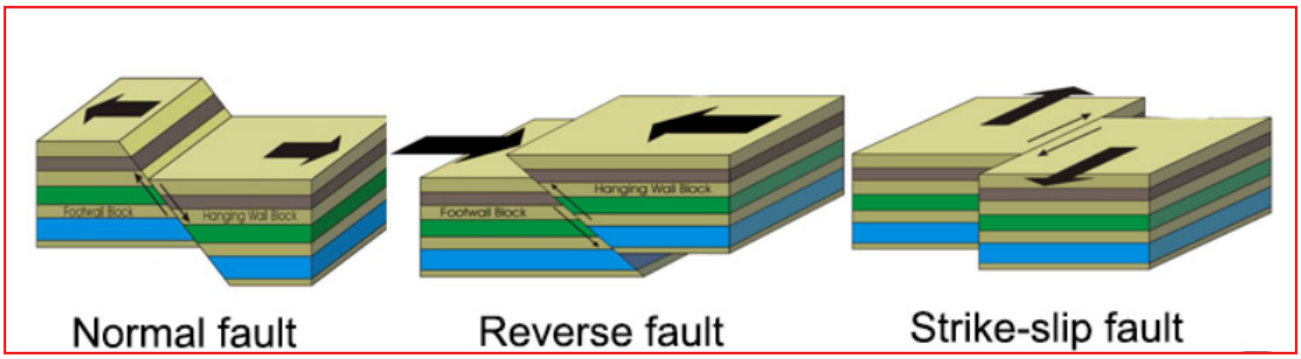

50,000 वर्ष पुराने ओल्ड बेबी मैमथ की खोज

हाल ही में वैज्ञानिकों ने **रूस में पर्माफ्रॉस्ट** के पिघलने के कारण **याना नामक 50,000 वर्ष पुराने ओल्ड बेबी मैमथ** के शव की खोज की।

- मैमथ **हाथियों के एक विलुप्त समूह** का सदस्य है, जो कई महाद्वीपों पर **प्लीस्टोसीन और होलोसीन जमावों (दो युग जो चतुर्थक काल** का निर्माण करते हैं **) में जीवाश्म के रूप में पाया जाता है।**
  - **4,000 वर्ष पहले** वे विलुप्त हो गये।
- **याना के बारे में:** यह **साइबेरिया के बटागाइका क्रेटर** में पाया गया था, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलती बर्फ से **बढ़ती गहराई** के कारण **"गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड"** के रूप में जाना जाता है।
  - वह **एक वर्ष की आयु में मर गयी, जिससे यह** विश्व भर में प्राप्त **केवल सात विशालकाय अवशेषों** में से एक असाधारण खोज बन गयी।
  - इस क्रेटर में **बाइसन, घोड़े और कुत्तों** जैसे अन्य प्राचीन जानवरों के अवशेष भी पाए गए हैं।
- **पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost):** मृदा या जल के नीचे की तलछट जो **दो साल से अधिक समय तक 0°C से नीचे जमी** रहती है, जिसकी **गहराई एक मीटर से लेकर 1,500 मीटर** तक होती है।
  - **आर्कटिक क्षेत्रों और पर्वत शिखरों** में **पर्माफ्रॉस्ट** सामान्य है और इसमें **700,000 वर्ष से भी अधिक** पुराने जमे हुए अवशेष हो सकते हैं।

कैनेरी द्वीप समूह

अफ्रीका से स्पेन के कैनरी द्वीप तक का अटलांटिक प्रवास मार्ग (जो यूरोप का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है) वर्ष 2024 में सबसे घातक मार्गों में से एक बन गया है, जिसमें 10,000 से अधिक प्रवासियों की मृत्यु हुई।

- यह मार्ग जोखिमपूर्ण है जिसमें **तेज़ समुद्री धाराएँ,** खराब ढंग से सुसज्जित नावें एवं प्रतिकूल मौसम की स्थिति शामिल हैं। ये कारक उच्च मृत्यु दर का कारण बनते हैं।
- कैनरी द्वीप अटलांटिक महासागर में एक **स्वायत्त स्पेनिश द्वीपसमूह है** जो मोरक्को (अफ्रीका) से लगभग 62 मील पश्चिम में स्थित है और **यूरोपीय संघ** के सबसे बाहरी क्षेत्रों में से एक है।
  - मुख्य कैनरी द्वीपसमूह में लैंजारोटे, फ्यूरटेवेंटुरा, ग्रैन कैनरिया, टेनेरिफ, ला गोमेरा, **ला पाल्मा** और एल हिएरो शामिल हैं।
  - इस द्वीपसमूह की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है।
- कैनरी **धारा अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी तट के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहने वाली** एक **ठंडी समुद्री धारा** है जिसका नाम कैनरी द्वीप के नाम पर रखा गया है। इसकी उपस्थिति **सहारा रेगिस्तान** के तटीय क्षेत्र में वर्षा रहित परिस्थितियों में योगदान करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

SLINEX 2024

हाल ही में भारत के विशाखापत्तनम में SLINEX 24 (श्रीलंका-भारत अभ्यास 2024) आयोजित किया गया। यह भारत और श्रीलंका के बीच **द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- अभ्यास के समुद्री चरण में दोनों नौसेनाओं के विशेष बलों द्वारा संयुक्त अभ्यास, गन फायरिंग, संचार प्रक्रियाएं, नाविक कौशल के साथ-साथ नेविगेशन विकास और हेलीकॉप्टर संचालन सम्मिलित थे, जिसमें भारतीय पक्ष ने **INS सुमित्रा के माध्यम से भाग लिया**।
  - भारत और श्रीलंका वर्ष **2005 से SLINEX अभ्यास** कर रहे हैं।
- भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का इतिहास **2500 वर्षों से भी अधिक पुराना** है।
  - **भारत सार्क में श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है,** जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2023-24 में 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। भारत आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करता है, श्रीलंका को **भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते से लाभ मिलता है।**
  - **अन्य भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय अभ्यास हैं: अभ्यास मित्र शक्ति** (सेना)।

टाउ प्रोटीन

एक नवीन अध्ययन से पता चलता है, कि मस्तिष्क अवसाद **प्रतिक्रिया को अवरुद्ध करने से टाउ प्रोटीन के** संचयन को रोककर **अल्ज़ाइमर के लक्षणों को बढ़ने से रोका जा सकता है।**

- अल्ज़ाइमर रोग एक **प्रगतिशील न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार है जो स्मृति हानि, संज्ञानात्मक क्षरण और व्यवहारिक परिवर्तन** का कारण बनता है। यह मनोभ्रंश का सबसे सामान्य कारण है, जो 60-80% मामलों के लिये ज़िम्मेदार है।
- **टाउ प्रोटीन** न्यूरॉन्स को स्थिर करते हैं, हालाँकि **अल्ज़ाइमर में, वे जमा होकर न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स** का निर्माण करते हैं, जो **न्यूरॉन संचार को बाधित करते हैं,** जो कि अल्ज़ाइमर रोग की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, यह संज्ञानात्मक क्षरण में योगदान देता है।
  - अवसाद प्रतिक्रिया मार्ग माइक्रोग्लिया को सक्रिय करता है, जिसके परिणामस्वरूप विषाक्त लिपिड का उत्पादन होता है।
  - मस्तिष्क में **विषाक्त लिपिड संश्लेषण को** अवरुद्ध करने से **टाउ के निर्माण को रोका जा सकता है,** जिससे संभावित लक्षण को बढ़ने से रोका जा सकता है।
    - ये विषैले लिपिड **माइक्रोग्लिया द्वारा उत्पादित होते हैं**-मस्तिष्क की प्रतिरक्षा कोशिकाएँ जो न्यूरोडीजनरेशन को या तो संरक्षित कर सकती हैं या उसे और भी अधिक हानि पहुँचा सकती हैं। ये न्यूरॉन्स को क्षति पहुँचाते हैं, जिससे न्यूरोडीजनरेशन बढ़ जाता है।
- हालाँकि मौजूदा उपचार **संज्ञानात्मक क्षरण में विलंब करते हैं, लेकिन** ये रोग को बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। **माइक्रोग्लियल अवसाद प्रतिक्रिया मार्ग को लक्षित करने से** अधिक प्रभावी उपचार मिल सकते हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने **वीर बाल दिवस** के अवसर पर **राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान 17 बच्चों (7 लड़के और 10 लड़कियाँ)** को **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार** प्रदान किया।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP):

- यह बच्चों के लिये भारत का **सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार** है, जो सात श्रेणियों में उनकी **असाधारण उपलब्धियों और क्षमताओं- बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल,** के लिये प्रदान किया जाता है।
- **5-18 वर्ष** की आयु के पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्र के प्रति उनके प्रेरक योगदान के लिये पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा नामांकन के पिछले दो वर्षों में किये गए असाधारण कार्यों को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष इन पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है ।
- इन पुरस्कारों का उद्देश्य **युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना तथा बच्चों की उपलब्धियों के लिये अवसर एवं मान्यता** की परंपरा को बढ़ावा देना है ।
  - नक्सल प्रभावित क्षेत्र के **जूडो खिलाड़ी हेमबती नाग को खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेलों** में रजत पदक से सम्मानित किया गया, जबकि **3 वर्षीय अनीश सरकार** को सबसे कम उम्र के **FIDE-रैंक वाले** शतरंज खिलाड़ी के रूप में मान्यता दी गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- ये उपलब्धियाँ **साहस, नवाचार और समर्पण को दर्शाती हैं तथा वर्ष 2047 तक**, अर्थात भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी **तक राष्ट्र निर्माण के प्रयासों** के लिये आधारशिला का कार्य करेंगी ।

58 लाख SVAMITVA संपत्ति कार्ड वितरण

हाल ही में 50,000 गाँवों में 58 लाख **SVAMITVA संपत्ति कार्ड** वितरित किये गए, जो **ग्रामीण सशक्तीकरण** की दिशा में एक मील का पत्थर है।

SVAMITVA योजना:

- **24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई** इस **योजना का उद्देश्य** ग्रामीण संपत्ति मालिकों के **अधिकारों का रिकॉर्ड** बनाना है, जिसमें **अत्याधुनिक ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग करके अबादी क्षेत्रों (बसे हुए क्षेत्रों) पर ध्यान** केंद्रित किया गया है।
- इसके तहत **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देने के लिए कई विभागों एवं हितधारकों को शामिल करते हुए **समग्र दृष्टिकोण का अनुसरण** किया गया है।
- संपत्ति के स्वामित्व को मान्यता मिलने से **ऋण तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित होने के साथ सामाजिक-आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा** मिलता है।

मुख्य सफलताएँ:

- **ड्रोन मैपिंग कवरेज: 3.17 लाख गाँवों** में पूरा किया गया, संपत्ति दस्तावेज़ीकरण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण किया गया।
- **संपत्ति कार्ड वितरण:** कानूनी संपत्ति अधिकार प्रदान करते हुए **1.49 लाख गाँवों में 2.19 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड** वितरित किये गए।
- **बेहतर शासन:** डिजिटल रूप से मान्य अभिलेखों ने **ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP)** को बढ़ावा दिया है, जिससे बुनियादी ढाँचे की योजना में सुधार हुआ है।
- **महिला सशक्तिकरण:** कानूनी संपत्ति स्वामित्व महिलाओं की **वित्तीय सुरक्षा** और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है।
- **विवाद समाधान:** सटीक मानचित्रण से भूमि स्वामित्व और सीमाओं को स्पष्ट करके **संपत्ति विवादों में कमी** आई है।

निधि कंपनियों पर नियामक कार्यवाही में वृद्धि

- वर्ष 2024 में, **कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA)** और **कंपनी रजिस्ट्रार (RoC)** ने **निधि कंपनियों** तथा **लाभकारी स्वामित्व प्रकटीकरण में विफल रहने वाली फर्मों** के खिलाफ **कार्यवाही तेज़** कर दी है।
- ऐसा वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने, गैर-बैंकिंग क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा कॉर्पोरेट प्रशासन को मज़बूत करने के लिये किया गया।
- कंपनी रजिस्ट्रार ने निधियों के विरुद्ध 131 आदेश जारी किये, जो **वर्ष 2023 से 72% अधिक** है, जिसमें 10,000 रुपए से 30 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है।
- **लाभकारी स्वामित्व** से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो **अंततः किसी कंपनी के मालिक होते हैं या उस पर नियंत्रण रखते हैं**, भले ही शेयर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हों।
  - **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत, कंपनियों को उन व्यक्तियों की पहचान का प्रकटन करना होगा जिनके पास **महत्त्वपूर्ण नियंत्रण है या जो 25% या उससे अधिक शेयरों के मालिक** हैं।
- **निधि कंपनियाँ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)** हैं जो **कंपनी अधिनियम, 2013** की **धारा 406** के तहत संचालित हैं।
  - ये कंपनियाँ **बचत को प्रोत्साहित करने** तथा विशेष रूप से अपने **सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराने** के लिये बनाई गई हैं।
  - निधियों को **RBI लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है**, लेकिन उन्हें सख्त प्रकटीकरण और परिचालन मानदंडों का पालन करना होगा।
  - वे **पब्लिक लिमिटेड कंपनियों** के रूप में पंजीकृत हैं और उनके नाम में **"निधि लिमिटेड"** शामिल है।
  - उन्हें एक वर्ष के भीतर न्यूनतम **200 सदस्य** और **20 लाख रुपए की शुद्ध स्वामित्व निधि** बनाए रखनी होगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कारागार में दांपत्य परिदर्शन

दिल्ली सरकार **कैदियों के लिये दांपत्य परिदर्शन की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रही है।**

- **दांपत्य परिदर्शन:**
  - इसका तात्पर्य **निजी पारिवारिक भेंट** से है, जिसमें **कैदी** कारागार के भीतर अपने विधिक पति/पत्नी के साथ समय व्यतीत करते हैं।
  - **मनोवैज्ञानिक कल्याण** में सुधार और **कैदियों के वैवाहिक संबंधों को बनाए रखते हुए** इससे **कैदियों के पुनर्वास** तथा **दीर्घकालिक सुधार** को बढ़ावा मिलता है।
- **न्यायिक निर्णय:**
  - पंजाब एवं हरियाणा **उच्च न्यायालय** ने वर्ष 2014 में कैदियों के **संतानोत्पत्ति के अधिकार** को बरकरार रखा था।
  - मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में वैवाहिक संबंधों के लिये **पैरोल** की अनुमति दी थी।
  - जुलाई 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार से कारागार परिसर के भीतर **कैदियों के लिये वैवाहिक संबंधों** की अनुमति देने पर विचार करने का आग्रह किया था।
- **अन्य देश: अमेरिका के कुछ राज्यों में** दांपत्य परिदर्शन की अनुमति है, लेकिन संघीय कारागारों में नहीं है।
  - यूरोप में **स्पेन, फ्राँस, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश इस प्रकार की भेंट की अनुमति प्रदान करते हैं** और स्पेन **मासिक एवं स्वीडन 9 घंटे की समयावधि प्रदान करता है।**

वित्तीय क्षेत्र में एथिकल AI हेतु RBI द्वारा समिति का गठन

वित्तीय क्षेत्र में **फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड नैतिक एआई (FREE-AI)** के अभिग्रहण हेतु एक रूपरेखा विकसित करने के लिये **RBI ने हाल ही में आठ सदस्यीय समिति गठित की** है।

- समिति की अध्यक्षता आईआईटी बॉम्बे के **प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य** करेंगे और **इसमें शिक्षा, सरकार तथा उद्योग जगत के विशेषज्ञ** शामिल हैं।
- समिति के **उद्देश्यों** में शामिल हैं:
- वित्तीय सेवाओं में AI के वर्तमान **वैश्विक और भारतीय उपयोग का आकलन** करना।
- विश्व भर में वित्तीय क्षेत्र में **AI के लिये नियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा** करना।
- वित्तीय क्षेत्र में AI के संभावित जोखिमों की पहचान करना, मूल्यांकन, शमन और निगरानी फ्रेमवर्क की सिफारिश करना।
- समिति बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और फिनटेक जैसे वित्तीय संस्थानों में AI के नैतिक अभिग्रहण हेतु एक शासकीय ढाँचे की सिफारिश करेगी।
- यह पहल भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में AI को ज़िम्मेदारीपूर्वक शामिल करने पर RBI के फोकस के अनुरूप है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय का फिनटेक विभाग समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

AI मशीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण है, जिसे मनुष्यों की तरह सोचने और सीखने के लिये प्रोग्राम किया गया है, जो समस्या-समाधान, तर्क और नई जानकारी के अनुकूल होने में सक्षम है।

AI टाइमलाइन - प्रमुख परिवर्तन (Milestones)

- **1950s** का दशक: ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव; पहला AI प्रोग्राम विकसित
- **1956** डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस ने "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" को मान्यता दी
- **1960s** का दशक: एलिजा चैटबॉट का निर्माण; प्रारंभिक न्यूरल नेटवर्क
- **1996** डीप ब्लू - एक शतरंज खेलने वाला प्रोग्राम (Chess-Playing Program)
- **2012** डीप लर्निंग ब्रेक थ्रू इन इमेज रिकॉग्निशन
- **2014** जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GAN) का प्रस्ताव
- **2020** GPT-3 द्वारा उन्नत भाषा निर्माण का प्रदर्शन
- **2022** चैटजीपीटी लॉन्च हुआ, जो संवादात्मक AI को आम लोगों तक पहुँचाएगा
- **2023** जनरेटिव AI बूम; प्रमुख टेक कंपनियों ने AI मॉडल जारी किये

प्रमुख AI प्रौद्योगिकियाँ

Drishti IAS

AI के अनुप्रयोग

- **स्वास्थ्य सेवा:** व्यक्तिगत चिकित्सा
- **वित्त:** एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग
- **परिवहन:** ऑटोनोमस व्हीकल
- **विपणन और ग्राहक सेवा:** टार्गेटेड एडवरटाइजिंग चैटबॉट
- **शिक्षा:** अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम
- **कृषि:** फसल निगरानी
- **साइबर सुरक्षा:** खतरे का पता लगाना
- **ऊर्जा:** स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन, खपत पूर्वानुमान

चिंताएँ

- डीपफेक और गलत सूचना
- एल्गोरिदमिक बायस
- ऑटोमेशन और जॉब डिस्प्लेसमेंट
- गोपनीयता के मुद्दे
- डेटा ऑनरशिप और लायबिलिटी इश्यु
- एथिकल डिसीजन-मेकिंग कॉम्प्लेक्स

AI विनियमन

- **AI पर वैश्विक भागीदारी (GPAI) 2020 में प्रारंभ हुई**
- **ब्लेचली घोषणा (2023):** AI पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना
- **G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (2023):**
- **AI** पर G7 हिरोशिमा (2023) प्रोसेस

भारत और AI

- **AI 201 के लिये राष्ट्रीय रणनीति**
- **AI फॉर ऑल:** स्व-शिक्षण ऑनलाइन कार्यक्रम
- भारत द्वारा आयोजित **GPAI शिखर सम्मेलन 2023**
- **इंडिया AI मिशन 2024**
- **US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (USIAI) पहल:** महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में AI सहयोग
- **AIRAWAT** (AI रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज सेपरिफ्यूज़न प्लेटफॉर्म) सुपरकंप्यूटर

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

नोट :

वर्ष 2022-23 में पीएम केयर्स फंडिंग में कमी

प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष (पीएम-केयर्स फंड) के ऑडिट विवरणों के अध्ययन से पता चलता है कि **वर्ष 2022-23 में स्वैच्छिक योगदान घटकर 912 करोड़ रुपए रह गया, जो मार्च, 2020** में इसकी स्थापना के बाद से सबसे कम है।

- वर्ष 2020-21 में यह योगदान **7,184 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर था**, फिर **कोविड-19** महामारी के बाद **वर्ष 2021-22 में यह घटकर 1,938 करोड़** रुपए रह गया।

CONTRIBUTIONS TO THE FUND

(In Rs crore)

Year	Voluntary	Foreign
2019-20	3,076.85	0.39
2020-21	7,183.77	494.93
2021-22	1,896.76	40.12
2022-23	909.64	2.57
Total	13,067.02	538.01

Source: pmcares.gov.in

पीएम केयर्स फंड

- **परिचय:**
  - यह **पंजीकरण अधिनियम, 1908** के तहत **27 मार्च, 2020** को पंजीकृत एक **सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट** है।
- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य **सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों जैसे कोविड-19, प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं** सहित **राहत या सहायता प्रदान करना तथा स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्युटिकल** बुनियादी ढाँचे एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना है।
  - यह प्रभावित आबादी को **वित्तीय सहायता, अनुदान या अन्य आवश्यक सहयोग** प्रदान करता है।
- **सदस्य और शासन:**
  - **अध्यक्ष: प्रधानमंत्री** (पदेन)।
    - **ट्रस्टी:** रक्षा, गृह और वित्त मंत्री।
    - **अतिरिक्त ट्रस्टी:** अध्यक्ष द्वारा नियुक्त; गैर-लाभकारी आधार पर कार्य करते हैं।
  - **कर में छूट:**
    - योगदान **आयकर अधिनियम, 1961** की **धारा 80G** के अंतर्गत **100% कर छूट के लिये पात्र** हैं तथा **कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)** व्यय के लिये पात्र माने जाते हैं।
    - **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF)** के समान, इसे भी विदेशी दान प्राप्त करने के लिये **विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)** के तहत छूट प्राप्त है।
- **आलोचनाएँ:**
  - **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है, तथा **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम** लागू नहीं होता है।
  - **उद्देश्य का दोहराव: PMNRF** के साथ ओवरलैप।
  - **अपर्याप्त उपयोग:** आवश्यकता होने के बावजूद, धन का उपयोग नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिये, 202 करोड़ रुपए वेंटिलेटर वापस कर दिया गया)
  - **विदेशी दान:** घरेलू नीति निर्धारण पर बाहरी प्रभाव के बारे में चिंता जताई गई।

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट क्लासरूम

भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलूरू के एक अध्ययन से पता चला है कि **स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) ने स्मार्ट कक्षाओं** के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है।

- **स्मार्ट सिटीज मिशन:** इसे वर्ष 2015 में **आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय** द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य शहरों में बुनियादी ढाँचे, जीवन की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

स्मार्ट सिटीज़ मिशन

के बारे में

- आरंभ: 2015
- प्रकार: केंद्र द्वारा प्रायोजित
- नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
- कार्यान्वयन: शहर स्तर पर एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से।
- मिशन की समय सीमा: जून 2023 तक विस्तारित
- कवरेज: 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना

छह मूलभूत सिद्धांत

- मूल में नागरिक (Citizen at the core)
- कम-से-अधिक (More from Less)
- सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद (Cooperative and competitive federalism)
- एकीकरण, नवाचार, संवहनीयता (Integration, innovation, sustainability)
- प्रौद्योगिकी साधन के रूप में न कि लक्ष्य के रूप में (Technology as means, not the goal)
- अभिसरण (Convergence)

स्मार्ट समाधान

ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाएँ

- जन सूचना, शिकायत निवारण
- इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण
- नागरिक भागीदारी
- नागरिक - शहर की आँखें और कान
- वीडियो अपराध निगरानी

ऊर्जा प्रबंधन

- स्मार्ट मीटर और प्रबंधन
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत
- ऊर्जा कुशल और हरित भवन

अपशिष्ट प्रबंधन

- अपशिष्ट से ऊर्जा एवं ईंधन
- अपशिष्ट से खाद
- अपशिष्ट जल का उपचार
- निर्माण और विध्वंस (C&D) अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और कमी

शहरी आवागमन

- स्मार्ट पार्किंग
- कुशल यातायात प्रबंधन
- एकीकृत मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट

जल प्रबंधन

- स्मार्ट मीटर और प्रबंधन
- लीकेज की पहचान, निवारक प्रबंध
- जल गुणवत्ता की जाँच

अन्य

- टेली-मेडिसिन तथा टेली एजुकेशन
- इन्क्यूबेशन/व्यापार सुगमता केंद्र
- कौशल विकास केंद्र

अब तक 60 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं

चुनौतियाँ

- वित्त प्रबंधन: वित्त जुटाने, उन्हें SPV में स्थानांतरित करने तथा उनके कुशल उपयोग में कठिनाई
- शहरी समस्याएँ: जैसे वायु प्रदूषण, सड़क पर भीड़भाड़ और सार्वजनिक परिवहन में कमी
- नीतिगत मुद्दे: जैसे पर्यावरण अनापत्ति (Environment Clearances) प्राप्त करने में बाधा
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा
- केंद्र-राज्य समन्वय का अभाव

आगे की राह

- विकेंद्रीकरण: बेहतर कार्यान्वयन के लिये नगरपालिका और राज्य स्तर पर नियोजन
- नीतिगत मुद्दे: लालफीताशाही (अत्यधिक नियमों एवं नियंत्रण के कारण अनावश्यक विलंब) की तरह, पर्यावरण मंज़ूरी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है
- PPP मॉडल: बेहतर प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षमताओं के लिये
- समन्वित दृष्टिकोण: परिवहन, ऊर्जा, आवास के समग्र विकास हेतु
- नागरिक भागीदारी को बढ़ावा

Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया **'SAAR' (Smart Cities and Academia towards Action and Research)** प्लेटफॉर्म, **SCM के तहत शहरी पहलों का दस्तावेज़ीकरण और अनुसंधान** करने के लिये शिक्षाविदों और सरकार को जोड़ता है।

- **SCM और शिक्षा:** IIM बंगलूरू के अध्ययन से पता चलता है कि SCM के तहत **स्मार्ट कक्षाओं** ने वर्ष 2015-16 से वर्ष 2023-24 तक **19 शहरों में नामांकन में 22% की वृद्धि** की है।
  - 71 शहरों में लगभग 2,400 सरकारी स्कूलों में लगभग 9,500 स्मार्ट कक्षाएँ क्रियान्वित की गई हैं।
    - **कर्नाटक 80 स्मार्ट क्लासरूम परियोजनाओं के साथ अग्रणी है,** उसके बाद राजस्थान (53), तमिलनाडु (23) और दिल्ली (12) हैं। पश्चिम बंगाल में केवल दो परियोजनाएँ हैं।
  - विशेषकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण से स्मार्ट कक्षाओं के साथ सहजता में सुधार हुआ है।

सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना

हाल ही में **भारत** ने **ब्रह्मपुत्र** पर विश्व के सबसे बड़े जलविद्युत बाँध को चीन द्वारा मंजूरी दिये जाने पर चिंता जताई, जिससे भारत की **सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना** की योजना को बढ़ावा मिला।

- **परिचय:**
  - यह **अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग ज़िले** में **सियांग नदी (ब्रह्मपुत्र नदी** की एक प्रमुख सहायक नदी) के पास स्थित है।
  - सियांग नदी, तिब्बत में **कैलाश पर्वत** के निकट यारलुंग त्सांगपो के नाम से निकलती है, तथा पूर्व की ओर 1,000 किलोमीटर से अधिक तक बहती है।
    - असम में यह **दिबांग एवं लोहित** नदियों के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है।
    - यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले **नामचा बरवा चोटी के चारो ओर एक घोड़े की नाल के आकार** का मोड़ बनाती है।

- **भारत के लिये सामरिक महत्त्व:**
  - **इसका उद्देश्य यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र)** पर चीन की **जलविद्युत परियोजनाओं** को प्रतिसंतुलित (जिससे **भारत की जल सुरक्षा प्रभावित** हो सकती है) करना है।
  - **इससे निचले इलाकों में बाढ़** का खतरा (विशेषकर **चीन द्वारा ऊपरी इलाकों में जल छोड़े जाने** के कारण) कम हो सकता है।
  - इस परियोजना की **स्थापित क्षमता 11,000 मेगावाट** होगी, जिससे यह **जलविद्युत** की प्रमुख स्रोत बन जाएगी।
  - **इससे वर्ष भर नदी जल का प्रवाह** सुनिश्चित होने से कृषि को समर्थन मिलेगा।
  - **हालाँकि, ऊपरी सियांग एवं सियांग ज़िलों की अदी जनजाति** के कई निवासियों के समक्ष प्रस्तावित परियोजना के कारण अपनी कृषि भूमि एवं घरों को खोने का डर बना हुआ है।

नीडल-फ्री शॉक सिरिंज

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के शोधकर्त्ताओं द्वारा सुई के स्थान पर एक **शॉकवेव-आधारित सिरिंज** विकसित कर शरीर में दवा/औषधि पहुँचाने की नवीन पद्धति निर्मित की गयी है, जो त्वचा की क्षति और संक्रमण के जोखिम को कम करती है।

- **शॉक सिरिंज उच्च ऊर्जा वाली शॉकवेव का उपयोग** कर त्वचा के माध्यम से **सुई (नीडल)** के बिना दवा पहुँचाकर इंजेक्शन का दर्द रहित विकल्प प्रदान करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- शॉकवेव एक **दाब तरंग है** जो वायु, पानी या ठोस पदार्थों जैसे माध्यम से ध्वनि से भी तेज़ गति से प्रवाहित होती हैं। यह तब विकसित होती है जब कोई बल या वस्तु आस-पास के वातावरण के दाब को तेज़ी से बदल देती है।
- इस उपकरण में तीन भाग होते हैं: **डाइवर (Driver), ड्रिवेन (Driven) और ड्रग होल्डर (Drug Holder),** जो **दवा/औषधि वितरण के लिये शॉकवेव ड्रिवेन माइक्रोजेट का निर्माण करते हैं।**

- शॉक सिरिंज में पूरित तरल औषधि को माइक्रोजेट में रूपांतरित करने हेतु **माइक्रो शॉक ट्यूब के चालक खंड पर दाबयुक्त नाइट्रोजन गैस को लगाया** जाता है। इस औषधीय माइक्रोजेट की गति, ध्वनि तरंगों की तुलना में प्राय: दोगुनी होती है।
  - शॉक सिरिंज का परिक्षण चूहों में दवाओं के प्रभावी वितरण को प्रदर्शित करके किया गया, जिसमें नियमित सुइयों की तुलना में दवा ऊतकों में त्वचा को न्यूनतम क्षति के साथ अधिक गहराई तक प्रवेश हुई।
- शॉक सिरिंज **मिशन इन्द्रधनुष (MI) जैसे टीकाकरण अभियान के क्रियान्वयन** में तेज़ी ला सकता है तथा सुई से लगने वाली चोटों से होने वाले रक्तजनित रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है।
  - शॉक सिरिंज को एकाधिक दवा/औषधि वितरण शॉट्स (मल्टिपल ड्रग डिलिवरी, जैसे 1000 से अधिक शॉट्स का परीक्षण किया) के लिये युक्तिबद्ध किया गया है, और केवल नोजल बदलने के मूल्य पर यह सिरिंज विश्वसनीयता एवं लागत-प्रभाव प्रदान करती है"

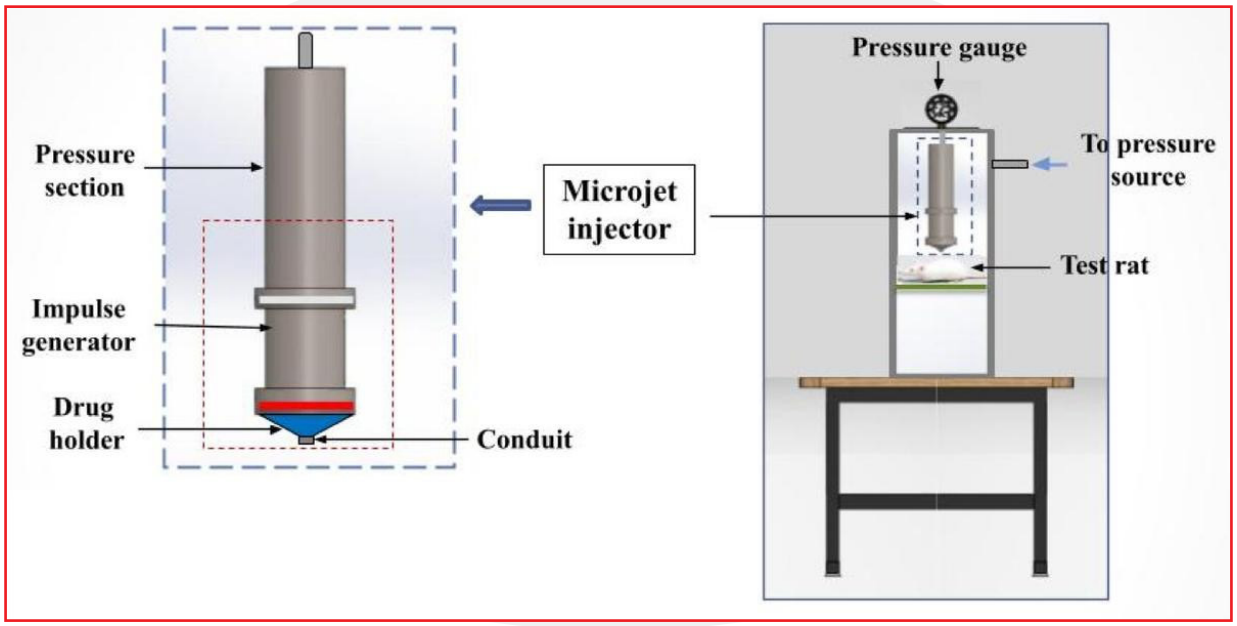

पेरियार टाइगर रिज़र्व से बस्तियों को बाहर करना

हाल ही में **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)** द्वारा **थाट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य** और **पेरियार टाइगर रिज़र्व की एंजेल घाटी और पंबा घाटी बस्तियों** का निरीक्षण करने के लिये एक टीम गठित की गई है।

- **एंजेल घाटी और पंबा घाटी बस्तियाँ (पेरियार टाइगर रिज़र्व):**
  - केरल में **मूकेनपेट्टी** कॉजवे और **कनमाला पुल** के पास स्थित ये बस्तियाँ पूर्व सैनिकों और उनके वंशजों के लिये वर्ष 1947-48 (**द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद) की **'ग्रो मोर फूड' पहल** के तहत बनाई गई थीं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

बाघ अभयारण्य

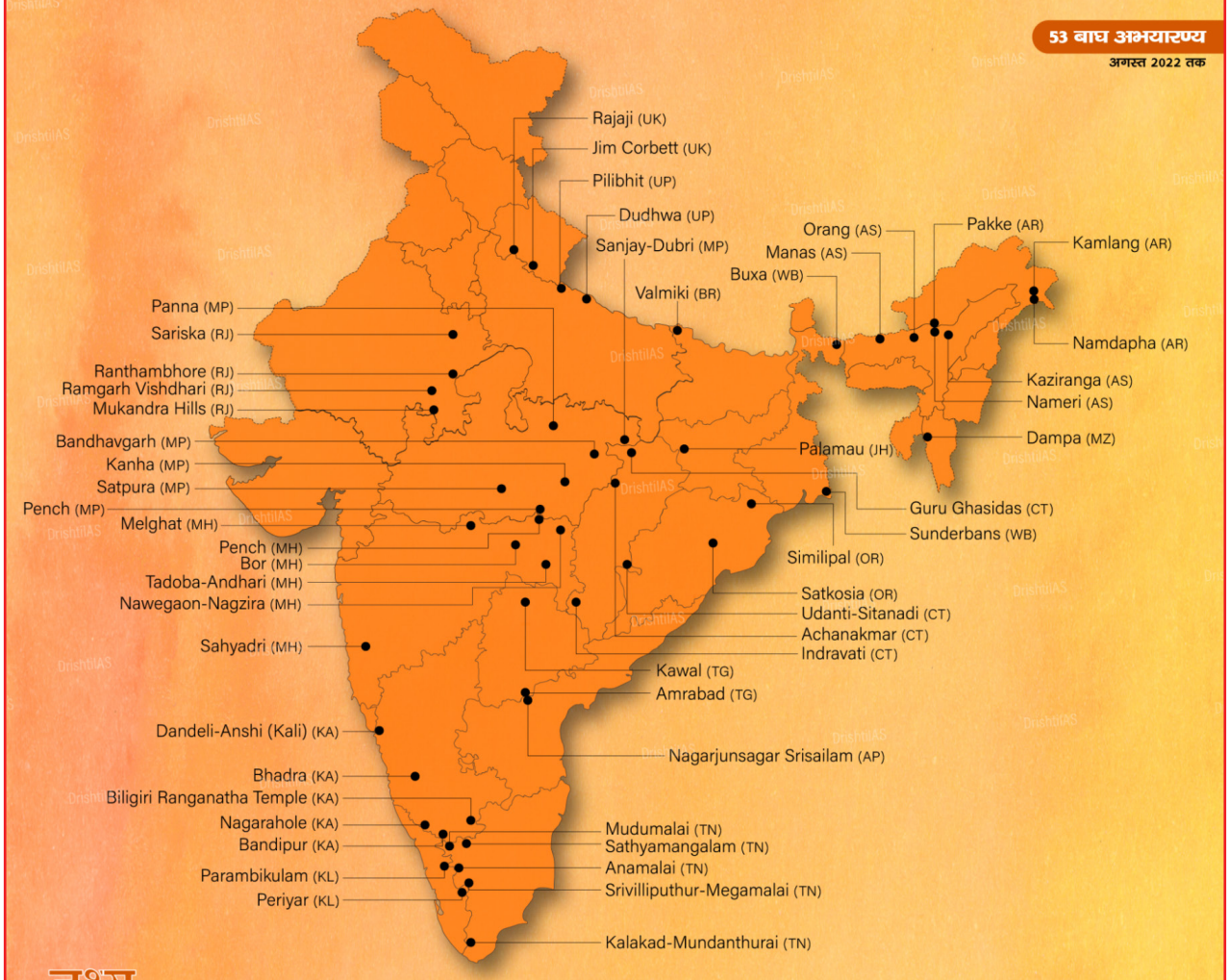

तथ्य

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की सिफारिश पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य/टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
- सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य (कोर क्षेत्र): नागार्जुनसागर श्रीशैलम (आंध्रप्रदेश)
- सबसे छोटा बाघ अभयारण्य: ओरंग (असम)
- सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभयारण्य: कॉर्बेट (उत्तराखंड) (अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018)
- सर्वाधिक बाघ आबादी वाला राज्य: मध्य प्रदेश (अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **पेरियार टाइगर रिजर्व** अपनी **जैवविविधता** के लिये प्रसिद्ध है, जिसमें **बंगाल टाइगर**, **भारतीय हाथी** और विविध वनस्पतियाँ शामिल हैं और इसे **वर्ष 2022 में भारत के सबसे अच्छे प्रबंधित टाइगर रिज़र्व** के रूप में मान्यता दी गई थी।
- **वन्यजीवों के आक्रमण** और वन्य नियमों के कारण निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और **5.02 वर्ग किलोमीटर** आवासीय क्षेत्र को गैर-अधिसूचित करने की मांग की जा रही है।

- **थाट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य:**
  - यह **पेरियार नदी** पर **कोठामंगलम** के पास स्थित है और **280 से अधिक पक्षी प्रजातियों** का निवास स्थान है।
  - वर्ष 1983 में स्थापित, इसका नाम **डॉ. सलीम अली** (भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और पक्षी संरक्षणवादी) के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे **प्रायद्वीपीय भारत में सबसे समृद्ध पक्षी आवास** माना था।
  - प्रस्तावित परिवर्तनों में **मुन्नार प्रभाग** से **897.25 हेक्टेयर** आवासीय भूमि को हटाना तथा **1,016.94 हेक्टेयर** वन भूमि को जोड़ना शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :